पंचदश माला, खंड 20, अंक 7

बुधवार, 30 नवम्बर, 2011
9 अग्रहायण, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 84
Dated 29 April 2014

सत्यमेव जयते

(खण्ड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

' 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 20, नौवां सत्र, 2011/1933 (शक)]

अंक 7, बुधवार, 30 नवम्बर, 2011/9 अग्रहायण, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1-8
*तारांकित प्रश्न संख्या 121	1-8
प्रश्नों के लिखित उत्तर	8-576
तारांकित प्रश्न संख्या 122 से 140	8-66
अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1610	66-576
सभा पटल पर रखे गए पत्र	577-581
विशेषाधिकार समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	581
नियम 377 के अधीन मामले	581-591
(एक) दिल्ली में पश्चिम दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सुभाष नगर क्षेत्र में सड़क चौड़ा करने के लिए पेड़ों की कटाई किए जाने के बारे में दिल्ली नगर निगम का आदेश वापस लिए जाने की आवश्यकता	
श्री महाबल मिश्रा	582
(दो) मध्य प्रदेश के राजगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री नारायण सिंह अमलाबे	582-583
(तीन) देश में संभावित आर्थिक मंदी के खतरे पर नियंत्रण पाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री दत्ता मेघे	583
(चार) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र शामिल किए जाने और मजदूरी की दरों में वृद्धि किए जाने तथा इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के कार्य घंटों का पुनर्निर्धारण किए जाने की आवश्यकता	
श्री के.पी. धनपालन	584

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(पांच) देश में नकली दवाओं की समस्या पर नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता	
श्री जयवंत गंगाराम आवले	584–585
(छह) पुडुचेरी और तमिलनाडु के कुड्डालोर जिला के बीच एक बाईपास रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री के.एस. अलागिरी	585
(सात) संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाक अधिकृत कश्मीर में चीन की बढ़ रही गतिविधियों से संबंधित मामले को उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री अनुराग सिंह ठाकुर	585–586
(आठ) झारखण्ड के गिरिडीह, बोकारो और धनबाद के सभी गांवों को विद्युतीकरण का कार्य शुरू किए जाने, समुचित क्षमता वाले ट्रांसफार्मर और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को अधिक विद्युत प्वाइंट उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय	586
(नौ) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के असम के सिल्चर स्थित कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने हेतु उपबंध किए जाने की आवश्यकता	
श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	586–587
(दस) उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल समपार संख्या 236ए पर चौकीदार नियुक्त किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती सुशीला सरोज	587
(ग्यारह) अनुसूचित जनजातियों को देश की मुख्य धारा में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री रमाशंकर राजभर	587–588
(ब्यारह) बिहार के काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्य शुरू करने तथा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत शेष बचे गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता	
श्री महाबली सिंह	588
(तेरह) पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के बालागढ़, चंदननागा, चिनसूढ़ और बांसबेरिया क्षेत्रों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित किए जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
डॉ. रत्ना डे	588–589
(चौदह) तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में टेक्सटाईल पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री आर. थामराईसेलवन	589

विषय **कॉलम**

(पंद्रह) श्यामलाल गोपीनाथ आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों की पुनरीक्षा किए जाने तथा महिला प्रधान अभिकर्ताओं के पक्ष में समुचित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता

श्रीपी. करूणाकरन 590

(सोलह) तमिलनाडु के विलुपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मुंडियमबाक्कम और टिंडीवनम में रेल सुविधाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता।

श्री एम. आनंदन 590-591

(सत्रह) बिहार के मुजफ्फरपुर के मोतीपुर रेलवे स्टेशन पर रेल सुविधाओं में सुधार किए जाने तथा पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत बिहार में नरियार जंक्शन पर पोरबंदर एक्सप्रेस, देहरादून एक्सप्रेस, जनसाधारण एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 591

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 593-594

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 594-604

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 605-606

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 605-608

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

बुधवार, 30 नवम्बर, 2011/9 अग्रहायण, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब हम प्रश्न-काल लेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, मैने प्रश्न-काल स्थगित करने के लिए सूचना दी है। कृपया स्थगन प्रस्ताव पर विचार कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 121 श्री प्रताप सिंह बाजवा

...*(व्यवधान)*

पूर्वाहन 11.01 बजे

इस समय श्री रमेश राठौड़, श्री नरहरि महतो, शेख सैदुल हक, श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

...*(व्यवधान)*

11.0$^{1}/_{2}$ बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद

कोयला परियोजनाओं को स्वीकृति

+
*121. **श्री प्रताप सिंह बाजवा:**
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारण कोल इंडिया लिमिटेड कोयला उत्पादन बढ़ाने में असमर्थ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य तथा केन्द्र के स्तर पर स्वीकृति हेतु लम्बित ऐसी परियोजनाओं का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या देश में ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशों में परिसंपत्तियों का अर्जन करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

कोयला मंत्री (श्री प्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) कोल इंडिया लि. द्वारा की गई सूचना के अनुसार वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने, भूमि अधिग्रहण एवं संबंधित आरएंडआर मुद्दों में विलम्ब के कारण परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ।

तथापि, वर्तमान में 176 (चरण-I के लिए 127 और चरण-II के लिए 49) वन प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति के लिए प्रतीक्षित हैं। राज्य स्तर पर चरण-I के लिए 102 और चरण-II के लिए 29 लंबित हैं तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) स्तर पर चरण-I के लिए 25 और चरण-II के लिए 20 लंबित हैं। इसके अलावा, 33 पर्यावरणीय प्रस्ताव एमओईएफ स्तर पर तथा 25 प्रस्ताव राज्य स्तर पर स्वीकृति के लिए प्रतीक्षारत हैं। इनका ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) कोयला मंत्रालय ने पर्यावरण एवं वन पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियों, भूमि अधिग्रहण तथा आरएंडआर मुद्दों को तीव्र गति प्रदान करने के लिए कोयल उत्पादक राज्यों और एमओईएफ के साथ इस मुद्दे को सर्वोच्च स्तर पर उठाया है। इसके अलावा, स्वीकृतियों को गति प्रदान करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

* अधिग्रहण की कार्यवाही को गति प्रदान करने की दृष्टि से राज्य सरकारों के भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के साथ प्रभावशाली ढंग से कार्रवाई करना।

* मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य प्राधिकारियों अर्थात भू-राजस्व आयुक्त, भू-राजस्व सचिव के साथ नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं।

* वन अधिकारियों के साथ अपेक्षाओं को पूरा करने तथा प्रश्नों का जवाब देने के लिए नियमित रूप से जिला एवं तहसील स्तर पर संपर्क किया जाता है।

* पर्यावरण एवं वन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए एमओईएफ के क्षेत्रीय कार्यालय/एमओईएफ, नई दिल्ली के साथ समय-समय पर संपर्क किया जाता है।

* भू-स्वामियों/ग्रामीणों के साथ पुनर्स्थापन स्थल का चयन करने तथा उन्हें शीघ्र वहां जाने के लिए राजी करने के संबंध में विचार-विमर्श किया जाता है।

(घ और (ङ) मांग आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए सीआईएल विदेशों में कोयला परिसंपत्तियां अर्जित करने तथा अर्जित कोयले से उत्पादित कोयले को भारत लाने पर विचार कर रही है। सीआईएल (मु.), कोलकाता में कोल विदेश प्रभाग से विदेशी उद्यम को कार्यान्वित किया जा रहा है और कई पहलें की गयी हैं जो निम्नलिखित हैं:-

मोजाम्बिक सरकार द्वारा संचालित वैश्विक निविदा प्रक्रिया में सीआईएल सफल बोलीकर्ता के रूप में उभरी है और मोजाम्बिक में दो कोयला ब्लाकों अर्थात टेटे प्रांत में 22400 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले ए-1 तथा ए-2 का पूर्वेक्षण लाइसेंस (पीएल) अर्जित किया है। पीएल सीआईएल को 3 वर्षों की अवधि में कोयला ब्लाकों का अन्वेषण करने तथा विकसित करने के लिए पात्र बनाता है। सीआईएल की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अर्थात कोल इंडिया अफ्रिकाना लिमिटाडा को कोयला संसाधनों में निवेश के लिए मोजाम्बिक में पंजीकृत किया गया है।

कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने मौजूदा अथवा ग्रीनफील्ड कोयला संसाधनों में स्टेक अर्जित करने के लिए आस्ट्रेलिया, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका तथा इंडोनेशिया जैसे अधिमानी लक्ष्य देशों में नीतिगत भागीदारों का चयन करने के लिए जुलाई, 2009 में वैश्विक अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) निम्नलिखित सौदा ढांचों के अंतर्गत आमंत्रित की थी:-

* विद्यमान आयात मूल्य से कम मूल्य पर दीर्घावधि उठान ठेके के साथ सीआईएल द्वारा इक्विटी निवेश।

* उत्पादन में वृद्धि करने के जिए सीआईएल से ऋण द्वारा वित्तीय सहायता (यदि अपेक्षित हो)से विद्यमान आयात मूल्य से कम मूल्य पर लागत जमा आधार पर केवल दीर्घावधि उठान ठेका।

* किन्हीं लक्ष्य देशों में कोयला परिसंपत्तियों के अन्वेषण, विकास तथा प्रचालन के लिए जेवी का गठन।

उपर्युक्त सभी सौदा ढांचों के माध्यम से वैश्विक मूल्यों की अस्थिरता से आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पृथक्करण के दोहरे उद्देश्य से कोयले का आयात किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है और सीआईएल ने अभी तक विदेश में किसी खान का अर्जन नहीं किया है। इसके अलावा, भारत सरकार, ने सीआईएल/सेल/आरआईएनएल/एनएमडीसी और एनटीपीसी के बीच संयुक्त उद्यम के माध्यम से स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के गठन को अनुमोदित कर दिया है जिसे 20 मई 2009 को "इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लि. (आईसीवीएल)" के रूप में पंजीकृत किया गया है। आईसीवीएल का उद्देश्य पार्टनर कंपनियों की कोयले की मांग को पूरा करने के लिए विदेश में कोयला संसाधनों में निवेश करना है। एसपीवी को 10,000 करोड़ रु. की प्राधिकृत पूंजी और 3500 करोड़ रु. की आरंभिक प्रदत्त पूंजी अनुमोदित की गयी है। मुख्यत: आस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक, यूएसए आदि में कोकिंग कोयला परिसंपत्तियां अर्जित करने के लिए पहल की गयी हैं।

अनुबंध

चरण-। स्वीकृति के लिए लंबित वन प्रस्तावों का सार

क्र.सं.	कंपनी	चरण-। स्वीकृति के लिए मामलो की संख्या	राज्य स्तर पर लंबित मामलों की संख्या	एमओईएफ स्तर पर लंबति मामलों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	ईसीएल	3	1	2
2.	बीसीसीएल	3	2	1

1	2	3	4	5
3.	सीसीएल	23	18	5
4.	एनसीएल	2	2	0
5.	डब्ल्यूसीएल	30	24	6
6.	एसईसीएल	45	35	10
7.	एमसीएल	13	12	1
8.	एनईसी	8	8	0
	कुल	127	102	25

चरण-II स्वीकृति के लिए लंबित वन प्रस्तावों का सार

क्र.सं.	कंपनी	चरण-II स्वीकृति के लिए मामलों की संख्या	राज्य स्तर पर लंबित मामलों की संख्या	एमओईएफ स्तर पर लंबित मामलों की संख्या
1.	ईसीएल	1	0	1
2.	बीसीसीएल	2	2	0
3.	सीसीएल	9	3	6
4.	एनसीएल	0	0	0
5.	डब्ल्यूसीएल	5	5	0
6.	एसईसीएल	31	18	13
7.	एमसीएल	1	1	0
8.	एनईसी	0	0	0
	कुल	49	29	20

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/राज्य के पास लंबित मामले

सहायक कंपनी	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय			राज्य			कुल
	टीओआर	ईएसी	अंतिम स्वीकृति	पीसी	ईएसी	अंतिम स्वीकृति	
1	2	3	4	5	6	7	8
ईसीएल	4			2			6
बीसीसीएल		1		1			2

1	2	3	4	5	6	7	8
सीसीएल	1		6	2			9
एनसीएल	4						4
डब्ल्यूसीएल	2		7	15		1	25
एसईसीएल		1	2	3	1		7
एमसीएल			3				3
एनईसी			2				2
सीआईएल	11	2	20	23	1	1	58

श्री प्रताप सिंह बाजवा: महोदया ऐसे विद्युत संयंत्रों के बारे में सूचना है जिनके पास विद्युत आपूर्ति करने हेतु पर्याप्त कोयला भंडार नही है। ...*(व्यवधान)* विशेष रूप से ऐसे प्रभावित संयंत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में है। ...*(व्यवधान)* केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणी नवम्बर माह की रिपोर्ट, ऑपरेशन परफार्मेस मॉनिटरिंग डिवीजन के अनुसार अक्टूबर माह में ताप विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन में कमी का मुख्य कारण कोयले की कमी थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री प्रतापसिंह बाजवा के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया था। कृपया जाइए और अपने स्थान पर बैठिए।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: प्लीज हाउस चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रताप सिंह बाजवा: देश में 47 ताप विद्युत स्टेशनों में कोयला का भंडार बहुत ही कम था और ऐसी सूचना थी कि लगभग 11 संयंत्रो के पास केवल एक दिन का भंडार बचा था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया सभा को चलाने में सहयोग कीजिए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रताप सिंह बाजवा: राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, देश के अधिकांश भागों में ताप विद्युत की आपूर्ति करता है, तथा कई निजी ताप विद्युत संयंत्रों के अधिकारियों ने शिकायत की है कि बहुत कम आपूर्ति कारण उनके पास प्रतिदिन के उपयोग करने भर कोयला होता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया सहयोग कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रताप सिंह बाजवा: मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों के पास उनकी पूरी क्षमता भर कोयला भंडार हो सरकार क्या क़दम उठा रही है।

...*(व्यवधान)*

मै जानना चाहता हूं कि हाल में कोयले की कमी को देखते हुए किसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों के कोयला भंडार सामान्य सीमा से अधिक बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कोई योजना तैयार की है। ...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

मिशनों के लिए भवनों का निर्माण

*122. **श्री जोस के. मणि:**
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिशनों और दूतावासों सहित विदेशों में अपने भवनों के निर्माण तथा विद्यमान भवनों के नवीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप सरकार को किराए के रूप में लगातार/बार-बार व्यय करना पड़ता है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सबंध में क्या सुधारात्मक उपाए किए जा रहे हैं;

(ग) क्या बैंकाक और वारसा में मिशन भवनों के निर्माण के लिए प्लाट पिछले दो दशकों से भी अधिक समय से खाली पड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बैंकाक और वारसा में किराए पर लिए गए भवनों के लिए अब तक कुल कितने किराए का भुगतान किया गया है; और

(ङ) इन मिशनों के लिए भवनों का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): (क) से (ङ) सरकार के स्वामित्व वाले भूखंडों पर निर्माण-कार्य शुरू होने और सरकार की स्वामित्व वाली संपत्तियों के नवीनीकरण में विलंब होने के कई कारण हैं जिनमें मुख्यत: स्थानीय मानदंड, पद्धतियां एवं परिस्थितियां शामिल हैं। उपयुक्त संपत्तियों की अनुपलब्धता के कारण विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों में कार्यालय/आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा कई मामलों में निर्मित संपत्तियों को अधिगृहित करना संभव भी नहीं पाया गया। इन कारणोंवश और साथ ही इस तथ्य के कारण भी कि सरकार द्वारा हाल के वर्षों में विदेशों में नए मिशन/केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया है, किराए पर होने वाले व्यय में निरन्तर वृद्धि हुई है। विदेशों में संपत्तियों का निर्माण/अधिग्रहण/नवीनीकरण कर किराए पर होने वाले व्यय को कम करने का मंत्रालय का प्रयास इस तथ्य से प्रतिबिम्बित होता है कि वर्ष 2005-06 के 90 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010-11 में 415 करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय के तहत निधियों का उपयोग किया गया।

जी हां। इस तथ्य के बावजूद कि मंत्रालय ने वर्ष 1974 में बैंकाक में और 1988 में वारसा में भूखंड के अधिग्रहण के बाद से सतत प्रयास किया है इन संपत्तियों पर निर्माण-कार्य शुरू कर पाना व्यवहार्य नहीं पाया गया।

बैंकाक में वर्ष 1974 में भूखंड का अधिग्रहण किये जाने के बाद से मंत्रालय ने स्थल पर आकलन करने और भूखंड का उपयोग करने के श्रेष्ठ विकल्पों की सिफारिश करने के लिए बारह संपत्ति दलों को भेजा। आवासों का निर्माण करने से राजदूतावास आवास/सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण करने के साथ-साथ भूखंडों के बेचने तक के इन विकल्पों पर मंत्रालय द्वारा इस अवधि के दौरान विचार किया गया। भूखंड की उपयोगिता की संकल्पनात्मक डिजाइन तैयार करने के लिए एक परामर्शदाता को भी प्रतिनियुक्त किया गया। लेकिन मार्ग के बिलकुल अंत में स्थित भूखंड की स्थिति, संकीर्ण सड़क मार्ग और सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव इन कार्यकलापों को आगे बढ़ाने में बाधक रहे हैं। भूखंड बेचने को भी पसंदीदा विकल्प नहीं पाया गया क्योंकि बैंकाक के मध्य में सरकार के स्वामित्व वाले राजदूतावास परिसर के निकट एक अच्छी संपत्ति पाना संभव नहीं होगा जैसाकि वर्तमान भूखंड का मामला है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए और जनवरी, 2011 में बैंकाक की यात्रा पर गए अंतिम संपत्ति दल की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय ने संपर्क/सुरक्षा के मुद्दे का समाधान करने के पश्चात् आवासों के निर्माण के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है जैसाकि भूखंड की खरीद के समय शुरू में परिकल्पना की गई थी।

वारसा में भूखंड की खरीद 1988 में की गई थी और उसके तत्काल बाद अप्रैल, 1989 में एक परामर्शदाता का चयन किया गया था। हालांकि परियोजना में तत्काल प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि खाड़ी युद्ध के पश्चात किये गए मितव्ययिता उपायों के कारण इस पर और विदेश में अन्य निर्माण-कार्यों को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया था। परियोजना को वर्ष 1998 में पुन: शुरू किया गया और प्रस्ताव के मापदंडों को विकसित करने के पश्चात, जिसमें विस्तृत आरेखण और प्राक्कलन शामिल है, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन दिसंबर, 2004 में प्राप्त किया गया। वर्ष 2006 और 2008 में परियोजना के लिए संविदाकारों की पूर्व अर्हता प्राप्त करने के प्रयासों का वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। स्थानीय प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने में भी काफी समय लगा जो अंततोगत्वा अप्रैल, 2008 में प्राप्त हुआ। लेकिन पूर्व-अर्हता के पूर्व आमंत्रण की अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने के कारण सरकार ने परियोजना को आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा। अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के कारणों की पूरी तरह जांच करायी गई और सरकार ने वारसा में मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संशोधित मानदंडों के साथ नए सिरे से पूर्व-अर्हता अभ्यास शुरू करने का निर्णय लिया। पूर्व-अर्हता का कार्य अब पूरा हो चुका है और प्रत्युत्तर संतोषजनक पाया गया है। इससे पहले पूर्व-अर्हता के पूर्व-आमंत्रण में 2-3 कंपनियों द्वारा दर्शायी गई रुचियों की तुलना में इस बार 8 कंपनियों ने पूर्व-अर्हता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

बैंकाक में रिहायशी आवास को किराए पर लेने में प्रतिवर्ष 2.14 करोड़ रू. का व्यय है और वारसा में चांसरी और कर्मचारी आवास को किराए पर लेने में प्रतिवर्ष 1.28 करोड़ रू. का व्यय किया गया है।

वारसा में चांसरी-सह आवासीय परिसर का निर्माण, वित्तीय बोली के विश्लेषण के पूर्ण होने के बाद और चयनित ठेकेदारों को कार्य सौंपने के बाद मई 2012 में शुरू होने की आशा है और नवंबर, 2013 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। बैंकाक में आवासीय परिसर के निर्माण में कुछ समय लगने की संभावना है क्योंकि संकीर्ण संपर्क मार्ग की समस्या, जिसके सुरक्षा संबंधी निहितार्थ भी हो सकते हैं, का समाधान करने का व्यवहार्य विकल्प पाने में कुछ कठिनाई है।

मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी

***123. श्री एन. चेलुवरया स्वामी:**
श्री सुरेश अंगड़ी:

क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा शुरू किए जाने के बाद से 'पोर्टेड आउट' तथा 'पोर्टेड इन' वाले मोबाइल फोन उपभोक्ताओं का आपरेटर-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को दूरसंचार आपरेटरों द्वारा मानदंडों का उल्लंघन करने तथा उपभोक्ताओं को यह सुविधा देने में विलम्ब करने/उन्हें रोकने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा दोषी आपरेटरों के विरूद्ध आपरेटर-वार क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा मोबाइल सेवा में सुधार करके उसे उपभोक्ताओं के लिए संतोषजनक बनाने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल):

(क) देश में नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा के प्रारंभ किए जाने के बाद से पोर्टेड आउट और पोर्टेड इन मोबाइल फोन उपभोक्ताओं का प्रचालक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) ट्राई को मोबाइल कंपनियों द्वारा मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी)अनुरोधों को अस्वीकार करने के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) ट्राई द्वारा शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। प्राप्त शिकायतों के आधार पर सेवा प्रदाता से, समय-समय पर, एमएनपी अस्वीकार किए जाने के बारे में सूचना मांगी गई थी और जब भी एमएनपी विनियमों/निर्देशों के अनुपालन के संबंध में उल्लघंन पाए गए, ट्राई द्वारा संबंधित सेवा प्रदाताओं को कारण बताओं नोटिस जारी किए गए। अभी तक निम्नलिखित सेवा प्रदाताओं को कारण बताओं नोटिस जारी किए गए हैं:-

- भारती एयरटेल
- आइडिया
- लूप
- रिलायंस
- वोडाफोन

इसके अलावा, ट्राई ने पोर्टिंग संबंधी अनुरोधों को अस्वीकार किए जाने को कम करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ कदम निम्नवत हैं:-

1. प्राप्तकर्ता प्रचालक को एमएनपी अनुरोध प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में कोड प्रस्तुत करने में त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए 'यूनीक पोर्टिंग कोड' के प्रपत्र को सरल बनाने के बारे में सभी सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किया गया था ताकि यूपीसी असमान श्रेणी के तहत एमएनपी अनुरोधों को अस्वीकार किए जाने को न्यूनतम किया जा सके ।

2. ''बकाया भुगतान देयताओं'' और ''संविदागत दायित्व'' के आधार पर पोर्टिंग हेतु अनुरोधों को अस्वीकार करने के बारे में सभी सेवा प्रदाताओं को दिनांक 24 मई, 2011 को निदेश जारी किया गया था।

3. ''संविदागत दायित्व'' के आधार पर पोर्टिंग हेतु अनुरोधों को अस्वीकार करने के बारे में एक सेवा प्रदाता को भी दिनांक 31 अक्तूबर, 2011 को निर्देश जारी किया गया था।

4. ट्राई को प्राप्त शिकायतों और एमएनपी अनुरोधों को अस्वीकार किए जाने संबंधी नमूने के आधार पर ट्राई ने एमएनपी सेवा प्रदाताओं और संबंधित सेवा प्रदाताओं से प्राप्त सूचना के आधर पर अनुरोधों को अस्वीकार करने संबंधी वास्तविकता का विश्लेषण किया। जहां पर भी एमएनपी विनियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन पाया गया, ट्राई ने संबंधित सेवा प्रदाताओं को कारण बताओं नोटिस जारी किए। सेवा प्रदाताओं से प्राप्त जवाबों की जांच की गई है और उन मामलों में, जहां ट्राई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने एमएनपी विनियमों एवं निर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, वहां ट्राई अधिनियम, 1997 (यथासंसोधित) के प्रावधानों के अनुसार, कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

(घ) ग्राहकों की सन्तुष्टि के अनुरूप मोबाइल सेवा को सुधारने के लिए ट्राई द्वारा किए गए/किए जा रहे अन्य उपायों के बारे में, ट्राई सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाता रहा है। इनमें से कुछ कदम नीचे दिए गए हैं:-

1. ट्राई तिमाही और मासिक निष्पादन निगरानी रिपोर्टों की मार्फत सेवा की गुणवत्ता संबंधी विनियमों में निर्धारित विभिन्न मानदंडों हेतु दिए गए बेंचमार्कों के मद्देनजर सेलुलर मोबाइल सेवा के निष्पादन की निगरानी कर रहा है। साथ ही, प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन पीओआई के संबंध में भी मासिक आधार पर निगरानी की जा रही है।

2. ट्राई एक स्वतंत्र एजेंसी की मार्फत सेलुलर मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता का वस्तुनिष्ठ आकलन भी करता है। इस एजेंसी द्वारा तिमाही में ग्राहक संतुष्टि द्वारा तिमाही में ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण भी किया जाता है। इन लेखापरीक्षा और सर्वेक्षण के परिणाम जनता/स्टेकधारियों की जानकारी हेतु व्यापक रूप से प्रकाशित किए गए।

3. ट्राई सेवा की गुणवत्ता संबंधी बैंचमार्कों को पूरा करने में आ रही खामियों को दूर करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

विवरण

दिनांक 15 नवम्बर 2011 की स्थिति के अनुसार, पोर्टिड इन एवं पोर्टिड आउट मोबाइल उपभोक्ताओं का प्रचालक-वार ब्यौरा

क्र.सं.	प्रचालक का नाम	पोर्ट इन संख्या	पोर्ट आउट संख्या
1.	एयरसेल	10,45,704	10,71,223
2.	बीपीएल/लूप (जीएसएम)	25,342	24,618
3.	बीएसएनएल (जीएसएम)	340	137
4.	बीएसएनएल (जीएसएम)	8,46,429	13,55,554
5.	भारती एयरटेल	40,00,051	37,04,709
6.	एटीसलाट डीबी (जीएसएम)	591	35,100
7.	एचएफसीएल (सीडीएमए)	27	27,482
8.	एचएफसीएल (जीएसएम)	22,419	23,682
9.	आइडिया (जीएसएम)	39,05,457	23,33,249
10.	एमटीएनएल (जीएसएम)	16,499	92,772
11.	रिलांयस कॉम (सीडीएमए)	1,36,344	9,80,144
12.	रिलांयस कॉम (जीएसएम)	11,51,199	14,63,242
13.	रिलायंस टेल. (जीएसएम)	4,32,598	6,20,398
14.	एसटेल (जीएसएम)	11,790	28,717
15.	सिस्टेमा श्याम (सीडीएमए)	1,25,675	1,32,132
16.	टाटा टेलीसर्विसिज (सीडीएमए)	42,320	7,97,014
17.	टाटा टेलीसर्विसिज (जीएसएम)	14,61,046	15,67,217
18.	यूनीनॉर (जीएसएम)	2,71,011	2,74,126
19.	वीडियोकॉन (जीएसएम)	26,786	1,95,791
20.	वोडाफोन (जीएसएम)	44,19,966	32,14,287
	कुल	1,79,41,594	1,79,41,594

तकनीकी/व्यावसायिक संस्थाओं की निगरानी

***124. श्री संजय धोत्रे:**

श्री मंगनीलाल मंडल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश मे राज्य-वार कितनी तकनीकी/व्यावसायिक संस्थाएं कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृत नई सरकारी/ निजी तकनीकी, व्यावसायिक और प्रबंधन संस्थाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा पूरे देश में राज्य-वार विभिन्न विषयों के लिए कितनी अतिरिक्त सीटें स्वीकृत की गई हैं;

(ग) क्या सरकार के पास प्रवेश प्रक्रिया, विद्यमान संकाय की गुणवत्ता तथा उनके अवसंरचना के अनुरूप होने आदि सहित इन संस्थाओं के कार्यकरण की निगरानी के लिए कोई निगरानी एजेन्सी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा को और अधिक प्रासंगिक तथा प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) देश में केन्द्र द्वारा वित्तपोषित 81 तकनीकी संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट (www. education.nic. in) पर उपलब्ध है। देश में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। एआईसीटीई द्वारा संस्वीकृत नई सरकारी/निजी तकनीकी, व्यावसायिक और प्रबंध संस्थाओं की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत राज्यवार दाखिला संलग्न विवरण III में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा एआईसीटीई की स्थापना पूरे देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के सुनियोजित और समन्वित विकास के लिए की गई है। परिषद मानदंडों और मानकों के अनुपालन की दृष्टि से मात्रात्मक विस्तार, गुणवत्ता सुधार और विनियमों का पर्यवेक्षण करती है। आधरभूत सुविधाओं और संकायों आदि के लिए निर्धारित मानदंडों की दृष्टि से आवेदनपत्र की उपयुक्तता पर आधारित स्व प्रकटन के आधर पर एआईसीटीई द्वारा नई संस्थाएं स्थापित करने के लिए अनुमोदन दिया जाता है और विस्तार, नए पाठ्यक्रमों, अतिरिक्त प्रवेश आदि के लिए मंजूरी प्रदान की जाती है। ये मानदंड और मानक देश के सभी कालेंजों पर समान रूप से लागू हैं। राज्य सरकारें राज्य के व्यावसायिक और तकनीकी कालेजों में प्रवेश के पर्यवेक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित करती है। राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों के लिए आरक्षण नीति भी अधिसूचित करती हैं, तथा राज्य संस्थाओं में प्रवेश संस्थाओं में प्रवेश के लिए काउंसलिंग आयोजित करने में एआईसीटीई की कोई भूमिका नहीं है।

(ङ) पहुंच में सुधार लाने, गुणता को बढावा देने, नियोजन और नियोजनीयता को सशक्त बनाने के लिए कौशल और सामान्य शिक्षा के लिए प्रवेश लेने और छोड़ने के अनेक विकल्प प्रदान करने के लिए सेवित, अल्पसेवित जिलों में 1000 पॉलीटेक्निक स्थापित करने और वर्तमान पॉलीटेक्निकों को सुदृढ़ करने की एक योजना शुरू की गई है। संगत तकनीकी कौशल उद्योग जगत द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। अत: व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा से आवश्यकता आधरित, संगत ओर कौशल केंद्रित होने की उम्मीद की जाती है। एक कारगर तंत्र तैयार किया गया है जो कौशल आधारित तकनीकी शिक्षा में डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने की अनुमति देता है। तकनीकी शिक्षा में अध्यापन-अधिगम की सर्वोत्तम पद्धतियां लाने के लिए उद्योग जगत की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। इसकी प्रभावोत्पादकता की जांच करने के लिए सरकार द्वारा एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है।

सामुदायिक पॉलीटेक्नीक्स उस क्षेत्र से संबंधित कोशलों/ व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। व्यावसायिक शिक्षा के लिए पहुंच में सुधार लाने और नियोजनीय कौशलों में सुधार लाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता ढांचे पर विचार किया है जिससे नियोजनीयता में सुधार लाने में सुविधा होगी।

विवरण-I

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य	सरकारी	सरकारी सहायता प्राप्त	गैर-सहायता प्राप्त निजी	विश्वविद्यालय प्रबंधित	कुल संख्या
1	2	3	4	5	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	138	7	1733	3	1881
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	–	1	–	3
3.	असम	17	–	8	5	30
4.	बिहार	23	4	25	9	61
5.	छत्तीसगढ़	27	2	78	6	113
6.	दिल्ली	21	3	53	2	79
7.	गोवा	7	2	7	0	16
8.	गुजरात	44	18	335	18	415
9.	हरियाणा	38	7	422	9	476
10.	हिमाचल प्रदेश	16	–	59	1	76
11.	जम्मू और कश्मीर	8	2	23	7	40
12.	झारखण्ड	12	5	27	1	45
13.	कर्नाटक	120	50	488	8	666
14.	केरल	78	18	185	16	297
15.	मध्य प्रदेश	58	10	449	18	535
16.	महाराष्ट्र	61	48	1328	18	1455
17.	मणिपुर	3	–	–	–	3
18.	मेघालय	3	–	2	–	5
19.	मिजोरम	1	–	–	–	1
20.	ओडीशा	24	5	250	3	282
21.	पंजाब	29	10	345	5	389
22.	राजस्थान	55	10	433	14	512

1	2	3	4	5	7	8
23.	सिक्किम	–	2	1	1	4
24.	तमिलनाडु	48	59	1186	8	1301
25.	त्रिपुरा	2	–	–	–	2
26.	उत्तर प्रदेश	62	25	928	18	1033
27.	उत्तराखंड	38	7	109	2	156
28.	पश्चिम बंगाल	57	6	148	8	219
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	–	–	–	1
30.	चंडीगढ़	7	1	1	3	12
31.	दादरा और नगर हवेली	1	–	2	–	3
32.	दमन और दीव	1	–	–	–	1
33.	पुडुचेरी	10	–	17	–	27
	कुल	1004	301	8643	183	10139

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत नई संस्थाएं

क्षेत्र	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पिछले तीन वर्षों के दौरान																				
		इंजीनियरी			एमबीए			पीजी डीएम		एमबीए सहित पीजीडीएम	एमसीए			फार्मेसी			एचएमसीटी			वास्तुशास्त्र		
		2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
मध्य	मध्य प्रदेश	161	203	214	52	78	108	7	14	108	47	47	49	91	99	104	4	4	4	4	4	6
	छत्तीसगढ़	41	53	53	6	8	19	2	4	19	8	8	10	9	13	13	0	0	0	1	1	1
	गुजरात	55	89	88	51	76	109	11	11	109	26	31	34	75	89	92	1	1	2	6	6	6
पूर्वी	मिजोरम	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	सिक्किम	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	ओडीशा	68	88	101	32	35	64	15	18	64	35	39	23	17	16	18	2	2	1	2	2	2
	पश्चिम बंगाल	71	79	86	28	30	35	2	3	35	23	27	17	11	10	12	4	4	3	2	2	2
	त्रिपुरा	3	3	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	मेघालय	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अरूणाचल प्रदेश	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	असम	7	14	14	5	8	8	1	1	8	3	4	4	2	2	2	1	0	1	0	0	0
	मणिपुर	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	नागालैण्ड	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	झारखण्ड	13	13	12	3	5	9	3	4	9	2	2	4	1	1	0	0	0	0	1	1	0
उत्तरी	बिहार	15	17	1	11	12	0	1	1	0	6	7	0	3	6	0	0	0	0	1	8	0
	उत्तर प्रदेश	241	313	23	132	197	62	88	126	62	87	105	3	107	105	5	11	13	3	7	7	5
	उत्तरांचल	19	27	4	23	29	5	2	4	5	14	14	0	16	14	0	7	7	0	1	1	0
उत्तर पश्चिम	चंडीगढ़	5	5	6	0	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
	हरियाणा	116	140	163	56	78	108	10	12	108	30	32	33	34	36	37	3	4	5	0	0	3
	जम्मू और कश्मीर	7	8	8	9	9	9	0	0	9	3	4	6	1	1	1	0	1	1	0	0	0
	नई दिल्ली	19	24	22	13	14	39	24	24	39	18	18	9	6	6	5	ड्ड	1	1	4	4	4
	पंजाब	70	83	107	56	68	84	4	5	84	28	26	30	39	40	39	8	9	9	7	7	7
	राजस्थान	81	97	137	52	71	126	15	24	126	19	19	16	55	56	51	8	8	6	0	0	2
	हिमाचल प्रदेश	9	14	21	8	10	9	0	ह	9	1	2	2	11	12	13	1	1	1	1	1	1
दक्षिण मध्य	आंध्र प्रदेश	527	593	705	243	293	376	24	31	376	366	392	374	252	269	286	0	2	0	8	8	0
दक्षिण	पुडुचेरी	9	11	13	1	1	2	0	0	2	1	6	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	तमिलनाडु	352	433	487	152	1 178	216	4	6	216	206	211	225	42	44	45	2	1	1	9	9	15
दक्षिण पश्चिम	कर्नाटक	157	170	181	112	120	154	15	21	154	73	73	70	80	80	74	20	20	20	14	14	2
	केरल	94	114	130	38	42	52	7	7	52	39	38	37	33	35	32	4	4	5	5	5	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
पश्चिम	महाराष्ट्र	239	270	306	152	199	326	48	57	326	53	57	66	130	139	145	10	11	11	32	32	32
	गोवा	3	3	3	1	1	2	1	1	2	1	]	1	2	2	2	0	0	0	0	0	1
	दमन और दीव, दादर नगर हवेली	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	सकल योग	2388	2872	2892	1238	1565	1927	285	375	1927	1095	1169	1026	1021	1080	982	87	93	74	106	106	90

विवरण-III

अखिल भारतीय तकनीकी परिषद द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार स्वीकृत की गई सीटें

क्षेत्र	राज्य	11-12 के लिए समेकित अनुमोदित	10-11 के लिए समेकित अनुमोदित	2009-10 के लिए समेकित अनुमोदित	2008-09 के लिए समेकित अनुमोदित	2007-08 के लिए समेकित अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7
मध्य	छत्तीसगढ़	35060	34239	25826	20300	12527
	गुजरात	128230	118954	94503	63862	47100
	मध्य प्रदेश	154642	149782	122623	95601	74412
	मध्य कुल	317932	302975	242952	179763	134039
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	300	300	300	120	120
	अरुणाचल प्रदेश	686	656	701	671	661
	असम	6704	6858	5486	3763	3268
	झारखण्ड	13149	11597	9037	8107	6652
	मणिपुर	285	265	145	115	115
पूर्वी	मेघालय	830	770	650	410	410
	मिजोरम	30	30	30	30	30
	ओडीशा	90804	91174	73448	51230	38347
	सिक्किम	1216	1138	1002	927	917
	त्रिपुरा	440	440	350	350	350

1	2	3	4	5	6	7
	पश्चिम बंगाल	63864	59194	49395	40795	34409
पूर्वी कुल		178308	172422	140544	106518	85279
	चंडीगढ़	2664	2664	2557	2430	2184
	दिल्ली	24667	25530	22961	21193	18463
	हरियाणा	148103	137694	110822	94081	51869
उत्तर पश्चिमी	हिमाचल प्रदेश	18216	17582	11622	5906	3750
	जम्मू और कश्मीर	7079	7561	6653	6193	5868
	पंजाब	124080	118827	94204	70355	50023
	राजस्थान	129428	127448	69447	52208	38853
उत्तर पश्चिमी कुल		454237	437306	318266	252366	171010
	बिहार	11332	12443	9164	8134	5651
	दादर और नगर हवेली	528	510	450	450	390
	उत्तर प्रदेश	288862	271514	190779	137167	95476
	उत्तराखंड	33406	30680	22198	15974	12211
उत्तरी कुल		334128	315147	222591	161725	113728
दक्षिण मध्य	आंध्र प्रदेश	605993	556373	442568	326959	228728
दक्षिण मध्य कुल		605993	556373	442568	326959	228728
दक्षिण पश्चिम	कर्नाटक	198172	213625	185449	153999	134206
	केरल	80504	73370	60289	50890	48020
दक्षिण पश्चिम कुल		278676	286995	245738	204889	182226
	पुडुचेरी	9449	8507	6667	5327	4511
दक्षिणी	तमिलनाडु	465754	436509	372725	300454	243178
दक्षिणी कुल		475203	445016	379392	305781	247689
पश्चिमी	दमन और दीव	360	360	120	120	120
	गोवा	2944	2608	2412	2388	2367
	महाराष्ट्र	386969	354914	264705	209510	160559
पश्चिमी कुल		390273	357882	267237	212018	163046
कुल योग		6069500	2736159	2227302	1772335	1414650

भारत संचार निगम लिमिटेड की 3जी सेवाएं

***125. श्री हरिभाऊ जावले:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने देश के सभी राज्यों/लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में अपनी 3जी सेवा प्रारंभ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी परिमंडल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शुरू की गई 3जी सेवाएं संतोषजनक ढंग से काम कर रही हैं;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(ङ) देश के प्रत्येक जिले में 3जी सेवा कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल:) (क) और (ख) बीएसएनएल, दिल्ली तथा मुम्बई जहां महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराता है, को छोड़कर देश के सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। बीएसएनएल ने अपनी 3जी सेवाएं अपने सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में शुरू की हैं। बीएसएनएल की 3जी सेवाओं वाले शहरों की संख्या से संबंधित सर्किल-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) बीएसएनएल द्वारा शुरू की गई 3जी सेवाएं सामान्यत: संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं। यद्यपि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने विशेष रूप से 3 जी मोबाइल सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता संबंधी कोई मानक विनिर्दिष्ट नहीं किए हैं, बीएसएनएल आमतौर पर मोबइल सेवाओं के लिए ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदंडों को पूरा कर रहा है।

(ङ) पंजाब सर्किल में 3 जिलों, पूर्वोत्तर-। सर्किल में 6 जिलों, जम्मू और कश्मीर सर्किल में 7 जिलों, असम सर्किल में 2 जिलों, कर्नाटक सर्किल में 1 जिला, अंडमान और निकोबार सर्किल में 1 जिला तथा उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सर्किल में 3 जिलों, जिन्हें बीएसएनएल प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक कारणों के आधार पर उत्तरोत्तर रूप से कवर करना चाहता है, को छोड़कर बीएसएनएल के नेटवर्क प्रचालन क्षेत्र का प्राय: प्रत्येक जिला मुख्यालय 3जी सेवाओं के अंतर्गत पहले ही शामिल है।

विवरण

बीएसएनएल की 3जी सेवाओं वाले शहरों की संख्या
(31.10.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	सर्किल का नाम	बीएसएनएल की 3 जी सेवाओं वाले शहरों की संख्या
1	2	3
1.	हरियाणा	23
2.	हिमाचल प्रदेश	26
3.	पंजाब	23
4.	जम्मू और कश्मीर	21
5.	झारखण्ड	27
6.	राजस्थान	47
7.	उत्तरांचल	24
8.	उत्तर प्रदेश(पूर्व)	62
9.	उत्तर प्रदेश(पश्चिम)	22
10.	बिहार	49
11.	कोलकाता दूरसंचार जिला	01
12.	मध्य प्रदेश	61
13.	ओडीशा	53
14.	पश्चिम बंगाल	74
15.	पूर्वोत्तर-।	12
16.	पूर्वोत्तर-।।	11
17.	असम	36
18.	अंडमान और निकोबार	04
19.	चेन्नै दूरसंचार जिला	14
20.	आंध्र प्रदेश	29
21.	केरल	21
22.	कर्नाटक	32

1	2	3
23.	तमिलनाडु	38
24.	छत्तीसगढ़	22
25.	महाराष्ट्र	56
26.	गुजरात	65
	कुल	853

उच्च शिक्षा में सुधार

***126. श्री धर्मेन्द्र यादवः**
श्री शैलेन्द्र कुमारः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कम तथा अपर्याप्त नामांकन के मद्देनजर और शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए उच्च शिक्षा में सुधार करने हेतु कोई महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा लिंग-वार कितने प्रतिशत भारतीय उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सभी पक्षधारकों से परामर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों को राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है/कितने प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) शैक्षिक सुधार एक सतत प्रक्रिया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में संस्थागत और नीतिगत सुधारों के माध्यम से और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके विस्तार, समावेश और शीघ्र सुधार के जरिये सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही गई है।

शिक्षा राष्ट्रीय विकास के अत्यन्त महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। सरकार भारत को ज्ञान समाज के रूप में विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार गुणवत्ता में सुधार और समानता तथा समावेश के साथ शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है अतः यह केन्द्र के साथ-साथ राज्य सरकारों का भी उत्तरदायित्व है। देश में नामांकन दर में वृद्धि करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर से कम सकल नामांकन अनुपात वाले जिलों में 374 मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित करने की एक योजना आरंभ की है। सरकार ने कक्षा 12 (कक्षा 12 के परिणामों के आधार पर छात्र और छात्राओं में समान रूप से विभाजित) के छात्रों में से सर्वोत्कृष्ट 2 प्रतिशत छात्रों को शामिल करने के लिए भी एक नई योजना आरंभ की है जिसमें अवर स्नातक स्तर के अध्ययन हेतु एक वर्ष में दस महीनों के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के लिए एक वर्ष में दस महीनों के लिए 2000 रुपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) कॉलेजों में महिला छात्रावासों के निर्माण और अन्य संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए शत-प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। असेवित और अल्पसेवित जिलों में पॉलीटेक्नीकों की स्थापना और पॉलीटेक्नीकों में महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु भागीदारी के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां प्रदान की जाती है। सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करने के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन भी आरंभ किया गया है जिसका उद्देश्य देश में उच्च अध्ययन की सभी संस्थाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करना, ई-कंटेंट विकसित करना तथा कम लागत के कम्प्यूटिंग साधनों के माध्यम से पहुंच सुनिश्चित करना है। उच्चतर शिक्षा में राज्यवार सकल नामांकन अनुपात विवरण-I में दिया गया है।

केन्द्र सरकार ने उच्चतर शिक्षा में विधायी सुधार भी आरंभ किए हैं। उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण, राष्ट्रीय अकादमी डिपोजिटरी, तकनीकी, मेडिकल शैक्षिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में अनुचित प्रथाओं पर निषेध, सर्वोपरि विनियामक प्राधिकरण सृजित करने हेतु शैक्षिक न्यायाधिकरण विधेयक विचार-विमर्शों के विभिन्न स्तरों पर हैं।

विभिन्न मंचों जैसे कि राज्य सरकारों, शिक्षा राज्य सचिवों के साथ बैठकों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गोलमेज बैठकों, राज्य शिक्षा मंत्रियों तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैब), जो शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र सरकार में सर्वोच्च नीति सलाहकार निकाय है, की बैठक में भागीदारों के साथ शैक्षिक सुधारों के संबंध में विचार-विमर्श किए गए हैं। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की विभिन्न बैठकों

में हुई सहमति के बिन्दुओं का ब्यौरा www.education.nic.in पर उपलब्ध है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कई योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है जैसे कि पिछड़े क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान, उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले स्वायत्त कालेजों, विश्वविद्यालयों की स्थापना, विशेष सहायता कार्यक्रम, द्विपक्षीय और शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, शैक्षिक स्टाफ कालेज, नवाचारी कार्यक्रम इत्यादि। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शैक्षिक संस्थाओं को राज्य सरकार के माध्यम से नहीं अपितु सीधे ही निधियां प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान दिये गये अनुदानों के ब्यौरे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है।

देश में तकनीकी शिक्षा में उत्कृष्टता और परिवर्तन को सहायता देने के लिए तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) तैयार किया गया है। टीईक्यूआईपी चरण-1 का कार्यान्वयन 1339 करोड़ रु. की कुल लागत के साथ केन्द्र द्वारा समन्वित परियोजना के रूप में विश्व बैंक की सहायता से किया गया। 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान जारी निधियों के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं। टीईक्यूआईपी चरण-2 वर्ष 2010 से आरंभ किया गया है।

विवरण I

उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (18-23 वर्ष)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सभी वर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	21.2	12.3	16.9	18.0	9.1	13.6	26.7	8.5	17.1
2.	अरुणाचल प्रदेश	17.4	12.5	15.0	1.1	0.8	1.0	22.2	15.5	18.8
3.	असम	11.5	6.2	9.0	20.8	11.1	16.3	9.5	4.8	7.1
4.	बिहार	14.1	7.5	11.0	7.3	2.5	5.0	18.7	7.7	13.4
5.	छत्तीसगढ़	24.1	15.8	20.0	22.0	14.0	18.1	19.6	11.5	15.5
6.	गोवा	26.1	30.9	28.3	13.4	13.7	13.6	1866.7	2685.7	2212.0
7.	गुजरात	18.3	13.2	15.9	21.6	14.3	18.2	10.8	6.3	8.5
8.	हरियाणा	21.2	16.8	19.1	12.3	8.4	10.5			
9.	हिमाचल प्रदेश	23.1	24.8	23.9	14.4	13.8	14.1	36.3	32.0	34.1
10.	जम्मू और कश्मीर	18.7	17.6	18.2	14.3	12.2	13.3	9.7	7.7	8.7
11.	झारखंड	12.4	6.3	9.4	7.8	3.2	5.6	7.4	2.9	5.1
12.	कर्नाटक	19.8	16.3	18.1	22.5	13.9	18.4	18.5	11.0	14.9
13.	केरल	12.0	14.2	13.1	13.0	16.7	14.9	13.5	14.2	13.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	मध्य प्रदेश	16.5	13.1	14.9	11.0	8.3	9.7	6.7	3.8	5.2
15.	महाराष्ट्र	25.3	16.9	21.4	31.4	22.8	27.3	9.5	3.7	6.5
16.	मणिपुर	16.8	12.7	14.8	26.7	21.7	24.1	18.3	13.0	15.6
17.	मेघालय	14.8	16.1	15.4	27.9	27.0	27.5	17.3	17.9	17.6
18.	मिजोरम	28.3	24.7	26.5				29.8	23.7	26.7
19.	नागालैंड	16.5	15.7	16.1				17.3	16.1	16.7
20.	ओडिशा	16.6	5.9	11.3	5.8	2.3	4.1	5.1	1.2	3.1
21.	पंजाब	10.6	10.9	10.8	5.2	4.9	5.1			
22.	राजस्थान	11.5	7.4	9.6	8.9	4.9	7.1	11.2	5.5	8.4
23.	सिक्किम	26.6	22.8	24.8	15.9	11.2	13.4	40.7	35.3	38.0
24.	तमिलनाडु	20.7	17.2	19.0	13.9	11.2	12.5	11.9	8.9	10.3
25.	त्रिपुरा	13.2	9.4	11.4	11.7	8.1	10.0	10.0	6.5	8.2
26.	उत्तर प्रदेश	12.0	9.5	10.9	10.5	7.8	9.2	78.2	46.0	62.2
27.	उत्तराखंड	27.5	45.2	36.0	19.1	29.0	23.7	66.2	86.8	76.3
28.	पश्चिम बंगाल	13.6	10.2	11.9	9.6	6.6	8.2	19.5	13.0	16.2
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23.2	29.8	26.2				35.8	39.5	37.7
30.	चंडीगढ़	21.6	37.1	28.0	9.8	10.1	9.9			
31.	दादर और नगर हवेली	4.0	5.1	4.4	10.9	14.9	12.8	1.7	1.0	1.3
32.	दमन और दीव	1.8	3.9	2.3	9.2	10.7	9.8	6.8	3.4	5.3
33.	दिल्ली	50.7	44.9	47.9	14.4	10.5	12.4			
34.	लक्षद्वीप	2.9	7.5	5.3				3.3	7.6	5.6
35.	पुडुचेरी	28.8	29.3	29.1	19.9	20.7	20.3			
	भारत	17.1	12.7	15.0	13.0	9.0	11.1	13.1	7.5	10.3

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के लिए तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी)

(रु. करोड़ में)

कार्यक्रम राज्य	2008-09	2009-10
आंध्र प्रदेश	49.655	6.084
गुजरात	7.989	0.000
हरियाणा	29.523	0.242
हिमाचल प्रदेश	9.011	0.000
झारखंड	10.960	0.000
कर्नाटक	121.592	0.150
केरल	20.344	0.000
मध्य प्रदेश	27.905	4.228
महाराष्ट्र	62.260	9.828
तमिलनाडु	3.679	9.582
उत्तराखंड	59.089	0.977
उत्तर प्रदेश	78.741	0.105
पश्चिम बंगाल	48.982	22.812
कुल	529.730	54.008

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

***127. श्रीमती रमा देवी:**
श्री अर्जुन राम मेघवाल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने वाले आवेदकों को सूचना नहीं दिए जाने के दृष्टान्त सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान समय पर सूचना न प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति(यों) को दोषी पाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ङ) लोक प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रदत्त ब्यौरे के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचना हेतु अनुरोधों, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुए और अस्वीकृत किए गए अनुरोधों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

पहलू	2008-09	2009-10	2010-11
सूचना का अधिकार अनुरोधों का आदि शेष (रिपोर्टिंग वर्ष की पहली अप्रैल की स्थिति के अनुसार)	32,792	97,474	1,37,771@
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या	329,728	5,29,274	4,17,955@
रिपोर्टिंग वर्ष की समाप्ति पर अनुरोधों की कुल संख्या	362,520	6,26,748	5,55,726@
अस्वीकृत अनुरोधों की संख्या	23,954	34,057	21,621@
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुरोधों के प्रतिशत के रूप में अस्वीकृत अनुरोध	7.26%	6.43%	5.20%
रिपोर्टिंग वर्ष की समाप्ति पर कुल अनुरोधों की संख्या का प्रतिशत के रूप में अस्वीकृत अनुरोध	6.60%	5.43%	3.89%

@इन आंकड़ों में वे लोक प्राधिकरण शामिल हैं जिन्होंने कुछ तिमाहियों की रिपोर्ट नहीं दी।

सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रावधान है कि सूचना के लिए कोई अनुरोध अस्वीकृत कर दिया जाए यदि यह धारा 8 अथवा धारा 9 के छूट प्राप्त खण्डों के अंतर्गत आता है। यह भी कि, किसी तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना केवल तीसरे पक्ष, जो इसके बदले, ऐसी सूचना प्रदान करने का विरोध कर सकता है, को एक नोटिस देने के बाद प्रदान की जाती है।

अधिनियम में मामले निपटाने के लिए विस्तृत प्रावधान है जहां वांछित सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा मामले जहां सूचना की आपूर्ति विशिष्ट समयावधि के भीतर नहीं की जाती है। अधिनियम की धारा 20 के अनुसार; सूचना आयोगों को प्राधिकृत किया गया है कि वे चूककर्ता लोक सूचना अधिकारियों पर शास्ति लगाएं और वे ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अधिरोपित करने का भी निदेश कर सकते हैं। केन्द्रीय सूचना आयोग ने वर्ष 2008-09 में 48 पदाधिकारियों, वर्ष 2009-10 में 154 पदाधिकारियों; वर्ष 2010-11 में 273 पदाधिकारियों तथा 26.11.2011 के अनुसार 148 पदाधिकारियों पर शास्ति लगाई। लोक प्राधिकारियों द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही वर्ष 2008-09 में 9 पदाधिकारियों, वर्ष 2009-10 में 33 पदाधिकारियों तथा वर्ष 2010-11 में 432 पदाधिकारियों पर की गई। इसमें वे मामले शामिल हैं जहां या तो सूचना की आपूर्ति नहीं की गई अथवा देरी से आपूर्ति की गई।

[अनुवाद]

आधार संख्या

***128. श्री एस.आर. जेयदुरई:**
श्री डी.बी. चन्द्रे गौड़ा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नामांकन के पश्चात आवेदकों को आधार संख्या प्रेषित करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) क्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा कई महीने पूर्व नामांकन कराने वाले अनेक आवेदकों को आधार संख्या प्रेषित नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारत के सभी नागरिकों को शीघ्र ही आधार संख्या प्रदान किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) आधार संख्या प्रेषित करने हेतु संभावित समय-सीमा निवासी द्वारा नामांकन की तारीख से सामान्यत: 60 से 90 दिनों के भीतर होती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दिनांक 25.11.2011 की स्थिति के अनुसार 7.5 करोड़ आधार संख्याएं सृजित की जा चुकी हैं, जिसमें से 2.36 करोड़ पत्र प्रेषित किए जा चुके हैं। शेष 5.14 करोड़ पत्र मुद्रण एवं प्रेषण हेतु लंबित हैं।

आधार संख्याओं के नामांकन एवं प्रेषण में इस अंतराल का कारण यह है कि नामांकन तीव्र गति से किया जा रहा है और मुद्रण आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(घ) निवासियों को आधार संख्या मुद्रित एवं प्रेषित करने हेतु प्रिन्ट टू पोस्ट स्कीम के अंतर्गत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)का डाक विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ एक समझौता हुआ है। तथापि, मुद्रण की गति बढ़ते हुए नामांकन के अनुरूप नहीं हो सकी तथा डाक विभाग से इसकी मुद्रण क्षमता को बढ़ाने का अनुरोध किया गया था फिर भी बढ़ते हुए आधार संख्या से यह मैच नहीं कर सका।

बढ़ते हुए बैकलॉग को कम करने के लिए आधार पत्रों के मुद्रण हेतु यूआईडीएआई ने मैसर्स टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड को भी भागीदार बनाया है।

इसके अतिरिक्त मुद्रण क्षमता बढ़ाने हेतु 23 नवम्बर, 2011 को एक खुली निविदा भी आमंत्रित की गई है जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि आधार पत्रों के मुद्रण में कोई विलम्ब न हो।

परम्परागत मुद्रण एवं प्रेषण तरीकों के अतिरिक्त, यह निर्णय लिया गया है कि आधार संख्याएं इलैक्ट्रानिक माध्यम से प्रेषित की जाएं।

[हिन्दी]

कोयले की कमी

***129. श्री गोपीनाथ मुंडे:**
श्री रमेश बैस:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सितम्बर और अक्तूबर, 2011 के बीच देश में कोयले का कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कोयला उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है;

(ग) यदि हां, तो यह गिरावट कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की कम आपूर्ति की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) सितम्बर, 2011 में 40.60 मिलियन टन तथा अक्तूबर, 2011 में 47.08 मिलियन टन के मासिक लक्ष्य की तुलना में कोयले का उत्पादन क्रमशः 29.84 मिलियन टन तथा 39.89 मिलियन टन था। इसलिए सितम्बर, 2011 के दौरान 10.76 मिलियन टन तथा अक्तूबर, 2011 के दौरान 7.19 मिलियन टन की कमी थी।

सितम्बर और अक्तूबर, 2011 के दौरान तापीय विद्युत संयंत्रों को सीआईएल द्वारा कोयला प्रेषण और उत्पाद पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 9 प्रतिशत तक घटकर 48.05 मिलियन टन से 43.60 मिलियन टन (अनंतिम) हो गया है। सितम्बर और अक्तूबर, 2011 के दौरान सुनिश्चित कोयला मात्रा में से प्रतिशत प्राप्ति क्रमशः 77 प्रतिशत और 87 प्रतिशत थी।

उपर्युक्त अवधि के दौरान उत्पादन में कमी के मुख्य कारण (1) सितम्बर, 2011 में भारी वर्षा जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश हाल में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयीं और भूमिगत तथा ओपनकास्ट परियोजनाओं में निचले कोयला मुहाने/बेंच डूब गए (2) अतिरिक्त वार्षिक बोनस की मांग में 10.10.2011 को कोयला कामगार यूनियन द्वारा आयोजित एक दिन का राष्ट्रव्यापी बंद (3) अक्तूबर, 2011 में 4.10.2011 से 6.10.2011 (3 दिन) तक दुर्गा पूजा और 26.10.2011 को दीवाली जैसे त्यौहार (4) मुख्य रूप से झारखंड तथा ओडीशा में कानून एवं व्यवस्था की समस्या, और (5) उपर्युक्त कारणों से कोयला उत्पादन में कमी से तापीय विद्युत संयंत्रों को प्रेषण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ।

चालू वर्ष के शेष महीनों के दौरान कमी को दूर करने के लिए भरसक प्रयास किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

साइबर अपराध

***130. श्री एम. के. राघवन:**
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हाल ही में साइबर अपराध/लीक में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान किस प्रकार के मामलों का पता चला है;

(ग) क्या साइबर लीक में 'यूनिवर्सल सीरियल बस (यूएसबी) मेमोरी स्टिकस' अहम भूमिका निभाती है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अमरीका सहित अन्य देशों से साइबर मामलों से संबंधित जानकारी में साझेदारी का अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर इन देशों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) सरकार द्वारा निगरानी उपकरणों के माध्यम से कितने प्रतिशत इंटरनेट ट्रेफिक की निगरानी की गई है; और

(च) साइबर अपराधों को रोकने के लिए क्या उपाय किए किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित सेवाओं के प्रसार से साइबर अपराधों और साइबर सुरक्षा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। साइबर घटनाओं में वृद्धि के रूझान विश्वव्यापी रुझानों के समान हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा रखे गए अपराध के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2007, 2008, 2009, 2010 के दौरान साइबर अपराध के कुल क्रमशः 217, 288, 420, तथा 966 मामले दर्ज किए गए, इस प्रकार यह रुझान में वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2007, 2008, 2009, 2010 के दौरान भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के अंतर्गत साइबर अपराध के कुल क्रमशः 339, 179, 276 तथा 356 मामले रिपोर्ट किए गए।

एनसीआरबी द्वारा रिकॉर्ड किए गए साइबर अपराधों में कम्प्यूटर स्त्रोत दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना, हैकिंग, इलेक्ट्रानिक मीडिया में

अश्लील प्रकाशन/प्रसारण सुरक्षित कम्प्यूटर प्रणाली का अनधिकृत रूप से अभिगम/अभिगम का प्रयास, विश्वसनीयता/गोपीनीयता का उल्लंघन, अंकीय हस्ताक्षर से संबंधित अपराध शामिल है।

(ग) यूनिवर्सल सीरियल बस (यूएसबी), जिसे पेन ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है, कम्प्यूटर प्रयोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक हटाया जा सकने वाला भण्डारण मीडिया है। यूएसबी स्टिक/पेन ड्राइव का इस्तेमाल अब प्रचालनात्मक सुविधा के कारण अधिकाशत: आंकड़ा भण्डारण एवं मोबिलिटी में किया जाता है। इन यूएसबी स्टिकों का इस्तेमाल कम्प्यूटरों से सूचना की चोरी के लिए बदमाशों द्वारा भी किया जा सकता है, जो उचित रूप से एवं वास्तविकता रूप से सुरक्षित नहीं है। ऐसे यूएसबी स्टिकों के जरिए विद्वेषमूलक कोड और वायरस का भी प्रसार होता है।

(घ) भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) तथा संबंधित प्रतिपक्ष सर्ट एजेंसियों के बीच समझौता ज्ञापन के रूप में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ साइबर सुरक्षा की घटनाओं पर सहयोग की व्यवस्था की है। इन समझौता ज्ञापनों में साइबर हमलों पर सूचना का आदान-प्रदान और साइबर सुरक्षा की घटनाओं पर परस्पर कार्रवाई करना शामिल है।

(ङ) देश के कानून के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इंटरनेट ट्रेफिक की विधिसम्मत निगरानी की जाती है। अंतराष्ट्रीय गेटवे तथा/अथवा सेवा प्रदाताओं के नोडों पर विधिसम्मत निगरानी प्रणाली का प्रतिष्ठान एवं संवर्धन एक सतत कार्यकलाप है तथा यह सुरक्षा एजेंसियों की आवश्यकताओं और संबंधित लाइसेंस करारनामे की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार किया जाता है।

(च) देश में साइबर अपराध के बढ़ते हुए खतरे का सामना करने के उद्देश्य से सरकार ने एकीकृत दृष्टिकोण तैयार किया है जिसमें निम्नलिखित कानूनी तकनीकी और प्रशासनिक उपाय शामिल है ताकि इस बात का सुनिश्चित किया जा सके कि इस खतरे का प्रभावशाली रूप से सामना करने के लिए आवश्यक प्रणाली विद्यमान है।

(i) सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा यथासंशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 दिनांक 27.10.2009 को प्रवर्तित किया गया है। यह अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी मूलसंरचना के सुरक्षा संबंधी उल्लंघनों से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध कराता है।

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने साइबर हमलों तथा सुरक्षा नीति और वहन योग्य भण्डारण मीडिया के संचालन की कार्यविधियों से संबंधित सूचना प्रकट होने से रोकने, पता लगाने और कम करने के लिए उपाय करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों में कप्यूटर सुरक्षा से संबधित दिशा-निर्देश और साइबर सुरक्षा नीति परिचालित की है।

(iii) सरकारी बेवसाइटों का प्रबंध और ई-मेल सेवाएं प्रदान करने वाला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र साइबर हमलों से सरकारी सूचना प्रौद्योगिकी मूलसंरचना की रक्षा करने के लिए उपाय कार्यान्वित कर रहा है।

(iv) सभी नई सरकारी बेवसाइटों और अनुप्रयोगों का उन्हें उपलब्ध कराने से पहले साइबर सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षण किया जाएगा। उपलब्ध कराने के बाद भी वेबसाइटों और अनुप्रयोगों का परीक्षण नियमित आधार पर किया जाएगा। लगभग 7000 सरकारी बेवसाइटों में से 5500 से अधिक वेबसाइटों का परीक्षण किया गया है। शेष वेबसाइटों के परीक्षण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी)को ऐसी वेबसाइटें उपलब्ध नहीं कराने का निदेश दिया गया है जिनका साइबर सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षण नहीं किया गया है।

(v) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भारतीय कप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) और उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक) के साथ मिलकर कानून प्रर्वतन एजेंसियों, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं और न्यायपालिका को अंकीय साक्ष्य एकत्रित करने, विश्लेषण करने और प्रस्तुत करने की कार्यविधियों और प्रणालियों पर आधारभूत एवं उन्नत प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

(vi) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने साइबर फॉरेंसिक पर विशेष रूप से साइबर फॉरेंसिक उपकरणों के विकास, जांच के लिए मूलसंरचना की स्थापना करने और अंकीय साक्ष्य एकत्रित करने, विश्लेषण करने और न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए इस उपकरण का इस्तेमाल करने में प्रयोक्ताओं विशेष रूप से पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक मुख्य कार्यक्रम शुरू किया है।

(vii) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा केरल, असम, मिजोरम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश , त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर तथा जम्मू और कश्मीर में साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की है।

(viii) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने जांच के कई मैन्युअल तैयार किए हैं जिनमें अंकीय साक्ष्य की खोज, जब्त करने, विश्लेषण करने तथा न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यविधियां दी गई है। इन मैन्युअलों को सभी राज्यों में कानून प्रर्वतन एजेंसियों में परिचाति किया गया है।

(ix) भारतीय कप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल साइबर सुरक्षा के खतरों तथा साइबर घटनाओं को रोकने और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की सुरक्षा में वद्धि करने के लिए जाने वाले उपायों के संबंध में चेतावनियां, सलाह और दिशा-निर्देश जारी करता है।

(x) साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का सामना करने के लिए आपदा प्रबंध योजना तैयार की गई तथा इसे केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिचालित किया गया।

[हिन्दी]

"सार्क" में भारत-पाक वार्ता

***131. श्री हंसराज गं. अहीर:**
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में मालदीव में आयोजित सार्क सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के प्राधिकारी के साथ जिन मुद्दों के बारे में विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श किया गया/बातचीत की गई उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) विचार-विमर्श/बातचीत के दौरान सीमा पार से आतंकवाद के मुद्दे सहित किए गए करारों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): प्रधानमंत्री ने 10 नवम्बर, 2011 को मालदीव में आयोजित 17वें सार्क सम्मेलन के अवसर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री सईद यूसूफ रजा गिलानी से मुलाकात की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सार्क शिखर सम्मेलन और भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंध के सभी पहलुओं/मुद्दों पर विचारों का व्यापक आदान-प्रदान किया। वे बातचीत की प्रक्रिया को सकारात्मक भावना से आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। उन्होंने शांति, साझी प्रगति और संपन्नता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने सार्क के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दोनों देशों द्वारा मिलकर काम करने की आवश्यकता पर सहमति जताई।

भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद सतत चिंता का विषय है और अब यह पाकिस्तान को भी प्रभावित कर रहा है। हमारा दायित्व है कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए साथ मिलकर कार्य करें कि इससे हमारे द्विपक्षीय संबंधों का मौहाल खराब न हो। प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया कि मुम्बई हमलों के दोषियों को कानून की जद में लाकर सजा दिलाना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री गिलानी ने प्रधानमंत्री जी को यह आश्वासन दिया कि आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई के संदर्भ में हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि आतंकवाद इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए सबसे गंभीर खतरा है और इसका प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की जरूरत है। इस संदर्भ में, उन्होंने भारत के गृह सचिव और पाकिस्तान के आंतरिक सचिव के बीच होने वाली आगामी बैठक के महत्व पर जोर दिया।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने संतोष व्यक्त किया कि विश्वास में आई कमी को दूर करने और बातचीत की प्रक्रिया को फिर से प्रारंभ करने के लिए अप्रैल, 2010 में थिम्पु में हुई आपसी सहमति को ध्यान में रखते हुए बातचीत फिर से शुरू हो गई है और कई मुद्दों पर बातचीत में व्यापक प्रगति हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दोनों देशों के लिए एक ऐसे वातावरण की जरूरत है जो शत्रुता और हिंसा से मुक्त हो, उन्होंने दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और रचनात्मक संबंधों को स्थापित करने के उद्देश्य से बातचीत की प्रक्रिया जारी रखने पर सहमति जताई। जुलाई, 2011 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे के दौरान लिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, सचिवों की बैठकें आयोजित करने के मामले पर कार्रवाई की जा रही है। भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग फिर से शुरू किया जाएगा। दोनों नेता इस बात से सहमत थे कि जुलाई, 2011 में विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान उनके बीच हुई सहमति के अनुसार नियंत्रण रेखा के दोनों ओर व्यापार एवं यात्रा को सुविधाजनक बनाने के उपायों को शीघ्र ही लागू किया जाना चाहिए।

व्यापार तथा आर्थिक संबंधों के क्षेत्र में यह सहमति हुई थी कि शीघ्र ही सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र के आधार पर व्यापार करके दोनों देशों के बीच व्यापार को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए तथा दक्षिण एशिया के सभी देश साफ्टा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। यह सहमति भी हुई थी कि लोग दोनों देशों के बीच हार्दिक संबंधों के इच्छुक हैं तथा लोगों के आपसी सम्पर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया था कि विचार-विमर्शित उदारीकृत वीजा व्यवस्था को शीघ्र ही लागू किया जाना चाहिए।

विदेश मंत्री तथा विदेश सचिव ने दोनों प्रधान मंत्रियों की बैठक के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए 17वें शिखर सम्मेलन के अवसर पर क्रमशः पाकिस्तान के विदेश मंत्री तथा विदेश सचिव से भी बैठक की।

[अनुवाद]

पाकिस्तान में हिन्दुओं की हत्याएं

***132. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में पाकिस्तान के दक्षिणी प्रान्त में चार हिन्दू डाक्टरों की गोली मारकर हत्या किए जाने की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): (क) और (ख) सरकार ने पाकिस्तान में 7 नवंबर, 2011 को हिन्दू डाक्टरों के मारे जाने संबंधी मीडिया रिपोर्टें देखी हैं। तीन हिन्दू डाक्टरों के मारे जाने और एक के घायल होने की सूचना है जबकि उन पर पाकिस्तान के तालुका चक, जिला शिकारपुर स्थित उनके गाँव में हमला किया गया। पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी प्रैस विज्ञप्ति के अनुसार इस घटना का हवाला देते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा है कि पाकिस्तान की सरकार की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है कि वह गुण्डागर्दी और अत्याचार से अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा दे। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।

(ग) पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के समक्ष आ रही समस्याओं के संबंध में सरकार को समय-समय रिपोर्ट मिलती है। हिन्दुओं के उत्पीड़न एवं डराने-धमकाने की घटनाओं की भी रिपोर्टें हैं। यह पाकिस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों के प्रति अपने दायित्वों, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों से जुड़े दायित्व भी शामिल हैं, का निर्वहन करे। फिर भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समूहों के उत्पीड़न की रिपोर्टें के आधार पर सरकार ने पाकिस्तान की सरकार के साथ मामले को उठाया है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि वह स्थिति से पूरी तरह अवगत है और वह विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय सहित अपने सभी नागरिकों के हित कल्याण का ध्यान रखती है।

[हिन्दी]

निजी विमान कम्पनियों द्वारा उड़ानें रद्द किया जाना

***133. श्री ए.टी. नाना पाटील:**
श्री विजय बहादुर सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न निजी विमान कम्पनियों ने अनेक सेक्टरों में अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं और अपना किराया बढ़ाने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसी विमान कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या ऐसे मामलों में यात्रियों को पर्याप्त मुआवजा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में आगे और क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) शीतकालीन अनुसूची 2011 में 30 अक्तूबर 2011 से अनुमोदित प्रस्थानों की तुलना में एयरलाइन-वार वास्तविक प्रचालनों और की गई कार्रवाई से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण पर है।

टैरिफ के प्रकाशन में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से नागर विमान महानिदेशालय (डीजीसीए) ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

— अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों को निदेश दिया गया है कि वे मार्ग-वार और किराये श्रेणी-वार स्थापित टैरिफ को मासिक आधार पर अपनी वेबसाइटों पर प्रदर्शित करें और किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण तथा सूचना योग्य परिवर्तन के बारे में 24 घंटों के भीतर डीजीसीए को भी अधिसूचित करें।

— आवधिक अंतराल पर नियमित रूप से घरेलू एयरलाइनों के हवाई किरायों की मॉनिटरिंग के लिए डीजीसीए में एक टैरिफ विश्लेषण एकक स्थापित किया गया है। डीजीसीए ने किरायों में कोई ऐसी उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी नोट नहीं की है, जो एयरलाइनों द्वारा डीजीसीए को संप्रेषित किराया सीमा से बाहर हो।

(ग) से (ङ) उड़ानों में विलम्ब और रद्दकरण तथा यात्रियों की असुविधा के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए डीजीसीए ने अगस्त, 2010 में एक नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) धारा 3, सीरीज एम, भाग 4 जारी किया है, जिसमें बोर्डिंग से मना किए जाने, रद्दकरण और विलंबों की स्थिति में यात्रियों को क्षतिपूर्ति और सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। सभी एयरलाइनों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रभावित यात्रियों को इस सीएआर में लागू प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति और सुविधाएं मुहैया कराएं। डीजीसीए एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति और सुविधाओं की मासिक आधार पर नियमित मॉनिटरिंग करता है।

विवरण

अनुमोदित प्रस्थानों की तुलना में एयरलाइन-वार वास्तविक प्रचालनों और की गई कार्रवाई का ब्यौरा

एयरलाइन	प्रतिदिन प्रस्थान	
	अनुमोदित	वास्तविक प्रचालन
एयर इंडिया	262	255
एलायंस एयर	50	50
जेट एयरवेज	404	395
जेटलाइट	120	109
किंगफिशर एयरलाइंस	418	243
स्पाइसजेट	283	250
गो एयर	82	82
इंडिगो	291	259
कुल	1910	1643

गैर-प्रचालनात्मक उड़ानों के लिए सभी स्लोट्स रद्द कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

हज यात्रा का कोटा

***134. श्री समीर भुजबल:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हज यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए विभिन्न कोटे निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हज हेतु निजी टूर आपरेटरों के लिए कितना कोटा निर्धारित किया गया है;

(घ) देश में हज के लिए पंजीकृत निजी टूर आपरेटरों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन टूर आपरेटरों के लिए पंजीकरण के साथ-साथ पंजीकरण का नवीकरण कराने हेतु शर्तें क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): (क) जी, हाँ।

(ख) भारत सरकार और सऊदी अरब सागर के बीच हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार हज कोटा (i) भारतीय हज समिति और (ii) निजी टूर आपरेटरों को आबंटित किया जाता है। हज- 2011 निजी टूर आपरेटर नीति के अनुसार निजी टूर आपरेटरों के लिए 568 पात्र निजी टूर आपरेटरों के बीच कोटा आबंटित किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान हज के लिए निजी टूर आपरेटरों हेतु निर्धारित किया गया कोटा निम्न प्रकार से है:

वर्ष	निजी टूर आपरेटरों के लिए निर्धारित कोटा
हज-2008	44,780
हज-2009	45,491
हज-2010	45,491
हज-2011	45,491

(घ) पंजीकृत निजी टूर आपरेटरों और हज-2011 के लिए उन्हें आबंटित कोटे का ब्यौरा भारतीय हज समिति की वेबसाईट www.hajcommittee.com पर दे दिया जाता है।

(ङ) हज-2011 निजी टूर आपरेटर नीति का निबंधन और शर्तें यह सुनिश्चित करने के लिए तय की जाती हैं कि केवल उन्हीं अर्हताप्राप्त निजी टूर आपरेटरों का अंतिम रूप से चयन हो, जो हज यात्रा का प्रभावशाली ढंग से प्रबंधन करने में समर्थ हों। हज-2011 निजी टूर आपरेटर नीति भारतीय हज समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

[हिन्दी]

कोयले का उत्पादन

***135. श्री जगदानंद सिंह:**
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला क्षेत्र अब निजी कम्पनियों के लिए खुला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कोयला क्षेत्र में नई क्षमता के सृजन के लिए कितना निवेश किया गया है/किए जाने की संभावना है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उत्पादित कोयले का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3(3) (क)(iii) के अंतर्गत लोहा और इस्पात के उत्पादन, विद्युत के उत्पादन, सीमेंट के उत्पादन और कोयला गैसीकरण (भूमिगत तथा सतही) और कोयला द्रवीकरण के माध्यम से प्राप्त सिन-गैस के उत्पादन में लगी कोई कंपनी कैप्टिव खपत के लिए ही भारत में कोयले का खनन कर सकती है।

(ग) अपनी उत्पादन योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 11वीं योजना अवधि (2007-2012) के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा कोयला क्षेत्र में प्रस्तावित निवेश 34,259 करोड़ रु. (कोल इंडिया लि.: 15875 करोड़ रु., सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि. 3340 करोड़ रु., नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन 15044 करोड़ रु.) है। कोयला क्षेत्र में निजी कंपनियों की निवेश योजनाओं का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उत्पादित कोयले का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(मिलियन टन में)

2008-09	2009-10	2010-11
31.35	33.98	34.45

सर्वशिक्षा अभियान का मूल्यांकन

***136. श्री बृजभूषण शरण सिंह:**
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सर्वशिक्षा अभियान की कोई समीक्षा की गई थी/मूल्यांकन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके राज्य-वार क्या परिणाम रहे और उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारें सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को उक्त योजना के अंतर्गत वित्तीय और अन्य प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं;

(च) यदि हां, तो ऐसी अनियमितताओं के स्वरूप सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) ने जून, 2010 में सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम की एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस अध्ययन में शिक्षा तक पहुंच के मामले में कतिपय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। जिन ग्रामीण बस्तियों का नमूना सर्वेक्षण किया गया उनमें से 98 प्रतिशत से अधिक बस्तियों के 3 कि.मी. के भीतर प्रारंभिक स्कूल उपलब्ध हैं जबकि जिन मलिन बस्तियों के बच्चों का नमूना सर्वेक्षण किया गया उनमें से 93 प्रतिशत बस्तियों के 1 कि.मी. के भीतर निकटवर्ती स्कूल उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) इस मूल्यांकन में की गई मुख्य सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. बालिकाओं द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर में कमी करने के लिए और अधिक उच्च प्राथमिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता है।

2. ब्लैक बोर्डों, पेयजल, बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय जैसी अवसंरचना के अभाव, शिक्षण कक्षों, चारदीवारियों/बाड़ के अभाव को दूर किया जाए।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में सुदूर बस्तियों अथवा असेवित बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए यातायात सुविधाएं।

4. शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले और स्कूल जाने वाले छात्रों को निःशुल्क वर्दियां प्रदान की जानी चाहिए।

5. शिक्षकों के गैर-शिक्षण कार्यकलापों को कम किया जाए, रिक्तियों में कमी लाने तथा अवांछित छात्र-शिक्षक अनुपातों में सुधार करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती की जाए।

6. सभी राज्यों द्वारा प्राथमिक स्तर पर 'नो डिटेंशन पॉलिसी' अपनाई जाए और परीक्षाओं के स्थान पर सतत मूल्यांकन किया जाए।

7. सभी स्कूलों में शिक्षण कक्ष पुस्तकालय स्थापित किए जाएं और सभी स्कूलों को खेलकूद का सामान प्रदान किया जाए।

8. माता-पिता और छात्रों के प्रतिनिधित्व के साथ स्कूल प्रबंध समितियां गठित की जाएं। जागरूकता तथा सामुदायिक स्वामित्व की भावना पैदा करने में गैर-सरकारी संगठनों की बेहतर भागीदारी हो।

ऊपर सूचीबद्ध सिफारिशें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत अनिवार्य मानदंड बन गई हैं और सर्व शिक्षा अभियान की कार्यान्वयन संरचना के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित किया गया है।

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में स्कूल खोले जाने, शिक्षकों की भर्ती करने तथा स्कूल भवनों एवं अतिरिक्त शिक्षण-कक्षों का निर्माण करने से संबंधित संचयी प्रगति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) सर्व शिक्षा अभियान में एक नियमित अनुवीक्षण प्रणाली मौजूद है जिसमें सांविधिक लेखापरीक्षा और समवर्ती वित्तीय समीक्षाएं शामिल हैं। जब भी और जैसे भी वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलती है, उन पर कार्रवाई की जाती है। ऐसी घटनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) आंध्र प्रदेश ने वर्ष 2006-07 में डीपीईपी/एसएसए के लेखाओं के अंतर्गत 14.98 करोड़ रु. के गबन की रिपोर्ट दी थी। एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई और राज्य सीआईडी ने मामले की जांच की थी। राज्य सरकार ने तीन लेखा अधिकारियों को निलंबित कर दिया और सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय से तीन व्यक्तियों का तबादला कर दिया गया। (ii) हरियाणा में (वर्ष 2005-2007) वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त 11 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और दो अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। (iii) कर्नाटक में 21 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उनसे 8.58 लाख रु. की राशि वसूल की गई है। (iv) पश्चिम बंगाल में, एक जिले में आठ अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी से 517.80 लाख रु.की राशि आहरित की गई थी उनमें से सीआईडी ने सात व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है और कार्रवाई चल रही है। (v) गुजरात में (वर्ष 2007-2008 में) वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्त दो अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और 15.98 लाख रु. की वसूली की गई। (vi) राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान की निधियों के दुरुपयोग तथा अन्य अनियमितताओं की शिकायतों पर नौ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। (vii) हिमाचल प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान की निधियों के दुरुपयोग की एक शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराई गई और 3.02 लाख रु. की राशि वसूल की गई है। (viii) उत्तर प्रदेश में, कतिपय अनियमितताओं, जिनमें बालिकाओं के लिए यूनीफार्म की खरीद में अनियमितताएं शामिल हैं, से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संबंधित जिला बुनियादी शिक्षा अधिकारी का तबादला कर दिया गया और उत्तर प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा राज्य सरकार से अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की गई। इस मामले पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक सिविल विधिक रिट याचिका संख्या 2011 की 6062 भी लंबित है।

(छ) सर्व शिक्षा अभियान में एक सुपरिभाषित वित्तीय प्रबंध एवं प्रापण प्रणाली मौजूद है जिसमें अलग-अलग कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक स्तर तथा वित्तीय सीमाएं तय की गई हैं। एक कड़ी अनुवीक्षण प्रणाली भी मौजूद है जिसमें प्रतिष्ठित समाज विज्ञान संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभागों के जरिये क्षेत्र स्तरीय अनुवीक्षण तथा सर्व शिक्षा अभियान के विकास भागीदारों द्वारा कार्यक्रमों की प्रगति विषयक स्वतंत्र समीक्षा मिशन भी शामिल हैं।

विवरण

संचयी प्रगति

(31.3.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	स्कूल खोलना		स्कूल भवन		अतिरिक्त शिक्षण कक्ष		शिक्षक	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	8308	8006	9635	9635	62349	62109	38293	39821
2.	अरुणाचल प्रदेश	2079	1125	1926	1823	3953	3954	6067	5226
3.	असम	5054	5017	9853	9851	48883	48883	28793	0
4.	बिहार	39398	32388	18010	13197	186532	175815	318804	191983
5.	छत्तीसगढ़	17206	17206	19051	18480	45215	42680	57756	54985
6.	गोवा	8	5	0	0	227	177	169	169
7.	गुजरात	0	0	835	797	30157	29973	20052	15052
8.	हरियाणा	2598	2558	2284	2210	24162	23342	11157	8936
9.	हिमाचल प्रदेश	1413	1158	40	4	10259	9914	4279	3546
10.	जम्मू और कश्मीर	16566	13398	11043	9046	13292	8925	41687	39739
11.	झारखंड	29386	28193	29389	28677	64986	61956	104051	83486
12.	कर्नाटक	11323	11091	3736	3733	49047	47699	27180	24278
13.	केरल	144	0	529	529	8233	8233	2689	0
14.	मध्य प्रदेश	54321	54289	44107	43703	113993	109530	168888	98287
15.	महाराष्ट्र	8662	8397	18003	18982	57057	54723	41434	15311
16.	मणिपुर	406	0	637	457	2592	1486	1175	0
17.	मेघालय	5131	5131	3538	3042	6453	6423	13262	11977
18.	मिजोरम	522	314	1146	1201	1909	1909	2242	1886
19.	नागालैंड	732	236	596	333	4417	4188	3147	590
20.	ओडीशा	20119	17290	17444	16982	53900	46286	89901	88442
21.	पंजाब	2053	1901	1486	1373	22122	19952	14090	9694
22.	राजस्थान	50590	47890	8340	8340	80265	80089	114132	94201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	सिक्किम	112	84	95	98	559	593	566	185
24.	तमिलनाडु	7995	7259	8322	8253	32063	30030	25223	29971
25.	त्रिपुरा	2257	1697	1973	1973	3451	2829	6489	5694
26.	उत्तर प्रदेश	45422	44773	51258	51028	272131	242281	398982	258924
27.	उत्तराखंड	2573	2440	4583	3847	7466	7312	14137	5998
28.	पश्चिम बंगाल	31785	21762	14382	7601	162887	153701	181088	110692
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15	10	4	4	201	144	69	67
30.	चंडीगढ़	44	18	26	20	290	206	897	785
31.	दादर और नगर हवेली	112	92	61	61	481	373	816	377
32.	दमन और दीव	12	8	13	11	87	85	96	95
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	12	6	12	12	2518	1737	3040	36
34.	लक्षद्वीप	13	11	9	5	22	19	35	32
35.	पुडुचेरी	28	10	12	12	470	441	48	36
	कुल एसएसए	366399	333764	282378	263320	1372633	1287996	1740734	1200501

टिप्पणी: सिविल कार्यों की उपलब्धियों में प्रगतिशील कार्य शामिल हैं।

[अनुवाद]

डाकघरों में नई सेवाएं शुरू करना

***137. श्री एल. राजगोपाल:**
डॉ. के. एस. राव

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग नई सेवाएं शुरू करने तथा सुचारू रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों, बीमा कंपनियो, शैक्षिक संस्थाओं, रिटेलरों आदि के साथ समझौता करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त प्रयास से डाक विभाग को अपना घाटा कम करने तथा अपने कार्य-निष्पादन एवं राजस्व में सुधार करने में किस सीमा तक मदद मिलने की संभावना है;

(घ) क्या डाकघरों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पैसों के लेन-देन में विलम्ब की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) बैंको, शैक्षिक संस्थाओं, रिटेलरों आदि के साथ समझौता करना एक सतत प्रक्रिया है और जब भी जहां भी अवसर आता है, ऐसे मामलों पर कार्यवाही की जाती है और इन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। तथापि, फिलहाल विभाग नई सेवाएं शुरू करने के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों, शैक्षिक

संस्थाओं, रिटेलरों आदि के साथ किसी नए समझौते पर कार्यवाही नहीं कर रहा है।

(क) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां विरल रूप से कुछ शिकायतें प्राप्त होती हैं और तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ङ) डाक विभाग की विभिन्न सेवाओं में से, निम्नलिखित सेवाएं प्रमुख रूप से नकद लेनदेन से संबंधित है:

- मनी आर्डर
- बचत बैंक एवं बचत पत्र

(i) इन सेवाओं से संबंधित शिकायतों, नकद लेनदेन में देरी से संबंधित सहित, का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(वर्ष 2010-11)

सेवा का नाम	परियात/खातों एवं जारी किए गए तथा भुगतान किए गए बचत पत्रों की संख्या	ग्रामीण क्षेत्रों सहित प्राप्त शिकायतों की संख्या (लाख में)	परियात/खातों एवं जारी किए गए तथा भुगतान किए गए बचत पत्रों की संख्या के संदर्भ में शिकायतों का प्रतिशत
मनीआर्डर	577	1.97	0.0034
बचत बैंक एवं बचत पत्र	3243	0.15	0.00005

(ii) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- सभी डाक डिवीजनों में ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए विभाग में एक तंत्र स्थापित किया गया है। वेब आधारित शिकायतों की शत प्रतिशत हैंडलिंग एवं निपटान हेतु डिवीजनों को निर्देश जारी किए गए हैं और इन्हें दोहराया गया है। सभी शिकायतों को समयबद्ध तरीके से हैडल किया/निपटाया जाना है।
- सर्किल अध्यक्षों के साथ आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव, डाक विभाग द्वारा लंबित शिकायतों की नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा की जाती है।
- डाक विभाग ने एक "त्वरित मनीआर्डर सेवा" शुरू की है जो त्वरित, सुविधाजनक, भरोसेमंद एंव किफायती है। यह वेब आधारित धनांतरण सेवा है जो देश में निर्दिष्ट डाकघरों में उपलब्ध है।
- "इलेक्ट्रॉनिक मनीआर्डर" सेवा की शुरूआत के साथ विभाग ने अब मनीआर्डर फार्मों के वास्तविक प्रेषण को समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलैक्ट्रानिक माध्यम से भेजा जाता है। जिससे धनांतरण की प्रक्रिया और त्वरित एवं सरल हो गई है।
- सेवा की गुणवत्ता एवं प्रचालनात्मक दक्षता को सुधारने के लिए, डाक विभाग ने एक सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। इस सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का एक प्रमुख अंग कहीं भी कभी भी बैंकिंग वातावरण सुविधा प्रदान करने वाले वैकल्पिक चैनलों वाले केंद्रीकृत कोर बैंकिंग समाधान शुरू करना है। यह कोर बैंकिंग वातावरण निधियों के अंतरण को त्वरित एवं आहरण को सरल बनाएगा।
- डाकघरों की नकदी आवश्कताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों पर नकदी संवहन हेतु लाइन लिमिट की समीक्षा एवं संशोधन किया गया है।

[हिन्दी]

कोयले की आवश्यकता संबंधी अनुमान

***138. श्रीमती दीपा दासमुंशी:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कोयले की आवश्यकता के बारे में अनुमान लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आगामी तीन वर्षों के दौरान विभिन्न उद्योगों में उद्योग-वार कोयले की आपूर्ति कितनी कम रहने का अनुमान है; और

(घ) सरकार द्वारा आयात सहित विभिन्न उद्योगों में कोयले की कमी को पूरा करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के प्रतिपादन के लिए कोयला और लिग्नाइट संबंधी कार्यदल की प्रारूप रिपोर्ट के अनुसार 12वीं योजना (2016-17) के अंतिम वर्ष कोयले की मांग 980.50 मिलियन टन आकलित की गयी है जिसमें से नॉन कोकिंग कोयले तथा कोकिंग कोयले की मांग क्रमशः 913.30 मिलियन टन और 67.20 मिलियन टन अनुमानित की गयी है। 12वीं योजना के अंतिम वर्ष इन मांगों की तुलना में नान-कोकिंग कोयले और कोकिंग कोयले का अनुमान क्रमशः 683.30 मिलियन टन और 31.70 मिलियन टन लगाया गया है। इससे 35.50 मिलियन टन कोकिंग कोयला और 230 मिलियन टन नान-कोकिंग कोयला को मिलाकर मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच 265.50 मिलियन टन का अंतर रह जाता है।

प्रारूप रिपोर्ट के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (2016-17) में विभिन्न उद्योगों को आपूर्ति की अनुमानित कमी निम्नानुसार आकलित की गयी है:

(मिलियन टन में)

क्र.सं.	क्षेत्र	मांग (अनंतिम)	स्वदेशी उपलब्धता (अनंतिम)	अंतर (अनंतिम)
1.	इस्पात	67.20	31.70	(-)35.50
2.	विद्युत उपभोक्ता	682.08	562.47	(-)119.61
3.	पावर कैप्टिव	56.36	48.57	(-)7.79
4.	सीमेंट	47.31	40.30	(-)7.01
5.	स्पांज आयरन	50.33	37.05	(-)13.28
6.	अन्य	77.22	65.21	(-)12.01
	कुल	980.50	715.00	(-)265.50

हालांकि सीआईएल/एससीसीएल तथा कैप्टिव ब्लाकों/अन्य स्रोतों से उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भरसक प्रयास किये जाएंगे किन्तु मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को उपभोक्ताओं द्वारा आयातों से पूरा किये जाने की आवश्यकता होगी।

फर्जी पायलट

***139. श्री घनश्याम अनुरागी:**
श्री वरुण गांधी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विमान कम्पनी-वार विमान उड़ाने वाले कितने फर्जी लाइसेंसधारक वाणिज्यिक पायलटों को पकड़ा गया;

(ख) इस संबंध में अब तक मामले-वार क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा 2011 में की गई रिकार्डों की छानबीन के आधार पर डीजीसीए ने 15 पायलटों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। सभी 1704 एयरलाइन ट्रांसपोर्ट लाइसेंस (एटीपीएल) धारकों के परीक्षा संबंधी इतिहास की छानबीन की गई और 6 अभ्यर्थी ऐसे पाए गए जिन्होंने एटीपीएल जारी किए जाने के अपेक्षित सभी परीक्षा पत्र उत्तीर्ण नहीं किए थे और जाली अंक-पत्र जमा करके लाइसेंस हासिल

किए थे। इन 6 पायलटों के एटीपीएल लाइसेंस निलंबित किये जा चुके हैं। इस संबंध में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज कराई गई जिसने इसके बाद संबंधित पायलटों की गिरफ्तारी समेत अन्य कार्रवाई की है। इसके अतिरिक्त, 6331 वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) धारकों से संबधित परीक्षा इतिहास की छानबीन भी की गई और 9 अभ्यर्थी अपेक्षित परीक्षा पत्रों में उत्तीर्ण नहीं पाए गए। इनमें से 9 लाइसेंस जारी किये गये थे जिन्हें निरस्त करके दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज कराई गई जिसने इसके बाद संबंधित पायलटों की गिरफ्तारी समेत अन्य कानूनी कार्रवाई की है। डीजीसीए पायलटों के एयरलाइन-वार आंकड़े अनुरक्षित नहीं रखता। कुल मिलाकर, दिल्ली पुलिस द्वारा 19 पायलटों, बिचौलियों और डीजीसीए के कर्मचारियों समेत, को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच संतोषजनक तरीके से कर रही है।

(ग) सरकार ने, पायलटों की परीक्षा और उन्हें लाइसेंस प्रदान किए जाने की चालू प्रणाली की जांच करने और प्रणाली को आधुनिक और सर्वोत्तम परिपाटियों की तर्ज पर सुरक्षित, विश्वसनीय और कार्यकुशल बनाने के लिए सिफारिशें करने के उद्देश्य से, एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और उसे सरकार को प्रस्तुत कर दिया है। समिति की सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय से समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है। डीजीसीए के लाइसेंसिंग निदेशालय में मौजूदा क्रियाविधियों को कठोरतापूर्वक लागू किया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा दी गई डीजीसीए की परीक्षा के परिणाम को लाइसेंसिंग निदेशालय के पास उपलब्ध केन्द्रीय परीक्षा संगठन की मास्टर रिजल्ट शीट से पुन: सत्यापित कराया जाता है और रिजल्ट शीट की अनुपलब्धता की स्थिति में, पेपरों को सत्यापन हेतु केन्द्रीय परीक्षा संगठन के पास भेजा जाना अपेक्षित होता है। विदेशी लाइसेंस को भारतीय लाइसेंसों में परिवर्तित करने से पहले, लाइसेंसों को विदेशी लाइसेंस जारी करने वाले देश के संबंधित विनियामक प्राधिकारी से सत्यापित कराया जाता है।

विवरण

सिफारिशों की सूची

परीक्षा प्रणाली के लिए

सिफारिश सं.	सिफारिश
1	2
1.	समिति मानती है सीईओ द्वारा आयोजित परीक्षा लाइसेंस प्रक्रिया का हिस्सा है और सीईओ के पास लाइसेंसिंग निदेशालय द्वारा फिलहाल चलाई जाने वाली कुछ प्रक्रियाएं आरंभ करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसलिए मूल योग्यता के सत्यापन वाली प्रक्रिया कम्प्यूटर नं. जारी किये जाते समय सीईए द्वारा आरंभ की जानी चाहिए ताकि जब तक अभ्यर्थी लाइसेंस जारी किये जाने की पात्र हों तब तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाए।
2(क)	डीजीसीए को परीक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण अपनाना चाहिए, जिसमें परीक्षा का ऑनलाइन पंजीकरण, रोल नम्बर का आबंटन, परीक्षा तिथियों का निर्धारण, ऑनलाइन/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन, परिणाम का प्रक्रियाकला और घोषणा।
2(ख)	डीजीसीए पहले ही उपर्युक्त क्र.सं. 1 पर पहल कर चुका है, इसलिए उसे एटीपीएल परीक्षा से शुरू करके चरणबद्ध तरीके से परीक्षा की प्रक्रिया चलानी चाहिए।
2ग.	परीक्षा के आयोजन के दौरान की घटनाओं से बचने के उद्देश्य से, बायोमीट्रिक के इस्तेमाल से अभ्यर्थी की पहचान के सत्यापन का सुझाव दिया जाता है।
3क.	आदर्श स्थिति में, सर्वोत्तम विकल्प एक 'छोरे से छोर' समाधान होना चाहिए जिसमें कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन के लिए सोफ्टवेयर एप्लीकेशन और अवसंरचना एक एजेंसी द्वारा मुहैया कराई जाए।
3ख.	चूंकि इस समय एनआईसी पहले ही सोफ्टवेयर एप्लीकेशन तैयार करने की अग्रिम अवस्था में है, डीजीसीए को एनआईसी द्वारा तैयार सोफ्टवेयर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके परीक्षा आयोजित कराने के लिए किसी एजेंसी की अवसंरचना हायर करने का विकल्प चुनना चाहिए।
3ग.	भविष्य में, डीजीसीए को सम्पूर्ण परीक्षा प्रणाली की आउटसोर्सिंग पर विचार करना चाहिए, बशर्ते सभी सुरक्षोपाय सुनिश्चित किए गए हों। इस संबंध में, डीजीसीए को विभिन्न विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुसरित परीक्षा प्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए।

1	2
4.	ढाई और पांच वर्षों की वैधता पर्याप्त समझी गई। तथापि, समिति ने अवलोकन किया कि किसी अभ्यर्थी को अपनी पसन्द की तिथियों के अनुसार परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कमनीयता दी जानी चाहिए जैसाकि अधिकांश अन्य देशों में किया जाता है। ऐसा कर सकने के लिए, पत्र परीक्षा की वर्तमान प्रणाली को बंद करके ऑनलाइन कम्प्यूटर आधारित परीक्षा आरंभ करनी चाहिए। डीजीसीए को पायलट परीक्षा देने के प्रयासों की संख्या पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए।
5.	डीजीसीए को विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री की सूची उपलब्ध करानी चाहिए।
6(क)	समिति अनुशंसा करती है कि प्रश्न बैंक में वृद्धि होने की जरूरत है।
6(ख)	प्रश्न तैयार करते समय, डीजीसीए को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कठोरतापूर्वक निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार हो।
6(ग)	डीजीसीए को प्रश्नों की अधिक संख्या वाला प्रश्न बैंक तैयार करना चाहिए। 1:10 का आदर्श अनुपात सुझाया जाता है।
6(घ)	परीक्षार्थियों की ओर से अनुवर्ती आपत्तियों के निवारण के लिए प्रश्नों की समुचित संवीक्षा की जानी चाहिए।
लाइसेंसिंग प्रणाली के लिए	
7.	समिति सिफारिश करती है कि सीईओ में प्रक्रियागत परिणाम को इलेक्ट्रोनिक रूप से डीटीएल रिकार्ड से विलयित किया जाए।
8.	प्रक्रिया को तेज बनाने के उद्देश्य से, समिति यह विचार करते हुए कि सीईओ लाइसेंस प्रक्रिया का हिस्सा हो, सिफारिश करती है कि यह सत्यापन कम्प्यूटर नं. आवंटित किये जाने के समय आरंभ किया जाए।
9.	यह विचार करते हुए कि केवल उड़ान हेतु एप्टीट्यूड रखने वाले व्यक्ति ही इस पेशे में आएं—समिति सिफारिश करती है कि प्रवेश दिए जाते समय एक प्रवेश स्तर की परीक्षा आयोजित की जाए। इसके अतिरिक्त, समिति सिफारिश करती है कि ऐसी परीक्षा में एक एप्टीट्यूड और साइकोमीट्रिक परीक्षण शामिल होना चाहिए। ये परीक्षाएं इस प्रस्तावित एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएं जो भविष्य में डीजीसीए की ओर से परीक्षा आयोजित करे, और ऐसी एजेंसी स्थापित/चिन्हित होने तक, यह परीक्षा इग्नुआ द्वारा आयोजित की जाए।
10.	उपर्युक्त सीमाओं पर विचार करते हुए समिति सिफारिश करती है कि किसी उड़ान संस्थानों की ओर से उड़ान अनुभव को खारिज/हासिल करने के लिए प्रावधान पर विचार किया जाए। इसके अतिरिक्त डीजीसीए को विभिन्न फ्लाइंग क्लबों के प्रशिक्षण विमानों के आवागमनों को ऑनलाइन लाने की सम्भावना पर विचार करना चाहिए। सभी फ्लाइंग क्लबों के विमानों की ऐसी मॉनीटरिंग से लॉग बुक्स का जोड़-तोड़ न्यूनतम होगा।
11.	समिति ने विचार किया कि पायलटों द्वारा अपनाए गए गलत तरीकों का मूल कारण लिखित परीक्षाओं में बार-बार विफलता था। समिति ने देश में पायलटों और विमान अनुरक्षण इंजीनियर के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं सृजित करने की आवश्यकता है का अनुभव किया है।
लाइसेंसों के लिए व्यापक प्रणाली के विकास हेतु	
12.	समिति सिफारिश करती है कि कार्मिकों (पायलटों, एएमई और एटीसीओ) की लाइसेंसिंग के लिए एक यूनीफाइड डेटा बेस विकसित किया जाना चाहिए। व्यापक लाइसेंसिंग प्रणाली में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:
	न्यूनतम मानवीय इंटरफेस;
	परीक्षा और चिकित्सा के साथ इंटरफेस;
	विमानों के आवागमन, उनके अनुरक्षण, वास्तविक उड़ान समय से संबंधित सूचना और अन्य संबंधित डेटा सीधे हासिल करने के लिए उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों और एयरलाइनों के साथ-साथ अन्य एजेंट के साथ इंटरफेस; डिजीटाइज्ड पायलट लॉग बुक, का इस्तेमाल, बायोमीट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का आरंभ; माइक्रोसॉफ्ट युक्त स्मार्ट कार्ड लाइसेंस की शुरुआत, जिनमें लाइसेंस धाराओं का समस्त ब्यौरा हो।

एयर इंडिया को उबारने के लिए पैकेज देना

***140. श्री अनंत कुमार हेगड़े:**
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एयर इंडिया पर कुल कितना ऋण बकाया है और उक्त ऋण किन-किन कंपनियों को देय हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार एयर इंडिया के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी के व्यापक अध्ययन के बाद उक्त आकलन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस का मानार्थ/रियायती टिकटों पर कितना व्यय हुआ है;

(ङ) क्या एयरलाइंस को हुए घाटे के प्रमुख कारणों का पता लगा लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालर रवि): (क) 21412 करोड़ रुपए के विमान ऋण तथा 22368.43 करोड़ रुपये के कार्यशील पूंजीगत ऋण के अलावा, एअर इंडिया पर तेल कंपनियों के 1950 करोड़ रुपये, विमान पुर्जों के विक्रेताओं का 180 करोड़ रुपये, अन्य के 620 करोड़ रुपये तथा 300 करोड़ रुपये अपने कर्मचारियों का वेतन बकाया है।

(ख) और (ग) सरकार ने एअर इंडिया में अब तक 3200 करोड़ रुपये की ताजा इक्विटी का निवेश किया है तथा एअर इंडिया की वित्तीय एवं प्रचालन निष्पादन की समीक्षा/मानीटर करने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया है। मंत्री समूह के निदेश पर, एअर इंडिया ने एक टर्न अराउंड योजना तथा वित्तीय पुनर्संरचना योजना तैयार की है, जिसकी स्वतंत्र सलाहकारों द्वारा विधिवत पुनरीक्षा की गई है तथा जिसकी जांच अधिकारियों के एक समूह द्वारा की गई है। अधिकारी समूह की सिफरिशें मंत्री समूह द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक के विचार तथा एफआरपी पर विनियामक प्रविरिति के लिए भेज दी गई है। कैबिनेट के अनुमोदन के बाद ही अतिरिक्त इक्विटी, यदि कोई हो, का निवेश किया जाएगा।

(घ) उपहार स्वरूप/छूट वाली विमान टिकटों पर एयर इंडिया द्वारा कोई भी व्यय नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) एअर इंडिया में घाटों की वजह अनेक कारण रहे हैं जैसे कि ईंधन का अधिक मूल्य, कार्यशील पूंजी तथा विमान ऋण के कारण उच्च ब्याज भार, विशेषत: कम लागत वाले वाहकों द्वारा बढ़ती प्रतिस्पर्धा, उच्च ऋण इक्विटी अनुपात, कर्मचारियों पर उच्च लागत, मानव संसाधन विलय में विलम्ब होने के कारण प्रचालनिक खामियां, विमान सुपुर्दगी में अंतर, आदि।

[अनुवाद]

न्यूट्रिनो अनुसंधान केन्द्र

1381. श्री के.पी. धनपालन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) थेनी, तमिलनाडु में प्रस्तावित न्यूट्रिनो अनुसंधान केन्द्र की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त केन्द्र की स्थापना के संबंध में पर्यावरणीय चिंताएं सामने आई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री.वी. नारायणसामी): (क) भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला (आईएनओ) परियोजना को ग्राम-पोट्टिटीपुरम, जिला-थेनी, तमिलनाडु में बोदरी वैस्ट हिल्स में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। तमिलनाडु सरकार ने इस भूमिगत प्रयोगशाला की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध कराई है तथा इस जमीन को अधिकार में लेने की कार्रवाई चल रही है।

(ख) और (ग) चूंकि भारत न्यूट्रिनो वेधशाला मूलभूत विज्ञानों हेतु एक प्रयोगशाला है, अत: इससे पर्यावरण संबंधी कोई चिन्ता नहीं है। इससे किसी विषैले पदार्थ, किसी रेडियोसक्रियता अथवा किसी अन्य खतरनाक पदार्थ का उत्सर्जन नहीं होगा। यह प्रयोगशाला किसी वन में स्थापित नहीं की जा रही है तथा यह वन्य जीव अभ्यारण्य से काफी दूर स्थित होगी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने पर्यावरणीय अनुमति दे दी है तथा तमिलनाडु सरकार द्वारा भी परियोजना के लिए वन संबंधी अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

कोयले की कमी

1382. **श्री रूद्रमाधव रायः** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनुमत सीमाओं के भीतर कोयले के खनन और चोरी पर निगरानी रखने के लिए कोई एजेंसी गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार कोयले के खनन और इसकी चोरी पर किस तरह निगरानी रखती है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) कोलियरी नियंत्रण नियमावली, 2004 में कोयला नियंत्रक को कोयले के श्रेणीकरण, खनन या कोयला उत्पादन पर निषेध तथा सीमित करने, खान को खोलने की अनुमति, खान को स्थगित या बंद करने का नोटिस देने, कोलियरीज के निरीक्षण आदि के संबंध में अपनी शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है।

जहां तक उठाईगिरी का संबंध है, उसकी कारगर ढंग से निगरानी सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा सीआईएसएफ तैनात करके की जाती है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उद्योग और कृषि के बीच संतुलन

1383. **श्री अनुराग सिंह ठाकुरः** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में अर्थव्यवस्था के स्वस्थ विकास हेतु उद्योग और कृषि के बीच संतुलन अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने देश में उक्त संतुलन बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए हैं; और

(घ) अभी तक किए गए उपायों का परिणाम क्या रहा और भविष्य में उक्त संतुलन बनाए रखने हेतु सरकार ने क्या कार्य योजना बनाई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) जी, हां। आर्थिक आयोजना का सार सभी उत्पादों के लिए मांग और आपूर्ति के बीच अच्छा संतुलन बनाए रखने पर आधारित होता है। चूंकि कृषि, खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का मुख्य स्रोत है इसलिए समग्र आर्थिक वृद्धि और कृषि क्षेत्रक की वृद्धि के बीच संतुलन कायम करना आवश्यक है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में कृषि क्षेत्रक में 4 प्रतिशत की लक्षित वृद्धि दर के साथ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की 9 प्रतिशत औसत वृद्धि दर की परिकल्पना की गई थी। उच्चतर कृषि और औद्योगिक वृद्धि पर आधारित संतुलित और समावेशी विकास के लक्ष्य वाली, सरकार की विभिन्न नीतिगत पहलों ने इस उद्देश्य को सुसाध्य बनाया है। इन लक्ष्यों की तुलना में, ग्यारहवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान प्राप्त जीडीपी वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत होने का अनुमान है जिसमें कृषि क्षेत्रक में प्राप्त की गई 3.2 प्रतिशत वार्षिक औसत वृद्धि दर शामिल है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दृष्टिकोण-पत्र में कृषि क्षेत्रक के लिए 4 प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य सहित 9 प्रतिशत वार्षिक औसत जीडीपी वृद्धि लक्ष्य की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

आयातित दूरसंचार उपकरणों की जांच हेतु एजेंसी

1384. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी**
श्री जयराम पांगीः
श्री रायापति सांबासिवा रावः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महत्वपूर्ण दूरसंचार उपकरणों के बढ़ते आयात पर विशेष रूप से सुरक्षा की दृष्टि से, चिंता बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निजी कंपनियों सहित सभी सेवा प्रदाताओं द्वारा आयातित सभी उत्पादों और सेवाओं की जांच करने और प्रमाणित करने के लिए एक नोडल एजेंसी स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आयात के जरिए खरीदे गए दूरसंचार उपकरणों पर निगरानी रखने और उनकी जांच हेतु क्या कोई तंत्र मौजूद है।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) दूरसंचार उपकरणों के संबंध में, आयात किए गए उपकरण सहित, सुरक्षा संबंधी चिंता रहती है।

(ख) आजकल, यदि संगठनों, असामाजिक अथवा राष्ट्र-विरोधी गुटों के सदस्यों द्वारा इस बात की कोशिश की जाती है तो इन दूरसंचार उपकरणों को स्पाईवेयर/मालवेयर आदि किए जाने का खतरा रहता है। ऐसे स्पाइवेयर/मालवेयर किए जाने के परिणामस्वरूप संबंधित दूरसंचार उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकता है जिसके कारण सेवाएं बाधित हो सकती हैं अथवा किसी अनजान प्रयोक्ता को कोई सूचना लीक हो सकती है।

(ग) और (घ) सरकार ने दूरसंचार परीक्षण एवं सुरक्षा प्रमाणन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। दूरसंचार उपकरणों के परीक्षण हेतु परीक्षण के मानदंड, कार्यवधि और परीक्षण के उपकरण तैयार करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूरू में एक प्रायोगिक प्रयोगशाला स्थापित की जा चुकी है।

(ङ) दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करने की दृष्टि से, सरकार ने विभिन्न दूरसंचार लाइसेंसों का संसोधन जारी किया है जिसमें यह अधिदेश दिया गया है कि लाइसेंसधारक अपने नेटवर्क में कवेल उन्हीं नेटवर्क घटकों को संस्थापित करेगा जिनका परीक्षण संबंधित मानदंडों वाली किसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी/प्रयोगशाला द्वारा संगत समकालीन भारतीय अथवा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानदंडों के अनुसार करवा लिया गया हो।

ई-कामर्स

1385. **श्री पोन्नम प्रभाकर:**
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत 2015 तक विश्व के शीर्ष 10 ई-कामर्स केन्द्रों में से एक होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) भारत में ई-वाणिज्य में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। अनेक ई-वाणिज्य सेवाएं जैसे एयरलाइन, रेलवे तथा बस टिकट आरक्षण, होटल आरक्षण, ऑनलाइन दुकान, बैंकिंग, उपयोगिकता बिल भुगतान आदि आज उपलब्ध हैं। मोबाइल फोन के प्रसार में वृद्धि (अगस्त, 2011 को 72.12 % टेलीडेन्सिटी), बेहतर सम्पर्क तथा अवसंरचना की प्रदायगी, डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग तथा आकाश टेबलेट्स आदि जैसे किफायती उपकरणों की उपलब्धता से ई-वाणिज्य में आगे और वृद्धि होने की संभावना है।

(ग) सरकार अनेक उपाय कर रही हे जिनसे ई-वाणिज्य का प्रोत्साहन मिलने की आशा है। इनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित है:

- 3जी, वाइमैक्स, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) राष्ट्रीय तंतु प्रकाशिक नेटवर्क (एनओएफएन) तथा राज्य व्यापक क्षेत्र नेटवर्क (स्वान) के अंतर्गत पूरे देश में सुदृढ़ ब्रॉडबैंड सम्पर्क की उपलब्धता।
- सेवाओं की प्रदायगी के लिए राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) के अन्तर्गत 31 मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) का कार्यान्वियन।

विकलांगो के लिए रोजगार

1386. **डॉ. निलेश नारायण राणे:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार में और इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विकलागों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए कोई विशेष अभियान चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान जुलाई, 2011 में पुन: प्रारंभ किया गया था। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 31 मार्च, 2012 तक इन बकाया रिक्तियों को भरने हेतु निदेश दिए गए हैं।

वामपंथी आतंकवाद से प्रभावित जिलों में हवाई पट्टियों का विकास

1387. **श्री जयराम पांगी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिले में एक हवाई पट्टी बनाने और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित (एलडब्ल्यूई)जिलो में हवाई पट्टी बनाने और उसका रख-रखाव करने का है;

(ख) यदि हां, तो ओडिशा सहित उन जिलों के नाम और ब्यौरे क्या है जहां स्थान-वार उक्त हवाई पट्टियां बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) प्रत्येक राज्य में उन जिलों के नाम क्या हैं जहां पर अभी तक हवाई पट्टी नहीं है; और

(ङ) सरकार ने इन स्थानों से वायुवान सेवा शुरू करने के लिए एयरलाइनों को प्रेरित करने और इस बारे में एक स्कीम बनाने के लिए क्या उपाय किए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) सरकार का इस समय देश के प्रत्येक जिले में हवाईअड्डों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) लागू नहीं।

(ग) ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों का विकास भारत सरकार के ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों पर नीति के अंतर्गत किया जाता है। इस नीति के अंतर्गत हवाईअड्डे की स्थापना का प्रस्ताव रखने वाले निजी विकासकर्ता/राज्य सरकार को सैद्धांतिक स्वीकृति के लिए आवेदन करना होता है, जिस पर संबंधित प्राधिकारणों से इनपुट प्राप्त करने के पश्चात मामला-दर-मामला आधार पर सचिव, नागर विमानन की अध्यक्षता वाली स्टीयरिंग समिति द्वारा विचार किया जाता है।

(घ) सरकार ये आंकड़े नहीं रखती है।

(ङ) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन सेवा के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्ग संवितरण दिशा निर्देश जारी किए गए है। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वह यातायात की मांग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता तथा विमान की उपलब्धता के आधार पर विशेष स्थानों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराए। इस प्रकार, एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा निर्देशों के आधार पर कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

लड़कियों के लिए स्कूल

1388. **श्री ए. सम्पत:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नए कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी राशि संस्वीकृत की गई/ किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

परित्यक्त खानों का पुनरूद्धार

1389. **श्री के. सुगुमार:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड का विचार परित्यक्त भूमिगत कोयला खानों के पुनरूद्धार के बारे में अपनी रणनीति परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं और इस बारे में अभी तक उपाय क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या कुछ खानों को परित्यक्त खानों की सूची से हटा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उन कंपनियों के नाम जिन्हें उक्त कोयला खाने विकास हेतु सौंपी गई हैं इन परित्यक्त खानों के विकास कार्य में क्या प्रगति हुई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) कोल इंडिया लि. ने परित्यक्त भूमिगत कोयला खानों के बारे में रणनीति को अभी भी जारी रखा है। तथापि उचित विशेषज्ञता वाली अंतराष्ट्रीय स्तर की विख्यात खनन फर्मों से सूचीबद्ध 10 फर्मों के बीच

सीमित निविदा से वैश्विक खुली निविदा प्रक्रिया में परिवर्तित किया जा रहा है।

(ख) आरंभ में, संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनियों का गठन करके कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की विभिन्न सहायक कंपनियों में पुन: खोलने के लिए 18 खानों की पहचान की गई थी। जेवी भागीदार (रों) के चयन के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के आधार पर निविदा को सीमित करने के लिए 10 पार्टियों की छंटनी की गई थी। इन पार्टियों को निविदाएं जारी की गई थीं किन्तु कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। कुछ सहायक कंपनियों में नए दौर की निविदा प्रक्रिया चल रही है। अंतत: इस कार्रवाई का कोई परिणाम नहीं निकलता तो खुली वैश्विक निविदा के माध्यम से उपयुक्त संयुक्त उद्यम भागीदार (रों) की पहचान करने में प्रयास किए जाएंगे। यदि यह प्रक्रिया सफल हो जायेगी तो इन परित्यक्त/त्यागी गई खानों से उत्पादन कुछ सीमा तक भूमिगत खनन उत्पादन की वृद्धि करने में योगदान करेगा। यदि इन चयनित खानों को पुन: खोलने के प्रचालनों को तकनीकी और किफायती तौर पर संतोषजनक पाया जाएगा तो भविष्य में भूमिगत खानों से उत्पदन में वृद्धि करने के लिए और अधिक परित्यक्त खानों को चालू किया जाएगा।

(ग) और (घ) जी हाँ। झारखंड राज्य में भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) की तीन खानों अर्थात गजलीटांड़ इंडस्ट्रीज और कुजामा को प्रारंभिक 18 परित्यक्त खानों की सूची से हटा दिया गया है क्योंकि उन्हें बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा विभागीय तौर पर खनित किए जाने का प्रस्ताव था।

एएमयू केन्द्रों को अनुदान

1390. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नए केन्द्रों की स्थापना के लिए अनुदान जारी किए हैं;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कौन से मानदंड अपनाए गए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख)अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है तथा यह इस अधिनियम तथा इसके तहत बनाई गई संविधियों और अध्यादेशों द्वारा अभिशासित होता है। संविधियों के उपबंधों के अनुसार, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के विजिटर की हैसियत से, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से मालापुरम (केरल) तथा मुर्शिदावाद (पश्चिम बंगाल) में अपने केन्द्रों की स्थापना की है। सरकार द्वारा 2009-10 में इन दोनों केन्द्रों के लिए प्रत्येक को 25 करोड़ रु. तथा वर्ष 2010-11 में प्रत्येक को 50 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बताया है कि उसने वर्ष 2009-10 के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को (मालापुरम के लिए 10 करोड़ रु. तथा मुर्शिदाबाद केन्द्र के लिए 25 करोड़ रुपए) 3.5.00 करोड़ रु. की राशि जारी की है। पहले वितरित की गई राशि के उपयोग के वितरण के प्राप्त न होने के कारण, विश्वविद्यालय को वर्ष 2010-11 में कोई रिलीज नहीं की गई है।

कर्नाटक में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कोई केन्द्र नहीं है।

भारतीयों के विरूद्ध जातीय हिंसा

1391. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में, विशेषरूप से आस्ट्रेलिया और यूएसए में भारतीयों को हिरासत में लिया गया/जातीय हिंसा का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो 2010 और चालू वर्ष में, देश-वार ऐसे कितने मामले हुए; और

(ग) विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) विदेश स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारतीय नागरिकों पर किए गए हमलों के कुछ मामले उनके ध्यान में आए हैं। वर्ष 2010 और 2011 के दौरान रिपोर्ट किए गए ऐसे मामलों की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है:-

क्र.सं.	देश का नाम	सूचित हमलों के मामले की कुल संख्या
1.	आस्ट्रेलिया	वर्ष-2010 -103 मामले
		वर्ष-2011 (जनवरी से नवम्बर तक) - 15 मामले
2.	संयुक्त राज्य अमेरिका	वर्ष 2010 - 3 मामले
3.	यूक्रेन	वर्ष 2011 - 3 मामले

(ग) सरकार द्वारा आस्ट्रेलिया में भारतीयों पर हो रहे हमलों के मामले को मंत्री स्तर सहित, उच्चायोग और आस्ट्रेलिया के उनके कान्सुलेटों के माध्यम से, उच्च स्तर पर उठाया गया है। आस्ट्रेलियाई सरकार को यह बात दिया गया है कि आस्ट्रेलिया में सभी भारतीयों की रक्षा व सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी, आस्ट्रेलियाई प्राधिकरणों की थी। भारतीय मिशन/ कान्सुलेट संघीय और राज्य दोनों स्तरों पर, नियमित रूप से आस्ट्रेलियाई प्राधिकरणों के सम्पर्क में रहते हैं। इसका परिणाम रक्षा व सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए, बनाए गए कई उपायों के रूप में निकला। वे संरक्षण और सहायता प्रदान करने और रिपोर्ट किए गए हमलों के सभी मामलों का अनुकरण करने के लिए, भारतीय समुदाय के निरन्तर सम्पर्क में रहते है। आस्ट्रेलियाई प्राधिकरणों द्वारा उठाये गए कदम उपयोगी सिद्ध हुए हैं, जैसा कि हाल ही के महीनों में, हमलों की संख्या में पर्याप्त कमी से प्रदर्शित होता है।

इसी प्रकार, संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय मिशनों/पोस्टों ने, भारतीय नागरिकों की रक्षा करने के लिए, इस मामले को अमरीकी स्थानीय प्राधिकरणों के साथ उठाया है और वे आवधिक रूप से अमरीकी स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई का अध्ययन करते हैं।

यूक्रेन में भारतीय मिशन ने इस मामले को, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधार करने, जांच करने और अन्य उपयुक्त उपाय करने की मांग करते हुए, उपयुक्त स्तर पर स्थानीय प्राधिकरणों के साथ पूरी शक्ति से उठाया है। उनहोंने भारतीय समुदाय के सदस्यों को यात्रा एवं सुरक्षा परामर्श जारी किए हैं।

[हिन्दी]

अन्य देशों में एयर इंडिया की सेवाएं

1392. श्री जगदीश सिंह राणा:
श्रीमती उषा वर्मा:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्री महेश्वर हजारी:
श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री रमेश बैस:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को अंतर्राष्ट्रीय रूटों और विदेशी एयरलाइनों को घरेलू रूटों पर उड़ान भरने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन शहरों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस की सेवाएं उपलब्ध हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस की घरेलू/अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं का विस्तार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त समझौते के परिणामस्वरूप लाभप्रद घरेलू रूट विदेशी एयरलाइनों के पास चले गए हैं और घाटे वाले विदेशी रूट एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन के पास आ गए हैं;

(च) यदि हां, तो क्या उक्त समझौते के परिणामस्वरूप एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन घाटे में चल रही हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, हां। तथापि, विदेशी एयरलाइनें घरेलू मार्गों पर उड़ान नहीं भरती हैं।

(ख) एअर इंडिया इन अंतर्राष्ट्रीय स्टेशनों पर प्रचालित करती है: कोलंबो, काबुल, काठमांडू, माले, यांगून बैंकाक, सिंगापुर, हांगकांग, टोक्यो, ओसाका, सियोल, शंघाई, अबुधाबी, दम्मम, दुबई, जेद्दह, कुवैत, मस्कट, रियाध, शारजाह, लंदन, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, न्यूयार्क, शिकागो और टोरंटो।

(ग) और (घ) एअर इंडिया, एक व्यावसायिक संगठन होने के नाते, समय-समय पर संवृद्धि संभाव्यता के साथ नए बाजार की पहचान के लिए बाजार अध्ययनों को कार्यान्वित करती है और नए गंतव्यों के लिए उड़ानों की संभाव्यता का मूल्यांकन करती है एवं उपलब्ध संसाधनों के साथ अपने नेटवर्क का विस्तार करती है।

(ङ) से (छ) जी, नहीं।

मोबाइल नम्बरों का आबंटन

1393. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री प्रताप सिंह बाजवा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न दूरसंचार कंपनियों को बड़ी संख्या में आबंटित मोबाइल नम्बर उपयोग में नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सेवा प्रदाता सहित उक्त मोबाइल फोन नम्बरों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आबंटित नम्बरों के उपयुक्त उपयोग हेतु शुल्क वसूलने/दूरसंचार आपरेटरों के नम्बर आबंटित करने के लिए प्रभार वसूलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इन नम्बरों के उपयुक्त उपयोग हेतु क्या उपाय किये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) दूरसंचार लाइसेंसधारकों को पहले से आवंटित मोबाइल नम्बर श्रृंखला के उपयोग की स्थिति के मानदंड के आधार पर नई मोबाइल नम्बर श्रेणी का आवंटन किया जाता है।

(ख) विभिन्न सेवा प्रदाताओं को आवंटित मोबाइल फोन नंबरों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टेलीफोन नंबरों के आवंटन पर दूरसंचार प्रचालकों से शुल्क वसूलने का सुझाव नहीं दिया है। साथ ही इस समय सरकार का सेवा प्रदाताओं से शुल्क वसूलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) इससे पहले दूरसंचार प्रचालकों को नम्बरों की श्रेणी के आवंटन का मानदण्ड एचएलआर (होम लोकेशन रजिस्टर) आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ताओं की संख्या पर आधारित था। इस मानदण्ड के अनुसार, जब लाइसेंसधारक (एचएलआर आंकड़े के अनुसार) के उपभोक्ताओं की संख्या पहले से आवंटित मोबाइल नंबरों के 60 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो उन्हें नई मोबाइल नम्बर श्रृंखला का आवंटन किया जाता था।

मोबाइल नम्बरों के और कुशल उपयोग की सुनिश्चितता के लिए अब आवंटन संबंधी मानदण्ड वीएलआर (विजिटर लोकेशन रजिस्टर) आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ताओं की संख्या पर आधारित है।

विवरण

विभिन्न सेवा प्रदाताओं को आवंटित मोबाइल फोन नम्बर

क्र.सं.	लाइसेंसधारक कंपनी का नाम	मोबाइल नम्बर (लाख में)
1	2	3
1.	एयरसेल ग्रुप कंपनीज	1000
2.	भारती एयरटेल लिमिटेड/भारती हैक्साकॉम लि.	2710
3.	बीएसएनएल	1634
4.	एटीसलाट डीबी टेलीकॉम प्राइवेट लि./एलायेंज इन्फ्राटेक (प्रा.) लि.	150

1	2	3
5.	आइडिया सेलूलर लि./आदित्य बिरला टेलीकॉम लि.	1470
6.	लूप मोबाइल (इंडिया) लि./लूप टेलीकाम लि.	270
7.	एमटीएनएल	60
8.	क्वाडरेंट टेलीवेंचर्स लि.	40
9.	रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लि./रिलायंस टेलीकॉम लि. (जीएसएम/सीडीएमए)	2460
10.	एसटेल प्रा.लि.	100
11.	सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि. (सीडीएमए)	350
12.	स्पाइस कम्युनिकेशन्स लि.	200
13.	टाटा टेलीसर्विसेज लि./टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लि. (जीएसएम/सीडीएमए)	2010
14.	यूनिटेक वायरलेस ग्रुप कंपनीज	550
15.	विडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशन्स लि.	320
16.	वोडाफोन एस्सार ग्रुप कंपनीज	2260
	कुल	15584

सुरक्षा जांच से छूट प्राप्त नागरिक

1394. श्री मकन सिंह सोलंकी:
श्री हरि मांझी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के कुछेक नागरिकों को हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच से छूट प्रदान की हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे नागरिकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नागरिकों से छूट का आधार और कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायत मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इन पर क्या कार्रवाई की है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जी, हां। देश में सिविल हवाईअड्डों पर भारतीय नागरिक जिन्हें सुरक्षा जांच से मुक्त रखा गया है की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) विशेष वर्ग के नागरिकों को सुरक्षा जांच से मुक्ति सुरक्षा कारणों, प्रोटोकॉल तथा सरकार में उनको पदवी द्वारा पद ग्रहण करने जैसे कारणों पर दी जाती है।

(घ) और (ङ) कुछ व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त होती हैं जो कि सुरक्षा जांच से छूट चाहते हैं। उनके साथ यथावश्यक कार्रवाई की जाती है।

विवरण

सं. सीएएस. 7(2)/2004-डीआईवी-1
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो
(नागर विमानन मंत्रालय)
भारत सरकार
'ए' विंग, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 4/11/2009

ए.वी.एस.ई.सी. आदेश सं. 06/2009

विषय: नागरिक हवाईअड्डों पर आरोहण-पूर्व सुरक्षा जांच से छूट

एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की धारा 5ए, खंड (ई) तथा धारा 5 की उपधारा (2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय अधिसूचना सं. 1797 दिनांक 3 जुलाई, 1997 द्वारा प्रत्यायोजित सुरक्षा आयुक्त, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो यह निदेश देती है कि निम्नलिखित अति विशिष्ट व्यक्तियों/विशिष्ट व्यक्तियों तथा उनके साथ यात्रा कर रहे उनके पति/पत्नी को देश में सारे सिविल हवाईअड्डों पर आरोहण पूर्व सुरक्षा जांच से छूट दी जाती है:

1. राष्ट्रपति
2. उप-राष्ट्रपति
3. प्रधानमंत्री
4. राज्यों के राज्यपाल
5. पूर्व राष्ट्रपति
6. पूर्व उप राष्ट्रपति
7. भारत के मुख्य न्यायाधीश
8. लोक सभा के अध्यक्ष
9. केबिनेट स्तर के केन्द्रीय मंत्री
10. राज्यों के मुख्य मंत्री
11. राज्यों के उप मुख्य मंत्री
12. उपाध्यक्ष, योजना आयोग
13. लोक सभा और राज्य सभा में विपक्ष के नेता
14. भारत रत्न से नवाजे गए व्यक्ति
15. विदेशों के राजदूत, चार्ज डी अफेयर्स तथा उच्चायुक्त और उनकी विवाहिती
16. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
17. मुख्य चुनाव आयुक्त
18. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
19. उपाध्यक्ष राज्य सभा तथा लोक सभा के उपाध्यक्ष
20. केन्द्रीय मंत्री परिषद के राज्य मंत्री
21. भारत के अटोर्नी जनरल
22. केबिनेट सचिव
23. संघ शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल
24. पूर्ण जनरल रैंक अथवा इसके समकक्ष रैंक धारित चीफ ऑफ स्टाफ
25. उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश
26. संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्री
27. संघ शासित क्षेत्रों के उप मुख्यमंत्री
28. उपर्युक्त क्रम सं. 1 से 4, 7, 8, 9 के समान पद के विदेशी आगंतुक शिष्टमंडल
29. माननीय दलाई लामा
30. एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति
31. श्री रोबर्ट वाडरा, जब एसपीजी की सुरक्षा के साथ यात्रा कर रहे हों।

2. भारत के राष्ट्रपति के पति/पत्नी को जब वे राष्ट्रपति के साथ सफर न कर रहे हों तब भी सभी सिविल हवाईअड्डों पर सुरक्षा जांच से छूट दी जाती है।

3. भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को भी देश के सभी सिविल हवाईअड्डों पर आरोहण पूर्व सुरक्षा जांच से छूट दी जाती है।

4. इसे सुरक्षा आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है; तथा इसे ब्यूरो के परिपत्र सं. 6/2008 दिनांक 4/9/2008 का अतिक्रमण करते हुए जारी किया जाता है।

हस्ता.
(एम. मालवीय)
भा.पु.से.
अपर सुरक्षा आयुक्त (सी.ए.)

वितरण: संलग्न सूची के अनुसार

सीबीआई जांच हेतु मामले

1395. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में सीबीआई को जांच हेतु राजस्थान सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा राज्य-वार/वर्ष-वार, सौंपे गए मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार कितने मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और कितने मामले लंबित हैं; और

(ग) सरकार ने लंबित जांच रिपोर्टों पर क्या कार्रवाई की है तथा तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) वर्ष 2008, 2009, 2010 और 2011 (30.10.2011 तक) के दौरान, विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को आन्वेषण के लिए कुल 178 मामले सौंपे हैं। 178 मामलों में से, 08 मामले (सभी 2011 में) राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे गए हैं। राज्यों द्वारा भेजे गए मामलों का राज्य-वार ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

इन मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है:

वर्ष	राज्य सरकारों द्वारा संदर्भित मामलों की संख्या
2008	42
2009	36
2010	33
2011 (30.10.2011 तक)	67
कुल	178

राजस्थान से संबंधित मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है:

वर्ष	मामलों की संख्या
2011	08

(ख) 30.10.2011 की स्थिति के अनुसार, 99 मामलों में अन्वेषण पूरा कर लिया गया है, जबकि 79 मामले अन्वेषण के विभिन्न स्तर पर हैं। राज्यों द्वारा संदर्भित मामलों का राज्य-वार ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कानून के अंतर्गत विहित प्रक्रिया के अनुसार अन्वेषण करता है। केन्द्र सरकार की अन्वेषण में कोई भूमिका नहीं निभानी होती है। तथापि केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं, अर्थात केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की नव गठित 8 शाखाओं में 336 पदों, 71 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों के लिए लोक अभियोजकों, निरीक्षकों, हवालदारों और स्टेनो लिपिक के 284 पदों, भारतीय जाली करेन्सी नोट प्रकोष्ठ में विबिन्न रैंक के 25 पदों का सृजन किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न ग्रेडों में 62 पदों की पुनः बहाली की गई है। प्रस्तावित 71 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों में से 70 न्यायालयों की मंजूरी दे दी गई है। अन्वेषण के लिए लम्बित मामलों के यथाशीघ्र निबटान के लिए, ई-शासन के अंतर्गत, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की आई.सी.टी. आधारभूत संरचना को अपग्रेड किये जाने संबंधी क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए 40.53 करोड़ रुपये के परिव्यय पर चार वर्ष के लिए अनुमोदित की गई एक योजनागत स्कीम कार्यान्वयनाधीन है।

[अनुवाद]

चीन द्वारा भारत का गलत मानचित्र

1396. श्री ताराचन्द्र भगोराः
श्रीमती सुशीला सरोजः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एक चीनी कंपनी ने भारत के मानचित्र के तथ्यों को गलत दिखाते हुए लद्दाख और अरूणाचल प्रदेश की चीन का भाग और-अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान का भाग दर्शाया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या उक्त नक्शे के मामले में भारत में चीन के राजदूत की एक रिपोर्टर के साथ तीखी झड़प हुई;

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विगत तीन वर्षों में भारत सरकार ने उपर्युक्त मुद्दे सहित विभिन्न भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में चीन के साथ उठाई गई आपत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस बारे में चीन की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) चीन भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को विवादित मानता है। पूर्वी सेक्टर में चीन अरूणाचल प्रदेश राज्य में भारतीय भूभाग के लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर दावा करता रहा है। जम्मू व कश्मीर मे चीन द्वारा अधिकृत भारतीय भूभाग लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर है। इसक अतिरिक्त, 2 मार्च, 1963 को चीन और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित तथाकथित चीन-पाकिस्तानी "सीमा करार" के तहत पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय भूभाग का 5,180 वर्ग कि.मी. हिस्सा अवैध रूप

से चीन को सौंप दिया है। चीन जम्मू व कश्मीर राज्य को एक विवाद मानता है, जिसका भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के माध्यम से समुचित समाधान निकाला जाना चाहिए। चीनी कंपनी, चीन के जिनजियांगा स्वायत्त क्षेत्र के एक शिष्टमंडल का भाग, ने व्यवसाय से जुड़े एक कार्यक्रम में चीनी दावों को दर्शाने वाले एक मानचित्र सहित पुस्तिका वितरित की थी। इस मुद्दे पर भारत में चीनी राजदूत और भारतीय मीडिया के बीच विचारों का आदान-प्रदान किया गया था। सरकार ने इस मामले को चीन के साथ उठाया है। सरकार की यह स्पष्ट एवं दृढ़ स्थिति है कि अरूणाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर भारत के अभिन्न भाग हैं, जिसके बारे में चीन को कई अवसरों पर तथा सर्वोच्चस्तर पर अवगत करा दिया गया है।

[हिन्दी]

कैपचर द वाल स्ट्रीट

1397. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूएसए में चल रहे कैपचर द वाल स्ट्रीट प्रदर्शन जो दुनिया के 80 देशों में फैल चुका है, का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस आन्दोलन का भारत पर कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) सरकार को ऑकूपाई द वाल स्ट्रीट के बैनर के तहत संयुक्त राज्य (अमेरिका) में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बारे में पता है। सरकार ने अन्य देशों में भी इसी प्रकार के विरोध प्रदर्शनों के बारे में रिपोर्टें देखी हैं। अब तक इस बात का कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि इन कार्यकलापों का भारत पर कोई प्रभाव पड़ा हो।

[अनुवाद]

विमानन अवसंरचना और सुरक्षा हेतु समिति

1398. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में विमानन अवसंरचना और सुरक्षा को बेहतर बनाने हेतु गठित समितियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी समितियों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) यदि, नहीं, तो समिति-वार इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (घ) (i) इस मंत्रालय द्वारा 2010 में एक समिति का गठन, सुरक्षा कैबिनेट समिति के हवाईअड्डे तथा नागर विमानन की व्यापक सुरक्षा समीक्षा को स्वरूप देने के संबंध में दिए गए आदेश के अनुसार किया गया था। इस समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आवश्यक कार्रवाई पहले ही कर ली गई है।

(ii) इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट, नई दिल्ली से संबंध होस्पिटलिटि एवं अन्य क्षेत्रों का सुरक्षा सर्वेक्षण करने के लिए 2011 में एक समिति का गठन किया गया था। इस संबंध में रिपोर्ट अंतिम चरण में है।

डायस्पोरा युवाओं हेतु कार्यक्रम

1399. **श्री जे. एम. आरून रशीद:** क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार डायस्पोरा युवाओं को भारत के बारे में जानकारी देने के संबंध में कोई कार्यक्रम चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार डायस्पोरा के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी नहीं। देश में सांसद के अधिनियम के माध्यम से एनआरआई/पीआईओ विश्वविद्यालय स्थापित करने का एक प्रस्ताव था। तथापि, इसी बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक इनोवेशन यूनिवर्सिटीस बिल का प्रारूप तैयार किया। इसमें प्रस्तावित पीआईओ यूनिवर्सिटी बिल जैसे ही प्रावधान समाविष्ट थे। अत: यह निर्णय लिया गया कि पीआईओ यूनिवर्सिटी, इनोवेशन एक्ट (संसद द्वारा इसके अनुमोदित होने पर) के अन्तर्गत स्थापित की जायेगी।

विवरण

भारत जानो कार्यक्रम (केआईपी)

मंत्रालय का भारत जानो कार्यक्रम, भारत में जीवन के विभिन्न पहलुओं की जागरूकता बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों, अर्थात, औद्योगिकी, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार और सूचना प्रोद्योगिकी तथा संस्कृति, में देश द्वारा की गई प्रगति, की दृष्टि से संचालित डायस्पोरा युवाओं के लिए तीन सप्ताह का एक अभिमुखीकरण कार्यक्रम है। इन्हें एक अथवा दो राज्य सरकारों के साथ भागीदारी से संचालित किया जाता है।

18-26 वर्ष के आयु समूह में भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ), भागीदारों का चयन विदेश स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों के प्रमुखों से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। चुने हुए भागीदारों को कार्यक्रम की अवधि के दौरान भारत में पूरा आतिथ्य प्रदान किया जाता है। उनके द्वारा सफलता पूर्वक कार्यक्रम पूरा करे लेने पर, भागीदारों को हवाई टिकट की पूरी लागत (कम से कम इकोनॉमी पर्यटक किराया) का 90% (नब्बे प्रतिशत) प्रत्यर्पणीय है। अभी तक प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा 18 भारत जानो कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

भागीदार राज्य के रूप में राजस्थान राज्य के साथ, 19वां भारत जानो कार्यक्रम, 21.12.2011 से 10.01. 2012 तक आयोजित किया जाना निर्धारित है और यह जयपुर, राजस्थान में आयोजित किए जाने वाले प्रवासी भारतीय दिवस-2012 के साथ ही होगा।

[हिन्दी]

सिटीजन चार्टर का क्रियान्वयन

1400. श्री राकेश सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी विभागों में सिटीजन चार्टर के क्रियान्वयन हेतु जनता तथा विभिन्न स्टेकधारकों की राय मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागरिक शिकायत समाधान अधिकार विधेयक का प्रारूप जन लोकपाल विधेयक के प्रारूप से अलग है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) सरकार द्वारा "शिकायत निवारण नागरिक अधिकार विधेयक" नामक एक प्रारूप विधेयक का प्रस्ताव किया गया है जो सार्वजनिक प्राधिकरणों के नागरिक चार्टरों में यथा उल्लिखित वस्तुओं की समयबद्ध प्रदायगी और सेवाओं तथा शिकायतों के निवारण के लिए प्रावधान को अनिवार्य बनाता है। आम जनता की टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए इस प्रारूप विधेयक को 2 नवम्बर, 2011 को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की वेबसाइट पर रख दिया गया है। राज्य सरकारों जैसे विभिन्न स्टेकहोल्डरों से भी मत मांगे गए हैं। अधिनियमन के लिए विधेयक को संसद में पेश करने से पूर्व इन मतों पर विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) शिकायत निवारण नागरिक अधिकार विधेयक के प्रारूप में निर्धारित समयावधि के भीतर नागरिक चार्टर में यथा उल्लिखित लोक सेवा प्रदायगी हेतु अधिकार और शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था कराने का प्रस्ताव है। संसद में प्रस्तुत लोकपाल विधेयक प्रारूप में कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए केन्द्र में एक लोकपाल संस्था की स्थापना करने का प्रस्ताव है। सिविल सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित जन लोकपाल विधेयक भ्रष्टाचार एवं लोक शिकायत के निवारण दोनों से संबंधित है।

[अनुवाद]

द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रम

1401. श्री अधलराव पाटील शिवाजी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विश्वविद्यालय क्षेत्र में भारत तथा अन्य राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना को बंद करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क)और (ख) सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निम्नलिखित 39 देशों के साथ शैक्षिक आदान-प्रदान तथा

सहयोगात्मक कार्यक्रम सम्पन्न किए हैं जो विश्वविद्यालयों सहित अंतर-संस्थागत संबंधों को बढ़ावा दने का काम करते हैं।

1. अफगानिस्तान
2. आर्मेनिया
3. ऑस्ट्रेलिया
4. बोत्सवाना
5. ब्राजील
6. कनाडा
7. चिली
8. चीन
9. क्रोएशिया
10. चेक गणराज्य
11. इक्वाडोर
12. इथियोपिया
13. फ्रांस
14. गुयाना
15. हंगरी
16. इंडोनेशिया
17. इजरायल
18. कुवैत
19. मलेशिया
20. मेक्सिको
21. मंगोलिया
22. मोजम्बीक
23. म्यांमार
24. न्यूजीलैंड
25. नॉर्वे
26. ओमान
27. पूर्तगाल
28. रवांडा
29. सऊदी अरब
30. दक्षिण अफ्रीका
31. श्रीलंका
32. सीरिया
33. तंजानिया
34. थाईलैण्ड
35. तुर्कमेनिस्तान
36. युनाइटेड किंगडम
37. संयुक्त राज्य अमेरिका
38. उज्बेकिस्तान
39. वियतनाम

(ग) जी, नहीं

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ये आदान-प्रदान कार्यक्रम विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों का हिस्सा हैं जो पारस्परिक हितों को पूरा करते हैं।

आचरण तथा शिष्टाचार संहिता

1402. श्री रामसिंह राठवा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्यों तथा विधायकों के साथ चर्चा करते समय तथा उनके द्वारा लिए गए पत्रों पर आवश्यक कार्रवाई करते समय सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले आचरण तथा शिष्टाचार संहिता के संबंध में संकल्पों, आदेशों तथा निदेशों पर कोई परिपत्र जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो जारी किए अनुदेशों की प्रकृति और तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी):(क) और (ख) सरकार ने सांसदों एवं विधायकों के संबंध में सरकारी पदाधिकारियों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आचरण के संबंध में समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

(i) सरकारी सेवकों को सांसादों एवं विधायकों के प्रति शिष्टाचार एवं सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए; और

(ii) यद्यपि सरकारी सेवकों को, सांसद एवं विधायक को जो कुछ भी बताना होता है, उस पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए अथवा ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए अथवा धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, फिर भी, सरकारी सेवक को सदा अपने सर्वोत्तम विवेक तथा नियमों के अनुसार ही कार्य करना चाहीए।

(iii) किसी सदस्य के साथ मुलाकात के लिए तय किए समय से किसी प्रकार का विचलन होने पर संभावित असुविधा से बचने के लिए उन्हें तुरंत स्पष्ट किया जाना चाहिए। उनसे परामर्श करके मुलाकात के लिए नया समय तय किया जाना चाहिए।

(iv) अधिकारी को अपने पास आने वाले किसी सदस्य का स्वागत करने के लिए तथा विदाई करने के लिए अति सावधानीपूर्वक शिष्ट व्यवहार करना चाहिए तथा खड़े होकर स्वागत करना चाहिए।

(v) किसी सरकारी कार्यालय द्वारा आयोजित किसी सार्वजनिक समारोह में क्षेत्र के सांसदो/विधायकों को निरपवाद रूप से आमंत्रित करना चाहिए। सार्वजनिक समारोहों में उनके बैठने के लिए उचित एवं सुविधाजनक व्यवस्था की जानी चाहिए।

(vi) जहां सरकार द्वारा बुलाई गई किसी बैठक में सांसद को उपस्थित होना हो, वहां उनहें बेठक की तिथि, समय, स्थल आदि के संबंध में समय पर सूचना देना सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि छोटे-से-छोटे ब्यौरे में भी कोई त्रुटि नहीं रह जाए। यह सुनिश्चित करना चाहिए-

(क) कि माननीय सांसदों को द्रुत संचार साधनों के माध्यम से सार्वजनिक बैंठकों/समारोहों संबंधी सूचनाएं भिजवा दी जाएं ताकि वे उन्हें समय पर प्राप्त कर सकें तथा

(ख) कि सदस्य द्वारा सूचना की पावती को संबंधित अधिकारी/प्रदाधिकारी द्वारा अभिपुष्ट कर दिया है।

(vii) सांसदों तथा विधायकों के पत्रों की तुरंत पावती भेजी जानी चाहिए तथा उपयुक्त स्तर से उत्तर भी शीघ्र ही भेजा जाना चाहिए।

(viii) स्थानीय महत्व के मामलों से संबंधित जानकारी अथवा आँकड़े सांसदों तथा विधायकों के मांगने पर उन्हें अवश्य प्रस्तुत किए जाएं। यदि अनुरोध को अस्वीकार भी करना हो, तब भी उच्चतर प्राधिकारी से अनुदेश प्राप्त किए जाने चाहिए।

(ix) किसी सरकारी सेवक को अपने व्यक्तिगत मामलों के लिए सांसदों/ विधायकों से सम्पर्क नहीं करना चाहिए; और

(x) संसद की समितियों से प्राप्त संदर्भों पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष स्तर के किसी वरिष्ठ अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।

(xi) अधिकारियों को उनकी अनुपस्थिति में सांसदों/विधायकों द्वारा उनके लिए छोड़े गए दूरभाषा से प्राप्त सन्देश की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए तथा संबंधित सांसद/विधायक से यथाशीघ्र सम्पर्क करने का प्रयास करना चाहिए।

2. अनुदेशों में व्यवस्था की गई है कि इस विषय पर निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए तथा इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर गंभीरतापूर्वक जांच की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

लंबित परियोजनाओं का अनुमोदन

1403. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक केन्द्र सरकार के पास अनुमोदनार्थ लंबित राज्य-वार परियोजनाएं कौन सी हैं तथा ये परियोजनाएं किस तारीख से लंबित पड़ी हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के लंबित रहने के कारण क्या हैं तथा इन्हें कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ङ) भारत सरकार, राज्यों के समग्र विकास के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से अनेक केन्द्र प्रायोजित और राज्य योजना स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है। केन्द्रीय मंत्रालय, कार्यक्रम दिशानिदेशों के आधार पर ऐसी स्कीमों के तहत राज्य की योजनाओं/परियोजनाओं को अनुमोदित करते हैं और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दिशानिदेशों के अध्यधीन किस्तों में निधियां जारी करते हैं।

योजना आयोग, राज्य की वार्षिक योजना में शामिल किए जाने के लिए, अंतर-राज्यीय शाखाओं वाली सिंचाई परियोजना हेतु निवेश संबंधी मंजूरी प्रदान करता है। यह मंजूरी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत निधियों की प्राप्ति हेतु परियोजनाओं को शामिल करवाने के लिए भी अपेक्षित है। फिलहाल, कोई भी सिंचाई परियोजना योजना आयोग की मंजूरी के लिए लंबित नहीं है।

इसके अतिरिक्त, योजना आयोग एक बारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता/विशेष योजना सहायता के तहत राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव भी स्वीकृत करता है और वित्त मंत्रालय को निधियां जारी करने की सिफारिश करता है। योजना आयोग में उपयुक्तता संबंधी जांच के लिए इस प्रकार के लंबित प्रस्तावों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है और निर्णय यथाशीघ्र लिए जाएंगे।

विवरण

वार्षिक योजना 2011-12 के दौरान एक बारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता/विशेष योजना सहायता के लिए लंबित प्रस्तावों की सूची

क्रमांक	राज्य का नाम	क्षेत्रक/परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	राज्य सरकार से प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख
1	2	3	4	5
1.	मध्य प्रदेश	(क) फीडर ऑपरेशन अंडर एनर्जी	80.00	06.08.2011
		(ख) स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना	60.00	06.08.2011
2.	गुजरात	(क) ड्रिप/लिफ्ट (सूक्ष्म सिंचाई स्कीम)	100.00	31.10.2011
		(ख) गुजरात के जनजातीय क्षेत्र में पशुधन नस्ल सुधार कार्यक्रम	106.31	31.10.2011
3.	पश्चिम बंगाल	(क) दक्षिण 24 परगना के नामखाना ब्लॉक में हरिपुर जीपी में डी.के. चंदनपीरी और डी.के. चंदननगर को जोड़ने वाले, सुंदरीका और द्वारिका के ऊपर आरसीसी पुल का निर्माण	10.09	14.11.2011
		(ख) दक्षिण 24 परगना जिले में बसंती हीरोभंगा सड़क पर खरखली बाजार से हीरोभंगा नदी पर जेट्टी घाट तक की सड़क का सुधार	7.42	14.11.2011

1	2	3	4	5
4.	कर्नाटक	(क) प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान और जिला प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ करना	10.00	28.09.2011
5.	त्रिपुरा	(क) त्रिपुरासुंदरी एचएस स्कूल, उदयपुर, दक्षिण त्रिपुरा की अवसंरचना का उन्नयन	5.00	21.9.2011
		(ख) उदयपुर बालिका एचएस स्कूल, उदयपुर, दक्षिण त्रिपुरा की अवसंरचना का उन्नयन	5.00	21.9.2011
		(ग) चन्द्रैपारा एचएस स्कूल, अम्बास्सा, धलाई त्रिपुरा की अवसंरचना का उन्नयन	5.00	21.9.2011
		(घ) बेलोनिया विद्यापीठ एचएस स्कूल, बेलोनिया, दक्षिण त्रिपुरा की अवसंरचना का उन्नयन	2.75	21.9.2011
		(ङ) कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली में त्रिपुरा भवन का पुनर्निर्माण	10.41	24.10.2011
		(च) समग्र स्वच्छता अभियान	7.00	5.11.2011
6.	ओडीशा	ईको-पर्यटन का विकास	2.00	12.09.2011

[अनुवाद]

सूचना का अधिकार अधिनियम का कवरेज

1404. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्री गोपीनाथ मुंडे:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जन सेवा प्रदान करने वाली सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाएं, पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन तथा निजी कंपनियों सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में आती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार यह लोक प्राधिकारियों पर लागू है जिसमें सरकार के स्वामित्व वाले, नियंत्रण वाले और सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किए जाने वाले निकाय और ऐसे गैर सरकारी संगठन शामिल हैं जिन्हें उपयुक्त सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पर्याप्त धनराशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 2(एफ) के अनुसार किसी भी गैर सरकारी निकाय से संबंधित सूचना, जो कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की जा सकती है, पहले से ही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्य क्षेत्र में आती है। सरकारी निजी भागीदारी व्यवस्था से संबंधित कोई सूचना जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रकट किया जा सकता है, उक्त व्यवस्था में शामिल होने वाले लोक प्राधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

आईएएस अधिकारियों की स्वीकृत संख्या

1405. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आईएएस अधिकारियों की केन्द्र और राज्य-वार वास्तविक आवश्यकता/स्वीकृत संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनकी कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कमी को दूर करने के लिए और आर्थिक आईएएस अधिकारियों की भर्ती करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (च) दिनांक 1.1.2011 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों तथा पदासीन आईएएस अधिकारियों की प्राधिकृत पद संख्या संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी राज्य संवर्गों पर भारित होते हैं। आईएएस के कुल प्राधिकृत पदों की संख्या में केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व के अन्तर्गत आने वाले पद भी सम्मिलित हैं, जो वरिष्ठ ड्यूटी पदों का 40% है।

आईएएस अधिकारियों की संख्या की अपेक्षा सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के बीच अन्तराल है। देश में विकासात्मक क्रियाकलापों इत्यादि में वृद्धि होने के कारण आवधिक संवर्ग समीक्षा के जरिए आईएएस अधिकारियों की अपेक्षा/स्वीकृत पद संख्या में वृद्धि हुई है। सीधी भर्ती के अधीन आईएएस का अंत:ग्रहण भी पिछले 5 वर्षों के दौरान बढ़ा है जैसा कि निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है:-

सीएसई वर्ष	आईएएस अधिकारी का अंत:ग्रहण
2007	111
2008	119
2009	132
2010 (रिक्तियां)	151
2011 (रिक्तियां)	170

पदोन्नति कोटा में कमी को, पदोन्नति कोटा में अग्रिम/शीघ्र रिक्ति निर्धारण करके और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन समिति की बैठकों को समय पर आयोजित कर कम किया जा रहा है।

विवरण

दिनांक 1.1.2011 को भारतीय प्रशासनिक सेवा में कमी

क्र.सं.	संवर्ग	कुल प्राधिकृत संख्या	दिनांक 1.1.2011* को पदासीन कुल अधिकारी	कमी (3-4)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	347	296	51
2.	एजीएमयू	337	217	120
3.	असम-मेघालय	248	208	40
4.	बिहार	326	203	123
5.	छत्तीसगढ़	178	118	60
6.	गुजरात	260	218	42

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	205	178	27
8.	हिमाचल प्रदेश	129	108	21
9.	जम्मू और कश्मीर	137	92	45
10.	झारखण्ड	208	108	100
11.	कर्नाटक	299	225	74
12.	केरल	214	163	51
13.	मध्य प्रदेश	369	303	66
14.	महाराष्ट्र	350	307	43
15.	मणिपुर-त्रिपुरा	207	145	62
16.	नागालैण्ड	91	54	37
17.	ओडिशा	226	158	68
18.	पंजाब	221	172	49
19.	राजस्थान	296	187	109
20.	सिक्किम	48	35	13
21.	तमिलनाडु	355	293	62
22.	उत्तराखंड	120	85	35
23.	उत्तर प्रदेश	592	384	208
24.	पश्चिम बंगाल	314	231	83
	कुल	6077	4488	1589

*इसमें सिविल सेवा परीक्षा, 2009 के आधार पर आवंटित संवर्गों के अधिकारियों की संख्या भी सम्मिलित है, जिन्होंने 01.01.2011 से पहले कार्यभार ग्रहण किया था।

विश्व में गंभीर अशांति

1406. श्री सी.आर. पाटिल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के मध्य-पूर्व के राजनैतिक घटनाक्रमों तथा स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) मध्य-पूर्व के घटनाक्रम के संबंध में सरकार का रुख क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी, हां। सरकार को पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में राजनैतिक

घटनाक्रमों की जानकारी है। इस क्षेत्र के कई देशों के लोगों ने आर्थिक और राजनैतिक बदलाव की आकांक्षा व्यक्त की है। फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण ने फिलिस्तीन राज्य को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण दर्जा प्रदान करने हेतु संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध किया है।

(ग) भारत इन देशों के लोगों की वैध आकांक्षाओं का सम्मान करता है। इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप तथा शांतिपूर्ण माध्यमों से बिना बल प्रयोग किये बदलाव तो आना चाहिए, किन्तु यह वयापक चर्चा करके तथा इस क्षेत्र के देशों की स्वतंत्रता, प्रादेशिक अखंडता एवं सम्प्रभुता का सम्मान करते हुए किया जाना चाहिए।

फिलिस्तानी लोगों के कल्याण के प्रति भारत की चिरस्थायी वचनबद्धता हमारी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत हर मंच पर फिलिस्तीनी लोगों के कल्याण के लिए अडिंग समर्थन दोहराता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने 24 सितम्बर, 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिये गए अपने भाषण में कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र संगठन के संगत संकल्पों, अरब शांति पहल तथा चतुर्दिक रोड मैप के अनुसार सुरक्षित एवं स्वीकार्य सीमाओं के भीतर रहते हुए तथा इजराइल के साथ शांति बनाये हुए एक संप्रभु, स्वतंत्र, व्यवहार्थ और संयुक्त फिलिस्तीनी राज्य हेतु फिलिस्तीनी जन संघर्ष के लिए अपना दृढ़ समर्थन व्यक्त करता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र के एक समान सदस्य के रूप में फिलिस्तीन का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। भारत ने हाल ही में फिलिस्तीन को यूनेस्को के सदस्य के रूप में शामिल किये जाने का समर्थन किया है।

किराये के भवनों में कार्यालय

1407. डॉ. संजय सिंह:
श्री एस. अलागिरी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक एमटीएनएल तथा बीएसएनएल द्वारा किराये पर लिए गए भवनों तथा आवासीय मकानों का ब्यौरा क्या है और दिल्ली सहित उनका प्रतिमाह राज्य-वार कितना किराया दिया गया है;

(ख) आज की तारीख तक एमटीएनएल तथा बीएसएनएल द्वारा किराये पर दिए गए भवनों और स्थानों का ब्यौरा क्या है और राज्य-वार उनसे प्रतिमाह कितना किराया प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या इतना अधिक स्थान किराये पर लेने का कोई औचित्य है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे निर्णयों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (घ) इस संबंध में बीएसएनएल एवं एमटीएनएल से विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत राज्य संसाधन केन्द्र

1408. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने 'साक्षर भारत' नामक प्रौढ़ और सतत शिक्षा कार्यक्रम में राज्य सरकार को अकादमिक और तकनीकी संसाधन सहयोग मुहैया कराने के उद्देश्य से देश भर में कई राज्य संसाधन केन्द्र (एसआरसी)स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन एसआरसी का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उन्हें राज्य-वार दिए गए सहयोग की प्रकृति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान कई एसआरसी की वित्तीय सहायता रोक दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी नहीं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने देश में कोई राज्य संसाधन केन्द्र स्थापित नहीं किए हैं। तथापि, प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की योजना के अन्तर्गत राज्य संसाधन केन्द्रों की स्थापना हेतु साक्षर भारत कार्यक्रम सहित प्रौढ़ और सतत शिक्षा कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को अकादमिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक एजेन्सियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आज तक संस्वीकृत राज्य संसाधन केन्द्रों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। श्रेणी 'क' के राज्य संसाधन केन्द्र 60.00 लाख रुपए और श्रेणी 'ख' के राज्य संसाधन केन्द्र 40.00 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र थे। दिनांक 1.4.2009 से वित्तीय सहायता को श्रेणी 'क' के लिए बढ़ाकर 100.00 लाख रुपए और श्रेणी 'ख' के लिए 70.00 लाख रुपए कर दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

विवरण

राज्य संसाधन केन्द्र

क्रम संख्या	राज्य संसाधन केन्द्र
1	2
वर्ग 'क'	
अधिकृत अनुदानः 100,00,000/- रुपए	
1.	एसआरसी, गुवाहाटी, असम
2.	एसआरसी, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)
3.	एसआरसी, पटना (एडीआरआई), बिहार
4.	एसआरसी, दीपायतन (पटना), बिहार
5.	एसआरसी, भोपाल, मध्य प्रदेश
6.	एसआरसी, रोहतक हरियाणा
7.	एसआरसी, शिमला, हिमाचल प्रदेश
8.	एसआरसी, रांची, झारखण्ड
9.	एसआरसी, मैसूर, कर्नाटक
10.	एसआरसी, तिरूवनंतमपुरम, केरल
11.	एसआरसी, इंदौर, मध्य प्रदेश
12	एसआरसी, चेन्नई, तमिलनाडु
13.	एसआरसी, देहरादून, उत्तराखंड
14.	एसआरसी, जयपुर, राजस्थान
15.	एसआरसी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
16.	एसआरसी, पुणे, महाराष्ट्र
17.	एसआरसी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
वर्ग 'ख'	
अधिकृत अनुदानः 70,00,000/- रुपए	
1.	एसआरसी, रायपुर, छत्तीसगढ़
2.	एसआरसी, अहमदाबाद, गुजरात
3.	एसआरसी, नई दिल्ली
4.	एसआरसी औरंगाबाद, महाराष्ट्र
5.	एसआरसी, चंडीगढ़
6.	एसआरसी, शिलांग, मेघालय
7.	एसआरसी, अगरतला, त्रिपुरा
8.	एसआरसी, श्रीनगर, (जेएंडके)
9.	एसआरसी, भुवनेश्वर, उड़ीसा
10.	एसआरसी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश
11.	एसआरसी, विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश
12.	एसआरसी, जोधपुर, राजस्थान

राष्ट्रीय गरीबी रेखा

1409. श्री रायापति सांबसिवा रावः क्या **प्रधानमंत्री मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय गरीबी रेखा देश के कई राज्यों में अस्वीकार्य है;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भविष्य में स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) योजना आयोग नोडल एजेंसी के रूप में सरकार द्वारा स्वीकार्य विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर देश तथा राज्यों के लिए गरीबी का अनुमान लगाता है। योजना आयोग द्वारा प्रो. तेन्दुलकर की अध्यक्षता में गरीबी की अनुमान लगाने हेतु कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 2009 में प्रस्तुत कर दी थी। योजना आयोग ने वर्ष 2004-05 के लिए इस समिति द्वारा संगणित गरीबी अनुपात एवं गरीबी रेखाओं को फिलहाल स्वीकार कर लिया है। तेन्दुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004-05 के मूल्यों

पर राष्ट्रीय गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 446.68 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 578.80 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह है।

सर्वोच्च न्यायालय में एक मामले में दिए गए निदेश के प्रत्युत्तर में, योजना आयोग ने एक शपथ पत्र दायर किया है जिसमें गरीबी रेखा को, कृषि श्रमिक संबंधी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और औद्योगिकी श्रमिक संबंधी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग करते हुए, जून 2011 के मूल्य स्तर पर क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 781 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 965 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में अद्यतन किया गया है।

यह आंकड़ा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 26 रुपए और 32 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन व्यय के रूप में है जिसे कुछ ने बेहद कम माना है। और बिहार और उत्तर प्रदेश जैसी राज्य सरकारों ने इस पर आपत्तियां व्यक्त की हैं।

तेंदुलकर पद्धति के अनुसार 2004-05 के लिए, गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या के प्रतिशत के संबंध में राज्यों (आंध्र प्रदेश सहित) से प्राप्त सूचनाएं संलग्न विवरण में है। 2004-05 के बाद परिवार उपभोग व्यय संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण 2009-10 में किया गया जिसके परिणाम अब उपलब्ध हैं। भविष्य में गरीबी को मांपने की पद्धति के संबंध में अंतिम निर्णय अन्य के साथ 2009-10 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के सर्वेक्षण के आधार पर और विशेषज्ञों द्वारा चिन्हित सभी संगत गरीबी सूचकांको पर विचार करते हुए लिया जा सकता है। गरीबी मांपने के संबंध में समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और जरूरी होने पर, गरीबी के आकलन संबंधी सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति पर पहुंचने के लिए मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान के लिए व्यापक मानदण्डों पर निर्णय हेतु, राज्यों और अन्य आवश्यक पक्षों से परामर्श के उपरान्त, विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी।

विवरण

राज्यों की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत (तेन्दुलकर समिति)

		2004-05		
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण	शहरी	कुल
	1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	32.3	23.4	29.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	33.6	23.5	31.1
3.	असम	36.4	21.8	34.4
4.	बिहार	55.7	43.7	54.4
5.	छत्तीसगढ़	55.1	28.4	49.4
6.	दिल्ली	15.6	12.9	13.1
7.	गोवा	28.1	22.2	25,0
8.	गुजरात	39.1	20.1	31.8
9.	हरियाणा	24.8	22.4	24.1
10.	हिमाचल प्रदेश	25.0	4.6	22.9
11.	जम्मू और कश्मीर	14.1	10.4	13.2
12.	झारखण्ड	51.6	23.8	45.3

1		2	3	4
13.	कर्नाटक	37.5	25.9	33.4
14.	केरल	20.2	18.4	19.7
15.	मध्य प्रदेश	53.6	35.1	48.6
16.	महाराष्ट्र	47.9	25.6	38.1
17.	मणिपुर	39.3	34.5	38.0
18.	मेघालय	14.0	24.7	16.1
19.	मिजोरम	23.0	7.9	15.3
20.	नागालैण्ड	10.0	4.3	9.0
21.	ओडिशा	60.8	37.6	57.2
22.	पुडुचेरी	22.9	9.9	14.1
23.	पंजाब	22.1	18.7	20.9
24.	राजस्थान	35.8	29.7	34.4
25.	सिक्किम	31.8	25.9	31.1
26.	तमिलनाडु	37.5	19.7	28.9
27.	त्रिपुरा	44.5	22.5	40.6
28.	उत्तर प्रदेश	42.7	34.1	40.9
29.	उत्तराखंड	35.1	26.2	32.7
30.	पश्चिम बंगाल	38.2	24.4	34.3
	कुल भारत	41.8	25.7	37.2

अतिथि गृह/छात्रावास

1410. **डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत अतिथि गृहों/छात्रावासों का ब्यौरा क्या है और वे कहां स्थित है;

(ख) प्रत्येक अतिथि गृह में कमरों का स्थान और अतिथिगृह-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई अतिथि गृह-जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन अतिथि गृहों के जीर्णोद्वार हेतु स्वीकृत, जारी और खर्च की गयी निधियों का अतिथि गृह-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को अधिकारियों/संबंधित विभाग के अधिकारियों

द्वारा धनराशि तथा अतिथिगृहों के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (छ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

(क) से (छ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का कोई अतिथि गृह नहीं है। किन्तु, विज्ञान सदन, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का होस्टल है, के एक हिस्से में 15 फ्लैट सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिकों को ही आबंटित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। विज्ञान सदन होस्टल के लिए नोडल विभाग और प्रौद्योगिकी विभाग है और होस्टल के रख-रखाव, अनुरक्षण आदि का कार्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाता है।

डाक विभाग

(क) और (ख) डाक विभाग में कोई अतिथि गृह नहीं है। किन्तु, होस्टलों के बारे में सूचना निम्नलिखित है:

डाक विभाग के प्रशिक्षण संस्थानों में होस्टलों की उपलब्धता

नाम	कुल कमरे
पीएससीआई, गजियाबाद	50
पीटीसी, मदुरै	41
पीटीसी, मैसूर	60
पीटीसी, वडोदरा	77
पीटीसी, सहरानपुर	129
पीटीसी, गुवाहाटी	09
पीटीसी, धरभंगा	84
कुल	450

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (छ) ये प्रश्न ही नहीं उठता।

दूर संचार विभाग

दूर संरचार विभाग के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति

1411. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्तियों की दरें बहुत कम हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उसे बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2008-09 में राष्ट्रीय साधन-व-योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है जिसमें रु. 500 प्रति माह की दर से 1 लाख नए छात्रों को प्रति वर्ष कक्षा 9 से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जो कक्षा 12 तक जारी रहती है बशर्ते वे कुछ शर्तों को पूरा करें। योजना के अनुसार वे छात्र जो सरकारी, स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 8 में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत हों तथा जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से आय 1.5 लाख प्रति वर्ष तक हो, इस योजना के अंतर्गत चयन परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। छात्रवृत्ति की राशि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा तिमाही आधार पर सीधे छात्रों के एकाउंट में जमा की जाती है। इस समय छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कोहरे के कारण यात्रियों को असुविधा

1412. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौसम विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया है कि आगामी तीन माह में कोहरा पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए) ने कोहरे के कारण यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए सभी स्टेकधारकों की बैठक बुलायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई कार्यनीति बनायी गई; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कोहरे वाले मौसम में विमान उड़ाने और उतारने के लिए डीजीसीए द्वारा व्यवस्था की गई है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालर रवि): (क) से (ग) नागर विमानन महानिदेशालय ने कोहरे से उत्पन्न हुई स्थिति से निपटाने के लिए एयरलाइनों की तैयारी की समीक्षा करने के लिए 9 नवंबर, 2011 को एक बैठक आयोजित की। बैठक में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था। पूर्व घटित जलवायु संबंधी घटनाओं के आधार पर मौसम विभाग ने उत्तर भारत में दिसंबर से फरवरी माह के दौरान कोहरे की संभावित स्थिति पर प्रकाश डाला। आकलन के अनुसार घने कोहरे वाले दिन दिसंबर के मध्य से फरवरी के अंत तक होते हैं तथा इस वर्ष भी कोहरे की स्थिति सामान्य रहने की संभावना है। बैठक में एयरपोर्ट प्रचालकों, अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों विदेशी वाहकों तथा सेन्ट्रल-I प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सारे स्टेक होल्डरों को संलग्न विवरण में दिए गए मुद्दों से अवगत कराया गया।

(घ) और (ङ) नागर विमानन महानिदेशालय ने एयरोनॉटिकल सूचना परिपत्र संख्या11/2009 जारी किया है, जिसमें निम्न दृश्यता के दौरान विमान प्रचालन के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। एआईसी, डीजीसीए के वेबसाइट www.dgca.nic.in पर उपलब्ध है।

विवरण

9 नवंबर, 2011 की बैठक के दौरान स्टेक होल्डरों को सुझाए गए मुद्दे

- यात्रियों की जानकारी के लिए मौसम संबंधी सूचना को एफ.आई.डी. पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए तथा इसे प्रत्येक 15 मिनट पर अद्यतन किया जाना चाहिए।
- इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे के मौसम संबंधी सूचना सभी बड़े न्यूज चैनलों पर दिखाया जाना चाहिए।
- इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रचालन क्षेत्र के आसपास सभी प्रकार के निर्माण कार्य को बंद किया जाना चाहिए।
- कोहरे के दौरान ग्राउंड हैंडलरों की क्षमता का आकलन किया जाना चाहिए।
- कोहरे की स्थिति में सुधार आने के बाद हाईवर्टेड (दूसरे मार्ग पर मुड़ने) विमान को प्राथमिकता दी जाएगी।
- जमाव को दूर करने के स्टार्ट अप के निवेदन को देखते हुए ए.टी.सी. विमानों को उड़ान भरने के लिए क्रम से अनुमति देगी।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कोहरे के दौरान वैकल्पिक एयरपोर्ट पर ऐसा कोई भी निर्माण कार्य नहीं करेगी, जिससे विमान प्रचालन में कोई बाधा आए।
- कोहरे के दौरान वैकल्पिक एयरपोर्ट पर भूतल आधारभूत संरचना को संवर्धित किया जाना चाहिए।
- कोहरे के दौरान भुवनेश्वर तथा उदयपुर एयरपोर्ट पर निगरानी घंटों को बढ़ा दिया जाना चाहिए।
- कोहरे के दौरान एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिल्ली तक/से जाने वाली उड़ान के लिए कैट ।।। प्रशिक्षित पायलट पर्याप्त संख्या में है।
- एयरलाइनों को उड़ान में देरी/संशोधित कार्यक्रम/रद्द करने की सूचना यात्रियों को एस.एम.एस./ई-मेल/फोन आदि द्वारा पहले ही दे दी जानी चाहिए।
- एयरलाइनों को एफ.आई.डी. पर अद्यतन किए जाने के लिए उड़ान स्थिति की सूचना डी.आई.ए.एल. को उपलब्ध कराना चाहिए।
- कोहरे के दौरान वाणिज्यिक कारणों से एयरलाइनों को उड़ान रद्द नहीं करना चाहिए।

3+1 कार्यक्रम के अन्तर्गत बी.एड. पाठ्यक्रम

1413. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धमेन्द्र यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 3+1 योजना के अंतर्गत विज्ञान अथवा कला विषयों में स्नातक स्तर की शिक्षा के साथ बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय इस प्रस्ताव से सहमत है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव विश्वविद्यालयों की अकादमिक परिषद से अनुमोदित है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या वाणिज्य विषय के विद्यार्थियों के लिए चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (छ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसोटीई) का अध्ययन के विभिन्न विषयों और इन विषयों के शिक्षाशास्त्र में शिक्षा तथा प्रशिक्षण को समेकित करने हेतु एक 4-वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव है जिसमें बीए/बी.एससी.एड की डिग्री प्रदान की जाएगी। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु, पात्रता तथा पाठ्यक्रम के लिए अन्य अनुदेशात्मक एवं अवसंरचना सुविधाएं एनसीटीई के विचाराधीन हैं।

रात को मुम्बई में ध्वनि प्रदूषण

1414. श्री संजय दिना पाटील: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई में विशेषकर रात के समय विमान प्रचालन के कारण लोग ध्वनि प्रदूषण का सामना करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रात के समय विमान प्रचालन के कारण शोर के स्तर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) जी, हां। मुम्बई में तेजी से बढ़ते शहरीकरण की वजह से, हवाईअड्डों के इर्द-गिर्द के आवासीय स्थल ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित हैं। तथापि, आधुनिक विमान पूर्ववर्ती विमानों की अपेक्षा अधिक शोर रहित है। सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली हवाई अड्डे ध्वनि मापन(नॉयज मैपिंग) कराने का निर्णय लिया है। एक बार दिल्ली हवाईअड्डे की नॉयज मैपिंग का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद मुम्बई हवाईअड्डे समेत अन्य हवाईअड्डों की नॉयज मैपिंग कराई जाएगी।

एकल आपात नम्बर

1415. श्रीमती जे. शांता: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एम्बुलेंस, पुलिस, अग्निशमन आदि जैसी सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए एकल संपर्क नम्बर प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सेवा क्षेत्रीय भाषाओं में भी मुहैया करायी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

कार्मिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) इस समय आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस (100) अग्निशमन (101) और एम्बुलेंस (102) के लिए अलग-अलग नम्बर है। वर्तमान में ऐसी सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए एकल नम्बर रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।;

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगार पेशेवर लाइसेंसधारक विमान चालक

1416. श्री बदरूद्दीन अजमल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कितने पेशेवर लाइसेंस-धारक विमान चालक बेरोजगार हैं;

(ख) क्या सरकार ने अपने स्वामित्व वाले निजी कैरियरों को और एक्सपैट पायलटों को नियोजित करन से रोकने और पेशेवर लाइसेंस-धारक विमान चालकों को रोजगार देने का निदेश देने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) सरकार बेरोजगार वाणिज्यिक पायलटों का रिकार्ड नही रखती है। नागर विमानन महानिदेशालय केवल विमान

नियम 1937 में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसरण में पायलट लाइसेंस जारी करता है।

(ख) और (ग) टाइप रेटेड पायलटों तथा कमाण्डरों की कमी को पूरा करने के लिए विमानन मंत्रालय द्वारा विदेशी एयरक्रू अस्थाई प्राधिकार (एफएटीए) नीति की समीक्षा की गई और दिनांक 06.12.2010 के आदेश द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर, विदेशी एयरक्रू अस्थाई प्राधिकर नीति को 31 दिसम्बर 2013 तक बढ़ाया गया है। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में विदेशी एयरक्रू अस्थाई साथ-साथ प्राधिकार (एफएटीए) पायलटों के मामले पर, प्रत्येक एयरलाइन द्वारा, उनके भारतीय पायलटों के साथ-साथ प्रशिक्षण तथा विदेशी पायलटों के फेज आउट कार्यक्रम के संबंध में, दी गई सूचना के आधार पर, कार्रवाई की जाती है।

मॉडल डिग्री कॉलेज

1417. श्रीमती दर्शना जरदोशः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना हेतु यूजीसी/भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्य-वार क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात सरकार से 20 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 19 प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं और एक प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कुल 142 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 78 प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विरवरण में दिया गया है।

विवरण

प्राप्त/स्वीकृत प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	ईबीडी	प्राप्त किए गए प्रस्ताव	अनुमोदित किए गए प्रस्ताव
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11	7	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	6	6
3.	असम	12	12	12
4.	बिहार	25	1	-
5.	छत्तीसगढ़	15	5	-
6.	गोवा	-	-	-
7.	गुजरात	20	20	19
8.	हरियाणा	7	10	-
9.	हिमाचल प्रदेश	4	4	-
10.	जम्मू और कश्मीर	11	-	-
11.	झारखण्ड	12	-	-

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	20	20	6
13.	केरल	4	4	3
14.	मध्य प्रदेश	39	–	–
15.	महाराष्ट्र	7	7	7
16.	मणिपुर	4	–	–
17.	मेघालय	3	–	–
18.	मिजोरम	1	–	–
19.	नागालैण्ड	18	–	–
20.	ओडिशा	18	8	–
21.	पंजाब	13	13	11
22.	राजस्थान	30	1	–
23.	सिक्किम	4	2	–
24.	तमिलनाडु	27	7	3
25.	त्रिपुरा	4	4	–
26.	उत्तर प्रदेश	41	6	5
27.	उत्तराखंड	2	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	17	3	–
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	–	–
30.	चंडीगढ़	–	–	–
31.	दादर और नगर हवेली	1	1	1
32.	दमन और दीव	2	–	–
33.	दिल्ली	–	–	–
34.	लक्षद्वीप	1	1	–
35.	पुडुचेरी	1	–	–
	कुल	374	142	78

कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में रक्षा अध्ययन

1418. श्री इ.जी. सुगावनम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में रक्षा अध्ययन पढ़ाया जाता है;

(ख) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव विश्वविद्यालयों में रक्षा अध्ययन हेतु अलग से परिषद गठित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके प्रस्तावित कार्य क्या है; और

(घ) उक्त परिषद की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) सरकार ने विश्वविद्यालय पद्धति में रक्षा तथा युद्धनीतिक अध्ययन संबंधी विभागों की कार्य-प्रणाली की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे 29 विश्वविद्यालय हैं जिनमें रक्षा-अध्ययन को एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है तथा 27 विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध 137 कॉलेज है जो अवर-स्नातक स्तर पर रक्षा अध्ययन पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

(ख) से (घ) समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा अनुसंधान और अध्ययन परिषद् की स्थापना की सिफारिश की है। समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संबंधी समझौता

1419. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संबंधी संयुक्त राष्ट्र संगठन ने वर्ष 2010 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; और

(ग) उक्त समझौते से देश के छात्रों को किस हद तक लाभ पहुंचा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार; पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन, विज्ञान शिक्षा, शिक्षक, प्रशिक्षण तथा सूचना-संचार प्रौद्योगिकी-सम्बद्ध दूरस्थ शिक्षा जिसमें पायलट परियोजनाओं को वैज्ञानिक-प्रौद्योगिकीय तथा सामाजिक-सांस्कृतिक सहायता प्रदान करना शामिल है, के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, ज्ञान, प्रबन्धन तथा प्रलेखन संबंधी कार्यकलापों के समेकित सिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 11-01-2010 को इग्नू तथा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन के बीच सहयोग हेतु एक करार पर हस्ताक्षर किए गए है। यह करार हस्ताक्षर करने की तारीख अर्थात् 11.01.2010 से प्रभावी हुआ है। इस करार के अन्तर्गत कार्यक्रमों से न केवल देश के अपितु बंगलादेश, मालदीव, नेपाल तथा श्रीलंका जैसे सामूहिक देशों के छात्रों तथा शैक्षिक समुदाय को लाभ होगा। यूनेस्को के साथ सहयोग में रमन चेयर के तहत विज्ञान अध्ययन पर काय्रक्रमों के संवर्धन के लिए पहले भी की गई थी तथा तदनुसार भारत तथा सार्क देशों के 11वें ग्रेड के छात्रों के लिए वर्ष 2010 तथा 2011 में इग्नू-यूनेस्को विज्ञान ओलम्पियाड आयोजित किया गया था जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 4400 छात्रों ने भाग लिया था। सार्क देशों में उत्कृष्टता केन्द्रों के अभिनिर्धारण के लिए इग्नू के पत्रकारिता विद्यालय ने साउथ एशियाई पत्रकारिता स्कूलों के लिए एक मैपिंग परियोजना शुरू की है।

विमानपत्तनों पर पक्षियों के टकराने की घटना

1420. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर पक्षियों के विमान से टकराने की कितनी घटनाएं सामने आई हैं;

(ख) विमानपत्तन क्षेत्र के आसपास बड़ी संख्या में पक्षियों के मंडराने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई ठोस कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्षों के दौरान हवाई अड्डों पर पक्षियों के टकराव की घटनाओं की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	पक्षी टकराव की घटनाएं
2008	304
2009	306
2010	380
2011 (सितंबर)	253

(ख) जिन स्त्रोतों से पक्षियों की समस्या उत्पन्न होती है, वे नीचे सूचीबद्ध है:-

- एयरोड्रोमों में और उनके आसपास बड़ी निर्माण गतिविधियां।
- हवाई अड्डे के भीतर घास/झाड़ियां।
- हवाई अड्डे के ईद-गिर्द झुग्गी-झोपड़ी बस्तियां, कूड़ाघर और अवैध बूचड़खाने।
- कूड़े को ढिलाई से निपटान।
- अनधिकृत सुअर फार्म, डेयरी फार्म आदि।
- जलभराव, लैंडफिल एरिया।
- एयरोड्रोम प्रचालक द्वारा सर्विलेंस की कमी।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पक्षी टकराव की घटनाओं में कमी लाने के लिए किए गए प्रमुख उपाय:

- भारत सरकार द्वारा पक्षी टकराव की रोकथाम के लिए नीतिगत निर्णय अपनाने और इनकी अनुवीक्षण करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय पक्षी नियंत्रण समिति (एनबीसीसी) गठित की गई है।
- हर उस हवाई अड्डे पर जहां अनुमोदित उड़ाने प्रचालित होती है, अवारा पशुओं/हवाई अड्डे पर पक्षियों के आकर्षण के स्त्रोंतों की पहचान करने और पक्षी टकराव की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य से, एयरफील्ड पर्यावरण प्रबंधन समितियां गठित की गई हैं।
- हवाई अड्डे के दस किलोमीटर के भीतर कूड़े का खुले में निपटान किए जाने को एक संज्ञेय अपराध बनाने के लिए वायुयान नियम, 1937 के नियम 91 को संसोधित किया गया है।
- वायुयान नियम, 1937 के नियम 90 (दंड) को संसोधित करके, किसी एयरोड्रोम के आवागमन क्षेत्र में किसी पशु/वस्तु अथवा पक्षी छोड़कर जाने के अपराध के लिए नियम का उल्लंघन करने वालों पर एक लाख रुपए जुर्माना अथवा अधिकतम तीन महीने की कैद अथवा दोनों लगाए गए हैं।
- दिल्ली में, दिल्ली नगर निगम द्वारा गाजीपुर के निकट एक आधुनिक बूचड़खाना का निर्माण किया गया है।
- डीजीसीए के अधिकारियों और विभिन्न एयरलाइनों/स्टेकधारकों के प्रतिनिधियों को मिलाकर के बनाए गए एक दल द्वारा हवाई अड्डे के आसपस के क्षेत्रों का नियमित संयुक्त निरीक्षण किया जाता है।
- एनबीसीसी की सिफारिशों के अनुसार, डीजीसीए, एएआई, रक्षा और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिकारियों को मिलाकर एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है। यह ग्रुप पक्षी/वन्य जीव निवारण के क्षेत्र में एक केन्द्रीय एजेंसी के रूप में काम करेगा।

  हवाई अड्डों के भीतर घास की कटाई और जलभराव की रोकथाम।
- डीजीसीए द्वारा नवीनतम वन्य जीव (पक्षी/पशु) टकराव रिपोर्टिंग फार्म में वन्य जीव (पशु/पक्षी) टकराव रिपोर्टिंग के लिए हवाई संरक्षा परिपत्र 02/2011 जारी किया गया है। इस परिपत्र से विमानन उद्योग में वन्य जीव (जीव/पशु) टकराव रिपोर्टिंग और निवारण के बारे में एकरूपता और जागरूकता आएगी।

कामगारों की मांग

1421. **श्री आर. थामराईसेलवन:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के प्रबंधन और कामगारों के बीच मजदूरी संबंधी बातचीत के विभिन्न दौर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीआईएल ने कामगारों की मांगे स्वीकार कर ली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (घ) कोल इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन और सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच कोयला उद्योग (जेबीसीसीआई)-IX के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति के अंतर्गत वेतन संबंधी बातचीत के दो दौर संपन्न हो चुके हैं। कामगारों की मांगों पर चर्चा चल रही है।

ओडीशा विश्वविद्यालय का उन्नयन/आधुनिकीकरण

1422. **श्री लक्ष्मण टुडु:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव ओडीशा के पिछड़े क्षेत्र में कार्य कर रहे 'नार्थ ओडीशा विश्वविद्यालय' का उन्नयन केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में करने का तथा इस संबंध में आवश्यक धनराशि प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) जैसाकि राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया है, 11वीं योजना अवधि (2007-2012) के दौरान, सरकार द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत लाभवंचित तथा कम लाभान्वित वाले राज्यों (गोवा को छोड़कर) में 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, जिसमें से एक कोरापुट में स्थापित किया गया है, जो ओडीशा का एक पिछड़ा क्षेत्र है। वर्तमान योजना अवधि में और नए विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विमान संपर्क

1423. **श्री भूपेन्द्र सिंह:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में कम विमान संपर्क हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सागर में धाना रनवे का विमानपत्तन के रूप में विकास कर इसे जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, खजुराहो तथा जबलपुर नामक चार प्रचालनिक हवाई अड्डे तथा ग्वालियर में एक सिविल एन्कलेव प्रचालनिक हैं, जहां से अनुसूचित प्रचालन किये जाते हैं। इन हवाईअड्डों के लिए विभिन्न एयरलाइनों द्वारा प्रचालित उड़ानों का ब्यौरा इस प्रकार है: (1) भोपाल: 77 साप्ताहिक उड़ानें; (2) इंदौर: 153 साप्ताहिक उड़ानें; (3) खजुराहो; 17 साप्ताहिक उड़ानें; (4) जबलपुर: 11 साप्ताहिक उड़ानें; तथा ग्वालियर: 14 साप्ताहिक उड़ानें। तथापि, इन स्थानों के लिए पर्याप्त यातायात की उपलब्धता के आधार पर एयरलाइनों द्वारा विभिन्न हवाई अड्डों के लिए विमान सेवा शुरू की जाती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

[अनुवाद]

आईटी क्षेत्र में निर्यात

1424. **श्री सुरेश कुमार शेटकर:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईटी नीति का लक्ष्य 2020 तक 200 बिलियन डॉलर तक का निर्यात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक देश में गत तीन वर्षों की तुलना में निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) जी, हां। 7 अक्तूबर, 2011 को जारी सूचना प्रौद्योगिकी पर मसौदा राष्ट्रीय नीति (एनपीआईटी) के अनुसार एक उद्देश्य "आईटी और आईटीईएस उद्योग के राजस्व में वृद्धि करना तथा निर्यात बढ़ाना है"। मसौदा राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति में लक्ष्य की प्राप्ति तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में त्वरित, समग्र एवं सतत् विकास के लिए एक इंजन के रूप में आईटी का उपयोग करते हुए वैश्विक हब के तौर पर भारत की स्थिति को मजबूत करने का व्यापक दृष्टिकोण निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय साफ्टवेयर तथा सेवा कंपनी संघ (नैसकॉम)के अनुसार, निर्यात आंकड़े क्षेत्रवार रखे जाते हैं तथा गत तीन वर्षों का राजस्व निम्नानुसार है:

क्षेत्रवार निर्यात राजस्व का ब्यौरा

(बिलियन अमरीकी डालर)

	वित्त वर्ष 2008-09	वित्त वर्ष 2009-10	वित्त वर्ष 2010-11
संयुक्त राज्य अमरीका	28.3	30.1	36.3
यूनाइटेड किंगडम	8.7	8.9	10.2
यूरोप (इंग्लैण्ड को छोड़कर)	5.9	6.0	6.8
एशिया	3.3	3.6	4.4
शेष विश्व	0.9	1.0	1.3
कुल (अनुमानित)	47.1	49.7	59.0

[हिन्दी]

कोयला भंडार

1425. श्री मधुसूदन यादव: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उपलब्ध कोयले का श्रेणी-वार अनुमानित भंडार कितना है; और

(ख) सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों को इन कोयला भंडारों में दिये गये खनन अधिकारों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार 1.4.2011 की स्थिति के अनुसार भारत में अब तक, अधिकतम 1200 मीटर गहराई तक कोयले के कुल 2,85,862 मिलियन टन भू-गर्भीय संसाधन (33.47 बिलियन टन कोकिंग कोयला और 252.40 बिलियन टन गैर कोकिंग कोयला) होने का अनुमान लगाया गया है। आकलित कोयला संसाधन का श्रेणीकरण मोटे तौर पर केवल कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयले के रूप में किया जाता है। बहरहाल ग्रेड-वार आकलन नहीं किया जाता है। ग्रेड-वार ब्यौरा कोयला भंडारों का अनुमान लगाते समय तैयार किया जाता है।

(ख) अब तक, 195 खनन अधिकार (कोयला ब्लॉक) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों को दिये गये हैं। इन 195 कोयला ब्लाकों में से, लगभग 22 बिलियन टन के कोयला भंडार वाले 84 ब्लाक सरकारी कंपनियों को दिये गये हैं और 22.15 बिलियन टन के भंडार वाले 111 ब्लॉक जिनमें 4.8 बिलियन टन कोयला भंडार वाले अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए 12 ब्लॉक शामिल हैं, निजी क्षेत्र की कंपनियों को दिए गए हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों में खाली पद

1426. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालयों (केवी) में श्रेणी-वार/क्षेत्र-वार पदों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या क्षेत्रीय कार्यालयों तथा दिल्ली के मुख्यालय सहित केवी में काफी बड़ी संख्या में आरक्षित पद खाली पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केवी ने गत तीन वर्षों के दौरान भर्ती/पदोन्नति में आरक्षण नियमों का पालन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा की गई भर्ती/ पदोन्नति की पद-वार, वर्ष-वार तथा श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(च) क्या सरकार को इस संबंध में जन-प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) केन्द्रीय विद्यालयों में पदों की वर्ग-वार, क्षेत्र-वार संख्या का विवरण-I संलग्न में दिया गया है।

(ख) और (ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्त पदों का विवरण नीचे दिया गया है:

अनुसूचित जाति	867
अनुसूचित जनजाति	422
अन्य पिछड़े वर्ग	1197

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई भर्ती/ पदोन्नति का पद-वार, वर्ष-वार विवरण-II में संलग्न है।

(च) और (छ) जी हां। संवेदनशील, अत्यन्त संवेदनशील, पूर्वोत्तर क्षेत्र, नक्सल प्रभावित तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर स्टाफ की असंगत तैनाती के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सलाह दी गई है कि वे अभ्यावेदन में उठाये गये मुद्दों का समाधान करें जिससे शिकायतों का निवारण हो सके।

विवरण I

केन्द्रीय विद्यालयों में पदों की वर्षवार, क्षेत्र-वार संख्या

		प्रचार्य		उपप्रचार्य	प्रधानाचार्य							पीजीटी						
क्र.सं.	केन्द्रीय विद्यालय	ग्रे.I		ग्रे.II		हिन्दी	अंग्रेजी	संस्कृत	इतिहास	अर्थशास्त्र	भूगोल	भौतिक	रसायन	गणित	जीव विज्ञान	वाणिज्य	कम्पु. वि.	बायोटेक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	अहमदाबाद	44	2	9	23	38	41	0	11	23	11	49	49	45	40	18	42	0
2.	बंगलौर	48	7	22	36	41	17	0	4	24	5	62	-52	52	50	23	42	0
3.	भोपाल	58	7	20	49	59	61	0	10	39	11	74	74	69	57	353	58	1
4.	भुवनेश्वर	66	19	15	38	49	56	0	14	35	14	70	70	69	56	26	55	2
5.	चंडीगढ़	60	7	21	41	61	54	0	21	64	22	61	61	65	50	49	55	3
6.	चेन्नई	62	8	33	50	53	66	0	10	35	11	84	84	75	69	33	63	2
7.	देहरादून	55	4	23	37	59	57	0	27	49	27	71	71	64	51	41	58	1
8.	दिल्ली	56	5	59	59	73	101	0	40	80	52	112	112	114	59	80	90	2
9.	गुवाहाटी	42	5	14	20	36	40	0	17	23	17	46	45	40	38	18	39	3
10.	हैदराबाद	48	5	19	31	35	39	0	5	26	8	39	39	38	36	26	36	1
11.	जबलपुर	56	7	15	42	51	55	0	14	42	14	54	64	57	50	40	51	1
12.	जयपुर	56	8	19	35	59	54	0	20	60	20	65	56	52	54	49	61	2
13.	जम्मू	55	8	17	34	40	45	0	24	34	24	47	47	42	38	24	46	1
14.	कोलकाता	54	8	25	38	51	51	0	28	45	28	68	68	53	54	34	50	2
15.	लखनऊ	56	10	34	40	61	73	0	25	48	26	87	87	72	60	44	74	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16.	मुम्बई	43	3	33	36	40	55	0	21	35	21	60	60	55	42	35	45	4
17.	पटना	54	7	19	32	45	50	0	13	31	13	60	60	48	39	28	38	2
18.	सिलचर	47	6	6	17	37	40	0	15	23	15	37	37	39	35	19	42	2
19.	केवीएस (मु.)	3	0	0	0	3	3	0	1	3	1	3	3	3	3	2	1	0
	कुल योग	963	126	402	668	891	1029	0	321	700	329	1159	1159	1061	891	625	947	32

विवरण I

केन्द्रीय विद्यालयों में पदों की वर्षवार, क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	केन्द्रीय विद्यालय	हिन्दी	अंग्रेजी	संस्कृत	टीजीटी एसएसटी	गणित	जीव विज्ञान	पीआरटी	पीआरटी संगीत	टीजीटी (पीएचई)	टीजीटी (आर्ट एजू)	टीजीटी डबल्यू ई	योगा प्रशिक्षण	पुस्त-कालय	अनु. अधि.	सहायक स्टाफ	प्र.ग.लि. स्टाफ	आ.ग. लि.	एलए एस	एलएटी सब-स्टाफ	सब-स्टाफ	नर्स	छात्रावास स्टाफ अंग्रेजी	सब स्टाफ	कुल
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1.	अहमदाबाद	63	88	48	69	83	44	482	46	44	44	41	4	46	0	9	46	48	1	121	295	0	0	0	2068
2.	बंगलौर	108	127	58	113	127	80	762	55	48	48	48	8	53	4	19	59	63	1	-129	383	1	1	1	2831
3.	भोपाल	107	153	72	122	145	52	844	58	62	60	52	15	67	1	17	69	74	1	172	469	2	3	2	3353
4.	भुवनेश्वर	91	154	94	114	148	79	874	87	68	68	68	8	87	0	14	87	89	2	166	631	0	0	0	3473
5.	चंडीगढ़	104	148	70	108	135	79	765	68	61	51	61	15	67	1	19	59	71	3	159	444	1	1	1	3207
6.	चेन्नई	154	177	95	154	177	108	1088	72	66	64	66	12	72	2	28	74	89	4	174	503	0	0	0	3911
7.	देहरादून	98	143	50	100	129	80	699	61	57	58	57	21	50	0	20	61	64	2	158	418	1	0	1	3053
8.	दिल्ली	223	278	105	198	245	173	1383	84	79	77	79	31	81	6	38	90	106	3	202	505	1	1	3	5198
9.	गुवाहाटी	65	97	49	71	91	55	507	47	42	42	8	46	0	15	47	51	0	110	299		0	0	0	2126
10.	हैदराबाद	105	120	65	95	120	79	708	53	50	48	50	15	52	1	18	54	62	1	119	362	0	0	0	2609
11.	जबलपुर	99	137	65	104	126	71	745	65	60	58	60	9	63	0	14	65	59	2	154	410	0	0	0	3005
12.	जयपुर	87	195	65	100	128	88	769	66	57	56	57	15	62	3	15	68	72	3	162	437	0	0	0	3115
13.	जम्मू	98	130	63	95	123	81	696	63	57	55	55	12	61	2	15	65	69	0	132	412	0	0	0	2812
14.	कोलकाता	112	152	67	107	144	96	812	62	55	54	55	21	61	0	24	62	72	1	153	425	0	0	0	3204
15.	लखनऊ	136	183	75	135	167	105	962	71	52	60	62	24	67	8	20	79	86	2	171	497	0	0	0	3772
16.	मुम्बई	114	140	65	100	139	90	75	49	47	45	47	19	49	0	29	59	59	1	124	361	0	0	0	2859

1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
17.	पटना	107	138	67	112	129	90	703	65	69	68	59	14	62	2	16	07	72	0	133	420	0	1	1	2914
18.	सिलचर	51	56	55	61	62	45	471	53	48	46	48	2	53	0	6	53	56	0	115	317	0	0	0	2063
19.	केवीएस (मु.)	1	3	1	2	2	0	18	5	3	3	3	0	2	0	2	3	3	0	5	15	0	0	0	96
	कुल योग	1923	2589	1250	1960	2435	1496	14036	1137	1026	1006	1021	253	1111	32	337	1167	1276	27	2559	7607	6	7	10	55571

विवरण II

भर्ती/पदोन्नति की पदवार एवं वर्षवार संख्या

पद	2008-2009				2009-2010				2010-2011			
	नियुक्तियां		पदोन्नति		नियुक्तियां		पदोन्नति		नियुक्तियां		पदोन्नति	
	आरक्षित	अनारक्षित	आरक्षित	अनारक्षित	आरक्षित	अनारक्षित	आरक्षित	अनारक्षित	आरक्षित	अनारक्षित	आरक्षित	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उप प्राचर्य	0	0	19	0	0	0	13	0	0	0	20	0
प्राचार्य	18	29	47	0	25	25	36	0	9	22	70	0
शिक्षा अधिकारी (अब सहायक आयुक्त)	2	2	6	0	1	6	5	0	0	0	5	0
प्रशासनिक अधिकारी	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	2
अनुभाग अधिकारी	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
वित्त अधिकारी	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
पीजीटी	*894	*943	95	495	151	211	9	106	70	10	0	0
टीजीटी	*590	*648	133	924	192	237	50	364	91	111	0	0
पीआरटी	*1049	*1001	0	0	397	408	0	0	405	415	0	0
हैडमास्टर	0	0	14	91	0	0	19	66	0	0	43	147
टीजीटी	18	32	0	0	48	54	0	0	6	8	0	0
टीजीटी	0	0	0	0	178	185	0	0	10	13	0	0
टीजीटी	0	0	0	0	43	44	0	0	10	13	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पीआरटी	50	56	0	0	24	28	0	0	56	60	0	0
वरिष्ठ आशुलिपिक	0	0	0	0	0	0	3	10	0	0	0	0
सहायक	4	4	5	15	1	5	1	8	0	0	36	105
प्रवर श्रेणी लिपिक	11	12	12	6	11	15	11	43	18	22	15	50
अवर श्रेणी लिपिक	138	141	18	80	18	22	5	8	44	51	0	0
सब स्टाफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रूफ रीडर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ड्राईवर	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कनिष्ठ आशुलिपिक	4	2	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0
हिन्दी अनुवादक	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	2782	2875	349	1611	1091	1245	155	608	719	725	190	304

*इसमें वर्ष 2007-2008 की संख्या शामिल हैं।

[अनुवाद]

प्रवासी कामगार

1427. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने प्रवासी कामगार विदेश गए;

(ख) इन प्रवासी कामगारों की सेवा शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रवासी कामगारों की सेवा शर्तों का विनियमन करने हेतु सरकार ने क्या दिशानिर्देश दिए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के अधीन उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय, केवल 17 ईसीआर अधिसूचित देशों के सम्बन्ध में, उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट धारकों को, उत्प्रवास स्वीकृति प्रदान करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, ऐसे कामगारों को प्रदान की गई उत्प्रवास स्वीकृति निम्न प्रकार है:-

वर्ष	उत्प्रवास स्वीकृति की संख्या
2008	848601
2009	610272
2010	641356
2011 (अक्तूबर तक)	520187

(ख) और (ग) प्रवासी कामगारों की सेवा शर्तों को उत्प्रवास नियम, 1983 के नियम 15 (2) में अनुबन्धित रोजगार करार के अनुसार विनियमित किया जाता है।

[हिन्दी]

दिशा-निर्देशों का अनुपालन

1428. श्री महेश जोशी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा चेतावनी जारी करने के बावजूद कुछ निजी विमान कंपनियां उन्हें लाइसेंस जारी करने के समय दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो विमान कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) दोषी विमान कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई औचक निरीक्षण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या आगामी कार्यवाही की गई है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) वर्तमान में निजी एयरलाइनों द्वारा किसी व्यापक उल्लंघन की कोई सूचना नहीं है और इस प्रकार उन्हें किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है।

(घ) से (ङ) नागर विमानन महानिदेशालय कार्यालय द्वारा एयरलाइनों पर स्थल जांच तथा निगरानी जांचें की जाती हैं और उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर पायलट/इंजीनियर/कर्मीदल/एयरलाइन के विरुद्ध यथा अपेक्षित कार्रवाई की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है और एयरलाइनों के लिए इन जांचों के दौरान इंगित की गई कमियों को दूर करने के लिए उनके द्वारा किये गये उपायों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

एनआरआई हेतु विडियो कान्फ्रेंसिंग

1429. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एनआरआई की समस्याओं के समाधान हेतु विडियो कान्फ्रेंसिंग आयोजन सेवाएं आयोजित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।.

[हिन्दी]

मंगलौर विमानपत्तन के रनवे का विस्तार

1430. श्री नलिन कुमार कटील: क्या **नगर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में मंगलौर विमानपत्तन के विस्तार कार्य की प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस विमानपत्तन पर एयर कारगो परिसर, मिनी वोल्वो बस आदि का प्रावधान सहित शुरू की गई/प्रस्तावित अवसंरचना विकास सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंगलौर विमानपत्तन के नाम को बदलने हेतु सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) कर्नाटक में मंगलौर हवाई अड्डे पर उपलब्ध भूमि के अंतर्गत रनवे के 90 मीटर तक विस्तार के संबंध में विस्तृत प्राक्कलन तैयार किए जाने की स्थिति में है।

(ख) मंगलौर हवाई अड्डे पर पुराने यात्री भवन के अंतर्राष्ट्रीय आगमन हाल तथा घरेलू आगमन हाल को अंतर्राष्ट्रीय कारगो तथा घरेलू कारगो टर्मिनल के रूप में प्रयोग किए जाने हेतु परिवर्तित किए जाने संबंधी प्रस्ताव ड्राइंग स्टेज में है। मिनी वाल्वों बस आदि के लिए व्यवस्था राज्य परिवहन विभाग द्वारा की जानी है। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजन से टर्मिनल में काउंटर के लिए जगह आबंटित करता है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

जीडीपी में निर्भरता अंश

1431. श्री जयप्रकाश अग्रवाल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 60 प्रतिशत आबादी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 20 प्रतिशत पर निर्भर है जबकि शेष 40 प्रतिशत आबादी 80 प्रतिशत जीडीपी पर निर्भर करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में किये गये आकलन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त स्थिति को सुधारने हेतु नीति निर्णय लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आय का वर्गवार वितरण किसी भी सरकारी स्रोत से उपलब्ध नहीं है। तथापि, जीडीपी के क्षेत्रकीय वितरण एवं कामगारों के क्षेत्रकीय वितरण दर्शाते हैं कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रकों से जुड़े 53 प्रतिशत लोगों का शेयर जीडीपी के 20 प्रतिशत से कम था जबकि अन्य क्षेत्रकों से जुड़े 47 प्रतिशत लोगों का शेयर जीडीपी के 80 प्रतिशत से अधिक था।

चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थिति में सुधार करने हेतु प्रमुख नीतिगत पहल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस) शुरू करना शामिल है जिसमें सभी ग्रामीण परिवारों से मैनुअल कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की मजदूरी रोजगार गारंटी के माध्यम से सुरक्षा नेट प्रदान की गई है। एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों की प्राथमिकता में सूखा प्रूफिंग, बाढ़ नियंत्रण, भूमि विकास आदि शामिल हैं। प्रभावी कार्य योजना के माध्यम से एमजीएनआरईजीएस का कृषि के साथ अभिसरण का उद्देश्य कृषि क्षेत्रक की उत्पादकता बढ़ाना एवं कृषि में शामिल लोगों के कल्याण में सुधार करना है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) को पुनर्संरचित करके राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनयापन मिशन (एनआरएल-एम) बनाया गया है जिसमें ग्रामीण गरीबों, जिन्हें स्वसहायता समूहों में संगठित किया गया है, को स्वरोजगार देने की व्यवस्था की गई है तथा दक्षता विकास घटक सहित बैंक क्रेडिट एवं सब्सिडी के माध्यम से आय सृजन हेतु परिसम्पत्तियां प्रदान की गई है। इसी प्रकार स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) का कार्यान्वयन शहरी गरीबों को स्व रोजगार एवं मजदूरी रोजगार देने के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में समाजार्थिक अवसंरचना विकसित करने हेतु विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से राष्ट्रीय आय के वितरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है।

[अनुवाद]

गरीबों की व्यय क्षमता

1432. श्री एम.बी. राजेश: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 61वें दौर (2004-05) में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) उपयोग आंकड़ों का उपयोग करते हुए सेनगुप्त समिति (असंगठित क्षेत्र में कार्य स्थिति और आजीविका का संवर्धन एनसीईयूएस 2007) ने बताया है कि भारत की 77% जनसंख्या 20 रुपए प्रतिदिन के बाराबर या इससे कम कुल उपभोग व्यय पर खर्च करती है; और

(ख) यदि हां, तो इन 77% गरीबों और कमजोर वर्ग की व्यय क्षमता को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का बयौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, हां। तथापि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण 2008-09 में यह कहा गया था कि वर्ष 2004-05 के लिए परिवार उपभोग व्यय संबंधी डेटा (एनएसएस 61 वें दौर) के परिकलनों के आधार पर केवल 60.5% लोगों का प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय 20 रु. से कम था।

(ख) सरकार, अनेक गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमएनआरईजीए), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), आदि। इन सभी कार्यक्रमों और समावेशी आर्थिक वृद्धि से संबंधित सरकारी नीतियों का लक्ष्य देश में गरीबों के रहन-सहन के स्तर को सुधारना और गरीबी को कम करना है।

[हिन्दी]

धनराशि का अपव्यय

1433. श्रीमती भावना पाटील गवली:
राजकुमारी रत्ना सिंह:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) में धनराशि के अपव्यय के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) महानगर टेलीफोन निगम लि. में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बीएसएनएल/एमटीएनएल कॉलोनियों का रखरखाव

1434. डॉ. बलीराम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के तहत दिल्ली की विभिन्न रिहायशी कॉलोनियों और देश के अन्य भागों में भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जैसी एजेंसियों तथा डाक विभागों को आवंटित मकानों के अनुरक्षण को विभिन्न एजेंसियों द्वारा अलग-अलग रूप से कराया जाना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि मकान को किस एजेंसी द्वारा आवंटित किया गया है, सभी मकानों के अनुरक्षण हेतु एकल एजेंसी स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो सरकार द्वारा इन कालोनियों के उचित रखरखाव हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कॉलोनियों के सभी क्वार्टरों के अनुरक्षण के लिए एकल एजेंसी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बनाए जाने के बाद इनकी परिसंपत्तियां और देनदारियां इनसे संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अंतरित कर दी गई हैं। तथापि, इस प्रकार की कालोनियों, जहां विभिन्न उपक्रमों/विभागों के व्यक्ति संयुक्त रूप से क्वार्टरों में रहते हैं, में बीएसएनएल, एमटीएनएल अथवा डाक विभाग के कर्मचारियों को इनके आबंटन पर ध्यान दिये बिना इनमें प्रमुख रूप से रहने वाले कर्मचारी अनुरक्षण कार्य के लिए उत्तरदायी हैं।

[अनुवाद]

मोबाइल विकिरण खोजी प्रणाली

1435. श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री वैजयंत पांडा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न शहरों में मोबाइल विकिरण प्रणाली और विशेष विकिरण खोजी प्रणाली स्थापित कर दी है या स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि 80 शहरों के 800 पुलिस स्टेशनों को मोबाइल विकिरण संसूचन प्रणाली सहित विकिरण मॉनीटरों से सुसज्जित किया जाए जिन्हें पुलिस के पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) वाहनों में लगाया जा सकता है। इससे किसी विकिरणसक्रिय श्रोत अथवा विकिरणकीय रूप से संदूषित क्षेत्र अथवा किसी विकिरणसक्रिय श्रोत, जिसका परिवहन किया जा रहा है, के पास वाहन के पहुंचने पर पुलिस के लिए उसका पता लगाना आसान होगा और वह सावधान हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त, परमाणु ऊर्जा विभाग ने ऐसे 20 आपातकालीन कार्रवाई केन्द्रों की स्थापना की है, जो आपातकालीन कार्रवाई दलों के लिए विकिरण मानीटरों एवं सर्वेक्षणात्मक उपस्कर से सुसज्जित हैं तथा जो प्रशिक्षित आपातकालीन कार्रवाई दलों के माध्यम से मोबाइल विकिरणकीय मानीटरन की क्षमता से युक्त है।

घूस के मामलों के लिए कानून

1436. श्री नीरज शेखर:
श्री यशवीर सिंह:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक ऐसा कानून लाएगी जिसके द्वारा निजी क्षेत्र में घूसखोरी को दण्डनीय अपराध घोषित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) भारतीय दंड संहिता, 1860 में संसोधन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 तैयार किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में रिश्वतखोरी और निजी क्षेत्र में रिश्वतखोरी के लिए दंड से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। चूंकि आपराधिक कानून एवं दंड प्रक्रिया, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में हैं और उन्हें राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जाता है, विधेयक का मसौदा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों की अभ्युक्तियां/मत जानने के लिए परिचालित किया गया है। इसलिए, कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

विद्यालयों का निर्माण/विस्तार

1437. चौधरी लाल सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में शैक्षिक रूप से पिछडे अल्पसंख्यकों के लिए विद्यालयों के निर्माण/विस्तार निर्धारित/प्राप्त लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आवंटित, जारी और प्रयुक्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार निर्मित/स्तरोन्नत विद्यालयों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरेन्देश्वरी): (क) से (ग) अल्पसंख्यक संस्थाओं के अवसंरचना विकास की योजना क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम में से वर्ष 2008-09 में बनाई गई थी ताकि अल्पसंख्यक संस्थाओं की स्कूल अवसंरचना में सुधार और सुदृढ़ीकरण करके अल्पसंख्यक शिक्षा को सुसाध्य बनाया जा सके। वर्ष 2008-09 से 2011-12 के बीच जिन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई और जितनी संस्थाओं को सहयोग किया गया उनकी संख्या नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	राशि (रुपए लाख में)	संस्थाओं की संख्या
	2008-09		
	उत्तर प्रदेश	25.00	1
	2009-10		
	उत्तर प्रदेश	448.00	22
	2010-11		
1.	कर्नाटक	281.98	15
2.	महाराष्ट्र	387.61	19
3.	उत्तराखंड	190.29	12
4.	जम्मू और कश्मीर	25.00	01
5.	राजस्थान	102.83	07
6.	हरियाणा	201.12	12
7.	उत्तर प्रदेश	327.73	16
8.	गुजरात	191.20	15
9.	केरल	337.73	15
10.	मध्य प्रदेश	252.94	12
	कुल रुपए	2298.43	124
	2011-12		
1.	महाराष्ट्र	177.45	10
2.	उत्तराखंड	104.91	08
3.	कर्नाटक	157.25	10
4.	उत्तर प्रदेश	200.39	10
5.	केरल	221.53	10
6.	हरियाणा	145.36	10
	कुल	1006.89	58

इसके अतिरिक्त, सर्व शिक्षा अभियान उन 121 अल्पसंख्यक बहुल जिलों की प्रगति के अनुवीक्षण पर ध्यान देता है जिन्हें अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम

के अंतर्गत अभिचिन्हित किया गया है। इन 121 जिलों में विभिन्न कार्यकलापों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2008-09 के लिए 4857 करोड़ रुपए, 2009-10 के लिए 5286 करोड़ रुपए, 2010-11 के लिए 4479 करोड़ रुपए और 2011-12 के लिए 11870 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की गई है।

वर्ष 2008-09 तथा 2011-12 के बीच सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अल्पसंख्क बहुल जिलों में नए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल खोले जाने और निर्मित किए जाने के बारे में ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	नए प्राथमिक स्कूलों का खोला जाना		नए उच्च प्राथमिक स्कूलों का खोला जाना		प्राथमिक स्कूलों का निर्माण		उच्च प्राथमिक स्कूलों का निर्माण	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2008-09	1423	1386	4301	3176	4404	3266	4154	2662
2009-10	1719	1625	1719	1625	3465	3237	1348	1220
2010-11	11930	11922	2370	2364	4969	3573	1147	1103
2011-12	1470	13 (30.9.11 की स्थिति के अनुसार)	445	1 (30.9.11 की स्थिति के अनुसार)	1522	793 (30.9.11 की स्थिति के अनुसार)	67	4 (30.9.11 की स्थिति के अनुसार)

[हिन्दी]

आरटीआई पर अंकुश लगाना

1438. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के अधिकार क्षेत्र को कुछ कम करने के लिए हाल ही में कोई प्रस्ताव तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित मसौदे की रूपरेखा क्या है; और

(घ) किन कारणों से सरकार ने उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन की आवश्यकता महसूस की?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

सूचना का अधिकार अधिनियम में संसोधन

1439. श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्री पी.सी. गद्दीगौदर:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उसकी पारदर्शिता और जवाबदेही में गिरावट को देखते हुए, आरटीआई अधिनियम, 2005 में संसोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न आरटीआई कार्यकताओं/हित समूहों से परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आरटीआई अधिनियम में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। सरकार का यह दृष्टिकोण है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सुधार में योगदान मिला है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सीबीआई न्यायालयों में मामले

1440. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में दिल्ली सहित देश में राज्य-वार कुल कितनी सीबीआई अदालतें हैं;

(ख) दिल्ली सहित राज्य-वार और स्थान-वार न्यायालयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक सीबीआई न्यायालय में कुल कितने मामले लंबित हैं; और

(घ) उन लंबित मामलों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) देश भर में विशेष न्यायाधीशों के 46 न्यायालय तथा विशेष मजिस्ट्रेटों के 10 न्यायालय सी.बी.आई. मामलों के लिए कार्य कर रहे थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के अनुपालन में केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से सी.बी.आई. मामलों के ट्रायल के लिए 71 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का निर्णय किया है। ऐसे 70 न्यायालयों की स्थापना करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। इनमें से 48 न्यायालयों ने काम करना शुरू कर दिया है।

न्यायालय, जो पहले से ही कार्य कर रहे हैं, का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में तथा नवसृजित अतिरिक्त न्यायालय जिनमें काम शुरू हो गया है, का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) देश भर में विशेष न्यायालयों सहित विभिन्न न्यायालयों में वर्ष 2011 के शुरू में 9928 मामलों में ट्रायल लम्बित था तथा दिनांक 31.10.2011 की स्थिति के अनुसार 10010 सी.बी.आई. मामलों में ट्रायल लम्बित था। नवसृजित विशेष सी.बी.आई. न्यायालयों की स्थापना की प्रक्रिया की दृष्टि से प्रत्येक न्यायालय में इस समय प्रत्येक न्यायालय में मामलों की ठीक संख्या बता पाना कठिन है।

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं कि सी.बी.आई. को शामिल करने वाले लम्बित मामलों का विचारण एवं निर्णय समयबद्ध तरीके से हो जिसमें अन्य बातों के साथ शामिल हैं—भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर सी.बी.आई. मामलों के ट्रायल के लिए 71 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों के सृजन के लिए एक स्कीम तैयार करना तथा ऐसे विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा कार्य करने, इन न्यायालयों के लिए लोक अभियोजक, पैरवी अधिकारियों (निरीक्षक), नायब कोर्ट आदि के पदों का सृजन करना तथा नियमित आधार पर अधिकारियों की भर्ती लम्बित होने के कारण लोक अभियोजकों, पैरवी अधिकारियों आदि को अनुबंध आधार पर काम पर लेने के लिए राज्य सरकारों को आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय का पुनर्भुगतान करना है।

विवरण I

पहले से कार्यरत न्यायालय

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थान जहां अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की जानी है	विशेष न्यायाधीशों वाले न्यायालयों की वर्तमान संख्या	विशेष मजिस्ट्रेटों वाले न्यायालयों की वर्तमान संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	1	0
		विशाखापत्तनम	1	0

1	2	3	4	5
2.	असम	गुवाहाटी	1	0
3.	बिहार	पटना	2	0
		एएचडी पटना	1	0
4.	चंडीगढ़ (यू.टी.)	चंडीगढ़	1	0
		पटियाला	1	1
5.	दिल्ली (यू.टी.)	दिल्ली	0	1
		तीस हजारी	4	0
		रोहिणी	3	0
		कड़कड़डूमा	1	0
		पटियाला हाउस	1	0
6.	गुजरात	अहमदाबाद	0	2
		गांधीनगर	2	0
7.	झारखंड	रांची	1	0
		एएचडी रांची	4	0
8.	कर्नाटक	बंगलौर	2	0
9.	केरल	एर्नाकुलम	2	0
10.	महाराष्ट्र	मुम्बई	4	0
11.	ओडीशा	भुवनेश्वर	1	0
12.	राजस्थान	जयपुर	1	1
		जोधपुर	1	1
13.	तमिलनाडु	चेन्नई	2	0
		कोयम्बटोर	1	0
		मदुरै	1	0
14.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	3	2
		गाजियाबाद	1	1
15.	उत्तरांचल	देहरादून	1	1

1	2	3	4	5
16.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	1	0
		सिलिगुडी	1	0
			46	10

विवरण II

नवसृजित अतिरिक्त न्यायालय

राज्य का नाम	स्थान	प्रस्तावित अतिरिक्त न्यायालयों की संख्या	संस्वीकृत न्यायालयों की संख्या	कार्यरत न्यायालयों की संख्या
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	3	3	
	विशाखापत्तनम	2	2	
असम	गुवाहाटी	2	2	
बिहार	पटना	3	3	3
छत्तीसगढ़	रायपुर	1	1	
दिल्ली	दिल्ली	15	15	9
गुजरात	अहमदाबाद	2	2	2
गोवा	गोवा	1	1	
हिमाचल प्रदेश	शिमला	1		
हरियाणा	पंचकुला	1	1	1
झारखंड	रांची	2	2	2
	धनबाद	4	4	4
जम्मू और कश्मीर	जम्मू	1	1	1
कर्नाटक	बंगलौर	2	2	2
	धारवाड़	1	1	1
केरल	तिरूवनन्तपुरम	1	1	1
मध्य प्रदेश	भोपाल	1	1	1

1	2	3	4	5
	जबलपुर	1	1	1
महाराष्ट्र	मुम्बई	3	3	3
	पुणे	1	1	1
	नागपुर	1	1	1
	अमरावती	1	1	1
ओडीशा	भुवनेश्वर	4	4	
राजस्थान	जयपुर	2	2	2
तमिलनाडु	चेन्नई	3	3	3
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	4	4	4
	गाजियाबाद	2	2	2
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	6	6	3
		71	70	48

दूरसंचार सुविधाएं

1441. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:
श्री जयराम पांगी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश के दूरस्थ, आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार प्रणाली प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में अभी तक, स्थापित की गई मोबाइल टॉवरों तथा इन क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं में सुधार करने हेतु स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित टावरों की संख्या क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विनिर्दिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए 27 राज्यों में अवस्थित 500 जिलों में 7353 अवसंरचना स्थलों/टावरों की संस्थापना और प्रबंधन करने के लिए राज्य सहायता प्रदान करने हेतु सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि के तहत एक स्कीम की शुरुआत की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे गांवों अथवा गांवों के समूह, जिनकी आबादी 2000 अथवा इससे अधिक है तथा जहां मोबाइल कवरेज की सुविधा नहीं है, में टॉवर की संस्थापना के लिए विचार किया गया था। दिनांक 31.10.2011 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत 7290 टॉवर संस्थापित किये गये हैं। इन 7290 टॉवरों में से 671 मोबाइल टॉवर वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में संस्थापित किये गये हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार, देश में 37,184 गांवों में मोबाइल कवरेज की सुविधा नहीं है जिनमें से 31,564 गांव बसे हुए हैं। इन गांवों में अगले चरण में मोबाइल संचार सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है तथा यूएसओएफ की वित्तीय सहायता से इन गांवों में ये सेवाएं प्रदान करने के लिए यूएसओएफ के तहत नई स्कीम बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

इस स्कीम के अंतर्गत 9 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के 2199 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित स्थानों पर मोबाइल संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए यूएसओएफ से वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है। इन 2199 स्थानों में से 301 स्थानों पर पहले से ही रेडिएटिंग बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) मौजूद है। मोबाइल संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रस्तावित बसे हुए गांवों/ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में संस्थापित मोबाइल टॉवरों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में पहले से चालू मोबाइल टॉवरों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	27
बिहार	102
छत्तीसगढ़	239
झारखंड	162
मध्य प्रदेश	11
महाराष्ट्र	34
ओडिशा	36
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	25
पश्चिम बंगाल	35
कुल योग	671

विवरण II

मोबाइल संचार सुविधाओं से कवर किए जाने वाले प्रस्तावित बसे हुए गांवों/वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	कवर नहीं किए गए गांवों की कुल संख्या	कालम (क) में से बसे हुए ऐसे गांवों की संख्या जिनको यूएसओएफ की सहायता से कवर किए जाने की परिकल्पना की गई है	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित ऐसे स्थानों की संख्या जिन्हें नई स्कीम में कवर किए जाने की परिकल्पना की गई है	कालम (ग) में से रेडिएटिंग स्थानों की संख्या
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	140	140	—	—
आंध्र प्रदेश	1,061	908	227	3
अरुणाचल प्रदेश	2,215	2215	—	—
असम	1,318	621	—	—
बिहार	185	185	184	—
छत्तीसगढ़	3,302	2,889	497	290
दादरा और नगर हवेली	6	6	—	—
गोवा	3	3	—	—
गुजरात	458	360	—	—

1	2	3	4	5
हिमाचल प्रदेश	4,141	2,748	—	—
जम्मू और कश्मीर	666	602	—	—
झारखंड	3,316	2,862	782	—
कर्नाटक	226	168	—	—
लक्षद्वीप	1	1	—	—
मध्य प्रदेश	5,843	5,157	22	6
महाराष्ट्र	1,978	1721	60	2
मणिपुर	201	201	—	—
मेघालय	1,252	1,252	—	—
मिजोरम	127	127	—	—
नागालैण्ड	145	145	—	—
ओडिशा	7,573	6,650	253	—
पंजाब	7	4	—	—
राजस्थान	1,133	1,017	—	—
सिक्किम	9	8	—	—
तमिलनाडु	38	26	—	—
त्रिपुरा	19	19	—	—
उत्तर प्रदेश	377	289	78	—
उत्तरांचल	1,115	1,043	—	—
पश्चिम बंगाल	329	197	96	—
कुल योग	37,184	31,564	2,199	301

वोडो-बोडीएनोई-इनर्जेटिचेस्की रिएक्टर

1442. श्री उदयनराजे भोंसले: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुडनकुलम में विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए रूस से दो वोडो-वोडीएनोई-इनर्जेटिचेस्की रिएक्टर (वीवीईआर) खरीदे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो खरीद की तारीख तथा उसकी लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वीवीई रिएक्टरों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी पश्चिमी देशों द्वारा अपनाए गए सुरक्षा मानकों के अनुरूप है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) रूसी परिसंघ के तकनीकी सहयोग से 1000 मेगावाट क्षमता के दो वोडो-वोडीएनोई-इनर्जेटिचेस्की रिएक्टर (वीवीईआर्ज), तमिलनाडु में कुडनकुलम में स्थापित किए जा रहे हैं।

(ख) जबकि मुख्य उपस्कर का अभिकल्पन एवं उसकी आपूर्ति करना रूसी कार्य क्षेत्र में है, उसका निर्माण, कमीशनन एवं कुछ आपूर्तियां भारत के कार्य क्षेत्र में हैं। इस संबंध में अंतिम करार 24 जुलाई, 2001 को किया गया था।

(ग) और (घ) हमारी नीति के अनुसार विदेशी तकनीकी सहयोग से देश में स्थापित किए जाने वाले किसी रिएक्टर के मूल देश के विनियामक प्राधिकरणों तथा भारत में परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानदण्डों को पूरा किया जाना चाहिए। वीवीईआर्ज सुरक्षा के संबंध में रूसी और भारतीय, दोनों विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

नि:शक्तों के लिए आरक्षण

1443. श्री दत्ता मेघे: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी सेवाओं में नि:शक्त लोगों को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी सेवाओं में नि:शक्त लोगों के बारे में बैकलॉग रिक्तियों की विभाग-वार संख्या कितनी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी, नहीं। 2001 की जनगणना के अनुसार नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्ति, देश की जनसंख्या का 2.13 प्रतिशत हैं। सरकारी स्थापना में नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को आरक्षण नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम की धारा 33 के प्रावधान के अनुसार दिया जाता है जहां पर न्यूनतम 3 प्रतिशत पदों के ऐसी नि:शक्तता के लिए पहचान किये गये पदों पर विनिर्दिष्ट नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों का भरा जाना होता है।

(ग) नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान नवम्बर, 2009 में शुरू किया गया था। केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा यथाप्रदत्त 15.11.2009 की स्थिति के अनुसार नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की बकाया आरक्षित रिक्तियों की संख्या दर्शाने वाला संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

15.11.2009 की स्थिति के अनुसार नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की बकाया आरक्षित रिक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	बकाया रिक्तियां
1	2	3
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	71
2.	पशुपालन, दुग्ध और मत्स्य पालन विभाग	1
3.	परमाणु ऊर्जा विभाग	171
4.	मंत्रिमंडल सचिवालय	5
5.	उर्वरक विभाग	104
6.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	30
7.	नागर विमानन मंत्रालय	117
8.	कोयला मंत्रालय	34

1	2	3
9.	वाणिज्य विभाग	54
10.	आई.पी. एंड पी. विभाग	32
11.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	456
12.	उपभोक्ता मामले विभाग	12
13.	डाक विभाग	1134
14.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	16
15.	दूरसंचार विभाग	284
16.	कॉर्पोरेट कार्य विभाग	9
17.	रक्षा विभाग और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग	638
18.	विदेश मंत्रालय	15
19.	वित्त सेवाएं विभाग	1530
20.	आर्थिक कार्य विभाग	0
21.	व्यय विभाग	11
22.	विनिवेश विभाग	0
23.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	7
24.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	29
25.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	58
26.	भारी उद्योग विभाग	105
27.	गृह मंत्रालय	0
28.	हाउसिंग एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	0
29.	उच्च शिक्षा विभाग	734
30.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	10
31.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	238
32.	विधायी विभाग	4
33.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	53
34.	खान मंत्रालय	95

1	2	3
35.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	0
36.	पंचायती राज मंत्रालय	0
37.	संसदीय कार्य मंत्रालय	0
38.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	10
39.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	359
40.	योजना आयोग	1
41.	प्रधानमंत्री कार्यालय (शून्य)	0
42.	विद्युत मंत्रालय	92
43.	रेल मंत्रालय	13
44.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	1
45.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	37
46.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	90
47.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	0
48.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	31
49.	पर्यटन मंत्रालय	40
50.	जनजाति कार्य मंत्रालय	0
51.	संघ लोक सेवा आयोग	0
52.	शहरी विकास मंत्रालय	228
53.	उपराष्ट्रपति सचिवालय	0
54.	जन संसाधन मंत्रालय	86
55.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	5
56.	अप्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (शून्य)	—
57.	अंतरिक्ष विभाग	37
58.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	19
59.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	10
60.	इस्पात मंत्रालय	309

1	2	3
61.	भारत निर्वाचन आयोग (शून्य)	0
62.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय (शून्य)	0
63.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	8
64.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	4
65.	राजस्व विभाग	812
66.	वस्त्र मंत्रालय	52
67.	फार्मास्यूटिकल्स विभाग	0
68.	राष्ट्रपति सचिवालय	0
69.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	50
70.	पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय (शून्य)	0
	कुल	8341

[अनुवाद]

समेकित कार्य योजना

1444. **श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:**
श्री कामेश्वर बैठा:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित कार्य योजना (आईएपी)के अंतर्गत क्षेत्रों में माओवादी हिंसा ने सरकार को इस योजना को 20 और नक्सल प्रभावित जिलों में विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ऐसे जिलों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश के किसी जिले का नाम भी इस सूची में है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) 60 नक्सल प्रभावित जिलों में अभी तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(च) देश के विभिन्न राज्यों के नक्सल प्रभावित जिलों में आईएपी के कार्यान्वयन का प्रभाव और परिणाम क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) एकीकृत कार्रवाई योजना (आईएपी) को और अधिक जिलों तक पहुंचाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और इस पर अभी निर्णय लिया जाना है।

(ङ) और (च) एकीकृत कार्रवाई योजना 25.11.2010 को अनुमोदित की गई थी। एकीकृत कार्रवाई योजना के तहत अब तक (25.11.2011 की स्थिति के अनुसार) जारी की गई 2500 करोड़ रु. की राशि की तुलना में जिलों द्वारा 1389.24 करोड़ रु. अर्थात 55.57% व्यय की सूचना दी गई है। आरंभ किए गए 60,870 कार्यों में से, जिलों ने सूचित किया है कि 26,568 कार्य अर्थात 43.65% कार्य पूरे किए गए हैं। इतनी जल्दी इस कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन कर पाना संभव नहीं है। तथापि, आईएपी की राज्य और केन्द्र, दोनों स्तरों पर कड़ी निगरानी की जा रही है।

कोयला आपूर्ति पर नक्सलवाद का प्रभाव

1445. **श्री कीर्ति आजाद:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखण्ड राज्य में नक्सली गतिविधियों के कारण कोयला आपूर्ति प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) जी, हां। सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) से कोयले की ढुलाई और कोयले की आपूर्तियां काफी सीमा तक रांची, चतरा, हजारीबाग और लातेहार जिलों में और कुछ सीमा तक बोकारो और रामगढ़ जिलों में प्रभावित हुई हैं।

(ग) चूंकि कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय है, मामले को समय-समय पर राज्य प्राधिकारियों के साथ उठाया जा रहा है। मुख्य सचिव, झारखंड के साथ 10.11.2011 को रांची में आयोजित नवीनतम बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, कानून और व्यवस्था की समस्या के मुद्दे पर भी विचार किया गया है।

विद्यालय के पाठ्यक्रमों में मार्शल आर्ट

1446. **डॉ. सुचारू रंजन हल्दर:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यालयों में मार्शल आर्ट और आत्मरक्षा के अन्य कौशल को सीखने को अनिवार्य बनाए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों के लिए एक कोर विषय के रूप में और कक्षा IX तथा XII हेतु एक ऐच्छिक विषय के रूप में स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। कक्षा I से X हेतु स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम में खेलकूद कौशल क्षमताओं के तहत आत्मरक्षा, जूडो तथा कराटे जैसे मार्शल आर्ट को पर्याप्त जगह दी गई है। विभिन्न राज्य/राज्य बोर्ड राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों को अपनी जरूरतों के अनुसार अनुकूलित करके इन्हें अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माध्यमिक पाठ्यचर्या भी तैयार की है जिसमें प्रमुख खेलों के रूप में कुश्ती तथा जुडो सहित रक्षात्मक/मार्शल आर्ट सुझाए गए कार्यकलापों में से एक है। छात्रगण एक मुख्य विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा विषय का चयन कर सकते हैं और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शारीरिक शिक्षा पाठ्यचर्या के तहत जूडो तथा ताइक्कांडो की शिक्षा भी दी जाती है।

[हिन्दी]

इंटरनेट सुविधायुक्त डाकघर

1447. **श्री पी.सी. मोहन:**
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री जगदीश सिंह राणा:
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री पी.के. बिजू:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जनसंख्या के अनुपात में डाकघरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इंटरनेट सुविधायुक्त डाकघरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए आवासी कालोनियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) उनके लिए उपलब्ध आवासीय इकाइयों तथा निर्माणाधीन/निर्माण की जाने वाली इकाइयों की कुल संख्या कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार डाकघरों की सर्किल-वार संख्या एवं प्रत्येक डाकघर द्वारा सेवित आबादी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) 12,202 विभागीय डाकघरों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। इन डाकघरों का सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टरों की (टाइप-वार) संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(घ) वर्तमान वर्ष के दौरान 6 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण पूरा हो चुका है और 10 निर्माणाधीन हैं।

विवरण I

डाकघरों की सर्किल-वार संख्या एवं प्रत्येक डाकघर द्वारा सेवित आबादी (31.3.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	सर्किलों का नाम	डाकघरों की संख्या (31.3. 2011 की स्थिति के अनुसार)	2001 की जनगणना के अनुसार 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार अनुमानित जनसंख्या (लाख में)	एक डाकघर द्वारा सेवित जनसंख्या
1.	आंध्र प्रदेश	16141	807.12	5000
2.	असम	4004	286.65	7159
3.	बिहार	9055	907.52	10022
4.	छत्तीसगढ़	3125	225.94	7230
5.	दिल्ली	575	160.21	27862
6.	गुजरात	8983	554.61	6174
7.	हरियाणा	2661	233.14	8761
8.	हिमाचल प्रेदश	2777	64.55	2324
9.	जम्मू और कश्मीर	1693	109.41	6462
10.	झारखंड	3095	292.99	9467
11.	कर्नाटक	9772	562.58	5757
12.	केरल	5067	333.77	6587
13.	मध्य प्रदेश	8310	663.90	7989
14.	महाराष्ट्र	12860	1062.96	8265
15.	पूर्वोत्तर	2932	114.19	3895
16.	ओडीशा	8161	388.87	4765
17.	पंजाब	3853	271.62	7049
18.	राजस्थान	10321	622.76	6034
19.	तमिलनाडु	12065	661.93	5486
20.	उत्तराखंड	2715	92.19	3396
21.	उत्तर प्रदेश	17640	1832.82	10390
22.	पश्चिम बंगाल	9061	862.11	9514
	कुल	154866	11121.84	7181

विवरण II

इंटरनेट कनेक्टिविटी युक्त विभागीय डाकघरों का सर्किल-वार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किलों के नाम	इंटरनेट कनेक्टिविटी युक्त डाकघर (संख्या में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	824
2.	असम	525
3.	बिहार	291
4.	छत्तीसगढ़	142
5.	दिल्ली	245
6.	गुजरात	872
7.	हरियाणा	278
8.	हिमाचल प्रदेश	256
9.	जम्मू और कश्मीर	79
10.	झारखंड	181
11.	कर्नाटक	840
12.	केरल	1070
13.	मध्य प्रदेश	481
14.	महाराष्ट्र	1342
15.	पूर्वोत्तर	181
16.	ओडीशा	450
17.	पंजाब	431
18.	राजस्थान	329
19.	तमिलनाडु	1448
20.	उत्तराखंड	1023
21.	उत्तर प्रदेश	182
22.	पश्चिम बंगाल	732
	कुल	12202

विवरण III

31.3.2010 की स्थिति के अनुसार स्टाफ क्वार्टरों (टाइप-वार) की सर्किल-वार संख्या

क्र.सं.	सर्किल का नाम	उपलब्ध विभागीय स्टाफ क्वार्टरों की संख्या							विभागीय लाइसेंस रहित पद संबद्ध क्वार्टरों की उपलब्ध संख्या							विभागीय स्टाफ क्वार्टरों की कुल संख्या	किराए पर लिए गए लाइसेंस रहित पद संबद्ध क्वार्टरों की उपलब्ध संख्या
		टाइप							टाइप								
		1	2	3	4	5	6	7 एवं इससे ऊपर	1	2	3	4	5	6	7 एवं इससे ऊपर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	332	543	142	7	8	4	0	5	95	30	2	0	0	0	1168	890
2.	असम	180	229	79	6	2	1	0	5	99	16	5	0	0	0	622	105
3.	बिहार	325	515	146	20	6	1	0	16	70	17	0	0	0	0	1116	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.	छत्तीसगढ़	94	111	29	7	2	1	0	0	30	2	0	0	0	0	276	139
5.	दिल्ली	384	820	258	23	5	0	0	26	32	8	4	0	0	0	1560	0
6.	गुजरात	462	172	37	9	2	0	0	0	0	84	0	0	0	0	766	395
7.	हरियाणा	150	190	48	13	4	0	0	0	20	24	7	0	0	0	456	18
8.	हिमाचल प्रदेश	189	216	84	12	1	0	0	0	30	36	0	0	0	0	568	154
9.	झारखंड	165	253	63	5	1	0	0	0	35	0	0	0	0	0	522	65
10.	जम्मू और कश्मीर	25	67	57	9	1	0	0	0	6	10	1	0	0	0	176	10
11.	कर्नाटक	447	695	163	32	6	3	0	19	129	126	15	0	0	0	1635	629
12.	केरल	198	328	60	10	4	2	5	7	82	24	3	0	0	0	723	99
13.	मध्य प्रदेश	252	461	178	31	6	0	0	0	104	24	0	0	0	0	1056	220
14.	महाराष्ट्र	799	930	380	37	5	3	0	7	124	63	11	0	0	0	2359	478
15.	पूर्वोत्तर	137	157	52	6	6	0	0	0	72	0	0	0	0	0	430	110
16.	ओडीशा	277	491	226	29	5	1	0	2	62	31	1	0	0	0	1125	470
17.	पंजाब	260	311	131	23	6	0	0	12	33	66	2	0	0	0	844	26
18.	राजस्थान	490	649	217	40	6	1	0	7	123	72	2	0	0	0	1607	201
19.	तमिलनाडु	470	633	118	31	7	2	0	7	108	59	6	0	0	0	1441	935
20.	उत्तर प्रदेश	644	766	122	40	12	4	0	0	106	49	11	0	0	0	1754	257
21.	उत्तराखंड	92	203	16	3	0	0	0	0	35	9	0	0	0	0	358	159
22.	पश्चिम बंगाल	469	659	109	20	2	0	0	14	93	25	0	0	0	0	1391	188
	कुल															21953	5641

[अनुवाद]

ओसीआई कार्ड

1448. श्री एंटो एंटोनी: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के प्रवासी नागरिकों (ओसीआई) के लिए आज की तारीख तक जारी कार्डों की संख्या कितनी है;

(ख) ओसीआई कार्ड जारी करने के लिए सरकार के पास देश-वार लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन आवेदकों को कब तक ओसीआई कार्ड जारी कर दिए जाएंगे?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) 25 नवम्बर, 2011 तक जारी किए गए ओसीआई कार्डों की संख्या 9, 76, 472 है।

(ख) और (ग) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में ओसीआई सेल को, विदेश स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों/गृह मंत्रालय, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों (एफआरआरओज) से प्राप्त ऑन लाइन आंकड़ों के आधार पर, नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेनटर सर्विसेज इनकारपोरेटिड (एनआईसीएसआई) से लाजिस्टिक सहायता के साथ, ओसीआर्ड कार्डों और यू-वीजा स्टिकरों के मुद्रण का कार्य सौंपा गया है। सामान्यतया ओसीआई कार्ड एक महीने की अनुबन्धित अवधि के भीतर जारी कर दिए जाते हैं। 25 नवम्बर, 2011 तक ओसीआई कार्डों के मुद्रण के सम्बन्ध में प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में कुछ भी लम्बित नहीं है।

असंतोषजनक दूरभाषा सेवाएं

1449. श्री रमेन डेका:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री निलेश नारायण राणे:
श्री भूपेन्द्र सिंह:
श्री महेश जोशी:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:

क्या **संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र सहित अधिकतर क्षेत्रों/राज्यों में निजी और सरकारी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों की लैण्डलाइन/मोबाइल टेलीफोन सुविधाएं असंतोषजनक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है तथा इसके क्या कारण हैं एवं राज्य-वार प्रत्येक सेवा प्रदाताओं का कार्य निष्पादन क्या है;

(ग) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने भी निजी दूरसंचार प्रचालकों द्वारा गुणवत्तापरक सेवा के स्तर को पूरा न करने पर अपनी चिंता व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर प्रचालकों की प्रचालक-वार क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) देश में खराब नेटवर्क/संवाओं के संबंध में विभिन्न टेलीकॉम प्रचालकों के विरूद्ध राज्य-वार और प्रचालक-वार प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (च)भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों की निगरानी समय-समय पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 (यथा संशोधित)की धारा 11 (1) ख (v) के तहत दिए गए अधिदेश के अनुसार करता है। ट्राई सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) प्रदाताओं तथा बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदाताओं (वायरलाइन) द्वारा प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता की निगरानी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई तिमाही कार्य-निष्पादन निगरानी रिपोर्टों के माध्यम से, सेवा की गुणवत्ता संबंधी अधिसूचित मानकों के अनुरूप सेवा-क्षेत्र के आधार पर करता रहा है। सेवा प्रदाताओं द्वारा जून, 2011 को समाप्त तिमाही के लिए प्रस्तुत की गई कार्य-निष्पादन निगरानी रिपोर्टों (विवरण-I) के अनुसार यह देखा गया है कि सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा सामान्यत: बेंचमार्कों का अनुपालन किया जाता है। तथापि, कुछ सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं ने कुछेक सेवा क्षेत्रों में कुछ पैरामीटरों संबंधी बेंचमाकों को पूरा नहीं किया है। बेंचमार्कों का अनुपालन अधिकांशत: पैरामीटरों जैसे-डाउनटाइम की वजह से सर्वाधिक रूप से प्रभावित बीटीएस > 3% टीसीएच ड्रॉप (कॉल ड्रॉप)वाले सर्वाधिक प्रभावित सेलो तथा 60 सेकेण्ड की अवधि के भीतर प्रचालकों द्वारा प्रत्युत्तर कॉलों (वॉएस टू वॉएस) की प्रतिशतता-के संदर्भ में नहीं होता है। इन परिस्थितियों में बेंचमार्कों का अनुपालन नहीं किए जाने के प्रमुख कारण हैं- परियात को सक्षम बनाने हेतु अपर्याप्त अवसंरचना, विद्युत आपूर्ति की समस्या, ऑप्टिकल फाइबर का कट जाना, स्थानीय समस्याएं और परियात में अचानक वृद्धि होना, इत्यादि।

बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) के मामले में जून 2011 को समाप्त तिमाही के लिए बुनियादी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई कार्य-निष्पादन निगरानी रिपोर्टों (विवरण-II) से यह पाया गया है कि बेंचमार्कों का अनुपालन अधिकांशत: पैरामीटर दोष घटना एवं मरम्मत सहायता हेतु ग्राहक के लिए प्रतिक्रिया समय तथा सेवा की समाप्ति और इसको बंद करने के संदर्भ में नहीं किया जाता है। बेंचमार्कों का अनुपालन नहीं किए जाने के प्रमुख कारण हैं-दोष की दर अत्यधिक होना (जो उस परंपरागत नेटवर्क की वजह से है जो मुख्यत: कॉपर केबल पर आधारित है) तथा केबलों का बार-बार कट जाना।

जून, 2011 को समाप्त तिमाही के लिए प्रस्तुत की गई कार्य-निष्पादन निगरानी रिपोर्ट के आधार पर ट्राई ने दिनांक 29.9.2011 को सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं को पत्र लिखा था। जिसमें बेंचमार्क को पूरा नही किए जाने के कारणों और इस बेंचमार्क को पूरा करने की कार्य योजना के बारे में जानकारी मांगी गई थी। इस संबंध में सेवा प्रदाताओं से प्राप्त प्रत्युत्तर का संक्षिप्त सार विवरण-III में दिया गया है।

दिनांक 1.4.2011 से दिनांक 30.9.2011 की अवधि के दौरान ट्राई को सेवा संबंधी 1418 शिकायतें, जिनमें विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के विरूद्ध निम्न स्तर के नेटवर्क/सवाओं के बारे में प्राप्त शिकायतें शामिल हैं, प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा, दिनांक 1.04.2011 से 31.10.2011 तक दूरसंचार विभाग के जन शिकायत प्रकोष्ठ को 41341 शिकायतें, जिनमें विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के विरूद्ध निम्न स्तर के नेटवर्क/सेवाओं से संबद्ध शिकायतें शामिल हैं, प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों को समाधान हेतु संबंधित सेवा प्रदाताओं को अग्रेषित कर दिया गया है। प्रचालक-वार शिकायतों का ब्यौरा विवरण -IV में दिया गया है।

विवरण-I

जून 2011 को समाप्त तिमाही के लिए सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रचालकों की सेवा की गुणवत्ता संबंधी निष्पादन निगरानी रिपोर्ट

			नेटवर्क से संबंधित मानदंड									उपभोक्ता सेवा गुणवत्ता संबंधी मानदंड							
			नेटवर्क की उपलब्धता		कनेक्शन संस्थापना (अभिगम्यता)		कनेक्शन अनुरक्षण (बनाए रखने योग्य)				पीओआई	मीटरिंग और बिलिंग			सहायता हेतु उपभोक्ता को जवाब देने का समय			सेवा समाप्त/बंद किया जाना	
क्रसं	सेवा क्षेत्र का नाम	सेवा प्रदाता का नाम	बीटीएस का संचित डाउन टाइम (सेवा हेतु उपलब्ध नहीं) (प्रतिशतता)	डाउनटाइम के कारण सर्वाधिक दुष्प्रभावित बीटीएस (प्रतिशतता)	काल सेट-अप सफलता दर (लाइसेंसधारक के अपने नेटवर्क के भीतर)	एसडीसीसीएच-पेजिंग चैनल संकुलन (प्रतिशतता)	टीसीएच संकुलन (प्रतिशतता)	काल ड्रप दर (प्रतिशतता)	3% से अधिक टीसीएच ड्रप (कॉल ड्रप) दर वाली सर्वाधिक दुष्प्रभावित कालें (प्रतिशतता)	अच्छी क्वास की क्वालिटी वाले कनेक्शन	प्वाइंट आफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) संकुलन (बेंचमार्क पूरा नहीं करने वाले (पीओआई) (तिमाही की अवधि का औसत)	मीटरिंग और बिलिंग विश्वसनीयता-पोस्ट पेड	मीटरिंग और बिलिंग विश्वसनीयता-प्री-पेड	बिलिंग/चार्जिंग वैधता संबंधी शिकायतों का समाधान	शिकायतों के समाधान की तारीख से क्रेडिट-प्रभार माफ करने का आवेदन करने-उपभोक्ता के खाते में समायोजन करने की अवधि	कॉल सेंटर-उपभोक्ता सेवा की अभिगम्यता	60 सेकेंड के भीतर प्रचालक द्वारा (वायस टू वायस) जिन कालों का उत्तर दिया गया उसका प्रतिशत	7 दिन के भीतर सेवा समाप्त करने-बंद करने के अनुरोधों के अनुपालन की प्रतिशतता	सेवा बंद करने के बाद जमा राशि वापस लौटाने हेतु लिया गया समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			≤ 2%	≤2%	≥95%	≤1%	≤2%	≤2%	≤3%	≥95%	≤0.5%	≤0.1%	≤0.1%	4 सप्ताह के भीतर 100%	शिकायत के समाधान के 1 सप्ताह के भीतर	≥95%	≤2.90%	7 दिन के भीतर	60 दिन के भीतर 100%
1.		एयरटेल	0.14	0.05	100%	0.14	0.13	0.55	0.01	99%	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	99.92	85.00	100.00	100.00
2.		बीएसएनएल	1.23	0.00	98%	0.67	1.76	1.07	4.11	98%	0.00	0.10	0.00	100	100	97	53	100	100
3.		एटीस्लाट	0.09	0.00	99%	0.02	0.00	0.12	1.29	99%	0.00	0.00	0.00	100	0	99	100	0	0
4.		आइडिया	0.02	0.00	100%	0.22	0.48	0.63	2.97	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	99	92	100	80
5.		आरकॉम-सीडीएमए	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	99%	0.00	0..00	0.00	100	100	100	90	100	100
6.		आरकॉम-जीएसएम	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	99%	0.00	0..00	0.00	100	100	100	88	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7.		सिस्टिमा	0.18	0.00	98.62%	0.00	0.00	0.29	0.91	100%	0.00	0.00	0.02	100	100	97	93	NA	NA
8.		टीटीएसएल सीडीएमए	0.02	0.00	99.25%	0.00	0.26	0.38	0.31	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0	0
8.क		टीटीएसएल-जीएसएम	0.04	0.00	98%	0.08	0.17	0.75	2.86	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	96	1	1
9.		यूनिनॉर	0.05	0.00	99%	0.10	0.07	0.71	1.14	99%	2.33	0.00	0.10	100	0	98	97	0	0
10.		विडियोकॉन	0.21	0.00	99%	0.22	0.00	0.72	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	100	100	97	95	0	0
11.		वोडाफोन	0.02	0.00	99%	0.00	0.01	0.01	0.03	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	86	100	100
12.		एयरसेल/डिशनेट	0.64	1.89	98%	0.98	1.43	1.22	0.07	92%	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00
13		एयरटेल	0.14	0.76	0.97	0.29	1.39	1.59	0.02	99%	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	70.00	100.0
14.		बीएसएनएल	1.37	19.93	97%	0.97	1.98	1.97	4.97	97%	0.00	0.01	0.00	100	100	100	95	100	100
15.		आइडिया	0.09	0.22	0.58	0.44	1.43	2.79	97%	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	96	93	100	100
16.	असम	लूप टेलीकॉम	0.00	0.00	99%	0.10	0.00	0.01	0.00	98%	1.00	0.00	0.00	0	100	98	97	100	100
17.		आरटीएल	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	67	95	100	100
18.		सिस्टमा	0.14	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	100	N	N	N	N	N	N
19.		एस.टेल	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	0.00	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	99	95	0	0
20.		टीटीएसएल-सीडीएमए	0.23	0.00	100%	0.00	0.04	0.45	0.71	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0	0
21.		वोडाफोन	0.66	1.84	98%	0.01	0.01	0.01	0.03	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	58	100	100
22.	बिहार	एयरसेल/डिशनेट	1.25	9.40	98%	0.39	1.30	1.24	0.00	96%	0.00	0.00	0.24	100	100	100	83	100	100
23.		एयरटेल	0.06	0.54	98%	0.88	0.99	1.53	0.02	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	97	94	100	100
24.		बीएसएनएल	1.06	1.83	97%	0.51	1.24	1.40	4.90	97%	0.01	0.07	0.37	100	100	100	91	100	100
25.		एटिस्लाट	0.31	0.55	96%	0.00	0.00	0.00	1.30	99%	0.00	0.00	0.00	100	0	99	99	0	0
26.		आइडियश	1.36	1.36	98%	0.91	1.89	1.51	3.21	96%	0.00	0.00	0.00	100	100	96	98	100	100
27.		आरकॉम-सीडीएमए	0.01	0.02	100%	0.00	0.01	0.01	0.01	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	95	100	100
28.		आरटीएल	0.00	0.00	98%	0.00	0.00	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	83	80	100	100
29.		सिस्टिमा	1.82	1.19	99%	0.00	0.16	0.88	3.67	86%	0.00	0.00	0.05	100	100	100	90	NA	NA
30.		स्स.टेल	0.00	0.00	98%	0.00	0.00	0.00	0.00	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	99	94	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31.		टीटीएसएल सीडीएमए	0.13	0.19	100%	0.00	0.04	0.34	1.24	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0	0
31.क		टीटीएसएल-जीएसएम	0.11	0.49	98%	0.24	0.44	0.44	1.03	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	91	1	1
32.		यूनिनॉर	1.71	1.39	97%	0.44	1.41	1.46	4.84	96%	22.33	0.00	0.10	100	0	96	92	0	0
33.		विडियोकॉन	1.04	0.00	99%	0.35	0.01	1.34	0.93	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	97	95	0	0
34.		वोडाफोन	0.59	1.71	91%	0.03	0.05	0.02	0.13	96%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	74	100	100
35.		एयरसेल	0.20	0.00	98%	0.56	0.52	0.41	0.00	99%	0.00	0.06	0.02	100	100	100	87	100	100
36.		एयरटेल	0.06	0.04	99%	0.15	0.10	0.75	0.01	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	100	100
37.		बीएसएनएल आरकॉम-सीडीएमए	0.30	0.63	100%	0.20	0.20	0.70	2.03	100%	0.00	0.00	0.10	100	100	99	97	100	100
38.	चंडीगढ़	आरकॉम-जीएसएम	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.01	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	91	100	100
38.क		आरकॉम-जीएसएम	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
39.		टीटीएसएल-जीएसएम	0.01	0.00	100%	0.00	0.01	0.20	0.13	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0	0
39.क		टीटीएसएल-जीएसएम	0.02	0.00	97%	0.07	0.00	0.68	0.63	98%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
40.		वोडाफोन	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.01	0.01	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	93	100	100
41.		एयरसेल	0.27	0.51	98%	0.10	0.06	0.75	0.02	97%	0.00	0.09	0.10	100	100	100	78	100	100
42.		एयरटेल	0.01	0.00	100%	0.04	0.06	0.60	0.01	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	98	100	100
43.		एटिस्लाट	0.18	0.57	97%	0.09	0.60	0.87	6.14	97%	2.33	0.00	0.03	100	100	98	82	0	0
44.		आइडिया	0.14	0.27	100%	0.32	0.65	0.69	2.16	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	99	75	100	100
45.		एमटीएनएल	0.00	0.00	97%	0.00	0.00	0.02	0.05	98%	0.00	0.00	0.01	100	100	100	100	100	100
46.	दिल्ली	एमटीएनएल-सीडीएमए	1.62	1.20	99%	0.32	0.36	1.64	1.20	98%	0.00	0.01	0.00	100	100	97	0	100	100
47.		आरकॉम-जीएसएम	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.01	99%	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	92	100	100
47.क		आरकॉम-जीएसएम	0.00	0.01	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	100	100	28	86	100	100
48.		सिस्टिमा	0.14	0.26	99%	0.00	0.00	0.23	0.50	100%	0.00	0.06	0.07	100	100	97	92	100	100
49.		टीटीएसएल-सीडीएमए	0.01	0.00	99%	0.00	0.02	0.61	1.48	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50.		वोडाफोन	0.04	0.00	99%	0.00	0.01	0.01	0.04	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	89	100	100
51.	गुजरात	एयरसेल	0.09	0.00	99%	0.04	0.10	0.40	0.02	99%	0.00	0.27	0.08	100	100	100	47	100	100
52.		एयरटेल	0.14	0.63	99%	0.09	0.21	1.19	0.01	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	91	100	100
53.		बीएसएनएल	0.54	1.46	98%	0.26	1.38	1.58	2.80	100%	0.01	0.04	0.02	100	100	99	91	100	100
54.		एटिलाइट	0.05	0.00	100%	0.02	0.00	0.50	3.14	98%	0.00	0.00	0.00	100	0	99	99	0	0
55.		आइडिया	0.07	0.12	99%	0.28	0.21	0.88	2.53	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	99	83	100	100
56.		आरकॉम-सीडीएमए	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	92	100	100
56.क		आरकॉम -जीएसएम	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	88	100	100
57.		सिस्टिमा	0.16	0.29	99%	0.00	0.00	0.31	1.60	100%	0.00	0.00	0.02	100	100	97	96	NA	NA
58.		टीटीएसएल-सीडीएमए	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.28	0.44	99%	0.00	0.00	0.00	10	100	0	0	0	0
58.क		टीटीएसएल-जीएसएम	0.03	0.15	96%	0.25	1.29	1.06	2.66	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	100	100
59.		यूनिनॉर	0.02	0.00	98%	0.02	0.06	1.54	4.39	97%	0.00	0.00	0.50	100	0	98	90	0	0
60.		विडियोकॉन	0.05	0.00	99%	0.07	0.23	0.68	0.32	98%	0.33	0.00	0.00	100	100	97	92	0	0
61.		वोडाफोन	0.03	0.00	99%	0.00	0.00	0.01	0.02	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	93	100	100
62.		एयरसेल/डिशनेट	0.05	0.00	99%	0.07	0.41	0.90	0.13	95%	0.00	0.00	0.07	100	100	100	85	100	100
63.		एयरटेल	0.04	0.09	99%	0.12	0.27	1.02	0.03	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	92	100	100
64.		बीएसएनल	1.87	1.83	95%	0.70	1.87	1.90	4.87	96%	0.02	0.10	0.10	100	100	100	96	100	100
65.		आइडिया	0.31	0.00	99%	0.53	0.90	1.66	2.62	96%	0.00	0.00	0.00	100	100	99	87	100	100
66.		आरकॉम-सीडीएमए	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	94	100	100
67.	हिमांचल प्रदेश	आरटीएल	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	0.00	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	36	95	100	100
68.		सिस्टिमा	0.15	0.28	99%	0.00	0.00	0.27	1.05	100%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	NA	NA
69.		एस.टेल	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	0.00	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	95	0	0
70.		टीटीएसएल-सीडीएमए	0.00	0.00	100%	0.00	0.06	0.17	0.82	100%	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0	0
71.		विडियोकॉन	0.28	0.00	98%	0.00	0.56	0.90	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	100	100	98	96	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
72.		वोडाफोन	0.01	0.00	100%	0.00	0.00	0.01	0.03	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	98	100	100
73.	हरियाणा	एयरसेल	0.90	0.40	98%	0.25	0.31	1.15	0.01	98%	0.00	0.00	0.09	100	100	100	91	100	100
74.		एयरटेल	0.09	0.22	0.99	0.13	0.23	0.62	0.01	0.99	0.00	9.00	0.00	100.00	100.00	99.78	80.00	100.00	100.00
75.		बीएसएनएल	1.38	1.95	96%	0.27	0.68	1.91	4.63	97%	0.00	0.10	0.06	100	100	100	95	0	0
76.		एटिस्लाट	0.13	0.00	99%	0.04	0.00	0.46	5.33	98%	0.00	0.00	0.00	100	0	99	99	0	0
77.		आइडिया	0.15	0.03	100%	0.43	0.54	0.80	2.94	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	99	82	100	100
78.		लूप टेलीकॉम	0.01	0.00	100%	0.17	0.00	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	DNF	0	100	100	0	0
79.		आरकॉम-सीडीएमए	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	0.01	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	92	100	100
79.क		आरकॉम-जीएसएम	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	82	100	100
80.		सिस्टिमा	0.13	0.00	99%	0.00	0.00	0.44	1.40	100%	0.00	0.00	0.05	100	100	97	91	NA	N
81.		टीटीएसएल-सीडीएमए	0.02	0.00	100%	0.00	0.0	70.28	0.82	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0	0
81.क		टीटीएसएल-जीएसएम	0.04	0.05	98%	0.02	0.50	0.77	1.69	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	100	100
82.		विडियोकॉन	0.16	0.30	98%	0.05	0.82	0.74	0.87	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	98	97	0	0
83.		वोडाफोन	0.14	0.75	98%	0.00	0.01	0.10	102	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	95	100	100	100
84.		एयरशेल/डिशनेट	0.15	0.76	96%	0.43	3.32	1.11	0.06	93%	0.67	0.00	0.04	100	100	100	88	100	100
85.		एयरसेल	0.14	0.67	99%	0.12	0.16	0.80	0.02	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	97	91	100	100
86.		आइडियस	0.21	1.11	99%	0.19	0.31	1.66	2.69	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	97	72	100	100
87.	जम्मू और कश्मीर	आरकॉम-जीएसएम	0.00	0.01	99%	0.00	0.01	0.00	0.00	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	96	100	100
88.		वोडाफोन	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.01	0.03	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	98	100	100
89.		टीटीएसएल-जीएसएम	0.07	0.00	99%	0.00	0.10	0.68	1.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0	0
90.		बीएसएनएल	1.90	1.74	98%	0.90	1.90	2.00	4.80	98%	0.00	0.05	0.06	100	100	95	100	100	100
91.	कोलकाता	एयरसेल/डिशनेट	0.02	0.00	98%	0.19	0.05	0.55	0.02	98%	0.00	0.01	0.17	100	100	100	85	100	100
92.		एयरटेल	0.05	0.12	99%	0.06	0.07	0.75	0.00	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	100	100
93.		बीएसएनएल	1.01	4.35	99%	0.60	0.76	0.72	4.43	100%	0.01	0.00	0.22	100	100	100	95	100	100
94.		आइडिया	0.06	0.43	98%	0.14	0.41	0.71	1.34	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	99	98	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95.		लूप टेलीकॉम	0.01	0.00	99%	0.32	0.00	0.02	0.01	98%	0.00	0.00	0.00	DNF	0	100	100	0	0
96.		आरकॉम-सीडीएमए	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.01	0.02	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	93	100	100
97.		आरटीएल	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	63	97	100	100
98.		सिस्टिमा	0.00	0.00	98%	0.00	0.28	0.82	1.60	98%	0.00	0.00	0.09	100	100	100	90	NA	NA
99.		टीटीएसएल-सीडीएमए	0.04	0.00	99%	0.00	0.00	0.87	2.25	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0	0
99.क		टीटीएसएल-जीएसएम	0.01	0.00	98%	0.11	0.13	0.83	1.38	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	100	100
100.		यूनीनॉर	0.08	0.00	99%	0.12	0.10	1.46	2.45	97%	1.33	0.00	0.00	100	0	98	97	0	0
101.		वोडाफोन	0.04	0.07	100%	0.00	0.00	0.01	0.01	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	95	99	100
102.		एयरसेल	0.01	0.00	99%	0.03	0.04	0.02	0.02	98%	0.67	1.24	0.29	100	100	100	92	100	100
103.		एयरटेल	0.04	0.12	99%	0.35	0.20	1.11	0.02	96%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	82	100	100
104.		एटिस्लाट	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.64	1.44	98%	0.00	0.00	0.00	100	0	99	100	0	0
105.		आइडिया	0.11	0.09	100%	0.30	0.59	0.99	1.74	96%	0.00	0.00	0.00	100	100	99	96	100	100
106.		आरकॉम-सीडीएसम	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.01	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	81	100	100
106.क		आरकॉम-जीएसएम	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	78	100	100
107.	केरल	सिस्टमा	0.01	0.00	99%	0.00	0.00	0.41	0.30	100%	0.00	0.00	0.02	100	100	99	90	NA	NA
108.		टीटीएसएल/सीडीएमए	0.01	0.00	100%	0.00	0.00	0.29	0.73	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0	0
108.क		टीटीएसएल-जीएसएल	0.04	0.07	98%	0.12	0.13	0.90	2.25	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	100	100
109.		यूनीनॉर	0.21	0.00	99%	0.04	0.04	1.16	0.66	98%	0.00	0.00	0.10	100	0	99	99	0	0
110.		विडियोकॉन	0.07	0.00	100%	0.02	0.24	1.15	1.04	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	98	95	0	0
111.		वोडाफोन	0.02	0.02	98%	0.00	0.01	0.01	0.01	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	53	100	100
112.		बीएसएनएल	0.81	1.87	99%	0.32	1.45	0.62	1.96	100%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	45	100	100
113.	कर्नाटक	एयरसेल	0.08	0.15	99%	0.04	0.07	0.43	0.01	98%	0.00	0.06	0.10	100	100	100	89	100	100
114.		एयरटेल	0.20	0.04	99%	0.40	0.53	1.04	0.03	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	95	100	100
115.		बीएसएनएल	1.35	1.79	99%	0.33	0.87	1.08	4.69	99%	0.00	0.02	0.04	100	100	98	90	100	100
116.		एटिस्लाट	0.16	0.00	100%	0.02	0.00	0.14	1.60	99%	0.00	0.00	0.00	100	0	99	100	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117.		आइडिया	0.04	0.15	100%	0.21	0.51	1.37	2.65	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	98	65	100	100
118.		आरकॉम-सीडीएमए	0.00	0.00	100%	0.01	0.00	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	89	100	100
118.क		आरकॉम-जीएसएम	0.00	0.00	100%	0.01	0.00	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	87	100	100
119.		सिस्टिमा	0.22	0.22	98%	0.00	0.40	0.63	1.10	99%	0.00	0.03	0.05	100	100	97	95	NA	NA
120.		टीटीएसएल/सीडीएमए	0.02	0.00	100%	0.00	0.07	0.14	0.25	100%	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0	0
120.क		टीटीएसएल/सीडीएमए	0.07	0.14	98%	0.10	0.41	0.95	3.14	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	100	100
121.		यूनिनॉर	0.03	0.00	99%	0.03	0.01	0.77	0.65	99%	0.00	0.00	0.30	100	0	97	96	0	0
122.		विडियोकॉन	0.00	0.00	98%	0.08	0.09	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	97	95	0	0
123.		वोडाफोन	0.03	0.00	99%	0.00	0.00	0.01	0.04	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	60	100	100
124.		एयरसेल	0.07	0.02	99%	0.07	0.01	0.78	0.02	98%	1.00	0.03	0.01	100	100	100	95	100	100
125.		एयरटेल	0.03	0.16	100%	0.01	0.03	0.78	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	99	90	100	100
126.		एटिस्लाट	0.06	0.39	98%	0.03	0.60	0.47	8.30	98%	2.00	0.00	0.01	100	0	99	98	0	0
127.		आइडिया	0.02	0.00	99%	0.07	0.15	1.19	2.75	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	98	90	100	100
128.		लूप-मोबाइल	0.00	0.00	99%	0.10	0.00	0.01	0.00	98%	1.00	0.00	0.00	0	100	98	97	100	100
129.		एमटीएनएल	0.00	0.00	99%	0.00	0.01	0.02	0.03	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	96	92	100	20
130.		एमटीएनएल-सीडीएमए	0.41	0.05	9803%	0.51	0.01	1.10	0.83	98%	0.21	0.08	0.02	100	100	96	94	100	100
131.	मुंबई	आरकॉम-सीडीएसमए	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.01	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	91	100	100
131.क		आरकॉम-जीएसएम	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.01	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	94	100	100
132.		सिस्टिमा	0.03	0.00	99%	0.00	0.00	0.18	1.14	99%	0.00	0.10	0.08	100	100	99	97	100	NA
133.		टीटीएसएल-सीडीएमए	0.01	0.04	99%	0.00	0.20	0.58	1.85	96%	0.00	0.00	0.00	100	77	0	0	0	0
133.क		टीटीएसएल सीडीएमए	0.03	0.05	99%	0.24	0.98	2.27	97%	0.00	0.00	0.00	0.09%	100	100	100	92	100	100
134.		यूनिनॉर	0.07	0.00	99%	0.04	1.09	1.53	98%	0.33	0.00	0.10	0.00	100	0	98	98	0	0
135.		वोडाफोन	0.04	0.02	100%	0.00	0.00	0.01	0.02	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	82	100	100
136.	महाराष्ट्र	एयरसेल	0.07	0.08	100%	0.02	0.02	0.45	0.03	98%	0.00	0.04	0.01	100	100	100	94	100	100
137.		एयरटेल	0.12	0.30	99%	0.12	0.20	0.99	0.02	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	99	91	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138.		एटिस्लाट	0.99	1.54	0%	0.82	1.77	1.75	0.00	98%	0.00	0.01	0.04	100	100	100	89	100	100
139.		आइडिया	0.37	0.05	99%	0.33	0.01	0.54	6.94	98%	0.00	0.00	0.00	100	0	99	99	0	0
140.		आरकॉम-सीडीएमए	0.37	1.75	98%	0.78	1.53	1.16	2.83	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	99	92	100	100
141.		आरकॉम-जीएसएम	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	94	100	100
141.क		सिस्टिमा	0.00	0.01	100%	0.00	0.00	.00	0.00	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	43	90	100	100
142.		टीटीएसएल-सीडीएमए	0.03	0.00	99%	0.00	0.00	0.30	1.91	100%	0.00	0.09	0.10	100	100	97	97	100	0
143.		टीटीएसएल-जीएसएम	0.03	98%	0.00	0.20	0.99	2.52	96%	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0	0
143.क		यूनिनॉर	0.03	0.02	99%	0.16	0.20	0.94	2.47	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	100	100
144.		विडियाकॉन	0.15	0.67	98%	0.02	0.10	1.37	4.36	97%	0.07	0.00	0.10	100	0	98	93	0	0
145.		वोडाफोन	0.86	0.00	97%	0.46	0.77	0.53	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	97	95	0	0
146.		एयरसेल	0.19	0.64	98%	0.01	0.01	0.01	0.03	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	91	100	100
147.		एयरटेल	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.33	0.30	0.40	100	100	100	100	81	100	100
148.		बीएसएनएल	0.43	1.97	99%	0.35	0.29	1.19	0.01	96%	0.01	0.00	0.00	100	100	100	90	100	100
149.		एटीस्लॉट	1.44	2.11	96%	0.98	2.57	2.07	5.05	98%	0.00	0.02	0.04	100	100	100	82	100	100
150.		आइडिया	0.10	0.57	99%	0.10	0.01	0.62	4.68	98%	0.67	0.00	0.00	100	0	99	99	0	0
151.		लूप-टेलीकॉम	0.96	1.58	97%	0.57	0.72	1.15	2.68	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	99	96	100	100
152.	मध्य प्रदेश	ऑरकाम-सीडीएमए	0.00	0.00	98%	0.01	0.00	0.01	0.01	98%	0.00	0.00	0.00	0	0	100	100	0	0
153.		आरटीएल	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.01	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	99	94	100	100
154.		सिस्टिमा	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	46	65	100	100
155.		टीटीएसएल-सीडीएमए	0.45	0.00	98%	0.00	0.00	0.48	2.07	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	NA	NA
156.		टीटीएसएल-जीएसएम	0.02	0.00	100%	0.00	0.00	0.38	0.36	99%	0.00	0.00	0.00	100	84	0	0	0	0
156.क		विडियाकॉन	0.01	0.00	98%	0.34	0.32	0.92	1.64	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	100	100
157.		वोडाफोन	0.28	0.74	99%	0.04	0.21	0.72	0.73	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	95	93	0	0
158.	उत्तरोत्तर	एयरसेल/डिश्नेट	0.05	0.03	98%	0.00	0.01	0.01	0.03	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	79	100	100
159.		एयरटेल	1.32	12.19	86%	9.74	10.63	2.11	0.18	82%	0.00	0.00	0.02	100	100	100	92	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160.		बीएसएनएल	0.97	2.23	95%	0.91	1.91	1.57	0.03	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	74	100	100
161.		आइडिया	2.06	7.14	96%	2.09	2.63	2.61	2.03	97%	0.00	0.05	0.05	100	100	98	88	100	100
162.		लूप टेलीकॉम	0.99	1.18	96%	0.81	1.50	1.89	2.84	96%	0.00	0.00	0.00	100	100	83	89	100	100
163.		आरटीएल	0.01	0.00	98%	0.08	0.00	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0	0	100	100	0	0
164.		एयरटेल	0.00	0.00	98%	0.00	0.00	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	43	97	100	100
165.		स्टीटीएसएल-सीडीएमए	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	99	97	0	0
166.		वोडाफोन	0.70	3.88	99%	0.00	0.04	0.39	0.50	100%	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0	0
167.		एयरसेल/डिशनेट	0.45	0.91	97%	0.01	0.02	0.01	0.03	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	73	100	100
168.		एयरटेल	0.22	1.55	99%	0.30	0.96	0.94	0.07	98%	0.33	0.03	1.36	100	100	100	87	100	100
169.		बीएसएनएल	0.36	1.70	98%	0.54	0.83	1.40	0.03	96%	0.00	0.00	0.00	100	100	97	96	100	100
170.		आइडिया	0.69	1.04	97%	97%	1.76	1.95	4.49	98%	0.00	0.04	0.03	100	100	95	92	100	100
171.		लूप-टेलीकॉम	0.14	0.03	98%	0.11	0.21	0.58	2.85	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	99	95	100	100
172.		आरकॉम-सीडीएमए	0.00	0.00	100%	0.05	0.00	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	0	0
173.	ओडीशा	आरटीएल	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.01	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	94	100	100
174.		सिस्टिमा	0.0	175.															
175.		एस.टेल																	
176.		टीटीएसएल-जीएसएम	0.02	0.00	99%	0.00	0.00	0.18	0.38	100%	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0	0
		टीटीएसएल-जीएसएम	0.03	0.04	99%	0.22	0.30	0.39	0.49	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	100	100
177.		यूनिनॉर	0.74	0.13	98%	0.45	0.28	1.67	3.95	97%	0.00	0.00	0.00	0.00	100	99	97	0	0
178.		विडियोकॉन	0.98	0.00	99%	0.65	0.79	0.58	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	97	95	0	0
179'	पंजाब	वोडाफोन	0.05	0.09	98%	0.00	0.01	0.01	0.03	98%	0.000	0.00	0.00	100	100	100	93	99	100
180.		ऐयरसेल	0.83	0.28	98%	0.20	0.05	1.06	0.02	97%	0.00	0.01	0.00	100	100	100	86	100	100
181.		एयरटेल	0.07	0.15	99%	0.12	0.16	0.67	0.01	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	87	100	100
182.		बीएसएनएल	0.48	1.97	99%	0.76	.55	1.53	6.67	95%	0.00	0.01	0.01	100	100	100	96	100	100
183.		एटिस्लाट	0.05	0.00	99%	0.00	0.01	1.36	9.23	99%	0.00	0.00	0.00	100	0	99	100	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
184.		क्यूटीएल-सीडीएमए	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.01	0.02	98त	0.00	0.00	0.00	0	100	100	96	92	100
184.क		क्यूटीएल-जीएसएम	0.00	0.01	98%	0.00	0.00	0.01	0.01	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	93	0	0
185.		आइडिया	0.06	0.65	98%	0.46	1.65	1.31	2.35	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	98	46	99	100
186.		लूप टेलीकॉम	0.00	0.00	98%	0.21	0.00	0.00	0.00	98%	0.00	0.00	0.00	0	0	100	100	0	0
187.		आरकॉम-सीडीएमए	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.01	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	94	100	100
187.क		आरकॉम-जीएसएम	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	93	100	100
188.		सिस्टिमा	0.00	0.00	97%	0.00	0.00	0.00	1.79	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	NA	NA
189.		टीटीएसएल-सीडीएमए	0.01	0.00	100%	0.01	0.00	0.23	0.61	100%	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0	0
189.क		टीटीएसएल-जीएसएम	0.02	0.00	98%	0.22	0.31	0.94	2.40	96%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	100	100
190.		वोडाफोन	0.02	0.05	99%	0.00	0.00	0.01	0.03	96%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	94	100	100
191.		एयरसेल	0.14	0.00	97%	0.02	0.02	1.35	0.08	97%	2.33	0.00	0.05	100	100	100	93	100	100
192.		एयरटेल	0.10	0.25	99%	0.21	0.28	1.00	0.03	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	93	100	100
193.		बीएसएनएल	1.81	2.00	99%	0.15	0.71	1.35	4.98	98%	0.00	0.08	98	100	100	91	100	100	100
194.		एटिस्लाट	0.30	3.05	99%	0.07	0.14	0.53	6.12	99%	0.00	0.00	0.00	100	0	99	99	0	0
195.		आइडिया	0.13	0.08	98%	0.52	1.25	1.27	2.88	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	98	64	100	100
196.		लूप टेलीकॉम	0.01	0.00	99%	0.04	0.00	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	DNF	0	100	100	0	0
197.	राजस्थान	आरकॉम-सीडीएमए	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	94	100	100
197.क		आरकॉम-जीएसएम	0.00	0.01	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	91	100	100
198.		सिस्टिमा	0.14	0.00	99%	0.00	0.16	0.51	2.29	99%	0.00	0.04	0.02	100	100	96	96	100	100
199.		टीटीएसएल-सीडीएमए	0.02	0.00	99%	0.00	0.09	0.78	3.43	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0	0
199.क		टीटीएसएल-जीएसएम	0.02	0.00	97%	0.11	0.29	1.03	2.15	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	100	100
200.		विडियोकॉन	0.23	0.00	99%	0.16	0.34	0.95	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	97	95	0	0
201.		वोडाफोन	0.06	0.31	99%	0.52	0.65	0.47	0.01	96%	0.00	0.10	0.24	100	100	100	93	100	100
202.	तमिलनाडु	एयरसेल	0.26	0.23	99%	0.52	0.65	0.47	0.01	96%	0.00	0.10	0.24	100	100	100	33	100	100
203.		एयरटेल	0.08	0.18	98%	0.51	0.38	0.90	0.02	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	91	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204.		बीएसएनएल	0.43	1.53	99%	19	0.59	0.71	2.43	99%	0.00	0.02	0.01	100	100	100	93	100	100
205.		एटिस्लाट	0.04	0.01	99%	0.25	0.00	0.18	1.46	98%	0.00	0.00	0.00	100	0	99	100	0	0
205.क		आरकॉम-सीडीएमए	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	91	100	100
206.		सिस्टिमा	0.01	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.01	100	100	100	89	100	100
207.		टीटीएसएल-सीडीएमए	0.02	0.00	98%	0.00	1.09	1.25	1.12	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0	0
208.		टीटीएसएल-जीएसएम	0.02	0.00	98%	0.11	0.14	0.56	1.58	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	100	100
209.		विडियाकॉन	0.07	0.01	99%	0.11	0.23	1.06	1.83	98%	0.67	0.00	0.00	100	100	96	91	0	0
210.		वोडाफोन	0.02	0.07	98%	0.00	0.01	0.01	0.02	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	73	100	100
211.		आइडिया	0.01	0.00	99%	0.03	0.08	0.64	2.27	98%	0.00	0.000.	0.00	83	100	99	91	100	100
212.		यूनिनॉर	0.02	0.00	99%	0.04	0.02	0.90	0.82	99%	5.33	0.00	0.00	100	0	97	97	0	0
213.		एयरसेल/डिशनेट	0.28	1.24	98%	0.12	0.59	0.74	0.02	96%	0.00	0.00	0.05	100	100	100	82	100	100
214.		एयरटेल	0.29	0.50	99%	0.12	0.31	1.09	0.03	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	99	82	100
215.		बीएसएनएल	0.65	2.70	96%	0.67	1.67	1.67	4.50	96%	0.00	0.07	0.06	100	100	98	94	100	100
216.		एटिस्लॉट	0.41	0.00	99%	0.00	0.00	0.01	1.37	99%	0.00	0.00	0.00	100	0	99	99	0	0
217.		आइडिया	0.21	0.34	100%	0.93	1.93	1.08	1.08	2.77	96%	0.00	0.00	0.00	100	100	95	100	100
218.	उत्तर	आरकॉम-जीएसएम	0.01	0.02	100%	0.00	0.01	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	100	100	27	9	100	100
218.क	प्रदेश पूर्व	आरकॉम-सीडीएमए	0.00	0.01	99%	0.00	0.01	0.01	0.02	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	90	100	100
219.		सिस्टिमा	0.27	0.00	99%	0.00	0.00	0.27	0.00	99%	0.00	0.00	0.01	100	100	99	93	NA	NA
220.		टीटीएसएल-सीडीएमए	0.04	0.00	100%	0.00	0.00	0.20	0.51	100%	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0	0
220.क		टीटीएसएल-जीएसएम	0.19	0.33	97%	0.20	1.29	1.37	5.11	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	100	100
221.		यूनिनॉर	1.98	1.76	95%	0.81	2.00	1.91	4.83	96%	3.67	0.00	0.00	100	0	97	95	0	0
222.		विडियोकॉन	1.39	1.34	98%	0.78	0.37	1.57	0.45	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	97	95	0	0
223.		वोडाफोन	0.18	0.99	98%	0.00	0.01	0.02	0.02	0.05	96%	0.00	0.00	100	100	100	87	99	100
224.	उत्तर प्रदेश	एयरसेल/डिशनेट	0.95	1.93	98%	0.37	0.55	0.64	0.02	97%	0.00	0.06	0.02	100	100	100	84	100	100
225.	(पश्चिम)	एयरटेल	0.20	0.38	99%	0.43	0.77	0.92	0.01	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	84	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
226.		बीएसएनएल	1.44	10.21	96%	1.01	1.75	2.67	14.51	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	92	100	100
227.		एटिस्लॉट	0.31	0.00	99%	0.00	0.00	0.01	1.71	99%	0.00	0.00	0.00	100	0	99	99	0	0
228.		आइडिया	0.04	0.02	100%	0.98	1.14	0.97	2.98	100%	0.00	0.00	0.00	100	100	99	94	100	100
229.		आरकॉम-जीएसएम	0.04	0.01	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	99%	0.00	1.00	0.00	100	100	66	86	100	100
229.क		आरकॉम-सीडीएमए	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.01	0.02	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	91	100	100
230.		सिस्टिमा	0.08	0.00	99%	0.00	0.00	0.89	2.87	98%	0.00	0.00	0.01	100	100	99	94	NA	NA
231		टीटीएसएल-सीडीएमए	0.03	0.00	100%	0.00	0.00	0.21	0.47	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0	0
231.क		टीटीएसएल-जीएसएम	0.09	0.08	98%	0.08	0.19	1.02	3.37	97%	0.00	0.00	0.0	100	100	100	100	100	100
232.		यूनिनॉर	1.06	1.22	96%	0.29	1.86	1.39	4.67	96%	9.67	0.00	0.10	100	0	97	97	0	0
233.		वोडाफोन	0.19	0.75	98%	0.00	0.01	0.01	0.03	96%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	92	100	100
234.		विडियोकॉन	0.61	1.56	98%	0.61	0.43	1.14	1.13	96%	0.00	0.00	0.00	100	100	97	95	0	0
235.		एयसेल/डिशनेट	0.58	2.00	98%	0.74	0.88	1.30	0.09	95%	0.50	0.00	0.11	100	100	100	68	100	100
236.		एयरटेल	0.13	0.33	99%	0.30	0.79	1.45	0.02	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	65	88	100	100
237.		बीएसएनएल	0.95	2.29	98%	0.58	0.99	0.80	6.42	98%	0.00	0.07	0.08	100	100	100	93	100	100
238.		आइडिया	0.10	0.84	97%	0.39	0.89	1.05	2.81	98%	0.00	0.00	0.00	100	100	99	95	100	100
239.		आरकॉम-सीडीएमए	0.00	0.01	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	93	100	100
240.	पश्चिम	आरटीएल	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	63	77	100	100
241.	बंगाल	सिस्टिमा	0.34	1.05	98%	0.00	0.18	1.09	3.31	97%	0.00	0.00	0.07	100	100	100	90	NA	NA
242.		टीटीएसएल सीडीएमए	0.07	0.00	100%	0.00	0.00	0.34	0.39	100%	0.00	0.00	0.00	100	100	0	0	0	0
242.		टीटीएसएल जीएसएम	0.01	0.00	99%	0.08	0.10	0.43	0.67	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	100	100
243.		यूनिनॉर	1.47	1.53	95%	0.90	2.19	1.58	4.88	95%	8.23	0.00	0.00	100	0	97	92	0	0
244.		विडियोकॉन	0.22	0.00	99%	0.05	0.23	1.58	0.00	99%	0.00	0.00	0.00	100	100	97	95	0	0
245.		वोडाफोन	0.05	0.10	97%	0.01	0.02	0.02	0.03	96%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	94	99	100

टिप्पणी: डीएनएफ—डाटा फॉरमेट में नहीं।

एन.ए.—उपलब्ध नहीं।

विवरण II

जून, 2011 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) की गुणवत्ता पर तिमाही निष्पादन वाली निगरानी रिपोर्ट

					दोष सुधार						पीओआई		मीटरिंग एवं बिलिंग			ग्राहक की सहायता के लिए जवाबी समय		सेवा को बंद करना-समाप्त करना	
क्र.सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	सेवा प्रदाता का नाम	दोष संबंधी घटनाएं (दोष की संख्या 100 ग्राहक माह)		तीन महीने के अंदर दोष सुधारों का %	पांच दिनों के अंदर दोष सुधारों का %	किराया संबंधी छूट	सुधार के लिए औसत समय (एमएमटीआर)	काल समापन दर (सीसीआर)	अभिग्रहण अनुपात संबंधी जवाब	अंत:संयोजन के बिन्दु (पीओआई) की संख्या जो बेंचमार्क को पूरा नहीं कर रही है	मीटरिंग एवं बिलिंग संबंधी विश्वसनीयता पोस्ट-पेड	मीटरिंग एवं बिलिंग संबंधी विश्वसनीयता प्री पेड	बिलिंग प्रभारण वैधता की शिकायतों का समाधान	शिकायतों के समाधान की तिथि से ग्राहकों के खाते में में जमा छूट समायोजन के आवेदन करने की अवधि	काल सेंटर ग्राहक सेवा की अभिगम्यता	60 सेकेंड के भीतर (वायस-टू-वायस के प्रचालकों द्वारा उत्तर लिए गए कालों का प्रतिशत	7 दिनों के अंदर समापन पूरी की गई सेवा को बंद करने संबंधी आवेदनों का प्रतिशत	सेवा समाप्त होने पर जमा धनराशि की वापसी के लिए लिया गया समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			≤5	अगले कार्यदिवस तक ≥90%	शहरी क्षेत्रों के लिए ≥100%	ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ≥100%		≤8 घंटे	≥55%	≥75%	≤0.5%	≤0.1%	≤0.1%	100 4 सप्ताह के भीतर	शिकायत के समाधान का 1 सप्ताह	≥95%	≥90%	100% 7 दिनों के भीतर	100% 60 दिनों के भीतर
1.	अंडमान एवं निकोबार	बीएसएनएल	3.59	83.35%	100.00%	100.00%	NIL	7.80	61.01%	RN	NR	NIL	NR	NR	NR	100.00%	93.67%	100.00%1	00.00%
2.		आरकॉम	0.48	100.00%	100.00%	NA	NIL	02.24	NR	88.03%	NIL	0.02%	NR	100.00%	100.00%	96.00%	91.00%	100.00%	100.00%
3.	आन्ध्र	एयरटेल	2.78	97.88%	100.00%	N	NIL	2.40	91.01%	NA	NIL	0.01%	NA	100.00%	100.00%	99.98%	91.44%	NIL	100.00%
4.	प्रदेश	टीटीएसएल	1.86	98.61%	100.00%	100.00%	NIL	5.48	98.80%	NA	NIL	0.09%	NA	100.00%	100.00%	97.01%	91.54%	NIL	NIL
5.		बीएसएनएल	3.56	94.46%	97.06%	99.90%	NIL	8.006	8.21%	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	90.28%	91.00%	99.81%	100.00%
6.	असम	टीटीएसएल	NIL	NIL	NIL	NIL	NILNR	98.60%	NA	NIL	NIL	NA	NIL	NIL	97.63%	90.10%	90.10%	NIL	NIL
7.		बीएसएनएल	4.43	92.62%	97.40%	100.00%	NIL	3.30	68.43%	NIL	NIL	0.02%	NIL	NIL	NIL	96.27%	97.33%	100.00%	100.00%
8.	बिहार	आरकाम	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	96.26%	NIL	NIL	NIL%	100.00%	96.00%	91.00%	No	सेवा समाप्ति के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं	100.00%
9.		टीटीएसएल	3.51	100.00	%100.00%	100.00%	NIL	3.92	98.60%	NA	NIL	0.02%	NA	100.00%	NR	98.67%	94.58%	NR	NIL
10.		बीएसएनएल	2.83	95.65	%91.3days	91.27%	NIL	6.81	71.71%	NR	NR	0.01%	NR	NR	NR	93.63%	85.33%	99.85%	00.00%
11.		आरकॉम	0.29	100.00%	100.00%	NA	NIL	02.22	NR	88.05%	NIL	0-02%	NR	100.00%	100.00%	96.00%	91.00%	100.00%	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12.	चंडीगढ़	टीटीएसएल	0.39	92.98%	100.00%	100.00%	NIL	6.66	98.99%	NR	NIL	0.01%	NR	100.00%	NR	98.01%	90.97%	100.00%	100.00%
13.		बीएसएनएल	2.78	98.15%	98.58%	99.35%	NIL	7.01	82.10%	NR	NR	NIL	NR	NR	NR	95.66%	90.97%	100.00%	100.00%
14.	छत्तीसगढ़	बीएसएनएल	6.60	95.73%	98.92%	98.51%	NIL	5.95	60.98%	NR	NR	NIL	NR	NR	NR	95.37%	88.67	%100.00%	100.00%
15.		एमटीएनएल	6.96	84.63%	92.62%	NA	17436	7.92	54.24%	NR	NIL	0.14%	NR	69.28%	99.56%	98.57%	90.67%	100.00%	100.00%
16.	दिल्ली	आरकॉम	0.30	100.00%	100.00%	NA	NIL	02.18	NR	90.21%	NIL	0.02%	NR	100.00%	100.00%	96.00%	91.001%	00.00%	100.0%
17.		एयरटेल	2.32	96.94%	100.00%	NA	2814	5.79	95.12%	NA	NIL	0.12%	NA	100.00%	99.21%	98.57%	93.92%	NR	100.00%
18.		टीटीएसएल	0.95	95.78%	100.00%	100.00%	NIL	7.92	99.09%	NA	nil	0.07%	NA	100.00%	100.00%	97.44%	92.16%	NR	NIL
19.	गुजरात	आरकॉम	1.06	100.00%	100.00%	NA	NIL	02.01	NR	83.58%	NIUL	0.03%	NR	100.00%	100.00%	96.00%	91.00%	100.00%	100.00%
20.		एयरटेल	1.38	98.50%	100.00%	NA	NIL	2.83	91.72%	NR	NIL	0.04%	NR	100.00%	100.00%	99.71%	93.31%	NR	100.00%
21.		टीटीएसएल	1.97	98.32%	100.00%	100.00%	NIL	4.59	100.00%	NA	NIL	0.05%	N	100.00%	NR	97.85%	92.95%	NR	NIL
22.		बीएसएनएल	4.83	93.75%	97.82%	99.76%	NIL	5.61	68.05%	NR	NR	0.04%	NR	NR	NR	98.77%	94.33%	00.00%	100.00%
23.	हिमाचल प्रदेश	आरकॉम	NIL	NIL	NIL	NA	NIL	NIL	NR	80.18%	NIL	NIL	NR	NR	100.00%	96.00%	91.00%	सेवा समाप्ति के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं	100.00%
24.		टीटीएसएल	0.14	100.00%	100.00%	100.00%	NIL	2.79	NR	NA	NIL	0.07%	NA	100.00%	NR	99.53%	98.45%	NR	NIL
25.		बीएसएनएल	6.81	86.96%	97.29%	97.00%	NIL	7.31	67.57%	NR	NIL	NR	NR	NR	90.40%	90.67%	90.67%	98.97%	100.00%
26.	हरियाणा	आरकॉम	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NR	84.43%	NIL	NIL	NR	NR	100.00%	96.00%	91.00%	सेवा समाप्ति के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं	100.00%
27.		एयरटेल	3.15	99.52%	100.00%	NA	7	4.32	96.77%	NA	NIL	0.06%	NA	100.00%	97.92%	97.95%	93.92%	NR	100.00%
28.		टीटीएसएल	0.28	92.50%	100.00%	100.00%	NIL	6.79	99.82%	NA	NIL	0.06%	NA	100.00%	100.00%	98.91%	6.75%	NR	NIL
29.		बीएसएनएल	4.70	96.75%	100.00%	100.00%	NIL	6.68	76.48%	NR	NR	NIL	NR	NR	NR	92.47%	87.00%	100.00%	100.00%
30.	जे एड के	टीटीएसएल	NIL	NR	NR	NR	NIL	NR	98.89%	NA	NIL	NIL	NA	NR	NR	98.61%	95.65%	NR	NIL
31.		बीएसएनएल	8.15	69.76%	83.10%	93.08%	NIL	6.82	67.28%	NR	NR	0.01%	NR	NR	NR	94.61%	94.33%	100.00%	100.00%
32.	झारखण्ड	बीएसएनएल	3.02	92.90%	98.07%	100.00%	NIL	6.62	68.36%	NR	NR	0.03%	NR	NR	NR	96.06%	88.33%	100.00%	100.00%
33.		आरकॉम	0.59	100.00%	100.00%	NA	NIL	02.21	NR	84.94%	NIL	0.04%	NR	100.00%	100.00%	96.00	%91.00%	100.00%	100.00%
34.		एयरटेल	1.84	95.64%	100.00%	%	9	6.79	93.23%	NA	NIL	0.07%	NA	100.00%	98.54%	97.95%	93.92%	NR	100.00%
35.		एयरटेल	1.85%	98.00%	100.00%	100.00%	NIL	3.64	99.22%	NA	NIL	0.05%	NA	100.00%	NR	98.02%	92.20%	NR	NIL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36.	कोलकाता	टीटीएसएल	5.86%	88.19%	67.78%	NIL	NIL	7.47	51.33%	NA	NR	0.10%	NR	NR	NR	100.00%	95.66%	100.00%	100.00%
37.		बीएसएनएल	2.09	94.65%	100.00%	NA	NIL	3.47	93.46%	NA	NIL	0.01%	NA	100.00%	100.00%	96.00%	91.00%	100.00%	100.00%
38.	केरल	आरकॉम	0.50	100.00%	100.00%	NA	NIL	02.29	NR	83.16%	NIL	0.01%	NIL	100.00%	100.00%	96.00%	91.00%	100.00%	100.00%
39.		टीटीएसएल	0.32	95.45%	100.00%	100.00%	NIL	6.97	98.92%	NA	NIL	0.07%	NA	100.00%	NR	98.24%	94.47%	NR	NIL
40.		बीएसएनएल	6.32	72.79%	88.66%	86.91%	NIL	18.20	72.65%	NR	NR	0.02%	NR	NR	NR	98.03%	96.51%	99.64%	100.00%
41.		टीटीएसएल	0.89	97.79%	98.14%	100.00%	NIL	5.75	98.71%	NA	NIL	0.05%	NA	100.00%	100.00%	97.78%	92.88%	NR	100.00%
42.	कर्नाटक	आरकॉम	0.22	100.00%	100.00%	NA	NIL	02.30	NR	83.70%	NIL	0.01%	NR	100.00%	100.00%	96.00%	91.00%	100.00%	100.00%
43.		एयरटेल	2.61	92.20%	100.00%	NA	NIL	3.37	91.78%	NA	NIL	0.01%	NA	100.00%	100.00%	99.39%	90.50%	NR	100.00%
44.		बीएसएनएल	4.43	94.45%	97.72%	96.20%	NIL	5.51	70.19%	NR	NR	0.01%	NR	NR	NR	92.47%	94.94%	100.00%	100.00%
45.		आरकॉम	0.30	100.00%	100.00%	NA	NIL	02.16	NR	85.44%	NIL	0.02%	NR	100.00%	100.00%	96.00%	91.00%	100.00%	100.00%
46.	महाराष्ट्र	एयरटेल	1.55	98.76%	100.00%	NA	NIL	3.51	90.08%	NA	NA	6.11	NA	NA	NA	100.00%	100.00	100.00%	93.31%
47.		टीटीएसएल	0.47	93.00%	NR	NIL	NIL	6.14	94.00%	NA	NA	0.01%	NA	100.00%	99.00%	98.00%	84.00%	NR	100.00%
48.		बीएसएनएल	6.33	82.00%	86.96%	98.51%	NIL	7.07	54.62%	NR	NR	0.01%	NR	NR	NR	68.49%	96.17%	99.22%	100.00%
49.		आरकॉम	0.86	100.00%	100.00%	NA	NIL	02.16	NR	87.00%	NIL	0.03%	NR	100.00%	100.00%	96.00%	91.00%	100.00%	100.00%
50.	मध्य	एयरटेल	6.62	95.77%	93.46%	NA	NIL	4.18	86.38%	NA	0.67%	0.03%	NA	100.00%	100.00%	99.54%	77.49%	NR	100.00%
51.	प्रदेश	टीटीएसएल	0.26	100.00%	100.00%	100.00%	NIL	7.46	100.00%	NA	NIL	0.04%	NA	100.00%	NR	97.90%	93.17%	NR	NIL
52.		बीएसएनएल	3.20	96.12%	100.00%	100.00%	NIL	4.41	73.56%	NR	NR	0.02%	NR	NR	NR	93.36%	92.67%	NR	100.00%
53.		आरकॉम	0.18	100.00%	100.00%	NA	NIL	02.16	NR	86.78%	NIL	0.03%	NR	100.00%	100.00%	96.00%	91.00%	NR	100.00%
54.	मुंबई	एमटीएनएल	7.38	85.39%	93.50%	NA	NA	17.36	56.14%	56.71%	NIL	0.03%	NA	100.00%	100.00%	97.57%	97.57%	96.43%	100.00%
55.		एयरटेल	1.07	96.81%	100.00%	NA	NIL	4.44	92.18%	NA	NIL	0.05%	NA	100.00%	100.00%	99.71%	93.31%	NR	100.00%
56.		टीटीएसएल	0.62	94.75%	100.00%	NIL	NIL	5.48	96.66%	NA	NA	0.03%	NA	100.00%	75.00%	99.00%	64.00%	NR	100.00%
57.	पूर्वोत्तर	टीटीएसएल	NIL	NR	100.00%	NR	NIL	NR	NR	NA	NA	NA	NIL	NR	NR	97.80%	90.14%	NR	NIL
58.	पूर्वोत्तर	बीएसएनएल	4.31	93.68%	99.36%	99.68%	NIL	17.12	62.21%	NR	NR	0.03%	NR	NR	NR	96.52%	95.00%	100.00%	100.00%
59.	पूर्वोत्तर	बीएसएनएल	4.60	96.60%	100.00%	NIL	7.43	58.09%	NR	NR	NR	NIL	NR	NR	NR	95.17%	99.33%	100.00%	100.00%
60.	उड़ीसा	आरकॉम	NIL	NIL	NIL	NA	NIL	NIL	NR	91.30%	NIL	NIL	NR	NA	100.00%	96.00%	91.00%	सेवा समाप्ति के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61.		टीटीएसएल	0.99	100.00%	100.00%	100.00%	NIL	4.26	99.79%	NA	NIL	0.08%	NA	100.00%	NR	98.42%	93.10%	NR	NIL
62.		बीएसएनएल	4.18	95.76%	99.96%	100.00%	NIL	7.41	65.89%	NR	NR	0.01%	NR	NR	NR	95.88%	81.33%	100.00%	00.00%
63.	पंजाब	आरकॉम	RCOM	0.60	100.00%	NA	NIL	02.11	NR	97.74%	NIL	0.03%	NR	100.00%	100.00%	96.00%	91.00%	100.00%	100.00%
64.		एयरटेल	2.32	99.48%	100.00%	NA	27	4.91	97.13%	NA	NIL	0.11%	NA	100.00%	98.69%	97.95%	93.92%	NR	100.00%
65.		टीटीएसएल	1.26	96.81%	100.00%	100.00%	NIL	2.96	99.58%	NA	NIL	0.05%	NA	100.00%	NR	98.43%	95.50%	NR	NIL
66.		एचएफसीएल	4.88	97.28%	62.25%	NR	NIL	10.16	55.84%	NA	NIL	0.04%	NA	100.00%	00.00%	7.11%	74.00%	100.00%	100.00%
67.		बीएसएनएल	4.02	95.66%	99.56%	99.43%	NIL	6.30	70.43%	NR	NR	0.02%	NR	NR	NR	95.03%	92.67%	100.00%	100.00%
68.		सिस्टिमा	3.14	97.21%	100.0%	100.00%	NIL	5.51	96.76%	NA	NIL	0.09%	NIL	100.00%	NR	98.00%	95.00%	100.00%	100.00%
69.		आरकॉम	0.35	100.00%	100.00%	NA	NIL	02.22	NR	87.66%	NIL	0.03%	NR	100.00%	100.00%	96.00%	91.00%	100.00%	100.00%
70.	राजस्थान	एयरटेल	1.55	99.33%	100.00%	NA	2	3.85	94.11%	NA	NIL	0.09%	NA	100.00%	100.00%	97.95%	93.92%	NR	100.00%
71.		टीटीएसएल	0.22	100.00%	100.00%	100.00%	NIL	6.71	100.00%	NA	NIL	NIL	NA	NR	NR	98.15%	94.81%	NR	NIL
72.		बीएसएनएल	4.45	96.36%	99.17%	99.98%	NIL	6.17	69.85%	NR	NR	NIL	NR	NR	NR	94.48%	84.67%	100.00%	100.00%
73.		आरकॉम	0.50	100.00%	100.00%	NA	NIL	02.22	NR	79.52%	NIL	0.02%	NR	100.00%	100.00%	96.00%	91.00%	100.00%	100.00%
74.		एयरटेल	2.73	93.24%	100.00%	NA	NIL	3.31	93.02%	NA	NIL	NIL	NA	100.00%	100.00%	98.37%	95.21%	NR	100.00%
75.	तमिलनाडु	टीटीएसएल	0.31	100.00%	100.00%	100.00%	NIL	5.79	NR	NA	NIL	NIL	NA	NR	NR	NR	NR	NR	NIL
76.		बीएसएनएल	2.97	95.23%	99.05%	100.00%	NIL	4.95	78.81%	NR	NR	NIL	NR	NR	NR	93.84%	97.67%	100.00%	100.00%
77.	उत्तर	आरकॉम	1.28	100.00%	100.00%	NA	NIL	02.01	NR	91.94%	NIL	0.04%	NR	100.00%	100.00%	96.00%	91.00%	100.00%	100.00%
78.	प्रदेश	एयरटेल	1.71	99.58%	100.00%	NA	56	4.08	99.70%	NA	NIL	0.07%	NA	100.00%	99.28%	99.42%	93.92%	NR	100.00%
79.		टीटीएसएल	3.52	98.47%	100.00%	100.00%	NIL	5.16	100.00%	NA	NIL	0.09%	NA	100.00%	NR	98.01%	94.85%	NR	NIL
80.	(पूर्व)	बीएसएनएल	3.34	94.04%	99.29%	99.41%	NIL	6.65	71.00%	NR	NR	0.02%	NR	NR	NR	92.28%	90.00%	100.00%	100.00%
81.	उत्तर प्रदेश (प.)	आरकॉम	NIL	NIL	NIL	NA	NIL	NIL	NR	89.08%	NIL	NIL	NR	NR	100.00%	96.00%	91.00%	सेवा समाप्ति के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं	100.00%
82.		एयरटेल	2.45	95.74%	100.00%	NA	387	5.83	91.38%	NA	NIL	0.06%	NA	100.00%	100.00%	98.57%	93.92%	NR	100.00%
83.		टीटीएसएनएल	NIL	NR	NR	NR	NIL	NR	99.51%	NA	NIL	0.07%	NA	100.00%	NR	98.43%	95.16%	NR	NIL
84.		बीएसएनएल	5.11	94.33%	99.50%	99.95%	NIL	6.30	76.40%	NA	NR	0.05%	NA	100.00%	NR	96.17%	95.100%	100.00%	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85.	उत्तराखंड	बीएसएनएल	5.35	93.57%	98.04%	98.37%	NIL	5.32	67.39%	NR	NR	NIL	NR	NR	NR	92.91%	88.67%	100.00%	100.00%
86.	पश्चिम बंगाल	आरकॉम	NIL	NIL	NIL	NA	NIL	NR	NR	77.71%	NIL	NIL	NR	NA	100.00%	96.00%	91.00%	सेवा समाप्ति के लिए अनुरोध प्राप्त नहीं	100.00%
87.		टीटीएसएल	0.76	100.00%	100.00%	100.00%	NIL	3.11	NR	NA	NA	NR	NA	NR	NR	95.02%	94.31%	NR	NIL
88.		बीएसएनएल	5.67	85.55%	92.50%	97.23%	NIL	8.87	64.43%	NR	NR	0.03%	NR	NR	NR	98.09%	91.74%	100.00%	100.00%

बैंचमार्क पूरे नहीं किए गए NR- डाटा की रिपोर्ट नहीं NR-उपलब्ध नहीं Nil-शून्य

टिप्पणी: मै. एमटीएनएल (दिल्ली) ने पैरामीटर शिकायतों के निपटान की तारीख से ग्राहक के खाते में क्रेडिट/निर्मुक्ति/समायोजन के लिए आवेदन की अवधि के लिए सूचित किया है कि क्रेडिट अगले बिलिंग चक्र में दिया गया है।

विवरण-III

सेवा की गुणवत्ता के मानदंडों संबंधी बैंचमार्कों का अनुपालन नहीं किए जाने के बारे में सेवा प्रदाताओं का प्रत्युत्तर

1. **एमटीएनएल :** महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड: उन्होंने जून, 2011 में कॉल सेट अप सफलता दर के मानदंड से संबंधित बैंचमार्क को पूरा कर लिया है। (हालांकि एक तिमाही में औसतन बैंचमार्क को पूरा नहीं कर रहे हैं।)

2. **एयरटेल:** डाउनटाइम के कारण बुरी तरह से प्रभावित बीटीएस संबंधी मानदंड को पूरा न कर पाने का मुख्य कारण पूर्वोत्तर में बिजली समस्या, अवसंरचना और कानून व्यवस्था की समस्या है। इस मानदंड से संबंधित बैंचमार्कों को बाद वाली तिमाही में प्राप्त कर लिया गया है।

3. **टाटा टेलीसर्विसेज:** 3 प्रतिशत से अधिक टीसीएच गिरावट होने वाले बुरी तरह से प्रभावित सैल, के पैरामीटर से संबंधित बैंचमार्क को पूरा न करने का कारण, मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में कॉल की मात्रा कम होने और उपभोक्ताओं के द्वारा ग्रामीण कार्य-स्थलों के सुविधायुक्त क्षेत्रों से आगे चले जाने के कारण है। इस मुद्दे का समाधान इष्टतम उपयोग की पद्धति द्वारा किया जा रहा है। 60 सैकेण्ड के भीतर उत्तर दी गई कॉलों की प्रतिशतता के संबंध में मुख्य कारण जनशक्ति से संबंधित समस्या और काल-वाल्यूम में अचानक वृद्धि बताया गया है और इसका समाधान अपेक्षित जन शक्ति को उधार पर लेकर कार्य करवाने के माध्यम से किया जा रहा है। सेवा की विलंब से समाप्ति/बंद करने का कारण सूचना-प्रौद्योगिकी से जुड़ा एक मुद्दा था और अब इस संबंध में तय कर लिया गया है। क्लोज़र के बाद जमा राशि को विलंब से लौटाया जाना, पद्धति से जुड़ा मुद्दा था और इसका परिशोधन कर लिया गया है। सीडीएमए नेटवर्क में डाउनटाइम के कारण बुरी तरह से प्रभावित बीटीएस संबंधी मानदंड के लिए बेंचमार्क को पूरा न करने का मुख्य कारण बिजली की समस्या है।

4. **लूप:** पीओआई में संकुलन, परियात में अचानक और अप्रत्याशित वृद्धि के कारण था और पी.ओ.आई. का संवर्द्धन किया जा रहा है। वे अब बिल संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु बेंचमार्क को भी पूरा कर रहे हैं।

5. **एयरसेल:** मीटर संबंधी और बलि संबंधी विश्वसनीयता (पोस्टपेड) के लिए बेंचमार्क को पूरा करने का मुख्य कारण सिस्टम संरूपण संबंधी मुद्दे सिस्टम की त्रुटियां और उपभोक्ता मुद्दे थे। मीटर संबंधी और बिल संबंधी विश्वसनीयता (प्री-प्रेड) के लिए बेंचमार्क को पूरा न करने के कारण विभक्त प्रोत्साहनमूलक प्रस्ताव और पीआईलाभ, संरूपण मुद्दे और मूल्यवर्द्धित सेवाओं से जुड़ी शिकायते थी। उत्पाद लांच हो जाने के बाद संरूपण संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए त्रुटियों और संरूपण की जांच करने और उनमें शिकायतें उत्पन्न होने से पूर्व उनका समाधान निकालने के लिए यूएटी किया जा रहा है। शिकायतों की गलत टैंगिग होने से बचने के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है। वीएएस शिकायतों का समाधान करने के लिए यूएसएसडी और वीएएस उत्पाद के एमएमएस पुश में परिवर्तन किए

हैं जिससे उपभोक्ताओं को प्रभारों के संबंध में पूर्ण जानकारी दी जा सके। 60 सैकेण्ड के भीतर उत्तर दी गई कॉलों की प्रतिशतता के संबंध में मुख्य कारण जनशक्ति की कमी की उच्च दर बताया गया है और इस समस्या का समाधान करने के लिए कार्मिकों की भर्ती और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डाउनटाइम के कारण बुरी तरह से प्रभावित बीटीएस के पैरामीटर के लिए कॉल सेट-अप सफलता दर एसडीसीसीएच/पेंचिंग चैनल संकुलन और टीसीएच संकुलन आदि मुख्य कारण बिजली समस्या तथा स्थानीय कानून-व्यवस्था की स्थिति की समस्या के कारण हैं। अच्छी आवाज की गुणवत्ता वाले कनेक्शन की प्रतिशतता के पैरामीटर के संबंध में अनुपालन न होने का कारण पड़ोसी देशों से व्यक्तिकरण और स्पेक्ट्रम का तंग प्रयोग है। जहां तक पीओआई संकुलन का संबंध है असम, मुम्बई और कर्नाटक में इस समस्या पर ध्यान दिया गया है और जम्मू और कश्मीर तथा राजस्थान में पीओआई बढ़ाने का अनुरोध किया जा चुका है।

6. **यूनिटेक वायरलेस** : टीसीएच संकुलन के लिए बेंचमार्क को पूरा नहीं करने का कारण भारी परियात था और इस समस्या पर ध्यान देने के लिए क्षमता में वृद्धि की जा रही है। पीओआई का संकुचन परियात में वृद्धि और पीओआई बढ़ाने के लिए अन्य आपरेटरों द्वारा लिए गए लंबे समय के कारण था। जहां कहीं संकुलन देखा गया पीओआई बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। जहां तक 3% से अधिक टीसीएच ड्राप वाले सर्वाधिक प्रभावित सेलों संबंधी मानदंड का संबंध है, यह परियात में अधिक वृद्धि और स्पेक्ट्रम की कमी के कारण था। इष्टतम उपयोग के माध्यम से और नई साइटों को चालू कर इस पर ध्यान दिया जा रहा है। पीओआई का संकुलन परियात में वृद्धि और पीओआई बढ़ाने के लिए अन्य आपरेटरों द्वारा लिए गए लंबे समय के कारण था। जहां कही संकुलन देखा गया पीओआई बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

7. **एतिसलात:** 60 सकेंड के भीतर जवाबी कॉलों के प्रतिशत संबंधी बेंचमार्क को पूरा न करने का कारण वीएएस कॉल थे, इस पर ध्यान दिया गया है और जुलाई और अगस्त, 2011 में यह बेंचमार्क पूरा कर दिया गया है। डाउनटाइम के कारण सर्वाधिक प्रभावित बीटीएस संबंधी मानदंड के मामले में आउटेज का मुख्य कारण फाइबर को डाला जा रहा है। 3% टीसीएच संकुलन से अधिक वाले सर्वाधिक प्रभावित सेल संबंधी मानदंड को पूरा नहीं करने का मुख्य कारण माध्यम संबंधी आउटेज बार-बार होना और छोटे नगरों में निम्न कॉल वॉल्यूम था। इस समस्या को दूर करने के लिए की गई कार्रवइयों में माध्यम के पुराने मार्ग को सुनिश्चित करना शामिल है ताकि आउटेज न्यूनतम हो, सेलों का इष्टतम उपयोग आदि हो। पीओआई का संकुलन परियात में वृद्धि और पीओआई बढ़ाने के लिए अन्य आपरेटरों द्वारा लिए गए लंबे समय के कारण था। जहां कहीं संकुलन देखा गया पीओआई बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

8. **आइडिया:** जहां तक 3% से अधिक टीसीएच संकुलन वाले सर्वाधिक प्रभावित सेल संबंधी मानदंड का संबंध है, यह बिहार में बिजली की कमी और भारी तूफान तथा बारिश के कारण था। इसमें निरंतर सुधार हो रहा है और मई तथा जून माह 2011 में यह बेंचमार्क पूरा कर लिया गया है। जहां तक 60 सेकेंड के भीतर जवाबी कॉलों के प्रतिशत संबंधी मानदंड का संबंध है, बेंचमार्क हासिल नहीं करने का मुख्य कारण भारी संख्या में 3जी से संबंधित प्रश्न पूछा जाना और ऐजेंटों की अधिक कमी थी। इस समस्या को दूर करने के लिए जनशक्ति में वृद्धि की गई।

9. **वीडियोकॉन** : पीओआई संकुलन भारी परियात के कारण था और पीओआई बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जा चुकी है।

10. **वोडाफोन** : 60 सेकेंड के भीतर जवाबी कॉलों के प्रतिशत संबंधी बेंचमार्क को पूरा नहीं करने का कारण जनशक्ति की कमी है और इस समस्या को दूर करने के लिए अतिरिक्त जनशक्ति शामिल की गई है। जहां तक कॉल सेट-अप सफलता दर संबंधी मानदंड का संबंध है, इनके अनुपालन न किए जाने का कारण बिहार सेवा क्षेत्र में वातावरणीय मुद्दे-लंबे समय तक आउटेज, सड़कों के विस्तार के कारण फाइबर का कटना, बिजली की कमी आदि है। रविलंबति/समापन का कारण ग्राहक धारिता कार्यकलाप और ग्राहकों की अनुपलब्धता है।

विवरण-IV

क्र.सं.	सेवा प्रदाता	दूरसंचार विभाग के जन शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त शिकायतों की सं.	ट्राई द्वारा प्राप्त शिकायतों की सं.
1.	भारती एयरटेल	1392	391
2.	रिलांयय	1859	232
3.	वोडाफोन	814	190
4.	बीएसएनएल	11467	201
5.	टाटा	858	155
6.	आइडिया	557	109
7.	एयरसेल/डिशनेट	111	-
8.	यूनिनॉर	52	-
9.	एमटीएनएल	24145	60
10.	सिस्टिमा श्याम	57	-
11.	लूप	29	-
12.	अन्य	-	80
	कुल	41341	1418

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में भ्रष्टाचार

1450. योगी आदित्यनाथः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने की विनियामक संस्था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में कथित रूप से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के अन्य मामलों की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के अन्य मामलों के ऐसे किसी मामले की अभी हाल ही में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आरटीआई अधिनियम का कार्यान्वयन

1451. श्री कुंवरभाई मोहनभाई बावलिया:
श्रीमती अन्नू टंडनः
श्री आनंद प्रकाश परांजपेः
श्री असादूद्दीन ओवेसीः
श्री वीरेन्द्र कुमारः
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डीः
श्री संजय भोईः
श्री मधु गौड यास्खीः
श्रीमती जे. शांताः
श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः
श्रीमती मेनका गांधीः
श्रीमती दर्शना जरदोशः
श्री एम.के. राघवनः
श्री जगदीश ठाकोरः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का निःशुल्क और अनिवार्य बाल-शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत छात्रों का भारी संख्या में नामांकन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम को तीव्रता से शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे राज्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, जिन्होंने अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आदर्श नियम और विनियम का मसौदा तैयार किया है तथा ऐसे मसौदा नियमों का अनुपालन न करने वाले राज्यों को इसके लिए राजी करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली विभिन्न बाधाओं का अध्ययन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार की प्राथमिक शिक्षा के निजीकरण को रोकने के लिए शिक्षा उपकर में वृद्धि करने की योजना है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लिए सामुदायिक लामबंदी और सार्वजनिक जागरूकता हेतु वर्ष भर का राष्ट्रीय अभियान दिनांक 11 नवम्बर, 2011 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर आरंभ किया गया था।

(ग) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अब तक 27 राज्यों ने राज्य नियम अधिसूचित किए हैं। इनमें पांच संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्होंने शिक्षा का अधिकार के केन्द्रीय नियमों को अंगीकार किया है। ये राज्य आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, ओडीशा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दमन एवं दीव, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप है। कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, पुडुचेरी, उत्तराखंड राज्यों ने अभी आरटीई नियमावली को अधिसूचित नहीं किया है तथा राज्य आरटीआई नियमावली को शीघ्र अधिसूचित करने के लिए राज्यों को अनुस्मारक भेजे गए हैं।

(घ) और (ङ) आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय संसाधन, अध्यापक अर्हताएं, विनिर्दिष्ट श्रेणी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों और अल्पसंख्यक संगठनों द्वारा संचालित स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया जैसे विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकारों तथा अन्य पणधारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित मसलों का हल निकालने के लिए सरकार राज्य सरकारों तथा पणधारियों से लगातार चर्चा कर रही हैं।

(च) और (छ) कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार, ओडीशा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों ने आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए अनुरोध किया था। आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन को सुसाध्य बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों को आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाने हेतु उनमें पहले ही संशोधन किया जा चुका है। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान-आरटीई के संयुक्त रूप से कार्यान्वयन हेतु सरकार 2,31,233 करोड़ रु. का कुल परिव्यय पहले ही अनुमोदित कर चुकी है। वर्ष 2010-11 से आगे सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र और राज्यों के बीच 65:35 (पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए 90:10) को निधि भागीदारी की संशोधित निधीयन पद्धति को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है।

(ज) नहीं।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अंतरिक्ष कार्यक्रम पर व्यय

1452. श्री प्रदीप माझी:
श्री रूद्रमाधव राय:
श्री किशनभाई वी. पटेल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2007-08 और 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-2010 के दौरान विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर व्यय में वृद्धि हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान हुए इस प्रकार के व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान नेशनल रिमोट सेंसिंग सेन्टर और इन्टेल सेट को ट्रांसपोंडर लीज पर दिए जाने से अर्जित आय में कमी आयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान, व्यय में वृद्धि, मुख्यत: भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) प्रचलानात्मक (जीसैट-8 एवं जीसैट-10 प्रमोचन सेवाएं), अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक

राकेट (जीएसएलवी) प्रचालनात्मक, उपग्रह नौवहन तथा विशिष्ट तकनीकी अवसंरचना का कमीशनिंग), सामाजिक उपयोग तथा अन्य अंतरिक्ष उपयोग कार्यक्रम (सेमी-कण्डक्टर प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में अत्यन्त बृहद पैमाने के समेकन संविरचन का उन्नयन) के कारण रहा।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रमों के खर्च का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कार्यक्रम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी	व्यय (करोड़ रूपये में)			
		2008-09	2009-10	2010-11	बजट अनुमान 2011-12
क	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी	2477.43	2945.59	2537.53	4017.59
ख	अंतरिक्ष उपयोग	396.17	599.52	545.08	848.83
ग	अंतरिक्ष विज्ञान	239.48	196.30	165.70	351.12
घ	निर्देश एवं प्रशासन/अन्य कार्यक्रम	148.69	171.74	557.91	322.53
ङ	इन्सैट प्रचालन	231.80	249.81	675.97	1085.93
	कुल	3493.57	4162.96	4482.19	6626.00

(घ) 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एनआरएससी) के उपार्जन में कमी आई है तथा 2010-11 के दोरान वृद्धि हुई है। 2008-09 की तुलना में, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान, इन्टलसैट को प्रेषानुकरों को पट्टे पर देने की कमी से उपार्जन में भी कमी आई है।

(ङ) और (च) वर्ष 2008-11 की अवधि के दौरान, एनआरएससी के उपार्जन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	एनआरएससी का उपार्जन (करोड़ रुपये में)
2008-2009	64.24
2009-2010	52.40
2010-2011	71.64

सितम्बर 2008 में एनआरएससी के सरकारीकरण के पश्वचात, आवधिक जमा पर ब्याज को उपार्जन के रूप में नहीं लिया गया है। आगे, सामाजिक उपयोग के लिए आंकड़े की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से, आईआरएस आंकड़ा उत्पाद के मूल्य को घटाया गया। इसके कारण वर्ष 2009-10 वित्तीय वर्ष के दौरान एनआरसी के उपार्जन में कमी आई है। फिर भी, 2009-10 की तुलना में, वर्ष 2010-11 वित्तीय वर्ष के दौरान, इसमें वृद्धि आई है। यह वृद्धि, आंकड़ा उत्पाद की बिक्री तथा लेखा प्रक्रिया के अनुसार, सरकार के राजस्व में अधिशेष के अन्तरण के कारण हुई।

विभाग ने इन्टलसैट (अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह) के दस वर्ष की अवधि के लिए मई 1999 में भारत के इन्सैट-2ई उपग्रह के द्वारा 11 प्रेषानुकरों (36 मेगाहर्टज बैण्डविड्थ की समानता वाले) को पट्टे पर दिया था। वर्ष 2008-11 के दौरान, इन्टलसैट को पट्टे पर दिए गए प्रेषानुकरों के उपार्जन का लेखा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	इन्टलसैट को पट्टे पर दिए गए प्रेषानुकरों से प्राप्त उपार्जन (करोड़ रुपये में)
2008-2009	39.13
2009-2010	29.11
2010-2011	25.89

जून 2009 से इन्टलसैट को पट्टे पर दिए गए प्रेषानुकरों की संख्या 11 से 06 तक घटने के कारण, 2008-09 की तुलना में 2009-10 तथा 2010-11, की अवधि के दौरान, इन्सैट 2ई पर इन्टलसैट को पट्टे पर दिए गए प्रेषानुकरों के उपार्जन में कमी आई।

मूल संविदा की समाप्ति तथा ग्राहक आवश्यकता के आधार पर घटाव हुआ। बचे हुए 5 प्रेषानुकरों को, वाणिज्यिक आधार पर

दूरदर्शन प्रसारण तथा अंकीय समाचार एकत्रीकरण सेवाओं को आबंटित किया गया। उपरोक्त उल्लिखित अवधि के दौरान, इन्टलसैट को पट्टे पर दिए गए प्रेषानुकरों से उपार्जन, 2008-09 के दौरान 12 महीने के लिए 11 प्रेषानुकरों के प्रयोग; 2009-10 के दौरान पहले दो महीने के दौरान 11 प्रेषानुकरों तथा बचे हुए 10 महीनों के लिए 6 प्रेषानुकरों तथा 2010-11 के दौरान 12 महीनों के लिए 6 प्रेषानुकरों के प्रयोग के आधार पर है।

[हिन्दी]

आईआईटी इंदौर का निर्माण

1453. **श्री प्रेमचन्द गुड्डू:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंदौर, मध्य प्रदेश में प्रस्तावित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के निर्माण को समय-सारणी के अनुरूप निर्माण नहीं किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) निर्माण कार्य को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में पेश आ रही समस्याओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) इंदौर, मध्य प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निर्माण कार्य को पूर्ण करने की लक्षित तारीख जून, 2013 है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्नातकों की निम्न रोजगार दक्षता

1454. **श्री प्रेम दास राय:**
श्री रेवती रमण सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्नातक छात्रों की निम्न रोजगार दक्षता के कारणों का पता लगाने के लिए कोई बड़ा अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रोजगार दक्षता में सुधार करने के लिए पाठ्यक्रम और सामान्य जागरूकता में सुधार करने के लिए कोई बड़े कदम उठाये गये है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या भारत में अनेक विदेशी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं/ किये जाने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा देश में शिक्षा के वाणिज्यिकरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एण्ड सर्विसेस कंपनीज (एनएएसएससीओएम) और मैकिन्से द्वारा 2005 में किए गए तथाकथित अध्ययन के अनुसार 25% इंजीनियर और 10-15% स्नातक, ऑफशोर सूचना प्रौद्योगिकी और बीपीओ उद्योग में तुरंत नियोजन योग्य हैं। तथापि, ये अध्ययन उद्योगों और विभिन्न क्षेत्रों में नियोजन योग्य स्नातकों की कोई ठोस प्रतिशतता स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं करता है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय 2010 पर यूजीसी के विनियम दिनांक 30.6.2010 को अधिसूचित किए हैं जो वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं। इन नए विनियमों का उद्देश्य विश्वविद्यालय पद्धति में शिक्षण एवं विद्वता की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। सरकार ने विभिन्न शैक्षिक सुधारों जिनमें चायस आधारित क्रेडिट प्रणाली समैस्टर प्रणाली तथा पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को निरन्तर अद्यतन करना शामिल है, को भी कार्यान्वित किया है। नैशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशस फ्रेमवर्क (एनवीईक्यूएफ), राष्ट्रीय तौर पर मान्यता प्राप्त अर्हक पद्धति के लिए सामान्य सिद्धांतों और दिशानिर्देशों की व्यवस्था करता है जिसमें स्कूल, व्यावसायिक शिक्षा संस्थान और सेकेण्डरी से डॉक्टरेट स्तर की अर्हताओं वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान कवर होते हें ताकि ये नियोजनीयता के मुद्दे का समाधान कर सके। यह कार्यढांचा, क्षमता आधारित मॉड्यूलर अप्रोच वाला है जिसमें क्रेडिट संचयन और अन्तरण की व्यवस्था है ताकि छात्रों को बहु प्रवेश और निकास वाली ऊर्ध्वस्थ और क्षैतिज गतिशीलता मिल सके।

(ङ) और (च) वर्तमान में विदेशी विश्वविद्यालयों और उनके देसी शिक्षा संस्थाओं के साथ साहचर्य की केन्द्रीय तौर पर कोई सूचना

नहीं रखी जाती है। तथपि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षापरिषद ने तकनीकी शिक्षा के लिए विनियम तैयार किए हैं जिन्हें एआईसीटीई की वेबसाइट www.aicte-india.org/foreigniversities.htm पर देखा जा सकता है। एक विधायी प्रस्ताव, अर्थात् विदेशी शिक्षा संस्था (प्रवेश और प्रचालन के लिए विनियम) विधेयक, 2010, लोकसभा में 3.5.2010 को पेश किया गया है। प्रस्तावित विधान में संदिग्ध कोटि वालों के प्रवेश पर रोक लगाते हुए, ख्यातिप्राप्त विदेशी शिक्षा संस्थाओं के प्रवेश और विनियमन को सरल बनाने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई है।

(छ) उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अनुचित प्रथाओं की रोकथाम करने और दण्ड देने के लिए एक विधायी प्रस्ताव, अर्थात तकनीकी शिक्षा संस्था और विश्वविद्यालय में अनुचित प्रथाओं की रोकथाम विधेयक, 2010 संसद में 3 मई, 2010 को पेश किया गया था। इस विधेयक में उच्चतर शिक्षा में वाणिज्यीकरण पर रोक लगाने और अन्य अनुचित प्रथाओं की रोकथाम करने की व्यवस्था की गई है।

मेट्रो इंजीनियरिंग में पाठ्यक्रम

1455. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री संजय भोई:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो प्रशासन ने मेट्रो रेल परिवहन प्रणाली के क्षेत्र में कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए सरकार को अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) ने मेट्रो अभियांत्रिकी में बी.टेक. पाठ्यक्रम तैयार करने की योजना को अनुमोदित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) किन विश्वविद्यालयों ने पाठ्यक्रम आरंभ करने में रूचि दिखाई है;

(च) मेट्रो अभियांत्राकी में रोजगार प्राप्त करने की क्या संभावना है; और

(छ) विश्वविद्यालयों में उपरोक्त पाठ्यक्रम को कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (छ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने किसी भी संस्था तथा विश्वविद्यालयों को मेट्रो इंजीनियरी में बी.टेक. पाठ्यक्रम आरंभ करने की अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

सेवाओं तक कानूनी पहुंच

1456. श्री मिथिलेश कुमार:
श्री अशोक अर्गल:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्लैकबेरी सहित कतिपय दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के कारण खतरा पैदा हो रहा है चूंकि वे सुरक्षा एजेंसियों को पूर्ण कानूनी पहुंच की अनुमति नहीं देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) सुरक्षा एजेंसियां दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा प्रदत्त विधिसम्मत अंतरावरोधन और निगरानी सुविधाओं के माध्यम से ब्लैकबेरी सहित अन्य दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम हैं। तथापि, सुरक्षा एजेंसियों ने यह सूचित किया है कि वे गूढ़लेखित कुछ अंतरावरोधित संचार संप्रेषणों को पठनीय रूप से विगूढ़ित करने में सक्षम नहीं हैं।

सरकार द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा इन सभी मुद्दों का विश्लेषण किया गया ताकि इस समस्या का ऐसा उपयुक्त समाधान निकाला जा सके जो व्यापार, वाणिज्य और उद्योग की सुरक्षित संचार अपेक्षाओं के साथ-साथ सुरक्षा एजेंसियों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो। इस मुद्दे की जटिलताओं की वजह से समिति सर्वसम्मत निर्णायक सिफारिशें नहीं दे सकी हैं। अत: समिति की रिपोर्ट और रिपोर्ट के संबंध में कुछ सदस्यों की टिप्पणियों को विशेषज्ञों के उच्च स्तरीय पैनल को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। इस पैनल ने इस पूरे मुद्दे

के संबंध नें स्पष्ट एवं विशिष्ट तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण के आधार पर अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं, जिन्हें गृह मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया है और गृह मंत्रालय इनकी जांच कर रहा है।

डाकघरों में फ्रेंचाइजी काउंटर

1457. श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री रामकिशुन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में खोले गए विशेष काउंटरों, फ्रेंजाइजी, डाक विक्रय काउंटरों का मण्डल-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन विक्रय केन्द्रों के निष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या निष्कर्ष निकला;

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार का उन क्षेत्रों में विशेष काउंटर खोलने का प्रस्ताव है जहां मूलभूत सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार कब तक विशेष काउंटर खोले जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान एवं चालू वर्ष के दौरान देश में खोले गए फ्रेंचाइजी आउटलेटों का सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2007-08 में फ्रेंजाइजी आउटलेटों के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया था और यह पाया गया था कि ये योजना अपने लक्षित उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है।

(घ) फ्रेंजाइजी स्कीम को फरवरी, 2007 में प्रारंभिक रूप में निर्दिष्ट सर्किलों के 100 चुनिंदा स्थानों में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया था, और मूल्यांकन के आधार पर डाक सुविधाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जनवरी, 2008 में इस योजना का विस्तार सभी शहरी क्षेत्रों में किया गया।

(ङ) और (च) जी, हां। फ्रेंचाइजी आउटलेट खोलना एक निरंतर प्रक्रिया है। फ्रेंजाइजी आउटलेट उन क्षेत्रों में खोले जाते हैं। जहां डाकघर खोलना औचित्य सम्मत होने पर भी कुछ कारणों से नहीं खोले जा सके। यह उपयुक्त आवेदकों से आवेदन प्राप्त होने पर निर्भर करता है। चालू वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान, सर्किलों को 125 फ्रेंजाइजी डाकघर खोलने के वास्तविक लक्ष्य आबंटित किए गए हैं। सर्किल-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

वित्त वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं चालू वर्ष के दौरान खोले गए फ्रेंचाइजी आउटलेटों (एफओ) की सर्किल-वार संख्या (31.10.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	सर्किलों का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	136	38	8	12
2.	असम	3	15	10	0
3.	बिहार	32	15	13	0
4.	छत्तीसगढ़	1	0	0	13
5.	दिल्ली	14	15	10	10
6.	गुजरात	18	14	19	35

1	2	3	4	5	6
7.	हरियाणा	14	15	20	0
8.	हिमाचल प्रदेश	2	5	5	18
9.	जम्मू और कश्मीर	0	5	0	0
10.	झारखंड	0	10	0	11
11.	कर्नाटक	4	6	3	0
12.	केरल	0	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	43	13	10	0
14.	महाराष्ट्र	31	20	26	0
15.	पूर्वोत्तर	11	7	2	0
16.	ओडीशा	31	12	10	2
17.	पंजाब	10	10	10	4
18.	राजस्थान	50	26	21	0
19.	तमिलनाडु	63	25	20	25
20.	उत्तराखंड	28	4	3	15
21.	उत्तर प्रदेश	90	31	34	4
22.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0
	कुल	581	286	224	149

विवरण II

वित्त वर्ष 2011-12 के लिए फ्रेंचाइजी आउटलेट खोलने के सर्किल-वार वास्तविक लक्ष्य

क्र.सं.	सर्किलों के नाम	2011-12 के लिए वास्तविक लक्ष्य (संख्या में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8
2.	असम	4
3.	बिहार	6
4.	छत्तीसगढ़	3
5.	दिल्ली	8
6.	गुजरात	7
7.	हरियाणा	7
8.	हिमाचल प्रदेश	5
9.	जम्मू और कश्मीर	2
10.	झारखंड	4
11.	कर्नाटक	7

1	2	3
12.	केरल	0
13.	मध्य प्रदेश	8
14.	महाराष्ट्र	8
15.	पूर्वोत्तर	4
16.	ओडीशा	6
17.	पंजाब	6
18.	राजस्थान	7
19.	तमिलनाडु	7
20.	उत्तराखंड	3
21.	उत्तर प्रदेश	8
22.	पश्चिम बंगाल	7
	कुल	125

अ.जा./अ.ज.जा. की बैकलॉग रिक्तियां

1458. श्री दारा सिंह चौहान:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न सरकारी विभागों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की आरक्षित श्रेणियों हेतु बैकलॉग रिक्तियों को सीधी भर्ती और प्रोन्नति कोटा के मामले में उपर्युक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण भरा नहीं जा सका है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय/विभाग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी विभाग ऐसी रिक्तियों को भरे जाने के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निदेशों का जानबूझकर अनुपालन नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचति जनजातियों की आरक्षित रिक्तियों की सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरे जाने के लिए समय-सीमा विहित करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां। उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता, किसी रिक्ति के उत्पन्न होने और इसके भरे जाने के मध्य अन्तराल आदि जैसे कारणों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुछ रिक्तियां बिना भरी रह जाती हैं।

(ख) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों ने सूचित किया है कि 1 नवम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार, पदोन्नति कोटा में 11,934 बकाया आरक्षित रिक्तियां सम्भरक ग्रेडों में उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण भरी नहीं जा सकीं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग और उनके कार्यालय सरकार की आरक्षण नीति को कार्यान्वित करने हेतु कर्त्तव्यबद्ध हैं।

(ङ) और (च) पहचानी गई बकाया रिक्तियों को 31 मार्च, 2012 तक भरे जाने हेतु सभी मंत्रालयों/विभागों को निदेश देने वाले अनुदेश जुलाई, 2011 में जारी किए गए हैं। संबद्ध केन्द्रीय मंत्रालय/ विभाग के साथ एक समीक्षा बैठक 17 नवम्बर, 2011 को आयोजित की गई थी और अनुदेशों को दोहराया गया था।

विवरण

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बकाया आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण जिसके लिए पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे

क्र.सं.	स्थापना	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
		बकाया (डीआर**+पदोन्नति)	बीएल (सीएनए)* (पदोन्नति)	बकाया (डीआर**+पदोन्नति)	बीएल (सीएनए)* (पदोन्नति)
1	2	3	4	5	6
1.	विद्युत मंत्रालय	141	53	108	10
2.	उप राष्ट्रपति सचिवालय	1	0	0	0

1	2	3	4	5	6
3.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	26	0	37	0
4.	संघ लोक सेवा आयोग	9	0	3	0
5.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (शून्य)	0	0	0	0
6.	लोक उद्यम विभाग (शून्य)	0	0	0	0
7.	वाणिज्य विभाग	73	17	80	29
8.	उपभोक्ता कार्य विभाग	30	12	61	32
9.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	0	0	0	0
10.	इस्पात मंत्रालय (शून्य)	0	0	0	0
11.	पंचायती राज मंत्रालय (शून्य)	0	0	0	0
12.	मंत्रिमण्डल सचिवालय	3	0	1	0
13.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	43	11	40	16
14.	जल संसाधन मंत्रालय	61	23	85	2
15.	नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	0	0	0	0
16.	भारी उद्योग विभाग	156	24	86	37
17.	परमाणु ऊर्जा विभाग	236	3	552	12
18.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (शून्य)	0	0	0	0
19.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	0	0	0	0
20.	योजना आयोग (शून्य)	0	0	0	0
21.	प्रधानमंत्री कार्यालय (शून्य)	0	0	0	0
22.	राजस्व विभाग	1906	1102	1974	1377
23.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	14	0	14	0
24.	व्यय विभाग	2	0	1	0
25.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	2	0	0	0
26.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	556	405	494	375
27.	जनजाति कार्य मंत्रालय (शून्य)				

1	2	3	4	5	6
28.	विनिवेश विभाग (शून्य)	0	0	0	0
29.	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (शून्य)	0	0	0	0
30.	आवासी एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	2	0	0	0
31.	रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन एवं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन)	1288	99	1115	309
32.	डाक विभाग	606	182	819	328
33.	राष्ट्रपति सचिवालय (शून्य)	0	0	0	0
34.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	205	1	254	31
35.	संसदीय कार्य मंत्रालय (शून्य)	0	0	0	0
36.	पोत-परिवहन मंत्रालय (शून्य)	0	0	0	0
37.	भारतीय निर्वाचन आयोग (शून्य)	0	0	0	0
38.	ग्रामीण विकास विभाग	1	0	2	0
39.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	4	0	9	1
40.	विदेश मंत्रालय	187	6	141	19
41.	दूरसंचार विभाग	166	0	237	0
42.	अंतरिक्ष विभाग	50	7	43	10
43.	विधायी विभाग	0	0	0	0
44.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	2	0	4	0
45.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	9	0	3	2
46.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	205	23	171	21
47.	खान मंत्रालय	233	50	137	35
48.	शहरी विकास मंत्रालय	426	55	1248	388
49.	पर्यटन मंत्रालय	14	1	59	0
50.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	311	26	286	63
51.	उर्वरक विभाग	72	28	286	63

1	2	3	4	5	6
52.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	5	0	7	0
53.	रेल मंत्रालय	10395	1146	12491	2593
54.	उच्च शिक्षा विभाग	1858	160	1490	168
55.	कोयला मंत्रालय	47	0	49	19
56.	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	21	2	13	2
57.	विधि एवं न्याय मंत्रालय	1	1	0	0
58.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	2	0	1	0
59.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	84	8	51	2
60.	गृह मंत्रालय (कुल)	2711	269	1941	260
61.	पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्य विभाग	11	2	4	2
62.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	28	1	8	2
63.	कपड़ा मंत्रालय	77	5	123	38
64.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	166	112	125	64
65.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	42	3	42	4
66.	वित्तीय सेवाएं विभाग	979	286	1961	379
67.	खाद्य एवं लोक वितरण विभाग	1181	371	1088	626
68.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	5	0	7	0
69.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	96	0	321	0
70.	आर्थिक कार्य विभाग	140	12	111	55
71.	भेषज विज्ञान विभाग	0	0	0	0
72.	नागर विमानन मंत्रालय	88	12	145	32
73.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	60	0	39	1
	कुल	25037	4518	28173	7416

*बीएल(सीएनए)—इसका अर्थ बकाया से (अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है)

डीआर**—इसका अर्थ सीधी भर्ती से है।

[अनुवाद]

साक्षरता

1459. **डॉ. पी. वेणुगोपाल:**
श्रीमती जे. शांता:
श्री निशिकांत दुबे:
श्री सुदर्शन भगत:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निरक्षरता व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो देश में कुल निरक्षरों का राज्य-वार और लिंग-वार प्रतिशत क्या है; और

(ग) सभी राज्यों में विशेषकर महिलाओं में साक्षरता बढ़ाने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, 7+ आयु वर्ग के कुल निरक्षरों का प्रतिशत 25.96 है, जिसमें 17.86 पुरूष और 34.54 महिलाएं हैं। पुरुष-महिला के ब्यौर के साथ राज्य-वार साक्षरता दर का ब्यौरा संलगन विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार ने देश में साक्षरता के स्तर में वृद्धि करने, विशेष रूप से 6-14 वर्ष के आयुवर्ग में और 15 वर्ष और उससे ऊपर के वर्ग में महिला साक्षरता में वृद्धि करने के लिए क्रमशः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 2009 अधिनियमित किया है और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना साक्षर भारत अभियान शुरू किया है। साक्षर भारत का मुख्य रूप महिलाओं पर है केन्द्रित तथा इसे केवल निम्न व्यस्क महिला साक्षरता जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य वंचित समूहों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महिला स्वंयसेवकों और अनुदेशकों को नियोजित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

जनगणना 2011 के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार महिला-पुरुष राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार साक्षरता दर

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	साक्षरता दर (व्यक्ति)	साक्षरता दर (पुरुष)	साक्षरता दर (महिला)
1	2	3	4	5
	भारत	74.04	82.14	65.46
01.	आंध्र प्रदेश	67.66	75.56	59.74
02.	अरुणाचल प्रदेश	66.95	73.69	59.57
03.	असम	73.18	78.81	67.27
04.	बिहार	63.82	73.39	53.33
05.	छत्तीसगढ़	71.04	81.45	60.59
06.	गोवा	87.40	92.81	81.84
07.	गुजरात	79.31	87.23	70.73
08.	हरियाणा	76.64	85.38	66.77

1	2	3	4	5
09.	हिमाचल प्रदेश	83.78	90.83	76.60
10.	जम्मू और कश्मीर	68.74	78.26	58.01
11.	झारखण्ड	67.63	78.45	56.21
12.	कर्नाटक	75.60	82.85	68.13
13.	केरल	93.91	96.02	91.98
14.	मध्य प्रदेश	70.63	80.53	60.02
15.	महाराष्ट्र	82.91	89.82	75.48
16.	मणिपुर	79.85	86.49	73.17
17.	मेघालय	75.48	77.17	73.78
18.	मिजोरम	91.58	93.72	89.40
19.	नागालैण्ड	80.11	83.29	76.69
20.	ओडिशा	73.45	82.40	64.36
21.	पंजाब	76.68	81.48	71.34
22.	राजस्थान	67.06	80.51	52.66
23.	सिक्किम	82.20	87.29	76.43
24.	तमिलनाडु	80.33	86.81	73.86
25.	त्रिपुरा	87.75	92.18	83.15
26.	उत्तर प्रदेश	69.72	79.24	59.26
27.	उत्तराखंड	79.63	88.33	70.70
28.	पश्चिम बंगाल	77.08	82.67	71.16
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	86.27	90.11	81.84
30.	चंडीगढ़	86.43	90.54	81.38
31.	दादरा और नगर हवेली	77.65	86.46	65.93
32.	दमन और दीव	87.07	91.48	79.59
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	86.34	91.03	80.93
34.	लक्षद्वीप	92.28	96.11	88.25
35.	पुदुचेरी	86.55	92.12	81.22

[हिन्दी]

एसएसए के तहत विद्यालयों की स्थापना

1460. श्री राकेश सचान: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) डेढ़ किलोमीटर के अंतर पर प्रत्येक तीन सौ की जनसंख्या के विहित मानदण्डों के अनुसार कुल कितने विद्यालयों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्राथमिक विद्यालयों को स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान के संशोधित मानदंडों में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमों के तहत राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित नजदीक के क्षेत्र अथवा सीमा के भीतर नए स्कूल खोलने का प्रावधान है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 6 में ऐसे क्षेत्रों के भीतर स्कूलों की स्थापना के लिए अधिनियम के आरंभ होने से तीन वर्ष की अवधि का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य आरटीई नियमावली में एक किलोमीटर की दूरी तथा न्यूनतम 300 की जनसंख्या के भीतर प्राथमिक स्कूलों की स्थापना हेतु मानदंड अधिसूचित किये हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए अनुमानों के आधार पर सितम्बर, 2011 में उत्तर प्रदेश की अनुपूरक वार्षिक कार्य योजना तथा बजट 2011-12 में शहरी क्षेत्र में 10366 नए प्राथमिक स्कूल तथा 121 कंपोजिट स्कूल (कक्षा 1-8) अनुमोदित किए गए थे।

सीएसीपीटी परीक्षा क्षेत्रीय भाषा में

1461. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षाएं आयोजित कराने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान को चार्टर्ड एकाउन्ट कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट (सीएसीपीटी) गुजराती भाषा में आयोजित कराने का अनुरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके कब तक लागू किये जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) संघ लोक सेवा आयोग ने सूचित किया है कि वह परीक्षाएं सरकार द्वारा तैयार तथा अधिसूचित किये गये परीक्षा नियमों के अनुसार संचालित करता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा योजना में एक व्यवस्था है। जिसके अनुसार अभ्यर्थी को सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा के सभी प्रश्नपत्रों के उत्तर भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों को छोड़कर भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक भाषा में लिखने का विकल्प प्राप्त है।

(ग) और (घ) द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), नई दिल्ली ने जानकारी दी है कि उन्हें माननीय संसद सदस्य से दिनांक 1.8.2011 को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें आई.सी.ए.आई. की परीक्षाओं को मातृभाषा अर्थात् गुजराती सहित राज्य की भाषाओं में संचालित करने का सुझाव दिया गया है।

(ङ) और (च) आई.सी.ए.आई. ने यह भी चेतावनी दी है कि आई.सी.ए.आई. की परीक्षाओं को मातृभाषा में संचालित करने का मामला माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में सायाजी वल्भव सार्वजनिक पुस्तकालय तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य द्वारा दायर वर्ष 2011 की रिट याचिका (जनहित मुकदमा) संख्या 143 के जरिये न्यायाधीन है। इसी प्रकार माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में गुजराती साहित्य परिषद तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य द्वारा वर्ष 2011 की एक रिट याचिका (जनहित मुकदमा) संख्या 112 दायर की गई है।

[अनुवाद]

आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों हेतु संवर्ग पद

1462. श्री नारनभाई कछाडिया: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन राज्यों ने आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों के संवर्ग पदों के लिए न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित करने के लिए केन्द्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) संवर्ग पदों हेतु ऐसी न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित करने के लिए कुछ राज्यों द्वारा केन्द्र के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किये जाने पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जहां तक आई.ए.एस. संवर्ग पदों का संबंध है, 13 संवर्ग/संयुक्त संवर्गों ने न्यूनतम कार्यकाल नियम के नियतन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

आई.पी.एस. संवर्ग पदों के विषय में, मामला अभी न्यायाधीन है।

(ख) किसी संघीय ढांचे में, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के संवर्ग पदों को निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल प्रदान करने हेतु विनियमावली में कोई परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकारों से परामर्श अपेक्षित है। शेष राज्यों में आई.ए.एस. के संवर्ग पदों के लिए न्यूनतम कार्यकाल का निर्धारण इसी सिद्धान्त पर आधारित होगा।

आई.पी.एस. संवर्ग पदों के विषय में, मामला अभी न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

गरीब और अमीर

1463. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और अमीरों की पहचान के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) 6000 रु. प्रति माह अर्जित करने वाले और आठ सदस्यों का भरण-पोषण करने वाले व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में केन्द्र सरकार की स्कीमों के तहत सहायता देने के लिए परिवारों को चिन्हित करने संबंधी क्रमशः एन.सी. सक्सेना समिति और हाशिम समिति द्वारा संस्तुत मानदंड के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने समाज-आर्थिक सूचकों संबंधी सूचनाएं एकत्रित करने हेतु समाज-आर्थिक तथा जातिगत जनगणना, 2011 के लिए मानदंडों को अंतिम रूप दिया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों संबंधी मानदंड का ब्यौरा क्रमशः विवरण-I तथा II के रूप में संलग्न हैं। समाज-आर्थिक तथा जातिगत जनगणना, 2011 सर्वेक्षण उन परिवारों को चिन्हित करने के लिए है जिन्हें अमीरों से गरीबों को अलग करने की कोशिश करने की बजाय, केन्द्र सरकार की विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रमों के तहत लक्षित किया जाना है।

सरकार ने सर्वेक्षण का परिणाम आने पर, इसके विश्लेषण करने तथा कार्यप्रक्रिया पर सहमति पर पहुंचने के बाद राज्यों, विशेषज्ञों तथा प्रबुद्ध समाज के संगठनों से परामर्श के उपरान्त, केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों तथा स्कीमों के लिए, देश में ग्रामीण परिवारों की अर्हता और पात्रता निर्धारण का फैसला किया है।

विवरण I

एन सी सक्सेना समिति रिपोर्ट, अगस्त 2009 की सिफारिशें जिन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किए गए संशोधनों के अनुसार अंतिम रूप दिया गया, के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए मानदण्ड

1. **स्वतः बहिष्करणों की सूची:** स्वतः अपवर्जन के निम्नलिखित मानदंड हैं:

(क) वे परिवार जिनके पास मोटरयुक्त दो/तीन/चार पहियां। फिसिंग बोट (जिनका पंजीकरण आवश्यक है) हैं।

(ख) वे परिवार जिनके पास यांत्रिक तीन/चार पहियां कृषि साधन जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि हैं।

(ग) जिन परिवारों के पास 500000 या इससे अधिक रुपए की क्रेडिट सीमा का किसान क्रेडिट कार्ड है।

(घ) वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी: केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, सरकारी सहायतार्थ स्वायत्त निकाय और स्थानीय निकाय का राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारी हैं। इसमें प्रोत्साहन और अन्य मानदेय आधारित कार्मिक शामिल नहीं हैं;

(ङ) वे परिवार जिन्होंने किसी भी उद्देश्य के लिए सरकार से इन्टरप्राइजेज पंजीकृत करवा रखे हैं: केन्द्र या राज्य सरकार से पंजीकृत कोई भी गैर-कृषि इन्टरप्राइज;

(च) वे परिवार जिनमें कोई भी सदस्य 10000 प्रतिमाह से अधिक कमाता है;

(छ) वे परिवार जो आयकर या व्यवसाय कर देते हैं;

(ज) वे परिवार जिनके पास पक्की छतों के तीन या इससे अधिक कमरे हैं;

(झ) वे परिवार जिनके पास रेफ्रिजेरेटर है;

(ञ) वे परिवार जिनके पास लैंडलाइन फोन है;

(ट) वे परिवार जिनके पास कम से कम एक सिंचाई साधन जैसे डीजल/विद्युत चालित बोर वेल/ट्यूब। वेल के साथ 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचाई योग्य भूमि है;

(ठ) दो या दो से अधिक फसल-मौसम के लिए सिंचाई योग्य 5 एकड़ या इससे अधिक है;

(ड) वे परिवार जिनके पास कम से कम एक सिंचाई साधन जैसे डीजल/विद्युत चालित बोर वेल/ट्यूब वेल के साथ 7.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचाई योग्य भूमि है।

2. स्वतः समावेशन की सूची: परिवारों की निम्नलिखित श्रेणियों को बहिष्करण मानदंडों के अधीन अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा।

(क) बिना आश्रय वाले परिवार;

(ख) दरिद्र/भीख पर जीवन यापन करने वाले;

(ग) शारीरिक रूप से मैला उठाने वाले;

(घ) प्राचीन जनजातीय समूह;

(ङ) कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर।

3. वंचन संकेतक: समावेशन के लिए प्रयोग किये जाने वाले वंचन संकेतक निम्नलिखित हैं:

(क) वे परिवार जिनके पास कच्ची दीवार और कच्ची छत का एक कमरा है;

(ख) वे परिवार जिनमें 16 से 59 के बीच कोई वयस्क नहीं है;

(ग) वे महिला प्रधान परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष के बीच के कोई पुरुष सदस्य नहीं है;

(घ) वे परिवार जिनमें विकलांग सदस्य है और कोई भी सशक्त सदस्य वयस्क नहीं है;

(ङ) एससी/एसटी परिवार;

(ज) वे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क नहीं है;

(झ) वे भूमिहीन परिवाह जिनकी आय का एक बड़ा भाग मैनुअल दिहाड़ी मजदूरी से आता है।

विवरण II

मई 2011 में हाशिम समिति की भारत सरकार को अंतरिम सिफारिशों के आधार पर शहरी क्षेत्रों में असुरक्षा के लिए मानदण्ड

असुरक्षा की श्रेणियां

1. आवासीय असुरक्षा: परिवारों की निम्नलिखित श्रेणियों को आवासीय असुरक्षित श्रेणी के रूप में परिभाषित किया गया है जैसे— घर रहित आबादी, कच्चे/अस्थाई घरों में रहने वाले लोग जहां रहने के स्थान (चाहे मालिकाना आधारित या किराये का आवास हो) अवधि की असुरक्षा के अधीन है तथा परिवार बुनियादी नागरिक सेवाओं की पहुंच से वंचित होने के कारण प्रभावित होते हैं।

2. व्यावसायिक असुरक्षा: परिवारों की निम्नलिखित श्रेणियों को व्यावसायिक रूप से असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है: वे व्यक्ति जो लम्बे समय से बेरोजगार हैं तथा/अथवा उनके रोजगार की अवधि अनिश्चित या अनियमित है, वे व्यक्ति जो कम और अनिश्चित मजदूरी/कमाई वाले अनौपचारिक/दिहाड़ी, कम लक्ष्य वाले व्यवसाय में लगे हुए हैं, वे व्यक्ति जिनका रोजगार गंदी, अस्वास्थ्यकर और खतरनाक कार्य दशाओं के अधीन है, प्रायः प्राकृति से बंधवा/बंधवा जैसा या श्रम अवस्था में असम्मानजनक और दमनकारी आदि है तथा अंततः वे व्यक्ति जो स्थिरता/प्रकृति/भुगतान की अवधि के आधार पर व्यावसायिक रूप से असुरक्षित हैं।

3. सामाजिक असुरक्षा: परिवारों की निम्नलिखित श्रेणियों को व्यावसायिक रूप से असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है: महिला प्रधान परिवार, नाबालिक प्रधान परिवार, परिवार के मुखिया पर निर्भरता के संबंध में वृद्धावस्था तथा साक्षरता के स्तर में शिक्षा, अशक्तता तथा/या पुरानी बीमारी के संबंध में स्वास्थ्य।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा ऋण

1464. **श्री आनंद प्रकाश परांजपे:**
श्री संजय भोई:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च शिक्षा ऋणों को गरीब छात्रों हेतु अधिक आकर्षक बनाने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अपने लक्ष्य प्राप्ति में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ब्याज राजसहायता योजना के तहत वर्ष 2010-11 के दौरान कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या बैंक इस योजना के तहत ऋण संस्वीकृत करने में कतरा रहे है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति और दोषी बैंकों को दण्डित करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय ने बताया है कि शिक्षा ऋणों के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते है। तथापि, प्राथमिताओं क्षेत्र ऋण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी दिशानिर्देशों के अनुसार 20 लाख रुपए की राशि तक के शैक्षिक ऋणों (व्यक्तियों को) प्राथमिकता क्षेत्र का ऋण माना जाता है। बकाया शिक्षा ऋणों की राशि के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखों की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई है। यह राशि मार्च, 2007 में 14012 करोड़ रु. से बढ़कर मार्च, 2011 में 43074 करोड़ रु. होकर तिगुनी हो गई है। इसी प्रकार इसी अवधि के दौरान लेखों की संख्या भी बढ़कर तिगुनी अर्थात् 7 लाख से 22 लाख हो गई है।

(ग) शिक्षा ऋण पर ब्याज सहायिकी के लिए वर्ष 2010-11 में 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान था।

(घ) भारतीय बैक संघ द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, बैंक उन सभी पात्र छात्र ऋण प्राप्तकर्ताओं जो योजना के तहत अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करते है, को इस योजना के तहत ऋण संस्वीकृत कर रहे है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

छिपे कैमरों के लिए आईसीएओ की सिफारिशें

1465. **श्री भीष्म शंकर** उर्फ **कुशल तिवारी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने काकपिट, दरवाजे, गैलरी क्षेत्र तथा कैबिन में छिपे कैमरे लगाने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालर रवि): (क) और (ख) जी, हां। अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने सिफारिश की है कि:

> वे सभी यात्री विमान जिनका अधिकतम प्रमाणित भार 45000 किलोग्राम से अधिक है अथवा 60 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता है को पायलट स्टेशन, उड़ान कर्मीदल कक्ष के दरवाजे से बाहर का क्षेत्र, से निगरानी करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा प्रवेश करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा किसी प्रकार की संदेहास्पद व्यवहार या संभावित खतरे का पता लगाने के लिए किया जाता है।

इस सिफारिश को नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा नागर विमानन आवश्यकताएं (कार), धारा 8, श्रृंखला 0, भाग 2 में अपनाया गया है तथा 1 जनवरी, 2008 से प्रभावी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षित कोयला ब्लाकों की स्थिति

1466. **श्री गणेश सिंह:**
श्री अर्जुन चरण सेठी:
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों से रक्षित कोयला ब्लाकों की स्थिति उपलब्ध कराने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला ब्लाकों के आवंटन में कोई अनियमितताएं पाई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में ऊर्जा पैदा करने वालों को कोयला लिंकेज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है जिन्होंने विद्युत परियोजनाओं विशेषकर कोयला पैदा करने वाले राज्यों को विकसित करने में सहयोग तथा रुचि दर्शायी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) कोयला मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के खनन और भू-विज्ञान विभागों के प्रभारी राज्य मंत्रियों के साथ 10 अगस्त, 2009 को सम्पन्न बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि राज्य सरकारें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अपने-अपने राज्यों के भीतर आने वाले आवंटित कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों और उससे संबद्ध अन्त्य उपयोग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने तथा उसके अतिरिक्त अंतर-विभागीय समन्वय से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए राज्य स्तर पर एक समन्वय समिति का गठन करें। हालांकि इस संबंध में राज्य सरकारों के विचार प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस प्रश्न के भाग (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) विद्युत के लिए स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधि) ने कुल 1,03,989 मे.वा. का लिंकेज/आश्वासन पत्र (एलओए) प्राधिकृत किया है जिसके 11वीं योजना के दौरान होने का अनुमान था। इस अनुमोदित क्षमता में से लगभग 40,000 मे.वा. की तापीय विद्युत परियोजनाएं 11वीं योजना अवधि के दौरान चालू किए जाने की आशा है और 63,989 मे.वा. की शेष क्षमता 12वीं योजना अवधि के दौरान ही होने की संभावना है। योजना आयोग की ऊर्जा संबंधी संचालन समिति में 12वीं योजना के लिए कार्य समूह की रिपोर्टों की चर्चा के दौरान, विद्युत मंत्रालय ने दर्शाया है कि 12वीं योजना के दौरान, केवल 38,000 मे.वा. क्षमता कोयला लिंकेज के माध्यम से स्थापित की जाएगी। चूंकि 12वीं योजना के लिए लगभग 64,000 मे.वा. का कोयला लिंकेज/एलओए पहले से ही है, इसलिए 12वीं योजना परियोजनाओं के लिए और अधिक लिंकेज/एलओए देने के लिए और अधिक संभावना प्रतीत नहीं होती है।

[अनुवाद]

प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जाना

1467. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बच्चों और शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण देश में कतिपय प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) किसी भी राज्य सरकार ने सूचित नहीं किया है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत खोले गए स्कूलों को बच्चों और शिक्षकों के उपलब्ध न होने के कारण बंद किया गया हो।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उच्चतर शिक्षा हेतु निधियों का आवंटन

1468. **श्रीमती सुशीला सरोज:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्चतर शिक्षा हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या उक्त आवंटन के 50 प्रतिशत भाग का भी उपयोग नहीं किया जा सका है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) राष्ट्रीय विकास परिषद ने 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 84943 करोड़ रु. का परिव्यय अनुमोदित किया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान 34683 करोड़ रु. के बजटीय योजनागत आबंटन में से, वास्तविक व्यय 27004.84 करोड़ रु. था जो कि लगभग 78 प्रतिशत है। वर्ष 2011-12 के लिए योजनागत आबंटन 13103 करोड़ रु. है।

[अनुवाद]

भोपाल मेमोरियल अस्पताल

1469. श्री पी.टी. थॉमस: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भोपाल मेमोरियल अस्पताल को परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अधिग्रहित किये जाने की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस प्रक्रिया में विलम्ब हुआ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के फलस्वरूप, परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) एवं जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने अंनतिम रूप से दिनांक 02.08.2010 को भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र (बीएमएचआरसी) को अपने अधिकार में ले लिया है, हालांकि अस्पताल के लिए एक स्वायत सोसाइटी आदि के रूप में उक उपयुक्त प्रशासनिक संरचना का गठन अभी अनिर्णीत है। इस संबंध में एक सरकारी संकल्प दिनांक 03.09.2010 को जारी किया गया था। अस्पताल का दिन-प्रतिदिन का प्रशासन परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा देखा जा रहा है तथा वेतनों, औषधियों एवं उपभोज्य पदार्थों, अनुरक्षण आदि के लिए अपेक्षित बजट अनुदान विभाग द्वारा जारी किया जा रहा है। जब परमाणु ऊर्जा आयोग (एईसी) के समक्ष बीएमएचआरसी के प्रबंधन हेतु एक स्वायत सोसाइटी के गठन का विषय एवं अस्पताल में विद्यमान पदों के संबंध में वित्त मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त करने हेतु अनुमोदन आदि जैसे विषयों को रखा गया, तो एईसी ने यह महसूस किया कि परमाणु ऊर्जा विभाग को जो अधिदेश मिला है, बीएमएचआरसी जैसे अस्पताल का प्रबंधन उसका अंग नहीं है तथा एक बड़े अस्पताल को चलाने में अनेक प्रचालनीय कठिनाइयां आएंगी। इसलिए आयोग ने परमाणु ऊर्जा विभाग को यह परामर्श दिया है कि बीएमएचआरसी के प्रशासन को भारत सरकार के किसी अन्य उपयुक्त विभाब को हस्तांतरित करने हेतु मंत्रिमंडल सचिव के समक्ष इस विषय को ले जाए। सचिवों की समिति की बैठक हुई तथा इस विषय पर विचार-विमर्श किया गया और उसने यह सिफारिश की कि बीएमएचआरसी का प्रशासन स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया जाए। तदनुसार, यह विषय केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) लागू नहीं।;

(घ) ऊपर (क) में उल्लिखित रूप में।

[हिन्दी]

शिक्षा आयोग का गठन

1470. श्री वीरेन्द्र कुमार:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री शिवकुमार उदासी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कृषि, व्यावसायिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों को नियंत्रण करने वाले विभिन्न मंत्रालयों के विचार भी प्राप्त किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस आयोग को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(च) शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने के लिए यह किस प्रकार मददगार साबित होगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2011 को

की गई घोषणा के अनुसरण में सरकार ने शिक्षा के सभी स्तरों पर सुधार के लिए सिफारिशें देने हेतु शिक्षा आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा विस्तृत विचार-विमर्शों के पश्चात प्रस्तावित आयोग के संविधान तथा विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

कोल इंडिया लिमिटेड में भ्रष्टाचार के मामले

1471. **श्री राम सुन्दर दास:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोल इंडिया लिमिटेड में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सहायक कंपनी-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों के संबंध में कोई जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो सहायक कंपनी-वार तत्संबंधी निष्कर्ष क्या रहे;

(ङ) उन अधिकारियों के नाम का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध जांच एजेंसियों द्वारा अभियोग पंजीकृत किये गये और जांच के परिणामस्वरूप दोषी अथवा निर्दोष अधिकारियों का सहायक कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी उपाय किये गये हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अफगानिस्तान के साथ सुरक्षा सहयोग

1472. **श्री मनोहर तिरकी:**
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार और अफगानिस्तान ने हाल ही में सामरिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समझौते में पाकिस्तानी भूमि से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद की आम समस्या से लड़ने के संबंध में सुरक्षा कवर को विशेषरूप से शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या रणनीति तैयार की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) भारत ने 4 अक्तूबर, 2011 को नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ एक सामरिक भागीदारी करार (एसपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस करार का उद्देश्य दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों, जिनमें राजनैतिक और सुरक्षा सहयोग, व्यापार और आर्थिक सहयोग, क्षमता विकास और शिक्षा सामाजिक, सांस्कृतिक, सिविल समाज और लोगों के लोगों से संबंध भी शामिल हैं, संबंधों को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना है।

(ग) और (घ) करार के राजनैतिक और सुरक्षा सहयोग खण्ड में अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के लिए प्रशिक्षण, सज्जा और क्षमता निर्माण में परस्पर रूप से निर्धारित के अनुसार सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सुरक्षा सहयोग का आशय उनके अपने और परस्पर प्रयासों को बढ़ाने में मदद करना है, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध, मादक द्रव्यों की तस्करी और धन-शोधन के खिलाफ उनकी ओर से की जा रही लड़ाई के लिए है।

चीन के साथ सीमा संबंधी संयुक्त तंत्र

1473. **श्री आनंदराव अडसुल:**
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन के साथ होने वाली अगले दौर की बातचीत में चीन के साथ संयुक्त सीमा तंत्र को अंतिम रूप देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक चीन के साथ क्या-विचार-विमर्श हुआ है;

(ग) क्या चीन सीमा संबंधी नया संयुक्त तंत्र गठन करने पर सहमत है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती प्रनीत कौर): (क) से (घ) सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त उपाय के रूप में भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय हेतु एक कार्य तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव चीनी प्रधानमंत्री श्री वेन जियाबाओ द्वारा दिसंबर, 2010 में अपनी भारत यात्रा के दौरान दिया गया था। सान्या में अप्रैल, 2011 में राष्ट्रपति श्री हु जिन्ताओं के साथ प्रधानमंत्री की बैठक के दौरान दोनों नेता इस संबंध में सिद्धांत रूप में एक समझौते पर राजी हुए थे।

डाक बैंक योजना

1474. डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री ओम प्रकाश यादव:
श्री दत्ता मेघे:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग का देश में डाकघरों के वृहत नेटवर्क के प्रयोग के माध्यम से डाकघर बैंक योजना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या पैनल ने न्यूजीलैंड और जापान की तर्ज पर भारतीय डाक बैंक स्थापित करने के संबंध में कोई अध्ययन करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 5 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या योजना आयोग ने डाक सेवा विभाग को डाकघरों में एटीएम स्थापित करने की अनुमति दे दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ प्राप्त होंगे?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) डाक विभाग द्वारा भारतीय प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद से डाक बैंक स्थापित करने की संभावनाओं पर एक अध्ययन कराया गया है, इससे यह निष्कर्ष निकला है कि डाक बैंक स्थापित करने की संभावना है। डाक विभाग ने इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय से विचार आमंत्रित किए हैं।

(ग) जी, हां। योजना आयोग ने डाक बैंक स्थापित करने के संबंध में अध्ययन करने हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं।

(घ) 11वीं योजना अवधि के दौरान, आज की तारीख तक विभाग ने डाक बैंक स्थापित करने के संबंध में अध्ययन कराने हेतु लगभग 40 लाख रु. व्यय किए हैं। विभाग ने प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय से विचार आमंत्रित किए हैं।

(ङ) योजना आयोग ने विभाग के सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना में डाकघरों में ए.टी.एम. स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

(च) विभाग ने देश भर में प्रमुख डाकघरों में 1000 ए.टी.एम. लगाने का निर्णय है। इन ए.टी.एम. से ग्राहकों को आहरण की 24x7 सुविधा मिल पाएगी।

[हिन्दी]

ब्रॉडबैंड सुविधा

1475. श्री उदय प्रताप सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की संख्या कितनी है जो अभी तक ब्रॉडबैंड सुविधा से जुड़े हुए हैं;

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश के पॉलीटेक्निक कालेजों को ब्रॉडबैंड सुविधा से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संस्थानों को उक्त सुविधा से कब तक जोड़ने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) दिनांक 31.10.2011 की स्थिति के अनुसार, एनएमआईसीटी योजना के अंतर्गत जिसमें इंटरनेट सुविधा भी शामिल है, 384 विश्वविद्यालयों को एक जीबीपीएस कनेक्टिविटी तथा 13371 कालेजों को 10 एमबीपीएस कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

(ख) राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) एनएमईआईसीटी योजना के अंतर्गत देश के 2000 पॉलिटेक्निकों को अब 11वीं योजनावधि के दौरान इंटरनेट सहित 10 एमबीपीएस तक कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

विवरण I

दिनांक 31.10.2011 की स्थिति के अनुसार कॉलेज कनेक्टिविटी

क्र.सं.	राज्य	कॉलेजों की कुल संख्या	दिनांक 31.10.2011 की स्थिति के अनुसार कनेक्ट किए गए कॉलेजों की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	4
2.	आंध्र प्रदेश	3086	1732
3.	अरुणाचल प्रदेश	15	6
4.	असम	405	230
5.	बिहार	600	517
6.	छत्तीसगढ़	394	145
7.	चेन्नई	398	138
8.	गोवा	36	36
9.	गुजरात	1762	691
10.	हरियाणा	1100	374
11.	हिमाचल प्रदेश	223	74
12.	जम्मू और कश्मीर	378	144
13.	झारखण्ड	222	116
14.	कर्नाटक	4094	1917
15.	केरल	1050	654
16.	मध्य प्रदेश	1559	697
17.	महाराष्ट्र	3229	1483
18.	मणिपुर	73	57
19.	मेघालय	74	36
20.	मिजोरम	29	23
21.	नागालैण्ड	40	34
22.	ओडिशा	1242	725
23.	पंजाब	664	407
24.	राजस्थान	1128	716
25.	सिक्किम	10	4
26.	तमिलनाडु	1735	417
27.	पुदुचेरी	90	27
28.	त्रिपुरा	36	26
29.	उत्तर प्रदेश	3544	1273
30.	उत्तराखण्ड	343	150
31.	पश्चिम बंगाल	935	453
32.	दिल्ली	118	65
	कुल योग	28616	13371

विवरण II

दिनांक 31.10.2011 की स्थिति के अनुसार कनेक्टिविटी की स्थिति वाले एनएमईआईसीटी विश्वविद्यालय

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालयों की कुल संख्या	आज की तारीख के अनुसार कनेक्ट किए गए विश्वविद्यालय
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	31	30
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2
3.	असम	7	7

1	2	3	4
4.	बिहार	14	14
5.	छत्तीसगढ़	7	2
6.	गुजरात	23	23
7.	हरियाणा	11	10
8.	हिमाचल प्रदेश	4	3
9.	जम्मू और कश्मीर	7	4
10.	झारखण्ड	10	9
11.	कर्नाटक	29	28
12.	केरल	16	15
13.	मध्य प्रदेश	19	18
14.	महाराष्ट्र	31	27
15.	मणिपुर	3	2
16.	मेघालय	3	3
17.	मिजोरम	1	1
18.	नागालैण्ड	1	1
19.	ओडिशा	14	12
20.	पंजाब	9	8
21.	राजस्थान	37	36
22.	तमिलनाडु	47	47
23.	त्रिपुरा	3	2
24.	उत्तर प्रदेश	43	40
25.	उत्तराखण्ड	12	11
26.	पश्चिम बंगाल	19	17
27.	सिक्किम	3	2
28.	दिल्ली	13	10
	कुल योग	419	384

कर्मचारियों को पुनः कैडर में वापस भेजना

1476. श्री अंजन कुमार एम. यादवः
श्री गोरख प्रसाद जायसवालः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बीएसएनएल और एमटीएनएल का समूह 'क' कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों जिन्हें दूरसंचार विभाग से प्रतिनियुक्ति पर मान लिया गया था को वापस संवर्ग में भेजने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान समूह 'क' अधिकारियों की संख्या क्या है जिन्हें पहले ही कैडर में वापस भेज दिया गया है और जिन्हें अभी तक वापस नहीं भेजा गया है; और

(घ) उन सभी को उनके मूल विभाग में भेजने की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (घ) बीएसएनएल/एमटीएनएल में आमेलन के लिए विकल्प का प्रयोग करने के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस)/टेलीग्राफ ट्रैफिक सेवा (टीटीएस)/टेलीकॉम फैक्टरी सेवा (टीएफएस), सामान्य केन्द्रीय सेवा (जीसीएस), भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा (आईपी एंड टीएएफएस) और डाक एवं दूरसंचार भवन निर्माण कार्य सेवा (पीएंडटीबीडब्ल्यूएस) के समूह 'क' अधिकारियों से विकल्प मांगते हुए दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 22 सितम्बर, 2011 को चार विकल्प पत्र जारी किए गए। दूरसंचार विभाग में कार्यरत अथवा बीएसएनएल/एमटीएनएल को छोड़कर अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्त अधिकारियों के लिए विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तारीख 28 अक्तूबर, 2011 निर्धारित थी। बीएसएनएल/एमटीएनएल में सम प्रतिनियुक्त अधिकारियों के लिए यह तारीख 8 नवम्बर, 2011 थी।

दूरसंचार विभाग द्वारा 3 नवम्बर 2011 का एक कार्यालय-ज्ञापन जारी किया गया है जिसके द्वारा बीएसएनएल/एमटीएनएल में सम प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे समूह 'क' अधिकारियों जिन्होंने विकल्प का प्रयोग करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात् 8 नवम्बर, 2011 तक बीएसएनएल/एमटीएनएल में आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग नहीं किया है या सरकारी सेवा के लिए विकल्प दिया है अथवा सशर्त विकल्प दिया है, को 9 नवम्बर, 2011 से सरकार में प्रत्यावर्तित किये जाने का आदेश दिया गया है। ऐसे

अधिकारियों जो न्यायालय में गए और जहां न्यायालयों ने दूरसंचार विभाग में उपलब्ध रिकार्डो के अनुसार, उनके संबंध में अंतरिम स्थगन जारी किया है या अंतरिम निर्देश जारी किये हैं, को बीएसएनएल/एमटीएनएल में बने रहने के लिए कहा गया है। 24.11.2011 तक बीएसएनएल के 348 समूह 'क' अधिकारियों और एमटीएनएल के 40 समूह 'क' अधिकारियों ने जो इन संगठनों में सम प्रतिनियुक्ति पर थे प्रत्यावर्तित होने पर दूरसंचार विभाग में कार्यभार ग्रहण कर दिया है।

[अनुवाद]

ई-मेल सुविधा

1477. श्री पूर्णमासी राम:
श्री सी.आर. पाटिल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मेल और ई-मेल के बीच अन्तर क्या है;

(ख) सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को ई-मेल सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या आम जनता द्वारा वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों को ई-मेल के माध्यम से शिकायतें, परिवाद आदि भेजने पर मनाही है;

(घ) क्या सरकारी संस्थानों को भेजे गए अधिकांश ई-मेलों का उत्तर नहीं दिया जाता और उत्तर दिए बिना उन्हें डिलीट का दिया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या अधिकारियों को आम जनता से प्राप्त मेल और ई-मेल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों आदि पर संज्ञान लेना होता है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ई-मेल की पावती और संबंधित व्यक्ति को उत्तर भेजना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) वर्ष 2010-11 के दौरान डाक और तार विभाग के अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उनमें से कितनी शिकायतें कार्रवाई और शिकायतकर्ता को उत्तर के लिए लंबित हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) मेल एक कागज आधारित डाक/पत्र व्यवहार है। ई-मेल डाक/पत्र व्यवहार का एक इलैक्ट्रानिक रूप है।

(ख) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी किए गए ई-मेल प्रबंध दिशा-निर्देशों के पैराग्राफ सं. 1.2 के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों सहित अधिकारियों को ई-मेल सुविधा प्रदान करने के पीछे जो उद्देश्य है वह निम्न प्रकार से है:-

सूचना का प्रचार-प्रसार करना।

कार्य समूहों में और उनके बीच अभिलेखों और रिपोर्टों का आदान-प्रदान करना।

कार्य-सूची और कार्यवृत्तों का आदान-प्रदान करना।

मसौदा दस्तावेजों को परिचालित करना।

बैठकों, मिलने के निश्चित समयों और कार्य अनुसूचियों का समन्वय करना तथा अनौपचारिक/औपचारिक अनुमोदन प्रक्रियाओं का समर्थन करना।

(ग) जी, नहीं। इसके अतिरिक्त, नागरिकों द्वारा दर्ज करवायी गयी लोक शिकायतों/परिवादों के निपटान के लिए सरकार द्वारा एक समर्पित वेब आधारित केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं मॉनिटरिंग पद्धति (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल की व्यवस्था की गयी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (सीएसएमओपी) के अनुसार ई-मेल सरकार में प्राप्त अन्य समान्य डाक/ पत्र व्यवहार की तरह है और अधिकारी मेल और ई-मेल के माध्यम से आम जनता से प्राप्त शिकायत पर संज्ञान लेने के लिए उत्तरदायी है। उन अधिकारियों जो उनको सौंपे गए कार्य को निपटाने में विलम्बकारी दाँवपेंच अपनाते हैं अथवा जानबूझकर देरी करते हैं, के विरूद्ध केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(छ) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्राप्त किए गए ई-मेलों के बारे में आकड़े/सूचना का केन्द्रीय तौर पर रखरखाव नहीं करता है।

[हिन्दी]

जंक फूड की बिक्री

1478. श्रीमती मीना सिंह:
श्री राधा मोहन सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यालयों तथा कालेजों में जंक फूड खाने की प्रवृत्ति में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने विद्यालयों और कालेजों में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने सम्बद्ध स्कूलों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि स्कूल की कैंटीन स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता प्रदान करें जिनकी मॉनिटरिंग स्कूलों के स्वास्थ्य और कल्याणकारी क्लबों द्वारा की जा सके। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सभी केन्द्रीय विद्यालयों में जंक फूड और एयरेटेड पेय पदार्थों पर रोक लगाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। कॉलेजों के संबंध के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

आर्थिक विकास संबंधी मावन विकास रिपोर्ट

1479. श्री पी. लिंगम:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:
श्री गुरूदास दासगुप्त:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की वर्ष 2011 की मानव विकास रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है कि भारत द्वारा प्राप्त की गई उच्च विकास दर अधिकांश नागरिकों को उच्च जीवन स्तर प्रदान करने में परिवर्तित नहीं कर पाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रिपोर्ट में भारत को भावी पीढ़ी को शिक्षा, लिंग समानता आदि के मानदंडों के संबंध में अपने दो पड़ोसी देशों से बदतर स्थिति में प्रस्तुत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यूएनडीपी द्वारा दी गई जानकारी के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त यूएनडीपी (एचआरडी) रिपोर्ट के मद्देनजर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ङ) संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा हाल में जारी सततता और समानता: सबके लिए बेहतर भविष्य शीर्षक वाली मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर), 2011 के अनुसार मानव विकास सूचकांक, 2011 के 187 देशों में भारत 134वें स्थान पर है। लंबे और स्वास्थ्यकर जीवन, ज्ञान और मर्यादित जीवन-स्तर पर आधारित है। मानव विकास सूचकांक की उच्च दर मानव विकास के उच्चतर स्तर और बेहतर जीवन-स्तर को परिलक्षित करती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट, 2011 से पता चलता है कि भारत मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से लगातार ऊपर बढ़ रहा है। 1990 में यह 0.410 था जो 2000 में 0.461 और 2011 में 0.547 हो गया। मानव विकास रिपोर्ट, 2011 के अनुसार, 1990 के दशक की तुलना में, जब 1990-2000 के दौरान मानव विकास सूचकांक की वार्षिक औसत विकास दर 1.38% थी, 2000-2011 की अवधि में अनुमानित वृद्धि दर 1.56% प्रतिवर्ष रही जो भारत के लिए सर्वाधिक तेज है।

मानव विकास रिपोर्ट में विशिष्ट देशों के लिए कुछ संघटक सूचकांक तथा लैंगिक असमानता सूचकांक के मूल्यों को प्रकाशित किया है। मानव रिपोर्ट, 2011 के अनुसार लैंगिक असमानता सूचकांक और शैक्षिक मानदंडों की दृष्टि से, पड़ोसी देशों की तुलना में भारत की स्थिति संलग्र विवरण में है। विभिन्न संघटक सूचकांकों संबंधी आंकड़े और विशिष्ट मानदंड विभिन्न प्रक्रियाओं के आधार पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न सर्वेक्षणों पर आधारित हैं और इसीलिए, अन्य देशों के साथ एकदम से तुलनीय नहीं है। मानव विकास सूचकांक तथा गैर-आर्थिक मानव विकास सूचकांक,

असमानता समायोजित शिक्षा सूचकांक आदि की दृष्टि से, समग्र जीवन-स्तर में भारत की उपलब्धि पड़ोसी देशों की तुलना में बेहतर है।

उच्च विकास दर हासिल करने, रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान तथा मजदूरी और स्व-रोजगार उपलब्ध कराकर गरीबी उपशमन, सुरक्षित पेयजल तथा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान आदि जैसे फ्लैगशिप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से लोक स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण से, भविष्य में भारत के मानव विकास सूचकांक में और ऊपर बढ़ने की उम्मीद है।

विवरण

चुनिंदा देशों के लिए मानव विकास सूचकांक मूल्य और अन्य मानदंड

मानव विकास सूचकांक रैंक	देश का नाम	मानव विकास सूचकांक मूल्य	स्कूल के मध्यवान वर्ष	आयेतर मानव विकास सूचकांक	स्कूल में अनुमानित वर्ष	लैंगिग असमानता सूचकांक		असमानता समायोचित शिक्षा
						मूल्य	रैंक	
97	श्रीलंका	0.691	8.2	0.768	12.7	0.419	74	0.558
134	भारत	0.547	4.4	0.568	10.3	0.617	129	0.267
141	भुटान	0.522	2.3	0.500	11.0	0.495	98	0.185
145	पाकिस्तान	0.504	4.9	0.526	6.9	0.573	115	0.207
146	बंगलादेश	0.500	4.8	0.566	8.1	0.55	112	0.252
157	नेपाल	0.458	3.2	0.524	8.8	0.558	113	0.201
172	अफगानिस्तान	0.398	3.3	0.407	9.1	0.707	141	0.223

[हिन्दी]

खनन नियमों का उल्लंघन

1480. श्री कामेश्वर बैठा: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी इकाई सैंट्रल कोल इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) के रजहरा क्षेत्र में कोयला खनन कार्यकलापों में पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन कर नदी मार्ग को बाधित किया जा रहा है;

(ख) क्या कोयले के खनन से भूजल स्रोतों को क्षति के परिणामस्वरूप क्षेत्र में भारी पेयजल संकट और सिंचाई के लिए पानी की अनुपलब्धता हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खानों में जहां से पहले ही उत्खनन किया गया है पर्याप्त जल भंडार उपलब्ध है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) वर्तमान में, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोयला खनन क्रियाकलापों के दौरान किसी नदी का प्रवाह अवरुद्ध नहीं हुआ है। हालांकि, सीसीएल के राजहरा क्षेत्र में राजहरा ओपन कास्ट खान के प्रचालन के दौरान, खदान के किनारे के भाग के रूप में एक बांध बनाया जा रहा है ताकि इस नदी से पानी मानसून के दौरान खान में प्रवेश न कर सके। बांध के इस निर्माण के दौरान, ओवर वर्डन का हिस्सा

गलती से नदी के बीच बह कर चला गया जिससे यह आंशिक रूप से अवरुद्ध हो गया।

हालांकि सीसीएल ने नदी के बीच से ओवरबर्डन सामग्री हटाने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है और आज की तारीख तक, ओवरबर्डन सामग्री का लगभग 12,000 मिली घनमीटर हटा दिया गया है। ओवरबर्डन हटाने की कार्रवाई प्रगति पर है।

(ख) से (ङ) खनन प्रचालनों के कारण, भू-जल व्यवस्था पर किसी प्रतिकूल प्रभाव की सूचना कोल इंडिया लिमिटेड के किसी खान में अब तक नहीं मिली है। इन खानों में समुचित जल भंडार है जहां से कोयला निकाला जा रहा है/निकाला गया है। सामान्य तौर पर, उन मामलों, जहां खान/खनिज डम्पिंग का और आगे विस्तार करना पड़ता है, को छोड़कर कोयला निकालने से खाली हुए गड्ढे संचित सतही जल से भर जाते हैं।

कथन

खान के विस्तार के दौरान, छोटे-छोटे छिद्रों में वृद्धि के साथ, खान के खनन मुहाने के निकट भू-जल इकाईयों के भंडारण और व्यापकता में सुधार होता है। इसके कारण, भू-जल स्तरों पर मुख्य रूप से असीमित जलाशयों पर कुछ प्रभाव पड़ने की संभावना होती है जो तदनंतर आंशिक रूप से भू-जल स्तरों को नीचे ले जा सकता है।

कोयला निकाले जाने और खनन बंद होने के बाद व्यापक पुनरुद्धार के साथ भू-जल स्तर में सुधारा आता है और सामान्य स्थिति तक पहुंच जाता है। व्यापकता के साथ बाद में भरे गए क्षेत्र से भू-जल रिचार्ज कई गुणा बढ़ जाता है। इसलिए भी, छोड़े गए खान क्षेत्र में जल भंडार विकसित किया जाता है जो स्थानीय लोगों को विश्वसनीय जल स्रोत प्रदान करेगा तथा भू-जल प्रणाली में सुधार लाएगा। इस प्रकार, भू-जल प्रणाली पर प्रभाव एक अस्थायी घटना है। प्राकृतिक घटना के अलावा, वर्ष जल संचयक और भू-जल रिचार्ज जैसे कुछ सुधारक उपाय सीआईएल की सभी खानों में नियमित आधार पर किये जा रहे हैं।

इसके अलावा, पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, भू-जल स्तर और गुणवत्ता की नियमित मानीटरिंग मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित कर और पोजीमीटरों का निर्माण कर की जाती है। मात्रा की मानीटरिंग परियोजना/खान के बफर जोन (10 कि.मी. रेडियस) को शामिल करते हुए इन गांवों में मानसून-पूर्व (मई), मानसून (अगस्त), मानसून पश्चात (नवम्बर) और शीतकालीन (जनवरी) मौसमों में प्रति वर्ष चार बार की जाती है। जल की गुणवत्ता की मानीटरिंग मई महीने में वर्ष में एक बार की जाती है।

पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों, भू-जल को फिर से चार्ज करने के लिए चेक डैम सहित वर्षा जलसंचय के ढांचों को भू-जल की मानीटरिंग की घटती हुई प्रवृत्ति दर्शाने पर अपशमनात्मक उपाय के रूप में खान लीजहोल्ड के भीतर और उसके पास बनाया जाता है।

विमान सेवाओं के समय में परिवर्तन

1481. श्री रेवती रमण सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नई दिल्ली और इलाहाबाद के बीच विमान सेवाओं के समय में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस मार्ग पर वर्तमान में उपयोग किये जा रहे विमान के स्थान पर बोइंग विमान उड़ाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मार्ग से संभावित राजस्व का ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) दिल्ली और इलाहाबाद के बीच एअर इंडिया की सेवाओं का समय 23.11.2011 से परिवर्तन हो गया है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दिल्ली-इलाहाबाद उड़ान का अब दिल्ली से प्रस्थान समय 1410 बजे है और इलाहाबाद-दिल्ली उड़ान का इलाहाबाद से प्रस्थान समय 1625 बजे है। मंगलवार, वीरवार और शनिवार को दिल्ली-इलाहाबाद उड़ानों का प्रस्थान समय 1115 बजे और इलाहाबाद-दिल्ली उड़ानों का प्रस्थान समय 1320 बजे है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्तमान में, अर्जन (किराए) और क्षमता उपयोगिता (सीट फैक्टर) के मुताबिक, यह उड़ान प्रतिमाह 85 लाख रुपये का राजस्व अर्जित कर रही है।

विमान सेवाएं

1482. श्री इज्यराज सिंह:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरों में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उड़ानों में कितनी वृद्धि की गई है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने राज्य लाभान्वित हुए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

बी.एस.एन.एल. को स्पैक्ट्रम का आवंटन

1483. श्री तूफानी सरोज: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन सर्कलों का ब्यौरा क्या है जिनमें बी.एस.एन.एल. को ब्राडबैंड वायरलैस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) स्पैक्ट्रम आवंटित किया गया है;

(ख) क्या बी.एस.एन.एल. ने आवंटित स्पैक्ट्रम का उपयोग कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो सर्कलों का ब्यौरा क्या है और ब्रॉडबैंड का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जिन सर्किलों में बीएसएनएल को ब्रॉडबैंड बेतार अभिगम (बीडब्ल्यूए) स्पैक्ट्रम आवंटित किया गया है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) इन सर्किलों का ब्यौरा और इनमें ब्रॉडबैंड के उपयोग का तरीका विवरण-II में दिया गया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

विवरण I

उन सर्किलों का ब्यौरा जिनमें बीएसएनएल को ब्रॉडबैंड बेतार अभिगम (बीडब्ल्यूए) स्पैक्ट्रम आवंटित किया गया है

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र का नाम
1	2
1.	महाराष्ट्र
2.	गुजरात
3.	आंध्र प्रदेश
4.	कर्नाटक
5.	तमिलनाडु
6.	कोलकाता
7.	केरल
8.	पंजाब
9.	हरियाणा
10.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)
11.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)
12.	राजस्थान
13.	मध्य प्रदेश
14.	पश्चिम बंगाल
15.	हिमाचल प्रदेश
16.	बिहार
17.	ओडिशा
18.	असम
19.	पूर्वोत्तर
20.	जम्मू और कश्मीर

विवरण II

क्र.सं.	सर्किल	नियोजित वाईमैक्स बीटीएस	संस्थापित/विकिरित वाईमैक्स बीटीएस
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	526	311
2.	असम	226	131

1	2	3	4
3.	बिहार	1163	1008
4.	गुजरात	150	40
5.	हरियाणा	93	44
6.	हिमाचल प्रदेश	139	29
7.	जम्मू और कश्मीर	108	6
8.	कर्नाटक	170	90
9.	केरल	450	450
10.	कोलकाता दूरसंचार जिला	0	0
11.	मध्य प्रदेश	1250	104
12.	महाराष्ट्र	673	94
13.	पूर्वोत्तर	229	72
14.	ओडिशा	645	131
15.	पंजाब	395	381
16.	राजस्थान	816	32
17.	तमिलनाडु	223	135
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	768	625
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	355	196
20.	पश्चिम बंगाल	227	130
	कुल	8606	4009

[अनुवाद]

ए.टी.सी. की कमी

1484. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एअर ट्रैफिक कंट्रोलरों (एटीसी) की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में एटीसी की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) आगामी वर्षों में नागर विमानन उद्योग में कितने एटीसी की आवश्यकता होगी;

(ङ) क्या सरकार का देश के विभिन्न भागों में एअर कंट्रोल में शिक्षा प्रदान करने के लिए नए संस्थान खोलने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) मौजूदा प्रचालनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इस समय मौजूद 2135 नियंत्रकों की संख्या पर्याप्त है।

(ग) 300 नियंत्रक जुलाई 2011 में भर्ती किये गये हैं।

(घ) भारत में एटीसीओ के लिए दीर्घकालीन जनशक्ति की जरूरतों पर बाहरी एजेंसी के माध्यम से एक अध्ययन पूरा कराया गया है। अन्तिम रिपोर्ट शीघ्र ही आने की अपेक्षा है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इलाहाबाद, गोंदिया तथा हैदराबाद में स्थित तीन संस्थानों पर एटीसी में प्रशिक्षण दिया जाता है।

[हिन्दी]

विमानन प्रशिक्षण केन्द्र

1485. श्री अशोक अर्गल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कंपनी अधिनियम और सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत देश में पंजीकृत विमानन प्रशिक्षण केन्द्रों का पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लैंडिंग और पार्किंग प्रशुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए शैक्षिक सोसायटी के रूप में केन्द्र को पंजीकृत करने के लिए कतिपय अनिवार्य उपबंध आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जो फ्लाइंग क्लब/स्कूल/संस्थान सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है उनकी संलग्न विवरण-I पर और जो

कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है उनकी सूची संलग्न विवरण-II पर है।

(ख) से (घ) 'न लाभ न हानि' आधार पर चल रहे फ्लाइंग क्लबों के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपनी सेवाओं जैसे लैंडिंग तथा पार्किंग प्रभार, लाइसेंस शुल्क, मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभार आदि के लिए फ्लाइंग क्लबों से निम्न आधार पर प्रभार वसूल करता है:

1. शैक्षिक सोसाईटियों के रूप में पंजीकृत और 'न लाभ न हानि' आधार पर प्रचालित फ्लाइंग क्लबों के मामले में, एएआई द्वारा नाममात्र की दरें (अर्थात् सामान्य: प्रभार का 10 प्रतिशत) वसूल की जाती है।
2. अन्य सभी फ्लाइंग क्लबों के मामले में एएआई द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं के लिए सामान्य दरें वसूली जाती हैं।

विवरण I

सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत फ्लाइंग क्लब

क्र.सं.	फ्लाईंग क्लब के नाम	राज्य
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश एविएशन अकादमी हैदराबाद, ओल्ड एयरपोर्ट, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
2.	अमृतसर एविएशन क्लब, पी.ओ.राजासांसी एयरपोर्ट, अमृतसर	पंजाब
3.	बिहार फ्लाईंग इंस्टीट्यूट, बिहार सरकार केबिनेट सचिवालय नागर विमानन निदेशालय, पटना एयरपोर्ट, पटना	बिहार
4.	बोम्बे फ्लाईंग क्लब, जूहू एयरपोर्ट, संताक्रूज (पश्चिम), मुंबई	महाराष्ट्र
5.	गुजरात फ्लाईंग क्लब, सिविल एयरोड्राम, हरनी रोड, वडोदरा	गुजरात
6.	सरकारी विमान प्रशिक्षण संस्थान, विमानन निदेशालय, ओडीशा, सिविल एयरोड्राम, भुवनेश्वर	ओडीशा
7.	हरियाणा इंस्टीच्यूट ऑफ सिविल एविएशन, करनाल शाखा, करनाल	हरियाणा
8.	हरियाणा इंस्टीच्यूट ऑफ सिविल एविएशन, हिसार शाखा, हिसार	हरियाणा
9.	हरियाणा इंस्टीच्यूट सिविल एविएशन, पिंजौर शाखा, पिंजौर	हरियाणा
10.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग, राजा भोज एयरपोर्ट, भोपाल	मध्य प्रदेश
11.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, इंदौर	मध्य प्रदेश
12.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, चेन्नै एयरपोर्ट, चेन्नै	तमिलनाडु
13.	राजीव गांधी अकादमी ऑफ एविएशन तकनीक राधाश्री, टी.सी. 36/1200 (1 तथा 2), वलक्कदाव एन्वक्कल तिरूवनन्तपुरम	केरल
14.	पटियाला एविएशन क्लब, सिविल एयरोड्रोम, पटियाला	पंजाब
15.	लुधियाना एविएशन क्लब, लुधियाना	पंजाब

1	2	3
16.	वनस्थली विद्यापीठ ग्लाइडिंग फ्लाइंग क्लब, वनस्थली	राजस्थान
17.	नागपुर फ्लाइंग क्लब, मंडल आयुक्त कार्यालय, सिविल लाइन, नागपुर-01	महाराष्ट्र
18.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुरसतगंज, रायबरेली (स्वायत्त निकाय)	उत्तर प्रदेश
19.	अहमदाबाद एविएशन एण्ड एयरोनॉट्रिक लिमिटेड, एएए हैंगर, ओल्ड टर्मिनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद	गुजरात
20.	अकादमी ऑफ कारवर एविएशन, 47 डी ग्राउंड फ्लोर, खोटा चिवड़ी, गिरगांव, बेलगांव	आंध्र प्रदेश
21.	फ्लाइंगटेक एविएशन अकादमी, ए1-केयूसर, प्लाट नं. 295, रोड नं. 10, वेस्ट मारेदपल्ली, सिकंदराबाद	आंध्र प्रदेश

विवरण II

कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत फ्लाइंग क्लब

क्र.सं.	फ्लाईंग क्लब के नाम	राज्य
1	2	3
1.	गर्ग एविएशन लिमिटेड, हैंगर नं. 3 सिविल एयरोड्राम, कैंट, कानपुर	उत्तर प्रदेश
2.	एचएएल रोटारी विंग अकादमी, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, हैलिकॉप्टर डिवीजन, पोस्ट बाक्स नं. 1790, बैंगलूरू	कर्नाटक
3.	ओरियंट फ्लाइंग स्कूल, पोस्ट बॉक्स नं. 1306, 40, जीएसटी रोड, चेन्नई	(यूटी) पुडुचेरी
4.	विंग एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, 1-11-256/बी, प्लॉट नं. 108, समीप एयरपोर्ट रोड के समीप, बेगमपट, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
5.	मैसर्स यश एयर लिमिटेड, झबुआ टॉवर, 170 आर एन टी मार्ग, इंदौर (ओपरेशनल बेस, उज्जैन)	मध्य प्रदेश
6.	मैसर्स अंबर एविएशन, 38 वसंत विहार, फेस-2, देहरादून (उत्तरांचल)	उत्तरांचल
7.	टॉब्रो एविएशन, जमशेदपुर	जमशेदपुर
8.	साउथ पॉयलट ट्रेनिंग अकादमी, (कोहनूर एडूकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लि. की एक ईकाई) साईट बी, सलेम एयरपोर्ट, ओमल्लूर डिस्टिक कमलापुरम, सलेम (तमिलनाडु)	तमिलनाडू
9.	साई फ्लाईटेक एविएशन प्राइवेट लि. चक्रभार एयरपोर्ट, बिलासपुर, (छत्तीसगढ़)	छत्तीसगढ़

1	2	3
10.	मैसर्स चिमिस एविएशन, सागर, (मध्य प्रदेश)	मध्य प्रदेश
11.		
12.	बीरमी फ्लाई अकादमी प्राइवेट लि. हैंगर नं. 2, सिविल एयरपोर्ट पटियाला	पंजाब
13.	चेतक एविएशन अकादमी, अलीगढ़ (यूपी)	अलीगढ़ (यूपी)
14.	एंबीशन फ्लाईंग क्लब प्राइवेट लि., पहली मंजिल, जैनको कम्पाउंड, चिंचोली बंदर रोड, ऑफ लिंक रोड, मलाड (पश्चिम), मुबई-400064	अलीगढ़ (यूपी)
15.	पायनियर फ्लाईंग क्लब, बी-126, यशवंत पैलेस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	अलीगढ़ (यूपी)
16.	शा-शीब फ्लाईंग अकादमी (गुणा) मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश
17.	हरशीता एयरोनॉटिकल फाउंडेशन, खारगोन, मध्य प्रदेश (पॉयलट ट्रैनिंग कालेज)	मध्य प्रदेश
18.	सरस्वती एविएशन अकादमी, सुल्तानपुर, अमहाट एयरफिल्ड, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश
19.	नेशनल फ्लाईंग ट्रैनिंग इंस्टिच्यूट, गोडिया, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
20.	एसकेवीएम फ्लाईंग क्लब, अकादमी, सीरपुर, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
21.	रीनबोव फ्लाईंग अकादमी, सूरत	गुजरात
22.	एलकैमिस्ट एविएशन प्राईवेट लि., सोनारी एयरोड्राम, जमशेदपुर, झारखंड	झारखण्ड

रेडियोधर्मिता

1486. श्री भूदेव चौधरी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वचालित बंद होने वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र चालू किए हैं/चालू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) परमाणु संयंत्र की सुरक्षा और परमाणु रिसाव के निवारण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु स्थापित केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समुद्री जल में रेडियोधर्मिता प्रदूषण के प्रभाव को रोकने के लिए और स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) भारत में सभी भारतीय नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की डिजाइन में ही स्वचालित शट-डाउन प्रणाली निर्मित है। ये स्वचालित शट-डाउन प्रणालियां विफल नहीं होती और यह सुनिश्चित करती है कि नाभिकीय विद्युत रिएक्टर दो सेकंड के भीतर ही शट-डाउन हो जाए। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) और परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) में गठित कार्य बल/समिति के फुकुशिमा (जापान) में हुई दुर्घटना के संदर्भ में देश में प्रचालनरत और निर्माणाधीन सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों (एनपीपीएस) की सुरक्षा की समीक्षा की और यह पाया कि भारतीय नाभिकीय विद्युत संयंत्र गंभीरतम प्राकृतिक घटनाओं की स्थिति में भी सुरक्षित हैं। कार्य बलों/समिति द्वारा की गई सिफारिशों में से एक

सिफारिश संवेदी भूकंपीय गतिविधि स्वचालित रूप से शट-डाउन होने वाली प्रणालियों को स्थापित करने के संबंध में थी। काकरापार परमाणु बिजलीघर और नरोरा परमाणु बिजलीघर के मामले में पहले से ही ऐसी प्रणालियां स्थापित हैं। शेष नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में इस प्रणाली को स्थापित करने हेतु समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन के लिए एक योजना तैयार की गई है।

(घ) नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा और प्रचालन संबंधी सभी पहलुओं के बारे में कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के स्थलों पर नाभिकीय प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं जो अद्यतन प्रशिक्षण संबंधी साधनों और आधुनिकतम अनुकारों (सिमुलेशन) से पूर्ण रूप से सुसज्जित हैं। ये केन्द्र कार्य निष्पादन को बढ़ाने के लिए प्रारंभिक संयंत्र प्रणाली संबंधी विशिष्ट प्रशिक्षण और सतत् प्रशिक्षण, दोनों प्रदान करते हैं। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में सामान्य प्रचालन और आपातकालीन स्थिति दोनों में उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रचालन कार्मिकों के कौशल के विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सभी प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुकार (सिमुलेशन) स्थापित किए गए हैं। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के प्रचालन के लिए लाइसेंस जारी किए जाने और उसके लिए प्राधिकृत किए जाने से पूर्व, प्रचालन कार्मिकों को व्यापक प्रशिक्षण पूरा करने, लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने, जांच सूची पूरी करने और साक्षात्कार के बाद ही परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रचालन कार्मिकों को निर्धारित अंतराल पर फिर से लाइसेंस दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के प्रशिक्षण स्कूल में भी इंजीनियरों को नाभिकीय विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है। होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई), जोकि एक सम-विश्वविद्यालय है, को नाभिकीय विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्चतर अध्ययन के लिए स्थापित किया गया है।

(ङ) प्रत्येक नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थल पर नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के प्रचालन की वजह से विकिरण की मात्रा में वृद्धि, मौजूदा प्राकृतिक विकिरण का एक अंश मात्र ही होती है और यह परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही रहती है। पर्यावरणीय सर्वेक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के आसपास के क्षेत्रों में विकिरण सक्रियता का मानीटरन और निकटवर्ती जल राशियों (तटीय अथवा भूमि) भौम-जल, खाद्य पदार्थों की श्रृंखला, जिसमें दूध, पशु-उत्पाद, फल, सब्जियां, समुद्री खाद्य पदार्थ और मछली शामिल हैं, का विकिरणीय सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि विकिरण सक्रियता के स्तर में वृद्धि परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो।

भारत की सामाजिक प्रगति के संबंध में यूएनडीपी आकलन

1487. **श्री कमल किशोर 'कमांडो':** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने देश में स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर में हुई प्रगति के संबंध में आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सूची में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है; और

(ग) उक्त आकलन के निष्कर्षों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1990 से ही प्रति वर्ष देश-विशिष्ट के मानव विकास सूचकांक की परिगणना कर उन्हें जारी करता रहा है। मानव विकास सूचकांक एक मिश्रित सूचकांक है जिसमें मानव विकास के तीन आयाम, नामत: लंबा और स्वास्थ्यकर, जीवन, ज्ञान तथा मर्यादित जीवन-स्तर शामिल हैं। देशों को उनके मानव विकास सूचकांक के आधार पर रैंक दिया जाता है। मानव विकास सूचकांक रैंक और जिन देशों के लिए सूचकांक की परिगणना की जाती है, उनके मानव विकास सूचकांकों को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अपनी मानव विकास रिपोर्ट में वार्षिक रूप से प्रकाशित करता है।

'सततता और समानता: सबके लिए बेहतर भविष्य' शीर्षक से प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट, 2011 में, मानव विकास सूचकांक में शामिल 187 देशों में भारत का स्थान 134वां है। वर्ष 2011 के लिए मानव विकास सूचकांक के 0.547 मूल्य में भारत को 'मध्यम मानव विकास' श्रेणी में रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट, 2011 में कहा गया है कि भारत मानव विकास सूचकांक में लगातार ऊपर उठा रहा है। 1990 में यह 0.410 था जो 2000 में 0.461 तथा 2011 में बढ़कर 0.547 हो गया।

मानव विकास रिपोर्ट, 2011 के अनुसार, 2000-2011 की अवधि के दौरान मानव विकास सूचकांक में भारत का विकास 1.56 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हुआ जो सर्वाधिक है जबकि 1990-2000 के दशक के दौरान यह वृद्धि दर 1.38 प्रतिशत ही थी। उच्च विकास दर प्राप्त करने, अधिक रोजगार सृजित करने तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान जैसे फ्लैगशिप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा सामाजिक

अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और मजदूरीयुक्त तथा स्वरोजगार उपलब्ध करवाकर, गरीबी उपशमन, सुरक्षित पेयजल और सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान आदि की सरकार की कार्यनीति का मानव कल्याण पर सकारात्मक असर पड़ा है और मानव विकास सूचकांक में भारत का क्रम और ऊपर उठने की संभावना है।

निजी स्कूलों को निधियां

1488. श्री महाबल मिश्रा:
श्री जयवंत गंगाराम आवले:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को निधियां प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे निजी स्कूलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सभी निजी स्कूल सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों तथा मानदंडों का पालन करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूल संबंधित राज्य स्कूल शिक्षा अधिनियम द्वारा अभिशासित होते हैं। ऐसे स्कूलों को राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और मॉडल स्कूल योजना के तहत स्कूल शिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता सुधार हेतु राज्य सरकारों को निधियां दी जाती हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

गरीबों द्वारा औसत उपभोग

1489. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी के स्तर का आकलन करने के बाद 2005 में अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों की निष्कर्ष रिपोर्ट तथा राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हमारी जनसंख्या के 77 प्रतिशत को गरीब और जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वर्ग के लोगों का औसत दैनिक उपभोग (रु. में) क्या है;

(घ) क्या गरीब लोगों का उक्त प्रतिशत वर्ष 2011 तक बढ़ने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट, 2011 के अनुसार, 2004-05 में 41.6 प्रतिशत भारतीय 1.25 अमरीकी डॉलर प्रतिदिन की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे और 75.6 प्रतिशत भारतीय 2 अमरीकी डॉलर प्रतिदिन से नीचे रह रहे थे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रो. अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में 2004 में गठित राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग ने असंगठित क्षेत्र में कार्य दशाएं और आजीविका संवर्द्धन रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि 2004-05 में, भारत में 77 प्रतिशत की प्रति व्यक्ति दैनिक उपभोग 20 रुपये तक थी और जनसंख्या में इस तबके को गरीब और कमजोर बताया गया। तथापि, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण 2008-09 में कहा गया कि 2004-05 (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का 61वां दौर) के लिए पारिवारिक उपभोग व्यय संबंधी आंकड़ों की गणनाओं के आधार पर, 60.5 प्रतिशत का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय 20 रुपये से कम था।

(घ) और (ङ) योजना आयोग उन वर्षों के लिए गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात का आकलन करता है जिनके लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय परिवार उपभोग व्यय संबंधी वृहद् प्रतिदर्श सर्वेक्षण कर चुका है। ये सर्वेक्षण पांच वर्ष पर किए जाते हैं। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2004-05 के लिए अखिल भारतीय स्तर पर 37.2 प्रतिशत लोग गरीबी में जी रहे थे जिनमें से 41.8 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में और 25.7 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्र में थे। 2004-05 के बाद, यह सर्वेक्षण 2009-10 में किया गया। योजना आयोग परिवार उपभोग व्यय संबंधी 2009-10 के सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर संशोधित गरीबी आकलनों का अनुमान लगाने की प्रक्रिया

में है, जो अब उपलब्ध है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय 2011-12 के लिए अपने 68वें दौर का परिवार उपभोग व्यय संबंधी वृहद् प्रतिदर्श सर्वेक्षण भी आयोजित कर रहा है। वर्ष 2011-12 के लिए गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या का अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के मौजूदा 68वें दौर का परिणाम उपलब्ध होने के बाद ही लगाया जा सकेगा।

[अनुवाद]

शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्य

1490. डॉ. कृपारानी किल्ली: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों एवं जिलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मॉडल स्कूलों तथा कॉलेजों की स्थापना कर शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों एवं जिलों का विकास करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार आवंटित एवं कथित धनराशि कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने उच्चतर शिक्षा के राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात से कम सकल नामांकन अनुपात वाले शैक्षिक रूप से पिछड़े 374 जिलों को अभिज्ञात किया है। इसी प्रकार, देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े 3500 ब्लॉकों को अभिज्ञात किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों के माध्यम से केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर शैक्षिक रूप से पिछड़े सभी ब्लॉकों में 3500 मॉडल स्कूल अनुमोदित किए गए हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मॉडल स्कूल योजना के लिए परिव्यय 12,750 करोड़ रुपए है और शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में 3500 स्कूलों की स्थापना हेतु केन्द्र का अनुमानित हिस्सा 9935 करोड़ रु. है। इस योजना के तहत कोई राज्यवार आबंटन नहीं है और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उनसे प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर जारी की जाती है। शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में मॉडल स्कूलों की स्थापना करने तथा उन्हें चलाने हेतु जारी केन्द्रीय हिस्से के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना के तहत 374 अभिज्ञात जिलों में से प्रत्येक में एक मॉडल डिग्री कालेज की स्थापना करने का प्रावधान है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कुल 142 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें से 78 का अनुमोदन कर दिया कर दिया गया है। वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के लिए क्रमश: 19.95 करोड़ रु. तथा 17.29 करोड़ रु. की राशि जारी की गयी है।

विवरण

मॉडल स्कूल योजना के तहत जारी राज्यवार निधियां

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी केन्द्र का हिस्सा
1.	पंजाब	52.52
2.	मिजोरम	1.36
3.	छत्तीसगढ़	81.81
4.	तमिलनाडु	23.62
5.	कर्नाटक	84.44
6.	मध्य प्रदेश	232.38
7.	जम्मू और कश्मीर	25.82
8.	हिमाचल प्रदेश	6.78
9.	बिहार	118.91
10.	पश्चिम बंगाल	22.65
11.	गुजरात	69.61
12.	उत्तर प्रदेश	56.13
13.	राजस्थान	141.63
14.	हरियाणा	12.55
15.	नागालैण्ड	7.47
16.	असम	39.09
17.	आंध्र प्रदेश	412.09
18.	झारखण्ड	46.43
19.	ओडिशा	128.85
	कुल	1564.14

विद्यार्थियों की मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाएं

1491. श्री अब्दुल रहमान:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय अपने उन विद्यार्थियों को अनुचित रूप से लंबे समय तक इंतजार करा रहा है तथा एक विभाग से दूसरे विभाग में दोड़ा रहा है जो अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं को देखना चाह रहे हैं जैसा के मीडिया में खबरें आयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जिन्होंने अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रतियां मांगी है तथा जिन्हे ये प्रतियां मिली हैं;

(घ) विद्यार्थियों को उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय को कोई निदेश जारी किया है और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा की गई सूचना के अनुसार, विद्यार्थियों के अनुरोध पर मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाओं के प्रकटीकरण और निरीक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्था की गई है। विश्वविद्यालय के पास अभी तक लगभग 300 अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 54 विद्यार्थियों द्वारा 113 उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण किया गया है। विश्वविद्यालय ने यह भी सूचित किया है कि विद्यार्थियों को मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के प्रकटीकरण में कोई अनुचित समय अंतराल नहीं है।

(ङ) और (च) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 और उसके तहत बनाई गई सांविधियों/अध्यादेशों द्वारा अभिशासित और संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। इस अधिनियम के तहत, यह विश्वविद्यालय सभी शैक्षिक और प्रशासनिक मामलों के संबंध में प्रभावशाली कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। ऐसे मामलों में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

[हिन्दी]

नलकूप कार्यक्रम

1492. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में मिलियन नलकूप कार्यक्रम केन्द्रीय सहायता से चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम की समीक्षा की गयी है;

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में इस कार्यक्रम से कितने किसानों को लाभ मिला है;

(घ) क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन की गति बेहद धीमी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त योजना के सुचारू कार्यकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) "मिलियन नलकूप कार्यक्रम" को किसी भी केन्द्रीय क्षेत्रक अथवा केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत सहायता नहीं दी जाती है। तथापि, वर्ष 2001-02 से 2006-07 के दौरान बिहार के लिए विशेष योजना के अंतर्गत 'मिलियन शैलो नलकूप कार्यक्रम' लागू किया गया, जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं। विकल्प के रूप में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता भी दी जाती है जिसमें मिलियन नलकूप को विशेष रूप से लक्ष्य न करते हुए शैलो व मध्यम गहरे नलकूप भी शामिल है।

(ग) से (च) बिहार के लिए विशेष योजना के अंतर्गत की गई प्रगति के ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं। आरकेवीवाई के अंतर्गत नलकूपों सहित किसी भी घटक के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। इसके बजाय राज्य की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए राज्यों को अपनी स्वयं की योजनाएं तैयार करने, स्वीकृत करने एवं कार्यान्वित करने हेतु छूट दी गई है। राज्यों ने आरकेवीवाई के डिजाइन में अन्तर्निहित लचीलेपन की सराहना की है। वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान आरकेवीवाई के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार को क्रमशः 605.00 करोड़ रुपये तथा 647.96 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

विवरण

बिहार के लिए विशेष योजना के अंतर्गत मिलियन शैलों नलकूप कार्यक्रम (एमएसटीपी)

इस परियोजना का उद्देश्य बिहार में कृषि उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने हेतु दो मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाने के लिए पम्पसैट सहित एक मिलियन शैलों नलकूप स्थापित करना था। इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) थी। योजना आयोग द्वारा इस परियोजना का अनुमोदन मार्च 2002 में किया गया था तथा 31.3.2007 तक प्रचालन में थी। कार्यक्रम की प्रगति निम्नानुसार है:

(1) वर्ष 2006-07 के दौरान, 31.3.2007 तक उपलब्धि 1,60,000 यूनिटों की तुलना में 72,734 यूनिट (45.46 प्रतिशत) थी।

(2) 31.3.2007 तक संचयी वास्तविक उपलब्धि 6,97,111 यूनिटों के लक्ष्य के मुकाबले 4,07,532 यूनिट थी (58.46 प्रतिशत)।

(3) योजना आयोग द्वारा नाबार्ड को जारी कुल सब्सिडी 544.64 करोड़ रुपये थी।

(4) नाबार्ड के पास उपलब्ध खर्च न की गई कुल सब्सिडी 263.19 करोड़ रुपये है।

कार्यक्रम को 31.3.2007 को बंद कर दिया गया तथा इसके बदले बिहार भूमि जल सिंचाई स्कीम (बीजीडब्ल्यूआईएस) लाई गई है। एमएसटीपी के अंतर्गत नाबार्ड के पास उपलब्ध खर्च न की गई राशि से इस स्कीम को कार्यान्वित करने हेतु योजना आयोग द्वारा अनुमति दे दी गई है।

[अनुवाद]

बीसीएएस का पुनर्गठन

1493. **श्री खगेन दास:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विमानन सुरक्षा संबंध किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) खतरे की आशंका, जिसके लिए निवारक उपाय किए जाने की भी संभावना है, के मद्देनजर नागर विमानन सुरक्षा ब्यरो (बीसीएएस) को पुनर्गठित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) बीसीएएस का पुनर्गठन कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन पर अभिसमय के अनुबंध-17 के अनुसार विकसित और अनुरक्षित राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसार देश में अपेक्षित विमानन सुरक्षा उपाय कार्यान्वित किए जाते हैं।

(ख) और (ग) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की पुनर्सरचना का निर्णय देश के नागरिक हवाई अड्डों पर सुरक्षोपायों को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से लिया गया है, न कि सामने आ सकने वाली सम्भावित धमकियों की दृष्टि से बीसीएएस की पुनर्सरचना के लिए अध्ययन कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा इकाओ के सलाहकारों की एक टीम नियुक्त की गई थी, जिसने 26.08.2011 को अपनी अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस अध्ययन रिपोर्ट को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

आईआईटी को स्वायत्तता

1494. **श्री पी. विश्वनाथन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आई आई टी परिषद को जवाबदेही के साथ और अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्ता प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई आई टी की संयुक्त परिषद ने विद्यार्थियों के वर्तमान शुल्क को 50,000/- रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का कोई प्रस्ताव दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या अ.जा./अ.ज.जा. अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को इस बारे में छूट दी जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार विद्यार्थियों को रियासती दरों पर ऋण देने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह देगी; और

(छ) यदि हां, तो विद्यार्थी या माता-पिता ऋण कैसे चुकाएंगे यदि ऋण पर ब्याज दर बहुत अधिक होगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) आईआईटी परिषद जो प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 द्वारा शासित है, को किसी भी प्रकार की वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) आईआईटी परिषद ने फीस में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है जिसे छात्रों से रोजगार प्राप्त होने के पश्चात वसूला जाएगा। आईआईटी परिषद द्वारा गठित डॉ. काकोदकर समिति द्वारा प्रस्ताव किया गया है कि सरकार आरक्षित श्रेणी के छात्रों को 100 प्रतिशत, कुल अवर स्नातक छात्रों में से 25 प्रतिशत (जिनके माता पिता की आय 4.5 लाख रु. प्रति वर्ष से कम है)को शिक्षा शुल्क प्रदान करेगी तथा इसी प्रकार सभी स्नातकोत्तर और पीएचडी छात्रों को 100 प्रतिशत फ्रीशिप प्रदान करेंगी। इसके अतिरिक्त योजना में आरक्षित श्रेणी (अ.जा. तथा अ. जनजाति केवल) और 4.5 लाख रु. प्रतिवर्ष से कम आय वाले परिवारों के सामाजिक आर्थिक रूप से लाभवंचित छात्रों के लिए जीवनयापन हेतु वृतिका भी शामिल होगी।

(च) और (छ) डॉ. काकोदकर समिति ने आईआईटी के छात्रों के लिए विशेष ऋण योजनाओं की सिफारिश की है जिसके विस्तृत तौरतरीकों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कर्मचारी

1495. श्री विश्व मोहन कुमार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को उनके ड्यूटी समय के अनुसार उपयुक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का किस तरह से उनके वेतन में वृद्धि करने तथा उनकी नौकरी नियमित करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कुल परिव्यय का 6 प्रतिशत प्रबंध लागत के लिए अनुमत्य है जिसमें से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त अथवा लगाए गए स्टाफ का वेतन दिया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्टाफ को उनके सेवा नियमों/नियुक्ति संविदा के अनुसार मानदेय दिया जाता है।

[अनुवाद]

विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या

1496. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **मानव संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्याएं की गयी हैं;

(ख) क्या ऐसी आत्महत्याओं के कारणों का विश्लेषण करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या तनावग्रस्त एवं आत्महत्या करने की आशंका वाले विद्यार्थियों की काउन्सलिंग के लिए कोई हेल्पलाइन प्रारंभ की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) छात्रों द्वारा की गई आत्महतयाओं का विवरण मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ख) और (ग) शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें छात्रों पर से तनाव और दबाव घटाने के लिए समान रूप से जिम्मेदार है। परिणामस्वरूप, इस मामले में अकेले केन्द्र सरकार द्वारा एक व्यापक अध्ययन किया जाना संभव नहीं है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले चार वर्षों के दौरान देश की केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं में आत्महत्या के 24 मामले थे। आत्महत्या के मामलों में संबंधित संस्थानों द्वारा वस्तुस्थिति जानने वाली समितियों/जांच समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की जांच के अनुसार आत्महत्या के कारणों में अवसाद, शैक्षिक भार, अभिजात दबाव और भावुक/

अंतरव्यक्तिगत मामले शामिल हैं। अभिज्ञात कारणों के आधार पर संस्थानों ने रोकथाम हेतु कई कदम उठाए हैं अर्थात खेल तथा पाठ्यचर्या से इतर गतिविधियों का प्रावधान करना, व्यक्तिगत, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक तथा परिवार से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए छात्र काउंसलरों की नियुक्ति, योग केन्द्रों/परामर्श केन्द्रों की स्थापना करना, चिंता हैल्पलाइन का प्रावधान, छात्र ओम्बडस्मैन की नियुक्ति, शैक्षिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए धीमी गति के कार्यक्रम आरंभ करना तथा रैगिंग, जाति, धर्म तथा लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव की शिकायत सूचना प्राप्त होने के मामले में तत्काल कार्रवाई करने हेतु अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति की गठन करना। विश्लेषण यह दर्शाते हैं कि आत्महत्या के ऊपर उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त अभिभावकों द्वारा वास्तविकता पर ध्यान न देते हुए छात्रों पर उच्च शैक्षिक तथा व्यवयासिक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु दबाव डालना भी तनाव तथा अवसाद का कारण है जो कभी-कभी आत्महत्या की दिशा में ले जाता है।

विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारण विद्यार्थियों, विशेष रूप से स्कूली बच्चों में दबाव ओर चिंता का कारण होते हैं। केन्द्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और परीक्षा संबंधी दबाव को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे वर्ष 2010-2011 से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा X में वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा; माध्यमिक स्कूल स्तर पर ग्रेड प्रणाली को आरंभ करना; सतत और व्यापक मूल्यांकन आरंभ करना, प्रश्नों का अधिक आंतरिक चयन समय ओर गति के लिए छात्रों को निश्चित करने हेतु प्रश्नों की संख्या कम कर दी गई है; प्रोजेक्ट कार्य एवं नियत कार्य के आधार पर आंतरिक स्कूल आधारित मूल्यांकन को उपयुक्त वेटेज; सेंपल प्रश्नपत्रों, अंक निर्धारण और प्रश्नपत्रों के ब्ल्यू प्रिंट ताकि शिक्षकों और छात्रों को प्रश्नों और प्रश्नपत्रों की जानकारी मिल सके; कक्षा X में सभी विषयों में सुधार हेतु पांच अवसर इत्यादि। इसके साथ-साथ कक्षा XII की परीक्षा में एक विषय में कम्पार्टमेंट के लिए पांच अवसर प्रदान किए जाते हैं; परीक्षा को विषय-वस्तु आधारित से बदल कर समस्या हल और क्षमता आधारित किया गया है; छात्र और अभिभावक दोनों के लिए काउंसलिंग प्रदान करना; प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय देना आदि।

(घ) और (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, दोनों ने उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में रैगिंग को रोकने और निषिद्ध करने के लिए विनियम अधिसूचित किए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कई विशेष रैगिंग-रोधी कदम उठाए हैं जैसे विभिन्न स्टेकहोल्डरों को रैगिंग के खतरे के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए प्रिंट, श्रव्य और श्रव्य-दृश्य मीडिया में विज्ञापन अभियान चलाना। अंग्रेजी हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में काल सेंटर की सुविधाओं से युक्त रैगिंग-रोधी हेल्पलाइन भी क्रियाशील है ताकि रैगिंग की घटनाओं और साथ ही साथ रैगिंग और उससे संबंधित सूचना के आदान-प्रदान को सुसाध्य बनाया जा सके।

दूरस्थ शिक्षा मोड

1497. **श्री एस. सेम्मलई:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहे केन्द्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों का राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में प्रदान की जा रही नियमित उपस्थिति मोड की शिक्षा की तुलना में कम है; और

(ग) क्या मंत्रालय का विचार प्रत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से शिक्षा देने वाले केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों का, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) शिक्षा की गुणवत्ता पारम्परिक और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली दोनों में ही एक मुद्दा है। दूरस्थ शिक्षा परिषद देश में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के संवर्धन, इसके समन्वित विकास और इसके मानदण्डों के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। दूरस्थ शिक्षा परिषद समय-समय पर दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाती है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ मानदण्ड और स्तरों का निर्धारण, संसाधनों की भागीदारी और अनुदान प्रदान करना शामिल है। आईसीटी उपायों में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

इसके अलावा, जबकि नेशनल प्रोग्राम औन टेक्नालाजी एन्हांस्ड लर्निंग (एनपीटीईएल) के अंतर्गत विज्ञान और इंजीनियरी विषयों में वीडियो और वेब मोडों में पाठ्यचर्या आधारित अनुपूरक ई-विषयवस्तु रही है, अतः सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनएमईआईसीटी) के अंतर्गत स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए इंजीनियरी, विज्ञान और मानविकी में वीडियो और वेब पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यचर्या के विकास की अभिकल्पना की गई है।

विवरण

दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से शिक्षा देने वाले केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों की सूची

क्र.सं.	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम
1	2
	राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
	राज्य मुक्त विश्वविद्यालय
1.	डा. बी. आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद
2.	डा. बाबासाहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात
3.	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर, कर्नाटक,
4.	कृष्णकांत हैण्डीक्यू राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, असम
5.	एम.पी. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल
6.	नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना, बिहार
7.	नेजाती सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
8.	पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
9.	तमिलनाडु मुकत विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु
10.	यू.पी. राजर्षी टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, हल्दवानी, उत्तराखंड
11.	उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्दवानी, उत्तराखंड.
12.	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान
13.	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक, महाराष्ट्र
	दोहरी पद्धति वाले विश्वविद्यालय
	आंध्र प्रदेश
1.	आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम
2.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
3.	जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद
4.	ककातिया विश्वविद्यालय, वारंगल
5.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
6.	आचार्य नागार्जुना विश्वविद्यालय, गुंटूर
7.	राष्ट्रीय विधायी अध्ययन और शोध अकादमी विश्वविद्यालय (एनएएलएसआर), हैदराबाद
8.	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
9.	पोटी श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालय, हैदराबाद
10.	श्री कृष्णादेवरया विश्वविद्यालय, अनंतपुर
11.	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरूपति
12.	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति
13.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
14.	द्रविडियन विश्वविद्यालय, कुप्पम
15.	रायलसीमा विश्वविद्यालय, करनूल
	अरूणाचल प्रदेश
1.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर
	असम
1.	डिब्रूगढ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ
2.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी
3.	असम डॉन बोस्को विश्वविद्यालय, गुवाहाटी
	बिहार
1.	बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
2.	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
3.	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
4.	पटना विश्वविद्यालय, पटना
	छत्तीसगढ़
1.	पंडित रवि शंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर

1	2
2.	एमएटीएस विश्वविद्यालय, रायपुर
3.	डा. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर
	दिल्ली
1.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
2.	गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली
3.	दिल्ली, विश्वविद्यालय, दिल्ली
	गुजरात
1.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट
	हरियाणा
1.	चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा
2.	गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार
3.	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र
4.	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक
	हिमाचल प्रदेश
1.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला
	जम्मू और कश्मीर
1.	जम्मू विश्वविद्यालय, श्रीनगर
2.	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर
	कर्नाटक
1.	बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर
2.	गुलबर्ग विश्वविद्यालय, गुलबर्ग
3.	कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी
4.	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड
5.	कोवेम्पू विश्वविद्यालय, शिमोगा
6.	मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर
7.	नेशनल ला इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बंगलौर

1	2
8.	विश्वेश्वरैया तकनीकी विश्वविद्यालय, बेलगांव
	केरल
1.	कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर
2.	महात्मा गॉंधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम
3.	कालीकट विश्वविद्यालय, कोझीकोड़
4.	केरल विश्वविद्यालय, तिरूवन्नतपुरम
	मध्य प्रदेश
1.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
2.	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
3.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
4.	डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
5.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
6.	एम.जी. चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट
7.	महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, कटनी
8.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
	महाराष्ट्र
1.	महात्मा गॉंधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
2.	एस.जी.बी. अमरावती विश्वविद्याल, अमरावती
3.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर
4.	एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई
5.	एस.आर.टी. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नांदेड़
6.	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई
	मेघालय
1.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग
2.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, खाना
3.	पारा, मेघालय

1	2
	मिजोरम
1.	आई.सी.एफ.ए.आई., आइजोल
	नागालैंड
1.	दलोबल ओपन विश्वविद्यालय, दीमापुर
	ओडिशा
1.	बेरहमपुर विश्वविद्यालय, बेरहमपुर
2.	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर
3.	नार्थ ओडिशा विश्वविद्यालय, मयूरभंज
4.	सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर
5.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
	पुदुचेरी
1.	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी
	पंजाब
1.	गुरूनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर
2.	लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, फगवाड़ा
3.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़
4.	पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, जालंधर
5.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला
	राजस्थान
1.	एन.आई.एम.एस. विश्वविद्यालय, जयपुर
2.	जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर
3.	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर
4.	भगवंत विश्वविद्यालय, जयपुर
5.	ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर
	सिक्किम
1.	सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय, गंगटोक
2.	आई.सी.एफ.ए.आई., गंगटोक

1	2
3.	ई.आई.आई.एल.एम. विश्वविद्यालय, जोरपांग
	तमिलनाडु
1.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर
2.	भारतियार विश्वविद्यालय, कोयंबटूर
3.	भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली
4.	दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, चेन्नई (राष्ट्रीय महत्व की संस्था)
5.	मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, मदुरई
6.	मानोमानाईम विश्वविद्यालय, तिरूनवेली
7.	पेरियार विश्वविद्यालय, सलेम
8.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयमबटूर
9.	तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, चेन्नई
10.	तमिल विश्वविद्यालय, तंजावुर
11.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुड़ी तमिलनाडु
12.	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कुडाईकनाल
	त्रिपुरा
1.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यामानीनगर
2.	द् आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, अगरतला
	उत्तर प्रदेश
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
2.	अमेटी विश्वविद्यालय, नोएडा
3.	डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
4.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
5.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
6.	स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ
	उत्तराखंड
1.	पेट्रोलियम तथा ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय, देहरादून

1	2
2.	आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, देहरादून
	पश्चिम बंगाल
1.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता
2.	रबीन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता
3.	बर्द्धवान विश्वविद्यालय, बर्द्धवान
4.	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी
5.	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जलिंग
6.	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर

नेपाल के साथ प्रत्यर्पण संधि

1498. **श्री नरहरि महतो:**
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2005 में नेपाल के साथ प्रारंभ की गयी अद्यतन प्रत्यर्पण संधि तब से मंजूर एवं हस्ताक्षरित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अद्यतन प्रत्यर्पण संधि के अभाव में सीमापार अपराधियों के बीच सांठ-गांठ बढ़ी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस पर कब तक हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

(घ) उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) सरकार ने नेपाल सरकार के साथ अद्यतन प्रत्यर्पण संधि पर शीघ्र हस्ताक्षर किए जाने के मामले को हमेशा उठाया है, जिसमें अक्तूबर, 2011 में नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान इस बारे में उठाया गया मामला शामिल है और उनके द्वारा पुष्टि किए जाने की प्रतीक्षा है। किसी भी संप्रभु राष्ट्र के निर्णय पर समय-सीमा नहीं की जा सकती।

कोयला उत्पादन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी

1499. **श्री हरिन पाठक:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी शुरू करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा पहचानी गई वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की खानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में कोयले के भूमिगत उत्पादन में आधुनिक प्रौद्योगिकी शुरू करने से कितनी वृद्धि की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं। कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तथापि, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीएल) समय-समय पर आवश्यकतानुसार आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाते रहते हैं।

(ग) और (घ) यद्यपि सतत खनन प्रोद्योगिकी अपनाकर वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) की पांच खानों में प्रस्तावित यांत्रिकीकरण से उत्पादन अगले 4 से 5 वर्षों में 1.0 मिलियन टन के वर्तमान स्तर से बढ़कर 3.62 मिलियन टन हो जाने की आशा है, तथापि, भंडारों के रिक्त होने तथा अन्य खानों के उत्पादन में गिरावट होने के कारण डब्ल्यूसीएल के उत्पादन में इससे समग्र वृद्धि नहीं होती।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति

1500. **श्री सी. शिवासामी:**
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक नीति, 2011 को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तथा इसके कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)में इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्तमान हिस्सा प्रतिशत व डॉलर में कितना है;

(घ) क्या नयी नीति/योजना का उद्देश्य जीडीपी में इसका अंश बढ़ाने के लिए भी 200 इलेक्ट्रानिक निर्माता कलस्टरों की स्थापना करने का है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कलस्टरों की स्थापना करने के लिए बनाये गयी प्रविधियां तथा चयनित स्थलों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उपर्युक्त सभी पहलुओं पर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) इलेक्ट्रॉनिकी पर मसौदा राष्ट्रीय नीति, 2011 की घोषणा अक्टूबर, 2011 में की गई और उसे परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तुत किया गया।

(ख) इलेक्ट्रानिकी पर मसौदा राष्ट्रीय नीति, 2011 की प्रमुख विशेषताए संलग्न विवरण में दी गई हैं। इस नीति को अभी अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है। इसका कार्यान्वयन अंतिम नीति पर आधारित होगा।

(ग) वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इलेक्ट्रानिकी की हिस्सेदारी 1.67% है।

वर्ष के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी का अनुमानित उत्पादन 121760 करोड़ रुपए रहा।

(घ) इलेक्ट्रानिकी पर मसौदा राष्ट्रीय नीति, 2011 का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ 200 से अधिक इलेक्ट्रानिक विनिर्माण समूहों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है। मसौदा नीति में वर्ष 2020 तक इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र का कारोबार 400 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ङ) इलेक्ट्रानिकी पर मसौदा नीति, 2011 को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(च) इलेक्ट्रॉनिकी पर मसौदा राष्ट्रीय नीति, 2011 की घोषणा कर दी गई है और उसे परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तुत किय गया है। यह नीति औद्योगिक संघों, शैक्षणिक संस्थाओं और राज्य सरकारों सहित सभी पणधारकों को परिचालित की गई है।

विवरण

इलेक्ट्रॉनिकी पर मसौदा राष्ट्रीय नीति 2011 (एनपीई 2011) का सारांश

भारत विश्व में इलेक्ट्रॉनिकी के तेजी से बढ़ रहे बाजारों में से एक है। परन्तु यह इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण क्षमताओं के मामले में पीछे है, भले ही यह चिप डिजाइन और संबद्ध सॉफ्टवेयर के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में बड़ी तेजी से क्यों न विकसित हो रहा हो। वर्ष 2008-09 में इलेक्ट्रॉनिकी के लिए भारत की मांग 45 बिलियन अमरीकी डालर थी और वर्ष 2020 तक यह मांग 400 बिलियन अमरीकी डालर पहुंचने की अपेक्षा है। घरेलू उत्पादन के 20 बिलियन अमरीकी डालर से 100 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने की उम्मीद है: इस प्रकार 300 बिलियन अमरीकी डालर का अंतराल निर्मित होने की संभावना है। इसके अलावा, घरेलू आधार पर उत्पादित इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों के मामले में वास्तविक मूल्य वृद्धि बहुत कम है, ज्यादातर मामलों में यह 5 से 10 प्रतिशत की रेंज में है। इसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आर्थिक अवसरों के अलावा इलेक्ट्रॉनिकी का सामरिक महत्व भी है। दूसरी ओर इस क्षेत्र में विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी करार-1 के चलते घरेलू विनिर्माण पंगु (अपाहिज) सा हो गया, क्योंकि इसके अंतर्गत ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिकी आइटमों पर शून्य टैरिफ की शर्त लागू है। इस नीति के अंतर्गत देश की आवश्यकताओं को पूरा करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए वैश्विक स्तर पर एक प्रतियोगी इलेक्ट्रानिकी डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) उद्योग स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

नीति की प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

1. **उत्पादन, निवेश और रोजगार के अवसरों में अपार वृद्धिः** ईएसडीएम क्षेत्र में लगभग 100 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश और विभिन्न स्तरों पर लगभग 28 मिलियन लोगों के लिए रोजगार अवसरों के सृजन को शामिल करते हुए वर्ष 2020 तक लगभग 400 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य (टर्नओवर) प्राप्त करना। इसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विशेष प्रयास प्रस्तावित हैं:

(क) सेमीकंडक्टर चिपों के विनिर्माण हेतु सेमीकंडक्टर वाटर फेब की स्थापना।

(ख) इस क्षेत्र में विनिर्माण संबंधी अक्षमताओं को दूर करने के लिए एक संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम।

(ग) विश्व स्तर की अवसंरचना के साथ लगभग 200 क्लस्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर स्कीम।

(घ) सामरिक और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के समाधान हेतु और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के समनुरूप घरेलू आधार पर विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिकी माल के लिए प्राथमिकता के आधार पर बाजार तक पहुचे।

(ङ) 10 वर्ष तक स्थाई कर व्यवस्था हेतु प्रावधान।

2. **सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन उद्योग:** वैश्विक स्तर पर अग्रणी नेतृत्व तथा वर्ष 2020 तक 55 बिलियन डालर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उभरते हुए चिप डिजाइन और संबद्ध सॉफ्टवेयर उद्योग का विकास करना।

3. **निर्यात में भारी वृद्धि :** निर्यात में 5.5 बिलियन अमरीकी डालर से वर्ष 2020 तक 80 बिलियन अमरीकी डालर तक की वृद्धि करना।

4. **मानव संसाधन विकास:** निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी और उच्च शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए उभरते हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों सहित मात्रा और संभावित क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि करना। इसमें वर्ष 2020 तक लगभग 2500 पीएचडी प्रतिवर्ष तैयार करने का लक्ष्य शामिल है।

5. **मानक:** इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए मानकों का विकास तथा उन्हें अपरिहार्य बनाना।

6. **सुरक्षा पारिस्थतिकी-तंत्र:** इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में सामरिक प्रयोग के लिए पूर्णत: सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करना।

7. **सामरिक क्षेत्रों के लिए स्त्रोत संवर्धन:** ईएसडीएम उद्योग और सामरिक क्षेत्रों जैसे रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा आदि के बीच दीर्घ कालीन भागीदारी सृजित करना।

8. **अनुसंधान और विकास तथा नवोदभव:** ईएसडीएम और सूक्ष्म- इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास की शुरूआत, प्रारंभिक (मूल) पूंजी और उद्यम पूंजी के लिए नकदी प्रवाह को बढ़ा कर ईएसडीएम क्षेत्र में बौद्धिक संपदा के सृजन की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी देश के रूप में उभर कर सामने आना।

(क) निधियों के लिए निधिकोष के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि की स्थापना।

(ख) भारतीय माहक्रोप्रोसेसर का विकास।

(ग) कम कीमत पर घरेलू आवश्यकताओं और शर्तों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों का विकास।

9. ईएसडीएम के माध्यम से चुने गए क्षेत्रों में प्रमुख क्षमताओं को विकसित करना

(क) ***स्वचालित इलेक्ट्रॉनिकी:*** सूक्ष्म नियंत्राक यूनिटों (एमसीयू) माइक्रो-इलेक्ट्रोमेकेनिकल प्रणालियों (एमईएमएस) और अन्य अग्रत इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के विकास हेतु एक उत्कृश्टता केन्द्र विकसित करना ताकि वैश्विक स्तर पर स्वचालित हबों में से एक हब के रूप में भारत की स्थिति को और अधिक सृदृढ़ बनाया जा सके।

(ख) ***एवियोनिक्स :*** देश में एवियोनिक्स और जहाजों के रख-रखाव, सुधार कार्य एवं ओवरहालिंग के लिए अनुसंधान एवं विकास तथा इंजीनियरिंग डिजाइन और संबंधित सॉफ्टवेयर के विकास में सहयोग करना।

(ग) ***एलईडी:*** एलईडी तथा एलईडी लाइटें के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सौर एलईडी लैम्पों, स्ट्रीट लाइटिंग, यातायात लाइटों आदि जैसे सार्वजनिक स्थलों के नवोदभूत उत्पादों के जरिए विशेषकर ग्रामीण बाजारों में एलईडी लाइटिंग समाधानों को प्रोत्साहित करना।

(घ) ***औद्योगिक इलेक्ट्रानिकी:*** सस्ते मानकीकृत उत्पाद बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए औद्योगिक इलेक्ट्रानिकी में नवोदभव के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र विकसित करना, इससे भारत को उन औद्योगिक क्षेत्रों, जिनमें इसके पास क्षमता मौजूद है, में अपने विकास को बनाए रखने में मदद मिलेगी जिनमें वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, इस्पात, मोटर, कम्प्रेशर, इन्वर्टर आदि शामिल हैं।

(ङ) ***चिकित्सीय इलक्ट्रानिकी:*** सस्ते चिकित्सीय इलेक्ट्रानिकी उपकरण उद्योग के डिजाइन और विकास को सुदृढ़ करना और क्षेत्र विशिष्ट क्लस्टर के जरिए लघु विनिर्माण से संबंधित क्रियाकलाप विकसित करना।

(च) ***सौर फोटोवोल्टेक्स:*** 2020 तक 20 जी डब्ल्यू सौर विद्युत सृजन की सहायता के लिए सौर फोटोवोल्टेक्स की विनिर्माण क्षमता तैयार करना।

(छ) ***सूचना और प्रसारण:*** प्रसारण नेटवर्क का अंकीयकरण के भाग के रूप में सेट-टाप बाक्स तथा अन्य प्रसारण उपकरणों के विनिर्माण के लिए परिस्थितिकी प्रणाली सृजित करना।

10. **राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक मिशन (एनईएम):** इलेक्ट्रॉनिकी में अनुमोदित नीति के कार्यान्वयन और "ब्रांड इंडिया" को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत क्रियाविधि के रूप में उद्योगों की प्रतिभागिता से एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक मिशन की स्थापना की जायेगी।

11. **विभाग का पुनः नामकरण:** सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का पुनः नामकरण इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (डाईटवाई) किया जायेगा।

तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषाओं का प्रयोग

1501. **श्रीमती अश्वमेध देवी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यावसायिक पाठयक्रमों विशेषकर वैज्ञानिक एवं तकनीकी पाठयक्रमों की उपलब्धता शहरों के अंग्रेजी शिक्षित विद्यार्थियों के अनुकूल है तथा भारतीय भाषाओं में शिक्षित ग्रामीण विद्यार्थियों को अधर में छोड़ देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रूस, जर्मनी, जापान, चीन आदि जैसे अन्य देशों की तरह भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय सुझाने के लिए एआईसीटीई से विशेषज्ञ समिति का गठन करने के लिए कहा है;

(ङ) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) देशी भाषाओं में शिक्षण/ व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की संभावना का पता लगाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा निर्देश में विशेषज्ञ समिति गठित की है। समिति की अंतिम सिफारिशें प्रतीक्षित हैं।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एजेंसियां

1502. **श्री राजीव रंजन सिंह** उर्फ **ललन सिंह:**
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भ्रष्टाचार के मामलों पर काबू पाने के लिए सरकार ने विभिन्न एजेंसियों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में प्रशासन के केन्द्रीय स्तर से निचले स्तर तक कार्यरत एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) एजेंसी के प्रत्येक स्तर पर वार्षिक रूप से निपटाए गए मामलों की औसत संख्या कितनी है; और

(घ) ऐसी प्रत्येक एजेंसी किस-किस वर्ष स्थापित की गई?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) भ्रष्टाचार पर नियंत्रण/प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सरकार की दो प्रमुख एजेंसियां हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के देश भर में 16 जोन तथा 60 शाखाएं हैं।

(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों में वार्षिक रूप से निपटान किए गए औसत मामलों की संख्या 5025 है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा वर्ष 2008, 2009 तथा 2010 में निपटाए गए मामलों की संख्या क्रमशः 4238, 5317 तथा 5222 थी।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पिछले तीन वर्षों में वार्षिक रूप से निपटान किए गए मामलों की औसत संख्या 1142 है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 2008, 2009 तथा 2010 में जांच से निपटाए गए मामलों की संख्या क्रमशः 1127, 1127 तथा 1173 थी।

(घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वगामी विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई) की मूल रूप से स्थापना तत्कालीन युद्ध विभाग में वर्ष 1941 में एक अधिशासी आदेश द्वारा की गई थी। वर्ष 1943 में केन्द्र सरकार के सेवकों द्वारा किए गए कुछ निश्चित अपराधों की जांच करने की शक्तियों से सम्पन्न विशेष पुलिस बल के गठन करने के लिए एक

अध्यादेश जारी किया गया था। चूंकि युद्ध की समाप्ति के बाद भी घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए केन्द्र सरकार की एक एजेंसी की जरूरत महसूस की गई थी इसलिए अध्यादेश जो दिनांक 30 सितम्बर, 1946 को समाप्त हो गया था, के स्थान पर वर्ष 1946 का दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अध्यादेश लाया गया। इसके पश्चात दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 का अधिनियमन हुआ था।

भारत सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल 1963 के संकल्प द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना की थी।

[अनुवाद]

डाक सामग्रियों की बिक्री से प्राप्त राजस्व

1503. श्री अनंत कुमार:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान डाक विभाग को डाक शुल्क, स्पीड पोस्ट तथा टिकटों की बिक्री से प्राप्त राजस्व राज्य-वार कितना है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान मेल ट्रैफिक में गिरती प्रवृत्ति दर्ज की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) निजी क्षेत्र द्वारा पेश की जा रही प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए डाक विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) देश में वर्तमान चल रहे एवं प्रस्तावित डाकघरों एवं फ्रेंचाइजियों की संख्या राज्य-वार क्या है; और

(च) सरकार ने डाकघरों में वृद्धि करने की जरूरत की पहचान करने के लिए क्या प्रविधि प्रस्तावित की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान डाक विभाग द्वारा डाक शुल्क स्पीड पोस्ट एवं डाक-टिकटों की ब्रिकी के माध्यम से राज्य-वार अर्जित राजस्व संलग्न विवरण-। में दिया गया है।

(ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान अपंजीकृत एवं पंजीकृत डाक के संबंध में डाक की मात्रा में सामान्य रूप से गिरावट की प्रवृत्ति दिखी है। दूसरी तरफ, स्पीड पोस्ट की परियात में पिछले तीन वर्षों में निरंतर वृद्धि दिखी है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के लिए अपंजीकृत एवं पंजीकृत डाक परियात का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	अपंजीकृत डाक परियात (करोड़ में)	पंजीकृत डाक परियात (करोड़ में)	स्पीड पोस्ट एवं एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट	कुल परियात
2007-2008	619.13	19.98	18.37	657.48
2008-2009	634.27	19.82	21.86	675.95
2009-2010	614.65	19.58	24.75	658.98
2010-2011 (अनंतिम)	615.76	17.79	28.10	661.65

पिछले तीन वर्षों के दौरान डाक परियात में कोई विशेष प्रवृत्ति नजर नहीं आ रही है। कुल डाक परियात में वर्ष 2007-08 की तुलना में 2008-09 में 2.81% वृद्धि हुई और 2008-09 की तुलना में 2009-10 में 2.51% की कमी आई। तथापि, 2009-10 की तुलना में 2010-11 के दोरान कुल डाक परियात में 0.41% की और वृद्धि हुई। 2008-09 की तुलना में 2009-10 के दौरान कुल डाक परियात में कमी का कारण पंजीकृत पत्रों की परियात में 0.64% अपंजीकृत पत्रों (पत्र कार्डों सहित) में 5.76% समाचार पत्रों में 4.52% एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट में 7.20% बीमाकृत पार्सलों में 1.04% मूल्यदेव पार्सलों में 0.64% पैकेटों में 0.93% की वृद्धि है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान डाक परियात में सामान्य गिरावट का कारण वैयक्तिक वास्तविक डाक पर इलैक्ट्रॉनिक संचार के प्रभाव एवं निजी कुरियर कंपनियों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा हैं।

(घ) विश्व के किसी भी भाग में अंतर्राष्ट्रीय पार्सल भेजने के लिए, 1 कि.ग्रा., 2.5 कि.ग्रा., एवं 5 कि.ग्रा. आकार के अंतर्राष्ट्रीय फ्लैट रेट बॉक्स(एफआरबीएस), जो प्रेषण हेतु तैयार बक्से हैं, भारतीय डाक के ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। एफआरबीएस, ग्राहकों को अतिरिक्त सुरक्षा एवं सुविधा प्रदान करते हैं।

डाक विभाग ने राजस्व अर्जित करने के लिए ई-वीपीपी जैसी नई सेवाएं शुरू की हैं:

विभाग ने निजी कंपनियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए सेवाओं में सुधार करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। विवरण निम्नानुसार है:

- मौजूदा डाक नेटवर्क को प्रभावी रूप से युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से मार्च 2010 में डाक नेटवर्क इष्टतमीकरण के लिए एक परियोजना शुरू की गई है।
- इसका प्रमुख निष्पादन सूचकों के माध्यम से निगरानी करना है। इस परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:
  - > स्पीड पोस्ट एवं अन्य डाक सेवाओं के सेवा वितरण निष्पादन के मूल्यांकन हेतु डाटा-आधारित प्रमुख निष्पादन सूचकों का विकास एवं स्थापना।
  - > स्पीड नेट का उचित उन्नयन, जोकि स्पीड पोस्ट के लिए वेब आधारित ट्रेक एवं ट्रेस सॉफ्टवेयर है।
  - > सत्तासी प्रमुख शहरों में (जो देश में कुल स्पीड पोस्ट की अधिकतम परियात को हैंडल करते हैं) पाक्षिक वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमुख निष्पादन सूचकों की सहायता से स्पीड पोस्ट प्रचालनों की निगरानी एवं समीक्षा करना।
- प्रचालनों की दक्षता सुधारने हेतु चालू योजना अवधि के दौरान 109 स्पीड पोस्ट केंद्रों का प्रोद्योगिकी उन्नयन।
- वितरण की गुणवत्ता सुधारने के लिए चालू योजना अवधि के दौरान 39 प्रीमीयम स्पीड पोस्ट वितरण केंद्रों की स्थापना।
- चालू योजना अवधि के दौरान 25 नए स्पीड केंद्रों की स्थापना।
- स्पीड पोस्ट मदों के लिए "स्पीडनेट" नामक वेब आधारित ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली की शुरूआत।

आम आदमी से संबंधित डाकघर प्रचालनों में प्रकट, ठोस एवं उल्लेखनीय परिवर्तन लाने के उद्देश्य से वर्ष 2008 में प्रोजेक्ट ऐरो की शुरुआत की गई। इस परियोजना में डाकघर के प्रमुख कार्यक्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार के साथ-साथ देश भर में फैले 1530 डाकघरों में सहायक संरचना के उन्नयन करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

(ङ) देश में कार्यरत डाकघरों एवं फ्रेंचाइजी आउटलेंटों की सर्किल-वार संख्या एवं चालू वित्त वर्ष के दौरान खोले जाने हेतु प्रस्तावति डाकघरों एवं फ्रेंचाइजी आउटलेटों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(च) डाकघरों की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है। निर्धारित मानदंडों के पूरा होने, योजना सहायता एवं कार्यबल की उपलब्धता के आधार पर डाकघर स्थापित किए जाते हैं।

विवरण-I

डाक शुल्क, स्पीड पोस्ट एवं डाक-टिकटों से संबंधित सूचना

(आंकड़े करोड़ में)

क्र.सं.	सर्किल का नाम	2008-09			2009-2010			2010-11		
		पीआरसी	स्पीड पोस्ट	डाक टिकटों की ब्रिकी	पीआरसी	स्पीड पोस्ट	डाक टिकटों की ब्रिकी	पीआरसी	स्पीट पोस्ट	डाक टिकटों की ब्रिकी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	31.75	35.56	19.42	28.35	45.54	24.40	30.49	40.47	26.1
2.	असम	3.48	3.36	6.37	3.26	3.65	6.07	3.93	3.40	6.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	बिहार	4.93	5.78	19.55	4.92	11.22	14.50	4.6	14.48	18.18
4.	बेस	0.19	0.16	2.50	0.13	0.72	2.72	0.44	1.06	2.33
5.	दिल्ली	92.40	80.70	29.30	84.67	82.99	33.76	75.17	95.71	35.38
6.	गुजरात	28.74	17.56	32.1	18.09	18.12	8.03	16.50	22.49	12.69
7.	हरियाणा	5.39	29.31	6.35	5.64	25.84	6.84	7.45	23.87	10.76
8.	हिमाचल प्रदेश	5.67	2.31	4.27	5.07	2.30	4.76	5.31	2.13	3.95
9.	जम्मू और कश्मीर	1.79	2.03	3.53	1.18	2.06	3.12	0.95	3.48	2.95
10.	कर्नाटक	39.01	29.35	42.74	28.62	32.05	43.48	23.48	61.20	39.86
11.	केरल	30.38	16.59	63.35	27.04	18.87	61.86	29.57	24.85	56.48
12.	महाराष्ट्र	201.53	87.08	90.36	109.93	137.47	90.34	86.07	163.86	80.88
13.	मध्य प्रदेश	12.38	10.27	20.69	11.41	11.69	21.57	9.83	13.27	22.65
14.	पूर्वोत्तर	2.04	1.17	4.94	1.92	1.52	4.56	2.31	1.27	6.51
15.	ओडिशा	4.64	7.22	12.14	3.29	7.69	10,75	3.76	10.13	10.54
16.	पंजाब	17.80	18.97	6,96	20.02	16.70	15.74	21.76	16.19	13.78
17.	राजस्थान	19.70	9.75	30.36	21.02	10.14	29.89	21.86	14.75	35.99
18.	तमिलनाडु	114.21	39.10	72.28	102.31	63.40	71.98	86.65	76,06	69.25
19.	उत्तर प्रदेश	18.69	60.2	46.71	21.21	56.01	48.57	25.84	69.25	60.78
20.	पश्चिम बंगाल	3.60	46.78	15.54	2.27	45.65	31.85	6.15	69.9	20.06
21.	छत्तीसगढ़	3.19	4.00	3.25	3.86	3.47	10.07	4.75	3.56	7.77
22.	झारखण्ड	3.92	3.35	9.74	3.61	4.31	10.28	3.89	7.25	8.93
23.	उत्तराखंड	5.42	4.67	10.52	4.88	6.21	8.85	6.00	10.19	3.24
	कुल	650.85	515.27	552.97	512.70	607.62	563.99	476.76	748.82	555.26

विवरण-II

31-03-2011 की स्थिति के अनुसार कार्यरत डाकघरों एवं फ्रेंचाइजी आउटलेटों की सर्किलवार संख्या एवं 2011-12 के दौरान नए डाकघरों एवं फ्रेंजाइजी आउटलेटों को खोलने के लक्ष्य

क्रम	सर्किलों के नाम	डाकघरों की संख्या (31.3.2011 की स्थिति के अनुसार)	फ्रेंजाइजी आउटलेटों की संख्या (31.3.2011 की स्थिति के अनुसार)	2011-12 के दौरान नए डाकघरों को को खोलने के लक्ष्य	2011-12 के दौरान नए फ्रेंचाइजी आउटलेंटों को खोलने के लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	16141	182	11	8
2.	असम	4004	20	5	4
3.	बिहार	9055	55	5	6
4.	छत्तीसगढ़	3125	3	5	3
5.	दिल्ली	575	39	5	8
6.	गुजरात	8983	51	5	7
7.	हरियाणा	2661	52	5	7
8.	हिमाचल प्रदेश	2777	12	6	5
9.	जम्मू और कश्मीर	1693	23	4	2
10.	झारखण्ड	3095	27	5	4
11.	कर्नाटक	9772	9	8	7
12.	केरल	5067	0	5	0
13.	मध्य प्रदेश	8310	79	8	8
14.	महाराष्ट्र	12860	91	11	8
15.	पूर्वोत्तर	2932	17	5	4
16.	ओडिशा	8161	51	7	6
17.	पंजाब	3853	35	6	6
18.	राजस्थान	10321	84	8	7
19.	तमिलनाडु	12065	95	11	7
20.	उत्तराखंड	2715	37	6	3

1	2	3	4	5	6
21.	उत्तर प्रदेश	17640	191	11	8
22.	पश्चिम बंगाल	9061	2	8	7
	कुल	154866	1155	150	125

[हिन्दी]

एयरलाइनों पर बकाया ईंधन शुल्क

1504. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:**
श्री मानिक टैगोर:
श्री रूद्रमाधव राय:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न एयरलाइनों पर ईंधन बिल की मद में बकाया राशि का कंपनी-वार तथा एयरलाइन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों का दिनांक 30 सितम्बर, 2011 तक एयरलाइनों से बकाया राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा पारस्परिक सहमत वाणिज्यिक शर्तों के अनुसार निजी एयरलाइनों को विमानन टर्बाइन ईंधन की आपूर्ति की जाती हैं। एयरलाइनों के लिए क्रेडिट आपूर्तियां बढ़ाई गई हैं और एयरलाइनें सहमत वाणिज्यिक शर्तों के आधार पर भुगतान करती हैं। एयरलाइनों द्वारा अपने बकाए का भुगतान न किए जाने के मामले में, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा पारस्परिक सहमत वाणिज्यिक शर्तों की तर्ज पर बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई की जाती है। चूककर्ता एयरलाइनों का "कैश एण्ड कैरी" पर भी रख दिया जाता है और देय तिथि के बाद के भुगतानों पर ब्याज वसूला जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां अपने तथा एयरलाइनों के बीच सहमत वाणिज्यिक शर्तों के अनुसार, जैसे लागू हो, का, अपने बकाये की वसूली के लिए बैंक गारन्टी तथा बाद की तारीख, के चैक (पोस्ट डेटेड चैक) का, नकदीकरण करती हैं। कतिपय मामले में, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां बकाया राशि की वसूली के लिए चूककर्ता एयरलाइनों के खिलाफ न्यायालय में वाद भी दायर करती हैं।

विवरण

(करोड़ रु. में)

ओएमसी का नाम	निजी एयरलाइनों का नाम	30.9.2011 को बकाया राशि
1	2	3
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (आईओसी)	एअर इंडिया	1880.40
	जेट एयरवेज	695.90
	गो एयर	39.05
	स्पाईस जेट	93.70
	किंगफिशर एयरलाइन्स	शून्य

1	2	3
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (बीपीसीएल)	एअर इंडिया	484.30
	जेट एयरवेज	153.24
	गो एयर	1.41
	स्पाईस जेट	शून्य
	किंगफिशर एयरलाइन्स	शून्य
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल)	एअर इंडिया	417.80
	जेट एयरवेज	0.01
	किंगफिशर एयरलाइन्स	636.79
	पैरामाउंट एयरवेज	19.28

[अनुवाद]

एयर इंडिया द्वारा नए विमानों की खरीद

1505. **श्री निशिकांत दुबे:**
श्री अंबिका बनर्जी:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पर्याप्त संख्या में विमान उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार के पास उपलब्ध बोईंग एवं अन्य छोटे यात्री विमानों की संख्या क्या है;

(ग) क्या एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन देश में स्वस्वामित्व वाले बेड़े से संचालन कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अप्रचलित एवं पुराने विमानों का उपयोग अभी भी किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा नए विमान खरीदने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख)उपलब्ध विमान, विद्यमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है तथा एयरलाइनें, भविष्य की मार्केट संवृद्धि तथा वित्तीय सहायता के आधार पर, अपनी विमान खरीद योजना बना रही है। एअर इंडिया के पास 57 बोइंग विमान 4 सीआरजे-700 विमान, 7एटीआर-42 विमान तथा 2 डीओ-228 विमान है (इनका निपटान किया जाना है).

(ग) और (ख) एअर इंडिया के स्वंय के 91, तथा 30 पट्टे पर लिए गए विमान हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं, ऐसी कोई विशिष्ट निर्धारित अवधि नही है कि किस अवधि के लिए विमान का उपयोग किया जा सकता है। उस विमान को उड़ानयोग्य माना जाता है, बशर्ते कि इसका अनुरक्षण अनुमोदित अनुसूची/कार्यक्रम तथा डीजीसीए द्वारा निर्धारित अनिवार्य परिवर्तनों तथा विमान विनिर्माता देशों की विनियामक प्राधिकारियों के अनुसार किया गया हो। एअर इंडिया के प्रचालनात्मक विमान बेड़े के सभी विमानों का अनुरक्षण अपेक्षित उड़ान योग्यता मानकों के अनुसार किया जाता है तथा वे विनियामक प्राधिकारियों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

1506. **श्री जयवंत गंगाराम आवले:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विगत वर्षों से प्रारम्भ किए गए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पूरे देश में कौन-कौन से स्कूल इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को चलाएंगे;

(ग) विभिन्न शिल्पों हेतु उपलब्ध योग्यता प्राप्त कार्मिकों की शिल्प-वार कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या संस्कृति स्कूल भी ऐसे संस्थानों में शामिल होगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरीः): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई) ने सी.बी.एस.ई. से सम्बद्ध वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में 34 व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं।

(ख) अभी तक सी.बी.एस.ई. से सम्बद्ध 408 स्कूलों ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरंभ करना स्वीकार कर लिया है।

(ग) ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए स्कूलों द्वारा अर्हता प्राप्त व्यक्ति भर्ती किए जाते हैं। केन्द्र स्तर पर ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) संस्कृति स्कूल कक्षा XI और कक्षा XII में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन करते हैं।

[हिन्दी]

फर्जी जाति प्रमाण-पत्र

1507. श्री यशवंत लागुरीः
श्री मनसुखभाई डी. वसावाः

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ अधिकारी समय पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नहीं करते अथवा फर्जी प्रमाण-पत्र जारी करते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पहचाने गए ऐसे अधिकारियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) इनमें से कितने अधिकारियों के विरुद्ध आज तक अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है और उनमें से कितने अधिकारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं;

(घ) क्या दोषी पाये जाने के बावजूद भी कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) सरकार ने नोट किया है कि कई अवसरों पर जातियों/समुदाय प्रमाण-पत्रों की वैधता का सत्यापन करने में संबंधित प्राधिकरण अवांछित रूप से अधिक समय लेते हैं। सरकार ने व्यवस्था को कारगर बनाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को निर्देश जारी किये हैं कि जिला प्राधिकरणों को संदर्भित जातियों/समुदाय प्रमाण-पत्रों की वैधता का सत्यापन किया जाए तथा इसकी सूचना नियोक्ता प्राधिकरण को उनके अनुरोध प्राप्त होने के एक महीने के अंदर देनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने का निदेश दिया गया है जो ऐसे मामलों में जाति की स्थिति का सत्यापन समय से नहीं करते हैं या फर्जी प्रमाण-पत्र जारी करते हैं।

(ख) से (ङ) जाति/समुदाय प्रमाण-पत्र जारी करना एवं तथा नियोक्ता प्राधिकरण द्वारा अनुरोध करने पर उनकी समय से सत्यापन करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार और इसके पदाधिकारियों की है। मांगी गई सूचना का रख-रखाव केन्द्रीकृत रूप से नहीं किया जाता है।

केवीएस/एनवीएस के बीच पेंशन योजना में विसंगति

1508. श्री निखिल कुमार चौधरीः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भविष्य निधि और पेंशन के मामले में केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारियों के बीच कोई विसंगति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति, विभिन्न पेंशन योजनाओं द्वारा शासित दो स्वतंत्र स्वायत्त संगठन हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी, सीसीएस पेंशन नियमावली, 1972 के अंतर्गत पेंशन योजना तथा नई पेंशन

योजना जो 1.1.2004 से प्रभावी है, द्वारा शासित होते हैं। तथापि नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारी जो 1.4.2009 से पहले किसी पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं थे, को दिनांक 4.8.2009 की अधिसूचना द्वारा मौजूदा अंशदायी भविष्य निधि योजना (सीपीएफ) को जारी रखने अथवा नई पेंशन योजना को अपनाने का विकल्प दिया गया है।

हवाईअड्डों का नामकरण

1509. कुमारी सरोज पाण्डेय: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे हवाईअड्डों का ब्यौरा क्या है जिनका अभी आधिकारित तौर पर नामकरण किया जाना है;

(ख) हवाईअड्डों के पुन: नामकरण हेतु लंबित पड़े अनुरोधों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) हवाईअड्डों के नाम को अंतिम रूप न दिये जाने के क्या कारण हैं और हवाईअड्डों के नामकरण की प्रक्रिया को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालर रवि): (क) से (ग) देश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व तथा प्रबंधन के अंतर्गत 87 हवाईअड्डे प्रचालनिक हैं, जिनमें से 70 हवाईअड्डों का पुनर्नामकरण नहीं किया गया है क्योंकि यह एक सामान्य पद्धति है कि हवाईअड्डों का नाम उन शहरों के नाम पर रखा जाता है जहां वे स्थित हैं, क्योंकि सामान्यत: यात्री और विशेष रूप से विदेशी पर्यटक तथा अन्य आगंतुक जो स्थानीय इतिहास से अवगत नहीं हैं, वे हवाईअड्डे के नाम से उस शहर को आसानी से पहचान लेते हैं। पंजाब तथा छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों से प्राप्त दो हवाईअड्डों यथा क्रमश: चंडीगढ़ तथा रायपुर के पुनर्नामकरण का अनुरोध विचाराधीन है।

[अनुवाद]

एयर इंडिया के गोदामों से चोरी

1510. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हवाईअड्डा परिसर में एयर इंडिया के दो गोदामों से चोरों द्वारा विमानों के कुछ पुर्जे चुराए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त जांच के क्या निष्कर्ष रहे;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने और दोषियों को सजा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालर रवि): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 18.08.2011 को आईजीआई हवाईअड्डा, दिल्ली के स्क्रैप यार्ड, इंजीनियरिंग कॉम्प्लैक्स से लगभग 5-6 लाख रुपये का 2½ स्क्रैप इंजिन मेटेरियल खोया हुआ रिपोर्ट किया गया।

(ग) और (घ) एक आंतरिक जांच कराई गई और इंजीनियरिंग विभाग द्वारा 23.09.2011 को इंजिन मेटेरियल की चोरी की बाबत आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज कराई गई।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) और (घ) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(च) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एअर इंडिया द्वारा कठोर सुरक्षा उपाय क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

कुलपतियों का चयन

1511. कुमारी मीनाक्षी नटराजन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की विशेषरूप से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के चयन हेतु प्रक्रिया की समीक्षा हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कुलपतियों की नियुक्ति हेतु कोई विश्वविद्यालय सेवा आरंभ करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता के लिए व्यापक नीति तैयार करने के लिए सरकार द्वारा गठित, प्रो. एन.आर. माधव मेनन की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसने अन्य बातों के साथ-साथ इस संबंध में सांविधिक निकायों/अधिकारियों की संरचना और शक्तियों तथा कुलपतियों की नियुक्ति के लिए विद्यमान प्रक्रिया में परिवर्तन की सिफारिश की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बीएसएनएल द्वारा बकाया की वसूली

1512. **श्री गुरूदास दासगुप्त:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएनएल की उपभोक्ताओं के नाम पर बिलों के रूप में भारी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने बकाया राशि की वसूली करने के लिए क्या उपाय किए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जी, हां।

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड की अपने उपभोकताओं से वायरलाइन और वायरलेस मोबाइल सेवाओं और सर्किटों के संबंध में बकाया राशियों का पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (30.09.2011 की स्थिति के अनुसार), का ब्योरा नीचे दर्शाया गया है।

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	वर्ष	संबंधित वर्ष को 31 मार्च की स्थिति के अनुसार कुल बकाया राशि
1	2	3
1.	2008-09	4635.57
2.	2009-10	4749.24
3.	2010-11	5340.95
4.	2011-12 (सितबंर 2011 तक)	5475.73

(ग) बीएसएनएल द्वारा बकाया राशियों की वसूली के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

बीएसएनएल द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतू निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) ग्राहकों को उनका टेलीफोन काटने से पहले भुगतान करने के लिए इंटरऐक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) और एसएमएस के जरिए भुगतान हेतु अनुस्मारक भेजे जाते हैं। ग्राहकों द्वारा बकाया राशि का भुगतान न किए जाने पर उनके फोन तय समय पर काट दिए जाते हैं।

(2) कनेकशन काटे जाने की तारीख से तीन माह की अवधि बीत जाने के बाद भी भुगतान न किए जाने के कारण काटे गए कनेकशनों को स्थाई तौर बंद कर दिया जाता है और लेखाओं का जमानत राशि, यदि उपलब्ध हो, से निबटान कर दिया जाता है।

(3) पुरानी बकाया राशि का निबटान करने के लिए चूककर्ता ग्राहकों को छूट देने के संबेंध में श्रेणीबद्ध छूट स्कीम शुरू की गई है।

(4) चूककर्ताओं से बकाया राशि की वसूली करने के लिए बीएसएनएल के कर्मचारियों हेतु प्रोत्साहन स्कीम भी चल रही है।

(5) बकाया राशि की वसूली के लिए चूककर्ताओं के विरूद्ध जहां आवश्यक हो, कानूनी कार्यवाही शुरू की जाती है।

(6) राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्य से संबंधित भू-राजस्व अधिनियमों में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है, ताकि बीएसएनएल के टेलीफोन बिलों से संबंधित बकाया राशि की वसूली भू-राजस्व बकाया के रूप की जा सके।

(7) अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने के लिए बकाया राशियों की वसूली के संबंध में सर्किल-वार वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस संबंध में प्रगति पर गहन निगरानी रखी जाती है तथा यूनिटों को बकाया राशि की वसूली हेतु समय-समय पर कहा जाता हे।

(8) बकाया राशि की वसूली के लिए सर्किलों से राज्य सरकार के विभागों की सेवा लेने के लिए कहा गया है।

(9) स्थाई रूप से बंद किए गए कनेक्शनों के संबंध में लोक अदालतों के जरिए चूककर्ता से बकाया राशियों की वसूली के निपटान की व्यवस्था की प्रक्रिया आरंभ की गई है।

(10) उपर्युकत के अलावा, चालू वर्ष 2009-10 के दौरान स्थाई रूप से बंद किए गए कनेक्शनों के संबंध में 3 माह से वर्ष की बकाया राशियों को अनुभवी गैर सरकारी एजेंटों/ एजेंसियों के माध्यम से वसूल करने के लिए ब्रांड नाम "प्रोजेक्ट कुबेर" के अंतर्गत एक नई वसूली स्कीम शुरू की गई है।

[हिन्दी]

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना

1513. **श्री सज्जन वर्मा:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितनी धनराशि स्वीकृत और व्यय की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना से मध्य प्रदेश में देवास, शाजापुर और इंदौर जिलों में लाभान्वित हुए छात्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत कुछ धनराशि अव्ययित रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत मध्य प्रदेश में स्वीकृत और व्यय की गई राशि निम्न प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत अनुदान रु.		व्ययित अनुदान रु.	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
2008-09	3,94,20,942	1,84,00,000	96,00,000	3,50,000
2009-10	6,18,83140	2,22,00,000	2,34,83,140	87,00,000
2010-11	7,53,00,000	9,43,80,000	2,08,00,000	2,22,00,000
2011-12	62,04,405	46,04,012	62,04,405	46,04,012

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, उक्त अवधि के दौरान इस योजना से लाभान्वित मध्य प्रदेश के देवास, शाजापुर तथा इंदौर जिलों के छात्रों की संख्या नीचे दी गई हैं:

वित्तीय वर्ष	चयनित छात्रों की संख्या							
	देवास		शाजापुर		इंदौर		कुल	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008-09	0	0	0	0	19	31	19	31
2009-10	0	0	0	0	17	30	17	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010-11	0	0	0	0	26	49	26	49
2011-12	0	0	0	0	31	26	31	26
कुल	0	0	0	0	93	136	93	136

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/कॉलेजों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा अन्य संगत दस्तावेजों के प्राप्त न होने के कारण इस योजना के तहत अव्ययित राशि निम्न प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	अव्ययित राशि रु.	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
2008-09	2,98,20,942	1,80,50,000
2009-10	3,84,00,000	1,35,00,000
2010-11	5,45,00,000	7,21,80,000
2011-12	शून्य	शून्य

छात्रों का गुणवत्तापरक विकास

1514. श्री वीरेन्द्र कश्यप: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विश्वविद्यालयों से निकलने वाले और विज्ञान में प्रतिष्ठित भारतीय उच्च अनुसंदान संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्र देश में अनुसंधान कार्य को और आगे ले जाने वाले मुख्य स्रोत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वैश्विक अनुसंधान कार्य में भारतीय योगदान पहले 9 प्रतिशत था जो कि घटकर 2.3 प्रतिशत रह गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने देश के उच्च संस्थानों में अनुसंधान कार्य करने वाले छात्रों को आकृष्ट करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और इसके क्या परिणाम रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। लगभग 8525 छात्रों को एम.फिल.तथा 10781 छात्रों को पीएचडी डिग्रियां प्रदान की जाती हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों तथा विषयों में अनुसंधान परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहे हैं।

(ग) संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के आंकड़ों के अनुसार, विश्व शोधकर्ताओं में भारत का हिस्सा 2002 में 2.3 प्रतिशत तथा 2007 में 2.2 प्रतिशत था। विश्व शोधकर्ताओं में भारत के हिस्से में कोई अधिक गिरावट नहीं है।

(घ) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार विज्ञान के इंजीनियरिंग क्षेत्रों तथा इंजीनियरिंग में मौलिक शोध को सहायता देने के लिए एक वैज्ञानिक तथा इंजीनियरिंग क्षेत्रों बोर्ड का सृजन किया गया है। इसी प्रकार, विज्ञान तथा इंजीनियरिंग अनुसंधान परिषद भी विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान का संवर्धन करने हेतु सहयोग करती रही है जिससे बड़ी संख्या में शोध पत्र तैयार हुए हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग जिओनोमिक्स, प्रोटिओमिक्स इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी शोध का संवर्धन कर रहा है और विश्वविद्यालयों तथा शोधकर्ताओं के उद्योगों के साथ परस्पर क्रिया-कलाप में भी वृद्धि कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि प्रो. एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता में गठित कार्यबल की सिफारिशों के अनुसार मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1200 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। अनुसंधान तथा अनुसंधान के संवर्धन के क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा भूविज्ञान मंत्रालय के प्रयासों में सहयोग देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौत भी किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत विभिन्न शोध परिषद जैसे कि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, भारतीय दर्शनशास्त्र अनुसंधान परिषद भी मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान का सक्रिय रूप से संवर्धन कर रही हैं। विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग (एम.फिल./पीएचडी डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक तथा प्रक्रिया) विनियम, 2009 ने भी संकाय की भर्ती हेतु पीएचडी अथवा नेट/स्लेट को अनिवार्यत अर्हता बना दिया है।

कैपिटेशन शुल्क पर रोक

1515. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अभी तक कैपिटेशन शुल्क पर रोक नहीं लगाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में दिए गए निर्णय के अनुसार केपिटेशन शुल्क लगाना और एकत्र करना अवैध है। संस्थाएं कैपिटेशन शुल्क नहीं लगा सकती हैं।

(ग) से (ङ) उपरोक्त को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

किंगफिशर एयरलाइन हेतु राहत पैकेज

1516. श्री मनीष तिवारी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किंगफिशर एयरलाइन को कोई राहत पैकेज देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके पीछे क्या औचित्य है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार किंगफिशर एयरलाइन के कर्ज के पुनर्गठन पर विचार कर रही है और क्या ऐसा पहले भी किसी निजी विमान कंपनी के लिए किया गया है और क्या सरकार का विचार वित्तीय संकट का सामना कर रही निजी क्षेत्र की सभी विमान कंपनियों को ऐसी सुविधाएं देने का है;

(घ) क्या डीजीसीए ने उड़ान रद्द होने के कारण गत कुछ सप्ताहों के दौरान घरेलू विमान कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या अर्थदंड लगाया गया है;

(च) क्या डीजीसीए का विचार आर्थिक संकट का सामना कर रही विमान कंपनियों की आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करने और यह सुनिश्चित करने का है कि इनके द्वारा सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन न किया जाए;

(छ) क्या इन विमान कंपनियों को मौजूदा बेड़े हेतु मानदंडों को पूरा करने तक अपने हवाई बेड़े का विस्तार करने की अनुमति दी जाएगी और इन कंपनियों के पुन: अर्थक्षम बनने तक इनके लाइसेंसों का नवीकरण किया जाएगा; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालर रवि): (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) जी हां। वायुमान नियमावली, 1937 के नियम 140 क के उल्लंघन के लिए नगर विमानन महानिदेशालय ने किंगफिशर, स्पाइसजेट तथा इंडिगो का पत्र जारी किए हैं। अनुमोदित स्लाटों, जिन्हें इन एयरलाइनों द्वारा प्रयोग नहीं किया गया था, को रद्द कर दिया गया था।

(च) नागर विमानन महानिदेशालय ने नागर विमानन अपेक्षा, धारा-3 श्रृंखला-एस, भाग-1 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा परिदृश्य से अनुसूचित एयरलाइनों की वित्तीय निगरानी के आदेश दिए हैं।

(छ) और (ज) बेड़े का विस्तार एयरलाइन का वाणिज्यक मुद्दा है। मंत्रालय, नागर विमानन अपेक्षाओं के प्रावधानों का अनुपालन किए जाने के पश्चात ही एयरलाइनों को विमान के आयात की अनुमति प्रदान करता है।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में अवसंरचना और सेवा क्षेत्रों का विकास

1517. **श्री बलीराम जाधवः** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या योजना आयोग और केन्द्र सरकार उत्तर-पूर्व क्षेत्र में अवसंरचना और सेवा क्षेत्रों के विकास में बीओटी (निर्माण प्रचालन और अंतरण) और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)मॉडल को बढ़ावा दे रहे हैं

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संसाधन समृद्ध उत्तर-पूर्व के आठ राज्यों को अपने संसाधनों का दोहन करने के लिए निजी पहलों की बजाय सरकारी पहल की अधिक आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उत्तर-पूर्व राज्यों में की गई पहलों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) भारत सरकार उच्च आर्थिक विकास के लिए अवसंरचना में निवेश बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। अर्थव्यवस्था के धारणीय और समावेशी विकास के लिए अवसंरचना का अभाव प्रमुख अवरोध है। सरकार परिवहन संपकर्ता, विद्युत, शहरी अवसंरचना आदि जैसे प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को सक्रियता से बढ़ावा दे रही है। अवसंरचना कमियों को पूरा करने हेतु पीपीपी को एक प्रमुख साधन के रूप में देखा जाता हे, जिसका प्रचालन नई परियोजना शुरू करने हेतु सार्वजनिक निकाय और निजी उद्यम के बीच आवश्यक भागीदारी को विभिन्न मॉडलों के माध्यम से दिशा-निर्देशित किया जाता है। निर्माण, प्रचालन और अंतरण (बीओटी) की अवधारणा पीपीपी का एक रूप है।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) जहां भारी निवेश की आवश्यकता है, में प्रमुख अवसंरचना (सड़क रेल, अंतर्देशीय जल परिवहन, विद्युत आदि) के विकास हेतु सरकार ने कई पहलें शुरू की हैं। कार्यान्वित की जा रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं: पूर्वोत्तर हेतु विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई), ट्रांस अरूणाचल राजमार्ग, रेलवे गेज परिवर्तन एवं लाईन विस्तार कार्यक्रम (जिरिबाम-इंफाल, हरमुति-ईटानगर, दुधनोई-मेहंदीपाथर, आदि) महत्वपूर्ण हवाईअड्डों का उन्नयन (गुवाहाटी, इंफाल, अगरतला आदि), न्यू ग्रीन फील्ड हवाईअड्डा (पैक्योंग), लोवर सुबनसिरी हाइडल प्रोजक्ट, केमेंग हाइडल प्रोजेक्ट, पलताना पॉवर प्रोजेक्ट, बोनगाईगांव पॉवर प्रोजेक्ट इत्यादि। पीजीसीआईएल पॉवर इवेकुएशन हेतु पारेषण लाइनों के लिए विस्तृत निवेश योजना भी तैयार कर रहा है।

तीव्र विकास हेतु क्षेत्र के अप्रयुक्त संसाधनों का दोहन करने हेतु महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए आवश्यक संसाधनों को पूरा करने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा पीपीपी मोड़ के माध्यम से भी निवेश के लिए प्रयास किए गए हैं। पूर्वोत्तर के अवसंरचना विकास में इन पहलों के प्रति निजी क्षेत्रकों की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण कारक है।

(घ) पूर्वोत्तर राज्यों में पीपीपी मोड के माध्यम से अब तक शुरू की गई परियोजनाओं के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

आर.टी.आई. अधिनियम की समालोचनात्मक समीक्षा

1518. **श्री के. सुधाकरणः** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार उत्पन्न करने वाले आवेदनों की बढ़ती संख्या और अधिनियम के छूट वाले खंडों में बदलाव के मद्देजनर सरकार के भीतर खुली चर्चा रोकने की अधिनियम गत संभावनाओं को देखते हुए सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का पुनरावलोकन/ समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिविल सोसाइटी कार्यकताओं द्वारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की तर्ज पर केंद्रीय सूचना आयोग का उन्नयन करके उसे संवैधानिक प्राधिकरण बनाकर अधिनियम की सुरक्षा करने की मांग की जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का उक्त मांग पर क्या दृष्टि कोण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सिविल सोसाइटी कार्यकताओं से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय भवन का निर्माण

1519. श्री सुदर्शन भगत: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रांची जिले में ब्रहमवे में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय किसी निजी भवन से चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विश्वविद्यालय भवन का निर्माण करने और अन्य अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय वर्ष 2009 में स्थापित किया गया जो इस समय राज्य सरकार द्वारा दिए गए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के एक अस्थायी परिसर में कार्य कर रहा है। तथापि, विश्वविद्यालय का सिटी सैंटर कनके रोड पर स्थित है जिसे किराए के निजी भवन से संचालित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) कुलपति ने सूचित किया है कि झारखण्ड सरकार ने दिनांक 17.10.2011 को स्थायी परिसर की स्थापना करने के लिए 319.28 एकड़ भूमि आबंटित की है और विश्वविद्यालय ने स्थायी परिसर के विकास के लिए विज्ञापनों के माध्यम से अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण जारी किया है। इस प्रारंभिक अवस्था में, निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

निर्धन व्यक्तियों का आकलन करने हेतु फार्मूला

1520. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर देश में निर्धन व्यक्तियों का आकलन करने हेतु कोई ठोस फार्मूला तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को वर्तमान में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही जनसंख्या के सही प्रतिशत की कोई जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा मानदण्ड के रूप में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय (एमपीसीई) के आधार पर गरीबी रेखा पारम्परिक रूप से परिभाषित की गई है। योजना आयोग द्वारा गरीबी का अनुमान लगाने हेतु तरीको की समय-समय पर समीक्षा की गई है।

योजना आयोग ने वर्ष 1977 में "सहस्त्राब्दि आवश्यकताओं का अनुमान एवं प्रभावी उपभोग मांग" के संबंध में एक कार्यदल (अलघ समिति) का गठन किया गया था, जिसमें गरीबी रेखा को राष्ट्रीय स्तर पर 1973-74 के मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपये प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। ये गरीबी रेखाएं सभी राज्यों के लिए समान रूप से लागू ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 किलो केलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो केलोरी की प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी आवश्यकता के मानक पर केंद्रित वस्तुओं और सेवाओं के तदनुरूप है। तत्पश्चात वर्ष 1989 में गठित 'गरीबों के अनुपात तथा संख्या के अनुमान' संबंधी विशेषज्ञ समूह ने अलघ समिति द्वारा परिभाषित गरीबी रेखाओं को बनाए रखा तथा राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं को राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं में अलग-अलग कर दिया, जिससे कि अंतर-राज्यीय मूल्य विभेदकों को दर्शाया जा सके।

तेंदुलकर समिति जिसने अपनी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत कर दी थी, ने शुरूआती बिंदु के रूप में लाकड़ावाला कार्यप्रणाली के आधार पर वर्ष 2004-05 के 25.7% शहरी प्रति व्यक्ति अनुपात का प्रयोग किया है। इसमें शहरी क्षेत्रों में नए संदर्भ गरीबी रेखा बास्केट (पी एल बी) के रूप में इस अनुपात के तदनुरूप मिश्रित रिकॉल अवधि (एम आर पी) आधारित एम पी सी ई का प्रयोग किया गया है तथा सिफारिश की गई है कि समान पी एल बी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रुपये का मूल्य दर्शाने के लिए ग्रामीण गरीबी रेखा की पुनर्गणना की जानी चाहिए। तेंदुलकर समिति की कार्यप्रणाली के आधार पर, अखिल भारत स्तर पर वर्ष 2004-05 में गरीबी रेखाओं की गणना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 446.68 रुपये प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 578.80 रुपये प्रतिमाह की गई थी। तेंदुलकर समिति ने प्रामाणिक व पोषाहार दृष्टिकोण से

व्यय की पर्याप्तता को शामिल किया है। इसमें कहा गया है:

> "कैलोरी मानक से हट कर, प्रस्तावित गरीबी रेखा को खाद्य, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी गरीबी रेखा के आस-पास प्रति व्यक्ति वास्तविक निजी व्यय की पर्याप्तताकी जांच करके तथा उनकी तुलना पोषाहार शैक्षिक और स्वास्थ्य परिणामों के संगत प्रामाणिक व्यय से करते हुए विधिमान्य किया गया है।"

(ग) और (घ) योजना आयोग उन वर्षों के लिए गरीबी रेखाओं तथा गरीबी अनुपात का अनुमान लगाता है जिनके लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ)द्वारा परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण कराया गया है। ये सर्वेक्षण पंचवार्षिकी होते हैं। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2004-05 के लिए अखिल भारत स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2004-05 के लिए अखिल भारत स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत 37.2 प्रतिशत अनुमानित की गई है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 41.8 प्रतिशम तथा शहरी क्षेत्रों में 25.7 प्रतिशत आबादी है। वर्ष 2004-05 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के राज्य-वार प्रतिशत के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण पंचवर्षीय रूप से किए जाते हैं। वर्ष 2004-05 के पश्चात यह सर्वेक्षण 2009-10 में कराया गया है जिसके परिणाम अब उपलब्ध हैं। भविष्य में गरीबी मापने के लिए कार्यपद्धति पर अंतिम राय, अन्य बातों के साथ-साथ 2009-10 के एनएसएसओ सर्वेक्षण के आधार पर और विशेषज्ञों द्वारा चिन्हित किए गए गरीबी के सभी संगत सूचकों को ध्यान में रखते हुए, बनायी जा सकती है। गरीबी आकलन के लिए अप्रोच के संबंध में समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो गरीबी का अनुमान लगाने के लिए सबसे विश्वसनीय कार्यपद्धति का पता लगाने के लिए इस मुद्दे पर पुन: विचार किया जाएगा। राज्यों और अन्य पणधारकों के परामर्श से बीपीएल परिवारों की पहचान करने हेतु व्यापक मानदण्डों का निर्णय करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी।

विवरण

राज्यों की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत (तेन्दुलकर समिति)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05		
		ग्रमीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	32.3	23.4	29.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	33.6	23.5	31.1
3.	असम	36.4	21.8	34.4
4.	बिहार	55.7	43.7	54.4
5.	छत्तीसगढ़	55.1	28.4	49.4
6.	दिल्ली	15.6	12.9	13.1
7.	गोवा	28.1	22.2	25.0
8.	गुजरात	39.1	20.1	31.8
9.	हरियाणा	24.8	22.4	24.1
10.	हिमाचल प्रदेश	25.0	4.6	22.9
11.	जम्मू और कश्मीर	14.1	10.4	13.2
12.	झारखण्ड	51.6	23.8	45.3

1	2	3	4	5
13.	कर्नाटक	37.5	25.9	33.4
14.	केरल	20.2	18.4	19.7
15.	मध्य प्रदेश	53.6	35.1	48.6
16.	महाराष्ट्र	47.9	25.6	38.1
17.	मणिपुर	39.3	34.5	38.0
18.	मेघालय	14.0	24.7	16.1
19.	मिजोरम	23.0	7.9	15.3
20.	नागालैण्ड	10.0	4.3	9.0
21.	ओडिशा	60.8	37.6	57.2
22.	पुदुचेरी	22.9	9.9	14.1
23.	पंजाब	22.1	18.7	20.9
24.	राजस्थान	35.8	29.7	34.4
25.	सिक्किम	31.8	25.9	31.1
26.	तमिलनाडु	37.5	19.7	28.9
27.	त्रिपुरा	44.5	22.5	40.6
28.	उत्तर प्रदेश	42.7	34.1	40.9
29.	उत्तराखंड	35.1	26.2	32.7
30.	पश्चिम बंगाल	38.2	24.4	34.3
	अखिल भारत	41.8	25.7	37.2

[हिन्दी]

विमानन क्षेत्र द्वारा उत्पन्न पर्यावरण संबंधी मुद्दे

1521. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानन क्षेत्र में विस्तार और विमानों की बढ़ती संख्या से पर्यावरण को कोई जोखिम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मुद्दे का समाधान किस प्रकार किया जा रहा है/प्रस्तावित है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन के अनुसार वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में विमानन क्षेत्र का योगदान लगभग 2 प्रतिशत है। यद्यपि, विमानों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों की निकासी बहुत कम होती है, तथापि उनका योगदान जलवायु परिवर्तन पर फिर भी होता है।

(ग) विमानन सैक्टर द्वारा गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं ये विवरण में दर्शाए गये है:

विवरण

2009 के नागर विमानन महानिदेशालय के विमानन पर्यावरण परिपत्र सं. 1 के द्वारा स्टेकहोल्डरों को विमानन सैक्टर में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपायों को अपनाने की सलाह दी है:

1. विमानन संबंधित प्रौद्योगिकीय विकास

(क) वर्तमान विमानों में रिट्रोफिटिंग तथा अपग्रेड सुधार।

(ख) ईंधन कार्यक्षमता तरीकों को तेजी से अपनाना।

(ग) लघु, मध्यम तथा दीर्घकालिक ईंधन बचत लक्ष्यों को स्थापित करना।

(घ) अद्यतन ईंधन प्रबंधन योजना को अपनाना।

(ङ) फॉसिल ईंधन के विकल्प में जैविक ईंधन का प्रयोग करने की योजना बनाना।

(च) विंगलैट्स, रिबलेट्स इत्यादि की फिक्सिंग।

2. प्रचालन सुधार

(क) डेड वेट को न्यूनतम करना।

(ख) लोड फैक्टर में सुधार लाना।

(ग) ग्राउंड प्रचालन तथा पायलट प्रशिक्षण में सुधार लाना।

(घ) अनुरक्षण अनुसूची का दृढ़तापूर्वक पालन करना।

(ङ) विशेष सेक्टर/रूट के लिए विमान चयन को तदनुकूल बनाना।

3. उन्नत एयर ट्रैफिक प्रबंधन तथा आधारभूत संरचना प्रयोग

(क) प्रस्थान-पूर्व योजना को सुधारना।

(ख) ईंधन कुशल विमान प्रस्थान प्रक्रिया का विकास।

(ग) टैक्सिंग तथा पार्किंग सुधारों में सुधार।

(घ) एयर ट्रैफिक प्रबंधन में बाधाओं की पहचान करना।

(ङ) बिजली/गैस/वैकल्पिक ईंधन द्वारा चालित भूतल वाहनों को अपनाना।

(च) जी.पी.यू. को सीधे बिजली सप्लाई द्वारा प्रतिस्थापित करना।

(छ) एयरपोर्टों पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार करना।

[अनुवाद]

स्कूली बैगों का भार

1522. श्री अधीर चौधरी:

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्कूल बैगों की भार सीमा तय करने हेतु कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन दिशानिर्देशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन दिशानिर्देशों को पूरे देश में सभी छात्रों हेतु एक समान रूप से लागू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; और

(ङ) इन उपायों से छात्रों को किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) भारत सरकार ने स्कूल छात्रों के शैक्षिक भार (अकादमिक बर्डन) को कम करने के लिए उपाय सुझाने हेतु वर्ष 1993 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति गठित की थी। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी टिप्पणी की थी कि किशोर बच्चों द्वारा स्कूल के प्रतिदिन पुस्तकों के भारी बैग ले जाने का कोई औचित्य नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्य ढांचे, 2005 में पाठ्यचर्या संबंधी भार को कम करने की आवश्यकता को दोहराया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने से सम्बद्ध स्कूलों को निम्नलिखित के संबंध में अनुदेश जारी किए है:-

(i) विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए विहित पाठ्य पुस्तकों की संख्या को सीमित करना।

(ii) सभी कक्षाओं के लिए अधिक पाठ्य पुस्तकें निर्धारित न करना और पाठ्य पुस्तकों की संख्या को सीमित करना।

(iii) उस समय कक्षा VIII तब अब कक्षा X तक सतत और विस्तृत मूल्यांकन (सीसीई) को लागू करके रूचिकर और दबाव सहित अध्ययन प्रक्रिया आरंभ करना।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अपने सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करने हेतु अनुदेश जारी किए हैं कि कक्षा I और II के लिए स्कूल बैग सहित पुस्तकें और कापियों का भार 2 किलोग्राम, कक्षा III से IV के लिए 3 किलोग्राम कक्षा V से VII के लिए 4 किलोग्राम और कक्षा VIII से XII के लिए 6 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्य बोर्डों से सम्बद्ध स्कूल संबंधित बोर्डों के पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का अनुपालन करेंगे।

राष्ट्रीय उड़ानों में दुर्घटना मुआवजा

1523. श्री पी. करूणाकरन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय उड़ानों में दुर्घटनाओं हेतु मुआवजे के मामलों का निपटान करने हेतु ठोस मानदंड विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह कार्य किसी बीमा कंपनी को सौंपा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) लंबित दावों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जी, हां। भारत में हवाई दुर्घटना की क्षतिपूर्ति का समाधान विमानवहन अधिनियम 1972 के तहत घरेलू और अंतराष्ट्रीय यात्रियों के लिए पृथक रूप से निर्धारित क्षतिपूर्ति सीमा के मुताबिक किया जाता है।

(ग) और (घ) एअर इंडिया भारतीय बीमा कंपनियों से विमानन बीमा पॉलिसी लेती है, जिसमें यात्री देनदारी कवर होती है और दावों का समाधान एअर इंडिया की ओर से बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है।

(ङ) और (च) 19.10.1988 को अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त ए-320 विमान के संबंध में 42 मामलों और 26.04.1993 को औरंगाबाद में दुर्घटनाग्रस्त ए-320 विमान के संबंध में 9 मामलों में मृत यात्रियों के उत्तराधिकारियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में केस लड़े जा रहे हैं। 22.05.2010 को मंगलौर में दुर्घटनाग्रस्त एअर इंडिया एक्सप्रैस की उड़ान से संबंधित 81 मामले समाधान हेतु लंबित है।

कोयला लिंकेज

1524. श्री शिवराम गौडा: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से तीन नए विद्युत संयंत्रों के लिए दीर्घावधि कोयला लिंकेज के आवंटन की मांग करते हुए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को दीर्घावधि लिंकेज प्रदान करने हेतु कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (घ) 31 अक्टूबर, 2011 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) से 4 आवेदन लंबित थे। विद्युत मंत्रालय ने जून, 2011 में अपनी सिफारिश के माध्यम से राज्य और केन्द्रीय परियोजनाओं की सूची अग्रेषित की है जिनके 12वीं योजनावधि के दौरान आरंभ होने की संभावना है और सूची में केपीसीएल की तीन परियोजनाओं की सिफारिश की है। क्रियाविधि के अनुसार, विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों को विद्युत संबंधी स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधि) के समक्ष उस समय प्रस्तुत किया जाएगा जब यह 12वीं योजना की परियोजनाओं पर विचार करेगी।

अवैध कोयला खनन

1525. श्री इन्दर सिंह नामधारी: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों को कोयला-खनन हेतु लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया बहुत लंबी है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस लंबी प्रक्रिया के कारण देश में कोयले का अवैध खनन बढ़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की कोई योजना इस प्रक्रिया को सरल बनाने की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार कोयला खनन के लिए राज्य सरकार को लाइसेंस प्रदान नहीं करती है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय राजदूत के पद

1526. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार विदेशों में कार्यरत भारतीय राजदूतों की श्रेणी-वार और देश-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) देश-वार राजदूतों के कितने पद रिक्त पड़े हैं और ये पद कब से रिक्त हैं;

(ग) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(घ) भारतीय विदेश सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबद्ध कितने राजदूत हैं; और

(ङ) उन राजदूतों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र से सेवा में शामिल किया है और जिनका संबंध किसी विशिष्ट सरकारी सेवा से नहीं है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) विदेशों में कुल 126 भारतीय मिशन हैं, जिनमें से 96 मिशनों के प्रमुख राजदूत हैं तथा 30 मिशनों के प्रमुख उच्चायुक्त हैं और देशवार एवं श्रेणीकर ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) निम्नलिखित केन्द्रों में हाल ही में मिशन प्रमुखों के पद उपलब्ध हुए हैं अथवा पद खाली पड़े हुए हैं:

(1) लिलोंग्वे, मलावी (नया मिशन)

(2) लंदन, यूनाइटेड किंगडम (जुलाई, 2011)

(3) किंसासा, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य (सितम्बर, 2011)

(4) त्रिपाली, लीबिया (सितम्बर, 2011)

(5) बर्लिन, जर्मनी (अक्तूबर, 2011); और

(6) ढाका, बांग्लादेश (अक्तूबर, 2011)

(ग) उपर्युक्त केन्द्रों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने की प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त, वे मिशन प्रमुखों, जो निम्नलिखित मिशनों के लिए पहले ही चयनित किये जा चुके हैं, के शीघ्र पदभार ग्रहण किये जाने की संभावना है। ये मिशन हैं: रेकेजाविक (आइसलैंड); कराकास (वेनेजुएला); वियेनशियाने (लावो पीडीआर); आकरा (घाना); डकार (सेनेगल); अबिदजान (आइवरी कोस्ट)। रिक्त की स्थिति में परिवर्तन समय-समय पर होता रहता है।

(घ) कार्यरत/नियुक्त मिशन प्रमुखों में से 113 सेवारत कैरियर राजनयिक हैं तथा दो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवारत अधिकारी हैं।

(ङ) निम्नलिखित पांच मिशन प्रमुख गैर-सेवारत अथवा नॉन-कैरियर अप्वाइंटी हैं:

(1) भारत के राजदूत, अंटनानारिवो (मैडागास्कर)-भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी;

(2) भारत के राजदूत, बिश्केक (किरगिजस्तान)-नॉन-कैरियर अप्वाइंटी;

(3) भारत केराजदूत, ल्यूबिजाना (स्लोवेनिया)-भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी;

(4) भारतीय उच्चायोग, वेलिंग्टन (न्यूजीलैंड)-नॉन-कैरियर अप्वाइंटी;

(5) भारत के राजदूत, वाशिंगटन (संयुक्त राज्य अमरीका)-भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी।

विवरण

(क) विदेश स्थित निम्नलिखित भारतीय मिशनों के प्रमुख राजदूत हैं। जहां लागू है अन्य संगत ब्यौरा भी दर्शाया गया है

क्र.सं.	केन्द्र	पदनाम
1	2	3
1.	अबीदजान (आइवरी कोस्ट)	राजदूत
2.	आबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात)	राजदूत
3.	अदीस अबाबा (इथोपिया)	राजदूत

1	2	3
4.	अल्जीयर्स (अलजीरिया)	राजदूत
5.	अमान (जोर्डन)	राजदूत
6.	अंकारा (टर्की)	राजदूत
7.	एंटानानारिवो (मैडागास्कर)	राजदूत
8.	अस्गाबाट (तुर्कमेनिस्तान)	राजदूत
9.	अस्ताना (कजाखस्तान)	राजदूत
10.	एथेंस (ग्रीस)	राजदूत
11.	बगदाद (इराक)	राजदूत
12.	बहरीन (बहरीन)	राजदूत
13.	बाकू (अजरबैजान)	राजदूत
14.	बमाको (माली)	राजदूत
15.	बैंकाक (थाईलैंड)	राजदूत
16.	बीजिंग (चीन)	राजदूत
17.	बेरूत (लेबनान)	राजदूत
18.	बेलग्रेड (सर्बिया)	राजदूत
19.	बर्लिन (जर्मनी)	राजदूत (रिक्त)
20.	बर्न (स्वीटजरलैंड)	राजदूत
21.	बिस्केक (किरगिजस्तान)	राजदूत (नॉन-कैरियर अप्वाइंटी)
22.	बोगोटा (कोलम्बिया)	राजदूत
23.	ब्रासिलिया (ब्राजील)	राजदूत
24.	ब्रातिसलावा (स्लोवाकिया)	राजदूत
25.	ब्रुसेल्स (बेल्जियम)	राजदूत
26.	बुखारेस्ट (रोमानिया)	राजदूत
27.	बुडापेस्ट (हंगरी)	राजदूत
28.	ब्यूनस आयरस (अर्जेंटीना)	राजदूत
29.	कैरो (इजिप्ट)	राजदूत

1	2	3
30.	काराकस (वेनेजुएला)	राजदूत
31.	कोपेनहेगन (डेनमार्क)	राजदूत
32.	डकार (सेनेगल)	राजदूत
33.	दामास्कस (सिरिया)	राजदूत
34.	दोहा (कतर)	राजदूत
35.	डबलिन (आयरलैंड)	राजदूत
36.	दुशाम्बे (ताजिकिस्तान)	राजदूत
37.	जिनेवा (पीएमआई)	राजदूत/संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि
38.	जिनेवा (पीएमआई)	राजदूत/सीओडी में स्थायी प्रतिनिधि
39.	जिनेवा (पीएमआई)	राजदूत/विश्व व्यापार संगठन में स्थायी प्रतिनिधि
40.	ग्वाटेमाला (ग्वाटेमाला)	राजदूत
41.	हनोई (वियतनाम)	राजदूत
42.	हरारे (जिम्बाब्वे)	राजदूत
43.	हवाना (क्यूबा)	राजदूत
44.	हेलसिंकी (फिनलैंड)	राजदूत
45.	जकार्ता (इंडोनेशिया)	राजदूत
46.	काबुल (अफगानिस्तान)	राजदूत
47.	काठमांडु (नेपाल)	राजदूत
48.	खारतूम (सुडान)	राजदूत
49.	किंशासा (कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य)	राजदूत (रिक्त)
50.	कुवैत (कुवैत)	राजदूत
51.	कीव (यूक्रेन)	राजदूत
52.	लीमा (पेरू)	राजदूत
53.	लिस्बन (पुर्तगाल)	राजदूत
54.	ल्युबिजाना (स्लोवेनिया)	राजदूत (सेवानिवृत्त आईएएस)
55.	लुआंडा (अंगोला)	राजदूत

1	2	3
56.	मैड्रिड (स्पेन)	राजदूत
57.	मनीला (फिलिपिंस)	राजदूत
58.	मैक्सिको डीएफ (मैक्सिको)	राजदूत
59.	मिन्सक (बेलारूस)	राजदूत
60.	मास्को (रूस)	राजदूत
61.	मस्कट (ओमान)	राजदूत
62.	न्यूयार्क (पीएमआई)	राजदूत/संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि
63.	नियामे (नाइजर)	राजदूत
64.	ओस्लो (नोर्वे)	राजदूत
65.	पनामा सिटि (पनामा)	राजदूत
66.	पारामरिबो (सूरीनाम)	राजदूत
67.	पेरिस (फ्रांस)	राजदूत
68.	पेरिस (पीडीआई)	राजदूत/यूनेस्को में स्थायी प्रतिनिधि
69.	नोम पेन (कंबोडिया)	राजदूत
70.	पराग्वे (चेक गणराज्य)	राजदूत
71.	प्योंगयांग (कोरिया लोकतांत्रिक लोक गणराज्य)	राजदूत
72.	रबात (मोरक्को)	राजदूत
73.	रेकिजाविक (आइसलैंड)	राजदूत
74.	रियाद (सउदी अरब)	राजदूत
75.	रोम (इटली)	राजदूत
76.	साना (यमन)	राजदूत
77.	सैंटियागो (चीली)	राजदूत
78.	सिओल (कोरिया गणराज्य)	राजदूत
79.	सोफिया (बुलगारिया)	राजदूत
80.	स्टॉकहोम (स्वीडन)	राजदूत
81.	ताशकंद (उजबेकिस्तान)	राजदूत

1	2	3
82.	तेहरान (ईरान)	राजदूत
83.	तेल अवीव (इजरायल)	राजदूत
84.	हेग (नीदरलैंड)	राजदूत
85.	थिंपु (भूटान)	राजदूत
86.	टोकियो (जापान)	राजदूत
87.	त्रिपोली (लीबिया)	राजदूत (रिक्त)
88.	ट्यूनिस (ट्यूनिशिया)	राजदूत
89.	उलानबत्तार (मंगोलिया)	राजदूत
90.	वियना (आस्ट्रिया)	राजदूत
91.	विनतियाने (लाओ पीडीआर)	राजदूत
92.	वारसा (पोलैंड)	राजदूत
93.	वाशिंगटन डीसी (संयुक्त राज्य अमरीका)	राजदूत (सेवानिवृत्त आईएफएस)
94.	यंगून (म्यांमा)	राजदूत
95.	येरेवन (अर्मेनिया)	राजदूत
96.	जागरेब (क्रोटिया)	राजदूत

(नोटः अभिलेख के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बोर्ड में भारत के प्रधान आवासीय प्रतिनिधि भी निजी तौर पर राजदूत के रैंक में हैं)

(ख) विदेश स्थित निम्नलिखित भारतीय मिशनों के प्रमुख उच्चायुक्त हैं। जहां लागू है अन्य संगत ब्यौरा भी दर्शाया गया है

क्र.सं.	केन्द्र	पदनाम
1	2	3
1.	अबूजा (नाइजीरिया)	उच्चायुक्त
2.	आकरा (घाना)	उच्चायुक्त
3.	बंदेर सेरी बेगावान (ब्रूनी दारूसालाम)	उच्चायुक्त
4.	कैनबरा (आस्ट्रेलिया)	उच्चायुक्त
5.	कोलम्बिया (श्रीलंका)	उच्चायुक्त
6.	दार-ए-सलाम (तंजानिया)	उच्चायुक्त

1	2	3
7.	ढाका (बांगलादेश)	उच्चायुक्त (रिक्त)
8.	गैबरोन (बोत्सवाना)	उच्चायुक्त
9.	जार्जटाऊन (गुयाना)	उच्चायुक्त
10.	इस्लामाबाद (पाकिस्तान)	उच्चायुक्त
11.	कंपाला (यूगांडा)	उच्चायुक्त
12.	किंग्सटन (जमैका)	उच्चायुक्त
13.	कुआलालंपुर(मलेशिया)	उच्चायुक्त
14.	लिलंग्वे (मलावी)	उच्चायुक्त (रिक्त)
15.	लंदन (यूनाईटेड किंगडम)	उच्चायुक्त (रिक्त)
16.	लुसाका (जांबिया)	उच्चायुक्त
17.	माले (मालदीव)	उच्चायुक्त
18.	मापूतो (मोजांबिक)	उच्चायुक्त
19.	नैरोबी (केन्या)	उच्चायुक्त
20.	निकोसिया (साइप्रस)	उच्चायुक्त
21.	ओटावा (कनाडा)	उच्चायुक्त
22.	पोर्ट लुईस (मोरिशश)	उच्चायुक्त
23.	पोर्ट मोरेसबे (पपुआ न्यू गिनिया)	उच्चायुक्त
24.	पोर्ट ऑफ स्पेन (त्रिनिडाड और टोबैगो)	उच्चायुक्त
25.	प्रिटोरिया (दक्षिण अफ्रीका)	उच्चायुक्त
26.	सिंगापुर (सिंगापुर)	उच्चायुक्त
27.	सुआ (फिजी)	उच्चायुक्त
28.	विक्टोरिया (सेशल्स)	उच्चायुक्त
29.	विंडहोक (नामिबिया)	उच्चायुक्त
30.	वेलिंग्टन (न्यूजीलैंड)	उच्चायुक्त (नॉन-कैरियर अप्वाइंटी)

शिकायतें और सुझाव

1527. श्री अंबिका बनर्जी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सभी विमानपत्तनों पर शिकायत अथवा सुझाव पेटियां लगायी हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तन सहित विभिन्न विमानपत्तनों से कुल कितनी शिकायतें अथवा सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ग) प्रबंधन के किस स्तर पर इन सुझावों और शिकायतों पर कार्यवाही की जाती है; और

(घ) शिकायतों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी, हां।

(ख) चालू वर्ष समेत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या इस प्रकार है—1569 (2008); 2503 (2009); 2220 (2010) और 2751 (2011)।

(ग)

(1) शिकायतों पर कार्रवाई संबंधित हवाईअड्डों पर लोक शिकायत निवारण अधिकारियों/हवाईअड्डा निदेशकों/ हवाईअड्डा प्रभारियों द्वारा की जाती है।

(2) निगमित मुख्यालय में लोक शिकायत निवारण अधिकारी (महाप्रबंधक स्तर) कार्रवाई की मॉनिटरिंग करता है।

(घ) निम्नलिखित कार्रवाईयां की जाती हैं:

(1) मामूली शिकायतों का निराकरण स्थल पर ही कर दिया जाता है।

(2) सेवा संबंधी अन्य शिकायतें आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित कार्रवाई अधिकारी को अग्रेषित कर दी जाती है।

(3) शिकायत पर की गई कार्रवाई की बाबत संबंधित कार्रवाई अधिकारी द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकारी (पीजीओ) को सूचित किया जाता है।

(4) लोक शिकायत निवारण अधिकारी (पीजीओ), संबंधित विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का मूल्यांकन करता है और यदि वह संतुष्ट होता है तो शिकायतकर्ता को उत्तर भेजने के बाद शिकायत का निपटान कर दिया जाता है।

(5) अवसंरचना से संबंधित शिकायतों/सुझावों का मूल्यांकन किया जाता है और समुचित सुधारों के लिए इन पर विचार किया जाता है।

(6) अन्य एजेंसियों जैसे एयरलाइनों, आप्रवास, सीमा-शुल्क आदि से संबंधित शिकायतें, आवश्यक कार्रवाई और शिकायतकर्ता को उत्तर के लिए, हवाईअड्डों पर संबंधित एजेंसियों के प्रमुखों को भेजी जाती है।

[अनुवाद]

विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा

1528. श्रीमती मेनका गांधी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर के विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा को लागू करने हेतु कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) विद्यालयों द्वारा अग्नि सुरक्षा उपायों का अनुपालन किए जाने के संबंध में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा समय-समय पर परिपत्र जारी किए जाते है। विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा दिशा-निर्देशों का अनुपालन स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा सुनिश्चित करना होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

क्लाउड कम्प्यूटिंग

1529. श्री वैजयंत पांडा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी प्रचलन में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(ग) कौन-कौन से क्षेत्रों में इस प्रोद्योगिकी का सर्वाधिक उपयोग है और अभी तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, हां। क्लाउड कम्प्यूटिंग आभासी वास्तविकता आदि जैसी प्रौद्योगिकी द्वारा अवसंरचना के वैकल्पिक इस्तेमाल का लाभ प्रदान करती हे और यह सेवाओं की प्रदायगी-सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर, सेवा के रूप प्लेटफार्म और सेवा के रूप में अवसरंचना के लिए मार्ग प्रशस्त करती है।

(ख) क्लाउड कम्प्यूटिंग के अंतर्गत इस्तेमाल की जा सकने वाली प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) अवसंरचना का इष्टतम सदुपयोग।

(ii) प्रत्यास्थता और परिमापनीयता।

(iii) स्व-व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रयोक्ताओं को सेवाओं की ऑनलाइन व्यवस्था।

(iv) विभिन्न प्रयोक्ताओं के लिए संसाधनों और सेवाओं के प्रयोग का पता लगाना।

(ग) प्रौद्योगिकी अत्यधिक उपयोगी है:

- जहां अवसंरचना का इष्टतम सदुपयोग किया जाना है।
- डिजाइन और रोल आउट सेवाओं में महत्वपूर्ण गति लाने।
- कम्प्यूटर, भण्डारण, प्लेटफार्म और अनुप्रयोगों की मांग आधार पर व्यवस्था।

तैयार की जा रही प्रस्तावित मसौदा सूचना प्रौद्योगिकी नीति में भी यह उल्लेख किया गया है कि क्लाउड कम्प्यूटिंग जैसी उभरकर सामने आ रही प्रौद्योगिकी मूल्य सृजन और घरेलू आधार पर परिवर्तन लाने में सहायक होगी।

छोटे लेपटॉप कंप्यूटरों का वितरण

1530. **श्री प्रेमचन्द गुड्डू :**
श्री मानिक टैगोर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार दिल्ली में विद्यार्थियों को छोटे लेपटॉप कंप्यूटर वितरित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्यार्थियों द्वारा उक्त कंप्यूटरों को प्राप्त करने के क्या मानदंड हैं और सरकार ने इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना का विस्तार देश भर में करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनएमईआईसीटी) का उद्देश्य इंटरनेट पर कभी भी, कहीं भी की पद्धति पर आधारित उच्च गुणवत्ता, व्यक्तिगत और पारस्परिक ज्ञान मोडयूल उपलब्ध कराने में आईसीटी की क्षमता को बढ़ाना है। ऐसा करने के लिए, एक कम्प्यूटिंग उपकरण अत्यावश्यक था, जो मूल्य में कम हो और विशेषताओं में समृद्ध हो। एनएमईआईसीटी के तहत XIवीं योजना में अपनी आवश्यकता अनुसार 'आकाश' जैसे कम्प्यूटिंग उपकरणों को खरीदने के लिए सम्पूर्ण भारत के कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों को 50 प्रतिशत सहायिकी प्रदान करने के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये कॉलेज तथा विश्वविद्यालय तब, इन उपकरणों को पुस्तक बैंक योजना की तरह पुस्तकालय से विद्यार्थियों को जारी कर सकते है।

मोनाजाइट का खनन

1531. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश:**
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य देशों को निर्यात किये जा रहे मोनाजाइट की मात्रा क्या है

(ख) क्या हमारे कुछ समुद्र तटों की बालू में मोनाजाइट और थोरियम है जहां से बालू का निर्यात विदेशों में किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन कंपनियों को मोनाजाइट से थोरियम को अलग करने की तकनीकी जानकारी नहीं है जिन्हें समुद्र तटों की बालू के खनन का ठेका दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या समुद्र तटों की बालू का खनन करने वाली कंपनियों ने खारिज पृथक्करण संयंत्रों की स्थापना के संबंध में परमाणु ऊर्जा विनियात्मक बोर्ड (एईआरबी) के मानदंडों का उल्लंघन किया है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) केवल इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, के द्वारा ही मोनाजाइट का निर्यात किया जाता है। इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों में निर्यात की गई मोनाजाइट की मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन)
2010-11	5
2009-10	2
2008-09	5

(ख) पुलिन बालू में इल्मेनाइट, रूटाइल, ल्यूकॉक्सीन, गार्नेट, सिलीमेनाइट, जरकॉन और मोनाजाइट (जोके विकिरणसक्रिय और थोरियम का एक स्त्रोत है)जैसे भारी खनिज मौजूदा हैं। इल्मेनाइट रूटाइल, ल्यूकॉक्सीन, गार्नेट, सिलीमेनाइट, और जरकॉन को पुलिन बालू से अलग किया जाता है और अलग किए इन भारी खनीजों को, जो मोनाजाइट रहित होते हैं। निर्यात किया जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग के तारीख 20 जनवरी, 2006 के संदर्भ सा. का. नि. 61 (ई) के तहत जारी की गई अद्यतन अधिसूचना के अनुसार, इन भारी खनिजों को विहित पदार्थों को सूची में से निकाल दिया गया है और इसलिए परमाणु ऊर्जा (खानों का कार्यकरण, खनिज और विहित पदार्थ का हस्तन) यिम, 1984 के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा विभाग से इन खनिजों का हस्तन करने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है। तथापि, परमाणु ऊर्जा अधिनियम के अंतर्गत मोनाज़ाइट और थोरियम, जोकि विहित पदार्थ हैं, का हस्तन/निर्यात करने के लिए अभी भी लाइसेंस लेना आवश्यक है। इस विभाग ने पुलिन बालू जैसे खनिजों का निर्यात करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया है।

(ग) उपयुर्क्त (ख) में दिया गया उत्तर।

(घ) विहित पदार्थों की सूची में से इस्मेनाइट, रूटाइल और जरकॉन को निकाल देने के परिणामस्वरूप, इन पदार्थों के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग से कोई लाइसेंस लेने अथवा अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। तथापि, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पुलिन बालू के संसाधनकर्ता व्यक्ति को ऐसे बालू की मोनाजाइट की मात्रा को अलग करना तथा उस सुरक्षित रूप से रखना पड़ता है। परमाणु ऊर्जा विभाग से लाइसेंस लिए बिना किसी भी व्यक्ति अथवा सत्ता (एन्टिटी) को किसी भी ढंग से मोनाजाइट का संसाधित करने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके अतिरिक्त, किसी निजी पक्षकार (प्राइवेट पार्टी) को मोनाजाइट को संसाधित करने और थोरियम को अलग करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के अनुसार।

(च) जी, नहीं।

(छ) लागू नहीं।

[हिन्दी]

महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय का दर्जा

1532. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय का क्या दर्जा है;

(ख) क्या इस विश्वविद्यालय को जिस उद्देश्य हेतु स्थापित किया गया था, उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996 के तहत स्थापित एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय उपर्युक्त अधिनियम तथा उसके तहत बनाई गई सांविधियों तथा अध्यादेशों द्वारा अभिशासित है।

(ख) और (ग) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा से प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय विभिन्न शिक्षण तथा अनुसंधान कार्यकलापों तथा साथ ही साथ प्रकाशनों, श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री के निर्माण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार तथा एक विदेशी भाषा के रूप में हिन्दी के शिक्षण हेतु आवश्यक पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम सामग्री तथा टूलों के विकास हेतु विदेशी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को सहायता देने जैसे कार्यकलापों के माध्यम से अपने उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास करता है। सांविधिक निकायों के नियंत्रण,

पर्यवेक्षण तथा दिशानिर्देशों के तहत विश्वविद्यालय के उद्देश्यों का अनुसरण एक सतत प्रक्रिया है।

(घ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निधियों का दुरूपयोग

1533. **श्री भक्त चरण दास:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सामान्यत: देश में और मुख्यत: ओडिशा में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के अंतर्गत आबांटित निधियों के दुरूपयोग की कोई शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आवंटित निधियों के दुरूपयोग को रोकने हेतु अपनी नीति की समीक्षा करने अथवा कठोर दिशानिर्दश जारी करने वाली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) देश में फ्लैगशिप कार्यक्रमों में निधियों के दुरूपयोग के संबंध में कुछ शिकायतें हुई हैं। मंत्रालयों में प्राप्त हुई शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई और सुधारात्मक उपायों के लिए तत्काल संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों के ध्यान में लाया जाता है। मंत्रालयों/विभागों ने निधियों के दुरूपयोग को कम करने के लिए व्यवस्था स्थापित की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्कीमों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना 'सामाजिक लेखापरीक्षा' उचित सतकर्ता और मानीटरन तंत्रों की स्थापना करना लेखापरीक्षकों के व्यावसायिक निकाय द्वारा समवर्ती वित्तीय समीक्षा और विशिष्ट मामलों में राष्ट्रीय स्तर के प्रबोधकों द्वारा फील्ड स्तर पर मानीटरन शामिल है। निधियों के राज्य-वार वितरण के साथ-साथ प्रत्येक राज्य द्वारा उनके उपयोग की निगरानी इन स्कीमों को कार्यान्वित करने वाले केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है। केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग नीतिगत दिशानिर्देशों में इन काय्रक्रमों के लेखाकरण, निधियों के प्रवाह की व्यवस्था, वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक नियंत्रणों, वाह्य लेखापरीक्षा और क्रय प्रक्रिया आदि के लिए तौर तरीकों की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं।

[हिन्दी]

हरियाणा से प्राप्त प्रस्ताव

1534. **श्री अवतार सिंह भडाना:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को हरियाणा सरकार से प्राप्त उन परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिनका कार्य प्रगति पर है;

(ख) उक्त राज्य सरकार से प्राप्त उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो लंबित हैं; और

(ग) ये प्रस्ताव किस तिथि से लंबित हैं और ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव के लंबित होने के क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) भारत सरकार को हरियाणा सरकार के हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा आधारभूत विकास निगम लि., राज्य सरकार का उपक्रम द्वारा भैनी भैरों गांव, मेहम अनुमंडल, जिला रोहतक, हरियाणा में मई, 2010 में एक ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय कार्गो हवाईअड्डा स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। कानूनी स्पष्टीकरण तथा अनुबंध संबंधी मामलों के कारण प्रस्ताव लंबित है।

[अनुवाद]

भ्रष्ट वरिष्ठ सिविल अधिकारी

1535. **श्री ओम प्रकाश यादव:**
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने भ्रष्ट वरिष्ठ सिविल अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की है;

(ख) सिविल अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों का ब्यौरा क्या है सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार का विचार भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिए विधायी ढांचे को सुदृढ़ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री.वी. नारायणसामी):

(क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों अर्थात, 2006, 2007 2008, 2009, 2010 और 2011 (31.10.2011 तक) के दौरान इसने संयुक्त सचिव और ऊपर के रैंक के 149 अधिकारियों के विरूद्ध 135 मामले दर्ज किए हैं। कुछ आरोपी अधिकारी एक से अधिक मामले में शामिल हैं।

(ख) इन अधिकारियों के विरूद्ध आरोप मुख्यत: या तो आपराधिक कदाचार अथवा आय से अधिक संपत्ति अथवा आपराधिक षड्यंत्र अथवा ट्रैप मामले इत्यादि से संबंधित हैं। इन मामलों में की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भ्रष्टाचार के विरूद्ध विधायी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन;
2. लोकहित प्रकटन और प्रकटनकर्ता व्यक्तियों को सुरक्षा विधेयक, 2010 संसद में पेश करना;
3. लोकपाल विधेयक, 2011 लोक सभा में पेश करना;
4. विदेशी लोक पदाधिकारियों और लोक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पदाधिकारियों की घूसखोरी रोकथाम विधेयक, 2011 लोक सभा में पेश करना; और
5. न्यायिक मानदंड और जवाबदेही विधेयक, 2010 संसद में पेश करना;
6. संसद में नागरिक शिकायत निवारण का अधिकार विधेयक पेश करना का प्रस्ताव।

विवरण

मामलों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा

क्र.सं.	वर्ष	मामलों की संख्या	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	2006	45	बंद - 03 मामले संस्वीकृत अस्वीकृत - 1 मामला लंबित सुनवाई - 41 मामले
2.	2007	09	बंद -02 मामले अन्वेषण के अधीन - 1 मामला लंबित सुनवाई - 06 मामले
3.	2008	15	बंद - 01 मामला आरडीए अनुशंसित - 02 मामले अन्वेषण के अधीन - 3 मामले लंबित सुनवाई - 09 मामले
4.	2009	27	आरडीए अनुशंसित - 4 मामले लंबित सुनवाई - 13 मामले बंद - 4 मामले अन्वेषण के अधीन - 5 मामले यथा उपयुक्त कार्रवाई हेतु विभाग को भेजा गया - 1 मामला
5.	2010	20	आरडीए अनुशंसित - 3 मामले अन्वेषण के अधीन - 12 मामले बंद - 1 मामला लंबित सुनवाई - 4 मामले

1	2	3	4
6.	2011 (31.10.2011 तक)	19	आरडीए अनुशंसित-1 मामला अन्वेषण के अधीन - 15 मामले जांच के अधीन - 3 मामले
	कुल	135	—

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए निधियां

1536. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री संजय धोत्रे:
श्री मंगनी लाल मंडल:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को स्वीकृत निधियों के दुरुपयोग के संबंध में अनेक विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों की राज्य-बार संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है; और

(च) निधियों के दुरुपयोग हेतु इन गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) माध्यमिक स्तर पर विकलांगों को समावेशी शिक्षा योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश, ओडीशा, कर्नाटक और तमिलनाडु में योजना का कार्यान्वयन कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध 10 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन्हें जांच और रिपोर्ट हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया था। तमिलनाडु से प्राप्त शिकायत की जांच करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गठित अधिकारियों की समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

(ग) और (घ) संस्कृत शिक्षा के विकास हेतु प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता स्कीम के अंतर्गत 55 गैर-सरकारी संगठनों ने पिछले तीन वर्षों के अपने लेखे तथा संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की स्कीम के अंतर्गत ऐसे दस मामलों की जानकारी मिली है। जब कभी भी प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में भूल-चूक की कोई घटना सरकार के ध्यान में आती है, तब आगे वित्तीय सहायता/अनुदान को रोकने या दोषी गैर-सरकारी संगठन के लिए जन शिक्षण संस्थान का आबंटन रद्द करने सहित, प्रासंगिक स्कीम के अंतर्गत, उपर्युक्त कार्रवाई की जाती है।

इन गैर-सरकारी संगठनों का राज्य-वार तथा स्कीम-वार विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्कृत शिक्षा के विकास हेतु वित्तीय सहायता स्कीम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता स्कीम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	03	01
2.	बिहार	—	01
3.	हरियाणा	04	—
4.	हिमाचल प्रदेश	01	—
5.	कर्नाटक	01	01

1	2	3	4
6.	केरल	03	01
7.	मध्य प्रदेश	03	01
8.	महाराष्ट्र	01	01
9.	मिजोरम	—	—
10.	पंजाब	02	—
11.	राजस्थान	02	01
12.	तमिलनाडु	07	01
13.	उत्तर प्रदेश	—	01
14.	पश्चिम बंगाल	28	—
	कुल	55	10

(ङ) और (च) जिन मामलों में शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन सभी मामलों में निधियां प्रदान करने पर रोक लगा दी गई है। सरकार केवल सक्षम और पात्र गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। किसी भी प्रकार के दुराचार में लिप्त पाए गए गैर-सरकारी संगठनों को समाप्त करना सुनश्चित किए जाने के दृष्टिगत, सरकार ने उन संबंधित स्कीमों में उचित अवरोध एवं संतुलन विकसित किये हैं जिनके अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे दोषी गैर-सरकारी संगठन वित्तीय सहायता/अनुदान प्राप्त न कर सके।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु योजनाएं

1537. राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) उक्त योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान इन योजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी निधियां आबंटित की गयी हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्रों का विकास किया गया है;

(घ) क्या पिछड़े क्षेत्रों के विकास वाली योजनाओं से लक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय कर रही है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) किसी क्षेत्र के लिए आयोजना और विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य की होती है। केन्द्र सरकार अपनी तरफ से विभिन्न विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों, फ्लैगशिप कार्यक्रमों और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। देश में विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए विशिष्ट स्कीम पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) है जिसे 250 पहचान किये गये पिछड़े जिलों में विकास में महत्वपूर्ण अंतराल को भरने के लिए वर्ष 2006-07 में शुरू किया गया था।

(ख) और (ग) वर्तमान समय में बीआरजीएफ के दो घटक हैं अर्थात् (1) जिला घटक जिसमें 27 राज्यों में 250 जिलों को कवर किया गया है और (2) राज्य घटक जिसमें बिहार ओडीशा के केबीके जिलों के लिए विशेषयोजना, बुंदेलखण्ड पैकेज और 60 चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना सम्मिलित है। इन प्रत्येक कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण जिसमें प्रमुख विशेषताएं, पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष में किये गये आवंटनों और कवर किए गए जिलों की सूची को इंगित किया गया है, उन्हें विवरण I से V पर दिया गया है।

(घ) और (ङ) पिछड़े क्षेत्रों के लिए कार्यक्रमों की केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर लगातार समीक्षा की जाती है। प्राप्त सुझावों का उपयोग निहित प्रक्रिया में सुधार हेतु किया जाता है जिससे कि इन कार्यक्रमों में प्रभावी सुधार हो सके। विश्व बैंक द्वारा पंचायती राज मंत्रालय के अनुरोध पर बीआरजीएफ की समीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ यह इंगित किया गया है कि बीआरजीएफ निवेश सार्थक हैं और स्थानीय सरकारें तीव्र गति और गुणवत्ता के साथ इन स्कीमों को कार्यान्वित करती है। अध्ययन में उन्नत योजना, अधिक अभिसरण और जिला योजना समितियों के लिए मजबूत तकनीकी सचिवालय की आवश्यकता की बात कही गयी है। केबीके विशेष योजना का कार्यान्वयन की योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार के साथ गहन समीक्षा की जा रही है जिससे कि स्कीम के उद्‌देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

ओडीशा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजना के तीव्र मूल्यांकन अध्ययन को जुलाई, 2009 में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग के माध्यम से आयोजित किया गया। अन्य बातों के साथ-साथ

यह दर्शाया गया कि विशेष योजना के माध्यम से किये गये प्रयास क्षेत्र के लोगों के जीवन में गुणवत्ता, नामांकन दरों में वृद्धि, स्कूल छोड़ने वालों की दरों में कमी तथा उन स्थानों में आय में वृद्धि जहां आजीविका और जल संभरण हस्तक्षेप किये गये हैं, के सुधार के लिए अत्यधिक उत्तरदायी है।

विवरण-I

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) का जिला घटक

बीआरजीएफ को विकास में क्षेत्रीय असंतुलनों का समाधान करने के लिए तैयार किया गया है। इस निधि में मौजूदा विकासात्मक प्रवाह के अभिसरण को पहचान किये गये जिलों में पूर्ति करने हेतु वित्तीय संसाधनों का प्रावधान है जिससे कि स्थानीय अवसंरचना और अन्य विकास आवश्यकताओं के बीच महत्वपूर्ण अंतरालों को पाटा जा सके, जो मौजूदा प्रवाह से पर्याप्त रूप से पूरे किये जा सकते हैं। इस कार्यक्रम में दो फंडिंग विंडो हैं जैसे (क) प्रति वर्ष 250 करोड़ रुपये योग्यता निर्माण निधि और (ख) ठोस मुक्त अनुदान। कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में इंगित निधि वितरण के मापदण्डों के अनुसार मुक्त अनुदान को संबंधित जिलों में वितरित किया जाना है। इस घटक के तहत कवर किये गये 250 जिलों के सूची संलग्न की गई है। वर्ष 2008-09 से वर्ष 2010-11 तक इस घटक के तहत किये गये आवंटन को दर्शाने वाला विवरण भी संलग्न किया गया है।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के जिला घटक के तहत कवर किए गए 250 जिलों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. अदीलाबाद
2. अनंतपुर
3. चित्तूर
4. कुडप्पा
5. करीमनगर
6. खम्माम
7. महबूब नगर
8. मेडक
9. नलगोंडा
10. निजामाबाद
11. रंगारेड्डी
12. विजयानगरम
13. वारंगल

अरुणाचल प्रदेश

1. उपर सुबांसरी

असम

1. बारपेटा
2. बोंगाईगांव
3. कचर
4. धेमाजी
5. गोलपाड़ा
6. हेलाकांडी
7. करबी अंगलोंग
8. कोकराझार
9. लखीपमुर
10. मणिगांव
11. उत्तर कचर हिल्स

बिहार

1. अररिया
2. औरंगाबाद
3. बांका
4. बेगुसराय
5. भागलपुर
6. भोजपुर
7. बक्सर
8. दरभंगा
9. गया
10. गोपालगंज

11. जमूई
12. जहानाबाद
13. कैमूर (भबुआ)
14. कटिहार
15. खगड़िया
16. किशनगंज
17. लखीसराय
18. मधेपुरा
19. मधुबनी
20. मुंगेर
21. मुजफ्फरपुर
22. नालंदा
23. नवादा
24. पश्चिम चम्पारण
25. पटना
26. पूर्वी चम्पारण
27. पुर्णिया
28. रोहतास
29. सहरसा
30. समस्तीपुर
31. सारण
32. शेखपुरा
33. शिवहर
34. सीतामढ़ी
35. सुपौल
36. वैशाली

छत्तीसगढ़

1. बस्तर
2. बिलासपुर
3. दांतेवाड़ा
4. धमतरी
5. जसपुर
6. कबीरधाम
7. कांकेर
8. कोरबा
9. कोरिया
10. महासमुंद
11. रायगढ़
12. राजनंद गांव
13. सरगुजा

गुजरात

1. बानसकांठा
2. दाहोद
3. डांग
4. नर्मदा
5. पंचमहल
6. साबरकंठा

हरियाणा

1. महेन्द्रगढ़
2. सिरसा

हिमाचल प्रदेश

1. चंबा
2. सिरमौर

जम्मू एवं कश्मीर

1. डोडा
2. कुपवाड़ा
3. पूंछ

झारखंड

1. बोकारो
2. चतरा
3. देवघर
4. धनबाद
5. दुमका
6. गढ़वा
7. गिरीडीह
8. गोड्डा
9. गुमला
10. हजारीबाग
11. जामतारा
12. कोडरमा
13. लातेहर
14. लोहारदगा
15. पाकुर
16. पलामू
17. रांची
18. साहेबगंज
19. सरायकेला खरसावां
20. सिमडेगा
21. पश्चिम सिंहभूम

कर्नाटक

1. बिदार
2. चित्रादुर्गा
3. दावनगीर
4. गुलबर्गा
5. रायचुर

केरल

1. पलक्कड़
2. वायनाड

मध्य प्रदेश

1. बालाघाट
2. बरवानी
3. बेतुल
4. छत्तरपुर
5. दामोह
6. धार
7. दिनदौरी
8. गुना
9. झबुआ
10. कटनी
11. खंडवा
12. खरगोन
13. मांडला
14. पन्ना
15. राजगढ़
16. रीवा
17. सतना
18. सिवनी
19. शहडोल
20. शिवपुर
21. शिवपुरी
22. सिद्धी
23. टिकमगढ़
24. उमरिया

महाराष्ट्र

1. अहमदनगर
2. अमरावती
3. औरंगाबाद
4. भंडारा
5. चन्द्रपुर
6. धुले
7. गढ़चिरौली
8. गौंडिया
9. हिंगौली
10. नांदेड़
11. नंदुरबार
12. यावतमाल

मणिपुर

1. चंदेल
2. चुराचंदपुर
3. तमेंगलोंग

मेघालय

1. रिभोई
2. दक्षिणी गारो हिल्स
3. पश्चिमी गारो हिल्स

मिजोरम

1. लवांगतलाई
2. सैहा

नागालैंड

1. मोन
2. त्वानसैंग
3. ओखा

ओडीशा

1. बालांगीर
2. बौध
3. देवगढ़
4. धेंकानाल
5. गाजापट्टी
6. गंजम
7. झारसुगुडा
8. कालाहांडी
9. कंधमाल
10. क्योंझर
11. कोरापुट
12. मलकांगिरी
13. मयूरभंज
14. नवरंगपुर
15. नौपाड़ा
16. रायगडा
17. संबलपुर
18. सोनपुर
19. सुंदरगढ़

पंजाब

1. होशियारपुर

राजस्थान

1. बांसवाड़ा
2. बाड़मेर
3. चित्तौड़गढ़
4. डुंगरपुर
5. जैसलमेर

6. जालोर
7. झालावाड
8. करौली
9. सवाईमाधोपुर
10. सिरोही
11. टोंक
12. उदयपुर

सिक्किम

1. उत्तर जिला

तमिलनाडु

1. कुड्डालोर
2. डिंडीगुल
3. नागापट्टिनम
4. शिवगंगा
5. थिरूवन्नामलाई
6. विल्लुपुरम

त्रिपुरा

1. धलाई

उत्तर प्रदेश

1. अंबेडकर नगर
2. आजमगढ़
3. बहराइच
4. बलरामपुर
5. बांदा
6. बाराबंकी
7. बस्ती
8. बदाऊं
9. चंदौली
10. चित्रकूट
11. एटा
12. फरुखाबाद
13. फतेहपुर
14. गोन्डा
15. गोरखपुर
16. हमीरपुर
17. हरदोई
18. जलौन
19. जौनपुर
20. कौशंबी
21. खीरी
22. कुशी नगर
23. ललितपुर
24. महाराजगंज
25. महोबा
26. मिर्जापुर
27. प्रतापगढ़
28. रायबरेली
29. संत कबीर नगर
30. श्रावस्ती
31. सिद्धार्थ नगर
32. सीतापुर
33. सोनभद्र
34. उन्नाव

उत्तराखंड

1. चमोली
2. चंपावट
3. टिहरी गढ़वाल

पश्चिम बंगाल

1. 24 परगना दक्षिण
2. बांकुड़ा
3. बीरभूम
4. दिनाजपुर दक्षिण
5. दिनाजपुर उत्तर
6. जलपाईगुड़ी
7. मालदा
8. मेदिनापुर पूर्व
9. मेदिनापुर पश्चिम
10. मुर्शिदाबाद
11. पुरुलिया

बीआरजीफ के जिला घटक के तहत किये गये आबंटन

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09 आवंटन	2009-10 आवंटन	2010-11 आवंटन	2011-12 आवंटन
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	348.28	348.28	348.28	389.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.47	15.47	15.47	16.38
3.	असम	168.19	168.19	168.19	177.74
4.	बिहार	638.99	738.99	638.99	688.07
5.	छत्तीसगढ़	248.48	248.48	248.48	269.81
6.	गुजरात	107.31	107.31	107.31	115.64
7.	हरियाणा	30.44	30.44	30.44	32.15
8.	हिमाचल प्रदेश	30.50	30.50	30.50	32.22
9.	जम्मू और कश्मीर	48.85	48.85	48.85	52.06
10.	झारखण्ड	343.56	343.56	343.56	366.30
11.	कर्नाटक	108.17	108.17	108.17	118.92
12.	केरल	34.33	34.33	34.33	36.83
13.	मध्य प्रदेश	452.40	452.40	452.40	490.47
14.	महाराष्ट्र	265.57	265.57	265.57	292.57
15.	मणिपुर	42.09	42.09	42.09	43.93
16.	मेघालय	40.01	40.01	40.01	41.43

1	2	3	4	5	6
17.	मिजोरम	24.98	24.98	24.98	25.58
18.	नागालैण्ड	40.05	40.05	40.05	41.48
19.	ओडीशा	324.67	324.67	324.67	339.95
20.	पंजाब	16.65	16.65	16.65	17.80
21.	राजस्थान	262.99	262.99	262.99	289.45
22.	सिक्किम	13.97	13.97	13.97	14.58
23.	तमिलनाडु	114.04	114.04	114.04	123.75
24.	त्रिपुरा	13.21	13.21	13.21	13.66
25.	उत्तर प्रदेश	636.09	636.09	636.09	689.08
26.	उत्तराखण्ड	44.85	44.85	44.85	47.23
27.	पश्चिम बंगाल	255.90	255.90	255.90	283.15
	बैठक के विगत वर्ष के बकायों हेतु अतिरिक्त आवंटन			380.00	
	कुल	4670.04	4670.04	5050.04	5050.00

विवरण II

बिहार के लिए विशेष योजना

वर्ष 2000 में बिहार राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया कि बिहार के लिए विशेष योजना का वित्त पोषण किया जाए जिससे कि राज्य में विद्युत, सड़क सम्पर्कता, सिंचाई, वन विभाग और जनसम्पर्क विकास जैसे क्षेत्रकों में सुधार लाने में सहायता मिल सके। तदनुसार बिहार के लिए विशेष योजना को वर्ष 2003-04 में अनुमोदित किया गया। उस समय राष्ट्रीय समविकास योजना के तहत वर्ष 2003-04 में स्कीम के अनुमोदन के पश्चात् 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष योजना के लिए प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ रुपये का आवंटन अुमोदित किया गया। इसी आवंटन को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखना अनुमोदित किया गया। इस आवंटन को वर्ष 2010-11 के लिए बढ़ाकर दो हजार करोड़ रुपये और 2011-12 के लिए 1468 करोड़ रुपये कर दिया गया है। निधियों को विभिन्न परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत आधार पर किया जा रहा है।

विशेष योजना के तहत निधियन हेतु अनुमोदित की गई सभी परियोजनाओं की ताजा अनुमानित लागत 8753.01 करोड़ रुपये है जिसमें से 7285.85 करोड़ रुपये 2010-11 के अंत तक जारी कर दी गई है।

वर्ष 2008-09 से वर्ष 2010-11 तक बिहार के लिए विशेष योजना के तहत किये गये वर्षवार आवंटन निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आवंटन
2008-09	1000.00
2009-10	1000.00
2010-11	2000.00
2011-12	1468.00

विवरण-III

उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजना

अविभाजित कालाहांडी-बोलांगीर-कोरापुट (केबीके) जिले जिन्हें अब आठ जिलों अर्थात् कालाहांडी, मलकानगिरी, नवरंगपुर, रायगड़ा, बोलांगीर, सोनपुर, नौपाडा तथा कोरापुर में पुनर्गठित किया गया है, उन पर 1980 के दशक से ध्यान केन्द्रण किया गया है। सात वर्षों की अवधि हेतु एक दीर्घकालिक कार्ययोजना की शुरुआत 1995-96 में की गई। इस योजना को 1998-99 में संशोधित किया गया और इसके स्थान पर नौ वर्षों की अवधि के लिए संशोधित दीर्घकालिक कार्य-योजना (आरएलटीएपी) की शुरुआत की गई।

योजना आयोग की सलाह पर राज्य सरकार ने केबीके जिलों के लिए 2002-03 से विशेष योजना तैयार करना शुरू कर दिया। दो सौ करोड़ का आवंटन विशेष योजना के लिए वर्ष 2002-03 में किया गया जिसे बाद में बढ़ाकर वर्ष 2003-04 में स्कीम के अनुमोदन के पश्चात् 250 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस प्रकार वर्ष 2003-04 से वर्ष 2006-07 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय समविकास योजना (आरएसवीवाई) के तहत सौ प्रतिशत अनुदान आधार पर विशेष योजना हेतु 250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।

आरएसवीवाई को 2006-07 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के द्वारा विस्थापित किया गया। वर्तमान समय में आठ केबीके जिलों के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के जिला घटक के तहत 120 करोड़ रुपये का वार्षिक आवंटन किया जा रहा है और 130 करोड़ रुपये का शेष आवंटन वर्ष 2007-08 से केबीके जिलों हेतु विशेष योजना के माध्यम से किया जा रहा है।

वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक विशेष योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) का आवंटन निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आवंटित की गई एसीए/एससीए
2008-09	130.00
2009-10	130.00
2010-11	130.00
2011-12	130.00

विवरण IV

बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज

नवम्बर 2009 में सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए 3506 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश के लिए 3760 करोड़ रुपये सहित 7266 करोड़ रुपये के विशेष बुंदेलखंड सूखा शमन पैकेज का अनुमोदन किया जिसे वर्ष 2009-10 से शुरू करके तीन वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सात जिले (बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर और महोबा) तथा मध्य प्रदेश के छह जिले (छत्रपुर, दामोह, दातिया, पन्ना, सागर और टीकमगढ़) शामिल हैं। पैकेज के लागत के एक भाग को चालू केन्द्रीय कार्यक्रमों और स्कीमों से अभिसरित संसाधनों से पूरा किया जाएगा। प्रत्येक राज्य के लिए एसीए का हिस्सा उत्तर प्रदेश हेतु 1596 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश के लिए 1854 करोड़ रुपये है।

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (आज तक) के दौरान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जारी एसीए निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश
2009-10	332.28	361.52
2010-11	478.69	638.93
2011-12 (आज तक)	50.00	60.00

विवरण V

एकीकृत कार्य-योजना (आईएपी)

बीआरजीएफ कार्यक्रम के तहत चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य-योजना नवम्बर 2010 में अनुमोदित की गई है और इसमें 60 जिले कवर किये गए हैं (सूची संलग्न)।

आईएपी को क्रमश: वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान प्रति जिले हेतु 25 करोड़ रु. और 30 करोड़ रुपये के ब्लॉक अनुदान के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक और जिला वन अधिकारी भी शामिल होंगे। जिला स्तरीय समिति में इसके द्वारा आंकलित आवश्यकता के अनुसार विकास स्कीमों हेतु धनराशि खर्च की ढील होगी।

समिति एक योजना बनाएगी जिसमें सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाओं जैसे स्कूल भवन, आंगनवाड़ी केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पेय-जल आपूर्ति, ग्रामीण सड़कें, सार्वजनिक स्थानों जैसे पीएचसी और स्कूलों इत्यादि में विद्युत लाइटों हेतु ठोस प्रस्ताव शामिल हैं। इस तरह से चुनी गई स्कीमों के कम अवधि में परिणाम दिखाई देंगे।

वर्ष 2010-11 और वर्ष 2011-12 के दौरान राज्यों को किये गये आवंटन निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

राज्य का नाम	2010-11	2011-12
आंध्र प्रदेश	50.00	60.00
बिहार	175.00	210.00
छत्तीसगढ़	250.00	300.00
झारखण्ड	350.00	420.00
मध्य प्रदेश	200.00	240.00
महाराष्ट्र	50.00	60.00
ओडीशा	375.00	450.00
उत्तर प्रदेश	25.00	30.00
पश्चिम बंगाल	25.00	30.00

पहचान किए गए जनजातीय और पिछड़े जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिला का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	अदिलाबाद
2.	आंध्र प्रदेश	खमाम
3.	बिहार	अरवल
4.	बिहार	औरंगाबाद
5.	बिहार	गया
6.	बिहार	जमुई
7.	बिहार	जहानाबाद
8.	बिहार	नवादा
9.	बिहार	रोहतास
10.	छत्तीसगढ़	बस्तर
11.	छत्तीसगढ़	बिजापुर
12.	छत्तीसगढ़	दंतेवाड़ा
13.	छत्तीसगढ़	जशपुर
14.	छत्तीसगढ़	कांकेड़
15.	छत्तीसगढ़	कावर्धा
16.	छत्तीसगढ़	कोरिया
17.	छत्तीसगढ़	नारायणपुर
18.	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव
19.	छत्तीसगढ़	सरगुजा
20.	झारखंड	बोकारो
21.	झारखंड	चतरा
22.	झारखंड	गड़वां
23.	झारखंड	गुमला
24.	झारखंड	हजारीबाग
25.	झारखंड	कोडरमा
26.	झारखंड	लातेहर
27.	झारखंड	लोहरदगा
28.	झारखंड	पश्चिम सिंहभूम
29.	झारखंड	पलामू
30.	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम
31.	झारखंड	रामगढ़
32.	झारखंड	सरायकेला
33.	झारखंड	सिमडेगा
34.	मध्य प्रदेश	अनुपपुर

1	2	3
35.	मध्य प्रदेश	बालाघाट
36.	मध्य प्रदेश	दिंदौरी
37.	मध्य प्रदेश	मांडला
38.	मध्य प्रदेश	सियोनी
39.	मध्य प्रदेश	सहडोल
40.	मध्य प्रदेश	सिधि
41.	मध्य प्रदेश	उमरिया
42.	महाराष्ट्र	गढ़चिरौली
43.	महाराष्ट्र	गोंदिया
44.	ओडीशा	बालांगील
45.	ओडीशा	देवगढ़
46.	ओडीशा	गाजापति
47.	ओडीशा	कालाहांडी
48.	ओडीशा	कंधमाल/फूलबानी
49.	ओडीशा	केंदुझर/कियोंझर
50.	ओडीशा	कोरापुट
51.	ओडीशा	मलकानगिरी
52.	ओडीशा	मयूरभंज
53.	ओडीशा	नवरंगपुर
54.	ओडीशा	नौपाडा
55.	ओडीशा	रायगडा
56.	ओडीशा	संबलपुर
57.	ओडीशा	सोनापुर
58.	ओडीशा	सुंदरगढ़
59.	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र
60.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम मदीनापुर

बांग्लादेश की जेलों में भारतीय

1538. श्री हरीश चौधरी:
श्रीमती रमा देवी:
श्री एस.आर. जेयदुरई:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मछुआरों सहित बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक अनजाने में बांग्लादेश की सीमा में घुस गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया/उनकी नावों को जब्त कर लिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कितने नागरिकों और मछुआरों को उनकी नाव के साथ रिहा कर दिया गया;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय नागरिकों और मछुआरों की सुरक्षा के मुद्दे को बांग्लादेश सरकार के साथ उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार अनजाने में बांग्लादेश के भू-क्षेत्र में भटक गए और अपनी नौकाओं के साथ निरुद्ध किए गए/बंदी बनाए गए मछुआरों सहित भारतीय नागरिकों की संख्या विगत तीन वर्षों (2009, 2010 और 2011) में क्रमश: 3, 2 और 79 थी।

(ग) विगत तीन वर्षों में बंदी बनाए गए सभी भारतीय नागरिकों और मछुआरों को तुरंत रिहा कर दिया गया और उनकी नौकाओं के साथ उन्हें स्वदेश भेज दिया गया।

(घ) जब कभी बांग्लादेश भू-क्षेत्र में भटक रहे भारतीय मछुआरों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने तत्काल कोंसलीय पहुंच के लिए और मानवीय आधार पर उन्हें स्वदेश भेजने के लिए अनुरोध किया।

(ङ) बांग्लादेश सरकार ने हमारे अनुरोध पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए भारतीय मछुआरों की रिहाई और उन्हें स्वदेश भेजने की प्रक्रिया का अतिशीघ्र निपटान किया है।

[अनुवाद]

एयरलाइनों को वित्तीय सहायता

1539. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन:
श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री के.पी. धनपालन:
श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्री पी. करूणाकरन:
श्री डी.बी. चन्द्रे गोड़ा:
श्री हिरभाऊ जावले:
श्री रूद्रमाधव राय:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमानन उद्योग को हुए भारी घाटे पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमानन उद्योग ने अधिक ईधन लागत, इस क्षेत्र में कराधान नीति इत्यादि सहित अपनी मांगों का चार्टर प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार घाटे मे चल रही एयरलाइनों को कुछ राहत पैकेज/वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी एयरलाइन-वार ब्यौरा क्या है?

प्रावासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालर रवि): (क) और (ख) जी, हां।

वर्ष 2009-10 के दौरान एयरलाईन-वार लाभ/हानि विवरण इस प्रकार है:

एयरलाइन	लाभ/हानि (करोड़ में)
एअर इंडिया	-5552.44
जेट एयरवेज	-467.6
जेट लाइट	+46.2
किंगफिशर एयर लाइनस	-1239.3
स्पाइस जेट	+67.0
गो एयर	-65.5
इंडिगो	+484.7

(ग) जी हां।

(घ) सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जैसे कि:

राज्य सरकार को ए.टी.एफ. पर ब्रिकी कर को कम करने के लिए प्रयास करना;

तेल कंपनियों को ए.टी.एफ. मूल्य की घोषणा महीने के बजाए पखवाड़े के आधार पर करना;

एअर इंडिया में इक्विटी निवेश करना। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा एक मंत्री समूह का गठन किया गया है जो समय-समय पर एअर इंडिया के प्रचालन तथा वित्तीय कार्य निष्पादन की समीक्षा तथा टर्न एराउंड योजना तैयार करेगा।

(ङ) इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

तलाशी हेतु अन्तर्राष्ट्रीय नयाचार

1540. श्री संजय भोई:
श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री डी.बी. चन्द्रे गोडा:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जहां तक राष्ट्र प्रमुखों/पूर्व राष्ट्र प्रमुखों की तलाशी का संबंध है, प्रत्येक बड़े देश द्वारा अपनाए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय नयाचार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अमेरिका, जहां एक भूतपूर्व भारतीय राष्ट्र प्रमुख की न्यूयार्क विमानपन पर और हाल ही में विमान में दो बार तलाशी ली गई, सहित अन्य देशों के विमानपत्तनों पर भारतीय विशिष्ट व्यक्तियों के उत्पीड़न पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस मामले में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गयी है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) कोई निश्चयात्मक अंतर्राष्ट्रीय नयाचार नहीं है। जहां तक राष्ट्र प्रमुखों/पूर्व राष्ट्र प्रमुखों की तलाशी का संबंध है, प्रत्येक राष्ट्र एक भिन्न नयाचार का अनुसरण करता है।

(ख) और (ग) सरकार को जानकारी है कि विगत तीन वर्षों में अमरीका में ऐसी कुछ घटनाएं घटीं, जिनमें एक पूर्व राष्ट्र प्रमुख का मामला भी है, जब विस्तारित सुरक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया गया जो सामान्य शिष्टाचार और प्रसुविधाओं के अनुरूप नहीं थी।

(घ) और (ङ) सरकार ने संबंधित अमरीकी प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाया है। अमरीकी सरकार ने ऐसी घटनाओं पर खेद प्रकट किया है और सूचित किया है कि भविष्य में अमरीका स्थित हवाई अड्डों पर ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उपाय करेगी।

[हिन्दी]

शिक्षकों की कमी

1541. श्री जगदीश ठाकोर:
श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री दत्ता मेघे:
श्री निलेश नारायण राणे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी विद्यालयों की संख्या और इन विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के सुचारू कार्यान्वयन के लिए कितने शिक्षकों की आवश्यकता है;

(ङ) देश में वर्तमान में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात क्या है; और

(च) विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात में सुधार लाने और शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) देश में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में सरकारी, स्थानीय निकायों के तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या तथा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की संख्या का स्कूल शिक्षा सांख्यिकी 2009-10 (अनंतिम) पर आधारित राज्यवार ब्यौरा देने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) से (घ) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, कक्षा 1-8 के लिए आज तक संस्वीकृत 19.14 लाख शिक्षक पदों की तुलना में, 12.25 लाख शिक्षक पद भर लिए गए हैं जिनका ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था तब नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 5.08 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। तब से राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6.31 लाख शिक्षक पद संस्वीकृत किये गये हैं ताकि राज्य शिक्षा का अधिकार संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हो सकें।

माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र (कक्षा 9-10) के संबंध में, मौजूदा सरकारी माध्यमिक स्कूलों के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत 52352 अतिरिक्त शिक्षक पद संस्वीकृत किये गये हैं।

(ङ) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2009-10 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात 34:1 और उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर के लिए 31:1 है।

(ज) छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार के लिए सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत पद संस्वीकृत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों को शिक्षक तैनाती को तर्कसंगत बनाने, राज्य क्षेत्र की शिक्षक रिक्तियों के साथ-साथ सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संस्वीकृत पदों की रिक्तियों के भरने के कदम उठाने की सलाह दी गई है।

विवरण I

स्कूल शिक्षा सांख्यिकी 2009-10 पर आधारित ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	माध्यमिक स्कूल (सरकारी, स्थानीय निकायों के और सरकारी सहायता प्राप्त)	प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल (सरकारी, स्थानीय निकायों के और सरकारी सहायता प्राप्त)	माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की संख्या	प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	11226	68722	187709	259236
2.	अरुणाचल प्रदेश	144	2445	2734	12155
3.	असम	4431	43412	61012	168313
4.	बिहार	2345	64056	25593	265640
5.	छत्तीसगढ़	1302	46095	12206	161476
6.	गोवा	366	1546	3218	6419
7.	गुजरात	3857	42145	42829	244331
8.	हरियाणा	1699	11719	36947	51702
9.	हिमाचल प्रदेश	867	15105	8841	64725
10.	जम्मू और कश्मीर	1196	20788	25370	104527
11.	झारखंड	1198	29703	9178	104337
12.	कर्नाटक	7779	48891	109503	282729
13.	केरल	2454	9358	97141	84205
14.	मध्य प्रदेश	3570	111113	46948	434457
15.	महाराष्ट्र	15335	70534	282957	405184
16.	मणिपुर	297	2830	8750	16264
17.	मेघालय	437	8877	4837	24152
18.	मिजोरम	371	2274	3853	16041
19.	नागालैंड	119	1729	6628	13760
20.	ओडीशा	6849	69648	64967	190771
21.	पंजाब	1800	17441	27180	105889

1	2	3	4	5	6
22.	राजस्थान	6264	69813	86832	333194
23.	सिक्किम	109	626	1512	10074
24.	तमिलनाडु	2812	36791	30301	192269
25.	त्रिपुरा	427	3462	8952	17458
26.	उत्तर प्रदेश	831	184351	76917	453048
27.	उत्तराखंड	879	15838	19122	66174
28.	पश्चिम बंगाल	56	66375	727	258399
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	41	233	1029	1965
30.	चंडीगढ़	46	26	1998	738
31.	दादरा और नगर हवेली	16	282	360	1535
32.	दमन और दीव	17	70	261	974
33.	दिल्ली	237	1897	10613	35463
34.	लक्षद्वीप	03	33	205	548
35.	पुडुचेरी	88	312	3119	4847
	कुल	79,108	10,68,540	13,10,349	43,92,999

(आंकड़ों का स्रोत: एसएसई 2009-10 अनंतिम)

*इनमें पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षक शामिल हैं।

विवरण II

भरे गए शिक्षक पद

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आज तक संस्वीकृत शिक्षक	30.9.2011 तक भर्ती
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	38319	39847
2.	अरुणाचल प्रदेश	6441	5226
3.	असम	28793	0
4.	बिहार	403413	191983
5.	छत्तीसगढ़	66685	54985
6.	गोवा	169	179
7.	गुजरात	38372	26677
8.	हरियाणा	11320	9133
9.	हिमाचल प्रदेश	5856	3553
10.	जम्मू और कश्मीर	43471	39739
11.	झारखंड	104231	83579
12.	कर्नाटक	27195	24278

1	2	3	4
13.	केरल	2925	0
14.	मध्य प्रदेश	171267	98287
15.	महाराष्ट्र	41434	15311
16.	मणिपुर	2719	0
17.	मेघालय	13262	14020
18.	मिजोरम	2473	1886
19.	नागालैंड	3147	590
20.	ओडीशा	89901	88442
21.	पंजाब	14090	9694
22.	राजस्थान	114132	94201
23.	सिक्किम	568	185
24.	तमिलनाडु	32918	37666
25.	त्रिपुरा	6909	5694
26.	उत्तर प्रदेश	423553	258924
27.	उत्तराखंड	14155	5998
28.	पश्चिम बंगाल	196808	113345
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	177	194
30.	चंडीगढ़	1390	785
31.	दादरा और नगर हवेली	856	377
32.	दमन और दीव	113	95
33.	दिल्ली	7104	36
34.	लक्षद्वीप	35	36
35.	पुडुचेरी	48	36
	कुल	19,14,249	12,24,981

यूरेनियम भंडार

1542. श्री हरि मांझी:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारत से अन्य देशों को निर्यात किये गये यूरेनियम की मात्रा का देश-वार और किस्म-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान अन्य देशों से आयातित यूरेनियम की मात्रा का देश-वार और किस्म-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में खोजी गई तुम्मलापल्ली यूरेनियम खान में विश्व के सबसे बड़े यूरेनियम के भंडार हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तुम्मलापल्ली में खोज से भारत के किस प्रकार के यूरेनियम के संबंध में आत्मनिर्भर बनने की संभावना है और यूरेनियम के उपयोग से पैदा की जाने वाली ऊर्जा का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) उक्त अवधि के दौरान यूरेनियम का कोई निर्यात नहीं किया गया है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान आयातित यूरेनियम की मात्रा निम्नानुसार है:

आपूर्तिकर्ता और देश	आज की तारीख तक प्राप्त मात्रा (मीटरी टन में)	आयातित यूरेनियम की किस्म
1	2	3
मैसर्स अरेवा, फ्रांस	300	प्राकृतिक यूरेनियम अयस्क सांद्र
	567	प्राकृतिक यूरेनियम डाइआक्साइड गुटिकाएं

1	2	3
मैसर्स टवेल कारपोरेशन, रूस	58	समृद्ध यूरेनियम डाइ ऑक्साइड गुटिकाएं
मैसर्स नेक कजाटॉमप्रॉम, कजाकिस्तान	600	प्राकृतिक यूरेनियम अयस्क सांद्र

(ग) और (घ) जी, नहीं। परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग की एक संघटक इकाई है, ने आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के तुम्मलापल्ली क्षेत्र में 63,269 मीटरी टन यूरेनियम के स्रोतों (U_3O_8) के मौजूद होने का अब तक पता लगाया है।

(ङ) स्वदेशी यूरेनियम से भारत को स्थापित नाभिकीय क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी जिससे देश के आर्थिक विकास के लिए और अधिक बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। तुम्मलापल्ली में पहले से पता लगाए गए यूरेनियम के भंडार से प्रतिवर्ष 2,50,0000 मेगावाट-ई से अधिक बिजली का उत्पादन किया जा सकता है।

मध्याह्न भोजन योजना

1543. **श्री आर.के. सिंह पटेल:**
डॉ. सुचारू रंजन हल्दर:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री कमल किशोर कमांडो:
श्री बलीराम जाधव:
श्री राजू शेट्टी:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री बदरूद्दीन अजमल:
श्री के.पी. धनपालन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) द्वारा कितने विद्यालय तथा बच्चे लाभान्वित हुये;

(ख) क्या इस योजना के शुरू होने के बाद विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में बाल-बालिका-वार किस सीमा तक वृद्धि हुई है;

(घ) मध्याह्न भोजन योजना के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मौजूदा वित्तपोषण पद्धति क्या है;

(ङ) क्या हिन्दी स्वतंत्र एजेंसियों या सीसीटीवी कैमरों आदि द्वारा निगरानी के माध्यम से छात्रों के स्वास्थ्य जैसे भार, ऊंचाई और महत्वपूर्ण आंकड़ों के संबंध में मध्याह्न भोजन व्यवस्था के परिणाम एवं प्रभाव की निगरानी करने की कोई प्रक्रिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मध्याह्न भोजन योजना (एडीएम) से लाभान्वित स्कूलों की संख्या और बच्चों की संख्या का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) स्कूलों में छात्रों का नामांकन शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में सरकार के विभिन्न अंत:क्षेत्रों और साथ ही आर्थिक विकास, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों, प्रारंभिक शिक्षा में प्राइवेट सेक्टर के विस्तार आदि पर निर्भर करता है।

(घ) खाना पकाने की लागत, रसोइया-सह-सहायक जो मानदेय के भुगतान और रसोई एवं भंडार के निर्माण की लागत में केन्द्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के बीच 90:10 के आधार पर तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 75:25 के आधार पर हिस्सेदारी की जाती है। खाद्यान्नों की लागत पूर्णरूप से केन्द्र द्वारा वहन की जाती है। रसोई के उपकरणों को खरीदने/बदलने के लिए 5,000 रु. प्रति स्कूल की दर से एक बार दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की जाती है। विशिष्ट श्रेणी के 11 राज्यों (अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड और त्रिपुरा) इन राज्यों में प्रचलित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दरों के बराबर परिवहन लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। अन्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिवहन सहायता 75 रुपये प्रति क्विंटल, अथवा खर्च की गई वास्तविक लागत, इनमें से जो भी कम हो, की दर से, प्रदान की जाती है। खाद्यान्नों की लागत, खाना पकाने की लागत, परिवहन लागत और

रसोइया-सह-सहायक को मानदेय की लागत के 1.8 प्रतिशत की दर से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मानीटरिंग, प्रबंधन और मूल्यांकन करने के लिए भी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ) और (च) मध्याह्न भोजन योजना के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अभिसरण में अर्ध-वार्षिक स्वास्थ्य जांच की जाती है जिसमें छात्रों की आंखों की जांच करना, वजन एवं कद की मापतौल करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, बच्चों को आयरन फॉलिक एसिड, विटामिन-ए और कृमिनाशक गोलियां भी वितरित की जाती है।

विवरण

वर्ष 2008-09 से 2010-11 तथा 2011-12 की प्रथम तिमाही के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत शामिल संस्थाओं तथा बच्चों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		शामिल संस्थाएं	लाभान्वित बच्चों की संख्या	शामिल संस्थाएं	लाभान्वित बच्चों की संख्या	शामिल संस्थाएं	लाभान्वित बच्चों की संख्या	शामिल संस्थाएं	लाभान्वित बच्चों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	78021	6342088	78716	6107962	79355	5304239	79355	6089844
2.	अरुणाचल प्रदेश	5026	181349	4431	174379	4431	269002	4431	268974
3.	असम	48251	2764934	54175	4132618	54912	4515884	55092	4604360
4.	बिहार	78485	11059009	92209	11241336	71772	9877617	71772	9265090
5.	छत्तीसगढ़	47175	3388316	47349	3027221	37694	3861048	47694	3292671
6.	गोवा	1117	73691	1545	163208	1564	156716	1547	136944
7.	गुजरात	60194	3935214	57784	3820600	33609	3877695	41877	4270957
8.	हरियाणा	17353	1873000	14703	1993615	15434	2005680	16003	2106164
9.	हिमाचल प्रदेश	15176	810234	13459	741014	15104	715750	15096	652754
10.	जम्मू और कश्मीर	25355	1169082	21504	1011868	22416	840044	21008	742689
11.	झारखंड	50497	3880569	52138	4031582	40698	3231921	41388	3225145
12.	कर्नाटक	55328	5683056	55104	5502935	56384	5216970	56569	5353498
13.	केरल	17387	3087558	17387	2902204	17387	2781617	17387	2804738
14.	मध्य प्रदेश	109980	8869953	112439	9003584	114038	8655943	114042	6686818
15.	महाराष्ट्र	125511	10933868	122018	12187761	120352	10634199	120960	11050228
16.	मणिपुर	3408	227691	3042	225718	2966	230135	2893	208622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मेघालय	10074	399975	10074	471738	10074	459778	10074	468042
18.	मिजोरम	2312	152969	2412	150569	2496	151718	2506	159627
19.	नागालैंड	2188	214893	2223	221368	2751	271144	2528	260679
20.	ओडीशा	85323	6150492	78925	5525792	66773	5227152	86177	4783209
21.	पंजाब	21516	1923323	22648	1855841	22486	1753660	21242	1832506
22.	राजस्थान	101732	8071477	80670	5982376	80670	5781398	79845	5875677
23.	सिक्किम	1243	102237	873	89432	879	94855	878	94180
24.	तमिलनाडु	47122	5022030	42632	5026843	42435	4274715	39212	3769692
25.	त्रिपुरा	5006	401954	5629	468621	6510	435093	6510	327832
26.	उत्तराखंड	17484	975111	152501	12713580	17927	801909	152783	631617
27.	उत्तर प्रदेश	145082	13442006	17816	850551	153527	11314277	17962	11879285
28.	पश्चिम बंगाल	76959	9269285	79579	9216678	82867	9503404	82669	11757866
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	478	47207	343	36900	345	32449	345	36614
30.	चंडीगढ़	400	74898	311	61311	311	48182	118	55517
31.	दादरा और नगर हवेली	359	30853	360	35261	282	34569	454	34688
32.	दमन और दीव	136	15308	127	15227	96	15298	97	16097
33.	दिल्ली	3546	1187021	3005	1318353	3518	1150332	3520	1066087
34.	लक्षद्वीप	53	10798	54	10192	54	9035	41	9527
35.	पुडुचेरी	461	93650	383	91298	457	88138	458	86335
	कुल	1259738	111858099	1248568	110409536	1192574	104631566	1214533	103994574

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों को निधि आवंटन

1544. श्री यशवीर सिंहः
श्री नीरज शेखरः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू-वर्ष के दौरान विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को आवंटित निधियों का विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज (आईएमएस), बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार बीएचयू विशेषकर उसके आईएमएस अस्पताल के लिये वहां पर निधि, मशीनरी एवं श्रम शक्ति संसाधनों की कमी तथा वहां इलाज के लिये जाने वाले गरीब लोगों के सामने आ रही समस्याओं के मद्देनजर उसके आवंटन में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के आधार पर, अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मालूम हुआ है कि 11वीं योजना के दौरान, आयोग ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को अवसंरचना विकास के लिए 237.99 करोड़ रुपए आबंटित किए जिसमें से 170.79 रुपए की धनराशि पहले ही विनिर्मुक्त की जा चुकी है। इस राशि में से, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने 138.67 करोड़ रुपए का उपयोग कर लिया है, जिससे 1.10.2011 तक उपयोग न किए गए 67.22 के आबंटन के अलावा खर्च न किए गए 32.12 करोड़ का शेष रहा। इसलिए 11वीं योजना की शेष अल्प अवधि अर्थात लगभग 4 महीनों के लिए आवंटन को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त निधियों को चिकित्सा विज्ञान संस्थान सहित संघटक संस्थाओं को, सांविधिक निकायों के अनुमोदन से, उनकी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और संसाधनों की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ही आवंटित करने का निर्णय लेता है।

यूजीसी ने चिकित्सा विज्ञान संस्थान (आईएमएस), बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को उसके अवसरंचना विकास के स्तरोन्नयन के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अधीन विशेष अनुदान के रूप में 47.00 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी की है।

विवरण

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को योजना के तहत गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान विनिर्मुक्त किए गए अनुदान

(लाख रु. में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालयों का नाम	11 वीं योजना आवंटन सहित सामान्य विकास अनुदान, विलय स्कीम और नॉन-नेट एम.फिल/पीएच.डी को अध्येतावृत्ति	विनिर्मुक्त अनुदान सहित सामान्य विकास अनुदान, लिय स्कीम और नॉन5नेट एम.फिल/पीएच.डी को				
			2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
	मुख्य भूमि केन्द्रीय विश्वविद्यालय						
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	19514.63	3379.64	371.00	7650.00	350.00	11750.64
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	28976.95	4341.23	2323.90	6545.38	2809.00	16019.51

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	20174.19	3671.21	0.00	5556.78	0.00	9227.99
	यूसीएमएस	2143.57	332.09	0.00	1000.00	200.00	1532.09
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	16555,00	3789.54	2920.25	5032.29	1493.75	13235.83
5.	जामिया मिलिया इस्लामिया	20617.50	3706.25	6766.10	5850.00	1150.00	17472.35
6.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	20398.75	4067.52	4158.59	5430.06	1400.00	15056.17
7.	पुडुचेरी विश्वविद्यालय	14473.25	2800.37	4297.46	4724.27	1234.48	13056.58
8.	विश्व भारती	16314.50	2767.03	2900.00	5319.82	2450.00	13436.85
9.	बी.बी.ए.यू.	15748.50	1163.00	1200.00	2900.00	950.00	6213.00
10.	एम.जी.ए. हिन्दी विश्वविद्यालय	7337,50	1120.25	2424.13	2292.59	0.00	5836.97
11.	एम.ए.एन. उर्दू विश्वविद्यालय	13422.50	2961.83	3300.00	4620.30	0.00	10882.13
12.	इएफएलयू	15955.72	2078.31	4673.96	4228.84	2300.00	13281.11
13.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	13762.25	1457.82	170.63	3229.37	1450.00	6307.82
14.	आईजीएनटीयू	27950.50	400.00	400.00	3052.00	3350.00	7202.00
	कुल-क	253345.31	38036.09	35906.02	67431.70	19137.23	160511.04
	पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय विश्वविद्यालय						
15.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	13397.50	4021.39	900.00	4686.15	760.00	10367.54
16.	असम विश्वविद्यालय	8262.50	1155.00	2431.90	2278.10	1035.00	6900.00
17.	तेजपुर विश्वविद्यालय	11137.50	4132.34	3203.37	1670.00	170.00	9175.71
18.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय	8762.50	0.00	2000.00	1700.00	1675.00	5375.00
19.	मिजोरम विश्वविद्यालय	18000.00	3944.13	5000.00	3500.00	1130.50	13574.63
20.	मणिपुर विश्वविद्यालय	10591.10	1751.87	2072.35	3908.41	525.00	8257.63
21.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	5722.25	0.00	900.00	1050.00	75.00	2025.00
22.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	10577.50	833.80	2050.00	4141.20	25.00	7050.00
23.	सिक्किम विश्वविद्यालय	10457.50	1908.00	0.00	3000.00	700.00	5608.00
	कुल-ख	96908.35	17746.53	18557.62	25933.86	6095.50	68333.51
	कुल-क+ख	350253.66	55782.62	54463.64	93365.56	25232.73	228844.55

नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को योजना के अंतर्गत गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विनिर्मुक्त किए गए अनुदान

(लाख रू. में)

क्र.सं.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय का नाम	विलय स्कीम/अध्येत्तावृत्ति सहित जीडीजी के अंतर्गत विनिर्मुक्त अनुदान				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1.	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	125.00	400.00	1500.00	0.00	2025.00
2.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	125.00	600.00	2500.00	1500.00	4725.00
3.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	150.00	400.00	4000.00	0.00	4550.00
4.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0.00	300.00	1500.00	1000.00	2800.00
5.	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
6.	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय	125.00	1125.00	4000.00	1250.00	6500.00
7.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	275.00	2500.00	9000.00	5000.00	16775.00
8.	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	125.00	400.00	1000.00	0.00	1525.00
9.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	125.00	400.00	1250.00	2500.00	4275.00
10.	ओडीशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	125.00	1475.00	3000.00	3500.00	8100.00
11.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	150.00	1500.00	2500.00	2500.00	6650.00
12.	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	125.00	400.00	8000.00	5000.00	13525.00
13.	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	150.00	3000.00	7000.00	5000.00	15150.00
14.	डॉ. हरिसिंह गोड़ विश्वविद्यालय	564.78	1000.00	1500.00	1250.00	4314.78
15.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	300.00	3500.00	3000.00	2500.00	9300.00
16.	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय	495.00	3000.00	3000.00	5000.00	11495.00
	कुल	2959.78	20000.00	52750.00	36150.00	111859.78

लाभ तथा घाटे में चल रहे हवाई मार्ग

1545. **श्रीमती जयाप्रदा:**
श्री नीरज शेखर:
श्री यशवीर सिंह:
श्री हरिभाऊ जावले:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में एअर इंडिया द्वारा संचालित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एअर इंडिया ने उन मार्गों की पहचान की है जो लाभ/घाटे में चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो; तत्संबंधी मार्ग-वार ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) ऐसे मार्गों की संख्या कितनी है जो ईधन/नकद लागतें पूरा करने में असमर्थ हैं;

(ङ) अनेक मार्गों पर घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(च) प्रचालन को तर्कसंगत बनाने हेतु एअर इंडिया द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का विचार है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आधारसंरचना की कमी

1546. श्री पी.के. बिजू:
श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च शिक्षा हेतु नामांकन-दर बढ़ाने के लिहाज से स्थापित नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आधार संरचना की कमी है और वे अस्थायी परिसरों से कार्य कर रहे हैं तथा उनमें कर्मचारियों/शिक्षकों की काफी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन विश्वविद्यालयों का इष्टतम कार्यकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन्हें आवश्यक भूमि एवं आधारसंरचना उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इन विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में कोई अनियमितताएं दर्ज की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी): (क) और (ख) 11वीं योजना अवधि के दौरान स्थापित किए गए 16 में से 13 केन्द्रीय विश्वविद्यालय अपने कार्यों का संचालन अस्थायी परिसरों से कर रहे हैं जबकि शेष 3 केन्द्रीय विश्वविद्यालय अर्थात् एच.एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय और डॉ. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय जिनके अपने परिसर हैं, जो मौजूदा राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के पश्चात स्थापित किए गए हैं। हाल ही में स्थापित किए गए विश्वविद्यालय अपने शैक्षिक कार्यकलापों का संचालन किराए के अस्थायी परिसरों से कर रहे हैं क्योंकि ये अपने स्थायी परिसरों के विकास के विभिन्न चरणों में है। आरंभिक समस्याओं जिनमें नियमित स्टाफ/संकाय की कमी भी शामिल है, कि बावजूद इन विश्वविद्यालयों ने शैक्षिक कार्यकलापों को सही ढंग से संचालन करने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं।

(ग) नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की शर्तों के अनुसार राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे उपयुक्त निःशुल्क भूमि करें और जो सभी अड़चनों से मुक्त हो। गुजरात, केरल और बिहार की राज्य सरकारों को छोड़कर संबंधित सभी राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त भूमि प्राप्त हो गई है, ने विकास कार्य आरंभ कर दिए हैं जो विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) और (ङ) विश्वविद्यालय, विधान के माध्यम से स्थापित स्वायत्त संगठन हैं और वे संगत अधिनियम, संविधियों और अध्यादेशों द्वारा अभिशासित हैं। तदनुसार डॉ. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, एच.एन. बहुगुणा विश्वविद्यालय और केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान में संकाय की भर्ती में तथाकथित अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों को अधिनियम, संविधियों और अध्यादेशों के तहत समुचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों को अग्रेषित कर दिया गया है।

भारतीय डाकघर अधिनियम

1547. श्री महेन्द्र कुमार राय:
श्री भर्तृहरिः महताब:
श्री वरूण गांधी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के स्थान पर कोई नया विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या उक्त विधान की अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त इसका लक्ष्य डाक विभाग का निजीकरण करने तथा कुरियर सेवाओं हेतु लाइसेंसिंग नीति शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नया विधान कब तक पुर:स्थापित और कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है;

(ङ) क्या डाक विभाग के निजीकरण का उसके कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो सरकार का इस मुद्दे का किस प्रकार समाधान करने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 के स्थान पर एक नया विधान लाने का प्रस्ताव परामर्श प्रक्रिया के स्तर पर है और इसमें शामिल मुद्दों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। विधाई प्रक्रिया के लिए समय सीमा निर्धारित करना असंभव नहीं है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फ्लाइंग स्कूल

1548. **डॉ. भोला सिंह:**
श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में फ्लाइंग स्कूलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पायलटों को लाइसेंस जारी करने की क्या प्रक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार मौजूदा प्रणाली में दोषों के मद्देनजर पायलटों को लाइसेंस देने के लिए अनुसरण की जा रही प्रणाली में सुधार लाने हेतु कोई योजना बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लाइसेंस प्रणाली को पारदर्शी बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में है।

(ख) लाइसेंस जारी करने से संबंधित क्रियाविधि वायुयान नियम 1937 की अनुसूची 11 में निर्धारित अनुसार है।

(ग) से (ङ) सरकार ने, पायलटों की परीक्षा और उन्हें लाइसेंस प्रदान किए जाने की चालू प्रणाली की जांच करने और प्रणाली को आधुनिक और सर्वोत्तम परिपाटियों की तर्ज पर सुरक्षित, विश्वसनीय और कार्यकुशल बनाने के लिए सिफारिशें करने के उद्देश्य से, एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और उसे सरकार को प्रस्तुत कर दिया है। समिति की सिफारिशों का ब्यौरा विवरण-II पर है। नागर विमानन महानिदेशालय से समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है। डीजीसीए के लाइसेंसिंग निदेशालय में मौजूदा क्रियाविधियों को कठोरतापूर्वक लागू किया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई डीजीसीए की परीक्षा के परिणाम को लाइसेंसिंग निदेशालय के पास उपलब्ध केन्द्रीय परीक्षा संगठन की मास्टर रिजल्ट शीट से पुनः सत्यापित कराया जाता है, और रिजल्ट शीट की अनुपलब्धता की स्थिति में, पेपरों को सत्यापन हेतु केन्द्रीय परीक्षा संगठन के पास भेजा जाना अपेक्षित होता है। विदेशी लाइसेंसों को भारतीय लाइसेंसों में परिवर्तित करने से पहले, लाइसेंसों को विदेशी लाइसेंस जारी करने वाले देश के संबंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा सत्यापित कराया जाता है।

विवरण I

क्र.सं.	फ्लाईंग क्लब के नाम	राज्य
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश एविएशन अकादमी हैदराबाद, ओल्ड एयरपोर्ट, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
2.	अमृतसर एविएशन क्लब, पी.ओ. राजासांसी एयरपोर्ट, अमृतसर	पंजाब
3.	बिहार फ्लाईंग इंस्टीच्यूट, बिहार सरकार केबिनेट सचिवालय नागर विमानन निदेशालय, पटना एयरपोर्ट, पटना	बिहार
4.	बोम्बे फ्लाईंग क्लब, जूहू एयरपोर्ट, सांताक्रूज (पश्चिम), मुंबई	महाराष्ट्र
5.	गुजरात फ्लाईंग क्लब, सिविल एयरोड्राम, हरनी रोड, वडोदरा	गुजरात

1	2	3
6.	सरकारी विमान प्रशिक्षण संस्थान, विमानन निदेशालय, ओडीशा, सिविल एयरोड्राम, भुवनेश्वर	ओडीशा
7.	हरियाणा इंस्टीच्यूट ऑफ सिविल एविएशन, करनाल शाखा, करनाल	हरियाणा
8.	हरियाणा इंस्टीच्यूट ऑफ सिविल एविएशन, हिसार शाखा, हिसार	हरियाणा
9.	हरियाणा इंस्टीच्यूट सिविल एविएशन, पिंजौर शाखा, पिंजौर	हरियाणा
10.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग, राजा भोज एयरपोर्ट, भोपाल	मध्य प्रदेश
11.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, इंदौर	मध्य प्रदेश
12.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, चैन्ने एयरपोर्ट, चैन्ने	तमिलनाडु
13.	राजीव गांधी अकादमी ऑफ एविएशन तकनीक राधाश्री, टी.सी. 36/1200 (1 तथा 2), वलक्कदाव एन्वक्कल तिरूवनन्तपुरम	केरल
14.	पटियाला एविएशन क्लब, सिविल एयरोड्रोम, पटियाला	पंजाब
15.	लुधियाना एविएशन क्लब, लुधियाना	पंजाब
16.	वनस्थली विद्यापीठ ग्लाइडिंग प्लाइंग क्लब, वनस्थली	राजस्थान
17.	नागपुर फ्लाइंग क्लब, मंडल आयुक्त कार्यालय, सिविल लाइन, नागपुर-01	महाराष्ट्र
18.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुरसतगंज, रायबरेली (स्वायत्त निकाय)	उत्तर प्रदेश
19.	अहमदाबाद एविएशन एण्ड एयरोनॉट्रिक लिमिटेड, एएए हैंगर, ओल्ड टर्मिनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद	गुजरात
20.	अकादमी ऑफ कारवर एविएशन, 47 डी, ग्राउंड फ्लोर, खोटा चिवड़ी, गिरगांव, बेलगांव	आंध्र प्रदेश
21.	फ्लाइटेक एविएशन अकादमी, ए1-केयूसर, प्लाट नं. 295, रोड नं. 10, वेस्ट मारेदपल्ली, सिकंदराबाद	आंध्र प्रदेश
22.	गर्ग एविएशन लिमिटेड, हैंगर नं. 3 सिविल एयरोड्राम, कैंट, कानपुर	उत्तर प्रदेश
23.	एचएएल रोटारी विंग अकादमी, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेलीकॉप्टर डिवीजन, पोस्ट बॉक्स नं. 1790, बैंगलुरू	कर्नाटक
24.	ओरियंट फ्लाईंग स्कूल, पोस्ट बॉक्स नं. 1306, 40, जीएसटी रोड, चेन्नई	(यूटी) पुडुचेरी
25.	विंग एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, 1-11-256/बी, प्लॉट नं. 108, समीप एयरपोर्ट रोड के समीप, बेगमपट, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
26.	मैसर्स यश एयर लिमिटेड, झबुआ टॉवर, 170 आरएनटी मार्ग, इंदौर (आपरेशनल बेस, उज्जैन)	मध्य प्रदेश

1	2	3
27.	मैसर्स अंबर एविएशन, 38 वसंत विहार, फेस-2, देहरादून (उत्तरांचल)	उत्तरांचल
28.	टूब्रो एविएशन, जमशेदपुर	जमशेदपुर
29.	साउथ पॉयलट ट्रैनिंग अकादमी, (कोहनूर एडूकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लि. की एक इकाई) साईट बी, सलेम एयरपोर्ट, ओमल्लूर डिस्टिक कमलापुरम, सलेम (तमिलनाडु)	तमिलनाडु
30.	साई फ्लाईटेक एविएशन प्राइवेट लि. चक्रभार एयरपोर्ट, बिलासपुर, (छत्तीसगढ़)	छत्तीसगढ़
31.	मैसर्स चाईम्स एविएशन, सागर, (मध्य प्रदेश)	मध्य प्रदेश
32.	बीरमी फ्लाई अकादमी प्राइवेट लि. हैंगर नं. 2, सिविल एयरपोर्ट पटियाला	पंजाब
33.	चेतक एविएशन, अकादमी, अलीगढ़ (यूपी)	अलीगढ़ (यूपी)
34.	एंबीशन फ्लाईंग क्लब प्राइवेट लि., पहली मंजिल, जैनको कम्पाउंड, चिंचोली बंदर रोड, ऑफ लिंक रोड, मलाड (पश्चिम), मुंबई-400064	अलीगढ़ (यूपी)
35.	पायनियर फ्लाईंग क्लब, बी-126,यशवंत पैलेस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	अलीगढ़ (यूपी)
36.	शा-शीब फ्लाईंग अकादमी (गुणा) मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश
37.	हरशीता एयरोनॉटिकल फाउंडेशन, खारगोन, मध्य प्रदेश (पॉयलट ट्रैनिंग कालेज)	मध्य प्रदेश
38.	सरस्वती एविएशन अकादमी, सुल्तानपुर, अमहाट एयरफिल्ड, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश
39.	नेशनल फ्लाईंग ट्रैनिंग इंस्टिच्यूट, गोडिया, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
40.	एसकेवीएम फ्लाइंग क्लब, अकादमी, सीरपुर, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
41.	रीनबोव फ्लाईंग अकादमी, सूरत	गुजरात
42.	एलकैमिस्ट एविएशन प्राईवेट लि., सोनारी एयरोड्राम, जमशेदपुर, झारखंड	झारखण्ड

विवरण II

सिफारिशों की सूची

परीक्षा प्रणाली के लिए

सिफारिश सं.	सिफारिश
1	2
1.	समिति मानती है सीईओ द्वारा आयोजित परीक्षा लाइसेंस प्रक्रिया का हिस्सा है और सीईओ के पास लाइसेंसिंग निदेशालय द्वारा फिलहाल चलाई जाने वाली कुछ प्रक्रियाएं आरंभ करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसलिए मूल योग्यता के सत्यापन वाली प्रक्रिया कम्प्यूटर नं. जारी किए जाते समय सीईए द्वारा आरंभ की जानी चाहिए ताकि जब तक अभ्यर्थी लाइसेंस जारी किये जाने की पात्र हों तब तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाए।
2(क)	डीजीसीए को परीक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण अपनाना चाहिए, जिसमें परीक्षा का ऑन लाइन पंजीकरण, रोल नम्बर का आवंटन, परीक्षा तिथियों का निर्धारण, ऑनलाइन/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन, परिणाम का प्रक्रिया कला और घोषणा।

2(ख) डीजीसीए पहले ही उपर्युक्त क्र.सं. 1 पर पहल कर चुका है, इसलिए उसे एटीपीएल परीक्षा से शुरू करके चरणबद्ध तरीके से परीक्षा की प्रक्रिया चलानी चाहिए।

2(ग) परीक्षा के आयोजन के दौरान की घटनाओं से बचने के उद्देश्य से, बायोमीट्रिक के इस्तेमाल से अभ्यर्थी की पहचान के सत्यापन का सुझाव दिया जाता है।

3(क) आदर्श स्थिति में, सर्वोत्तम विकल्प एक 'छोर से छोर' समाधान होना चाहिए जिसमें कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन के लिए साफ्टवेयर एप्लीकेशन और अवसंरचना एक एजेंसी द्वारा मुहैया कराई जाए।

3(ख) चूंकि इस समय एनओसी पहले ही सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तैयार करने की अग्रिम अवस्था में है, डीजीसीए को एनआईसी द्वारा तैयार साफ्टवेयर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके परीक्षा आयोजित कराने के लिए किसी एजेंसी की अवसंरचना हायर करने का विकल्प चुनना चाहिए।

3(ग) भविष्य में, डीजीसीए को सम्पूर्ण परीक्षा प्रणाली की आउटसोर्सिंग पर विचार करना चाहिए, बशर्ते सभी सुरक्षोपाय सुनिश्चित किए गए हों। इस संबंध में, डीजीसीए को विभिन्न विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुसरित परीक्षा प्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए।

4. ढाई और पांच वर्षों की वैधता पर्याप्त समझी गई। तथापि, समिति ने अवलोकन किया कि किसी अभ्यर्थी को अपनी पसन्द की तिथियों के अनुसार परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कमनीयता दी जानी चाहिए जैसा कि अधिकांश अन्य देशों में किया जाता है। ऐसा कर सकने के लिए, पत्र परीक्षा की वर्तमान प्रणाली को बंद करके ऑनलाइन कम्प्यूटर आधारित परीक्षा आरंभ करनी चाहिए। डीजीसीए को पायलट परीक्षा देने के प्रयासों की संख्या पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए।

5. डीजीसीए को विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री की सूची उपलब्ध करानी चाहिए।

6(क) समिति अनुशंसा करती है कि प्रश्न बैंक में वृद्धि होने की जरूरत है।

6(ख) प्रश्न तैयार करते समय, डीजीसीए को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कठोरतापूर्वक निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार हो।

6(ग) डीजीसीए को प्रश्नों की अधिक संख्या वाला प्रश्न बैंक तैयार करना चाहिए। 1:10 का आदर्श अनुपात सुझाया जाता है।

6(घ) परीक्षार्थियों की ओर से अनुवर्ती आपत्तियों के निवारण के लिए प्रश्नों की समुचित संवीक्षा की जानी चाहिए।

लाइसेंसिंग प्रणाली के लिए

7. समिति सिफारिश करती है कि सीईओ में प्रक्रियागत परिणाम को इलेक्ट्रोनिक रूप से डीटीएल रिकार्ड से विलियत किया जाए।

8. प्रक्रिया को तेज बनाने के उद्देश्य से, समिति यह विचार करते हुए कि सीईओ लाइसेंस प्रक्रिया का हिस्सा हो, सिफारिश करती है कि यह सत्यापन कम्प्यूटर नं. आवंटित किये जाने के समय आरंभ किया जाए।

9. यह विचार करते हुए कि केवल उड़ान हेतु एप्टीट्यूड रखने वाले व्यक्ति ही इस पेशी में आएं—समिति सिफारिश करती है कि प्रवेश दिये जाते समय एक प्रवेश स्तर की परीक्षा आयोजित की जाए। इसके अतिरिक्त, समिति सिफारिश करती है कि ऐसी परीक्षा में एक एप्टीट्यूड और इकोमीट्रिक परीक्षण शामिल होना चाहिए। ये परीक्षाएं इस प्रस्तावित एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएं जो भविष्य में डीजीसीए की ओर से परीक्षा आयोजित करे, और ऐसी एजेंसी स्थापित/चिन्हित होने तक, यह परीक्षा इग्रुआ द्वारा आयोजित की जाए।

10. उपर्युक्त सीमाओं पर विचार करते हुए समिति सिफारिश करती है कि किसी उड़ान संस्थाओं की ओर से उड़ान अनुभव को खारिज/हासिल करने के लिए प्रावधान पर विचार किया जाए। इसके अतिरिक्त डीजीसीए को विभिन्न फ्लाइंग क्लबों के प्रशिक्षण विमानों के आवागमनों को ऑनलाइन लाने की सम्भावना पर विचार करना चाहिए। सभी फ्लाईंग क्लबों के विमानों की ऐसी मॉनीटरिंग से लॉग बुक्स का जोड़-तोड़ न्यूनतम होगा।

11. समिति ने विचार किया कि पायलटों द्वारा अपनाए गए गलत तरीकों का मूल कारण लिखित परीक्षाओं में बार-बार विफलता था। समिति ने देश में पायलटों और विमान अनुरक्षण इंजीनियर के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं सृजित करने की आवश्यकता है का अनुभव किया है।

लाइसेंसों के लिए व्यापक प्रणाली के विकास हेतु

12. समिति सिफारिश करती है कि कार्मिकों (पायलटों, एएमई और एटीसीओ) की लाइसेंसिंग के लिए एक यूनीफाइड डेटा बेस विकसित किया जाना चाहिए। व्यापक लाइसेंसिंग प्रणाली में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

न्यूनतम मानवीय इंटरफेस;

परीक्षा और चिकित्सा के साथ इंटरफेस;

विमानों के आवागमन, उनके अनुरक्षण, वास्तविक उड़ान समय से संबंधित सूचना और अन्य संबंधित डेटा सीधे हासिल करने के लिए उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों और एयरलाइनों के साथ-साथ अन्य एजेंट के साथ इंटरफेस; डिजीटाइज्ड पायलट लॉग बुक, का इस्तेमाल, बायोमीट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का आरंभ; माइक्रोसाफ्ट युक्त स्मार्ट कार्ड लाइसेंस की शुरुआत, जिनमें लाइसेंस धाराओं का समस्त ब्यौरा हो।

विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

1549. **श्री सोमेन मित्रा:**
श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री पी.के. बिजू:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के औरंगाबाद सहित देश में विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण/नवीकरण/उन्नयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उन विमानपत्तनों के नाम क्या हैं, जिनका आधुनिकीकरण लंबित है तथा उनका आधुनिकीकरण कब तक किये जाने की सम्भावना है;

(ग) विमानपत्तन-वार इस पर कितना व्यय हुआ तथा चालू वर्ष के बजट में इस प्रयोजनार्थ कितना आबंटन किया गया; और

(घ) इस कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) 35 गैर मैट्रो हवाईअड्डों तथा 26 अन्य हवाईअड्डों, जहां आधुनिकीकरण/विकास कार्य आरंभ किया गया है, के संबंध में पूरे किये गये कार्यों तथा प्रगतिरत कार्यों का ब्यौरा विवरण-I तथा II पर संलग्न है।

(ग) वर्ष 2011-12 में एयरोड्रम कार्यों के लिए 2118.15 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं और अक्तूबर, 2011 तक 778.45 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। हवाईअड्डावार ब्यौरा विवरण-III पर उपलब्ध है।

(घ) निर्माण कार्यों की नियमित मॉनीटरिंग समर्पित परियोजना दल द्वारा की जाती है। आवधिक स्थल निरीक्षणों के माध्यम से स्थल पर नियमित मॉनीटरिंग को सुनिश्चित करने हेतु परियोजना मॉनीटरिंग तथा गुणवत्ता आश्वासन विभाग की स्थापना की गई है तथा कार्यक्रम के अनुसार निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए परियोजनाओं को पूरा करने हेतु तथा उनकी प्रगति में तीव्रता लाने में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए समन्वय बैठकों में समीक्षा की जाती है।

विवरण I

पूर्ण कार्य

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	अनुमोदित राशि	स्थिति	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
पूर्वी क्षेत्र				
1.	**भुवनेश्वर**			
	रनवे का विस्तार	14.75	100%	कार्य पूर्ण
	एप्रन का विस्तार, मौजूदा एप्रन तथा टैक्सी वे का सुदृढ़ीकरण, अतिरिक्त	13.00	100%	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5
2.	**कूच बिहार**			
	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	12.46	100%	कार्य पूर्ण
3.	**गया**			
	नए टर्मिनल भवन तथा संबंधित ढांचे का निर्माण	62.52	100%	कार्य पूर्ण
4.	**झारसुगुडा**			
	झारसुगुडा में एमएसएसआर भवन का संस्थापन	6.00	100%	कार्य पूर्ण
5.	**कोलकाता**			
	गौण रनवे 01 एल-19आर का 431 मी. तक विस्तार	100.00	100%	कार्य पूर्ण
6.	**पटना**			
	जेपीएनआई हवाईअड्डे पर रनवे, टैक्सी वे तथा एप्रन का पुनर्सतहीकरण	23.08	100%	कार्य पूर्ण
7.	**पोर्टब्लेयर**			
	एप्रीन तथा अतिरिक्त टैक्सी वे का विस्तार	34.38	100%	कार्य पूर्ण
8.	**रायपुर**			
	एप्रन का सुदृढ़ीकरण और विस्तार	6.85	100%	कार्य पूर्ण
9.	**रांची**			
	एप्रीन का विस्तार तथा मौजूदा एप्रन के सुदृढ़ीकरण सहित लिंक टैक्सी वे का निर्माण	15.78	100%	कार्य पूर्ण
	रनवे का पुनर्सतहीकरण	15.07	100%	कार्य पूर्ण
पूर्वोत्तर क्षेत्र				
10.	**अगरतला**			
	टर्मिनल परिसर तथा सम्पूर्ण टर्मिनल परिसर के लिए एसी का विस्तार	27.61	100%	कार्य पूर्ण
	एप्रन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण	18.66	100%	कार्य पूर्ण
	मौजूदा रनवे का सुदृढ़ीकरण	35.83	100%	कार्य पूर्ण
	नए तकनीकी भवन का निर्माण	6.00	100%	कार्य पूर्ण
11.	**बारापानी (शिलांग)**			
	नए टर्मिनल भवन का निर्माण तथा एप्रन का विस्तार	29.70	100%	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5
12.	**बागडोगरा**			
	एप्रन का विस्तार	20.70	100%	कार्य पूर्ण
13.	**डिब्रूगढ़**			
	भूमि अधिग्रहण सहित नए टर्मिनल भवन का निर्माण	71.71	100%	कार्य पूर्ण
	मौजूदा रनवे तथा टैक्सी वे का सुदृढ़ीकरण	17.74	100%	कार्य पूर्ण
14.	**दीमापुर**			
	रनवे का पुनसर्तहीकरण	10.27	100%	कार्य पूर्ण
	एप्रन का विस्तार तथा लिंक टैक्सी वे का निर्माण	13.35	100%	कार्य पूर्ण
15.	**गुवाहाटी**			
	रनवे का विस्तार तथा लिंक टैक्सी वे सहित नए एप्रन का निर्माण	60.83	100%	कार्य पूर्ण
	आईसोलेशन विमान पार्किंग स्टैंड का निर्माण	14.15	100%	कार्य पूर्ण
	रनवे विस्तार के लिए हाल में अधिग्रहित भूमि में चारदीवारी का निर्माण तथा नए एप्रन का निर्माण	8.95	100%	कार्य पूर्ण
	अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन के लिए नए अधिग्रहित क्षेत्र का भराव (चरण-1)	29.78	100%	कार्य पूर्ण
16.	**इम्फाल**			
	रनवे का पुनर्सतहीकरण, आईसोलेशन वे का निर्माण, एप्रन तथा लिंकन	21.00	100%	कार्य पूर्ण
17.	**लीलीबाड़ी**			
	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	18.46	100%	कार्य पूर्ण
18.	**सिलचर**			
	रनवे का विस्तार, भूमि का अधिग्रहण तथा चारदीवारी का निर्माण	41.49	100%	कार्य पूर्ण
उत्तरी क्षेत्र				
19.	**अमृतसर**			
	टर्मिनल भवन का मॉडयूलर विस्तार (चरण 2)	117.36	100%	कार्य पूर्ण
20.	**चंडीगढ़**			
	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	77.97	100%	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5
21.	**देहरादून**			
	रनवे का निर्माण	44.50	100%	कार्य पूर्ण
	नियंत्रण टावर सह तकनीकी ब्लॉक का निर्माण	6.78	100%	कार्य पूर्ण
	नए टर्मिनल भवन का निर्माण तथा संबंधित कार्य	34.65	100%	कार्य पूर्ण
22.	**जैसलमेर**			
	नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल परिसर का निर्माण	9.94	100%	कार्य पूर्ण
23.	**जयपुर**			
	नए अंतरराष्ट्रीय परिसर का निर्माण	94.87	100%	कार्य पूर्ण
	एप्रन तथा टैक्सी वे का निर्माण	30.32	100%	कार्य पूर्ण
24.	**खजुराहो**			
	7500 तक रनवे का विस्तार	21.78	100%	कार्य पूर्ण
	नए एप्रन तथा टैक्सी वे का निर्माण	13.47	100%	कार्य पूर्ण
25.	**कुल्लू**			
	नए एकीकृत भवन का निर्माण तथा पेवमेंट कार्य	10.00	100%	कार्य पूर्ण
26.	**लखनऊ**			
	टैक्सी ट्रैक का पुनर्सतहीकरण तथा एप्रन, आईसोलेशन वे का विस्तार	11.81	100%	कार्य पूर्ण
	रनवे का 9000 फुट तक विस्तार तथा संबंधित कार्यों सहित मौजूदा रनवे	32.00	100%	कार्य पूर्ण
	नए एप्रन, टैक्सी वे का निर्माण	41.30	100%	कार्य पूर्ण
	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	129.38	100%	कार्य पूर्ण
27.	**लुधियाना**			
	मौजूदा रनवे, टैक्सी वे तथा एप्रन का पुनर्सतहीकरण	9.80	100%	कार्य पूर्ण
28.	**श्रीनगर**			
	टर्मिनल भवन परिसर का विस्तार तथा आशोधन	101.33	100%	कार्य पूर्ण
	एप्रन का विस्तार चरण-2	26.25	100%	कार्य पूर्ण
29.	**उदयपुर**			
	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	77.44	100%	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5
	रनवे का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण तथा संबंधित कार्य	44.31	100%	कार्य पूर्ण
	नियंत्रण टावर सह तकनीकी ब्लॉक का निर्माण	9.38	100%	कार्य पूर्ण
	नए अग्निशमन स्टेशन का निर्माण	3.00	100%	कार्य पूर्ण
	लिंक टैक्सी वे सहित एप्रन का निर्माण (चरण-2)	7.76	100%	कार्य पूर्ण
30.	**वाराणसी**			
	मौजूदा रनवे का सुदृढ़ीकरण तथा सोल्डरों का प्रावधान	31.43	100%	कार्य पूर्ण
	एप्रन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा रनवे का विस्तार	40.00	100%	कार्य पूर्ण
	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण व एयरोब्रिज का निर्माण	139.40	100%	कार्य पूर्ण
पश्चिमी क्षेत्र				
31.	**अहमदाबाद**			
	नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन चरण-1 तथा 2 का निर्माण तथा एप्रन	291.00	100%	कार्य पूर्ण
	एसी अहमदाबाद में घरेलू टर्मिनल भवन के लिए नए प्रस्थान ब्लॉक का निर्माण	46.09	100%	कार्य पूर्ण
	एचवीपी हवाईअड्डा, अहमदाबाद पर त्वरित निकासी टैक्सी वे सहित समानांतर टैक्सी ट्रैक और आइसोलेशन वे का निर्माण	16.05	100%	कार्य पूर्ण
	नए आगमन ब्लॉक का निर्माण	56.94	100%	कार्य पूर्ण
	नए एप्रन का निर्माण	10.96	100%	कार्य पूर्ण
32.	**औरंगाबाद**			
	नए एप्रन का निर्माण तथा संबद्ध कार्य	99.67	100%	कार्य पूर्ण
	नए टर्मिनल भवन का निर्माण		100%	कार्य पूर्ण
	रनवे का विस्तार	25.68	100%	कार्य पूर्ण
33.	**भोपाल**			
	राजाभोज हवाईअड्डा, भोपाल में नए विस्तारणीय मॉडयूलर टर्मिनल भवन	135.04	100%	कार्य पूर्ण
	रनवे का विस्तार तथा रनवे 12 के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य आरंभ	52.10	100%	कार्य पूर्ण
	नए एप्रन का निर्माण तथा संबंधित कार्य	63.78	100%	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5
34.	**गोंदिया**			
	नए यात्री लाउंज, नियंत्रण टावर, अग्निशमन स्टेशन, चारदीवारी, आवासीय क्वार्टर तथा अन्य अनुषंगी कार्यों का निर्माण	41.75	100%	कार्य पूर्ण
	रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण	40.95	100%	कार्य पूर्ण
	समानांतर टैक्सी वे का निर्माण	18.32	100%	कार्य पूर्ण
	एनआईएटीएएम का निर्माण	52.33	100%	कार्य पूर्ण
	दो अतिरिक्त हैंगरों का निर्माण	8.00	100%	कार्य पूर्ण
35.	**इंदौर**			
	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	135.60	100%	कार्य पूर्ण
	रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा आइसोलेशन वे तथा टैक्सी वे का निर्माण	79.86	100%	कार्य पूर्ण
36.	**नागपुर**			
	अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों के लिए टर्मिनल भवन का विस्तार तथा आशोधन	43.00	100%	कार्य पूर्ण
37.	**पुणे**			
	पुणे हवाईअड्डे पर टर्मिनल भवन का निर्माण और आशोधन	96.30	100%	कार्य पूर्ण
38.	**सूरत**			
	नए टर्मिनल भवन, एटीसी, एमटी पूल, अग्निशमन स्टेशन, चारदीवारी, सड़क आदि का निर्माण	65.00	100%	कार्य पूर्ण
	रनवे, एप्रन का विस्तार सुदृढ़ीकरण चौड़ा करना तथा संबंधित कार्य	42.00	100%	कार्य पूर्ण
दक्षिणी क्षेत्र				
39.	**चेन्नई**			
	एयर लिंक का निर्माण तथा ट्रैवलेटर का प्रावधान और वे संख्या 24, 25 तथा 29 के लिए एयरोब्रिज का निर्माण	49.20	100%	कार्य पूर्ण
	चेन्नई हवाईअड्डे पर रनवे 7 पर भाविप्रा भूमि के लिए पैरीमीटर दीवार का निर्माण	5.50	100%	कार्य पूर्ण
	कनेक्टिंग टीडब्ल्यूवाई सहित बी-747 विमान के लिए 4 रात्रि पार्किंग स्टैंड का निर्माण	29.45	100%	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5
40.	**कालीकट**			
	रनवे का पुनसर्तहीकरण तथा संबंधित कार्य	26.97	100%	कार्य पूर्ण
	विद्युतीय पैकेजों सहित अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण और आशोधन	89.48	100%	कार्य पूर्ण
41.	**कोयम्बटूर**			
	टर्मिनल भवन का विस्तार और आशोधन	78.00	100%	कार्य पूर्ण
	रनवे का विस्तार	42.00	100%	कार्य पूर्ण
	आंशिक समानांतर टैक्सी वे का निर्माण तथा एप्रन का विस्तार	41.51	100%	कार्य पूर्ण
42.	**कुडप्पा**			
	रनवे, टैक्सी वे, एप्रन का निर्माण तथा संबंधित कार्य	26.12	100%	कार्य पूर्ण
43.	**मदुरै**			
	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण तथा संबंधित कार्य	128.76	100%	कार्य पूर्ण
	रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा संबंधित कार्य	35.25	100%	कार्य पूर्ण
44.	**मंगलौर**			
	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	147.01	100%	कार्य पूर्ण
	एप्रन का निर्माण		100%	कार्य पूर्ण
45.	**मैसूर**			
	मैसूर हवाईअड्डे के पेवमेंट कार्य, एनटीबी, तकनीकी ब्लॉक, नियंत्रण टावर सह अग्निशमन स्टेशन का विकास तथा संबंधित कार्य	69.29	100%	कार्य पूर्ण
46.	**पुडुचेरी**			
	पुडुचेरी हवाईअड्डे का विकास	24.34	100%	कार्य पूर्ण
47.	**राजामुंदरी**			
	कार पार्क सहित नए टर्मिनल भवन का निर्माण	43.29	100%	कार्य पूर्ण
48.	**तिरूपति**			
	रनवे, टैक्सी ट्रैक, एप्रन, आइसोलेशन वे आदि का पुनर्सतहीकरण और सुदृढ़ीकरण	17.30	100%	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5
49.	**त्रिची**			
	एप्रन का विस्तार, नए एप्रन तथा टैक्सी ट्रैक का निर्माण	17.76	100%	कार्य पूर्ण
	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	74.7	100%	कार्य पूर्ण
	रनवे का सुदृढ़ीकरण और विस्तार	25.94	100%	कार्य पूर्ण
50.	**त्रिवेन्द्रम**			
	चकई साइंड पर रनवे के ऊपर नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल परिसर का निर्माण	245.58	100%	कार्य पूर्ण
51.	**विजाग**			
	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	94.94	100%	कार्य पूर्ण
52.	**विजयवाड़ा**			
	रनवे का विस्तार	47.87	100%	कार्य पूर्ण

विवरण II

प्रगतिरत कार्य

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संस्वीकृत राशि	स्थिति	किस समय तक पूरा होने की सम्भावना है
1	2	3	4	5
पूर्वोत्तर क्षेत्र				
1.	**भुवनेश्वर**			
	नए एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण	145.54	48%	जून-2012
2.	**कोलकाता**			
	एनएससीबीआई हवाईअड्डा, कोलकाता में एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण (चरण-1)	2325.00	83%	मार्च-2012
3.	**पोर्टब्लेयर**			
	हैंगर एनेक्सी भवन, एप्रन तथा लिंक टैक्सी वे आदि का निर्माण	5.34	24%	जुलाई-2012
4.	**रांची**			
	नए एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण	137.79	89%	अप्रैल-2012

1	2	3	4	5
5.	**रायपुर**			
	नए विस्तारणीय मॉड्यूलर एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	135.72	83.5%	मई-2012
पूर्वोत्तर क्षेत्र				
6.	**अगरतला**			
	नियंत्रण टावर का निर्माण	9.67	60%	मार्च-2012
7.	**इम्फाल**			
	नए एप्रन का निर्माण	11.83	56%	जुलाई-2012
8.	**पेक्योंग**			
	पेक्योंग, सिक्किम में नए हवाईअड्डे का निर्माण (एसएचः मिट्टी की कटाई तथा भराई का कार्य, जीओ ग्रिड रिइन्फोर्स्ड रिटेंशन वॉल, निकासी प्रणाली तथा बॉक्स कॉलवेट, एयरोड्रम पेवमेंट आदि)	309.00	49%	दिसम्बर-2012
उत्तरी क्षेत्र				
9.	**जैसलमेर**			
	टर्मिनल भवन तथा कार पार्क का निर्माण	81.00	88%	दिसम्बर-2011
10.	**जम्मू**			
	एप्रन का विस्तार	15.00	30%	मार्च-2012
11.	**खजुराहो**			
	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	75.32	46%	अगस्त-2012
पश्चिमी क्षेत्र				
12.	**गोंदिया**			
	रनवे का विस्तार	42.19	7%	दिसम्बर-2012
	यात्री लाउंज के दूसरे मॉड्यूल का निर्माण	12.97	50%	दिसम्बर-2012
13.	**गोवा**			
	नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल, कार पार्क का निर्माण, एप्रन का विस्तार तथा संबंधित कार्य	330.02	30%	दिसम्बर-2012
14.	**जलगांव**			
	जलगांव हवाईअड्डे का विकास	20.00	88%	दिसम्बर-2011

1	2	3	4	5
15.	**बडोदरा**			
	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	115.97	2.5%	जून-2013
दक्षिणी क्षेत्र				
16.	**कुडप्पा**			
	नए मॉडयूलर टर्मिनल भवन का निर्माण	40.40	46%	मार्च-2012
17.	**चेन्नई**			
	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	1808.00	90%	दिसम्बर-2011
	गौण रनवे 12-30 का 1032 मी. तक विस्तार, पार्किंग वे, समानांतर टैक्सी वे आदि का निर्माण		100%	कार्य पूर्ण
	अदियार नदी आरसीसी पूर्व बलित पुल का निर्माण		100%	कार्य पूर्ण
	एकीकृत कार्गो परिसर का निर्माण चरण-3	144.84	82%	दिसम्बर-2011
18.	**पुडुचेरी**			
	यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण	29.87	55%	मार्च-2012
19.	**तिरूपति**			
	नए एप्रन का निर्माण	174.00	57.10%	मार्च-2013
	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण		5.90%	मार्च-2013

विवरण III

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अक्तूबर-11 (2011-12) तक पूर्वी क्षेत्र के लिए स्टेशनवार पूंजीगत व्यय

एयरोड्रम कार्य

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वार्षिक योजना 2011-12 बजट अनुमान 2011-12	अक्तूबर-11 (11-12) तक व्यय
1	2	3	4
1.	बेहाला	3.08	0.48
2.	भुवनेश्वर	41.97	12.29
3.	कूच विहार	2.00	0.00
4.	गया	2.11	0.00
5.	देवघर	0.05	0.00
6.	झारसुगुडा	1.55	0.00
7.	मालदा	0.01	0.00
8.	पटना	0.01	0.05
9.	पोर्ट ब्लेयर	4.51	0.55
10.	रायपुर	42.30	11.37
11.	रांची	36.51	8.23

1	2	3	4
12.	आरएचक्यू योजनाएं कोलकाता हवाईअड्डा	28.00	6.64
13.	परियोजना सहित	715.00	313.32
	कुल	877.10	352.94

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अक्तूबर-11 (2011-12) तक पश्चिमी क्षेत्र के लिए स्टेशनवार पूंजीगत व्यय

एयरोड्रम कार्य

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वार्षिक योजना 2011-12	अक्तूबर-11 (11-12) तक व्यय
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	23.56	0.39
2.	अकोला	0.05	0.00
3.	औरंगाबाद	2.11	0.00
4.	बेलगाम	0.06	0.00
5.	भावनगर	0.02	0.00
6.	भोपाल	13.05	0.44
7.	गोवा	57.01	23.68
8.	गोंदिया	32.10	7.87
9.	इंदौर	15.09	20.49
10.	जबलपुर	1.12	0.00
11.	जामनगर	0.01	0.00
12.	जुहू	0.03	0.00
13.	कांडला	0.01	0.00
14.	मुम्बई	2.60	0.08
15.	नागपुर	1.01	0.00
16.	पुणे	5.00	0.06
17.	राजकोट	0.02	0.00
18.	सूरत	8.55	0.41
19.	बड़ोदरा	10.05	0.00
20.	जलगांव	5.00	16.21
21.	आरएचक्यू योजना कुल	28.55	15.70
	कुल	205.00	85.33

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अक्तूबर-11 (2011-12) तक दक्षिणी क्षेत्र के लिए स्टेशनवार पूंजीगत व्यय

एयरोड्रम कार्य

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वार्षिक योजना 2011-12	अक्तूबर-11 (11-12) तक व्यय
1	2	3	4
1.	अगाती	0.30	0.09
2.	बंगलौर	0.10	0.00
3.	कालीकट	0.16	0.29
4.	चेन्नै	1.00	0.52
5.	कोयम्बटूर	10.06	11.85
6.	कुडप्पा	5.50	2.16
7.	हुबली	0.00	0.00
8.	हैदराबाद	0.01	0.02
9.	मदुरै	3.08	0.14
10.	मंगलौर	0.31	0.00

1	2	3	4
11.	मैसूर	2.05	0.00
12.	पुडुचेरी	12.01	0.64
13.	राजमुंदरी	10.25	3.28
14.	तिरूपति	15.50	2.48
15.	त्रिची	0.05	0.00
16.	तिरूवनन्तपुरम	0.03	3.53
17.	तूतीकोरीन	0.02	0.00
18.	वेल्लौर	0.01	0.00
19.	विजयवाड़ा	0.60	0.00
20.	विशाखापत्तनम	0.00	0.05
21.	आरएचक्यू योजनाएं	56.46	10.31
22.	परियोजना सहित चेन्नै हवाई अड्डा	505.00	198.98
	कुल	622.50	234.33

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अक्तूबर-11 (2011-12) तक उत्तरी क्षेत्र के लिए स्टेशनवार पूंजीगत व्यय

एयरोड्रम कार्य

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वार्षिक योजना 2011-12	अक्तूबर-11 (11-12) तक व्यय
1	2	3	4
1.	अजमेर	0.50	0.00
2.	अमृतसर	13.62	3.92
3.	बीकानेर	2.00	0.26
4.	भटिंडा	3.00	1.18
5.	चंडीगढ़	9.00	8.70
6.	देहरादून	1.00	0.00
7.	दिल्ली	18.80	5.46
8.	हलवारा	0.01	0.27
9.	जैसलमेर	12.00	8.72
10.	जयपुर	28.21	0.13
11.	जम्मू	9.37	0.00
12.	जोधपुर	0.10	0.00
13.	कानपुर	1.00	0.00
14.	खजुराहो	18.10	2.87
15.	कुल्लू	0.50	0.00
16.	लेह	0.60	0.00
17.	लखनऊ	24.01	10.80
18.	लुधियाना	0.00	0.00
19.	मोहाली	5.00	0.01
20.	पंतनगर	0.10	0.00
21.	श्रीनगर	6.00	1.97
22.	शिमला	1.00	0.00
23.	उदयपुर	0.10	0.81
24.	वाराणसी	6.00	9.67
25.	उ.क्षे. में हवाईअड्डे	0.05	0.00
26.	आरएचक्यू योजनाएं	32.00	22.35
	कुल	192.07	77.14

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अक्तूबर-11 (2011-12) तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्टेशनवार पूंजीगत व्यय

एयरोड्रम कार्य

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वार्षिक योजना 2011-12	अक्तूबर-11 (11-12) तक व्यय
1.	अगरतला	9.20	1.86
2.	बागडोगरा	0.70	0.41
3.	बारापानी	10.10	0.00
4.	चेथू (कोहिमा)	0.55	0.00
5.	डिब्रूगढ़	17.01	1.11
6.	दीमापुर	2.50	0.01
7.	गुवाहाटी	3.90	0.41
8.	इम्फाल	5.89	0.16
9.	ईटानगर	1.10	0.00
10.	जोरहाट	0.36	0.22
11.	कैलाशहारा	0.01	0.00
12.	कमलपुर	0.01	0.00
13.	पासीघाट	0.01	0.00
14.	पेक्योंग (सिक्किम)	80.00	10.66
15.	रूपसी	0.01	0.00
16.	सिलचर	7.03	0.60
17.	तेजू	12.00	1.61
18.	तेजपुर	0.00	0.00
19.	तूरा	0.01	0.00
20.	जीरो	0.01	0.00
21.	आरएचक्यू योजनाएं	31.08	11.57
	कुल	181.48	28.61

कोयले की अनियमित आपूर्ति

1550. श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत मंत्रालय और कोयला मंत्रालय ने विद्युत परियोजनाओं के लिए वरीयता के आधार पर कोयला आपूर्ति करने के मुद्दे पर चर्चा की है या चर्चा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत मंत्रालय ने उनके मंत्रालय से ई-नीलामी करने से पहले विद्युत परियोजनाओं हेतु कोयला आपूर्ति देने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में इस मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है;

(ङ) क्या बिहार के विद्युत संयंत्रों को कोयला प्रदान करने में अनियमितताएं बरती जा रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में विद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर कोयले की आपूर्ति करने के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अनेक बैठकें आयोजित की गई हैं जिनमें कोयला मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं। इसके अलावा, इस मामले की समीक्षा कोयला मंत्रालय द्वारा विद्युत मंत्रालय और रेल मंत्रालय के साथ नियमित आधार पर की जा रही है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को सलाह दी गई है कि वे अक्तूबर, 2011 से प्राथमिकता आधार पर विद्युत उपभोक्ता कंपनियों को कोयले की लोडिंग में सुधार लाएं। सितम्बर और अक्तूबर, 2011 के दौरान सीआईएल स्रोतों से औसत रेल लोडिंग क्रमश: 146 और 158 रैक थी। नवम्बर, 2011 के दौरान 27 तक, सीआईएल स्रोतों से औसत रेल लोडिंग लगभग 181 रैक प्रति दिन तक बढ़ गयी थी जिसमें से औसतन 143.6 रैक विद्युत क्षेत्र को प्रेषित किए गए थे।

(ग) जी, हां।

(घ) कोयला मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय के परामर्श से निर्णय लिया कि कोल इंडिया लि. (सीआईएल) इस शर्त के अधीन अक्तूबर, 2011 के दौरान विद्युत उपभोक्ता कंपनियों द्वारा ई-नीलामी के अंतर्गत मासिक कोयला मात्रा आवंटित करेगी कि कोयले की बुक की गई मात्रा की ढुलाई की व्यवस्था स्वयं विद्युत संयंत्रों द्वारा की जाएगी। तदनुसार, सीआईएल ने अक्तूबर, 2011 में विद्युत उपभोक्ता कंपनियों को अतिरिक्त 5.05 मिलियनटन की पेशकश की। (जिसकी तुलना में केवल 0.342 मिलियन टन की मात्रा विद्युत उपभोक्ता कंपनियों द्वारा बुक की गई है)।

(ङ) और (च) सीआईएल स्रोतों से कोयला प्राप्त करने वाले तीन विद्युत संयंत्र हैं नामत: बरौनी थर्मल पावर स्टेशन (टीपीएस), मुजफ्फरपुर (कांटी) थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) और कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन। इन संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति के संबंध में कोई अनियमितताएं कोयला मंत्रालय के ध्यान में नहीं लायी गयी हैं।

घोटाले और भ्रष्टाचार

1551. श्री राधा मोहन:
डॉ. बलीराम:
श्री भूदेव चौधरी:
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को भ्रष्टाचार से निपटने हेतु कदम उठाने के निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को उद्योगपतियों, बुद्धिजीवियों, संस्थानों, न्यायाधीशों आदि से ऐसे पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि सरकार के निर्णय न लेने के कारण अनेक घोटाले एवं भ्रष्टाचार हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाये गये किसी व्यक्ति को अधिकतम कितना दण्ड दिया जा सकता है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) भ्रष्टाचार निवारण, सामान्य आपराधिक कानून का पहलू होने के नाते संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के दायरे में आता है। संसद द्वारा अधिनियमित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 संघ के साथ-साथ राज्य सरकारों के लोक सेवकों पर भी लागू है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सत्यनिष्ठा संधि अंगीकार करने, राज्यों में लोक आयुक्तों की स्थापना करने आदि जैसे अनेक उपाय सुझाए हैं।

इस संबंध में केन्द्र सरकार की अनेक पहलों में से एक अति महत्वपूर्ण पहल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन है जिसे केन्द्र के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

(ग) और (घ) मीडिया में यह रिपोर्ट आई है कि उद्योगपतियों सहित प्रमुख हस्तियों के एक समूह ने सरकार, व्यवसाय और राष्ट्रीय संस्थानों सहित राष्ट्रीय गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में "शासनाभाव" अनुभव कर चिन्ता व्यक्त करते हुए राष्ट्र के नेताओं को एक खुला पत्र लिखा है जिसमें भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से अविलंब निपटने हेतु सरकार से प्रश्न किया गया है। उन्होंने प्रत्येक राज्य में लोकायुक्तों की संस्था स्थापित करने तथा भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यक्तियों से निपटने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल विधेयक को शीघ्र पुर:स्थापित करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है।

सरकार, भ्रष्टाचार पर "बिल्कुल बर्दाश्त नहीं" की अपनी नीति के प्रति पूर्णत: वचनबद्ध है और सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिसमें संसद में लोकपाल विधेयक का पुर:स्थापन भी शामिल है।

(ङ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत विभिन्न अपराधों हेतु निर्धारित अधिकतम सजा निम्नानुसार है:

अपराध	अधिकतम सजा
धारा 7, 8, 9, 10, 11, और 12 के अंतर्गत	पांच वर्ष का कारावास और जुर्माना
धारा 13 और 14 के अंतर्गत	सात वर्ष का कारावास और जुर्माना
धारा 15 के अंतर्गत	तीन वर्ष का कारावास और जुर्माना

डाक बचत में गिरावट

1552. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
श्री लक्ष्मण टुडु:
श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्रीमती दर्शना जरदोश:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार राज्य-वार डाकघरों में कितने बचत खाते खोले गए हैं तथा उनमें कितनी धनराशि जमा है;

(ख) क्या अनेक खाताधारकों ने डाकघरों में अपने खाते बंद कर दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान इन खातों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) डाकघरों में लघु बचत खातों के ग्राहकों में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) बचत खातों की संख्या और बकाया राशि का रखरखाव वित्त वर्ष एवं डाक सर्किल-वार आधार पर किया जाता है। वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के लिए यह सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्र एवं राज्य सरकार प्रिंट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया के साथ-साथ बैठकों, सेमिनारों के आयोजन एवं विभिन्न लघु बचत योजनाओं के तहत जमा राशि एकत्र करने में शामिल विभिन्न एजेंसियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए लघु बचत योजनाओं को प्रोत्साहित करने एवं लोकप्रिय बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय करती हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के लिए बचत बैंक खातों की सर्किलवार संख्या एवं बकाया राशि

क्र.सं.	सर्किल	बचत बैंक खातों की संख्या			बकाया राशि (करोड़ में)		
		2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	13824036	16556362	6338616	978.46	1158.46	1248.46
2.	ए.पी.एस.	192855	210879	234444	71.74	76.81	71.78
3.	असम	1655120	1643587	2441440	390.34	474.11	609.23
4.	बिहार	5291500	5910820	10224438	1537.09	1716.37	1781.52
5.	छत्तीसगढ़	722531	1088007	1397632	306.73	359.64	421.43
6.	दिल्ली	906263	948083	972957	836.71	1019.67	1215.18
7.	गुजरात	3136978	3754377	3692284	1365.76	1514.04	1801.53
8.	हरियाणा	1705529	1874350	2036405	595.33	696.10	806.51
9.	हिमाचल प्रदेश	912498	1054295	1429653	462.17	545.71	669.65
10.	जम्मू और कश्मीर	415285	410484	498283	231.57	251.30	290.03

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	झारखंड	बिहार में शामिल	2999094	3261804	223.91	239.53	36.10
12.	कर्नाटक	3906540	5359193	6674801	1086.65	1233.07	1449.68
13.	केरल	2611540	2371301	2792932	496.65	567.85	631.54
14.	मध्य प्रदेश	3403400	3925957	3884524	1167.39	1475.24	2333.56
15.	महाराष्ट्र	3526635	4399594	4309084	1783.31	2042.39	1828.84
16.	पूर्वोत्तर	726668	622713	670099	251.53	294.09	332.67
17.	ओडीशा	4610603	49168736	4769008	743.51	884.89	1005.96
18.	पंजाब	1527889	1722099	1920986	1228.18	1345.66	1556.69
19.	राजस्थान	3300942	3920783	7695805	961.57	1156.50	1234.18
20.	तमिलनाडु	6626316	7327296	8357106	1610.17	1777.31	2003.03
21.	उत्तर प्रदेश	8086733	8261722	10586132	3341.79	4029.22	4500.68
22.	उत्तराखंड	2111986	2406178	2559211	344.9	450.33	593.08
23.	पश्चिम बंगाल	7161774	6880983	7728983	2674.03	3148.81	3678.5
	कुल	76363621	88564993	96477627	22689.49	26457.10	30099.83

[अनुवाद]

कामगारों के लिए योजना

1553. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री धमेन्द्र यादव:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार दो वर्ष पहले विदेशों से परेशानी में लौट रहे भारतीय कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु किसी कोष की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव लाई थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार अप्रवासी भारतीय कामगारों को पुनर्वास लागत, बीमा कवर एवं पेंशन लाभ प्रदान करने हेतु कोई योजना शुरू करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना में क्या वित्तीय बाधाएं हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालर रवि): (क) और (ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) प्रस्तावति पेंशन और जीवन बीमा कोष (पीएलआईएफ) योजना का उद्देश्य, विदेश स्थित भारतीय प्रावासी कामगारों द्वारा उनकी वापसी, उनके पुनर्वास और उनकी वृद्धावस्था के लिए स्वैच्छिक रूप से बचत करने, को प्रोत्साहन देना, योग्य बनाना और इसमें सहायता करना है। यह योजना, लक्षित लाभार्थियों को प्राकृतिक मृत्यु होने पर, कम-लागत का जीवन बीमा कवर भी प्रदान करेंगी। 5 वर्षों के लिए योजना पर अनुमानित व्यय रु. 44.10 करोड़ है।

आईआईटी छात्रों के शुल्क में वृद्धि

1554. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री संजय भोई:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद ने आईआईटी छात्रों के शुल्क में चार गुणा वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसक क्या कारण हैं;

(ग) इसका क्रियान्वयन कब तक किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार की इस संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गो की सहायता करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद ने 14 सितम्बर, 2011 को हुई अपनी 43वीं बैठक में आईआईटी प्रणाली की स्वायत्ता बढ़ाने के और उन्हें उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के लिए विश्व स्तर के संस्थान बनाने के लिए रोड मैप पर डॉ. अनिल काकोदकर समिति की रिपोर्ट को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की है कि जहां विद्यार्थी छात्रवृत्तियां, पूंजी और आधारिक खर्च सरकार द्वारा पूरी तरह वहन किया जाता रहेगा, वहीं परिचालानात्मक खर्च आईआईटी स्वयं पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार जहां पंजीगत लागत सरकार की ओर से पूरी की जाए, वहीं स्नातक पूर्व कार्यक्रम का विद्यार्थी रोजगार पा जाने पर शिक्षा की आवर्ती लागत के प्रति अधिक फीस दे सकता है जो किसी भी आईआईटी स्नातक की अर्जन संभाव्यता के आधार पर न्यायसंगत है। समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए अधिकार प्राप्त कार्यबल गठित किया गया है।

(घ) और (ङ) काकोदकर समिति स्नातक-पूर्व कार्यक्रम में आरक्षित और सामाजिक रूप से वंचित ग्रुपों के लिए विद्यार्थी फीस के निधीयन के लिए एक राष्ट्रीय आईआईटी छात्रवृत्ति योजना शुरू करने और मास्टर तथा पीएचडी कार्यक्रमों को निर्बाध पूरा करने के लिए भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को समर्थ बनाने की परिकल्पना करती है। इस बारे में विस्तृत तौर तरीके अभी तैयार किए जाने हैं।

बीएसएनएल के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

1555. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री विजय बहादुर सिंह:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने अपने कर्मचारियों के लिए कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक कर्मचारी समूह के लिए क्या विस्तृत प्रविधि एवं भुगतान योजना है तथा इसके परिणामस्वरूप कुल कितना व्यय होने की संभावना है;

(ग) इस पर कर्मचारी संघों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) जी, हां। प्रस्तावित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विवरण निम्नानुसार है:-

पात्रता

यह योजना उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और जिन्होंने भारत संचार निगम लिमिटेड में नियमित कर्मचारी के रूप में 15 वर्ष सेवा की है।

वित्तीय लाभ

इस योजना के अनुसार कर्मचारी को सेवा के प्रत्येक पूरे किए गए वर्ष के लिए 60 दिनों के वेतन (मूल वेतन+ महंगाई भत्ता) की अनुग्रह राशि अथवा शेष रह गई सेवा के महीनों की संख्या का वेतन, इनमें से जो भी कम हो, प्राप्त होगा। तथापि, अधिकतम 60 महीनों के वेतन की ही प्रतिपूर्ति की जाएगी। अनुग्रह राशि, सामान्य सेवानिवृत्ति लाभों के अतिरिक्त रूप में होगी। लगभग एक लाख कर्मचारियों के लिए प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि पर होने वाला संभावित व्यय

लगभग 11, 276 करोड़ रु. आंका गया है। इसके अतिरिक्त सामान्य सेवानिवृत्ति लाभों जैसेकि उत्पादन, पेंशन, छुट्टी नकदीकरण और स्थानांतरण अनुदान पर व्यय होगा।

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने कार्यकारिणी संघों और स्टाफ यूनियनों के साथ परामर्श किया था। भारत संचार निगम लिमिटेड ने सूचित किया है कि अधिकांश संघों/यूनियनों ने इस योजना का विरोध किया अथवा अपनी आपत्ति व्यक्त की है।

(घ) इस प्रस्ताव की दूरसंचार विभाग में जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

घरेलू विमान कंपनियों को हुई हानि

1556. **श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र:**
श्री गणेश सिंह:
श्री सी. शिवासामी:
श्रीमती श्रुति चौधरी:
श्री प्रताप सिंह बाजवा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू विमान उद्योग को चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विमान-कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू विमान ईंधन मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय ईंधन मूल्यों की तुलना में कई गुणा अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी हां। चालू वित्त वर्ष में एयरलाइनों को हुए घाटों का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी हां। भारत तथा अन्य एशियाई देशों में दिनांक 1.11.2011 से विमान टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) का प्रति कि. लीटर मूल्य निम्नानुसार है:

शहर	कुल मूल्य (रुपये में)
1	2
बैंकाक	43299.80
सिंगापुर	42289.90
क्वालालम्पुर	41009.33
शारजाह	44497.77
दुबई	43087.33
चेन्नै	61687.17
बंगलौर	59052.28
मुम्बई	60733.64
दिल्ली	57528.32
कोलकाता	68769.64

घरेलू विमानन ईंधन की उच्चतर कीमत का एक कारण विमानन टर्बाइन ईंधन पर सरकारों द्वारा लगाए गए विभिन्न कर हैं।

[अनुवाद]

व्यावसायिक शिक्षा

1557. **श्री अशोक तंवर:**
श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र प्रायोजित योजना "माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण" संशोधन के अधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस संबंध में ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कुल कितनी धनराशि नियत की गई तथा अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(घ) इस योजना को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने की संशोधित योजना को आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति द्वारा 15.09.2011 को अनुमोदित किया गया।

(ग) योजना हेतु ग्यारहवीं योजना के लिए आबंटन 2000.00 करोड़ रु. है। योजना का संशोधन लंबित होने की स्थिति में ग्यारहवीं योजना में अभी तक कोई निधियां जारी नहीं की गई थी। योजना के संशोधन के पश्चात, वर्ष 2011-12 हेतु 25 करोड़ रु. के आबंटन में से अब 4.97 करोड़ रु. के आबंटन में से अब 4.97 करोड़ रु. जारी किए गए है।

(घ) संशोधित योजना की मुख्य ताकत उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने में उद्योग के साथ साझेदारी है। नए व्यावसायिक स्कूलों की स्थापना तथा सरकारी क्षेत्र में मौजूदा व्यावसायिक स्कूलों के सुदृढ़ीकरण के अलावा, सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के बच्चों के लिए निजी स्कूलों को सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। पाठ्यक्रमों को आवधिक रूप से संशोधित किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षकों के क्षमता निर्माण की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत एक व्यावसायिक शिक्षा सैल की स्थापना की गई है।

[हिन्दी]

उच्च गुणवत्ता वाले कोयले का अवैध खनन

1558. श्री कपिल मुनि करवारिया:
श्री राम सुन्दर दास:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न कोयला खदानों से घटिया किस्म का कोयला घोषित कर अवैध रूप से ले जाए जा रहे उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की मात्रा का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कंपनी-वार टन-वार और मूल्य-वार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने सूचित किया है कि विभिन्न ग्रेडों का कोयला घोषित ग्रेडों के अनुसार बेचा जाता है और यह कि सीआईएल को उच्च गुणवत्ता वाले कोयले को घटिया किस्म का कोयला घोषित कर गैर-कानूनी तरीके से ले जाने के किसी मामले की जानकारी नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के निर्णयों पर समीक्षा अपील

1559. श्री बसुदेव आचार्य:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (केट) के निर्णय के विरूद्ध दायर की गई अपीलों तथा इस संबंध में उन मामलों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें न्यायालयों ने केंद्र सरकार के विरूद्ध आदेश जारी किए हैं;

(ख) क्या इन मामलों का केंद्रीय रूप से रिकार्ड रखा जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस निर्णय के सरकार के खिलाफ जाने पर जिम्मेदार अधिकारों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो इसके संबंध में क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गए है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान केट के पास लंबित सेवा मामलों का ब्यौरा क्या है तथा इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(छ) वर्तमान में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों में विभिन्न स्तरों पर कितनी रिक्तियां हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) डॉटा केंद्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है क्योंकि अपीलें, आवेदनकर्ताओं/संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के अभ्यर्थियों/प्रतिवादियों द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों के विरूद्ध दायर की जाती है।

(घ) और (ङ) अनुशासनिक नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ख) मामलों के शुरू किए जाने, निपटाए जाने और लंबित रहने के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

तक की अवधि	शुरू किए गए	निपटाए गए	लंबित
31.12.2008	18287	20352	21712
31.12.2009	24496	23681	22527
31.12.2010	26620	25477	23670

मामलों का लंबित होना, प्रत्येक वर्ष अधिक संख्या में लगाए गए मामलों के कारण है।

(छ) वर्तमान में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में न्यायिक सदस्य की तीन रिक्तियां और प्रशासनिक सदस्य की एक रिक्ति है इसे अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित पद केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में वर्तमान में रिक्त है

समूह 'क' 20	20
समूह 'ख' 68	68
समूह 'ग' 57	57

अतिरिक्त स्पेक्ट्रम

1560. **श्री एस. अलागिरी:**
श्री रूद्रमाधव राय:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की जांच के अनुसार टेलीकॉम आपरेटरों के पास करोड़ों रुपये का अतिरिक्त स्पेक्ट्रम है;

(ख) यदि हां, तो इन आपरेटरों के नाम क्या हैं तथा उनके पास कितना अतिरिक्त स्पेक्ट्रम है;

(ग) क्या सरकार का विचार अतिरिक्त स्पेक्ट्रम को वापस लेने तथा उसे नये प्रवेशकों को आवंटित करने का है;

(घ) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है तथा स्पेक्ट्रम को पुन: आवंटित करने के परिणामस्वरूप कितना राजस्व अर्जित होने की संभावना है; और

(ङ) सरकारी तथा निजी जीएसएम दोनों आपरेटरों से देयराशि की वसूली करने हेतु क्या कदम उठाये गए?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ङ) एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारकों को उनके सेवा लाइसेंस करारों के प्रावधानों के अनुसार आरंभिक/स्टार्ट अप स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है जो स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के अध्याधीन किया जाता है। सेवा में विस्तार और वर्धित उपभोक्ता आधार के दृष्टिगत समय-समय पर विकसित किए गए उपभोक्ता आधारित मानदंडों के आधार पर अतिरिक्त स्पेक्ट्रम भी आवंटित किया जा रहा है जो किसी दूरसंचार सेवा क्षेत्र में स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के अध्यधीन किया जाता है। 2जी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आवंटित स्पेक्ट्रम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

ट्राई ने 11 मई, 2010 को "**स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग ढांचा**" विषय पर की गई अपनी सिफारिश में यह कहा है कि किसी एक सेवा प्रदाता को आवंटित किए जाने वाले अधिकतम स्पेक्ट्रम की मात्रा अन्य सभी सेवा क्षेत्रों में 2x 8 मेगाहट्‌र्ज होगी जबकि दिल्ली और मुंबई सेवा क्षेत्रों के संदर्भ में यह सीमा 2 x 10 मेगाहट्‌र्ज होगी। इसी प्रकार सीडीएमए स्पेक्ट्रम के लिए प्राधिकरण ने यह सिफारिश की है कि किसी एक सेवा प्रदाता को आवंटित किए जाने वाले अधिकतम स्पेक्टम की मात्रा अन्य सभी सेवा क्षेत्रों में 2x 5 मेगाहट्‌र्ज होगी जबकि दिल्ली और मुंबई मेट्रो सेवा क्षेत्रों के संदर्भ में यह सीमा 2x 6.25 मेगाहट्‌र्ज होगी। ट्राई ने अनुबंधित मात्रा से अधिक स्पेक्ट्रम आवंटित किए जाने पर प्रभारित स्पेक्ट्रम मूल्य के संबंध में 8 फरवरी, 2011 को आगे और सिफारिशें की है। उपर्युक्त सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

31.10.2010 की स्थिति के अनुसार सभी जीएसएम प्रचालकों (यूएएस लाइसेंसधारक) को आवंटित स्पैक्ट्रम का ब्यौरा

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र	प्रचालक	900 मेगाहट्‌र्ज बैंड में आवंटन मेगाहट्‌र्ज में	1800 मेगाहट्‌र्ज बैंड में आवंटन मेगाहट्‌र्ज में	मेगाहट्‌र्ज में कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली	भारती	8.0	2.0	10.0
		वोडाफोन	8.0	2.0	10.0

1	2	3	4	5	6
		एमटीएनएल	6.2	6.2	12.4
		आइडिया		8.0	8.0
		एयरसेल लि.		4.4	4.4
		रिलायंस		4.4	4.4
		एटिसलाट डीबी प्रा. लि.		4.4	4.4
		कुल	22.2	31.4	53.6
2.	मुंबई	वोडाफोन	8.0	2.0	10.0
		भारती		9.2	9.2
		एमटीएनएल	6.2	6.2	12.4
		आइडिया		4.4	4.4
		रिलायंस		4.4	4.4
		बीपीएल	8.0	2.0	10.0
		एयरसेल लि.		4.4	4.4
		एटिसलाट डीबी प्रा. लि.		4.4	4.4
		डाटा कॉम		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		कुल	22.2	50.2	72.4
3.	कोलकाता	भारती	6.2	1.8	8.0
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		रिलायंस		6.2	6.2
		एयरसेल		4.4	4.4
		वोडाफोन	7.8	2.0	9.8
		आइडिया		4.4	4.4
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		कुल	20.2	40.2	60.4
4.	महाराष्ट्र	भारती	0.0	8.2	8.2
		आइडिया	7.8	2.0	9.8

1	2	3	4	5	6
		रिलांयस	0.0	4.4	4,4
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		वोडाफोन	6.2	0.0	6.2
		एयरसेल लि.	0.0	4.4	4.4
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		एटिसलाट डीबी प्रा.लि.		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		स्पाइस		4.4	4.4
		कुल	20.2	49.2	69.4
5.	गुजरात	वोडाफोन	7.8	2.0	9.8
		रिलायंस		4.4	4.4
		बीएसएनएल	6.2	1.2	7.4
		आइडिया	6.2	0.0	6.2
		भारती		6.2	6.2
		एयरसेल लि.		4.4	4.4
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		एटिसलाट डीबी प्रा.लि.		4.4	4.4
		लूप.		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		कुल	20.2	40.2	60.4
6.	आंध्र प्रदेश	वोडाफोन		6.2	6.2
		एयरसेल लि.		4.4	4.4
		रिलायंस		4.4	4.4

1	2	3	4	5	6
		भारती	7.8	2.2	10.0
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		आइडिया	6.2	1.8	8.0
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		स्पाइस		4.4	4.4
		एटिसलाट डीबी प्रा.लि.		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		कुल	20.2	49.2	69.4
7.	कर्नाटक	भारती	7.8	2.2	10.0
		स्पाइस	6.2	0.0	6.2
		वोडाफोन		8.0	8.0
		एयरसेल लि.		4.4	4.4
		रिलायंस		4.4	4.4
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		आइडिया		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		एटिसलाट डीबी प्रा.लि		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		कुल	20.2	49.2	69.4
8.	तमिलनाडु (चेन्नै सहित)	भारती		9.2	9.2
		वोडाफोन	6.2	1.8	8.0
		रिलायंस		4.4	4.4

1	2	3	4	5	6
		एयरसेल लि.	7.8	2.0	9.8
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		आइडिया		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		एटिसलाट डीबी प्रा.लि.		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		कुल	20.2	47.6	67.8
9.	केरल	बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		वोडाफोन	6.2	0.0	6.2
		भारती		6.2	6.2
		आइडिया	6.2	1.8	8.0
		रिलायंस		4.4	4.4
		डिशनेट		4.4	4.4
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		एटिसलाट डीबी प्रा.लि.		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		कुल	18.6	42.6	61.2
10.	पंजाब	वोडाफोन		6.2	6.2
		भारती	7.8	0.0	7.8
		स्पाइस	7.8	0.0	7.8
		बीएसएनएल	6.2	0.0	6.2
		रिलांयस		4.4	4.4

1	2	3	4	5	6
		एयरसेल लि.		4.4	4.4
		एचएफसीएल		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		एटिसलाट डीबी प्रा.लि.		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		आइडिया		4.4	4.4
		कुल	21.8	41.4	63.2
11.	हरियाणा	भारती		6.2	6.2
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		रिलायंस		4.4	4.4
		आइडिया	6.2	0.0	6.2
		वोडाफोन	6.2	0.0	6.2
		डिशनेट		4.4	4.4
		एटिसलाट डीबी प्रा.लि.		4.4	4.4
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		स्पाइस		4.4	4.4
		कुल	18.6	45.2	63.8
12.	उत्तर प्रदेश (प्र.)	भारती		6.2	6.2
		वोडाफोन	6.2	0.0	6.2
		आइडिया	6.2	1.8	8.0
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		रिलायंस		4.4	4.4

1	2	3	4	5	6
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		एटिसलाट डीबी प्रा.लि.		4.4	4.4
		एयरसेल लि.		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		कुल	18.6	42.6	61.2
13.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	भारती	6.2	1.0	7.2
		वोडाफोन	6.2	2.0	8.2
		रिलायंस		4.4	4.4
		आइडिया		6.2	6.2
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		डिशनेट		4.4	4.4
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		एटिसलाट डीबी प्रा.लि.		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		कुल	18.6	43.8	62.4
14.	राजस्थान	वोडाफोन	6.2	0.0	6.2
		आइडिया		6.2	6.2
		रिलायंस		4.4	4.4
		बीएसएनएल	6.2	1.8	8.0
		भारती	6.2	2.0	8.2
		एयरसेल लि.		4.4	4.4
		श्याम टेलीलिंक		4.4	4.4

1	2	3	4	5	6
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		एटिसलाट डीबी प्रा.लि.		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		कुल	18.6	45.2	63.8
15.	मध्य प्रदेश	भारती		8.0	8.0
		वोडाफोन		4.4	4.4
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		रिलांयस	6.2	0.0	6.2
		आइडिया	6.2	1.8	8.0
		डिशनेट		4.4	4.4
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		एलायंज		4.4	4.4
		कुल	18.6	44.4	63.0
16.	पश्चिम बंगाल	भारती	4.4	1.8	6.2
		डिशनेट		4.4	4.4
		वोडाफोन	4.4	1.8	6.2
		रिलायंस	4.4	1.8	6.2
		बीएसएनएल	6.2	1.8	8.0
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		आइडिया		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4

1	2	3	4	5	6
		लूप		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		कुल	19.4	33.6	53.0
17.	हिमाचल प्रदेश	वोडाफोन		4.4	4.4
		डिशनेट		4.4	4.4
		भारती	6.2	0.0	6.2
		रिलायंस	6.2	0.0	6.2
		आइडिया		4.4	4.4
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		एस.टेल		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		कुल	18.6	39.0	57.6
18.	बिहार	भारती	6.2	3.0	9.2
		वोडाफोन		4.4	4.4
		रिलायंस	6.2	1.8	8.0
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		डिशनेट		4.4	4.4
		एबीटीएल		4.4	4.4
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		एस.टेल		4.4	4.4

1	2	3	4	5	6
		लूप		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		एलायंज		4.4	4.4
		कुल	18.6	48.2	66.8
19.	ओडीशा	वोडाफोन		4.4	4.4
		रिलायंस	6.2	0.0	6.2
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		डिशनेट		4.4	4.4
		भारती	6.2	1.8	8.0
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		आइडिया		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		एस.टेल		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		टीटीएसएल		4.4	4.4
		कुल	18.6	40.8	59.4
20.	असम	वोडाफोन		4.4	4.4
		भारती	1.8	4.4	6.2
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		रिलायंस	6.2	0.0	6.2
		डिशनेट	4.4	1.8	6.2
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		आइडिया		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4

1	2	3	4	5	6
		लूप		4.4	4.4
		एस.टेल		4.4	4.4
		कुल	18.6	36.4	55.0
21.	पूर्वोत्तर	भारती	4.4	1.8	6.2
		बीएसएनएल	6.2	3.8	10.0
		रिलायंस	4.4	1.8	6.2
		डिशनेट	4.4	0.0	4.4
		वोडाफोन		4.4	4.4
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		आइडिया		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		एस. टेल		4.4	4.4
		कुल	19.4	33.8	53.2
22.	जम्मू और कश्मीर	वोडाफोन		4.4	4.4
		रिलायंस		4.4	4.4
		बीएसएनएल	8.0	0.0	8.0
		डिशनेट	4.4	0.0	4.4
		भारती	6.2	0.0	6.2
		डाटाकॉम		4.4	4.4
		आइडिया		4.4	4.4
		यूनिटेक		4.4	4.4
		लूप		4.4	4.4
		एस.टेल		4.4	4.4
		कुल	18.6	30.8	49.4

संयुक्त राष्ट्र पर बकाया

1561. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्तूबर, 2011 तक संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारत की भागीदारी के संबंध में संयुक्त राष्ट्र से बकाया देयों की प्रतिपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) भुगतान में देर के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपलब्ध कराये गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 31 अक्तूबर, 2011 को संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारत की भागीदारी के संबंध में संयुक्त राष्ट्र से लगभग 52.40 मिलियन अमरीकी डालर प्रतिपूर्ति बकाया है, जिसमें से 15.24 मिलियन अमरीकी डालर सैन्य दल और अमरीकी डालर उपस्कर की लागत के लिए हैं।

(ख) कुछ सदस्य देशों द्वारा बजट अंशदान का समय पर भुगतान नहीं किये जाने के कारण सुंयक्त राष्ट्र में निधि की कमी हो गई, जिसके चलते प्रतिपूर्ति में इस प्रकार का विलंब हुआ।

(ग) भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से इसकी बकाया राशि का भुगतान करने का आग्रह है।

जेलों में भारतीय

1562. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:
श्री निशिकांत दुबे:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों की जेलों में बंद भारतीयों के अपराध/जन पद लगाए गए अभियोग और उन्हें दी गयी सजा का देश-वार और लिंग-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान नागरिकों का वर्ष-वार देश-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें विदेशों में मृत्युदंड दिया गया?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख)सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कोल इण्डिया लिमिटेड में हड़ताल

1563. श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इण्डिया और इसकी सहायक कम्पनियों तथा सिंगरेनी कोलियरी कम्पनी लिमिटेड के कर्मचारी बार-बार हड़ताल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सहायक कम्पनी-वार विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) हड़ताल की अवधि के दौरान इन कोयला कम्पनियों से कोयला-उत्पादन की हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा कोयला कर्मचारियों की मांग को पूरा करने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इन कोलियरिज से कोयला उत्पादन और उसकी आपूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोल इंडिया लि. (एससीएल) में हुई हड़तालों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

2008-09

1. सीआईएल- वेतन संशोधन के मुद्दे पर नार्दन कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल), भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीएल) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) में 28.4.2008 को हड़ताल हुई थी।

2. सीआईएल- कुल 49 खानों में से 8 खानों के कामगार सरकार की नितियों के विरूद्ध 20.8.2009 को हड़ताल पर चले गए थे। उसी प्रकार, 2 खानों के कामगार अपनी वेतन पर्चियों में हुई गलतियों को तत्काल सुधार की मांग करते हुए 08.11.2009 को हड़ताल पर चले गए।

2009-10

1. सीआईएल- शून्य

2. एससीसीएल- एक खान के कामगार विडिंग शाफ्ट की उपलब्धता के परिवर्तन की मांग करते हुए 19.07.2009 और 20.07.2009 को हड़ताल पर चले गए। उसी प्रकार 05.10.2007 को, एक खान के कामगार मौजूदा 15 मिनटों के स्थान पर "इन टाइम" बुकिंग के लिए 30 मिनट की ग्रेस अवधि के बाद देर से आने वालों को अनुमति दिए जाने की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए।

2010-11

1. सीआईएल- ईसीएल, बीसीसीएल और सीसीएल में विनिवेश, अनुलाभ कर और सीआईएल को अवसंरचना उद्योग घोषित करने की मांग पर 5.5.2010 को हड़ताल थी। महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल) उपर्युक्त मुद्दों पर और रोजगार संबंधी बाधाओं को दूर करने भू-वंचितों को बेहतर मुआवजा और सभी सहायक कंपनियों में अप्रयुक्त ब्लाकों का और आगे आवंटन करने के लिए हड़ताल पर थे।

2. एससीसीएल - सभी खानों के सभी कर्मचारी (आवश्यक स्टाफ को छोड़कर) केन्द्र सरकार की नितियों अर्थात मूल श्रमिक कानूनों को लागू न किए जाने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के विनिवेश आदि के विरूद्ध विरोध करते हुए 07.09.2010 को हड़ताल पर चले गए। उसी प्रकार, 22.02.2011 और 23.02.2011 को ये कर्मचारी पृथक तेलंगाना राज्य के तत्काल सृजन की मांग में किए बंद के आह्वान के समर्थन में हड़ताल पर चले गए।

2011-12 (अक्टूबर, 2011 तक)

1. सीआईएल- 10.10.2011 को, सीआईएल की सभी सहायक कंपनियां वर्ष 2009-10 के लिए ठेके के कामगारों की मजदूरी में वृद्धि के बदले निष्पादन संबद्ध पारितोषिक/बोनस/अनुग्रह राशि के रूप में 25,000/-रु. तथा अनुग्रह राशि के रूप में 1000/-रु. की मांग के लिए औद्योगिक हड़ताल पर चली गई।

2. एससीसीएल- सभी कर्मचारी 47 मांगों के चार्टर के मुद्दे पर 20.06.2011 और 23.06.2011 को हड़ताल पर गए। वे पुन: 05.07.2011, 06.07.2011 और 13.09.2011 से 17.10.2011 की तीसरी पाली तक पृथक तेलंगाना राज्य के लिए तेलंगाना बंद के आह्वान के समर्थन में हड़ताल पर गए।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में उपर्युक्त हड़ताल अवधि के दौरान सीआईएल और एससीसीएल की कोयला कंपनियों से सूचित कोयले के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	उत्पादन घाटा (टन में)	
	सीआईएल	एससीसीएल
2008-09	239983	19072
2009-10	शून्य	4893
2010-11	84358	422984
2011-12 (अक्टूबर, 2011 तक)	495146	4011091

(घ) सेंट्रल ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) की सचिव, कोयला मंत्रालय के साथ 09.04.2010 को एक बैठक आयोजित की गई थी और तदनंतर, सीटीयू के साथ कोयला मंत्री की 16.04.2010 को एक दूसरी बैठक हुई जिसमें सीटीयू की मांग पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। 10.10.2011 को हड़ताल के संबंध में, माननीय कोयला मंत्री और सभी सीटीयू के साथ एक बैठक 17 अक्टूबर 2011 को आयोजित की गई जिसमें सीएमडी सीआईएल भी उपस्थित थे और सीटीयू की मांग पर विचार किया गया, जिसके बाद हड़ताल समाप्त हो गई है और सामान्य स्थिति बहाल हो गई। कोयला कंपनियों और यह मंत्रालय ट्रेड यूनियनों के साथ उनकी मांग को सुलझाने के लिए समय-समय पर बैठकें आयोजित करते हैं तथा उनकी मांगों को मित्रवत सुलझाती हैं।

(ङ) वर्तमान में, सीआईएल और एससीसीएल की सहायक कंपनियों की कोलियरियों से कोयले का उत्पादन और आपूर्ति सामान्य है। 2011-12 के पूर्वाद्ध में सीआईएल के लिए कुल उतपादन और उठाव क्रमश: 176.62 मिलियन टन और 199.07 मिलियन टन है। एससीसीएल ने तदनुरूपी अवधि के दौरान 21.64 मिलियन टन का उत्पादन किया है और 23.20 मिलियन टन की आपूर्ति की है।

मदुरई और त्रिची से अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं

1564. श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री मानिक टैगोर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में देश के मदुरई और त्रिची हवाईअड्डों से नई अंतरर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) त्रिची और मदुरई के बीच वर्तमान में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उपलब्ध हैं;

(घ) क्या सरकार का निकट भविष्य में इन उड़ानों की आवृत्ति को बढ़ाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालर रवि): (क) और (ख) भारतीय वाहक संबंधित द्विपक्षीय विमान सेवा करारों के अनुसार भारत में किसी भी स्थान से विदेशी गंतव्यों के लिए सेवाएं प्रचालित करने को स्वतंत्र हैं।

(ग) से (ङ) एअर इंडिया एक्सप्रेस त्रिची से सिंगापुर, आबूधाबी, क्वालालम्पुर और दुबई के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रचालित कर रही है। तथापि, मदुरै से कोई अंतरराष्ट्रीय उड़ान प्रचालित नहीं हो रही है।

[हिन्दी]

विशिष्ट पहचान संख्या तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर

1565. श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री बद्रीराम जाखड़:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार में विशिष्ट पहचान संख्या और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के बारे में कोई मतभेद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस मतभेद को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) भारत का महापंजीयक सामान्यतः भारत में रह रहे लोगों के लिए, नागरिकता अधिनियम, 1955 के साथ पठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी का सृजन कर रहा है। दूसरी तरफ, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण विकासात्मक पहल के रूप में, सभी नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या (जिसे आधार संख्या कहा जाता है) जारी कर रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कई प्रकार के पंजीयक मॉडल के माध्यम से निवासियों का पंजीकरण कर रहा है। भारत का महापंजीयक इसके पंजीयकों में से एक है। तथापि, फिलहाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का बहुविध पंजीयक मॉडल के माध्यम से पंजीयन 20 करोड़ अथवा मार्च 2012 तक सीमित है। कई मंत्रालयों के बीच कतिपय मुद्दे सामने आने के कारण, सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि बायोमीट्रिक पंजीकरण बहुविध पंजीयक मॉडल के माध्यम से जारी रखा जाए अथवा केवल भारत के महापंजीयक के माध्यम से अथवा किसी अन्य मॉडल के जरिए।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

अफगानिस्तान में अस्थिरता

1566. श्री ए. सम्पत: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफगानिस्तान में अस्थिरता से हमारे देश की प्रगति, सुरक्षा, व्यापार, परिवहन, ऊर्जा आदि प्रभावति हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का अफगानिस्तान की किसी परियोजना/सहायता के लिए निधियां प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) अफगानिस्तान में अस्थिरता न केवल भारत की सुरक्षा और विकास के लिए अपितु समूचे क्षेत्र और उसके बाहर भी एक बड़ी चुनौती उत्पन्न करती है।

(ग) और (घ) भारत ने 12-13 मई, 2011 को प्रधानमंत्री की अफगानिस्तान यात्रा के दौरान अफगानिस्तान को 500 मिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त सहायता का वचन दिया, जिससे 2001 से अफगानिस्तान को भारत की कुल वचनबद्ध सहायता लगभग 2 बिलियन अमरीकी डालर हो गई है। भारत और अफगानिस्तान ने 4 अक्तूबर, 2011 को रणनीतिक भागीदारी करार पर भी हस्ताक्षर किए जिसमें अफगानिस्तान के चतुर्दिक विकास के लिए भारत की दीर्घकालिक वचनबद्धता को दोहराया गया।

[हिन्दी]

ए-380 विमान

1567. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ए-380 विमानों के प्रचालन की सुविधाओं से सुसज्जित विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई विदेशी एयरलाइनों ने उक्त विमान के देश में प्रचालन के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों पर प्रस्ताव-वार क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) देश में सभी प्रमुख विमानपत्तनों से उक्त विमान के प्रचालन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) वर्तमान में, केवल आईजीआई हवाईअड्डा, दिल्ली और राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, हैदराबाद ए-380 विमानों की हैंडलिंग की सुविधाओं से युक्त हैं।

(ख) से (घ) जी, हां। ऐसे अनुरोध सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (दुबई) और जर्मनी से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में, इन देशों के साथ किये गये विमान सेवा करार, ए-380 विमानों द्वारा प्रचालन की अनुमति नहीं देते।

[अनुवाद]

डाक बीमा

1568. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए)ने डाक विभाग को अन्य बीमा कंपनियों के उत्पादों को बेचने के लिए एक बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) डाक विभाग के साथ-साथ बीमा कंपनियों को इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ अर्जित होंगे?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) डाक विभाग को आईआरडीए से ऐसे कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, डाक विभाग (भारतीय डाक) को कारपोरेट एजेंसी लाइसेंस मंजूर करने हेतु पृथक रूपरेखा पर सभी बीमाकर्ताओं के सीईओ को संबोधित दिनांक 14-10-2010 के परिपत्र सं. आईआरडीए/सीएजीटीएस/सीआईआर/एलसीई/165/10/2010 आईआरडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं जिसके तहत भारतीय डाक के सर्किल, कारपोरेट एजेंसी लाइसेंस के पात्र हैं।

(ग) भारतीय डाक के बीमा व्यवसाय से ब्याज के विवाद को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों की रेटिंग

1569. श्री एम.के. राघवन:
श्री आर. ध्रुवनारायण:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि 'टाइम्स हायर ऐजुकेशन वर्ल्ड' विश्व भर में विश्वविद्यालयों की रेटिंग करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान सहित कोई भी भारतीय संस्थान 200 विश्वविद्यालयों की पहली सूची में शामिल नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय संस्थानों को उपस्थिति में विश्व स्तरीय बनाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं, जब कि ब्राजील और ताईवान जैसे देश भी पहले 200 की सूची में शामिल हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार इस बात के प्रति जागरूक है कि "विश्वविद्यालयों रैकिंग 2011-12" का प्रकाशन timeshighereducation.co.uk द्वारा किया गया है। इसी प्रकार की रैकिंग का प्रकाशन क्वेकवरेली साइमण्ड्स प्रणाली (क्यू एस) द्वारा भी किया गया है जिसे क्यू एस विश्वविद्यालय रैकिंग भी कहा जाता है। विश्वविद्यालयों की रैकिंग के लिए इन संगठनों द्वारा अलग-अलग मानदण्ड अपनाए जाते है तथा उनके द्वारा प्रदान की गई विश्व रैकिंग में विविधता है। स्पष्ट तौर पर ये तथा अन्य प्रणालियां व्यक्तिपरक स्वरूप की है तथा प्रामाणिक आधार पर विश्व के विश्वविद्यालयों की कोई एक समान रैकिंग नहीं है।

(ग) इन दो रैकिंग प्रणालियों द्वारा प्रकाशित की गई 200 विश्वविद्यालयों की सूची में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) एवं भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) को प्रतिमाकिंत नहीं किया गया है।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में स्तरों के निर्धारण एवं अनुरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में न्यूनतम स्तरों के अनुरक्षण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में अध्यापकों एवं अन्य अकादमिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताओं एवं उच्चतर शिक्षा में स्तरों के अनुरक्षण हेतु अन्य तौर-तरीकों) विनियम, 2010 जारी किए गए हैं।

आईजीआई विमानपत्तन पर आईएलएस

1570. **श्री के. सुगुमार:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (आईजीआई) की मुख्य विमान पट्टी पर 'इस्ट्रमेंट लैंडिंग सिस्टम'(आईएलएस)का कैट-।।। से कैट-।। श्रेणी तक अवनत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या प्राधिकरण इस विमान पट्टी पर कैट-।।। प्रणाली को पुन-अंशांकित करने में असफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) आईजीआई हवाईअड्डे पर रनवे 28 को सेवित करने वाली उपकरण अवतरण प्रणाली (आईएलएस) को अस्थायी रूप से कैट-।।। से कैट-।। प्रचालनों के लिए प्राधिकृत किया गया है। तथापि, रनवे 29 और रनवे 11 के लिए आईएलएस का प्रयोग केट-।।। के रूप में जारी है।

(ख) रनवे 28 के लिए उपकरण अवतरण प्रणाली खराब मौसम के दौरान निम्न दृश्यता (50 मी.) विमान प्रचालन को संभव बनाने के लिए कैट-।।। के रूप में प्रचालन कर रही थी। रनवे 28 के लिए कैट-।।। अवतरण उपकरण प्रणाली के नेमी विमान कैलीबरेशन के दौरान रनवे पर टच डाउन बिन्दु पर अंतिम अवतरण चरण के दौरान आईएलएस सिग्नल में एक हल्की खराबी पाई गई है जो कैट-।।। की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है। यह खराबी (सिग्लन खराबी) सेकेन्ड्स के लिए हुई है। तथापि, सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूर्वोपाय के रूप में रनवे 28 पर कैट-।।। अवतरण उपकरण प्रणाली को समस्या के विश्लेषण तथा कैद-।।। प्रचालनों के लिए प्रणाली की बहाली हेतु उपयुक्त निवारक उपायों के लिए कैट-।। प्रचालन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इस प्रणाली का कैलीबरेशन किया गया था और यह खराबी हाल ही में निर्मित संरचनाओं/भवनों के कारण पाई गई थी। निम्नलिखित के लिए प्रयास किए जा रहे हैं:

(i) सहन क्षमता मापदंड को प्रभावित करने वाले ढांचे को पहचानना;

(ii) इस समस्या के समाधान के लिए उपाय।

समस्या के समाधान तथा संभव निवारण के लिए मूल उपकरण विनिर्माता के तकनीकी विशेषज्ञ भी इस प्रणाली की जांच कर रहे हैं। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दिल्ली अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (डायल) के सहयोग से कैट-।।। प्रचालन के लिए इस प्रणाली को बहाल करने हेतु उपकरण अवतरण प्रणाली सुविधा के री-कैलीबरेशन हेतु सभी संभव निवारक उपाय किए हैं।

[हिन्दी]

टेलीफोन निर्देशिका का प्रकाशन

1571. **श्री बद्रीराम जाखड़:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न दूरसंचार सर्कलों में बहुत दिनों से टेलीफोन निर्देशिका प्रकाशित नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राजस्थान सहित सर्कल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सर्कल-वार टेलीफोन-निर्देशिका प्रकाशित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का मोबाइल टेलीफोन-निर्देशिका प्रकाशित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सी.बी.आई. को स्वायत्तता

1572. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्वायत्त दर्जा दिए जाने का सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) केन्द्रीय सतकर्ता आयोग अधिनियम, 2003 द्वारा यथासंशोधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को मामलों का अन्वेषण करने हेतु स्वायत्ता प्रदान की गई है।

केन्द्रीय सतकर्ता आयोग अधिनियम, 2003 के अधिनियम से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्यकरण पर अधीक्षण, जहां तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत किए गए कथित अपराधों की जांच से इसका संबंध है, अब केन्द्रीय सतकर्ता आयोग (सीवीसी) में निहित है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति केन्द्रीय सतकर्ता आयोग की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है और वह कम से कम दो वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है भले ही उसकी सेवा शर्त से संबंधित नियमों में कुछ विपरीत ही क्यों न हो।

पुलिस अधीक्षक और इससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में उनके कार्यकाल का विस्तार अथवा कार्यालय में कमी केन्द्रीय सतकर्ता आयोग की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर की जाती है।

हवाई यातायात में वृद्धि

1573. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में छोटे शहरों और ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों सहित विभिन्न विमानपत्तनों पर यातायात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गैर अधिसूचित चार्टर विमानों/निजी जेटों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विचार हवाई यातायात की मांग को पूरा करने के लिए अवसंरचना में वृद्धि करने तथा निजी जेटों/चार्टर्ड विमानों के लिए अलग/विशेष सुविधाओं के सर्जन का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी हवाईअड्डों पर यातायात में एक साथ वृद्धि है। कुल विमान आवागमन, यात्री तथा मालभड़ा यातायात में तीन वर्षों के दौरान, 2007-08 तथा 2010-11 के बीच, क्रमश: 2.1% 7.1% तथा 11.0% तक मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ोत्तरी हुई है। ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। विमान यातायात की मांग में भावी वृद्धि को पूरा करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में सभी भारतीय हवाईअड्डों पर 74 मिलियन यात्री प्रति वर्ष की अतिरिक्त हैंडलिंग क्षमता का सृजन किया जाएगा, जिनमें, से 43.00 मिलियन यात्री प्रति वर्ष यात्री हैंडलिंग क्षमता संयुक्त उद्यम/पीपीपी हवाईअड्डों पर सृजित की जाएगी और 31 मिलियन प्रति वर्ष यात्री हैंडलिंग क्षमता भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाईअड्डों पर सृजित की जाएगी।

विवरण

सभी भारतीय हवाईअड्डों पर (एक साथ) यातायात में अनुमानित भावी वृद्धि

वर्ष	विमान आवागमन (000 में)			यात्री (मिलियन में)			मालभाड़ा (1000 टन में)		
	अंतरराष्ट्रीय	घरेलू	कुल	अंतरराष्ट्रीय	घरेलू	कुल	अंतरराष्ट्रीय	घरेलू	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2007-08	248.54	1059.09	1307.63	29.82	87.07	116.89	1146.75	568.23	1714.98
2008-09	270.35	1036.19	1306.53	31.58	77.29	108.88	1149.92	552.06	1701.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
% परिवर्तन	8.8	-2.2	-0.1	5.9	-11.2	-6.9	0.3	-2.8	-0.8
2009-10	282.20	1048.69	1330.89	34.37	89.39	123.76	1270.71	688.99	1959.17
% परिवर्तन	4.4	1.2	1.9	8.8	15.6	13.7	10.5	24.8	15.1
2010-11	300.20	1093.57	1393.76	37.91	105.52	143.43	1496.24	852.20	2348.44
% परिवर्तन	6.4	4.3	4.7	10.3	18.1	15.9	17.7	23.7	19.8
मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2007-08 से 2010-11)	6.5%	1.1%	2.1%	8.3%	6.6%	7.1%	9.3%	14.5%	11.0%
कई गुणा वृद्धि (2007-08 से 2010-11)	1.2	1.0	1.1	1.3	1.2	1.2	1.3	1.5	1.4

अंतरिक्ष कार्यक्रम

1574. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों से मानव सहित अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहायता के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक देश से अब तक प्राप्त प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) जी, हां। सरकार द्वारा 2007 में अनुमोदित "समानव अंतरिक्ष कार्यक्रम" पर अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने प्रौद्योगिकीय चुनौतियों को समझने के लिए प्रारंभिक अध्ययन शुरू किया है।

दिसंबर 2008 में, समानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों को करने के लिए इसरो व रूची संघीय अंतरिक्ष एजेन्सी के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है। इस एमओयू के अधीन 2009-2010 के दौरान रूस ने दो औचित्य अध्ययन किया है।

साथ ही नवंबर 2010 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री एवं अमेरिका के राष्ट्रध्यक्ष के संयुक्त वक्तव्य के अनुसार समानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए भारत के साथ सहयोग के लिए अमेरिका ने अभिरूचि दिखाई है।

म्यांमार में भारतीय सड़क परियोजनाएं

1575. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **विदेशमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने म्यांमार में कुछ सड़क परियोजनाओं के अभिकल्प, पर्यवेक्षण और निर्माण का प्रस्ताव किया है और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) सरकार ने म्यांमार के साथ वास्तविक संपर्क बनाने के लिए सड़क विकास परियोजनाओं के लिए सहायता का प्रस्ताव किया है। इनमें मणिपुर से सीमापार म्यांमार में तमु-कलेवा-कलेमयोआ सड़क (लगभग 160 कि.मी.) को विकसित करना कलादन मल्टी-माडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जिसमें म्यांमा सेमिजोरम तक सितवे बन्दरगाह से सड़क एवं अन्तर्देशीय जलमार्ग के विकास की अभिकल्पना की गई है; मिजोरम को जोड़ने वाले म्यांमार में रि-टिडिम सड़क (लगभग 60 कि.मी.) का विकास और म्यांमार के बीच से होकर मोरेह (मणिपुर, भारत) से मै सॉट (थाइलैंड) तक जोड़ने वाली त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना (लगभग 1360 कि.मी.) के कुछ भाग शामिल हैं।

मुक्त विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता

1576. श्री जे.एम. आरुन रशीद: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुक्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उनके प्रीत उपेक्षा बरते जाने पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुक्त विश्वविद्यालयों को ठोस वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करते है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्च शिक्षा में मौजूदा नामांकन दर को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का सरकार का लक्ष्य राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस उदासीन रवैये के कारण बाधित नहीं होगा; और

(च) यदि हां, तो देश में मुक्त विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता की अनुपलब्धता के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) दूरस्थ शिक्षा परिषद (डीईसी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, जो देश में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के संवर्धन, इसके समन्वित विकास तथा इसके मानकों के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, इसे ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, इसके द्वारा देश में केवल परम्परागत पद्धति वाले विश्वविद्यालयों को ही निधियां प्रदान की जा रही है। राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों (एसओयू) की स्थापना राज्य विधान के तहत की गई तथा इन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है। राज्य सरकारों से मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा निधियों प्राप्त करने के संबंध में केन्द्रीय स्तर पर कोई सूचना नही रखी जाती है।

(ङ) और (च) दूरस्थ शिक्षा परिषद मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के संवर्धन हेतु आवश्यक विश्वविद्यालय भवनों (केवल राज्य मुक्त विश्वविद्यालय) का निर्माण करने या पुनरूद्धार करने के लिए विकास सहायता, पाठ्यक्रम सामग्री का विकास, छात्र सहायता सेवा, पुस्तकालय तथा प्रौद्योगिकी सहायता, स्टाफ प्रशिक्षण विकास और अनुसंधान एवं विकास आदि की व्यवस्था करके दोहरी पद्धति वाले सरकारी विश्वविद्यालयों समेत राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता भी प्रदान करती है। इस समय सकल नामांकन अनुपात में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का योगदान लगभग 20 प्रतिशत है।

नैमित्तिक श्रमिकों को अस्थायी दर्जा

1577. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नैमित्तिक मजदूरों को अस्थायी दर्जा दिए जाने से संबंधित मुद्दा सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कर्मचारी पक्ष का क्या मत है;

(ग) क्या यह प्रस्ताव है कि अस्थायी दर्जा वाले नैमित्तिक मजदूरों को अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान कर 01.01.2006 से 1,800 रुपए का ग्रेड पे दिया जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षा का निम्न स्तर

1578. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षा के निम्न स्तर और सुविधाओं के अभाव के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कॉलेजों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) जी, हां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) को एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित तकनीकी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा मानदंडों के उल्लंघन किए जाने के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच की जाती है। शिकायतों की जांच और एआईसीटीई के मानदंडों

के अनुपालन के लिए संबंधित संस्थाओं में विशेषज्ञ समितियां भेजी जाती हैं। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के तहत सूचित खामियों/कमियों के आधार पर चूककर्ता संस्थाओं को कारण बताओं नोटिस जारी किए जाते हैं। इन कारण बताओं नोटिस का उत्तर प्राप्त हो जाने पर संस्थाओं को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाता है। इसके पश्चात अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2012-13 के अध्याय IV के प्रावधानों के तहत चूककर्ताओं के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

परमाणु-विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा

1579. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'सेफ्टी इवैल्यूशन ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पोस्ट फुकुशिमा' शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें सुरक्षोपायों का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस रिपोर्ट में दिए सुझावों पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा गठित कार्य बलों द्वारा भारतीय नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा समीक्षा के बारे में "फुकुशिमा दुर्घटना के बाद भारतीय नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का सुरक्षा मूल्यांकन" नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है और वह न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ख) समीक्षा में यह पाया गया है कि भारतीय रिएक्टर सुरक्षित हैं और उनके डिजाइन में गंभीरतम प्राकृतिक घटनाओं का सामना करने की पर्याप्त गुंजाइश और विशिष्टताएं मौजूद हैं। इस रिपोर्ट में फुकेशिमा में हुई घटना के समान गंभीरतम प्राकृतिक घटनाओं का सामना करने के लिए सुरक्षा को और बढ़ाने हेतु विभिन्न भारतीय नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों में किए जाने वाले उपायों के बारे में सिफारिशें की गई हैं।

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए योजना बनाई गई है और उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।

कोल इंडिया लिमिटेड में रिक्त पद

1580. **श्री एस.एस. रामासुब्बू:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.)की श्रेणी-वार कार्मिक संख्या कितनी है;

(ख) क्या सी.आई.एल. बड़ी संख्या में रिक्त पड़े पदों की समस्या का सामाना कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रिक्त पद लम्बे समय से नहीं भरे गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(च) सभी रिक्त पद कब तक भरे जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) 01.11.2011 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की श्रेणी-वार जनशक्ति का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

कार्यपालक	-	17827
मासिक दर पर	-	73515
दैनिक दर पर	-	250523
कार्य आधारित दर पर	-	29701
प्रशिक्षार्थी सहित अन्य	-	4285
कुल	-	375851

(ख) और (ग) गैर कार्यकलाप संवर्ग में रिक्तियां अधिक संख्या में नहीं है। कार्यकलाप संवर्ग में 3996 रिक्तियां हैं।

(घ) से (च) कोल इंडिया लिमिटेड में भर्ती एक सतत प्रक्रिया है। पिछले चार वर्षों के दौरान 2598 कार्यकलापों की भर्ती की गई है। उपलब्ध रिक्तियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और आशा की जाती है कि कार्यकलाप संवर्ग की रिक्तियां कलेंडर वर्ष 2012 के अंदर भर ली जायेंगी।

बी.एस.एन.एल. के भू-अभिलेख

1581. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एन.एल. सहित दूरसंचार क्षेत्र के समस्त सरकारी उपक्रमों के भू-अभिलेखों का मानचित्रण/डिजिटलीकरण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है और कार्यपूर्णता के लिए क्या लक्ष्य नियत किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस संबंध में अभी तक कोई धनराशि खर्च नहीं की गई है।

(घ) अपलोड किए गए भूमि और भवन संबंधी रिकार्डों की संख्या नीचे दी गई है। कार्यपूर्णता के लिए निर्धारित लक्ष्य 31.12.2011 है।

क्र.सं.	यूनिट का नाम बीएसएनएल	भूमि /भवन संबंधी रिकार्डों की सं.	
		भूमि	भवन
1.	कुल बीएसएनएल	14376	20566
2.	एमटीएनएल दिल्ली	152	125
3.	एमटीएनएल मुंबई	127	127
4.	डब्ल्यूएमओ	22	50
5.	आईटीआई	38	557
6.	सी-डॉट	0	11

लिग्नाइट की मांग

1582. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में लिग्नाइट की मांग वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी रही;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश से वर्ष-वार और खान-वार कितना लिग्नाइट निर्यात किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश में वर्ष-वार कितने लिग्नाइट का आयात हुआ;

(घ) क्या लिग्नाइट का उत्पादन मात्र 50 मिलियन टन और अनुमानित मांग लगभग 56 मिलियन टन की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस अंतर की पूर्ति किस प्रकार करने का विचार है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) बारहवीं योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा कोयला और लिग्नाइट पर गठित कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के लिए मौजूदा और योजनाबद्ध तापीय विद्युत स्टेशनों तथा अन्य अत्यंत उपयोगों के लिए देश में लिग्नाइट की मांग नीचे दी गई है:-

(मात्रा मि.ट. में)

राज्य	2008-09	2009-10	2010-11
तमिलनाडु	21.398	24.288	24.557
गुजरात	15.450	17.410	19.750
राजस्थान	4.052	5.960	6.652
कुल	40.900	47.658	50.979

(ख) लिग्नाइट का निर्यात किसी भी देश को नहीं किया जात है।

(ग) किसी भी देश से लिग्नाइट का आयात नहीं किया जाता।

(घ) और (ङ) जी, हां। अंतर को पाटने के लिए सरकार नयी लिग्नाइट खनन परियोजनाओं के कार्यान्वयन को शीघ्र पूरा करने के लिए कार्रवाई कर रही है।

डाक-टिकटों का ऑनलाइन संस्करण

1583. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग का डाक-टिकटों का ऑनलाइन संस्करण शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव कब तक लाए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, नहीं। डाक विभाग का डाक-टिकटों का आनलाइन संस्करण शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रद्द हो जाने/विलंब के बारे में सूचना तक पहुंच

1584. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विमान-उड़ानों के निलंबित या निरस्त हाने की दशा में यात्रियों को सूचना देने तथा राहत उपलब्ध कराने हेतु विमानपत्तनों पर क्या कार्यतंत्र मौजूद है;

(ख) क्या विमान-उड़ानों के निरस्त या बाधित हो जाने की दशा में, यात्रियों को विमानपत्तनों पर बिना उचित सूचना उपलब्ध कराए लोटा दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह मांग की जाती रही है कि यात्रियों को विमानपत्तनों पर कॉल-सेंटरों से संपर्क करने की बजाए विमान-कंपनियों तक प्रत्यक्ष पहुंच उपलब्ध कराई जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालर रवि): (क) से (ङ) उड़ानों के विलंब तथा रद्द होने की सूचना लगातार घोषित की जाती है तथा फ्लाइट सूचना डिस्प्ले सिस्टम को भी तदनुसार अद्यतन रखा जाता है। इस प्रकार के विमानों के यात्रियों को टर्मिनल भवन में प्रवेश से नहीं रोका जाता तथा यात्रियों को पर्याप्त सूचना तथा सहायता देने के लिए एयरलाइन कर्मचारी उपलब्ध रहते हैं। रेस्त्रां तथा जलपान गृह की व्यवस्था है तथा लम्बे विलंब की स्थिति में एयरलाइन यात्रियों को भोजन तथा आवास उपलब्ध कराती हैं।

स्कूल-यूनिफार्म

1585. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के प्राथमिक और प्राथमिकोत्तर स्कूलों में अध्ययनरत वंचित तथा कमजोर तबकों के 1.75 करोड़ बच्चों में से प्रतयेक को दो-दो जोड़ी स्कूल यूनिफार्म मंजूर की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी मानदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणियों से संबंधित सभी लड़कियों और लड़के शिक्षा के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रति वर्ष 400 रु. के मूल्य के दो-दो जोड़े यूनिफार्म प्राप्त करने के हकदार हैं। वर्ष 2011-12 के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजनाओं और बजट में 5.06 करोड़ बच्चों को यूनिफार्म स्वीकृत की गई है जिनमें से 2.87 करोड़ बच्चे लड़किया है और 2.19 करोड़ बच्चे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणियों से संबंधित हैं।

संयुक्त सेवा केन्द्र

1586. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में संयुक्त सेवा केन्द्र स्थापित करने संबंधी नियम क्या है;

(ख) देश में अब तक राज्य-वार ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ग) ऐसे केन्द्र शुरू करने के लिए मंजूरी कौन देता है;

(घ) क्या बेरोजगार युवाओं को संयुक्त सेवा-केन्द्र आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) की स्थापना 1:6 आधार पर की जाती है अर्थात् 6 गांवों के समूह के लिए एक सीएससी। राज्य सरकारें प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी करती हैं और एक खुली प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के जरिए सेवा केन्द्र एजेंसियों (एससीए) का चयन करती हैं। राज्यों द्वारा इन सेवा केन्द्र एजेंसियों के लिए सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) की स्थापना, प्रबंध एवं प्रचालन करने का कार्य क्षेत्र निर्धारित है।

(ख) 31 अक्टूबर, 2011 की स्थिति के अनुसार देश में लगभग 97000 सीएससी की स्थापना की गई है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) संबंधित राज्य सरकारें सीएससी को आरम्भ करने के लिए मंजूरी देती है।

(घ) जी, नहीं। सामान्य सेवा केन्द्रों को सेवा केन्द्र एजेंसियों द्वारा चयनित ग्राम स्तरीय उद्यमियों द्वारा चलाया जाता है।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

सीएससी योजना के कार्यान्वयन की स्थिति अक्टूबर, 2011

क्र.सं.	राज्य	स्थापित की जाने वाले कुल सीएससी	31 अक्टूबर,2011 के अनुसार कार्यान्वयन
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5452	2415
2.	अंडमान	45	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	200	198
4.	असम	4375	3881
5.	बिहार	8463	8030
6.	छत्तीसगढ़	3385	2485
7.	चंडीगढ़	13	13
8.	दिल्ली	520	520
9.	गोवा	160	160
10.	गुजरात	13695	13695
11.	हरियाणा	1159	1159
12.	हिमाचल प्रदेश	3366	2813
13.	जम्मू और कश्मीर	1109	630
14.	झारखण्ड	4562	4566
15.	कर्नाटक	5713	800
16.	केरल	2694	2694
17.	लक्षद्वीप	10	0
18.	मध्य प्रदेश	9232	9316
19.	महाराष्ट्र	10484	8819
20.	मणिपुर	399	399
21.	मेघालय	225	197
.22.	मिजोरम	136	118
23.	नागालैण्ड	220	199
24.	ओडीशा	8558	6110
25.	पुडुचेरी	44	44
26.	पंजाब	2112	541
27.	राजस्थान	6626	3712
28.	मणिपुर	45	45
29.	सिक्किम	5440	3952
30.	तमिलनाडु	145	145
31.	उत्तर प्रदेश	18745	10801
32.	उत्तराचंल	2804	2474
33.	पश्चिम बंगाल	6797	6190
	कुल	126933	97121
34.	दमन और दीव	4	चर्चा की जा रही है
35.	दादरा और नगर हवेली	12	चर्चा की जा रही है
	कुल	126949	

राष्ट्रीय हितों की रक्षा

1587. श्री पोन्नम प्रभाकरः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी दूरसंचार कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा, रोजगार- अवसर जैसे प्रत्येक राष्ट्रीय हितपक्ष की रक्षा करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर दूरसंचार कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार उनके प्रयासों से संतुष्ट है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (घ) राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे जैसेकि दूरसंचार उपस्करों का आयात, विशिष्ट पदों पर भारतीय नागरिकों की नियुक्ति, संचार का विधिसम्मत अन्तरावरोधन, उपभोक्ता रिकार्डों आदि का प्रबंधन इत्यादि लाइसेंस करारों के अभिन्न अंग हैं और इन मुद्दों पर समय-समय पर आगे के पूरक अनुदेश जारी किए जाते हैं। तथापि, लाइसेंस करार में दूरसंचार कंपनियों में रोजगार के अवसर के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं होते हैं।

चूंकि ये अनुदेश लाइसेंस करारों के अंतर्गत जारी किए जाते हैं, इसलिए दूरसंचार लाइसेंसधारक कंपनियों इन अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होती हैं। सरकार सुरक्षा अनुदेशों के अनुपालन की लगातार निगरानी करती है और अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में लाइसेंस करार के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में स्थानांतरण संबंधी नियम

1588. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों सहित देश के कठिन, संवेदनशील, अति-संवेदनशील तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के केन्द्रीय विद्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या तथा अनुपात सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों की बजाय आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का स्थानांतरण संबंधी नियमों को शिथिल करते हुए सामान्य तथा आरक्षित श्रेणियों के कर्मचारियों की सामान्य व संवेदनशील दोनों तरह के क्षेत्रों में नियुक्ति हेतु समान नीति अपनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में जनप्रतिनिधियों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा उसने क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) में स्थानांतरण दिशानिर्देश सभी कर्मचारियों को एक समान रूप से लागू होते हैं। स्थानांतरण करते समय कर्मचारियों की पसन्द पर भी विचार किया जाता है बशर्ते कि रिक्तियों की उपलब्धता और कार्य की आवश्यकता हो। संगठनात्मक हितों की तुलना में कर्मचारियों की अभिरूचियों को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण दिशानिर्देश समय-समय पर संशोधित किये जाते हैं।

(ङ) और (च) जी हां। संवेदनशील, अतिसंवेदनशील नक्सलवादी प्रभावी पूर्वोत्तर क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की असंगत तैनाती के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन को उठाए गए इन मुद्दों का समाधान करने का परामर्श दिया गया है ताकि शिकायतों का निवारण किया जा सके।

भगवान गणेश पर मंचित नाटक

1589. श्री ए.टी. नाना पाटील: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलिया में मंचित किए गए एक नाटक में भगवान गणेश को आपत्तिजनक तरीके से प्रदर्शित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के करोड़ों हिंदुओं की भावना को देखते हुए इस पर ऑस्ट्रेलिया सरकार से अपनी आपत्ति जताई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) 29 सितम्बर, 2011 से शुरू मेलबोर्न उत्सव में 'गणेश वर्सेज द थर्ड रेक' नामक नाटक का मंचन किया गया था। इस नाटक की प्रोत्साहन सामग्री तथा चित्रण में भगवान गणेश के चरित्र-चित्रण के कुछ पहलुओं से आस्ट्रेलिया के समुदाय में चिंता एवं आशंका उत्पन्न हुई है।

(ग) और (घ) इस नाटक के मंचन से पहले मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया) स्थित भारत के प्रधान कौंसल ने इन चिंताओं के बारे में सूचित करने के लिए इस नाटक के निर्माता के साथ बैठक की थी। इसके बाद, इस समुदाय के प्रतिनिधियों, इस नाटक के आयोजकों तथा आस्ट्रेलियाई सरकारी एजेंसियों की सहभागिता से 28 सितम्बर, 2011 को एक बैठक भी आयोजित की गई थी। इस बैठक में इस नाटक को तैयार करने वाली 'बैक-टू-बैक' थियेटर कम्पनी ने इस नाटक में भगवान गणेश के परिकल्पित चरित्र-चित्रण के कारण हुई गैर-इरादतन क्षति और शेष पर खेद व्यक्त किया। उसके पश्चात निर्माता ने इस समुदाय की चिंताओं का निवारण किया। विक्टोरिया बहु-सांस्कृतिक आयोग ने इस बैठक के बाद संयुक्त वक्तव्य जारी किया था।

[अनुवाद]

शास्त्रीय संगीत व नृत्य को पाठ्यक्रम में शामिल करना

1590. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शास्त्रीय संगीत व नृत्य एक अपेक्षित क्षेत्र है और आने वाले समय में इसके लुप्तप्राय हो जाने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्कूलों में कला और नृत्य को बढ़ावा देने के लिए शास्त्रीय संगीत व नृत्य को पाठ्यक्रम में शामिल करने की कोई मांग है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्कूली पाठ्यक्रम में शास्त्रीय संगीत, नृत्य, कला आदि को शामिल करने के लिए शास्त्रीय संगीत व नृत्य, कला आदि को शामिल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/ उठा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार द्वारा स्थापित संगीत नाटक अकादमी संगीत तथा नृत्य के पारम्परिक/ शास्त्रीय स्वरूपों सहित संगीत तथा नृत्य के विभिन्न स्वरूपों को संरक्षित करने तथा इन्हें बढ़ावा देने के लिए कई कार्यकलाप चलाती है, विभिन्न योजनाएं संचालित करती है और कई कार्यक्रमों तथा समारोहों का आयोजन करती है। यह कथक तथा मणिपुरी नृत्य तथा संगीत जैसी विभिन्न प्रकार की कलाओं के लिए कई विशिष्ट केन्द्रों का भी संचालन करती है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक और स्वायत्त संगठन-कलाक्षेत्र फाउंडेशन भी भरतनाट्यम तथा कथकली जैसे शास्त्रीय स्वरूपों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए भी कार्य करता है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा-2005 में कला शिक्षा और हैरिटेज क्राफ्टस को पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा-2005 के अनुसरण में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा सभी विषयों हेतु तैयार किए गए पाठ्यक्रमों तथा नई पाठ्यपुस्तकों में भारतीय संस्कृति तथा दर्शन के घटक समेकित रूप में शामिल हैं। एनसीईआरटी ने कक्षा I से XII हेतु कला, संगीत, नृत्य तथा रंगमंच जैसे विषयों में भी पाठ्यक्रम तैयार किए हैं, जिसमें शास्त्रीय संगीत सहित विभिन्न घटक शामिल हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विभिन्न विषयों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम निर्धारित करता है और छात्रगण वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर संगीत/नृत्य/भारतीय पारम्परिक नृत्य नाटक के मुख्य विषयों को वैकल्पिक विषय के रूप में चुन सकते हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में विद्यार्थियों का प्रवेश

1591. **श्रीमती श्रुति चौधरी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) में कम प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का प्रवेश हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा परमाणु तस्करी

1592. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान को दूसरे देशों से परमाणु-सामग्री की तस्करी में संलिप्त पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया/उठाने का विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) सरकार ने पाकिस्तानी परमाणु सामग्री के स्थानान्तरण के बारे में रिपोर्ट देखी हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने गुप्त परमाणु प्रसार कार्यकलापों की भूमिका को समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाया है।

[अनुवाद]

अ.जा./अ.ज.जा. वर्गों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता

1593. श्री एम.बी. राजेश: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अ.जा./अ.ज.जा. वर्गों के विद्यार्थियों के सहायतार्थ कोचिंग हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम से अ.जा./अ.ज.जा. वर्गों के कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या वि. अनु. आयोग ऐसी कोचिंग सुविधा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए किसी छात्रवृत्ति/प्रोत्साहनों की पेशकश कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) निम्नलिखित तीन योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए केन्द्रीय/राज्य/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम-विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है:-

(1) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों हेतु अवर-स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की उपचारात्मक कोचिंग।

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों हेतु सेवा में प्रवेश हेतु कोचिंग।

(3) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी)/ राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एसएलईटी)हेतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए कोचिंग।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) और 12(ख) के अंतर्गत शामिल किए गए विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर)/ अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थी हैं, को इन योजनाओं के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एकमुश्त आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विचार किया जाता है। इन योजनाओं पर 11वीं योजना अवधि के दौरान 48.45 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2005 से राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येत्तावृत्ति (आरजीएनएफ) योजना के अंतर्गत अनुसूचति जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों के विद्यार्थियों को अध्येत्तावृत्ति प्रदान की जाती है। राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येत्तावृत्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति के 2000 स्लॉस्ट्स तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के 667 स्लॉट्स को भरा जाता है।

(घ) से (च) इन विद्यार्थियों को कोई अलग से छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुसंधान अध्येत्तावृत्ति स्कीम के अंतर्गत अध्येतावृत्ति के लिए पात्र हैं।

[हिन्दी]

कर्मचारियों का स्थानान्तरण

1594. डॉ. बलीराम:
श्री मिथिलेश कुमार:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों तथा सरकारी उपक्रमों के काफी कर्मचारी एक ही स्थान पर संवेदनशील तैनाती-स्थलों पर वर्षों से कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो इन विभागों/सरकारी उपक्रमों के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें सात वर्षों या अधिक अवधि से स्थानांतरित नहीं किया गया है और इनके स्थानांतरण हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या कर्मचारियों के एक ही स्थान पर लंबे समय तक कार्यरत रहने के कारण इन विभागों/सरकारी उपक्रमों में भ्रष्टाचार बढ़ा है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार संबंधी जांच की गई है;

(ङ) क्या सरकार का भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों को बंद कर देने का विचार है जिनमें सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त न हुई हो; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) जी, नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में कुछ ऐसे राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारी हैं जो सीवीसी द्वारा परिभाषित किए अनुसार संवेदनशील पदों पर कार्य कर रहे हैं।

उनको स्थानान्तरित न किए जाने का कारण यह है कि कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों को विशेषज्ञता प्राप्त है और वे विशिष्ट प्रकृति का कार्य देख रहे हैं और यहां कुछ विशिष्ट पद हैं। विभाग में इन विशिष्ट पदों को उनके भर्ती नियमों के अनुसार भरा जाता है। इन विशिष्ट पदों पर आसीन कुछ अधिकारी काफी लंबे समय से इन पदों पर बने हुए हैं क्योंकि इन पर दूसरे अधिकारियों को तैनात करना संभव नहीं है।

(ग) ऐसा कोई विशिष्ट मामला सामने नहीं आया है।

(घ) से (च) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

दूरसंचार विभाग और डाक विभाग के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारत निर्माण योजना

1595. श्री लक्ष्मण टुडु:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत निर्माण योजना के अंतर्गत अब तक संघटक-वार किए गए कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत निर्माण योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत किया जा रहा है और भविष्य में ऐसा ही होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) भारत निर्माण योजना के अंतर्गत जारी धनराशि का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग न किया जाना सुनिश्चित करने के लिए लागू व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) भारत निर्माण योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा http://pmindia-nic-in/dmu-htm पर उपलब्ध है। तथापि, भारत निर्माण के तहत किए गए कार्यों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) चूंकि भारत निर्माण योजना के तहत कोई पृथक वित्तपोषण उपलब्ध नहीं है, इसलिए विनिर्दिष्ट घटकों/स्कीमों (ग्रामीण पेयजल-राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, ग्रामीण आवास-इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), भारत निर्माण-ग्रामीण टेलीडेंसिटी और ब्रॉडबैण्ड कवरेज, ग्रामीण सड़कें-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) और सिंचाई-एआईबीपी) के तहत प्राप्त की गई कवरेज को भारत निर्माण योजना के तहत किये गये कार्यों के रूप में माना जाता है।

(घ) निधियों के राज्य-वार विवरण के साथ-साथ प्रत्येक राज्य द्वारा उनके उपयोग की निगरानी, इन स्कीमों को कार्यान्वित करने वाले केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है। केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग नीतिगत दिशानिदेशों में इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु तौर-तरीकों की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। राज्य भी समय-समय पर उपयोग प्रमाणपत्र और यथा-निर्धारित अन्य रिपोर्टें प्रदान करते हैं जिनके आधार पर आगे निधियां जारी की जाती हैं। योजना आयोग वार्षिक योजना पर राज्यों के साथ विचार-विमर्श के दौरान विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग भारत निर्माण योजना सहित सभी क्षेत्रकों और स्कीमों की अर्ध-वार्षिक और मध्यावधि समीक्षा करता है।

विवरण

भारत निर्माण चरण-1 के तहत आवासों का लक्ष्य एवं कवरेज
राष्ट्रीय ग्रामीण पेय-जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

		चरण-1 (2005-06 से 2008-09)							
		लक्ष्य (1.4.2005 की स्थिति के अनुसार बकाया)				कवरेज			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कवर न किए गए	छूटे हुए	गुणवत्ता प्रभावित आवास	कुल	कवर न किए गए	छूटे हुए	गुणवत्ता प्रभावित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0	29744	4050	33794	0	28598	2611	31209
2.	अरुणाचल प्रदेश	668	2752	0	3420	668	870	401	1939
3.	असम	7375	10636	8119	26130	7375	8829	2478	18682
4.	बिहार	0	47597	776	48373	0	42705	6306	49011
5.	छत्तीसगढ़	0	19007	5021	24028	0	29547	1042	30589
6.	गोवा	6	0	0	6	6	1	0	7
7.	गुजरात	36	4389	8717	13142	36	6046	3551	9633
8.	हरियाणा	0	2506	361	2867	0	2860	205	3065
9.	हिमाचल प्रदेश	6891	9308	0	16199	6891	9653	0	16544
10.	जम्मू और कश्मीर	3211	3138	49	6398	3211	782	0	3993
11.	झारखण्ड	0	17225	168	17393	0	17005	457	17462
12.	कर्नाटक	5618	809	21008	27435	5618	8578	3238	17434
13.	केरल	7573	421	867	8861	7573	3946	691	12210
14.	मध्य प्रदेश	0	37269	5381	42650	0	38512	559	39071
15.	महाराष्ट्र	17738	11579	3787	33104	17738	13987	3622	35347
16.	मणिपुर	0	80	37	117	0	517	0	517
17.	मेघालय	251	4341	160	4752	251	3562	98	3911
18.	मिजोरम	112	271	26	409	112	363	26	501
19.	नागालैंड	731	202	157	1090	731	614	46	1391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	ओडीशा	0	14900	32254	47154	0	39902	5124	45026
21.	पंजाब	1931	5247	2093	9271	1786	2198	703	4687
22.	राजस्थान	2300	33680	41072	77052	1871	26897	5355	34123
23.	सिक्किम	74	783	0	857	74	510	0	584
24.	तमिलनाडु	0	44080	5574	49654	0	33123	1300	34423
25.	त्रिपुरा	0	651	7031	7682	0	825	683	1508
26.	उत्तर प्रदेश	0	19886	5062	24948	0	24629	3853	28482
27.	उत्तरांचल	272	7567	0	7839	237	5611	0	5848
28.	पश्चिम बंगाल	0	3536	65156	68692	0	7635	7728	15363
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	102	0	26	128	94	0	0	94
30.	दादरा और नगर हवेली	60	0	0	60	60	0	0	60
31.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	लक्षद्वीप	10	0	0	10	0	0	0	0
34.	पुदुचेरी	108	0	16	124	108	57	91	256
35.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	55,067	331604	216968	603639	54,440	358362	50,168	462970

भारत निर्माण चरण-2 के तहत आवासों का लक्ष्य एवं कवरेज

राष्ट्रीय ग्रामीण पेय-जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य				कवरेज			
		कवर न किए गए	आंशिक रूप से कवर किए गए	गुणवत्ता प्रभावित	कुल	कवर न किए गए	आंशिक रूप से कवर किए गए	गुणवत्ता प्रभावित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश		5433	1137	6570		1282	364	1646
2.	अरुणाचल प्रदेश		300	298	598		21	253	274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम		2915	13541	16456		706	9770	10476
4.	बिहार		9435	22032	31467		1914	17110	19024
5.	छत्तीसगढ़		5126	10260	15386		2322	3468	5790
6.	गोवा		0	0	0		0	0	0
7.	गुजरात		720	1186	1906		274	862	1136
8.	हरियाणा		839	147	986		256	111	367
9.	हिमाचल प्रदेश		2557	55	2612		1172	12	1184
10.	जम्मू और कश्मीर		903	331	1234		115	1	116
11.	झारखण्ड		18306	1368	19674		1433	1313	2746
12.	कर्नाटक		7000	8640	15640		1927	4118	6045
13.	केरल		667	456	1023		51	185	236
14.	मध्य प्रदेश		16140	1777	17917		8098	1248	9346
15.	महाराष्ट्र		5135	7482	12617		1516	3290	4806
16.	मणिपुर		326	29	355		146	1	147
17.	मेघालय		523	122	645		173	25	198
18.	मिजोरम		125	0	125		5	0	5
19.	नागालैण्ड		35	175	210		40	36	76
20.	ओडीशा		3116	6782	9898		2144	4455	6599
21.	पंजाब	161	1608	880	2649	145	325	342	812
22.	राजस्थान	722	2272	8988	11982	429	983	7531	8943
23.	सिक्किम		200	0	200		20	0	20
24.	तमिलनाडु		5923	1086	7009		109	1013	1122
25.	त्रिपुरा		0	2637	2637		76	1911	1987
26.	उत्तर प्रदेश		22500	4500	27000		4350	3508	7858
27.	उत्तरांचल	61	1341	0	1402	35	400	0	435
28.	पश्चिम बंगाल		1934	11666	13600		939	4903	5842
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8			8	8			8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	दादरा और नगर हवेली				0				0
31.	दमन और दीव				0				0
32.	दिल्ली				0				0
33.	लक्षद्वीप	10			10	10			10
34.	पुदुचेरी			4	4			8	8
35.	चंडीगढ़				0				0
	कुल	962	115379	105479	221820	627	30797	65838	97262

*वर्ष 2011-12 के लिए कवरेज आईएमआईएस पर 24.11.2011 की स्थिति के अनुसार है।

भारत निर्माण की समग्र कवरेज (चरण-1 और 2) के तहत आवासों का लक्ष्य एवं कवरेज

राष्ट्रीय ग्रामीण पेय-जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

		समग्र कवरेज (चरण-1 और 2)			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कवर न किए गए	आंशिक रूप से कवर किए गए/ छूटे हुए	गुणवत्ता प्रभावित	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	29880	2975	32855
2.	अरुणाचल प्रदेश	668	891	654	2213
3.	असम	7375	9535	12248	29158
4.	बिहार	0	44619	23416	68035
5.	छत्तीसगढ़	0	31869	4510	36379
6.	गोवा	6	1	0	7
7.	गुजरात	36	6320	4413	10769
8.	हरियाणा	0	3116	316	3432
9.	हिमाचल प्रदेश	6891	10825	12	17728
10.	जम्मू और कश्मीर	3211	897	1	4109
11.	झारखण्ड	0	18438	1770	20208

1	2	3	4	5	6
12.	कर्नाटक	5618	10505	7356	23479
13.	केरल	7573	3997	876	12446
14.	मध्य प्रदेश	0	46610	1807	48417
15.	महाराष्ट्र	17738	15503	6912	40153
16.	मणिपुर	0	663	1	664
17.	मेघालय	251	3735	123	4109
18.	मिजोरम	112	368	26	506
19.	नागालैण्ड	731	654	82	1467
20.	ओडीशा	0	42046	9579	51625
21.	पंजाब	1931	2523	1045	5499
22.	राजस्थान	2300	27880	12886	43066
23.	सिक्किम	74	530	0	604
24.	तमिलनाडु	0	33232	2313	35545
25.	त्रिपुरा	0	901	2594	3495
26.	उत्तर प्रदेश	0	28979	7361	36340
27.	उत्तरांचल	272	6011	0	6283
28.	पश्चिम बंगाल	0	8574	12631	21205
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	102	0	0	102
30.	दादर व नगर हवेली	60	0	0	60
31.	दमन व दीव	0	0	0	0
32.	दिल्ली	0	0	0	0
33.	लक्षद्वीप	10	0	0	10
34.	पुदुचेरी	108	57	99	264
35.	चंडीगढ़	0	0	0	0
	कुल	55067	389159	116006	560232

आईएवाई के तहत वित्तीय उपलब्धि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12 (29.9.2011 तक)	
		केन्द्रीय जारी निधियां (सीआर)	उपयोग	केन्द्रीय जारी निधियां (सीआर)	उपयोग	केन्द्रीय जारी निधियां (सीआर)	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	85629.11	130796.29	87366.08	113480.85	42381.025	58371.61
2.	अरुणाचल प्रदेश	3336.76	2167.32	3784.31	3821.79	0.000	346.41
3.	असम	66736.67	86355.23	71031.77	93331.94	36428.700	18863.50
4.	बिहार	200854.99	299594.41	226058.94	332483.78	95820.120	114182.14
5.	छत्तीसगढ़	16279.90	32204.97	13279.76	19630.74	7118.840	5167.97
6.	गोवा	467.49	543.14	517.43	803.90	261.035	52638
7.	गुजरात	41574.95	56795.96	51934.99	69276.70	23083.501	21510.92
8.	हरियाणा	5244.96	8261.87	5974.80	822632	2918.175	258138
9.	हिमाचल प्रदेश	1863.81	3055.84	2143.04	2925.48	1028.120	908.91
10.	जम्मू और कश्मीर	5725.42	5968.31	6643.35	5375.77	3204.228	192.80
11.	झारखण्ड	30160.35	35987.48	55864.20	69357.02	11158.165	15386.84
12.	कर्नाटक	30227.03	53634.35	38798.37	48249.34	16146.445	7993.54
13.	केरल	16261.55	21256.92	18590.80	23758.63	9080.025	5719.39
14.	मध्य प्रदेश	24086.27	33954.03	44223.47	32418.00	13253.840	11961.95
15.	महाराष्ट्र	47443.24	2798.21	52313.82	105934.60	25558.720	17066.84
16.	मणिपुर	2065.92	1528.91	2541.31	1450.05	1400.256	739.45
17.	मेघालय	3783.31	3854.48	5572.45	5404.88	2490.635	3090.26
18.	मिजोरम	1267.79	1422.31	1335.55	1340.29	530.780	431.68
19.	नागालैण्ड	3996.01	3038.92	4455.68	5081.19	1648.135	2801.19
20.	ओडीशा	46025.72	76884.11	47573.66	69101.95	22652.065	12763.85
21.	पंजाब	6463.27	7782.73	6358.58	7641.13	1972.215	3298.44
22.	राजस्थान	18869.60	29866.62	37422.23	37643.04	9162.925	25909.69

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सिक्किम	561.69	780.72	852.16	1328.40	231.915	88435
24.	तमिलनाडु	30547.07	44487.29	34801.21	44072.40	16968.400	1889.77
25.	त्रिपुरा	6368.57	3818.96	10826.77	8621.91	6954.430	259238
26.	उत्तर प्रदेश	101479.94	158769.94	114990.42	147833.00	58362.905	61729.78
27.	उत्तराखंड	5044.94	7828.18	5395.01	8062.20	2816.965	4744.55
28.	पश्चिम बंगाल	60727.47	89164.28	63014.36	79682.63	29690.670	3492935
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	98.04	167.3	77.09	234.83	45.000	115.71
30.	दादरा और नगर हवेली	80.20	0	91.69	0.00	0.000	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0	41.02	0.00	0.000	0.00
32.	लक्षद्वीप	62.21	56.72	71.12	0.00	0.000	0.00
33.	पुदुचेरी	239.74	38.3	0.00	0.00	0.000	0.00
	कुल	863573.99	1327984.1	1013945.4	1346572.75	442368.24	436701.00

भारत निर्माण कार्यक्रम-ग्रामीण टेलीफोनी के तहत 31.8.2011 की स्थिति के अनुसार कवर न किए गए गांवों का सार

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	भारत निर्माण के तहत वीपीटीज उपलब्ध कराए जाने वाले गांवों की संख्या	उपलब्ध कराए गए वीपीटीज डीएसपीटी पर	उपलब्ध कराए गए वीपीटीज अन्य प्रौद्योगिकियों पर	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	675	0	675	675
3.	असम	8775	0	8775	8775
4.	बिहार	0	0	0	0
5.	झारखण्ड	1564	0	1564	1564
6.	गुजरात	4097	25	4072	4097
7.	हरियाणा गोवा	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	1000	36	964	1000
9.	जम्मू और कश्मीर	1753	176	1572	1748

1	2	3	4	5	6
10.	कर्नाटक	0	0	0	0
11.	केरल	0	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	11854	20	11834	11854
13.	छत्तीसगढ़	3509	120	3389	3509
14.	महाराष्ट्र	6275	225	6045	6270
15क.	मेघालय (पूर्वोत्तर-1)	1504	545	747	1292
15ख.	मिजोरम (पूर्वोत्तर-1)	93	43	50	93
15ग.	त्रिपुरा (पूर्वोत्तर-1)	75	0	75	75
16क.	अरुणाचल प्रदेश (पूर्वोत्तर-2)	646	333	313	646
16ख.	मणिपुर (पूर्वोत्तर-2)	861	314	547	861
16ग.	नागालैण्ड (पूर्वोत्तर-2)	28	1	27	28
17.	ओडीशा	4122	978	3144	4122
18.	पंजाब	0	0	0	0
19.	राजस्थान	11924	61	11860	11921
20.	तमिलनाडु	0	0	0	0
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0	0	0	0
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0	0	0	0
23.	उत्तरांचल	3547	914	2586	3500
24.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0
	कुल	62302	3791	58239	62030

अगस्त 2011 माह के लिए भारत निर्माण—ग्रामीण टेलीफोन सघनता

क. ग्रामीण टेलीफोन सघनता

क्र.सं.	क्षेत्र/राज्य	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण टेलीफोन सघनता का प्रतिशत	31.8.2011 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण टेलीफोन सघनता का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	16.57	30.98%
2.	आंध्र प्रदेश	15.22	36.45%

1	2	3	4
3.	असम	9.36	26.87%
4.	बिहार	9.17	29.71%
5.	छत्तीसगढ़	1.81	2.87%
6.	गुजरात	25.21	49.58%
7.	हरियाणा	28.10	54.79%
8.	हिमाचल प्रदेश	40.47	73.38%
9.	जम्मू और कश्मीर	16.72	30.45%
10.	झारखण्ड	1.44	2.34%
11.	कर्नाटक	14.36	36.16%
12.	केरल	35.43	55.33%
13.	मध्य प्रदेश	11.07	32.28%
14.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	21.70	49.13%
15.	पूर्वोत्तर-1 (मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा सहित)	14.67	59.40%
16.	पूर्वोत्तर-2 (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एवं नागालैंड सहित)	3.69	8.79%
17.	ओडीशा	12.55	31.74%
18.	पंजाब	33.11	61.57%
19.	राजस्थान	16.71	40.33%
20.	तमिलनाडु	25.62	52.20%
21.	उत्तराखण्ड	6.04	9.66%
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	10.24	29.76%
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)		
24.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	13.50	39.05%
25.	कोलकाता	-	-
26.	चेन्नई	-	-
27.	दिल्ली	-	-
28.	मुम्बई	-	-
	अखिल भारत	15.11	36.23%

सितम्बर 2011 के लिए डीएमयू पीएमओ को प्रस्तुत रिपोर्ट

भारत निर्माण-2 के तहत ग्राम पंचायतों की ब्रॉडबैंड कवरेज

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्राम पंचायत सं.	2009-10		2010-11		2011-12		संचयी उपलब्धि
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	67	56	56	5	0	6	0	56
2.	आंध्र प्रदेश	21862	10917	10917	2413	1701	8532	1302	13920
3.	असम	3943	693	693	629	312	2621	957	1962
4.	बिहार	8460	1744	1744	2352	2472	4364	3244	7460
5.	छत्तीसगढ़	9837	2150	2150	1451	0	6236	0	2150
6.	गुजरात (दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव सहित)	14439	7014	7014	1500	585	5925	0	7599
7.	हरियाणा	6234	3758	3758	2000	1484	476	358	5600
8.	हिमाचल प्रदेश	3241	1351	1351	653	309	1237	.16	1676
9.	जम्मू और कश्मीर	4140	885	885	1189	0	2072	0	885
10.	झारखण्ड	4559	3स्र	30	1585	2507	2944	1801	4338
11.	कर्नाटक	5657	2460	2460	1500	970	1697	284	3714
12.	केरल	999	989	989	10	8	0	0	997
13.	लक्षद्वीप	10	5	5	5	0	0	0	5
14.	मध्य प्रदेश	23022	2711	2711	7103	1446	13208	0	4157
15.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	28078	9366	9366	6272	928	12440	0	10294
16.	त्रिपुरा	1040	29	29	1000	825	11	0	854
17.	मिजोरम**	768	100	100	234	75	434	0	175
18.	मेघालय**	1463	0	0	200	43	1263	0	43
19.	अरुणाचल प्रदेश	1756	70	70	500	266	1186	20	1398
20.	मणिपुर	3011	60	60	100		2851		
21.	नागालैण्ड**	1110	982	982	128		0		
22.	ओडीशा	6233	1379	1379	1400	711	3454	7	2097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	पंजाब	12809	9642	9642	1500	751	1667	530	10923
24.	चंडीगढ़	17	16	16	1	0	0	0	16
25.	राजस्थान	9200	2424	2424	2081	522	4695	0	2946
26.	तमिलनाडु	12617	7450	7450	1492	320	3675	1142	8912
27.	पुदुचेरी	96	98	98.	0	0	0	0	98
28.	उत्तर प्रदेश	52125	10069	10069	14079	14358	27977	16842	41269
29.	उत्तराखण्ड	7546	1356	1356	1000	645	5190	410	2411
30.	पश्चिम बंगाल	3354	129स	1291	776	292	12इ3	826	2413
31.	सिक्किम	163	66	66	34	0	63	0	66
	कुल	247864	79165	79165	53191	31530	115508	27739	138434

पंचायत कवरेज के 100 लक्ष्य को 2012 तक पूरा करने की योजना है।

समकक्ष ग्रामीण स्थानीय निकाय

भारत निर्माण की प्रगति (ग्राम सड़क घटक)

नयी कनेक्टिविटी, आवास

सितम्बर, 2011 तक के आंकड़े

क्र.सं.	राज्य	लक्ष्य (2005-12)	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		संचयी उपलब्धि*	संचयी उपलब्धि % में
			टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	आंध्र प्रदेश[$]	236	0	11	0	4	0	0	2	0	190	59	100	115		4	193	82%
2.	अरुणाचल प्रदेश	103	22	0	65	3	67	19	25	19	30	12	10	15		11	79	77%
3.	असम[9]	4445	421	346	1988	804	2701	656	1800	1210	1350	705	250	584		168	4473	101%
4.	बिहार[9]	9956	896	0	2062	1183	3214	174	1120	842	4500	746	780	1075		555	4575	46%
5.	छत्तीसगढ़[##]	3831	478	397	1310	604	2007	648	2000	523	840	627	100	128		66	2993	78%
6.	गोवा**	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	100%
7.	गुजरात	1332	230	212	246	264	251	249	180	222	175	144	50	119		44	1254	94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0%
9.	हिमाचल प्रदेश	922	127	98	209	145	166	168	260	172	250	5	50	44		12	644	70%
10.	जम्मू और कश्मीर[$]	1468	57	3	352	16	593	41	175	187	350	297	50	81		47	672	46%
11.	झारखंड[सस]	2991	526	101	1295	108	901	97	400	363	1100	305	300	327		114	1415	47%
12.	कर्नाटक	17	0	1	0	4	0	2	10	10	0	0	0	0		0	17	100%
13.	केरल[$]	73	0	6	0	19	0	12	25	13	15	15	6	5		0	70	96%
14.	मध्य प्रदेश[$]	6790	768	929	1760	1345	2399	1916	2300	2361	504	-566	300	487		46	6518	96%
15.	महाराष्ट्र[$]	295	0	46	0	135	0	10	82	60	40	25	10	0		5	281	95%
16.	मणिपुर	291	11	37-	48	0	48	0	45	41	45	15	25	27		15	135	46%
17.	मेघालय[सस]	128	35	5	30	4	31	6	10	7	10	5	10	8		5	40	31%
18.	मिजोरम[सस]	130	12	7	39	1	39	11	10	6	40	14	15	63		0	102	78%
19.	नागालैंड[सस]	37	9	7	10	0	10	5	5	3	12	9	5	4		3	31	84%
20.	ओडीशा	5672	493	361	874	322	1087	321	1450	2205	1500	644	400	652		48	4553	80%
21.	पंजाब	50	0	7	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0		0	50	100%
22.	राजस्थान	3009	743	753	1252	1222	1225	889	145	90	40	12	12	5		2	2973	99%
23.	सिक्किम	154	22	35	30	18	31	7	60	16	55	17	15	13		8	114	74%
24.	तमिलनाडु	83	0	46	0	0	0	3	25	30	2	0	2	2		1	82	99%
25.	त्रिपुरा[$]	810	66	12	183	53	248	52	200	164	280	164	60	106		5	556	69%
26.	उत्तर प्रदेश	4097	1236	944	1533	979	1323	1023	600	787	320	257	60	67		5	4062	99%
27.	उत्तराखण्ड	772	95	16	106	15	257	46	125	115	80	104	40	77		15	388	50%
28.	पश्चिम बंगाल[$]	6954	787	720	2738	960	3473	685	1600	1314	1272	557	350	623		48	4907	71%
	कुल	54648	7034	5102	16130	8251	20071	7040	12654	10760	13000	4172	3000	4627		1227	41179	75%

नोट: टी=लक्ष्य और ए=उपलब्धि

*संचयी उपलब्धि वर्ष 2005-12 के कुल लक्ष्य के विरुद्द सितम्बर, 2011 तक की उपलब्धि है।

**मार्च 2009 के बाद कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

9क्लीयर की गई डीपीआर=बिहार में 11830 जो कोर नेटवर्क सत्यापन के लिए लंबित लक्षित आंकड़े हैं

9राज्य विद्युत डीपीआर एवं क्लीयर की गई।

डीपीआर के अनुसार = 5940

[$]राज्यों द्वारा निपटान किए जाने वाले आंकड़े

[सस]राज्यों द्वारा नवीनतम निपटान के बाद के आंकड़े।

भारत निर्माण की प्रगति (ग्राम सड़क घटक)

नयी कनेक्टिविटी, दूरी कि.मी. में

सितम्बर, 2011 नक के आंकड़े

क्र.सं.	राज्य	लक्ष्य (2005-12)	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		संचयी उपलब्धि	संचयी उपलब्धि
			टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	*	%में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	514	0	476.58	0	40.55	10	0	110	159.16	750	816.73		169.5	2176.5	एनआर
2.	अरुणाचल प्रदेश	2118.75	162.5	86.9	637.5	128.17	646.88	213.61	290	112.59	250	110.84	100	28.05		10.93	691.09	33%
3.	असम	13153.22	605.9	487.7	2864.06	1552.51	3889.85	1141	2700	1985.11	2280	2082.42	1750	2057.1		805	10111	77%
4.	बिहार	8946.31	1665.8	594.5	3928.75	240.74	6121.43	235.7	4000	1458.93	3650	2090.87	3381	2324.39		1222	8167.6	43%
5.	छत्तीसगढ़	20574.8	1501.4	1986.4	4367.61	2645.37	6450.64	2562.33	4100	2299.24	2200	1687.39	350	312.84		143,9	11637	57%
6.	गोवा	0	0	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1.8	एनआर
7.	गुजरात	1710.03	403	619.6	429.72	473.41	438.68	449.86	300	483.98	570	497.62	300	356.75		232.4	3113.6	182%
8.	हरियाणा	0	0	42.8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0		0	44.8	एनआर
9.	हिमाचल प्रदेश	2378.13	464.6	1361.7	795.83	797.87	638.54	717.42	1260	692.8!	700	113.68	200	110.66		18.12	3812.3	160%
10.	जम्मू और कश्मीर	4416.43	170	20.8	1059.49	48.59	1781.87	132.08	1300	450.7	400	645.6	200	374.44		570.9	2243.1	51%
11.	झारखंड	7777.78	1051.8	491.6	2594.39	308.37	1812.3	273.55	1200	996.75	500	1506.78	1300	1598.8		520.9	5696.8	73%
12.	कर्नाटक	0	0	59.6	0	11.9	0	0	20	0	0	0	0	0		0	71.5	एनआर
13.	केरल	0	0	46.5	0	41.41	0	37.3	80	1.95	100	15	4	17.64		9.05	168.85	एनआर
14.	मध्य प्रदेश	27561.61	2602.1	2759.3	6162.45	3788.51	8326.85	5231.8	6250	7893.72	4000	4514.72	1200	4922.2		630.7	29741	108%
15.	महाराष्ट्र	0	0	264.6	0	450	0	29	200	205	500	229.35	30	190.09		42.05	1410.1	एनआर
16.	मणिपुर	1744.05	100	111	460.71	146.611	464.29	224.97	900	67.23	200	454.52	175	262.97		72.65	1340	77%
17.	मेघालय	543.88	123.6	75.1	135.97	24.5	140.09	27.17	150	24.8	50	69.04	50	62.11		12.64	295.36	54%
18.	मिजोरम	941.95	82.7	174.4	274.82	146.38	277.88	141.17	280	192.03	200	202.71	85	251.04		53.46	1161.2	123%
19.	नागालैंड	421.84	93.3	317.3	104.53	22	109.51	156	130	73.3	150	141.66	20	35		9.69	754.95	179%
20.	ओडीशा	9993.35	1056	1359.3	1985.61	1601.93	2524.02	1398.04	5200	2064.18	2530	2800.62	2000	3158.48		705.8	13088	131%
21.	पंजाब	0	0	96.9	0	81.07	0	0	0	0	0	0	0	0		0	177.97	एनआर
22.	राजस्थान	11460.85	2153.6	2401.9	3629.52	3939.93	3554.22	3671.93	1700	312.41	1700	50.26	90	18.86		2.9	10398	91%
23.	सिक्किम	419.17	75	165.8	104.04	324.11	108.04	135	280	156.02	300	44	30	14		1	839.93	200%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24.	तमिलनाडु	0	0	501	0	0	0	0	70	109.49	170	34.86	5	63.41		23.98	732.74	एनआर
25.	त्रिपुरा	1158.88	94.8	3.6	261.74	175.6	354.7	59.51	750	361.28	450	501.51	200	427.01		20.52	1549	134%
26.	उत्तर प्रदेश	7794.96	1966.4	2202.8	2390.63	2383.26	2059.21	2657.01	1400	1552.73	1050	590.66	150	136.84		14.22	9537.5	122%
27.	उत्तराखंड	2848.56	380.6	87.4	422.01	105.89	1025.64	799.45	650	645.6	600	764.49	250	551.88		205.9	3160.6	111%
28.	पश्चिम बंगाल	10220.81	739.4	1220	2572.77	1508.14	3265.31	1567.31	2000	1886.51	1340	1442.13	1700	1299.86		365.7	9289.6	91%
	कुल	14618534	15492.4	180543	35182.15	21422.9	43989.9	21901.8	35220	2402636	24000	20751.88	14320	19391.2		5864	131413	90%

*संचयी उपलब्धि वर्ष 2005-12 के कुल लक्ष्य के विरुद्ध सितम्बर, 2011 तक की उपलब्धि है।

**मार्च 2009 के बाद कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

भारत निर्माण की प्रगति (ग्राम सड़क घटक)

उन्नयन (नवीकरण सहित), दूरी कि.मी. में

सितम्बर, 2011 तक के आंकड़े

क्र.सं.	राज्य	लक्ष्य (2005-12)	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		संचयी उपलब्धि *	संचयी उपलब्धि %में
			टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	आंध्र प्रदेश	8597.45	1821	891	2258.65	2131.79	2258.65	2732.48	2990	3042.31	1690	3111.85	1000	1302.91		101.7	13314	155%
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0		0	0	एनआर
3.	असम	6495.36	0	0	2005.71	0	2269.81	0	630	613.46	0	0	10	0		3.1	616.56	9%
4.	बिहार	9295.21	0	194.9	2393.62	585.78	3510.64	704.81	3600	1186.35	700	343.25	225	151.93		48.27	3215.3	35%
5.	छत्तीसगढ़	8449.48	0	18.7	1986.06	298.88	3240.42	1939.33	750	127.71	300	495.78	250	275.39		101.5	3257.3	39%
6.	गोवा	760.46	190.1	0	190.11	0	190.11	0	15	0	0	0	0	0		0	0	0%
7.	गुजरात	4528.99	0	33.1	1557.97	1528.9	1557.97	1997.32	1167	3465.25	430	5662.01	200	1712.8		590.2	14990	331%
8.	हरियाणा	3761.47	229.4	278.9	1146.79	1016.76	1146.79	1222.41	1250	1474.44	650	1087.81	161	479.82		61.84	5622	149%
9.	हिमाचल प्रदेश	4713.38	0	0	1515.92	1095.71	1694.27	1115.53	900	1377.18	300	1363.79	250	1156.04		546.5	6654.7	141%
10.	जम्मू व कश्मीर	2936.08	0	4.4	1007.58	4	920.91	274.75	750	348	100	343	100	99.56		127.4	1201.1	41%
11.	झारखंड	6219.88	0	0	2108.43	476	2123.49	0	300	0	30	0	0	0		0	476	8%
12.	कर्नाटक	10294.12	2573.5	742.5	2573.53	1973.58	2573.53	3582.83	3000	2090.01	2000	3019.54	1000	1661.56		0	13070	127%
13.	केरल	2201.26	524.1	0	628.93	0	524.11	226.06	667	692.25	200	257.58	100	369.81		175.8	1721.5	78%
14.	मध्य प्रदेश	18627.45	0	0	5189.54	5756.91	6614.38	0	2250	0	1000	5883.3	2000	4183.5		194	16018	86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15.	महाराष्ट्र	17337.46	4334.4	107.9	4334.37	3664	4334.37	4300.41	6600	6730	1200	3000.15	922	1472.67		85	19360	112%
16.	मणिपुर	0	0	171,6	0	52.94	0	35.95	50	18.34	0	72.71	20	13.57		10.21	375.32	एनआर
17.	मेघालय	1840.36	0	13	587.58	0	587.58	0	50	0	0	0	0	0		0	13	1%
18.	मिजोरम	732.71	0	0	258	0	258	0	50	0	0	0	0	0		0	0	0%
19.	नागालैंड	864.2	0	38.5	246.91	21	246.91	105.57	400	116	100	67.5	100	49		33	430.57	50%
20.	ओडीशा	14161.16	0	135.1	4438.57	970.43	4663.14	1400.16	1800	2079.34	470	1510.65	1052	2291.12		982.7	9369.5	66%
21.	पंजाब	5070.62	423.7	0	1483.05	1498.1	1483.05	1095.45	1675	1355.63	500	710	0	199.02		0	4858.2	96%
22.	राजस्थान	13074.79	0	986.9	4764.54	2147	4653.74	5406.26	10833	8918.9	1790	4784.99	1280	2490.85		1650	26385	202%
23.	सिक्किम	433.07	0	26.2	196.85	0	137.8	0	50	0	0	0	30	0		0	26.2	6%
24.	तमिलनाडु	11114.5	1297.7	0	2824.43	4825	2824.43	6215.05	1473	1793.52	600	2467.85	1000	2710.74		536.4	18549	167%
25.	त्रिपुरा	1171.72	0	0	373.74	0	383.84	0	50	0	50	18.41	50	96.64		44.81	159.86	14%
26.	उत्तर प्रदेश	28523.11	0	250.1	7158.96	16259.9	6956.03	24602.5	10610	13040.13	3890	8227.41	2700	3336.11		223.6	65940	231%
27.	उत्तराखंड	3443.46	0	5.3	889.45	0	1283.35	1182	200	200	0	0	0	0		0	1387.3	40%
28.	पश्चिम बंगाल	9482.96	0	0	2549.94	0	2878.97	6.5	560	0	0	9.92	50	85.34		29.82	131.58	1%
	कुल	194130.69	11394.4	3898.1	54669.3	44306.7	59316.3	58145.4	52720	48668.82	16000	42437.5	12500	24138.4		5546	227141	117%

*संचयी उपलब्धि वर्ष 2005-12 के कुल लक्ष्य के विरुद्ध सितम्बर, 2011 तक की उपलब्धि है।

**मार्च 2009 के बाद कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 (सितम्बर, 2011 तक) पीएमजीएसवाई के तहत राज्यवार एवं वर्षवार आवंटन, जारी निधियां और व्यय

(करोड़ रुपये)

	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
राज्य	ए	आर	ई	ए	आर	ई	ए	आर	ई	ए	आर	ई	ए	आर	ई
1 2	3	4	5	6	7	8	9 10	11	12	13	14	15	16 17	18	19
आंध्र प्रदेश	105	316.57	381.89	105	470.6	494.47	89.67	877.46	886.37	36.84	672.15	473.94	46.87	136.57	103.43
अरुणाचल प्रदेश	57	102.03	131.76	57	107.98	152.01	48.68	282.51	247.61	20	371.87	348.85	25.45	83.27	55.88
असम	181	555	608.75	181	982.12	1,007.05	154.58	1,179.00	1,412.91	63.5	1,900.67	1,300.79	80.79	547.75	560.1
बिहार	337	733.06	580.68	337	1,065.20	1,067.54	287.81	1,750.73	1,874.51	118.24	3,477.06	2,694.91	150.44	1,897.04	1,243.35
छत्तीसगढ़	240	1,050.89	932.5	240	976.12	863.34	204.97	540.03	805.06	84.2	678.58	304.16	107.13	444.33	129.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
गोवा		5	0	0	5	0	0	1.71		0	0	0.7	0	0		0.84	0	0
गुजरात		65	144.56	156.99	65	229.67	255.26	55.51		193.8	190.46	22.8	322.43	243.84		29.01	40	135.55
हरियाणा		30	216.21	216.51	30	272.02	313.09	25.62		255.49	277.16	10.53	157.75	108.03		13.4	60	19.9
हिमाचल प्रदेश		87	320.58	281.98	87	268.9	240.51	74.3		124.96	220.1	30.52	199.3	142.67		38.83	275.3	52.47
जम्मू और कश्मीर		65	72.74	105.09	65	191.74	190.71	55.51		372.61	359.42	22.8	366.09	297.4		29.01	762.1	223.45
झारखंड		175	0	63.18	175	210.67	211.47	149.45		417.74	457.79	61.4	843.81	538.44		78.12	728.08	171.24
कर्नाटक		110	273.49	349.12	110	640.46	550.37	93.94		764.87	883.97	38.59	927.68	634.8		49.1	0	248.25
केरल		30	24.68	61.32	30	84.02	84.41	25.62		100.11	113.77	10.53	146.27	146.14		13.4	0	22.98
मध्य प्रदेश		440	1,615.66	1,358.73	440	1,895.10	2,198.06	375.77		2,135.66	2,234.83	154.37	1,966.12	1,409.49		196.4	825.07	367.26
महाराष्ट्र		145	563.96	637.33	145	1,030.00	929.98	123.83		949.18	994.6	50.87	1,242.55	1,012.48		64.72	788.01	324.87
मणिपुर		33	78.99	64.28	33	20	37.97	28.18		149.16	145.13	11.58	144.98	122.34		14.73	59.69	118.37
मेघालय		45	0	15.59	45	35.95	12.64	38.43		0	20.38	15.79	64.55	36.39		20.09	0	22.86
मिजोरम		32	21.96	59.47	32	65	54.55	27.33		44.58	66.86	11.23	95.59	82.24		14.29	93.63	38.04
नागालैंड		30	12.51	20.42	30	85.71	87.31	25.62		65.02	71.61	10.52	25.13	29.67		13.38	10	8.84
ओडीशा		273	546.83	677.41	273	1,251.38	1,163.01	233.15		1,594.35	1,895.25	95.78	2,477.36	1,924.25		121.86	1,085.58	561.38
पंजाब		35	360.21	366.95	35	243.42	269.02	29.89		348.42	322.64	12.28	196.43	155.34		15.62	90	17.46
राजस्थान		234	1,646.64	1,455.44	234	1,771.32	1,695.54	200.7		603.41	795.03	82.45	886.22	686.39		104.9	282.76	172.13
सिक्किम		30	174.51	88.81	30	55	103.99	25.62		71.8	80.17	10.53	79.38	85.53		13.4	80	1.43
तमिलनाडु		90	71.03	108.65	90	88.68	127.87	76.86		525	560.2	31,58	469.54	304.81		40.18	45	140.87
त्रिपुरा		40	143	155.6	40	379.99	315.77	34.16		168.49	253.74	14.03	285.76	237.51		17.85	180	90.61
उत्तर प्रदेश		375	1,228.40	1,201.04	375	1,675.78	2,000.07	323.68		2,844.51	2,914.96	132.97	1,308.83	868.54		169.18	17.7	102.91
उत्तराखण्ड		100	78.74	99.73	100	116.66	152.79	85.4		165.95	172.57	35.08	240.26	191.74		44.63	265	67.82
पश्चिम बंगाल		226	549.69	439.47	226	635.48	583.18	193.01		375	575.82	79.29	819.68	530.29		100.88	320.73	202.9
कुल (राज्य)		3,615.00	10,899.94	10,618.69	3,615.00	14,848.97	15,161.98	3,089.00		16,899.82	18,832.92	1,269.00	20,366.04	14,910.98		1,614.50	9,117.60	5.203.78

नोट: ए = आवंटन आर = जारी निधियां और ई = व्यय

आरजीजीवीवाई के तहत मंजूर परियोजनाओं के लिए बीपीएल कनेक्शन जारी करने संबंधी राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	संशोधित कवरेज (अनंतिम)	संचयी उपलब्धि (31.10.2011 के अनुसार)	बीपीएल आवासों की बकाया सं.
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2576311	2659139	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	40810	18021	22789
3.	असम	990590	717459	273131
4.	बिहार	2733202	1834946	898256
5.	छत्तीसगढ़	851203	469446	381757
6.	गुजरात	747469	769273	0
7.	हरियाणा	250690	193228	57462
8	हिमाचल प्रदेश	12764	8574	4190
9.	जम्मू व कश्मीर	81309	39377	41932
10.	झारखण्ड	1540533	1215263	325270
11.	कर्नाटक	952603	821573	131030
12.	केरल	55755	17238	38517
13.	मध्य प्रदेश	1383059	529366	853693
14.	महाराष्ट्र	1214157	1127764	86393
15.	मणिपुर	107369	11518	95851
16.	मेघालय	109696	41174	68522
17.	मिजोरम	27417	11134	16283
18.	नागालैण्ड	69899	24569	45330
19.	ओडीशा	3202580	2459041	743539
20.	पंजाब	148860	48397	100463
21.	राजस्थान	1162921	1008859	154062
22.	सिक्किम	11458	8801	2657

1	2	3	4	5
23.	तमिलनाडु	495740	498883	0
24.	त्रिपुरा	123037	71389	51648
25.	उत्तर प्रदेश	884028	891491	0
26.	उत्तराखंड	227523	229012	0
27.	पश्चिम बंगाल	2641051	1654429	986622
	कुल	22642034	17379364	5379397

भारत निर्माण के तहत सिंचाई (एआईपीवीपी) क्षमता की राज्य-वार स्थिति

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	उपलब्धि 2005-06	उपलब्धि 2006-07	उपलब्धि 2007-08	उपलब्धि 2008-09	उपलब्धि 2009-10**	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	70.79	231.28	271.43	225.76	एनआर	799.26
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.38	3.32	7.00	4.35	एनआर	19.05
3.	असम	3.31	4.75	15.21	34.50	एनआर	57.78
4.	बिहार	279.45	199.60	31.75	15.95	एनआर	526.75
5.	छत्तीसगढ़	53.26	40.96	36.27	36.96	एनआर	167.45
6.	गोवा	1.22	1.23	6.38	3.74	0.12	12.70
7.	गुजरात	184.99	153.37	119.63	93.66	एनआर	551.66
8.	हरियाणा	21.89	12.56	10.36	19.60	एनआर	64.41
9.	हिमाचल प्रदेश	7.56	4.42	5.84	4.80	एनआर	22.62
10.	जम्मू व कश्मीर	15.56	25.36	19.44	एनआर	एनआर	60.36
11.	झारखण्ड	14.85	23.71	8.48	36.86	एनआर	83.90
12.	कर्नाटक	74.56	135.33	51.74	86.36	एनआर	347.98
13.	केरल	12.38	6.00	7.06	9.07	एनआर	34.51
14.	मध्य प्रदेश	81.35	103.55	126.20	92.22	एनआर	403.32
15.	महाराष्ट्र	128.20	210.00	179.00	120.00	एनआर	637.20

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मणिपुर	एनआर	0.00	12.00	4.14	एनआर	16.14
17.	मेघालय	1.73	2.55	0.93	5.06	0.73	11.00
18.	मिजोरम	0.63	0.00	3.03	3.63	एनआर	7.29
19.	नागालैण्ड	2.59	2.06	4.20	3.87	एनआर	12.72
20.	ओडीशा	24.59	43.75	63.43	105.81	एनआर	237.58
21.	पंजाब	49.67	36.44	26.20	25.19	एनआर	137.50
22.	राजस्थान	164.58	99.59	93.59	*66.88	एनआर	424.64
23.	सिक्किम	0.80	1.21	1.08	0.80	0.38	4.27
24.	तमिलनाडु	5.92	23.88	16.73	437.10	एनआर	483.62
25.	त्रिपुरा	4.79	3.99	2.71	0.27	एनआर	11.75
26.	उत्तर प्रदेश	432.24	533.71	544.50	422.73	एनआर	1933.18
27.	उत्तराखंड	32.18	35.31	29.51	12.09	एनआर	109.08
28.	पश्चिम बंगाल	17.75	26.10	39.62	53.96	एनआर	137.43
	कुल	1691.21	1964.01	1733.33	1925.36	1.23	7315.13

एनआर-रिपोर्ट नहीं किया गया।

*सूचना को सिंचाई क्षमता के सृजन के बारे में सूचना के आधार पर अद्यतन किया गया है।

**प्रगति 9/09 तक है।

डीएमयू-पीएमओ को प्रस्तुत की जाने वाली तिमाही रिपोर्ट हेतु फॉर्मेट

भारत निर्माण—सिंचाई (एआईबीपी) (राज्य सरकार द्वारा यथा रिपोर्ट अनुसार)

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य	31.3.2009 तक उपलब्धि	2009-10		2010-11		2011-12		संचयी उपलब्धि
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	799.262		92.220		34.975			926.457
2.	अरुणाचल प्रदेश	19.051		3.470		2.466			24.987
3.	असम	57.777		82.506		21.130			161.413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	526.751		255.290					782.041
5.	छत्तीसगढ़	167.446		46.501		31.741			245.688
6.	गोवा	12.581		0.869		1.374			14.824
7.	गुजरात	551.655		110.410		55.516			717.581
8.	हरियाणा	64.411		7.890		11.093			83.394
9.	हिमाचल प्रदेश	22.625		32.925		6.500			62.050
10.	जम्मू और कश्मीर	60.357		14.620					74.977
11.	झारखण्ड	83.899		18.875		42.520			145.294
12.	कर्नाटक	347.980		85.000		85.647			518.627
13.	केरल	34.514		9.641		6.309			50.464
14.	मध्य प्रदेश	403.320		47.484		114.955			565.759
15.	महाराष्ट्र	637.200		204.423					841.623
16.	मणिपुर	16.140		3.872		4.000			24.012
17.	मेघालय	10.269		4.589		4.448			19.306
18.	मिजोरम	8.910		5.248		4.900			19.058
19.	नागालैण्ड	12.715		4.053		5.235			22.003
20.	ओडीशा	237.575		118.069		67.626			423.270
21.	पंजाब	137.498		15.275		7.890			160.663
22.	राजस्थान	424.640		66.900		41.400			532.940
23.	सिक्किम	3.891		0.914		0.000			4.805
24.	तमिलनाडु	483.624		319.000		674.560			1477.184
25.	त्रिपुरा	11.749		3.212					14.961
26.	उत्तर प्रदेश	1933.176		241.711		2.330			2177.217
27.	उत्तराखंड	109.079		12.139					121.218
28.	पश्चिम बंगाल	137.426		50.537		27.840			215.803
	कुल	7315.521		1857.643		1254.455			10427.619

वर्ष 2010-11 के दौरान प्रगति 3.10.2011 की स्थिति के अनुसार है। सूचना अभी कुछ राज्यों से प्राप्त की जानी है।

[अनुवाद]

पिछड़े खंडों हेतु योजनाएं

1596. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया है कि सरकार के विकास के प्रयासों के द्वारा शेष देश में पिछड़ रहे खंडों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जैसा कि मीडिया में कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे पिछड़े खंडों को लक्षित करने हेतु योजनाएं तैयार की हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सामाजिक योजनाओं को सही रूप से लक्षित करने और गरीबी घटाने हेतु अपने प्रयासों के तौर पर लक्षित समूहों को बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पंचायती राज और ग्रामीण शासन संबंधी कार्यदल ने यह सिफारिश की है कि सबसे पिछड़े क्षेत्रों में निधियों का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) (जिला घटक) हेतु पिछड़ेपन की पहचान करने के लिए खंड (ब्लॉक) आधारभूत इकाई होनी चाहिए। बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु ग्रामीण आजीविका और ग्रामीण शासन संबंधी संचालन समिति द्वारा कार्यदल की सिफारिशों की संवीक्षा की जा रही है।

(घ) विभिन्न सामाजिक स्कीमों के तहत लाभों को लक्षित समूहों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और सख्त मॉनीटरण के अतिरिक्त सुपुर्दगी व्यवस्था में सुधार के लिए पंचायली राज संस्थानों (पीआरआई) को सुदृढ़ किया जा रहा है।

[हिन्दी]

विद्यालयों/महाविद्यालयों में यौन अपराध

1597. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य सभी स्थानों पर यौन अपराधों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उक्त कानून की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा मौजूदा कानूनों में आवश्यक संशोधन कब तक दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ग) संबंधित संस्थान में यौन अपराधों को रोकने के लिए शैक्षिक संस्थानों द्वारा उपचारी कदम उठाये जाते हैं।

वनस्पति पर बी.टी. जीन का प्रभाव

1598. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसंधान एवं अन्वेषण विभाग ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है कि बी.टी. जीन जोखिम रहित नहीं है और इससे वनस्पति को नुकसान होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त के मद्देनजर कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कार्रवाई पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय के आनुवंशिकी (जिनेटिक्स) विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कॉटन में क्राई 1ए(सी) जीन के संबंध में अनुसंधान कार्य का निष्कर्ष नहीं निकला है। तथापि प्रारंभिक अन्वेषण में यह पाया गया है कि यह जीन मानव जाति सहित गैर लक्ष्य वाले कीटकों, नाशक जीवों और अन्य जीवों के लिए विषाक्त नहीं है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों को लाइसेंस

1599. **श्री के.पी. धनपाल:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न निजी हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों के लाइसेंस के नवीकरण हेतु जारी दिशानिर्देश क्या हैं; और

(ख) पुराने हेलीकॉप्टरों को सेवा से हटाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जहां तक निजी हेलीकॉप्टरों के लाइसेंस का संबंध है कोई पृथक हेलीकॉप्टर प्रचालक परमिट जारी नहीं किया जाता है। तथापि, कुछ गैर-अनुसूचित प्रचालक परमिटधारकों के परमिट में या तो हेलीकॉप्टर पृष्ठांकित हैं या उनके पास विशिष्ट रूप से हेलीकाप्टर हैं। गैर-अनुसूचित प्रचालक परमिटधारकों, जिसमें निजी हेलीकॉप्टर प्रचालक शामिल हैं, के नवीकरण के लिए जारी दिशा-निर्देश कथित नागर विमानन अपेक्षाओं की धारा-3, पैरा-11 के श्रृंखला-ग, भाग-।।। में समाविष्ट हैं।

(ख) चालू वैध उड़नयोग्यता प्रमाण पत्र वाले हेलीकॉप्टर को ही प्रचालन की अनुमति है। बिना बैध प्रमाण पत्र वाला हेलीकॉप्टर स्वत: ही उड़ान के लिए प्रतिबंधित हो जाता है और उड़नयोग्यता प्रमाण पत्र तभी प्रदान/नवीकरण किया जाता है जब हेलीकॉप्टर नागर विमानन अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

[हिन्दी]

साइबर हमले

1600. **डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:**
श्री एल. राजगोपाल:
श्री बदरूद्दीन अजमल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट/ई-मेल के उपयोग के बारे में बताने वाली रिपोर्टें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कितने मामलों का पता चला;

(ग) क्या विरोधी देशों द्वारा सरकारी वेबसाइटों पर हमारे देश की छवि खराब करने के ऑनलाइन दुष्प्रचार की रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार साइबर संबंधी कानूनों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु उनमें संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, हां। सरकार असामाजिक तत्वों और अपराधियों द्वारा इन्टरनेट/ई-मेल के दुरुपयोग के बारे में जागरूक है। आतंकवाद के कुछ मामलों की जांच के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पाया कि आतंकवाद की कार्रवाई करने के लिए इन्टरनेट का प्रयोग करते रहे हैं और ई-मेल के माध्यम से सूचना का संचार/संप्रेषण करते रहे हैं।

(ख) इन्टरनेट/ई-मेल के दुरुपयोग से जुड़े मामलों का रिकार्ड सरकार द्वारा अलग से तैयार नहीं किया जाता है। परन्तु राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए सामान्य साइबर अपराध डेटा के अनुसार वर्ष 2007, 2008, 2009 और 2010 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत साइबर अपराध के क्रमश: 217, 288, 420 और 966 मामले दर्ज किए गए। इस प्रकार एक बात सामने आती है इन मामलों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2007, 2008, 2009 और 2010 के दौरान भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की साइबर अपराध से संबंधित धाराओं के अंतर्गत साइबर अपराध के क्रमश: 339, 176, 276 और 356 मामले रिपोर्ट किए गए।

(ग) और (घ) इंटरनेट विचारों, कार्यकलापों और घटनाओं को साझा करने और विशिष्ट विषयों/कार्यक्रमों के बारे में अपने विचार/दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए प्रयोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए एक ऑनलाइन माध्यम/प्लेटफार्म के रूप में उभरकर सामने आया है। बहुत से समूहों और व्यक्तियों ने विविध उद्देश्यों से इंटरनेट पर अपनी सूचना सामग्री उपलब्ध कराई है, जो समाज के एक वर्ग द्वारा पसंद और लाभप्रद ढंग से प्रयोग की जा सकती है। ऐसी साइटें सभी वर्गों के प्रयोक्ताओं द्वारा खोली जा सकती है। विश्व भर में समाज के सभी वर्गों से मिलियन लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। प्रौद्योगिकी और

संबद्ध अनुप्रयोग प्रयोक्ताओं को ऐसी साइटों के साथ पंजीकरण के पश्चात स्वचालित ढंग से अपनी रुचि के अनुसार सूचना सामग्री उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान करते हैं, इसमें ऐसी साइटें उपलब्ध कराने वाले सेवा प्रदाताओं की कोई भूमिका नहीं होती है। बड़ी संख्या में ज्यादातर प्रयोक्ता साइटों पर लॉग करते हैं और ऐसी साइटों पर मिलियन पेज डले होने के कारण इन साइटों पर उपलब्ध/पोस्ट की गई सूचना सामग्री पर नजर रखना बहुत कठिन हो जाता है। ज्यादातर साइटों पर सूचना सामग्री देश के बाहर उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा सरकार इंटरनेट पर उपलब्ध कराई गई ऐसी साइटों की सूचना सामग्री को विनियमित नहीं करती है।

भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रक्रिया दल (सर्ट-इन) द्वारा दी गई रिपोर्ट और पता लगाए अनुसार वर्ष 2008, 2009, 2010 और जनवरी-अक्तूबर, 2011 के दौरान विभिन्न हैकर समूहों द्वारा क्रमशः 90, 119, 252 और 219 सरकारी वेबसाइटों को विरुपित किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के अंतर्गत सरकार ने माध्यस्थ दिशानिर्देश नियमावली, 2011 अधिसूचित की है। इन नियमों में स्व-विनियम के अनुसरण हेतु मध्यस्थों का प्रावधान किया गया है। कोई भी प्रभावित व्यक्ति नेटवर्किंग साइटों के दुरुपयोग की रिपोर्ट ऐसी नेटवर्किंग साइटें उपलब्ध करने वाले माध्यस्थ से कर सकता है और उससे गलत तथ्यों अथवा आपत्तिजनक सूचना सामग्री को हटाने/अनुपलब्ध कराने के लिए अनुरोध कर सकता है। माध्यस्थों की अपेक्षा की जाती है कि वे प्रभावित व्यक्वित द्वारा ऐसे अनुरोधों के समाधान हेतु एक शिकायत अधिकारी नामित करें।

(ङ) और (च) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में 27.10.2009 से सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा पहले हो संशोधन कर लिया गया है। संशोधित अधिनियम एक विस्तृत अधिनियम है और इसमें सभी मौजूदा साइबर अपराधों से निपटने के लिए विधिक ढांचे का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत साइबर अपराध के विभिन्न कृत्यों के लिए तीन वर्ष की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक के कठोर दण्ड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय

1601. **श्री प्रताप सिंह बाजवा:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सहित देश में असंबद्ध निजी प्रारंभिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालयों के राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अनदेखी करने की कोई खबर सरकार के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तथ्यों का पता लगाने हेतु कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और दोषियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या इन अवैध महाविद्यालयों की प्रदत्त संबद्धता को रद्द करने के हेतु कोई कदम उठाये गए है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) सरकार को जून, 2011 में पंजाब स्थित संस्थाओं, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त नहीं हैं, द्वारा प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दाखिला देने के संबंध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, पंजाब ने सूचित किया है कि एक संस्था, जिसकी मान्यता जून, 2009 में समाप्त कर दी गई थी, को छोड़कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा सभी संस्थाओं को 50-50 सीटों की वार्षिक क्षमता के साथ प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने हेतु अलग-अलग समय पर मान्यता प्रदान की गई है। उस विवादास्पद संस्था, जिसकी मान्यमा समाप्त कर दी गई थी, में पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा छात्रों को दाखिला देने की अनुमति दी गई है।

अबू सलेम का प्रत्यर्पण

1602. **श्री जोस के. मणि:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुर्तगाल उच्च न्यायालय में प्रत्यर्पण की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर अबू सलेम के प्रत्यर्पण को रद्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस गतिरोध को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) जी, हां। लिस्बन कोर्ट ऑफ अपील्स ने भारत द्वारा विशिष्टता नियम के उल्लंघन के आधार पर अबु सलेम के प्रत्यर्पण के लिए प्रदान स्वीकृति को समाप्त करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने लिस्बन कोर्ट ऑफ अपील्स के इस निर्णय के विरूद्ध पुर्तगाल के उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की है। यह मामला इस समय न्यायालय के विचाराधीन है।

पी.सी.ओ. का आबंटन

1603. **श्री संजय धोत्रे:**
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बी.पी.एल. परिवारों, विधवाओं, विकलांगों और बेरोजगार व्यक्तियों को बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. द्वारा परिमंडल-वार कितने पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) आबंटित किए गए;

(ख) क्या ऐसे पीसीओं को उप-पट्टे पर दिया गया है और इन्हें अनधिकृत रूप से चलाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आए;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच करवाई गई है;

(ङ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले और इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है;

(च) क्या ऐसे गलत कार्यों को रोकने हेतु स्वंय कोई सर्वेक्षण निगरानी कराने के लिए कोई तंत्र है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में ऐसे कितने कार्य रोके गए?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

लोक स्वास्थ्य सेवा संवर्ग

1604. **श्री धर्मेन्द्र यादव:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग द्वारा गठित सार्वभौम स्वास्थ्य कवरेज संबंधी उच्च स्तर के विशेषज्ञ समूह ने बारहवीं योजना अवधि के दौरान लोक स्वास्थ्य संबंधी खतरों से निपटने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/नए लोक स्वास्थ्य सेवा संवर्ग हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नए संवर्ग हेतु कार्य-निधियां तैयार की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई अन्य प्रमुख सिफारिशों और उन पर की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) योजना आयोग ने सबको स्वास्थ्य सेवा के दायरे में लाने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। समूह की संगत सिफारिश (पृष्ठ 34) निम्नवत् हैं:

सिफारिश 3.6.1: लोक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने तथा सबको स्वास्थ्य के दायरे में लाने वाली प्रणाली के प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण हेतु अखिल भारतीय तथा राज्यस्तरीय लोक स्वास्थ्य सेवा संवर्ग तथा राज्य स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली प्रबंधन संवर्ग की शुरुआत की जाए।

अखिल भारतीय लोक स्वास्थ्य सेवा संवर्ग समस्त लोक स्वास्थ्य क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी होना चाहिए जिसकी शुरुआत ब्लॉक स्तर से हो और वहां से यह राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर तक जाए। ऐसे नए संवर्ग में, कई विधाओं में शिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों को शामिल करने से स्वास्थ्य प्रणाली का क्रियाकलाप बेहतर होगा और इसके लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदानकारी व्यवस्था की प्रभावकारिता, दक्षता तथा कारगारता बढ़ानी होगी।

यह संवर्ग राज्य स्तरीय लोक स्वास्थ्य संवर्घ से समर्थित होना चाहिए। यह सिविल सेवा जैसा ही होगा जो अखिल भारतीय और राज्य-स्तरीय संवर्गों-दोनों के लिए होगा। जहां राज्य स्तरीय संवर्ग लोक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचालन का काम देखेंगे, वहीं अखिल भारतीय संवर्ग उच्चस्तरीय पेशेवर विशेषज्ञों की मदद से राज्य स्वास्थ्य सेवाओं को तो सुदृढ़ करेगा ही, राज्य और केन्द्रीय योजनाकरण के बीच मजबूत सहयोजन भी स्थापित करेगा।

उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूह ने स्वास्थ्य प्रणाली प्रबंधन संवर्ग की सृजन की भी सिफारिश की है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र सेवा प्रावधान तथा ठेका आधारित निजी क्षेत्रक सेवा के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। इस संवर्ग के लिए मुख्य कार्य स्वास्थ्य सुविधाओं के गुणवत्ता आकलन और गुणवत्ता आश्वासन का होगा। इन स्वास्थ्य

प्रणाली प्रबंधकों को सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, योजनाकरण और संचार जैसे क्षेत्रों में कई प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना होगा जो फिलहाल चिकित्साकर्मियों के जिम्मे हैं।

उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूह ने उप-जिला, जिला अस्पतालों तथा चिकित्सा कॉलेज अस्पतालों में प्रशिक्षित अस्पताल प्रबंधकों की नियुक्ति की भी सिफारिश की है ताकि प्रबंधकीय प्रभावकारिता में वृद्धि की जा सके और चिकित्सा अधिकारी तथा विशेषज्ञ दैनिक क्रियाकलापों पर ध्यान केन्द्रित कर सके।

(ग) से (ङ) उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है और सरकार द्वारा अनुमोदित सिफारिशें 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित की जाएंगी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय

1605. श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:
श्री सुशील कुमार सिंह:
श्री गोरखनाथ पाण्डेय:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री जगदीश सिंह राणा:
श्री के.पी. धनपालन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत विद्यालयों और इनमें से खोले गए केन्द्रीय विद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्यालयों को खोलने हेतु राज्य सरकारों और अन्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/ की जा रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार कुछ नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक खोले जाने की संभावना है;

(च) क्या राज्यों में इन संस्थाओं के स्थान हेतु राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना के भारत सरकार ने 107 नए केन्द्रीय विद्यालय संस्वीकृत किए हैं, जिनमें में वर्ष 2010-11 और वर्ष 2011-12 के दौरान 105 केन्द्रीय विद्यालय खोले गए हैं। राज्यवार ब्यौरा विवरण- I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य संस्थाओं से 124 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों के संबंध में वर्तमान स्थिति राज्यवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से निर्धारित प्रोफार्मा में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर केन्द्रीय विद्यालय खोलना एक सतत प्रक्रिया है। संबंधित एजेन्सी द्वारा नए केन्द्रीत विद्यालय को स्थापित करने के लिए निशुल्क भूमि, अस्थायी आवास आदि जैसे अपेक्षित संसाधनों को उपलब्ध कराने का वचन देना होता है। नए केन्द्रीय विद्यालयों को खोलना विधियों की उपलब्धता और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर निर्भर करता है।

(च) और (छ) राज्य सरकार श्रेणी के अंतर्गत सिविल क्षेत्र में नए केन्द्रीय विद्यालयों की खोलने का कार्य राज्य सरकार की सिफारिश पर किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा निशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जानी होती है। इस प्रकार एक नए केन्द्रीय विद्यालय को स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव में राज्य सरकार से परामर्श करना अन्तर्निहित है।

विवरण-I

11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्वीकृत/खोले गए केन्द्रीय विद्यालयों का राज्यवार ब्यौर

वर्ष	क्र.सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	राज्य	सेक्टर
1	2	3	4	5
2010-11	1.	नालगोण्डा, जिला नालगोण्डा	आंध्र प्रदेश	सिविल
	2.	तामूलपुर, जिला बक्सा	असम	सिविल

1	2	3	4	5
	3.	उड़ालगुरी, जिला उडालगुरी	असम	सिविल
	4.	औरगाबाद, जिला औरंगाबाद	बिहार	सिविल
	5.	हरनौत, जिला नालन्दा	बिहार	सिविल
	6.	सीआईएसएफ, भिलाई, जिला दुर्ग	छत्तीसगढ़	सिविल
	7.	खिचड़ीपुर, जिला पूर्वी दिल्ली	दिल्ली	सिविल
	8.	एएफएस दर्जीपुरा, जिला बड़ौदा	गुजरात	रक्षा
	9.	बनगना, जिला ऊना	हिमाचल प्रदेश	सिविल
	10.	बीएसएफ सुन्दरबनी, जिला राजौरी	जम्मू और कश्मीर	सिविल
	11.	बीएसएफ हमहमा, जिला बुडगाम	जम्मू और कश्मीर	सिविल
	12.	अमिनू जिला कुलगाम	जम्मू और कश्मीर	सिविल
	13.	साहिबगंज, जिला साहिबगंज	झारखण्ड	सिविल
	14.	कान्हागढ़, जिला कासरगोड	केरल	सिविल
	15.	चित्रईरकड़ा, जिला पथनामथीटा	केरल	सिविल
	16.	केपीए, रामवर्मापुरम, जिला तृश्शूर	केरल	सिविल
	17.	ऐजीमाला, जिला कन्नूर	केरल	रक्षा
	18.	सीआरपीएफ पेरिनगोम, जिला कन्नूर	केरल	सिविल
	19.	कोप्पल, जिला कोप्पल	कर्नाटक	सिविल
	20.	सीआरपीएफ, बंगरसिया, जिला भोपाल	मध्य प्रदेश	सिविल
	21.	उमरिया, जिला उमरिया	मध्य प्रदेश	सिविल
	22.	रायसिन, जिला रायसिन	मध्य प्रदेश	सिविल
	23.	बेतुल, जिला बेतुल	मध्य प्रदेश	सिविल
	24.	बरहानपुर, जिला बरहानपुर	मध्य प्रदेश	सिविल
	25.	हरदा, जिला हरदा	मध्य प्रदेश	सिविल
	26.	सीआरपीएफ, तेलीगांव, जिला पुणे	महाराष्ट्र	सिविल
	27.	नांदेड़, रेलवे परिसर, जिला नांदेड़	महाराष्ट्र	सिविल
	28.	बीएसएफ चाकूर, जिला लातूर	महाराष्ट्र	सिविल

1	2	3	4	5
	29.	चमपई, जिला चमपई	मिजोरम	सिविल
	30.	कुत्रा, जिला सुन्दरगढ़	ओडीशा	सिविल
	31.	नं 2 कटक, जिला कटक	ओडीशा	सिविल
	32.	भंजनगर, जिला गंजम	ओडीशा	सिविल
	33.	मुर्गाबादी, जिला मयूरभंज	ओडीशा	सिविल
	34.	सोनपुर, जिला सुबरनपुर	ओडीशा	सिविल
	35.	जिला देवगढ़	ओडीशा	सिविल
	36.	जाजपुर, जिला जाजपुर	ओडीशा	सिविल
	37.	दीगापहांडी, जिला गंजम	ओडीशा	सिविल
	38.	असका, जिला गंजम	ओडीशा	सिविल
	39.	नौपाड़ा, जिला नौपाडा	ओडीशा	सिविल
	40.	सीआईएसएफ, मुण्डली, जिला कटक	ओडीशा	सिविल
	41.	सीआरपीएफ, सरायखास, जिला जालंधर	पंजाब	सिविल
	42.	बीएसएफ, भिखीविंड, जिला अमृतसर	पंजाब	सिविल
	43.	बीएसएफ फजीलका, जिला फिरोजपुर	पंजाब	सिविल
	44.	बीएसएफ अमरकोट, जिला अमृतसर	पंजाब	सिविल
	45.	बीएसएफ केएमएस, जिला फिरोजपुर	पंजाब	सिविल
	46.	मोहाली, जिला एसएएस नगर मोहाली	पंजाब	सिविल
	47.	कराईकल, जिला कराईकल	पुडुचेरी	सिविल
	48.	बीएसएफ रामगढ़, जिला जैसलमेर	राजस्थान	सिविल
	49.	बीएसएफ परिसर, रायसिंह नगर	राजस्थान	सिविल
	50.	खेतरी नगर, जिला झुनझुन	राजस्थान	सिविल
	51.	देवगढ़, जिला राजसमंद	राजस्थान	सिविल
	52.	बीएसएफ खाजूवाला, जिला बीकानेर	राजस्थान	सिविल
	53.	विरुधु नगर, जिला विरुधु नगर	तमिलनाडु	सिविल

1	2	3	4	5
	54.	पैराम्बलूर, जिला पैराम्बलूर	तमिलनाडु	सिविल
	55.	बीएसएफ तालियामुरा, खासीमंगल	त्रिपुरा	सिविल
	56.	जीसी सीआरपीएफ अगरतला	त्रिपुरा	सिविल
	57.	सीआरपीएफ इलाहाबाद, जिला इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	सिविल
	58.	एटा, जिला एटा	उत्तर प्रदेश	सिविल
	59.	केरो, सेलमपुर, जिला देवरिया	उत्तर प्रदेश	सिविल
	60.	महोबा, जिला महोबा	उत्तर प्रदेश	सिविल
	61.	हाथरस, जिला महामाया नगर	उत्तर प्रदेश	सिविल
	62.	बागेश्वर, जिल बागेश्वर	उत्तराखंड	सिविल
	63.	गोपेश्वर, जिला चमोली	उत्तराखंड	सिविल
	64.	बीएसएफ कृष्णा नगर, जिला नादिया	पश्चिम बंगाल	सिविल
	65.	बीएसएफ गांधी नगर, जिला जलपाईगुडी	पश्चिम बंगाल	सिविल
	66.	बीएसएफ गांधी नगर, जिला कुचबिहार	पश्चिम बंगाल	सिविल
	67.	तारकेश्वर, जिला हुगली	पश्चिम बंगाल	सिविल
	68.	बोलपुर, जिला वीरभूम	पश्चिम बंगाल	सिविल
	69.	बीएसएफ अर्धपुर, जिला मालदा	पश्चिम बंगाल	सिविल
	70.	बीएसएफ वैकुण्ठपुर, जिला जलपाईगुडी	पश्चिम बंगाल	सिविल
	71.	नलंजखण्ड, जिला बालाघाट	मध्य प्रदेश	सिविल
	72.	भकली, जिला रेवाड़ी	हरियाणा	सिविल
	73.	नं. 2 सतना, जिला सतना	मध्य प्रदेश	सिविल
	74.	नं. 2 छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा	मध्य प्रदेश	सिविल
	75.	रेओना उच्चा, जिला फतेहगढ़ साहिब	पंजाब	सिविल
	76.	उभवल, जिला संगरूर	पंजाब	सिविल
	77.	देवनगिरि, जिला देवनगिरि	कर्नाटक	सिविल
	78.	रंगिया, एनएफ रेलवे, जिला कामरूप	असम	सिविल

1	2	3	4	5
	79.	सीआरपीएफ जाफन, जिला मुजफ्फपुर	बिहार	सिविल
	80.	नयागढ़ जिला नयागढ़	ओडीशा	सिविल
	81.	बारीमुल, जिला केन्द्रपाड़ा	ओडीशा	सिविल
	82.	फ्रीलैण्ड गंज रेलवे कोलोनी, दाहोद, जिला दाहोद	गुजरात	सिविल
	83.	शिमोगा, जिला शिमोगा	कर्नाटक	सिविल
	84.	कोथूरू, जिला नल्लोर	आंध्र प्रदेश	सिविल
	85.	खरियार, जिला नौपाड़ा	ओडीशा	सिविल
	86.	नं. 5 कालिंगानगर, भुवनेश्वर, जिला खुर्दा	ओडीशा	सिविल
	87.	नं. 6, पोखरीपुटट, भुवनेश्वर, जिला खुर्दा	ओडीशा	सिविल
	88.	महुलडिया, रायरंगपुर, जिला मयूरभंज	ओडीशा	सिविल
	89.	कास्ट व्हील प्लांग बेला, जिला सारण	बिहार	सिविल
	90.	कृष्णराजपुरम, डीजल लोको शेडकोलोनी, जिला बंगलौर	कर्नाटक	सिविल
	91.	टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़	मध्य प्रदेश	सिविल
2011-12	1.	ललितपुर, जिला टीकमगढ़	उत्तर प्रदेश	सिविल
	2.	इटावा, जिला इटावा	उत्तर प्रदेश	सिविल
	3.	इन्द्रपुरा, जिला झुनझुन	राजस्थान	सिविल
	4.	टूटिंग, जिला अपर सियांग	अरुणाचल प्रदेश	सिविल
	5.	चित्रकूट, जिला चित्रकूट	उत्तर प्रदेश	सिविल
	6.	बांदा, जिला बांदा (गैर कार्यात्मक)	उत्तर प्रदेश	सिविल
	7.	टोंक, जिला टोंक	राजस्थान	सिविल
	8.	करीम नगर, जिला करीम नगर	आंध्र प्रदेश	सिविल
	9.	भुंगा, जिला होशियारपुर	पंजाब	सिविल
	10.	प्लायड थलेसेरी, जिला कन्नूर	केरल	सिविल
	11.	शकूरबस्ती, पश्चिमी पंजाबी बाग	दिल्ली	सिविल
	12.	राजनंद गांव, जिला राजनंद गांव	छत्तीसगढ़	सिविल
	13.	बीसीपीपी, कोरबा (सिविल सेक्टर में परिवर्तित)	छत्तीसगढ़	सिविल

1	2	3	4	5
	14.	महाराजगंज, जिला सीवान	बिहार	सिविल
	15*	हमीरपुर	उत्तर प्रदेश	सिविल
	16*	जालोन	उत्तर प्रदेश	सिविल

*संबंधित जिला प्रशासन से आवश्यक न्यूनतम अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी के कारण अभी तक खोले नहीं जा सके।

विवरण-II

सिविल क्षेत्र के अंतर्गत नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकारों तथा अन्यों से प्राप्त 124 प्रस्तावों की सूची (दिनांक 25-11-2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रीय विद्यालयों की कुल संख्या	प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय का स्थान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	12	(1) तेनाली, जिला गुंटूर (2) नायडू पेट, जिला नैल्लौर (3) कालीचेड्डू, जिला नैल्लौर (4) श्रीकलाहस्ती, जिला चित्तूर (5) कनडुकुर शहर, जिला प्रकाशम, (6) पश्चिम गुडुर, श्री पोटी, श्रीरामलू, जिला नैल्लौर (7) गुडीपला, जिला चित्तूर (8) जनगालपाल, याडामारी मंडल, जिला चित्तूर (9) झारसंगम ग्राम तथा मंडल, जहीराबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जिला मेडक (10) महबूबाबाद, जिला वारंगल (11) सी.आई.एस.एफ., एन.आई.एस.ए., हाकिमपेट, सिंकदराबाद(12) मिरयालगुडा, जिला नलगौडा
2.	अरुणाचल प्रदेश	02	(1) डिलोपोलियाग, जिला लोअर सुबनसीरी (2) मेचुखा, जिला पश्चिम बंगाल
3.	असम	03	(1) चिरांग (2) रंगा पारा, जिला सोनितपुर (3) उत्तरी लखीमपुर, जिला उत्तरी लखीमपुर
4.	बिहार	03	(1) पी.पी.सी.एल., अमझोर, जिला रोहतास (2) झाझा, जिला जामुअी (3) पूर्वी सेन्ट्रल रेलवे, नरकटियागंज
5.	छत्तीसगढ़	05	(1) हसौड़, जिला जंजगीर चंपा (2) नारायणपुर, जिला नारायणपुर (3) जिला कोरबार, (4) जी.सी., सी.आर.पी.एफ., बिलासपुर (5) कावर्धा, जिला कबीरधाम
6.	चंडीगढ़ (सं. रा.क्षे.)	01	(1) जी.सी., सी.आर.पी.एफ, हालोमाजरा, चंडीगढ़
7.	दिल्ली	01	(1) सेक्टर 28, रोहणी दिल्ली
8.	गुजरात	07	(1) जिला अमरेली, (2) जिला पाटन (3) जिला नर्मदा (4) जिला खेड़ा (5) तापी, जिला तापी (6) जिला बलसाड़ (7)अहवा, जिला डांग

1	2	3	4
9.	हरियाणा	07	(1) संख्या 2, रोहतक (2) रामराय, जिला जींद (3) फतेहबाद, जिला फतेहबाद(4) सी.आर.पी.एफ खादरपुर, गुड़गांव (5) माटनहेल, जिला, झज्जर (6) कुलदीप नगर, अंबाला (7) रेलवे वर्कशाप, जगाधरी, जिला जगाधरी
10.	हिमाचल प्रदेश	04	(1) जिला गुमारवीं, जिला बिलासपुर (2) संख्या ।। शिमला (3) सालोह (संतोखगढ़), जिला ऊना (4) ऊपरी काटला कलान, जिला ऊना
11.	झारखण्ड	05	(1) सिनी, जिला सरायकेला खारसावनब (2) हातिया, जिला रांची (3) खुंटी, जिला खुंटी (4) जिला लोहरदगा (5) डंगोआपोसी, जिला पश्चिम सिंहभूम
12.	जम्मू और कश्मीर	02	(1) कोइल, जिला फुलवामा (2) बी.एस.एफ. सिंघपुरा, जिला-बारामुल्ला
13.	कर्नाटक	12	(1) हावेरी (2) गुलबर्गा(अलांड) (3) गाडाग (4) रामनागर (5) चिकबलालपुर (6) हुटी, जिला रायचूर (7) काराहली, जिला बंगलौर (8) चामराजनगर जिला (9) यडगिरी जिला (10) चिकोडी, जिला बेलगांव (11) जिला टुमकुर (12) मांड्या, जिला मांड्या
14.	केरल	04	(1) मठनौर, जिला कबौर (2) नेडुमांगड, जिला तिरूवनंतपुरम् (3) बी.एस.एफ. परिसर, कैनूर, जिला थ्रिसूर (4) दक्षिणी रेलवे पालघाट
15.	मध्य प्रदेश	05	(1) अशोक नगर, जिला गुना (2) मैहार, जिला सतना (3)कासरावाड़, जिला खरगौन (4) सिंघरौली, जिला सिंघरोली (5) खजुराहों, जिला छतरपुर
16.	महाराष्ट्र	02	(1) गडचिरौली (2) बल्लारशाह, जिला चन्द्रपुर
17.	मणिपुर	02	(1) जिला चंदेल (2) जिला पूर्वी इम्फाल
18.	मेघालय	01	(1) नौंगस्टूआइन, जिला पश्चिमी खासी हिल्स
19.	ओडिशा	10	(1) जोडा, जिला क्योंझार, (2) मेरामुंडाली, जिला धेकानाल (3) धर्मगढ़, जिला कालाहांडी, (4) हिंजलीकट, जिला गंजम (5) तीतलागढ़, जिला बोलनगीर, (6) जिला जगतसिंहपुर, (7) छतरपुर, जिला गंजम (8) बालसौड़, जिला बालसौड़ (9) अंगुल जिला अंगुल, (10) व्यासनगर, जिला जाजपुर
20.	पंजाब	08	(1) जिला मनसा (2) जिला मोगा (3) जिला नवां शहर (4) जिला रापेड़ (5) जिला तरन तारण (6) गुड्डा, जिला भटिंडा (7) भुल्लर जिला मुक्तसर, (8) यू.जी.जी.ओ-के.ई., जिला बरनाला
21.	राजस्थान	04	(1) रेलवे परिसर, बांदीखुई, जिला जयपुर (2) जिला जालौर (3) जयसिंधार, जिला बाड़मेर (4) हनुमानगढ़, जिला हमुमानगढ़

1	2	3	4
22.	तमिलनाडु	07	(1) कृष्णगिरी (2) पुडुकोट्टायी (3) थेनी (4) सलेम (5) लुप्पाकुडी, जिला शिवगंगाई (6) जिला तिरूनवेली (7) गोल्डनराक, एस.आर., तिरूचिरापल्ली
23.	त्रिपुरा	01	धर्मनगर (उत्तरी त्रिपुरा)
24.	उत्तराखंड	04	(1) देघाट, जिला अलमोड़ा (2) मोथरोवाला क्लीमेंट टाउन, देहरादून (3) द्वाराहाट, जिला अलमोड़ा (4)जी.सी.,पी.पी.सी.आर.एफ., काठगोदाम, जिला नैनीताल
25.	उत्तर प्रदेश	09	(1) ग्राम गंगरानी, जिला कुशीनगर (2)अचनेरा देहात, जिला आगरा (3) एन.ई. रेवले, जिला मऊ (4) पूर्वोत्तर रेलवे, जिला वाराणसी (5) फैजाबाद (6) फरूखाबाद (7) सीतापुर (8) हरदोई, जिला हरदोई (9) श्रीवास्ती, जिला श्रावस्ती
26.	पश्चिम बंगाल	03	(1) एन.एफ.रेलवे, न्यू जलपाईगुड़ी (2) एन.एफ.रेलवे, न्यू कूच बिहार (3) बनडेल रेलवे कालोनी, जिला हुगली

[हिन्दी]

मानित विश्वविद्यालय

1606. **श्री मिथिलेश कुमार:**
श्री उदयन राजे भोंसले:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:
श्री कामेश्वर बैठा:
श्री एन. चेलुवरयास्वामी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान मान्यता दिए गए मानित विश्वविद्यालयों की संख्या एवं ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे मानित विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है जिनकी मान्यता बाद में वापस ले ली गयी;

(ग) उक्त विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार की क्या योजना है;

(घ) क्या उन्हें मान्यता देते समय सभी नियमों का समुचित पालन किया गया था;

(ङ) यदि नहीं, तो मान्यता देने में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(च) विदेशी शैक्षिक संस्थानों के नाम क्या हैं जिन्हें भारत में मानित विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी गयी थी तथा उनके समक्ष रखी गयी सभी शर्तों तथा नियमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) पिछले दस वर्षों के दौरान मान्यता प्रदान किए गए सम-विश्वविद्यालयों की संख्या:

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	कुल
11	6	6	9	8	10	25	5	शून्य	शून्य	80

(ख) शून्य।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के द्वारा केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी विश्वविद्यालय को छोड़कर, अन्य किसी भी उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम-विश्वविद्यालय घोषित कर सकती है। आयोग ने 'सम-विश्वविद्यालय' संस्थान के रूप में घोषित किए जाने के बावत संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने हेतु वर्ष 2006 में दिशानिर्देश निर्धारित किये थे। इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन प्रस्तावों की जांच की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार ने संस्थाओं को 'सम-विश्वविद्यालय' संस्थान घोषित किया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) शून्य।

यूपीएससी तथा आईआईआईटी के परीक्षा केन्द्र

1607. श्रीमती सुमित्रा महाजनः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में विशेषकर इंदौर, मध्य प्रदेश में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) तथा आईआईआईटी के परीक्षा केन्द्रों की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के कब तक शुरू किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना पर व्यय की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारत और पाकिस्तान संबंधों की स्थिति

1608. श्री प्रहलाद जोशीः
श्री शरीफुद्दीन शारिकः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बढ़ाने वाले उपायों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर विधान सभा का शिष्टमंडल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का दौरा करने की योजना बना रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) इस्लाबाद में 04 जून, 2011 को विदेश सचिव स्तर की वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने निर्णय लिया कि मौजूदा व्यवस्था के कार्यान्वयन और उसे सुदृढ़ बनाए जाने पर विचार-विमर्श करने और भरोसा एवं विश्वास बनाने एवं शांति तथा सुरक्षा को प्रोन्नत करने के लिए परस्पर रूप से स्वीकार्य अतिरिक्त उपायों पर विचार करने हेतु परमाणु और परम्परागत विश्वास निर्माण उपायों (सीबीएमएस) पर अलग से विशेषज्ञ स्तरीय बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। इस मुद्दे पर नई दिल्ली में 27 जुलाई, 2011 को विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच हुई बैठक के दौरान भी विचार-विमर्श किया गया था और दोनों पक्षों के बीच परमाणु और परम्परागत सीबीएमएस पर परस्पर सुविधाजनक तिथि पर अलग से विशेषज्ञ स्तरीय बैठकें आयोजित किए जाने की सहमति हुई थी। इसके अतिरिक्त, बैठक के दौरान मंत्रियों ने नियंत्रण रेखा पर व्यापार और यात्रा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और कारगर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न विश्वास निर्माण उपायों पर निर्णय लिया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वर्चुअल विश्वविद्यालय

1609. श्री नित्यानंद प्रधानः
श्री बैजयंत पांडाः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तकनीकी शिक्षा के लिए वर्चुअल विश्वविद्यालय की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को अतिरिक्त लाभ क्या है;

(ग) यह प्रणाली ऑन-कैंपस विद्यार्थियों को प्राप्त सुविधाओं को ऑफ-कैंपस विद्यार्थियों को प्राप्त करने के लिए कितनी मददगार होगी;

(घ) इस प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को उपलब्ध कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह प्रणाली उन विद्यार्थियों के लिए बेहतर अधिक प्रभावी एवं उपयोगी होगी जो अन्य नियमित कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में दाखिला नहीं लिए हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) इस समय देश में तकनीकी शिक्षा के लिए वर्चुअल विश्वविद्यालय की स्थापना करने का कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। तथापि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के अंतर्गत वर्चुअल प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालयों तथा वर्चुअल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (वीटीयू) के सृजन, मल्टी-मीडिया अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए संघटकों में एक संघटक प्रमाणन और परीक्षण माडयूलों का विकास करना है। इस संकल्पना में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) तथा ई लर्निंग के कारगर प्रयोग के जरिए छात्रों को उच्च गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है ताकि मौजूदा संस्थाओं की क्षमताओं को बढ़ाया जा सके और प्रतिभावान छात्रों के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा की एक व्यापक कवरेज उपलब्ध करायी जा सके। इस संकल्पना में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन छुट्टियों के दौरान वर्चुअल प्रयोगशालाओं और प्रतिष्ठित संस्थाओं की प्रयोगशालाओं में व्यावहारिक अनुभव का कारगर प्रयोग करने की परिकल्पना की गई है ताकि किसी ऐसी कठिनाई को दूर किया जा सके जो कैम्पस से बाहर आईसीटी आधारित अध्ययन करने के कारण ऐसे छात्रों के सामने आ सकती है। संकल्पनात्मक स्तर पर जहां तक ज्ञान अर्जित करने का संबंध है, यह अन्य संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को प्रतिष्ठित कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बना सकती है। इस संकल्पना में प्रथमत: इंजीनियरी में स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रमों को सृजित करने और तत्पश्चात इसे अवर स्नातक स्तर पाठ्यक्रमों में लागू करके अध्ययन की दिशा को मोड़ने की भी परिकल्पना की गई है। इस प्रयोजन से एक प्रायोगिक अध्ययन का कार्य आईआईटी कानपुर को सौंपा गया है। इस संकल्पना की प्रभावकारिता पर इस समय निर्णय लेना जल्दबाजी होगी।

भारत में विदेशी विश्वविद्यालय

1610. श्री श्रीपाद येसो नाईक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों विशेषकर अमरीकी विश्वविद्यालयों को भारत में महाविद्यालय खोलने की अनुमति देने की योजना बना रही है; और

(ख) यदिहां, तो तत्संबंधी व्यापक ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) विदेशी शैक्षिक संस्थान विधेयक (प्रवेश एवं प्रचालन हेतु विनियम), 2010 नामक एक विधायी प्रस्ताव लोक सभा में दिनांक 3.5.2010 को पेश किया गया। इस विधेयक के जरिए किसी भी विदेशी राष्ट्र, जिनमें संयुक्त राज्य अमरीका भी शामिल है, से ख्याति प्राप्त विदेशी शैक्षिक संस्थाओं के प्रवेश एवं प्रचालन को विनियमित करने हेतु एक तंत्र की व्यवस्था करने की मांग की गई है।

(ख) इस विधेयक की एक प्रति वेबसाइट http://164.100.24.219/ Bills Texts/LSBillTexts/asintroduced/foreign% 20Edu%20Institutions%2057%20Of%202010.pdf पर उपलब्ध है।

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात लोकसभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोकसभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[अनुवाद]

[श्री.पी.सी. चाको *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्रीमती डी. पुरंन्देश्वरी।

...*(व्यवधान)*

इस समय श्री घनश्याम अनुरागी, श्रीरमेश राठौड़, श्री परहरि महतो, डॉ. रामचन्द्र जेम डॉ. काकोली घोष दस्तिदार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न **12.01 बजे**

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफारमेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफारमेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.... 5335/15/11]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुरूक्षेत्र के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुरूक्षेत्र के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.... 5336/15/11]

(5) (एक) सर्वशिक्षा अभियान मिशन, कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखपरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान मिशन, कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखनें में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये **देखिए** संख्या एल.टी..... 5337/15/11]

(7) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, पटना के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, पटना के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[मंत्रालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी..... 5338/15/11]

(9) (एक) एक नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिलचर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिलचर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी..... 5339/15/11]

(11) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रायपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रायपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्याकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त(11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी..... 5340/15/11]

(13) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) मे उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी..... 5341/15/11]

(15) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी.... 5342/15/11]

(16) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी... 5343/15/11]

(18) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल.टी.... 5344/15/11]

(19) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखपरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2010-2011 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी..... 5345/15/11]

(20) (एक) दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र मिशन प्राधिकरण (सर्व शिक्षा अभियान), सिलवासा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र मिशन प्राधिकरण (सर्व शिक्षा अभियान), सिलवासा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी......5346/15/11]

(22) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, पटना के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या.... 5347/15/11]

(24) (एक) लक्षद्वीप सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन प्राधिकरण, कावारत्ती के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(25) उपुर्यक्त (24) में उल्लिखित पत्र की सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी....5348/15/11]

अपराह्न 12.0$^1/_2$ बजे

विशेषाधिकार समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

समापति महोदयः मद संख्या 3-श्री शैलेन्द्र कुमार

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, में विशेषाधिकार समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.02 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा-जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले उठने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे पर्चियों को व्यक्तिगत रूप से परंपरानुसार तत्काल सभा पटल पर सौंप सकते हैं।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(एक) दिल्ली के पश्चिम दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सुभाष नगर क्षेत्र में सड़क चौड़ा करने के लिए पेड़ों की कटाई किए जाने के बारे में दिल्ली नगर निगम का आदेश वापस लिए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री महाबल मिश्रा (पश्चिमी दिल्ली): आज दिल्ली में जो प्रदूषण से मुक्त है तो इसकी मुख्य वजह दिल्ली में अधिक से अधिक पेड़ लगाये गये हैं, परन्तु एम.सी.डी. द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र सुभाष नगर में सिर्फ एक सड़क को चौड़ा करने के लिए 40-50 साल पुराने लगभग 100-150 पेड़ काटने का आदेश जारी किया जा चुका है, जिससे स्थानीय जनता में काफी आक्रोश पैदा हो गया है, इस तरह से आदेश के कल दिल्ली की कई कालोनियां अपने यहां रोड चौड़ा करने के लिए पेड़ कटवाने की मांग कर सकती है, इससे राजधानी दिल्ली के पर्यावरण को खतरा पैदा हो सकता है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता की मांग है कि यहां पर पेड़ों की कटाई का आदेश अतिशीघ्र रद्द किया जाये जिससे राजधानी दिल्ली हरी भरी और प्रदूषण मुक्त बनाने में सहयोग मिल सके।

(दो) मध्य प्रदेश के राजगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता।

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): वर्तमान में देश में व्याप्त ऊर्जा के संकट के संबंध में संसद में कई बार चर्चा हो चुकी है तथा पूरे सदन ने इस संबंध में अपनी चिंता भी व्यक्त की है। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के वर्तमान कैबिनेट मंत्री जी के विशेष प्रयासों के माध्यम से देश के कई राज्यों में गैर परम्परागत ऊर्जा के स्रोत स्थापित किये जा रहे हैं, जिसमें पवन ऊर्जा एक मुख्य गैर-परम्परागत ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए उक्त क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति में ऊंची-ऊंची पहाड़ियां होना अत्यंत आवश्यक होता है।

मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से आता हूं जहां तहसील नरसिंहगढ़ के आसपास का क्षेत्र कई ऊंची-ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है एवं इससे ही लगी हुई व्यावरा तहसील के अंतर्गत सुठालिया क्षेत्र है जहां की भौगोलिक स्थिति भी पहाड़ी युक्त है। साथ ही राजगढ़ तहसील के अंतर्गत जालपा जी की पहाड़ी, बटेरी की डूंगरी, होड़ा माताजी की बल्डी, चौडापुरा की बल्डी, तहसील सारंगपुर में भैंसवा माताजी की पहाड़ियां तथा जीरापुर तहसील के अंतर्गत रामनगर की

पहाड़ियां, माचलपुर एवं रामगंज की पहाड़ियां ऐसे स्थल हैं जहां गैर परम्परागत ऊर्जा के स्रोत विशेषकर पवन ऊर्जा संयंत्र आसानी से लगाये जा सकते हैं व क्षेत्र में व्याप्त विद्युत संकट से काफी कुछ राहत मिल सकती है।

मैं सरकार से और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माननीय मंत्री महोदय से विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि वह मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत उक्त स्थलों पर पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने बाबत आवश्यक सर्वे कार्य शीघ्र प्रारंभ करवाने के समुचित आदेश प्रदान करें।

(तीन) देश में संभावित आर्थिक मंदी के खतरे पर नियंत्रण पाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता।

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि देश में महंगाई और मंदी की मार पड़ी है, औद्योगिक विकास की घटती दर ने सभी को चौका दिया है, हमारे घरेलू उत्पाद में चौतरफा गिरावट जारी है बैंक डूबने के कगार पर हैं। सन् 2008 की मंदी में हम घरेलू मजबूत बाजार के कारण बच गये थे, किन्तु 2011-2012 की परिस्थिति भिन्न है।

अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कमजोरी की आशंका और कई देशों का ऋण में फंस जाने से संपूर्ण विश्व मंदी की चपेट में आ गया है। इस भयानक संकट से उबरने के लिए कोई आवश्यक रणनीति नहीं है, यूरोपीय संघ, ग्रीस, इटली जैसे देश आर्थिक संकट में फंस कर जूझ रहे हैं। अमरीका की हालत भी अच्छी नहीं है। पिछले मंदी से अभी तक अमरीका उबरा नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण इसका विश्व पर सीधा असर पड़ता है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वित्तीय बाजार को स्थिरता बहाल करने के लिए समय पर ही कदम उठाने चाहिए, निवेशकों में विश्वास बढ़ाना चाहिए और सरकारी खर्चे में भारी कटौती करनी चाहिए। यह कार्य इतना आसान नहीं है लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है।

मा. वित्त मंत्री के अनुसार हमारी विकास दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। अच्छा मानसून और कृषि में भारी निवेश के कारण 7 प्रतिशत विकास दर पाना असंभव नहीं है। फिर भी हमें सावधान रहने की जरूरत है जिस कारण इस कठिन घड़ी में हमारी अर्थव्यवस्था सक्षम रहे। संपूर्ण देश सरकार से जानना चाहता है कि सरकार इस मंदी से निपटने के लिए क्या क्या उपाय कर रही है।

(चार) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र शामिल किए जाने तथा मजदूरी की दरों में वृद्धि किए जाने तथा इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के कार्य घंटों का पुनर्निधारण किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री के.पी धनपालन चालाकुडी : केरल में कृषि क्षेत्र में विशेषकर धान के क्षेत्र में श्रमिकों की कमी है जिसके कारण कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी है और फसल कटने में देरी के कारण धान के खेत में ही खाद्यान्न सड़ रहे है। यह विषय भी समान रूप से महत्वपूर्ण है कि दुधारू पशुओं के स्वामी भी श्रमिकों की कमी का सामना करते हैं। इससे एक भी खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। केरल में खाद्यान्नों और दूध की कमी है और यह अपनी मांग को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर रहता है। इसके अतिरिक्त, केरल में सभी क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजूदरी 150 रुपये की वर्तमान दर से अधिक है।

अतः मेरा अनुरोध है कि ग्रामीण रोजगार गांरटी कार्यक्रम का बीजारोपण, कीटनाशकों की समाप्ति, फसल कटाई, दुधारन पशु जैसे कृषि कार्यो को सम्मिलित करने कृषि क्षेत्र को विशेषकर धान क्षेत्र तक विस्तार किया जाए। यह भी अनुरोध है कि केरल की विशिष्ट स्थिति पर विचार करते हुए दिहाड़ी मजदूरी को बढ़ाकर 200 रुपये किया जाए इसके अतिरिक्त कार्य समय का पुनर्निर्धारण करके प्रात: 9.00 से बजे से शाम 5.00 बजे अपराह्न कर दिया जाए तो यह महिलाओं के लिए और सुविधाजनक होगा

(पांच) देश में नकली दवाओं की समस्या पर नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): नकली दवाओं को प्रतिबंधित करने की संहिता में कोई कोशिश नहीं की गई जबकि माना जाता है कि नकली दवाओं के निर्यात में भी भारत अव्वल है। यहां हर साल करीब 35 हजार करोड़ रुपये की दवाओं का निर्यात किया जाता है। यही नहीं, नकली दवा बनाने वाले दूसरे देश के दवा निर्माता उसे भारत की बताकर बदनाम भी करते हैं। ऐसा एक मामला नाइजीरिया में पकड़ा भी गया था। चीन से आई इन दवाओं पर 'मेड इन इंडिया' लिखा गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का तो यहां तक मानना है कि भारत में महानगरों व बड़े शहरों में बिकने वाली हर पांचवीं दवा निकली है। बहरहाल भारत न तो दवा निर्माता कंपनियों की नकेल कसने में सक्षम दिख रहा है। और न चिकित्सकों को बाध्यकारी कानून

संहिता से बांध पा रहा है। ऐसे में चिकित्सा क्षेत्र में दवा कंपनियों का कारोबार धड़ल्ले से परवान चढ़ रहा है। ये हालात उस देश के गरीब व अशिक्षित आबादी के लिए खतरनाक है जिसकी 42 फीसदी आबादी दो जून की रोटी भी नहीं जुटा पाती है। कृपया इस स्थिति को सुधारने हेतु जनहित में सरकार की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

[अनुवाद]

(छह) पुदुचेरी और तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के बीच एक बाईपास रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

श्री एस. अलागिरी (कुड्डालोर): पुदुचेरी और कुड्डालोर के बीच संपर्क सड़क पर सदैव यातायात रहता है और जनता उपर्युक्त सड़क पर यातायात जाम के कारण समस्या का सामाधान कर रहे हैं। इस सड़क पर भारी वाहनों के चलने के कारण प्राय: बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। सड़क के दोनों ओर पुदुचेरी और कुडडालोर के मुरकालम के बीच नया कस्बा बसाया गया है। अत: बडी संख्या में लोग सड़क के किनारे रह रहे हैं। कुड्डालोर जिले में तेजी से औद्योगिक विकास भी हो रहा है। मुझे अत्यधिक दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पुदुचेरी और कुड्डालोर के बीच निर्बाध परिवहन और यातायात के लिए बाईपास सड़क के निर्माण हेतु अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और न कोई वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

मैं भारत सरकार से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि वह पुदुचेरी और कुड्डालोर के बीच बाइपस के निर्माण की घोषणा करने हेतु पहल करे और इसके लिए यथाशीघ्र वित्तीय सहायता स्वीकृत करे।

(सात) संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाक अधिकृत कश्मीर में चीन की बढ़ रही गतिविधियों से संबंधित मामले को उठाए जाने की आवश्यकता।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हबिरपुर हि.प्र.): मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने कश्मीर के भारतीय क्षेत्र के बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है। हाल ही में चीनी कंपनियां पाक अधिकृत कश्मीर में बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में संलग्न है, ऐसे निर्माण के सबसे स्पष्ट उदाहरण डायमर-भाषा बांध और कराकोरम राज्यमार्ग का उन्नयन हैं। चीन दावा करता है कि ये असैनिक अवसंरचना परियोजनाएं है परंतु पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना की बढ़ी टुकड़ियों की तैनाती चिंता का कारण है। इस मुद्दे को कूटनीतिक स्तर पर चीन के समक्ष उठाया जा रहा है परंतु इसके कुछ अधिक हासिल नहीं हुआ है।

अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह पाक अधिकृत कश्मीर में चीन के अवैध अभियान पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए इस मामले को संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाए।

[हिन्दी]

(आठ) झारखंड के गिरिहीह, बोकारो और धनबाद में सभी गांवों के विद्युतीकरण का कार्य शुरु किए जाने, समुचित क्षमता वाले ट्रांसफार्मर और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को अधिक विद्युत प्वाइंट उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): झारखंड के कई जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य गुणवत्तापूर्ण और विद्यमान प्रसाधनों के अनुकूल नहीं हो रहा है। कई गांवों में विद्युतीकरण हुआ है एवं उनके समीप के गांवों को इस योजना से वंचित रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत गांवों के सारे ट्रांसफार्मर और एल.टी. लाईन 3 फेज, 25 केवीए का होना चाहिए, इसके विपरीत 16 केवीए और 10केवीए का ट्रांसफार्मर उपलब्ध करा रहा है। जो किसानों एवं गरीब जनता के लिए उपयोगी नहीं है। बी.पी.एल. परिवार को केवल 40 वाट का बल्व जलाने का प्रावधान है, जो कि उनके लिए पर्याप्त नहीं है।

आजादी के 66 वर्षों के बाद भी हम गरीबों और गांव के किसानों को रोशनी देने में असमर्थ रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत समीप के सारे गांवों का विद्युतीकरण कराने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाने चाहिए। हमने इसके संदर्भ में सरकार का ध्यान कई बार आकृष्ट करवाया लेकिन अभी तक यह अमल में नहीं लाया गया है।

अत: सरकार से आग्रह है कि उक्त विद्युतीकरण योजना में 3 पेज की लाईन लगवाई जाए एवं बी.पी.एल. सूची में आने वाले परिवारों को 40 वाट के तीन कनेक्शन दिए जाए। खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र गिरिडीह, बोकारो एवं धनबाद में उक्त वर्णित कार्य को अतिशीघ्र क्रियान्वित करने के निर्देश जारी करने की मेरी भारत सरकार से मांग है।

[अनुवाद]

(नौ) असम के सिलचर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने हेतु उपबंध किए जाने की आवश्यता।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (सिलचर): यह चिंता की बात है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिल्चर, असम के कर्मचारी अब भी पेंशन

लाभ से वंचित हैं जो अन्य राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के कर्मचारियों को मिल रहे हैं।

आरईसी के निदेशक मंडल प्राचार्यो पेंशन लाभ जारी करने के लिए वर्ष 1987 से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। असम राज्य सरकार ने भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखा है जिसने इस पर वित्तीय अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ।

मै माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया अपनी स्वीकृति दें और एनआईटी, सिल्चर, असम के कर्मचारियों को यथाशीघ्र पेंशन लाभ दिलाने की अनुमति दें।

(दस) उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल समपार संख्या 236ए पर चौकीदार नियुक्त किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्रीमती सुशीला सरोज (मोहनलालगंज): मैं मंत्रालय के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लखनऊ मण्डल में मानव रहित 236ए कैनाल को मानवयुक्त करने के लिए स्थानीय जनता की लंबे समय से मांग है। कई बार जनता आक्रोशित हुई है परंतु रेल विभाग ने इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की है। नजरनगर से ससपन के बीच दिलावर में स्थित यह मानव रहित कैनाल क्रॉसिंग एक वर्ष से बंद है, जिससे नजरनगर से ससपन मार्ग के बीच लगभग 18-20 किलोमीटर की सड़क बन गई है। इस क्रासिंग से क्षेत्र के दर्जनों गांव के हजारों व्यक्ति रोज प्रभावित हो रहे हैं। इसी फाटक के पश्चिम में 250 मीटर की दूरी पर रेल फाटक 237 है जिस पर यातायात शून्य है जहां दो फाटक मैन तैनात है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि रेल फाटक के आसपास कोई रास्ता ही नहीं है, खेत है। सभी लोग 236ए फाटक से आते जाते हैं।

मेरी मांग है कि 236ए फाटक को खुलवाकर मानवयुक्त बनाया जाए जिससे स्थानीय जनता के समक्ष आर ही बाधाओं का समाधान हो सके।

(ग्यारह) अनुसूचित जनजातियों को देश की मुख्य धारा में शामिल किए जाने की आवश्यकता।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): इस देश में अंग्रेजों ने कुछ जातियों को क्रिमिनलएक्ट में निरुद्ध किया था, उनकी प्रान्तवार सूची नितान्त आवश्यक है। निरूद्ध जातियों को किस आयोग के तहत विमुक्त किया गया था। आयोग की सिफारिशें क्या थी? इन जातियों को देश के आरक्षण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग में प्रान्तवार किस आरक्षण कोटे में रखा गया है। यह जातियां विमुक्त धारा से मुक्त होने के बाद भी आज तक किसी प्रान्त में किसी भी आरक्षण कोटे में नहीं है। मेरी मांग है कि सरकार विमुक्त जातियों के विकास के लिए कोई प्रावधान करे एवं उन्हें सुविधाएं दें तथा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रदान करें। देश की आजादी में लड़ने वाले क्रिमिनल एक्ट में निरुद्ध इन जातियों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी जाए। सरकार ने इन्हें चिन्हित कर समाज के मुक्त धारा में लाने का प्रयास करें।

(बारह) बिहार के काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्य शुरू करने तथा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत शेष बचे गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता।

श्री महाबली सिंह (काराकाट): काराकाट लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत चल रहे कार्य राशि के अभाव में दो वर्ष से बंद है, उसे अविलम्ब कराया जाये। काराकाट लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत शेष बचे गांवों को शीघ्र विद्युतीकरण कराया जाये।

[अनुवाद]

(तेरह) पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के बालागढ़, चंदनगामा, चिनसूढ़ और बांसबेरिया क्षेत्रों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित किए जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता।

डॉ. रत्नाडे (हुगली): पर्यटन देश के विकास में प्रमुख भूमिका अदा करता है और रोजगार के अवसरों का सृजन करता है। संबद्ध मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए कि इस विशेष पहलू का इसकी पूरी क्षमता से उपयोग किया जाए। 12वीं पंचवर्षीय योजना में यह अनुमान है कि पर्यटन क्षेत्र अपनी वर्तमान संवृद्धि को 9% से बढ़ाकर 12% करने के लिए 24.9 मिलियन रोजगारों का सृजन करेगा यह एक नवीन विचार है। सभा इस बात से अवगत है कि पर्यटन उद्योग पूरे विश्व में रोजगार के अवसरों का सृजन करता है। पर्यटन क्षेत्र में अपार क्षमता के मद्देनजर यह सुनिश्चित करने हेतु नए सिरे से और निष्ठापूर्वक प्रसास किए जाने चाहिए कि देश में विभिन्न यह सुनिश्चित करने हेतु नए सिरे से और निष्ठापूर्वक प्रयास किए जाने चाहिए कि देश में विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का विकास किया गया है। बड़ी संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटकों दोनों को आकर्षित करने हेतु एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जिसको विशेष उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि पर्यटन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं लाभान्वित होती हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर और पर्यटन उद्योग

में कुल कर्मचारियों में 70% महिलाएं हैं। अत:भारतीय महिलाओं को पर्यटन क्षेत्र में लाया जाना चाहिए। इस परिस्थिति में, पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं हेतु अधिक रोजगार उपलब्ध कराने तथा रोजगार के अवसरों का सृजन करने के मद्देनजर पर मैं पर्यटन मंत्रालय से पर्यटन क्षेत्र के विकास के प्रयास करने का अनुरोध करना चाहूंगा इस संदभ्र में, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के बालागढ़ चंदननागा, चिनसुरहा और बांसबेरिया के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए प्रयास करें।

(चौदह) तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

श्री.आर. थामराईसेलवन (धर्मपुरी): सरकार ने देश भर में 26 एकीकृत टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना करने का निर्णय लिया था जिसमें ये ऐसे 2 पार्क तमिलनाडु राज्य के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह न केवल वस्त्र उद्योग को संवर्द्धन करेगा परन्तु यह लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करने में सहायता करेगा।

मैंने पहले अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र धर्मपुरी में ऐसा एक वस्त्र पार्क स्थापित करने का एक प्रस्ताव रखा क्योंकि यह जिला राज्य में सर्वाधिक पिछड़ा जिला है। वर्तमान में इस जिले के कुशल और अर्द्ध-कुशल युवाओं और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को राज्य के अन्य हिस्सों तथा देश के अन्य हिस्सों और विदेशों में पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

इस जिले में परिधान प्रशिक्षण और अभिकल्प केन्द्र नल्लमपल्ली पंचायत यूनियन कार्यालय परिसर, नल्लमपल्ली में स्थित है जो कुशल वस्त्र कार्मिक उपलब्ध कराती है और उन्हें प्रशिक्षित कर तैयार करता है जिन्हें वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के अन्तर्गत परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (ए ई पी सी) द्वारा प्रायोजित किया जाता है। साथ ही जिले के अधिकारी धर्मपुरी जिले में नल्लमपल्ली पंचायत यूनियन में गांव धोक्कबो धनहल्बी में वस्त्र पार्क के लिए अपेक्षित भूमि आवंटित किए जाने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। कई उद्यमी जिनकी संख्या 150 से अधिक है, ने वस्त्र पार्क में अपने इकाईयों की स्थापना के लिये गहरी रूचि व्यक्त की है यदि यह इस जिले में स्थापित किया जाता है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि इस जिले में वस्त्र पार्क बनाए जाने के लिए आवश्यक सभी अवसंरचनात्मक सुविधायें मौजूदा हैं। यदि प्रस्तावित वस्त्र पार्क स्थापित किया जाता है, 5000 से अधिक बुनकर परिवार इससे लाभान्वित होंगे और वे औद्योगिक रूप से इस पिछड़े जिले को एक विकासशील औद्योगिक जिले में बदल देंगे।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे तमिलनाडु में धर्मपुरी जिले में एक टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने पर विचार करें।

(पंद्रह) श्यामला गोपीनाथ आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों की पुनरीक्षा किए जाने तथा महिला प्रधान अभिकर्ताओं के पक्ष में समुचित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता।

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय लघु बचत योजना निधि का अध्ययन करने और उसके कार्यों की सिफारिश करने के लिए श्रीमती श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया है। यह योजना वर्ष 1970 में शुरू की गयी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों, गृहिणियों और अन्य लोगों जो अंशदान कर सकते हैं, के लघु बचत को बढ़ावा देना है। इस निधि के लिए राशि एजेंटों के माध्यम से जुटायी जाती है। इनमें में बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की है। शुरू में उन्हें 5 प्रतिशत कमीशन दिया जाता था। तत्पश्चात इसे घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया अब आयोग ने कमीशन को 4 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया जिससे इस योजना के साथ-साथ गरीब एजेंटों को भी जबर्दस्त झटका लगा और वे योजना और गरीब एजेंट कठिनाई में आ गए। वर्ष 2008-09 के दौरान उन्होंने लगभग 9000 करोड़ रुपये जुटाए और वर्ष 2009-10 में यह 30,000 करोड़ रूपए और इससे अधिक हो गए। इसलिए यह राशि राज्यों के साथ-साथ केन्द्र के लिए भी एक वित्तीय सहायता है। यदि कमीशन घटा दिया जाता है तो एजेंटों के लिए इस कार्य हेतु यात्रा करना संभव नहीं होगा। आयोग ने पुन: सिफारिश की कि वरिष्ठ नागरिकों और अन्य वर्गों के भविष्य निधि कर्मचारियों की जमाओं पर कोई कमीशन नहीं हो। इसलिए यह वास्तव में लघु बचत योजनाओं को समाप्त करने और निजी बैंकों को बढ़ावा दिए जाने की सीधी कार्रवाई है जो अब इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। देश भर में लगभग 5 लाख लघु बचत एजेंट हैं। यद्यपि उन्हें कमीशन के रूप में एक बहुत थोड़ी राशि मिलती है परंतु उनका कार्य राज्य और देश दोनों के लिए बहुमूल्य है।

इसलिए, में सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह श्यामलाल गोपीनाथ आयोग के आधार पर जारी आदेशों को वापस ले और महिला प्रधान एजेंटों के पक्ष में समुचित कार्रवाई करें।

(सोलह) तमिलनाडु के विलुपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मुंडियमबाक्कम और टिंडीवनम में रेल सुविधाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता।

श्री एम. आनंदन (विलुपुरम): तमिलनाडु के बिलुपुरम जिले के मुनडियामाबक्क और आसपास के गांवों की जनसंख्या 35,000 से अधिक है। मुनडियाबक्कम में एक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और चीनी मिल है। उक्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के छात्र, चिकित्सक, नर्स और कर्मचारी डे स्कालर्स है जो नजदीकी जिले जैसे कुड्डालोर, चेंगलपट्टु, कांचीपुरम,

तिंडीवनम आदि से आते हैं। इस आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले अधिकांश वाह्य रोगी ग्रामीण गरीब हैं और यहां तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी की सुविधा का उपयोग करते हैं। चीनी मिल में कार्य करने वाले किसान और श्रमिक रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं। वर्तमान में रेलगाड़ीयां केवल विलुपुरम में रूकती है जो मुनडियाबक्कम से काफी दूर है और परिणामस्वरूप छात्र, चिकित्सक अस्पताल के कर्मचारी, रोगी किसान और श्रमिकों को मुनडियाबक्कम पहुंचने में कठिनाई झेलनी पड़ रही है। छात्रों और जनता की सभी रेलगाड़ियों के मुनडियाबक्कम पर ठहराव के लिए लम्बे समय से मांग की जाती रही है। पुडुचेरी-चेन्नई एक्सप्रेस, तिरन्वेन्दूर एक्सप्रेस और चोलन एक्सप्रेस के तिन्दीवानम स्टेशन पर ठहराव की मांग भी तिंदिवानम के लोग काफी लम्बे समय से कर रहें हैं। चूंकि ये सभी मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोंगो की अविलम्ब मांग है, मैं रेल मंत्रालय में अपील करता हूँ कि तत्काल समुचित कदम उठाया जाए।

[हिन्दी]

(सत्रह) बिहार के मुजफ्फरपुर के मोतीपुर रेलवे स्टेशन पर रेल सुविधाओं में सुधार किए जाने तथा पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत बिहार में नरियार जंकशन पर पोरबंदर एक्सप्रेस, देहरादून एक्सप्रेस, जनसाधारण एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस गाडिंयों के ठहराव दिए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): पूर्व मध्य रेलवे के मुजफ्फरपुर-मोतीहारी रेल लाइन के बीच मोतीपुर स्टेशन पर टिकट की बिक्री को देखते हुए बड़ी लाइन की पटरी बराबर दोनों ओर प्लेटफार्म, रेलवे ओवर ब्रिज, पानी की टंकी की व्यवस्था, मापदंड के अनुसार टिकट काटने वाले की संख्या में वृद्धि, प्रतीक्षालय एवं प्रकाश की व्यवस्था और पोरबंदर, देहरादून, जनसाधारण और गरीब रथ के स्टॉपेज की मांगें वहां के रेलयात्री संघ ने की है। साथ ही नारियार हाल्ट को स्टेशन का दर्जा देने हेतु 25-30 वर्षों से वहां के लोग मांग कर रहे हैं।

मोतीपुर स्टेशन पर उपरोक्त सुविधायें प्रदान करने एवम् नरियार हाल्ट को स्टेशन का दर्जा देने की मांग मैं रेल मंत्री से करता हूं।

[अनुवाद]

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप यहां क्यों खड़े है? कृपया अपनी सीट पर वापस जाएं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या आप कृपया अपने स्थान पर बैठेंगे?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदया: कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हम अगले मद पर चर्चा करने जा रहे है। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हमे अगले मद पर चर्चा करनी होगी। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: सभा कल दिनांक 1 दिसम्बर, 2011 को पूर्वाहन 1100 बजे पुन: समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

अपराह्न 12.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार 1 दिसम्बर, 2011/ 10 अग्रहायण, 1933 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री प्रताप सिंह बाजवा श्री जी.एम. सिद्देश्वर	121
2.	श्री जोस के. मणि श्री नवजोत सिंह सिद्धू	122
3.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी श्री सुरेश अंगड़ी	123
4.	श्री संजय धोत्रे श्री मंगनीलाल मंडल	124
5.	श्री हरिभाऊ जावले	125
6.	श्री धमेन्द्र यादव श्री शैलेन्द्र कुमार	126
7.	श्रीमती रमा देवी श्री अर्जुन राम मेघवाल	127
8.	श्री एस.आर. जेयदुरई श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	128
9.	श्री गोपीनाथ मुंडे श्री रमेश बैस	129
10.	श्री एम.के. राघवन श्री हमदुल्लाह सईद	130
11.	श्री हंसराज गं. अहीर श्री प्रहलाद जोशी	131
12.	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	132
13.	श्री ए.टी. नाना पाटील श्री विजय बहादुर सिंह	133
14.	श्री समीर भुजबल	134
15.	श्री जगदानंद सिंह श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	135
16.	श्री बृजभूषण शरण सिंह श्री भर्तृहरि महताब	136
17.	श्री एल. राजगोपाल डॉ. के. एस. राव	137
18.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	138
19.	श्री घनश्याम अनुरागी श्री वरूण गांधी	139
20.	श्री अनंत कुमार हेगड़े श्रीमती सुमित्रा महाजन	140

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री बसुदेव आचार्य	1559
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	1401, 1473, 1553, 1596, 1604
3.	श्री आनंदराव अडसुल	1473, 1553, 1596, 1604
4.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	1404, 1431, 1592,
5.	श्री हसंराज गं. अहीर	1459, 1567
6.	श्री बदरूद्दीन अजमल	1416, 1543, 1600
7.	श्री अनंत कुमार	1503
8.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	1404
9.	श्री अशोक अर्गल	1456, 1485
10.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	1488, 1506
11.	श्री कीर्ति आजाद	1445
12.	श्री गजानन ध. बाबर	1413, 1473, 1553, 1596, 1604
13.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	1562
14.	श्री रमेश बैस	1392
15.	श्री कामेश्वर बैठा	1444, 1480,1606
16.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	1393, 1556, 1601

1	2	3
17.	डॉ. बलीराम	1434, 1551, 1594
18.	श्री अम्बिका बनर्जी	1505, 1527
19.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	1451, 1539
20.	श्री अवतार सिंह भडाना	1534
21.	श्री सुदर्शन भगत	1459, 1519
22.	श्री ताराचन्द भगोरा	1396
23.	श्री संजय भोई	1451, 1455, 1464, 1540, 1554
24.	श्री उदयनराजे भोंसले	1442, 1606
25.	श्री पी.के बिजू	1447, 1546, 1549
26.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	1444
27.	श्री सी. शिवासामी	1500, 1556
28.	श्री हरीश चौधरी	1538
29.	डॉ. महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	1391, 1447, 1597, 1605
30.	श्री दारा सिंह चौहान	1458
32.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	1427, 1590
32.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	1564
33.	श्री भूदेव चौधरी	1486, 1551
34.	श्री निखिल कुमार चौधरी	1508
35.	श्रीमती श्रुति चौधरी	1429, 1553, 1556, 1591
36.	श्री अधीर चौधरी	1522
37.	श्री भक्त चरण दास	1533
38.	श्री खगेन दास	1493
39.	श्री राम सुन्दर दास	1471, 1558
40.	श्री गुरूदास दासगुप्त	1479, 1512, 1539
41.	श्रीमती जे.हेलन डेविडसन	1539

1	2	3
42.	श्री रमेन डेका	1449
43.	श्रीमती अश्वमेध देवी	1501
44.	श्रीमती रमा देवी	1537, 1538
45.	श्री.के.पी. धानपालन	1381, 1539, 1543, 1599, 1605
46.	श्री संजय धोत्रे	1536, 1603
47.	श्री आर. ध्रुवनारायण	1390
48.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	1449
49.	श्री निशिकांत दुबे	1459, 1505, 1562
50.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	1439
51.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	1451, 1455, 1464, 1540, 1555
52.	श्रीमती मेनका गांधी	1451, 1528
53.	श्री वरूण गांधी	1547
54.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	1397, 1449, 1573
55.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	1440
56.	श्री एल. राजगोपाल	1542, 1600
57.	श्री शिवराम गौडा	1524
58.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	1491, 1531, 1539, 1540
59.	डॉ. सुचारू रंजन हल्दर	1446, 1543
60.	श्री महेश्वर हजारी	1392
61.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	1393, 1458
62.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	1552
63.	श्री बलीराम जाधव	1517, 1543
64.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	1476, 1515, 1536, 1559
65.	श्री बद्रीराम जाखड़	1395, 1565, 1571

1	2	3
66.	श्रीमती दर्शना जरदोश	1417, 1451, 1552
67.	श्री हरिभाऊ जावले	1539, 1545, 1586
68.	श्रीमती जयाप्रदा	1436, 1545
69.	श्री महेश जोशी	1428, 1449
70.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	1404, 1438, 1489, 1502, 1598
71.	श्री प्रहलाद जोशी	1608
72.	श्री पी.करूणाकरन	1523, 1539
73.	श्री कपिल मुनि करवारिया	1558
74.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	1514
75.	श्री नलिन कुमार कटील	1430
76.	श्री काट्टी रमेश विश्वनाथ	1553
77.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	1457
78.	श्री चंद्रकांत खैरे	1463, 1548, 1549
79.	डॉ. कृपारानी किल्ली	1490
80.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	1441, 1600
81.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	1487, 1543
82.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	1449, 1492
83.	श्री मिथिलेस कुमार	1456, 1594, 1606
84.	श्री विश्व मोहन कुमार	1495
85.	श्री यशवंत लागुरी	1507
86.	श्री पी. लिंगम	1479
87.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	1408, 1505, 1543
88.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	1449, 1607
89.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	1457, 1550, 1605
90.	श्री नरहरि महतो	1498, 1503, 1561
91.	श्री भर्तृहरि महताब	1547

1	2	3
92.	श्री प्रदीप माझी	1452
93.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	1472
94.	श्री मंगनी लाल मंडल	1536
95.	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	1455, 1540
96.	श्री जोस के. मणि	1602
97.	श्री हरि मांझी	1394, 1542
98.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	1563
99.	श्री दत्ता मेघे	1443, 1474, 1541
100.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	1565
101.	श्री महाबल मिश्रा	1488
102.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	1466, 1556
103.	श्री सोमेन मित्रा	1549
104.	श्री पी.सी. मोहन	1447
105.	श्री गोपीनाथ मुंडे	1392, 1404
106.	श्री विलास मुत्तेमवार	1472, 1521, 1563
107.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	1403, 1447, 1522
108.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	1439, 1610
109.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	1470, 1474, 1550
110.	श्री इंदर सिंह नामधारी	1525
111.	श्री नारनभाई कछाड़िया	1462
112.	कुमारी मीनाक्षी नटराजन	1511
113.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	1412, 1451, 1555, 1563
114.	श्री वैजयंत पांडा	1435, 1529, 1609
115.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	1504
116.	कुमारी सरोज पाण्डेय	1509
117.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	1605

1	2	3
118.	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	1404
119.	श्री जयराम पांगी	1384, 1387, 1441
120.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	1451, 1464, 1554, 1555
121.	डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	1410
122.	श्री आर.के.सिंह पटेल	1543
123.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	1461
124.	श्री किसनभाई वी. पटेल	1419, 1452
125.	श्री हरिन पाठक	1499
126.	श्री संजय दिना पाटील	1414
127.	श्री ए.टी. नाना पाटील	1541, 1589
128.	श्रीमती भावना पाटील गवली	1433, 1548, 1549
129.	श्री सी.आर. पाटिल	1406, 1477
130.	श्री पोन्नम प्रभाकर	1385, 1555, 1587
131.	श्री नित्यानंद प्रधान	1435, 1609
132.	श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू	1453, 1530
133.	श्री पन्ना लाल पुनिया	1496
134.	श्री एम.के. राघवन	1451, 1569
135.	श्री अब्दुल रहमान	1491
136.	श्री प्रेम दास राय	1454
137.	श्री एम.बी. राजेश	1432, 1593
138.	श्री पूर्णमासी राम	1477
139.	श्री रामकिशुन	1457
140.	श्री जगदीश सिंह राणा	1392, 1447, 1605
141.	श्री निलेश नारायण राणे	1386, 1449, 1541, 1578
142.	श्री रायापति सांबासिवा राव	1384, 1409, 1493, 1555, 1581
143.	श्री जे.एम. आरून रशीद	1399, 1576
144.	श्री रामसिंह राठवा	1402
145.	श्री अशोक कुमार रावत	1426, 1588
146.	श्री रूद्र माधव राय	1382, 1452, 1504, 1539, 1560
147.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	1466, 1467, 1573
148.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	1398, 1479, 1567, 1575
149.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	1384, 1574
150.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	1451
151.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	1498, 1503, 1561
152.	श्री महेन्द्र कुमार राय	1547
153.	श्री एस. अलागिरी	1407, 1560
154.	श्री एस. सेम्मलई	1497
155.	श्री एस. पक्कीरप्पा	1420, 1546, 1584
156.	श्री एस.आर. जेयदुरई	1538, 1539, 1540 1605
157.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	1405, 1573, 1580, 1606
158.	श्री राकेश सचान	1460
159.	श्री ए. संपत	1388, 1566
160.	श्रीमती सुशीला सरोज	1392, 1396, 1468
161.	श्री तूफानी सरोज	1483
162.	श्री हमदुल्लाह सईद	1535, 1551, 1577
163.	श्री अर्जुन चरण सेठी	1466
164.	श्रीमती जे. शांता	1451, 1451, 1459
165.	श्री शरीफुद्दीन 'शारिक'	1608
166.	श्री नीरज शेखर	1436, 1544, 1545

1	2	3
167.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	1385, 1424, 1587
168.	श्री राजू शेट्टी	1543
169.	श्री एंटों एंटोनी	1448
170.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	1568, 1606
171.	श्री नवजोत सिंह सिद्धू	1572
172.	डॉ. भोला सिंह	1548
173.	श्री भूपेन्द्र सिंह	1423, 1449
174.	श्री दुष्यंत सिंह	1579
175.	श्री गणेश सिंह	1466, 1556
176.	श्री इज्यराज सिंह	1482
177.	श्रीमती मीना सिंह	1478
178.	श्री राधा मोहन सिंह	1478, 1551
179.	डॉ. रघुवेश प्रसाद सिंह	1532, 1605
180.	श्री राकेश सिंह	1400
181.	श्री सुशील कुमार सिंह	1520, 1605
182.	श्री यशवीरा सिंह	1436, 1544, 1545
183.	चौ. लाल सिंह	1437
184.	श्री रेवती रमण सिंह	1454, 1481
185.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	1502
186.	राजकुमारी रत्ना सिंह	1433, 1537, 1560
187.	श्री उदय प्रताप सिंह	1475
188.	श्री विजय बहादुर सिंह	1555
189.	डॉ. संजय सिंह	1407, 1433, 1482, 1536, 1595
190.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	1493
191.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलकी	1447, 1510

1	2	3
192.	श्री मकनसिंह सोलंकी	1394
193.	श्री के. सुधाकरण	1518
194.	श्री ई.जी. सुगावनम	1418, 1500, 1583
195.	श्री के.सुगुमार	1389, 1570
196.	श्रीमती सुप्रिया सुले	1470, 1474, 1550, 1554
197.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	1491, 1531, 1540, 1543, 1605
198.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	1582, 1606
199.	श्री मानिक टैगोर	1504, 1530, 1564
200.	श्रीमती अन्नू टन्डन	1451
201.	श्री अशोक तंवर	1557
202.	श्री मनीष तिवारी	1516
203.	श्री जगदीश ठाकोर	1451, 1541
204.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	1383
205.	श्री आर. थामराई सेलवन	1421, 1557, 1585
206.	श्री पी.टी. थॉमस	1469
207.	श्री मनोहर तिरकी	1472
208.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	1465
209.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	1411
210.	श्री लक्ष्मण टुडु	1422, 1552, 1595
211.	श्री शिवकुमार उदासी	1470
212.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	1392
213.	श्री मनसुखभाई डी.वसावा	1507, 1515
214.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	1444, 1456, 1459
215.	श्री सज्जन वर्मा	1513
216.	श्रीमती ऊषा वर्मा	1392

1	2	3
217.	श्री वीरेन्द्र कुमार	1451, 1470, 1552
218.	श्री पी. विश्वनाथन	1494
219.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	1503, 1526
220.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	1484, 1603
221.	श्री अजंन कुमार एम. यादव	1476, 1559
222.	श्री धमेन्द्र यादव	1413, 1473, 1553, 1604
223.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	1438, 1489, 1598
224.	श्री ओम प्रकाश यादव	1474, 1535
225.	श्री मधुसूदन यादव	1425
226.	श्री मधु गौड यास्खी	1451, 1464, 1540, 1554
227.	योगी आदित्यनाथ	1450

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:
परमाणु ऊर्जा	:
नागर विमानन	: 133, 139, 140
कोयला	: 121, 129, 135, 138
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	: 123, 125, 130, 137
विदेश	: 122, 131, 132, 134
मानव संसाधान विकास	: 124, 126, 136
प्रवासी भारतीय कार्य	:
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	: 127
योजना	: 128
अंतरिक्ष	:

आतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:
परमाणु ऊर्जा	: 1381 1435, 1442, 1469, 1486, 1531, 1542, 1579
नागर विमानन	: 1387, 1392, 1394, 1398, 1412, 1414, 1416, 1420, 1423, 1428, 1430, 1465, 1481, 1482, 1484, 1485, 1493, 1504, 1505, 1509, 1510, 1516, 1521, 1523, 1527, 1534, 1539, 1545, 1548, 1549, 1556, 1564, 1567, 1570, 1573, 1584, 1599
कोयला	: 1382, 1389, 1421, 1425, 1445, 1466, 1471, 1480, 1499, 1524, 1525, 1550, 1558, 1563, 1580, 1582
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	: 1384, 1385, 1393, 1407, 1410, 1415, 1424, 1433, 1434, 1441, 1447, 1449, 1456, 1457, 1474, 1476, 1483, 1500, 1503, 1512, 1529, 1547, 1552, 1555, 1560, 1568, 1571, 1581, 1583, 1586, 1587, 1594, 1600, 1603
विदेश	: 1396, 1397, 1406, 1472, 1473, 1498, 1526, 1538, 1540, 1561, 1566, 1575, 1589, 1592, 1602, 1608
मानव संसाधान विकास	: 1388, 1930, 1401, 1408, 1411, 1413, 1417, 1418, 1419, 1422, 1426, 1437, 1446, 1450, 1451, 1453, 1454, 1455, 1459, 1460, 1461, 1464, 1467, 1468, 1470, 1475, 1478, 1488, 1490, 1491, 1494, 1495, 1496, 1497, 1501, 1506, 1508, 1511, 1513, 1514, 1515, 1519, 1522, 1528, 1530, 1532, 1536, 1541,

		1543, 1544, 1546, 1554, 1557, 1569, 1576, 1578, 1585, 1588, 1590, 1591, 1593, 1597, 1598, 1601, 1605, 1606, 1607, 1609, 1610
प्रवासी भारतीय कार्य	:	1391, 1399, 1427, 1429, 1448, 1553, 1562
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	1386, 1395, 1400, 1402, 1404, 1405, 1436, 1438, 1439, 1440, 1443, 1458, 1462, 1477, 1502, 1507, 1518, 1535, 1551, 1559, 1572, 1577
योजना	:	1383, 1403, 1409, 1431, 1432, 1444, 1463, 1479, 1487, 1489, 1492, 1517, 1520, 1533, 1537, 1565, 1595, 1596, 1604
अंतरिक्ष	:	1452, 1574

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/20/7/2011 (एन.)
230

© 2011 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और धनराज एसोसिएट्स प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।